खण्ड-469, अंक-4
गुरुवार, 30 श्रावण, शक संवत् 1930
(21 अगस्त, 2008 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2008)

खण्ड 469 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-छ
अतिवृष्टि से हुई मौतों एवं बर्बादी विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग	1-3
प्रश्नोत्तर	3-111
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम नरेश पाण्डेय तथा श्री शिव सम्पत्ति राम के निधन पर शोकोद्गार	111-112
दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को स्थगित पृथक बुन्देलखण्ड राज्य बनाने विषयक संकल्प को आज की कार्य-सूची में सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	112-113
स्वतंत्रता आन्दोलन 1857 की 150वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर सरकार द्वारा शहीदों के सम्मान में सदन में प्रस्ताव लाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	113-114
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	114-115
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	115-116
खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण एवं हाटमिक्स प्लाण्ट से निर्माण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116
बरेली मण्डल के सहकारिता विभाग में शासकीय नीति के विरुद्ध पद स्थापना को निरस्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	116
विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर के क्षतिग्रस्त मार्ग की तत्काल मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	117
लालबाग राजकीय आफीसर्स कालोनी, लखनऊ के दोनों ब्लाकों में एक-एक लिफ्ट को बदलवायें जाने तथा कालोनी परिसर में नई बोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117-118
दिनांक 26-2-2008 को नियम-301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचना का गलत उत्तर भेजने वाले एवं वित्तीय अनियमितता करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	118-119
मुरली विहार (टी0सी0एल0) कालोनी के पीछे सरोजनी नगर, लखनऊ में जलभराव एवं सड़क में गड्ढे होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119

विषय	पृष्ठ-संख्या
दीनदयाल विश्वविद्यालय, गोरखपुर में सांध्यकालीन कक्षा की छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119-120
जिला पंचायत, अलीगढ़ में नहरों, नालों की सफाई आदि में व्यय धन के दुरूपयोग की जांच कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
जनपद उन्नाव में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा वर्ष 2005 में औद्योगिक क्षेत्र हेतु अधिग्रहीत की गई किसानों की भूमि का अब तक मुआवजा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	120-121
जनपद आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ से प्रभावित लोगों एवं किसानों को समुचित सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा की क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121-122
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर की क्षतिग्रस्त सड़क को हाटमिक्स प्लाण्ट से बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	122
श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई'', सदस्य विधान सभा द्वारा बाई श्रेणी की सुरक्षा अथवा दो अतिरिक्त गनर शासकीय खर्चे पर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
शासकीय/अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालय में कार्यरत कर्मचारी की योग्यता स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान प्रमाण-पत्र कर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123
नानपारा बहराइच में कांवरियों को दौड़ा-दौड़ाकर मारने-पीटने की उच्चस्तरीय जांच निष्पक्ष एजेन्सी से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
भातखण्डे संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ की संगतकर्ता गायन (लोकनृत्य) सुश्री मीता चटर्जी के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124-125
कानपुर नगर की तहसील घाटमपुर के तीन ब्लाकों के अधिकांश ग्रामों की बी0पी0एल0 सूची के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सीतापुर के सेवानिवृत्त ज्येष्ठ लेखापरीक्षक ग्रेड-2 श्री इज्जत अली उस्मानी के भविष्य निर्वाह निधि खाते से रु0 11000/- की धनराशि के गलत आहरण की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	126
जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत शारदा नदी के कटान से प्रभावित ग्राम-दम्बल टांडा एवं रामनगर कलां आदि में ठोकर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद लखीमपुर खीरी के लोक निर्माण विभाग प्रथम खण्ड पचपेंडी घाट पर बेलदार पद पर कार्यरत श्री शारदा प्रसाद को नौकरी करने हेतु समय बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	127
लखीमपुर खीरी के उजाड़े गये ग्राम चुन्नीलाल पुरवा को पुनः आबाद करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127
उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संवर्ग के अधिकारियों को सुविधाएं प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	127-128
मेरठ जनपद में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार धारा-144 एवं 353 के अन्तर्गत जनता का उत्पीड़न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	128-129
गोरखपुर के मानीराम क्षेत्रान्तर्गत ढोमीनगढ़ मानीराम बन्धे में रेगुलेटर को सही जगह एवं सही लेबल पर लगाकर जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129
नगरपालिका परिसर, मथुरा में रेलवे पुल के निकट तथा नये/पुराने बस स्टेशन के पास जल भराव की समस्या का तत्काल निदान कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129-130
नवनिर्मित तहसील भवन चौरी-चौरा, गोरखपुर के चारों ओर जलभराव की समस्या के निदान की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130
सीतापुर रोड योजना सेक्टर-ए फेज-बी लखनऊ के लिए एक पृथक सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	130-131
प्रतापगढ़ के रामपुर खास क्षेत्रान्तर्गत तीन न्याय पंचायतें कस्बा लतीफपुर, संग्रामगढ़ एवं अशोगी के तहसील लालगंज में सम्मिलित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	131-132

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामीण अंचलों में पेयजल सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	132
पटेलनगर योजना निकट सेक्टर-8, इंदिरानगर, लखनऊ में पानी की निकासी हेतु चौड़े नाले के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	132-133
जनपद सुल्तानपुर के ग्राम खनियां (पश्चिम) में भूखण्ड गाटा संख्या-481, रकबा 5.864 विवादित प्रकरण की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	133-134
आगरा के फतेहाबाद में पुराने तहसील भवन में गरीबों के लिए मुफ्त आवास या पालिटेक्निक की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	134
कुशीनगर के रामकोला क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज से तहसील मुख्यालय हाटा को जोड़ने वाने बौद्ध परिपथ का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	134-135
बादशाहनगर सचिवालय कालोनी लखनऊ में अवैधानिक केबिल संचालन की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	135-136
शाहजहांपुर की तिलहर नगरपालिका में व्याप्त अनियमितताओं की पूर्व में की गयी जांच के आधार पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	136
विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा ठेकेदार श्री कृष्ण कुमार तिवारी का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	136-137
मैनपुरी के भोगांव क्षेत्रान्तर्गत सलेमपुर पड़ीना के पुल के दोनों तरफ सड़क कट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	137
राजकीय डा0 वृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज देवकाली फैजाबाद के छात्रों को डा0 तोमर द्वारा फर्जी रूप से उत्पीड़ित किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	137-138
जिला पुस्तकालय बांदा की पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा कथित रूप से दायर किये गये फर्जी मुकदमों की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	138
मुरादाबाद के विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा के ग्राम पीपलसाना में पुराने विद्युत तारों को शीघ्र बदलवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	138-139

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद चन्दौली/मिर्जापुर के रायनपुर पम्प कैनाल के गंगा नहर से निकलने वाली जोगवां बुधवार माइनर को आगे खुदाई कर सीपी रेगुलेटर से निकलने वाली डंवक बबुरी नहर में मिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	139
बुन्देलखण्ड में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	140
लखनऊ स्थित ममता सहकारी गृह निर्माण समिति द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	140-141
जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य लिफ्ट कैनाल बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	141-142
जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव पर तैनात तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गयी कथित अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	142-143
जनपद बांदा के कमासिन ब्लाक के अन्तर्गत डी0पी0ए0पी0 के निर्माणाधीन कठार पम्प कैनाल के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	143
इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत टाउन एरिया फूलपुर में रेलवे क्रसिंग पर ओवर ब्रिज न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	143-144
शाहजहांपुर नगर में पुनः सर्वे कराकर केवल पात्र व्यक्तियों को ही बी0पी0एल0 सूची में लाकर कार्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	144
जनपद बुलन्दशहर के ग्राम अभयपुर निवासी श्री मनवीर सिंह की मृत्यु के फलस्वरूप उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	145
जनपद रामपुर के तहसील विलासपुर के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	145
रायबरेली के ग्राम अतरेहटा से महाराजगंज ड्रेन पर पक्के पुल के निर्माण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	146
मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	146

विषय				पृष्ठ-संख्या
जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम गोहनियां निवासी श्री रामशरण के विरुद्ध दर्ज मुकदमें में अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	147
नगर पंचायत सहपऊ, जनपद-महामायानगर में जल निकासी की समस्या के निदान हेतु नाले के निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	147
जनपद बांदा के मोहल्ला मर्दन नाका के निवासी श्री भगवान दीन की भूमि गाटा संख्या-3235 को भूमाफियाओं से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	147-148
जनपद गोण्डा/बलरामपुर के जिला सहकारी बैंक एवं साधन सहकारी समितियों के बन्द पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	148
जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पुल निर्माण हेतु स्वीकृत अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			...	148
सड़क निर्माण, विद्युतीकरण तथा हैण्डपम्पों के लगाये जाने आदि विकास कार्यों में सरकार द्वारा उदासीनता एवं भेदभाव किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति	...	...	...	149-151
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	...	...	...	151-152
पन्द्रहवीं विधान सभा में मा0 उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने तथा उनसे सम्बन्धित समितियों का कार्य बाधित होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न			...	153-157
प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों तथा पेयजल योजनान्तर्गत हैण्डपम्पों के आवंटन में सत्तापक्ष एवं विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...		...	157-173
दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 के पूर्व उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु धन जमा कर दिये जाने के बावजूद भी अनुबन्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न			...	173-175
उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं का उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	...	...	175

विषय	पृष्ठ-संख्या
महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक औचित्य का प्रश्न	175
भूमि विवाद से सम्बन्धित मामला उठाने का प्रयास	175-176
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	176-217
गो-हत्या विषयक हुई चर्चा में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अप्रमाणित, आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	217
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	218-220
पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये विशेष आर्थिक पैकेज दिये जाने विषयक डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प तथा प्रदेश में स्थित छावनी परिषद् में सांसदों एवं क्षेत्रीय विधायकों को पदेन सदस्य के रूप में नामित किये जाने विषयक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन ...	220
वाराणसी के कमच्छा क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व स्वीकृत शिलान्यासित 220/33 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किये जाने विषयक श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा प्रस्तुतं संकल्प पर चर्चा (जारी) ...	221
प्रदेश के गुर्जरों के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु राजस्थान राज्य की भांति उन्हें 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किये जाने विषयक श्री मदन भैया द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) ...	221
शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु वाणिज्य कर राजस्व से प्राप्त होने वाली धनराशि का 25 प्रतिशत निर्धारित किये जाने विषयक श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	221-222
प्रदेश में विद्युत अभाव की समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्य स्त्रोत बनाये जाने विषयक श्री उदयभान करवरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	222
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (जारी) ...	222
पृथक बुन्देलखण्ड राज्य की स्थापना विषयक श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	222
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित) ...	223-227
तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 (पारित) ...	227-251

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित)	251-252
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 (जारी)	252-257
विधान सभा स्थित सेन्ट्रल हाल जलपान गृह के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	257
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित)	258-259
विधान सभा परिसर स्थित सेन्ट्रल हाल, जलपान गृह में गन्दगी एवं अव्यवस्था होने की शिकायत	259-260
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 के सम्बन्ध में सुझाव	260
उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 (पारित)	261-362
उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग विधेयक, 2008 (पारित) ...	363-391
"प्रदेश में निरन्तर घटते भूगर्भ जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुये पेयजल एवं सिंचाई के लिये भूगर्भ जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनाई जाय" सम्बन्धी डा0 अनिल चौधरी आदि द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन	391-392
बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को दूर करने विषयक श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन ...	392-393
श्री शैलेन्द्र यादव ललई के जान माल को खतरा होने तथा उनको विशेष सुरक्षा दिये जाने की मांग	393-394
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	394-400
जनपद चन्दौली के चन्द्रावती नाले पर टूटे हुए भटपुरवा रेगुलेटर की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	401
जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत मिट्टी का तेल लोगों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो पाने विषयक श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य तथा रसद मंत्री का वक्तव्य	401-402
उ0प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां न लागू करने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	402-403

विषय	पृष्ठ-संख्या
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में न्यूरो सर्जन एवं न्यूरोलाजिस्ट न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	403-405
जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज में अधूरी पड़ी ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	405-406
जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत खड्डा एवं कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0पी0एन0 सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	406-407
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्र में विद्युत लाइन के सुदृढ़ीकरण एवं विद्युत आपूर्ति में सुधार के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	407-408
जनपद सहारनपुर के क्षेत्र मुजफ्फराबाद स्थित ग्राम हिन्दुवाला, डाडल एवं नौगांवा में बरसाती नदी से जन-धन की क्षति होने तथा उनको शीघ्र राहत पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में श्री इमरान मसूद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ...	408-409
जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत कस्बा उस्का बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य... ...	409-410
राज्य कर्मचारियों की भांति उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के स्टाफ की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद चतुर्वेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का केवल वक्तव्य	410-412
जनपद उन्नाव के थाना अचलगंज के प्रभारी श्री परशुराम त्रिपाठी द्वारा जनता से धन की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य..	412-413
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का बस स्टैण्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य ...	413-414

विषय				पृष्ठ-संख्या
निर्वाचक नामावलियों के अन्तर्गत फोटोयुक्त पहचान-पत्र बनाये जाने की समय सीमा को 20 सितम्बर, 2008 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्वाचन मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	414-415
प्रदेश में जननी मातृ योजनान्तर्गत उच्चीकृत एवं प्राथमिक चिकित्सालयों पर आयुर्वेद स्नातक महिला चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अजय तोमर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...		415-416
जनपद गोण्डा के मनकापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में 30 बेड का महिला चिकित्सालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...		416-417
कानपुर शहर के मूलगंज चौराहे से बांसमण्डी तक दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव दरियाबादी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	417-418
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	...	...	418-419
राष्ट्रगान	...	...	...	419
नत्थियां	...	...	...	420-428

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 21 अगस्त, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-369

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरमणि त्रिपाठी, श्री	महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गार्जीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर

अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आनन्द कुमार उर्फ	
कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह	
(ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कादिर राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ	
सतीश वर्मा, श्री	हरदोई

कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर

जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
ददन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
ददू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री	झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी (चौधरी), श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रूखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
शेख नसीरउद्दीन सिद्दकी, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा (मौर्य), श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़

बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार कटेरिया, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुँवर	प्रतापगढ़
रजनी तिवारी, श्रीमती	हरदोई
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव त्रेहन उर्फ राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली

विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती	गोण्डा
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश लोधी, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी "बन्टी", श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गार्जीपुर
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सी0 वी0 इग्निस, श्री	नाम-निर्देशित
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील शर्मा, श्री	गाज़ियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैयूयदा शादाव फातिमा, श्रीमती	गार्जीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अतिवृष्टि से हुई मौतें एवं बर्बादी विषयक नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, नियम-311 में हमने सूचना दी है।

(श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री अवधेश प्रसाद के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष-

अवधेश प्रसाद जी थोड़ा हमारी भी सुन लीजिए। इसमें कई जनपदों के अतिवृष्टि के नाते तमाम लोगों के मकान गिर गये हैं, तमाम क्षतियां हुयी हैं। 2-3 सूचनाएं थीं सबको मैंने कलेक्ट कर लिया है। उसको पहले ही सुनने का मन बना लिया है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री राधेश्याम जायसवाल-

मान्यवर, हजारों लोग बेघर हो गये हैं।

(श्री राधेश्याम जायसवाल सदन के वेल में आ गये।)

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसको पहले सुनने के लिए कह दिया है आप बैठ जाइये। आप अपनी बात तभी कहिएगा। मैंने सुनने के लिए कह दिया है राम विशुन जी बैठ जायें।

(श्री राधेश्याम जायसवाल अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। मान्यवर, 311 के नियमों को हमने पढ़ा है और जहां तक मेरी समझदारी आई है श्रीमन् हमको भी 35 साल से इस आदरणीय सदन में रहने का और आप जैसे विद्वानों से सीखने का मौका मिला है। नियम-311 में यह है कि विशेष प्रस्ताव आपकी सम्मति से। तो मान्यवर, विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी है। प्रदेश के लाखों लोग बेघर हो गये हैं। सैकड़ों लोग मर गये हैं। सीतापुर के माननीय विधायकों के क्षेत्रों में 24-24 लोग मर गये हैं। आज सदन की बैठक खत्म हो रही है। क्या मुंह दिखाएंगे ? क्षेत्र में जनता से क्या कहेंगे ? प्रदेश में कौन सी परिस्थिति पैदा होगी जब आप नियम-311 लेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कह तो दिया कि 311 में सुनेंगे। मैंने चयन कर लिया है। मैंने प्रथम नम्बर पर सुनने के लिये चयन कर लिया है। अवधेश जी आप बैठ जायें। चिल्लाने से क्या लाभ होगा ? मैं उसको सुनूंगा। नियम-311 में आप क्यों जिद किये बैठे हैं। प्रथम नम्बर पर नोटिस को ले लिया है। अब आप बैठ जाइये।

(नत्थी 'क' अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 को पुकारे जाने पर)

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, सीतापुर का सवाल है। सीतापुर का स्वीकार करेंगे तो पूरे प्रदेश की स्थिति आ जायेगी। 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और भी ज्यादा हो सकते हैं। सरकार के पास क्या रिपोर्ट है वह भी आनी चाहिए, उन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही हैं यह भी आ जायेगा ? मान्यवर, मुझे आश्चर्य होता है, आखिर नियम-311 है किस लिए ? यह एक ऐसा विषय है, पुराना आप देखें, जब भी इस तरह के सवाल आये हैं तो चर्चा स्वीकार की गयी है। इसमें सभी दलों के नेता बोल लेते। अगर लगता है कि 311 नहीं है तो अलग फैसला ले लेते। लेकिन आप तो नियम-311 में सुनने को तैयार ही नहीं हैं यह सभी नेताओं की शिकायत है। आज पूरे विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है, आप कहीं-कहीं बचा लेते हैं। जब सरकार की आलोचना होती है तो उससे उसको लाभ ही होता है। शिकायत होगी तो अपने आप को सुधारेंगे लेकिन अगर शिकायत गलत है तो कोई बात नहीं। इससे सरकार को ही लाभ होगा। सरकार को पक्ष रखने का मौका मिलेगा। अधिकारी क्या कर रहे हैं यह सामने आयेगा।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 में दो जनपदों की सूचनाएं आयी हैं जिसमें यह है कि अतिवृष्टि से मकान ढहने से कई लोगों की मृत्यु हुई है। मैंने इसे नियम-56 में प्रथम नम्बर पर लिया है और सुनने के लिये तैयार हूं। प्रश्नकाल चल रहा है, आप एक सिस्टम से हाउस चलने दें। मैंने प्रथम नम्बर पर इसे चयनित किया है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, प्रश्नकाल भी हम लोगों का है। सदन के पास समय नहीं है, जो इनकी बात सुन ले। आज आखिरी दिन है। विधायक अच्छी तरह से जायें इसलिये हम चाहते हैं कि आप इन्हें सुन लें।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

परम्परा से, जितने ऐसे गम्भीर मसले होते हैं, वह नियम-56 में सुन लेते हैं। मैंने इसे प्राथमिकता में नियम-56 में लिया है। (शोर) पण्डित जी आप बैठ जायें मैं नियम-56 में सुन लूंगा। अभी 15-20 मिनट में नियम-56 आ रहा है। तीन आइटम के बाद नियम-56 आ रहा है।

यह भी नहीं कि दो तीन बजे तक आयेगा। नेता विरोधी दल ने भी कहा है, मैंने बड़े अदब के साथ उनसे निवेदन कर लिया है। तीन आइटम के बाद नियम-56 आ जायेगा। उसमें नेता प्रतिपक्ष भी बीस पच्चीस मिनट बोल लेंगे। आप लोग जिद न करें। यह सचमुच गम्भीर घटना है और मैंने इसे गम्भीरता से लिया है। आप केवल अपनी प्रतिष्ठा न बनायें। मैं इसे प्रथम नम्बर पर सुन रहा हूं।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण हेतु समिति का गठन

**1-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री कृष्ण गोपाल पटेल, श्री जोखू लाल यादव तथा श्री राम बिशुन आजाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कोई नीति अथवा कार्य योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

जी हां।

शासन के पत्र दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा रोजमर्रा के उपयोग की आवश्यक वस्तुओं में मूल्य वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को मूल्य वृद्धि पर नियमित रूप से नजर रखने तथा यदि किसी स्तर पर कृत्रिम अभाव अथवा जमाखोरी अथवा गलत तरीके से कर की वसूली की स्थिति परिलक्षित हो तो सम्बन्धित के विरुद्ध सक्षम कानून के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

2-खुले बाजार में खाद्यान्न की पर्याप्त एवं सुगमतापूर्वक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिसूचना दिनांक 01 जून, 2008 द्वारा खाद्यान्नों, दाल, दलहन एवं खाद्य तेल/खाद्य तिलहन की स्टाक सीमा निर्धारित की गयी है।

3-दिनांक 25 जून, 2008 द्वारा आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति तथा उनके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से उच्च स्तर पर वस्तु स्थिति की पाक्षिक समीक्षा हेतु समिति गठित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं माननीय मंत्री जी का कि इन्होंने दायित्व केन्द्र सरकार पर ठोंक करके किनारे होने की जगह अपने दायित्वों का भी एहसास किया है, लेकिन जो बातें आपने कही हैं उस सन्दर्भ में कुछ प्रश्न पैदा हो गये हैं। मैं उन प्रश्नों को आपके बीच में रख रहा हूं। एक तो आपने प्रश्न के जवाब में कहा कि सक्षम कानून के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि 19 मार्च, 2008 जब यह आदेश निकला और आज है 21 अगस्त, 2008 इन चार-पांच महीनों में कितनी कार्यवाहियां हुई हैं, कितनी मिलावट हो रही है, कितनी जमाखोरी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग के कितने केसेस पकड़े गये हैं, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाहियां हुई हैं ? साथ में दूसरा प्रश्न जो इससे जुड़ा हुआ है, आप व्यापारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, व्यापारियों ने हमेशा इस बात को कहा है कि वैट के कारण महंगाई बढ़ी है। वैट में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर इस राज्य के अलावा अन्य राज्यों में कर नहीं लगता है। जैसे-गल्ला है, दलहन है, अनाज है। इन चीजों पर प्रदेश में कर लगता है, बाहर नहीं लगता है इस नाते ये चीजें उत्तर प्रदेश में महंगी बिकती हैं। दूसरी चीज मण्डी शुल्क हमारे प्रदेश में लगाया जाता है। आस-पास के जो प्रान्त जैसे बिहार इत्यादि हैं वहां मण्डी शुल्क नहीं लगाया जाता है। अगर चार परसेन्ट वैट और अढ़ाई परसेन्ट मण्डी शुल्क दोनों को जोड़ दिया जाये तो साढ़े छः परसेन्ट महंगाई सिर्फ कर प्रणाली के माध्यम से आ जाती है। तो क्या सरकार यह महसूस करती है कि यह शुल्क जो अन्य प्रान्तों में नहीं लगता है, हम इसे हटा करके इसके नाते जो महंगाई आ रही है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। एक चीज वैट के बारे में, दूसरी चीज जो आपने खुले बाजार की बात कही। मैं यहां खुले बाजार का प्रश्न लेकर नहीं आया हूं मैं यहां उनका प्रश्न लेकर आया हूं जो खुले बाजारों तक जा कर सामान नहीं खरीद पाते, जिनकी पहुंच वहां तक नहीं होती है। समाज का वह गरीब वर्ग तो महंगाई से सबसे पहले प्रताड़ित होता है। वहां तक हम क्या अतिरिक्त सामग्रियां पहुंचा पा रहे हैं ? क्योंकि मेरी जानकारी में केन्द्र सरकार ने एक योजना चलाई थी, एक नई योजना थी खाद्य तेल के बारे में, आपने उसका वर्णन यहां पर नहीं किया है। केन्द्र सरकार ने एक योजना चलाई थी खाद्य तेलों पर 15 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने का और प्रत्येक राशन कार्ड होल्डर को एक राशन कार्ड पर एक किलो खाद्य तेल देने का.....

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर सहाब, आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, जब तक वह प्रश्न आयेगा नहीं, मैं अनुपूरक पूछूंगा कैसे ?

श्री अध्यक्ष-

कौन सा प्रश्न नहीं आया ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

यही प्रश्न जो मैं पूछ रहा हूं। ये जो खाद्य तेल की योजना चलाई थी क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि केन्द्र सरकार का यह कहना है कि 23 राज्यों ने अपना कोटा मांगा है, उत्तर प्रदेश ने नहीं मांगा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य तेल का कोटा मांगा ? यदि हां, तो कितना मिला और कितना खाद्य तेल सस्ते राशन की दुकानों से वितरित किया जा रहा है ? एक सवाल बस और। चावल की तस्करी को ले करके। आप स्वयं उस क्षेत्र के हैं। बहराइच हो, बलरामपुर हो, गोण्डा हो, श्रावस्ती हो, सिद्धार्थनगर हो, महराजगंज हो, इन सारे इलाकों से कैरियर के माध्यम से बोरों में लादकर साइकिल के माध्यम से रात को बारह से दो बजे तक चावल की तस्करी, एक-एक दिन में 20-20 हजार किलो की, की जाती है और इसके नाते इन सीमान्त प्रदेशों में जो चावल का दाम होता है, वह अन्य गैर सीमान्त प्रदेशों में जो चावल का दाम होता है उसके मुकाबले पांच रुपये प्रति किलो अधिक होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के संज्ञान में चावल की तस्करी जो भारत से निकल कर काठमाण्डू जाती है और काठमाण्डू से चीन जाती है। यह चावल चीन पहुंच रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तस्करी को रोकने का क्या प्रयास किया है और किस प्रकार से प्रभावी कदम उठायेंगे ? तीन सवाल, वैट, खुला बाजार, राशन कार्ड खाद्य तेल और चावल की तस्करी।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक वैट का सवाल है, व्यापारी वर्ग में से कुछ लोग और कुछ राजनैतिक पार्टियां और वैट का एक हल्ला करके वस्तुओं के दामों में जैसे खाद्य है, 1376 वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर वैट का कोई असर नही है। खाद्यान्न में आटा, बेसन, सूजी, वनस्पति, दुग्ध पदार्थ, दाल इस पर वैट का कोई असर नहीं है। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश की तरफ से इस तरह का शासनादेश पहले ही सभी मण्डलायुक्तों, सभी जिलाधिकारियों को जारी कर दिये गये हैं। जहां तक दाम का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, गेहूं का दाम पिछले अगस्त के महीने में 10 रुपया 60 पैसा मान्यवर, इस साल अगस्त के महीने में 10 रु0 80 पैसे। दाल अरहर 45 रु0 थी इस वर्ष 48 रु0 है। सरसों का तेल 62 रु0 था इस समय 80 रुपये है। चावल मोटा पिछले वर्ष 13 रु0 था इस वर्ष 14 रु0 है। रिफाइंड आयल पिछले वर्ष 52 रु0 किलो था इस वर्ष 68 रु0 है। वनस्पति घी पिछले वर्ष 54 रु0 था इस वर्ष 60 रु0 किलो है।

जहां तक आपने सवाल किया है भारत सरकार से खाद्य तेल आयात करने के सम्बन्ध में, तो हमने अपने कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से इसे लेने का फैसला लिया है। इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में खाद्य तेल आने लगेगा। और निश्चत रूप से 15 रु0 किलो कम दाम पर वह गरीबों को उपलब्ध होने लगेगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी पर वह खाद्य तेल दिया जाना है वह यह सरकार नहीं ले पायी है।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, मैने बताया कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से अगले महीने से वह खाद्य तेल उपलब्ध हो जायेगा। अगले महीने से वह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो जायेगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, 23 राज्यों ने केन्द्र सरकार की उस नीति का फायदा उठाया है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने उसके सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही नहीं की। अब कह रहे हैं कि अगले महीने से इसका लाभ लेने जा रहे हैं।

इसी तरह से हमने वैट टैक्स की बात कही है 4 प्रतिशत वैट टैक्स है दाल और तिलहन पर, और ढाई प्रतिशत मण्डी शुल्क लगता है। अन्य प्रान्तों के मुकाबले यह टैक्स ज्यादा है। अन्य प्रान्तों में यह टैक्स नहीं लगता है। आप इसको हटाने का काम करें। दूसरी चावल की तस्करी की बात है। मान्यवर, आज पूरे सीमावर्ती जिलों में साइकिलों के माध्यम से चावल की तस्करी हो रही है। एस0एस0बी0 जो उसे रोकने का काम करता था उस एस0एस0बी0 पर आपने रोक लगा दी है। चावल की तस्करी रोकने पर क्या सरकार कदम उठायेगी यह बताने का कष्ट करें।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, एस0एस0बी0 के बारे में तमाम शिकायतें हुई थी जन प्रतिनिधियों ने शिकायतें की थीं। इस नाते उनके अधिकार और सीमा क्षेत्र के बारे में एक निर्णय लिया गया। एस0एस0बी0 कोई केवल चावल की तस्करी रोकने का काम नहीं करती है वह तो आतंकवादी गतिविधियों और दूसरी आपराधिक गतिविधियों को रोकने का काम करती है। वैसे भी थाने, चौकियां बार्डर पर मौजूद हैं, जो सिद्धार्थनगर, बहराइच और महराजगंज जनपद हैं वहां पर थाने और चौकियां मौजूद हैं। वह इस पर कार्यवाही करती है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैंने जनपदों का नाम लिया है। चावल की तस्करी को रोकने के बारे में मंत्री जी ने नहीं बताया है कि चावल की तस्करी को रोकने के बारे में क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, वहां तस्करी की शिकायत है ही नहीं।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, किसान हमारे देश, प्रदेश की रीढ़ है। वह गरीब किसान जो उसके घर में उपज हुई है, एक बोरी, दो बोरी चावल अपनी साइकिल पर ले जा सकता है कहीं कोठी पर पहुंचाने के लिये या बाजार में पहुंचाने के लिये। लेकिन वह साइकिल के द्वारा इसकी तस्करी करने का काम करेगा ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता है। यह बात अगर स्वीकार कर ली जाती है तो किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

डा0 अजय तोमर-

गुड़, शक्कर तो मान्यवर वह छोटी मोटी मात्रा में साइकिल पर ले जा सकता है यह तो माना जा सकता है। आप यह तो चावल की तस्करी साइकिल से किये जाने की बात आयी है उसको कार्यवाही से निकालने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इनका अब नोट न किया जाये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैंने जो चावल की तस्करी की बात उठायी है उस पर सरकार अपना मत स्पष्ट करने का कष्ट करें।

श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन चीजों का मूल्य इन्होंने गिनाया है वैट लागू होने के पूर्व उसका मूल्य क्या था और वैट लागू होने के बाद उसका क्या मूल्य हुआ और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, वही तो मैंने बताया है।

श्री अध्यक्ष-

वही तो बताया है, माननीय मंत्री जी आप बैठें।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, जो हमारा सवाल है वह बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कोई नीति अथवा कार्य योजना तैयार की गयी है ? सरकार ने जवाब दिया कि शासन के पत्र दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा रोजमर्रा के उपयोग की आवश्यक वस्तुओं में

मूल्य वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मान्यवर, यह अगस्त का महीना चल रहा है मार्च से अगस्त के बीच में आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि कितने जमाखोरों के विरुद्ध मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों ने किन-किन जनपदों में कानूनी कार्यवाही किया नम्बर एक और नम्बर दो मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि मूल्य वृद्धि रोकने के लिये सरकार ने कौन सी योजना बनाई है जिससे आज सब्जी के दाम, थोक सब्जी के दाम जो हंड्रेड परसेन्ट महंगाई में बढ़े हैं, गेहूं के दाम बढ़े हैं, दाल के दाम बढ़े हैं यानि भौतिक चीजों के दाम निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं उसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है और इनके समस्त मण्डलायुक्त और डी0एम0 ने क्या कार्यवाही की है उसको रोकने के लिये यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम के दाम बार-बार बढ़ाने से हुई मालभाड़े की वृद्धि के नाते दाम बढ़े हैं। हमारी लोकप्रिय सरकार ने जो कर लगाया था पेट्रोलियम पर उसमें जो अपने संसाधन हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो संसाधन हैं उसके द्वारा कम करके उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। माननीय आजाद जी, आप सहयोगी हैं इस समय केन्द्र सरकार के, केन्द्र सरकार के आप सहयोगी हैं केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण भी देश में दाम बढ़ा है तो उस पर भी आपका उधर ध्यान होना चाहिए भारत सरकार की तरफ, उनको भी देखना चाहिए।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आवश्यकता नहीं थी बोलने की सवाल कर रहे थे हमारे कई माननीय सदस्य लेकिन माननीय सदस्य थोड़ा सीमा से बाहर मत होइये। 3 फीसदी वैट कानून से महंगाई बढ़ी है, 3 फीसदी यह हमारी नहीं पूरी सरकार की है, केन्द्र सरकार को क्यों ला रहे हो उसमें। और वैट कानून हमने नहीं लगाया था फिर आपने वैट कानून लगा करके 3 फीसदी महंगाई बढ़ाई है। तो क्या वैट कानून को आप स्थगित करेंगे जिससे 3 प्रतिशत महंगाई कम से कम घटे ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, वैट से माननीय मंत्री जी ने पूरा जिन्सवाइस बताया था कि वैट किस पर घटा है किस पर बढ़ा है। मान्यवर, वैट के टैक्स से जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनमें किसी में भी नहीं बढ़ा है और पूरे देश में वैट पहले से लगा था इसलिये उत्तर प्रदेश में वैट न लगाकर प्रदेश को पिछाड़ने की दिशा में कार्यवाही हो रही थी। वैट प्रदेश के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला है और उससे उपभोक्ता, किसान और व्यापारी सबको फायदा हुआ है। इसलिये वैट को हटाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। महंगाई जो बढ़ी है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया देश की सरकार

द्वारा जो पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में, गैस के मूल्यों में और तमाम अन्य संसाधनों जो आवश्यक हैं, उसका जो दाम बढ़ाया है उसके कारण उसका असर पड़ा है और उसमें हम क्या कर सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले ही पेट्रोलियम पदार्थों में जो दाम बढ़ा था उसमें छूट देने का काम किया। पेट्रोल में भी, डीजल में भी, गैस में भी और इसी तरह से यह निर्णय जो लिये गये हैं इस निर्णय से जो प्रदेश के द्वारा जो सम्भव हो सकता है वह उपाय किये गये हैं और यह केवल उत्तर प्रदेश में बढ़ा होता तो उस पर यह प्रश्न चिन्ह लगता। पूरे देश में बढ़ा है और पूरे देश में बढ़ने का जो मुख्य कारण रहा है वह केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते बढ़ा है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

वह बात अलग है। आपने कह दिया कि कुछ चीजों पर बढ़ा है, कुछ पर घटा है। अध्यक्ष महोदय, मुट्ठी भर अरबपतियों को इससे लाभ हुआ, वह यही चाहते थे कि वैट कानून लागू हो। इसीलिये हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान में सबने लगा दिया, हमारे पास भारत सरकार के वित्त मंत्री चिदम्बरम् भी आये, एक गुप्ता जी जो अध्यक्ष थे फाइनेंस मिनिस्टर पश्चिम बंगाल के, वह दोनों लोग आये। हमारी बैठक हुई और हमने बैठक में यह रखा। लेकिन इन्होंने इनी-गिनी दो-चार चीजें बता दी हैं कि इन पर वैट कानून लागू नहीं हुआ। या तो लागू नहीं किया या घटा दिया है, यह आपने किया है। लेकिन असली जो हमारा गरीब है और मध्यम वर्ग है उसके लिये आपने उत्तर प्रदेश में वैट कानून लागू करके महंगाई बढ़ाई है। केवल कुछ खरबपति, अरबपति को लाभ पहुंचाया है, अब क्यों पहुंचाया है यह तो आप ही जानें। लेकिन आप अध्ययन पूरा कीजिये फिर जवाब दीजिए। केन्द्र सरकार ने हम पर जोर नहीं दिया ? हम पर जोर दिया, दबाव दिया, यहां तक केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री कहकर चले गये कि हम कोई सहायता नहीं करेंगे, हमने कह दिया कि मत करना। हम अपने व्यापारियों से, प्रदेश की जनता से टैक्स लेकर विकास करेंगे और विकास करके दिखा दिया। अब आपका मौका आयेगा, केवल 4 दिन की असेम्बली है वरना इसी में बहस हो जाती कि आपने 15 महीने में कितना विकास किया है और पिछले 15 महीना में कितना विकास हुआ था। हमारी नीतियों से हिन्दुस्तान में सबसे कम अगर कर्जा कहीं पर था तो हमने कल बताया था, उत्तर प्रदेश के किसानों पर हमारी सरकार के रहते। तो एक नहीं हम कई उदाहरण दे सकते हैं लेकिन भाषण हमको नहीं देना है। कभी बहस हो जायेगी। अगर सदन चलता तो हम इस पर करा देते आज ही हमारी आपकी बहस हो जाती, नतीजे निकलेंगे और बातचीत और बहस से ही लोकतंत्र चलता है। आप तो बहस को स्वीकार ही नहीं करवाते हैं, बहस से अलग हो जाते हैं। इसलिये आप इतना ही बोलिये जितना आप जानते हो। पूरी तरह से आपने वैट कानून को पढ़ा नहीं है। इसलिये आप यह कह गये। इस वैट कानून से 30 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है। दो चार चीजों पर आपने कम कर दिया भी होगा, क्या मोटरसाइकिल पर कर दिया, मोटरसाइकिल कौन चला रहा है, मध्यम वर्ग ही चला रहा है, उस पर तो आपने कम नहीं

कर दिया। ऐसी हम बहुत चीजें गिना सकते हैं। गैस का क्या आपने पूरा कर दिया, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में आपने 30 फीसदी महंगाई बढ़ायी है।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर)

इस पर चर्चा हो जाय तो अच्छा रहेगा। आप कहिये कि 30 फीसदी महंगाई नहीं बढ़ी है। 30 फीसदी महंगाई पूरे देश में बढ़ी है और उत्तर प्रदेश में बढ़ी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो कर लगाये गये हैं उसका मैं उदाहरण देना चाहता था। मान्यवर, जैसे वेट के माध्यम से पी0डी0एफ0 द्वारा कैरोसिन आयल की बिक्री पर कर 10 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत किया गया। सभी प्रकार के दुग्ध उत्पादन पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत किया गया। दवाओं पर कर 8 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत किया गया। साइकिल पर कर 8 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत किया गया। माचिस पर कर 8 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत किया गया। मसालों पर कर 5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत हुआ। वनस्पति और खाद्य तेल पर कर 5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत हुआ। इंडस्ट्रियल केबिल, इनवर्टर, ट्रांसफार्मर पर कर 10 प्रतिशत से 4 प्रतिशत हुआ। इसी तरह से चाय पर 10 प्रतिशत से चार प्रतिशत हुआ। तो मान्यवर, इस प्रकार सभी प्रकार के जो आवश्यक उपभोक्ता सामान हैं, उन सब पर घटा है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, आपने घटाया है या आपने खत्म किया है, पहले यह बताइये। अगर कम किया है तो एक फीसदी डेढ़ फीसदी महंगाई फिर भी क्यों बढ़ी और औसत मिलाकर 30 फीसदी बढ़ी है इसको आप वापस लीजिए, स्थगित कर दीजिए हमारी तरह, तब कम से कम डेढ़ फीसदी गरीबों को बचेगा, और तीन फीसदी औसत मिला करके सब पर महंगाई बचेगी।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। मैंने आपके माध्यम से जानकारी चाही थी कि जनपदों के मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों के द्वारा जमाखोरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? मैं कह रहा हूं कि इनके राज्य में बोड़ा और लोबिया जो सब्जी है, 32 रुपये किलो बिक रही है। लौकी 16 से 18 रुपये किलो बिक रही है, इस प्रकार से मान्यवर, जो दैनिक वस्तुएं हैं उन पर दिनों-दिन महंगाई बढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, मा0 आजाद जी पूंछ रहे हैं कि जो आपने जिलाधिकारी और मण्डलायुक्तों को निर्देश दिये हैं जमाखोरी रोकने के लिये तो क्या आपके संज्ञान में सूचना है कि इस बीच में कितने छापे मारे गये और कितने लोग पकड़े गये, यह मा0 सदस्य जानना चाह रहे हैं ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रवर्तन की कार्यवाही द्वारा माह अप्रैल, 2008 से जुलाई, 2008 तक 12 हजार 963 छापे मारे गये, 565 एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी, 548 व्यक्ति अभियोजित किये गये तथा 86 लाख 63 हजार 121 लाख रुपये की प्रतिभूति जब्त की गई।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, हमारे जनपद गोण्डा में बता दें कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई।

श्री अध्यक्ष-

आप साफ-सुथरे हैं तो पहले छापा आपके घर पर पड़ेगा, बैठिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष महोदय, यह तो सब स्वीकार करते हैं कि महंगाई बढ़ी। गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय गांवों में 24 सौ कैलोरी और शहरों में 21 सौ कैलोरी चाहिए। यह 24 सौ और 21 सौ कैलोरी के लिये सामग्री आज के छः महीने पहले जितने मूल्य पर पाते थे आज उतने पैसे में उतनी सामग्री नहीं मिलती। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सरकार द्वारा जो भी गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है, चूंकि आज उतने पैसे में 24 सौ और 21 सौ कैलोरी की सामग्री नहीं पा सकते हैं और आज यह सरकार बी0पी0एल0 सर्वे कर रही है तो इसके नीचे के लोग इसके लाभार्थी होंगे तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस महंगाई के नाते ऐसे बहुत से लोग जो अब इन चीजों को नहीं खरीद पा रहे हैं, बी0पी0एल0 सर्वे करते समय क्या आप महंगाई से इसकी इंडेक्सिंग करेंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, यह प्रश्न इससे सम्बन्धित है ही नहीं।

प्रदेश में विद्युत कटौती से निजात पाने के लिये अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हेतु नई परियोजनाओं की जानकारी

**2-श्री सतीश महाना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हो रही विद्युत कटौती से निजात पाने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

जी हां। प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष प्रदेश में स्थापित विद्युत गृहों एवं केन्द्रीय सेक्टर में स्थापित विद्युत गृहों से उपलब्ध हो रही विद्युत की कमी के कारण विद्युत प्रणाली की

सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत कटौती कराया जाना अपरिहार्य हो जाता है। विद्युत कटौती से निजात पाने के लिये प्रदेश में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हेतु नई परियोजनाओं पर निम्नानुसार कार्य किया जा रहा है :--

(अ) राज्य क्षेत्र

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	क्षमता (मे0वा0)	उत्पादन इकाइयों के कार्यरत होने का सम्भावित वर्ष
1	पारीछा तापीय विस्तार परियोजना (द्वितीय चरण)	2×250	1-प्रथम इकाई (जुलाई, 2009) 2-द्वितीय इकाई (नवम्बर, 2009)
2	हरदुआगंज तापीय विस्तार परियोजना	2×250	1-प्रथम इकाई (अक्टूबर, 2009) 2-द्वितीय इकाई (फरवरी, 2010)
3	अनपरा-डी तापीय परियोजना	2×500	1-प्रथम इकाई (अप्रैल, 2011) 2-द्वितीय इकाई (जुलाई, 2011)
4	ओबरा-सी तापीय विस्तार परियोजना	2×500	दि0 26 जून, 2008 को एनर्जी टास्क फोर्स द्वारा बी0एच0ई0एल0 से निगोशियेशन हेतु समिति के गठन का अनुमोदन।

(ब) निजी क्षेत्र

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	क्षमता (मे0वा0)	उत्पादन इकाइयों के कार्यरत होने का सम्भावित वर्ष
1	अनपरा-सी तापीय परि0 (जनपद सोनभद्र)	2×500	1-प्रथम इकाई (मार्च, 2011) 2-द्वितीय इकाई (सितम्बर, 2011)
2	रोजा तापीय परियोजना (जनपद शाहजहांपुर)	2×300	1-प्रथम इकाई (मार्च, 2010) 2-द्वितीय इकाई (जून, 2010)
3	श्रीनगर जल विद्युत परियोजना	2×82.5	1-प्रथम इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई, 2010 में एवं अन्य इकाइयों से एक माह के अन्तराल पर।

(स) प्रतिस्पर्द्धात्मक बिडिंग के आधार पर ऊर्जा क्रय हेतु निजी क्षेत्र में लगने वाली तापीय परियोजना

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	क्षमता (मे0वा0)	उत्पादन इकाइयों के कार्यरत होने का सम्भावित वर्ष
1.	बारा तापीय परियोजना (जनपद इलाहाबाद)	3×600	इनर्जी टास्क फोर्स की दिनांक 19-07-08 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मै0 प्रयागराज पावर जनरेशन कम्पनी लि0 के अधीन प्रस्तावित इस परियोजना हेतु डेवलेपर के चयन हेतु प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ।
2	करछना (जनपद इलाहाबाद)	2×660	इनर्जी टास्क फोर्स की दिनांक 19-07-08 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मै0 संगम पावर जनरेशन कम्पनी लि0 के अधीन प्रस्तावित इस परियोजना हेतु डेवलेपर के चयन हेतु प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ।

(द) संयुक्त उपक्रम

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	क्षमता (मे0वा0)	उत्पादन इकाइयों के कार्यरत होने का सम्भावित वर्ष
1	मेजा तापीय विद्युत परियोजना	2×660	मै0 एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम हेतु मेजा ऊर्जा निगम प्रा0 लि0 कम्पनी का पंजीकरण दिनांक 02 अप्रैल, 2008 को किया जा चुका है।

उपरोक्त प्रयासों के अतिरिक्त उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा ओबरा विद्युत गृह की पुरानी **5×200**मे0वा0 की इकाइयों की रिफर्बिशमेन्ट की योजना का कार्य प्रगति पर है एवं ओबरा "अ" ताप विद्युत गृह की 50 मे0वा0 क्षमता की दो इकाई की रिफर्बिशमेन्ट की योजना पर कार्य किया जा रहा है तथा अनपरा "अ" ताप विद्युत गृह की **3×210** मे0वा0 इकाइयों का आर0 एण्ड एम0 कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन वृद्धि के प्रयासों के साथ-साथ केन्द्रीय सेक्टर में स्थापित की जा रही विभिन्न तापीय एवं जलीय परियोजनाओं में भी राज्य का अंश निर्धारित है जिसके विरुद्ध समय-समय पर विद्युत उपलब्धता में वृद्धि होने की सम्भावना है।

यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आज प्रदेश में विद्युत के कारण बहुत सारी समस्यायें हैं, यदि विद्युत नहीं होगी तो उद्योग नहीं होगा, उद्योग नहीं होगा तो प्रगति नहीं होगी, विद्युत नहीं होगी तो बच्चों की शिक्षा में कठिनाई आयेगी, और बिजली न होने के कारण रात-रात भर सो नहीं सकते हैं और दिन में पढ़ नहीं सकते हैं। अगर यह प्रदेश के विकास की बात करने वाली यह जन कल्याणकारी सरकार है तो सबसे पहले विद्युत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैंने बड़ा स्पैसिफिक प्रश्न किया था कि क्या माननीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत कटौती से निजात पाने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रयास किये जा रहे हैं ? इन्होंने कहा कि हां, किये जा रहे हैं। मान्यवर, जो उसकी विस्तृत जानकारी दी गयी है। जो विद्युत परियोजनायें सरकार द्वारा लगाने में, पाइपलाइन में हैं तो यह तिथि उसी समय तय हो जाती है जब यह प्रोजेक्ट लगाया जाता है यह उसी दिन तय हो जाता है कि यह इस तिथि से प्रारम्भ होगा और इस तिथि को खत्म हो जायेगी। मान्यवर, मैं बड़ा महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने अभी आंकड़े दिये हैं उसके हिसाब से वर्ष 2009-2010 से पहले कोई भी विद्युत प्रोजेक्ट तैयार होने की स्थिति में नहीं है। क्या सरकार इस बात को मानने के लिये तैयार है कि अगले दो वर्ष तक, जब तक इन प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं किया जायेगा तब तक विद्युत की कमी बनी रहेगी और उस कमी को पूरा करने के लिये कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया है कि इन्होंने केन्द्र सरकार से कोई निवेदन किया है या एन0टी0पी0सी0 से या सेन्ट्रल ग्रिड से अतिरिक्त विद्युत लेने का कोई प्रयास किया है ? इसमें इसका कोई उत्तर नहीं आया है। तो क्या इस उत्तर से जो माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया है यह मान लिया जाए कि विद्युत की जो कमी है अगले दो वर्ष तक सरकार को उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, उसको पूरा करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं कर रही है। मेरा यह पहला प्रश्न है कि जब तक यह प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो जाते तब तक क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत की आपूर्ति निर्बाध रूप से प्रारम्भ करने के लिये और जो इस समय विद्युत आपूर्ति में कटौती हो रही है उसको कम करने के लिये सरकार के द्वारा कोई उपाय है ? दूसरा, मेरा प्रश्न है कि जो कटौती का एक मानक तय किया होगा कि किस हिसाब से किन-किन जिलों में कटौती करनी है, वह मानक क्या है और किस आधार पर जिलों में कटौती कर रहे हैं, कितनी कटौती कहां-कहां पर, किस-किस जिलों में शहरों और देहात में कितनी विद्युत दे रहे हैं यह बताने की कृपा करेंगे ? पहला प्रश्न कि क्या अगले दो वर्षों में इस प्रकार का कोई प्रयास कर

रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? दूसरा प्रश्न अभी कितनी विद्युत दे रहे हैं, कितने की आपकी आवश्यकता है, कितने का जनरेशन है और कितनी आप खरीद रहे हैं ? इन दो प्रश्नों का उत्तर दे दें तो उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो अनुपूरक पूछ लूंगा।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, पहला प्रश्न जो माननीय महाना जी ने किया कि दो साल तक क्या होगा ? आप अच्छी तरह से जानते हैं, पूरा सदन जानता है कि उत्पादन सीमित है। हमारा जो जल विद्युत उत्पादन निगम है, उसकी क्षमता 526 मेगावाट की है उससे हमें मात्र 100 मेगावाट बिजली मिलती है। एन0टी0पी0सी0 और सेण्ट्रल सेक्टर से 4011 मेगावाट का है वहां से मात्र 3500 मेगावाट बिजली मिलती है और उत्पादन निगम से 2500 मेगावाट मिल पाती है। इस तरह से जो को-जनरेशन है उससे 500 मेगावाट बिजली मिलती है। इस प्रकार कुल 6300 से 6500 मेगावाट का उत्पादन है। इससे ज्यादा हमको कहीं से बिजली मिल नहीं रही है। पूरे देश में हमारे अधिकारी गये हैं। हिमाचल प्रदेश में 8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हम बिजली ले रहे हैं और वहां से 400 मेगावाट से ज्यादा नहीं मिल पा रही है। इससे ज्यादा बिजली कहीं से मिल नहीं रही है। जैसे ही बहिन जी चौथी बार मुख्य मंत्री बनीं उन्होंने 10,000 मेगावाट का पावर हाउस उत्तर प्रदेश में लगाने के लिये निर्देश दिये और बहुत तेजी से हमने काम शुरू कर दिया है। बारा, करछना का काम शुरू होने जा रहा है और मैं समझता हूं कि 3 महीने में काम शुरू हो जायेगा। पारीक्षा में 500 मेगावाट की इकाई का काम चल रहा है, 500 मेगावाट की इकाई का काम हरदुआगंज में चल रहा है, अनपरा-सी, अनपरा-डी का काम शुरू हो गया है और बहुत तेजी से हम उत्पादन की तरफ ध्यान दे रहे हैं और 4 साल में मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं, बजट के समय भी मैंने कहा था कि यह सरकार बहिन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में बनी है इसी 4 साल में, जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक के इतिहास में यह होगा कि इसी पंचवर्षीय योजना में हमारा प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलम्बी हो जायेगा। इसके लिये सबसे ज्यादा जिम्मेदार महाना जी हैं, आज जो स्थिति है। माननीय नेता विरोधी दल बैठे हैं यह भी 3 बार मुख्य मंत्री रहे और आपके कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री रहे, श्री राजनाथ सिंह मुख्य मंत्री रहे, क्या किया ? यह किसी से छिपा नहीं है। जो समस्या प्रदेश के सामने खड़ी हुई है जो हमारा ऊंचाहार था, बहुत अच्छी परियोजना थी 925 करोड़ में किसने बेच दिया। वर्ष 1992 में कौन मुख्य मंत्री था आज जो समस्या प्रदेश के सामने खड़ी हुई है। ऊंचाहार बेच दिया गया उस समय कल्याण सिंह मुख्य मंत्री थे। वर्ष 2000 में टांडा बेच दिया गया उस समय राजनाथ सिंह मुख्य मंत्री थे। टांडा को एक हजार करोड़ रुपये में बेच दिया उस समय अगर पावर हाउस लगाये गये होते तो आज समस्या नहीं होती। इससे ज्यादा बिजली हमें पूरे हिन्दुस्तान में कहीं से नहीं मिल पा रही है। फिर भी हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि बिजली देने का जो शेड्यूल है उस हिसाब से बिजली मिले।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मेरा नाम लिया गया आपको शायद पता नहीं है कि तीन यूनिट हमने ही लगाने का फैसला किया है जिसमें 1930 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी। जहां तक गाजियाबाद की बात है वह आपको पता है आपने खुद गैस मांगी है वहां के लिये गैस प्रमोद तिवारी की सरकार द्वारा नहीं दी गयी हम तो आज भी कायम हैं कि वहां गैस उपलब्ध कराई जाय। हम ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करते हैं। सबसे जयादा दबाव मेरा है कि गाजियाबाद की यूनिट को गैस दे दी जाए। तीन साल में 1500 मेगावाट बिजली पैदा होना शुरू हो जायेगी एग्रीमेंट में यह भी शर्त है कि जब पहली बार बिजली पैदा होगी तो वह उत्तर प्रदेश को बिजली दी जायेगी। उत्तर प्रदेश में जब बिजली पूरी हो जायेगी तो अन्य सूबों में दे सकते हैं, देश में कहीं दे सकते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि तीन यूनिट अनपरा, शाहजहांपुर और एक अन्य हमारे समय में लगाने का फैसला हुआ इसकी आपको तारीफ करनी चाहिए। सारे विकास के काम जो हमारे समय में हुए वह आप अपने बता रहे हैं आप रिमोट दबाकर विकास कार्य कर देते हैं इतना झूठ और इतना धोखा देने का काम सरकार करती है। आपने गुन्नौर में पुल बनवाया, इटावा में पुल बनवाए, बिहार, उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला पुल बनवाया यह सब हमारे समय में बनवाये गये। आपके समय में अधिकारियों ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया और विकास कार्य हो गये। मुजफ्फरनगर का पुल क्या इन्होंने बनवाया है वह पुल हमने बनवाया बिजली की तीन यूनिट हमने लगवाई। गाजियाबाद की यूनिट तो ऐसी थी कि उससे पांच हजार मेगावाट बिजली बनती लेकिन गैस नहीं दी। इस सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री जी ने खुद सदन में उत्तर दिया है कि गैस जब मिल जायेगी तो करा देंगे। आपने सदन में कहा हमारे सामने कहा कि जब गैस मिलेगी तो गाजियाबाद वाला करवा देंगे। गैस नहीं दी प्रमोद तिवारी आपकी तो मदद कर रहे थे गैस क्यों नहीं दिलाई ? जहां तक महंगाई की बात है आज भी महंगाई के खिलाफ हमने गिरफ्तारी दी है। किसानों को लाभकारी मूल्य लागत से जोड़ दिया जाय उसके लिये हमने आन्दोलन किया है, गिरफ्तारी हुई है इसी के कारण गेहूं का मूल्य एक हजार रुपये प्रति कुन्तल किया गया हम इससे संतुष्ट नहीं हैं हमारी मांग है कि इसे प्रति कुन्तल कम से कम 1375 रुपये किया जाय। मूल्य तय करने वाले आयोग की भी रिपोर्ट है कि लागत खर्च से ड्योढ़ा दिया जाय। हमने तो सड़कें और पुल बनवाये आपने तो गड्ढे कर दिये।

(श्री सतीश महाना और श्रीमती सीमा द्विवेदी के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, सीमा जी को बोल लेने दीजिए आप दैनिक जागरण पढ़े हैं।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

अध्यक्ष जी, आपने दैनिक जागरण का ध्यान रखते हुए हमको बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। हमारा अनुपूरक प्रश्न विषय से थोड़ा हटकर है। ऊर्जा मंत्री जी ने कहा

कि मेरी क्षमता कम है उत्पादन कम और क्षमता ज्यादा है। यह बात बिल्कुल सही है कि आप क्षमता कम कर देते हैं। उत्पादन कम कर पाते हैं खपत ज्यादा है। लेकिन उसका सॉल्यूशन आपने यह निकाला है कि आपने हर जिले में बिजली की कटौती कर रखी है। 10, 12, 14 घंटे जो भी व्यवस्था आपकी है, वह ठीक है। मेरी आपत्ति मान्यवर यह है। हम जौनपुर शहर की बात आपसे करना चाहते हैं। आप पिछले 48 घंटे का रिकार्ड मंगवाकर देख लीजिए। अगर 12 घंटे की बिजली की कटौती लिखित में होगी तो वहां पर कुल मिलाकर चार घंटे लाइट मिली होगी। मान्यवर, तारापुर कालोनी हमारे शहर की सबसे अच्छी, वी0आई0 पी0 कालोनी मानी गयी है। हमारे जनपद के सारे विधायक मंत्रीगण, इधर के हो चाहे उधर के हों सब सहमत होंगे कि जनपद जौनपुर शहर के लोग शहर छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि जो आपका मानक है उसके आधार पर जो आप हमको लाइट नहीं दे रहे हैं और उसके पीछे होता क्या है कहते हैं कि तार टूट गया है। शट डाउन ले लिया है, ब्रेक डाउन ले लिया है। हर आधे घंटे के बाद इनका तार टूटता है। मान लीजिये आंधी आये, तूफान आये कोई भयंकर प्रलय आ जाय तब तो बात समझ में आती है। हर एक घंटे बाद हमारे शहर में तार टूटते क्यों हैं ? आखिर उसकी क्या व्यवस्था है ? उसके रिपेयर के लिये संसाधन नहीं हो रहे हैं, या तो सरकार दे नहीं रही है। या हमारे जिले के अधिकारी मांग नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक करिये सीमा जी।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मेरी आपसे गुजारिश है माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे शहर का मानक हो, जो जौनपुर शहर का मानक हो, उस मानक के आधार पर हमको बिजली उपलब्ध करायें। हम इस बात को बोलते-बोलते दुःखी हो गये हैं कोई हमारी सुनने वाला जिले में नहीं है। हम आभारी हैं माननीय सुभाष पाण्डेय जी के, हमारा इनका क्षेत्र बिल्कुल सटा हुआ है और इनकी वजह से हमारी आधा विधान सभा को लाभ मिल रहा है। मान्यवर, हमें बड़ी खुशी होगी जहां इनको लाइट मिल रही है वहां हमारे पूरे शहर को अगर लाइट मिल जायेगी तो हम सब आराम से वहां पर रह सकेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, सीमा जी ने अभी अपने क्षेत्र की समस्या बताई है, उसका ध्यान रखियेगा।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से हटकर है लेकिन फिर भी मैं जौनपुर का दिखवा लूंगा। ठीक करवा लूंगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सदन में इस बात को स्वीकार किया है कि अगले दो वर्ष में विद्युत में किसी भी प्रकार कर सुधार की स्थिति में नहीं है यह स्पष्ट कहा कि जब तक वह पूरा नहीं हो जायेगा तब तक यह कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। इन्होंने कहां-कहां प्रयत्न किये ? कितनी-कितनी बिजली देने का इन्होंने प्रयत्न किया, यह स्पष्ट रूप से नहीं आया। मुझे लगता है कि इन्होंने कोई चिन्ता नहीं की और अगले दो साल में विद्युत उत्पादन में कोई प्रगति नहीं होने वाली, विद्युत मिलने वाली नहीं है, ऐसा माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया आपने हिम्मत करी यह स्वीकार करने में इस बात की मैं दाद देता हूं। दूसरी बात जो मैंने प्रश्न किया था कि पूरे प्रदेश में विद्युत कटौती के मानक क्या हैं ? कितनी-कितनी बिजली दे रहे हैं ? गांवों में कितनी दे रहे हैं और शहरों में कितनी दे रहे हैं ? शहरों में जो क्लास है, अलग-अलग शहरों की जो श्रेणियां हैं उस के अन्तर्गत कितनी-कितनी बिजली दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 हजार का प्रोजेक्ट दादरी में लग रहा था। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा उस समय वो दोनों साथ में थे वो गैस नहीं दे रहे थे आज यह दोनों साथ हैं तो गैस मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब प्रश्न करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, प्रश्न कर रहा हूं। मान्यवर, वह 10 हजार मेगावाट का पावर प्लान्ट लग रहा था। पहले इनकी वजह से नहीं मिल रहा था आज यह दोनों मिल गये हैं उसकी वजह से मिल रहा होगा। तो क्या मान्यवर, इन दोनों के प्रयत्न से जो गैस मिलेगी उस गैस को प्राप्त करके वो दादरी वाला प्रोजेक्ट जो गैस की वजह से रुका हुआ था उसको चालू करवाने के लिये सरकार के पास कोई विचार है। यदि है तो कब तक उसको चालू करेंगे क्योंकि गैस अब दिलवाने का काम यह पक्ष कर लेगा और देने का काम यह कर लेगा। उस समय आप जो काम कर रहे थे अब यह दोनों की सहमति से हो जायेगा। तो यह आप कब तक चालू करेंगे। दो प्रश्न आ गये कि दादरी वाला प्रोजेक्ट आप कब चालू करेंगे और जो विद्युत कटौती है किन-किन जिलों में कितनी-कितनी हो रही है ? यह बता दें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, दादरी प्रोजेक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला लम्बित है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं हो जाता तब तक इसमें कुछ कहना उचित नहीं है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कटौती वाला बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब और नहीं, बहुत अनुपूरक हो गये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, केवल एक सुझावात्मक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, विभाग की स्थिति अब यह है कि जूनियर इंजीनियर से नीचे कोई कर्मचारी विभाग का नहीं है क्योंकि रख-रखाव की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है और कुछ नीति न जाने किसा कारण से बनी है वो कि जब जूनियर इंजीनियर से नीचे का जितना भी काम है वह प्राइवेट कान्ट्रेक्टर को दे दिया गया। मान्यवर, मूल कारण यही है जो सीमा द्विवेदी जी ने कहा उनके यहां तार टूटने और रख-रखाव में कमी आना, क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जो पुरानी व्यवस्था थी रख-रखाव की, उसको बहाल करेंगे ताकि आपका नियंत्रण उस पर हो सके। साथ ही ठेकेदारों को जो व्यवस्था दे रखी है वह ठेकेदार पूरी तरह से उस कार्य को करने में असफल है। भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। पैसा ले करके काम करते हैं जो नहीं देता है वहां नहीं जाते हैं। विभाग का कोई नियंत्रण है नहीं। एक तो मेरा सुझाव यह है अगर आप विचार करना चाहें तो, दूसरा मान्यवर एक फैशन हो गया है ऊंचाहार बेच दिया, फलां बेच दिया, उनमें उत्पादन भी चल रहा है, या उत्पादन बन्द हो गया, या हमने किसी प्राइवेट आदमी को बेच दिया, या निजी क्षेत्र को बेच दिया, या हमने चीन, जापान को बेच दिया है। मान्यवर, केन्द्र सरकार की एन0टी0पी0सी0 के पास दोनों हैं। उत्पादन चल रहा है, उसमें से अपना हिस्सा, पैसा दीजिए और लीजिए। उस वक्त वहां की मान्यवर, व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी थी, अनुशासन हीनता इतनी हो चुकी थी कि उत्पादन करीब-करीब शून्य हो गया था। इस कारण से वह निर्णय लिया गया था। अब यह फैशन सा हो गया है यह कहना कि पहले आपने बेचा है। हमने बेचा नहीं था वह स्थानान्तरण किया था केन्द्र सरकार के एन0टी0पी0सी0 को, उनके बिल थे ज्यादा पेंडिंग, मैं प्रश्न कर रहा हूं इन बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्या पुरानी व्यवस्था को मंत्री जी बहाल करेंगे ताकि रख-रखाव ठीक तरह से हो सके और कटौती कम हो।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, जहां तक ऊंचाहार, टांडा को बेचने की बात कही है.....

श्री हुकुम सिंह-

माननीय मंत्री जी बता दें पुरानी व्यवस्था को बहाल करेंगे ताकि रख-रखाव ठीक तरह से हो सके और कटौती कम हो।

श्री अध्यक्ष-

पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के बारे में बता दें क्या करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मा0 हुकुम सिंह जी यह कटौती क्यों हो रही है ? कटौती के लिये अधिकारियों पर यह जोर दिया जाता है कि चोरी बन्द करो, तो जब बिजली देंगे नहीं तो चोरी होगी कहां से ? अधिकारी बिजली ही नहीं देता है, और कहता है चोरी कम हुई। इतनी चोरी कम दी जब बिजली दोगे नहीं तो चोरी होगी नहीं।

श्री हुकुम सिंह-

यह तो वही बात हो गई 'सूत न कपास, जुलाहे से लट्ठम लट्ठा'। न बिजली है, न बिजली देने को है और सुना यह रहे हैं यह व्यवस्था कर दी वह व्यवस्था कर दी ऊंचाहार बेच दिया वह बेच दिया, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि पुरानी व्यवस्था आपकी जो थी सरकारी कर्मचारियों को रखने की जिनके माध्यम से आप रख-रखाव कराते थे वह व्यवस्था आपने बन्द कर दी। प्राइवेट ठेकेदारों को आपने व्यवस्था दे दी ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचार व्याप्त है, जनता त्राहि-त्राहि कर रही है तो क्या आप पुरानी व्यवस्था को पुनः बहाल करेंगे।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कार्य तो सभी सुचारु रूप से चल रहे हैं कर्मचारी कम हैं इसमें संदेह नहीं बैकलॉग के माध्यम से इसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। ठेकेदार काम कर रहे हैं उन पर नियंत्रण रखा जा रहा है।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

मूल प्रश्नकर्ता महाना जी को बुला लिया है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरे बार-बार यह पूछने पर कि प्रदेश में कितनी-कितनी बिजली, किन-किन मानकों के आधार पर किन-किन शहरों में दी जा रही है उसका उत्तर नहीं आ पा रहा है। यह बच रहे होंगे क्योंकि यह बिजली दे ही नहीं रहे हैं आपके माध्यम से अन्तिम प्रश्न करना चाहता हूं कि कानपुर नगर जो इतना ज्यादा आपको रेवेन्यू देता है वहां 12 से 14 घंटे कटौती कर रहे हैं मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या कानपुर नगर को इन्डस्ट्री होने के नाते से, शिक्षा कम होने के नाते से, व्यवसायिक होने के नाते से वहां की कटौती कम करेंगे और जो लोकल फाल्ट्स हैं, एक-एक ट्रांसफार्मर 15-15 दिन तक शहरों में नहीं बदला जाता है। ट्रांसफार्मर न बदले जाने के कारण, बिजली न होने के कारण पानी नहीं मिल पाता है, न घर के अन्दर सो सकते हैं और न घर के बाहर सो सकते हैं, बारिश का मौसम है। क्या खराब ट्रांसफार्मरों के 12 घण्टे के अन्दर रिप्लेसमेंट करने और कानुपर नगर को विद्युत कटौती से मुक्त करने का

आश्वासन मा0 मंत्री जी देंगे ? केवल इतना ही कर दें, बाकी प्रदेश में तो आप दे रहे हैं, कानपुर नगर को ही दे दें, इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, कानपुर नगर में इन्डस्ट्री को तो 24 घण्टे बिजली दी जा रही है और बाकी शहर को 20 घण्टे बिजली हम दे रहे हैं, लेकिन लोकल फाल्ट की वजह से कहीं कमी आ जाती है तो हम उसे दिखवा लेंगे।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, हमारे यहां जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। हमें भी अवसर दें।

श्री अध्यक्ष-

आधा घण्टा इस प्रश्न का अनुपूरक हुआ है, दो प्रश्न में एक घण्टा हो गया है और भी तमाम लोगों के प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी तो देखना है। अनूप सण्डा जी आप बैठ जायें, अब मैं आगे का प्रश्न ले रहा हूं। कोई लाभ नहीं बोलने से।

तारांकित प्रश्न

जनपद बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्र के राजौली गांव में भूख से मरने वाले परिवारों के लिये सहायता की मांग

*1-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्र के राजौली गांव में दिनांक 20-01-2008 को खातून नामक महिला की भूख से मौत हो गयी तथा जनपद वाराणसी में जनवरी, 2008 में ही राम नगर थानान्तर्गत मछरहट्टा में खटिकाना मोहल्ले में भूख से सुदामा नामक व्यक्ति की मौत हो गयी ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों प्रकरणों में मृतकों को प्राप्त अन्त्योदय कार्ड निरस्त कर दिये गये थे जिससे पूरा परिवार दाने-दाने का मोहताज हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस प्रकार भूख से मरने वाले परिवारों को नियमों के अन्तर्गत सभी प्रकार की सहायता मुहैया कराने व भूख से होने वाली मौतों को रोकने की कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

दिनांक 19-01-2008 को खातून पत्नी स्व0 सिद्दीकी, निवासी, ग्राम राजौली, तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी की मृत्यु फालिश की बीमारी व वृद्धावस्था के कारण हुई। उनकी मृत्यु भूख के कारण नहीं हुई।

जनपद वाराणसी में स्थिति रामनगर थानान्तर्गत मछरहट्टा में जनवरी, 2008 में सुदामा नामक व्यक्ति की मौत भूख से नहीं अपितु वृद्धावस्था व मियादी बुखार से पीड़ित होने से हुई थी।

खाद्य एवं रसद विभाग के शासनादेश संख्या-422/29-6-2005-288-सा/03, दिनांक 03 फरवरी, 2005 के क्रम में मृतका खातून के नाम पूर्व जारी राशन कार्ड सं0-74081 को निरस्त कर नवीन अन्त्योदय राशन कार्ड सं0-60629 दिनांक 03 जनवरी, 2007 को जारी कर दिया गया था। मृतक सुदामा के पुत्र विजय सोनकर के पुत्र भग्गन के नाम से बी0पी0एल0 का राशन कार्ड जारी है, जो निरस्त नहीं किया गया है।

भुखमरी की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिये ग्राम प्रधानों को रु0 1000/- तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैंने जिन दो उदाहरणों को सामने रखकर प्रश्न किया था, उसके उत्तर में मा0 मंत्री जी ने कहा कि यह दोनों मौतें भूख के कारण नहीं हुईं, अन्य कारणों से हुई हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह भूख से न मरें, इसलिये आपने कुछ नियम बनाये हैं और उसके तहत विभिन्न मण्डलायुक्तों को, जिलाधिकारियों को कुछ निर्देश दे रखे हैं और आपने यह भी बताया कि ग्राम प्रधानों को भी एक हजार रुपया तक खर्च करके भूख से न मरें लोग, इसकी व्यवस्था करने का आपने प्राविधान किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भूख से मरने की सरकार की परिभाषा क्या है और क्या उस परिभाषा के अन्तर्गत यह दोनों मौतें नहीं आती, इसका परीक्षण आपने कराया है ?

श्री फागू चौहान-

जो जांच की गयी उस जांच के अनुसार जो श्रीमती खातून जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि भूख से मरी है उसकी उम्र 78 साल की और फालिस की बीमारी से बीमार चल रही थी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भूख से मरना आप कब मानेंगे और उसकी परिभाषा क्या है ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, जांच करा ली है कि भूख से मरा हुआ नहीं पाया गया।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो अनुपूरक है वह बिल्कुल प्वाइंटेड है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप कभी स्वीकार नहीं करेंगे चाहे जितने भी सवाल उपस्थित किये जायें कि इसकी मृत्यु भूख से हुई है। आप स्वीकार नहीं करेंगे ठीक है, नहीं करें। लेकिन मैं जानना चाहता हूं

और प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है सरकार से कि भूख की परिभाषा क्या है जिसके तहत आप स्वीकार करेंगे कि अमुक की मृत्यु भूख से हुई है। वह कौन सी परिस्थिति है वह कौन सी परिभाषा है जब आप यह स्वीकार करेंगे कि उसके जो कारण, लक्षण हैं तो हम मान लेंगे कि भूख से मृत्यु हुई है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जांच का आधार है। एक जांच उनके पास आधार बचा है जिसके तहत यह पता लगायेंगे।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, इसका उत्तर दिलवा दें कि भूख से मृत्यु का मानक क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने बताया कि जांच हमारा आधार है, उसके तहत हम करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह अधिकारियों के द्वारा दी गयी रपट के आधार पर दिया। माननीय सदस्य का यह कहना है और यह जानना है और हम भी चाहेंगे कि स्वयं सरकार किन चीजों से भूख से मरने को मानक मानती है। जो मानक अधिकारियों ने मंत्री जी को बताये उसको मानती है या जो मानक आपने बताये कि 78 साल की उम्र हो गयी थी। तो जिसकी उम्र 78 साल की हो उसको मर जाना चाहिए एक मानक तो यह हुआ।

(श्री फागू चौहान के हंसने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

हंसिये आप अपने ऊपर, कहकहा लगाइये। देखिये कितने अच्छे दांत हैं, आज आपने ब्रश किया है, पायरिया भी नहीं है आपके दांतों में, सफेद दांत हैं आपके। तो मान्यवर, कितने ही वरिष्ठ नेता हैं, कितने ही मुख्य मंत्री हैं, कितने ही सांसद और विधायक हैं जो 78 साल के हैं तो क्या माना जाये कहकहा मंत्री के बारे में। यह माना जाये कि 78 साल में सबको मर जाना चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

संसदीय कार्य मंत्री जी आप इसमें न आयें। अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं अब आप अध्यक्ष जी को बतायेंगे कि सदन कैसे चले ? आप अपने अधिकारों को वहां तक न ले जायें। क्योंकि यह हमारे भी अध्यक्ष हैं सिर्फ आपके ही नहीं हैं।

श्री लालजी वर्मा-

वहां तक तो आप ले जाते थे मैं नहीं ले जाता।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी, हमारी आपमें आस्था ज्यादा है और हमें आपसे ज्यादा संरक्षण मिलेगा। आपका दायित्व भी है कि विपक्ष को और ज्यादा संरक्षण मिले। अगर अध्यक्ष का विपक्ष को संरक्षण नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र आगे नहीं चल सकेगा। आप और तानाशाह हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

तो मान्यवर, जानना यह चाहते हैं कि सरकार के मानक क्या हैं ? आपका मानक नहीं। जो रिपोर्ट आपके अधिकारियों ने दी है उसमें भूख से मरने के क्या कारण होते हैं आप इतना बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, चौधरी साहब और आजम खां साहब यह जानना चाहते हैं कि जैसे अभी दो व्यक्तियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट आ गयी कि कोई अस्थमा या कोई अन्य रोगों से पीड़ित था उम्र भी ज्यादा थी, उसकी मृत्यु हो गयी है। अब यह जानना चाहते हैं कि भूख से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका मापदण्ड या आधार क्या निर्धारित किया जाता है ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, कहीं से अगर यह सूचना मिलती है कि भूख से मृत्यु हुई है तो उसकी जांच करायी जाती है। जांच का आधार खाने को नहीं होना, कर्ज के बोझ से मरना यह होता है। यह कुछ ज्यादा नाराज दिखायी दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं नाराज नहीं हैं।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, यह कह रहे हैं कि 78 साल में मरना है, तो जिसकी बात हम कह रहे हैं उसके बारे में मैंने कहा कि वह 78 साल की थी और फालिश से पीड़ित थी। मान्यवर, अब यह संभव नहीं है कि हर व्यक्ति जो मर जाये, कह दें कि भूख से मरा है और उसका पोस्टमार्टम कराया जाय। जब कोई सूचना मिलती है तभी जांच करायी जाती है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, जो माननीय चौधरी साहब ने प्रश्न पूछा है उन्होंने सबूत से कहा कि भूख से मरे हैं। तो क्या आपने इसकी जांच करायी कि उसके घर में अन्न था कि नहीं, आपने पड़ोसियों से पूछा कि नहीं ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, मैं जांच के आधार पर ही सदन में बयान दे रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो उत्तर आया कि उसके दूसरे भाग में देखें। इसमें यह लिखा है कि "खाद्य एवं रसद विभाग के शासनादेश संख्या-422/29-6-2005-288-सा/03, दिनांक 03 फरवरी, 2005 के क्रम में मृतका खातून के नाम पूर्व जारी राशन कार्ड संख्या-74081 को निरस्त कर नवीन अन्त्योदय राशन कार्ड सं0-60629 दिनांक 03 जनवरी, 2007 को जारी कर दिया गया था। मान्यवर, इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता है कि जो गरीब बेसहारा होने के नाते उसे राशन कार्ड जारी था और वह राशन कार्ड भी निरस्त कर दिया। जब राशन कार्ड निरस्त हो गया तो उसके पास क्रय करने की शक्ति तो थी नहीं और उसे खाना नहीं मिला। दूसरा राशन कार्ड 03 जनवरी, 2007 को जारी किया गया। तो इस बीच में उसका गुजर बसर कैसे हुआ ? क्यों उसका राशन कार्ड निरस्त किया गया ? जिस बुढ़िया के पास गुजर बसर का कोई साधन नहीं था उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया और फिर 2007 में जारी किया।

श्री अध्यक्ष-

उसकी मृत्यु 2008 में हुई है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मुझे पता हैं मान्यवर, यह उपेक्षा का भाव है गरीब व्यक्तियों के राशन कार्ड को मनमाने तरीके से निरस्त किये जा रहे हैं। मान्यवर, मैं आजम खां साहब की बात से सहमत हूं कि इतने हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि इन दोनों प्रकरणों की पुनः उच्च अधिकारियों से जांच करायी जाय और उससे सदन को अवगत कराया जाय।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, एक प्रश्न पूछा गया। यह खाद्य मंत्री रहे हैं, जो गैप के बारे में पूछा है 2005 का शासनादेश है, इनके कार्ड में गैप नहीं हुआ है। यह 15-12-2006 को निरस्त हुआ है और 03-01-2007 को इसको पुनः कार्ड बना कर दे दिया गया है। मान्यवर, यह खाद्य मंत्री भी रहे हैं आपके पास में थोड़ी सी नहीं बहुत जानकारी भी होगी। दूसरी बात कि आपने जांच को कहा जब कोई चीज इस तरह की नहीं पाई गई तो जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, यह जो परिस्थितियां होती हैं उसके कारण मजबूर हो कर के आदमी भूख से मरता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बेकारी, बेरोजगारी भी एक भुखमरी का कारण है। अभी वाराणसी के अन्दर लोहता क्षेत्र में मोहम्मद इस्माइल अन्सारी जो काफी अच्छा बुनकर था और उसके करीब सात बच्चे हैं, पत्नी है और उसको रोजगार छिन गया, वह बेकार हो गया,

बेरोजगार हो गया, कुछ दिनों के बाद, इसकी उम्र सिर्फ 42 वर्ष की थी, उसने दम तोड़ दिया। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं और अनुपूरक भी करना चाहता हूं कि जिसका मैंने वाराणसी में लोहता क्षेत्र में 42 वर्षीय मोहम्मद इस्माइल जो बुनकर था सात बच्चों का पिता था, उसकी एक पत्नी है और वह बुनाई का काम करता था। बेकार, बेरोजगार हो जाने के कारण विवश हो कर के भूख से वह मर गया। क्या आप उसकी जांच करायेंगे ? और उस परिवार के लिये जो अन्त्योदय या बी0पी0एल0, राशन कार्ड वगैरह जो कुछ भी सहायता है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, उसको दिलाने की कृपा करेंगे आप।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य आपके संज्ञान में एक घटना ला रहे हैं और कह रहे हैं इस तरह की एक घटना वाराणसी में हुई है, तो क्या आप उसकी जांच करायेंगे ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, हालांकि यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी मैं इसको दिखवा लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

कृषि उत्पाद विपणन विनिमय निवेश नीति पर पुनर्विचार की मांग

*2-श्री हुकुम सिंह-

क्या कृपि विपणन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नई कृषि उत्पाद विपणन विनिमय निवेश नीति के अनुसार कृषक अपनी कृषि भूमि को कृषि उपयोग के लिये ठेके (कांटैक्ट) पर दे सकेंगे ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार भूमि कांट्रैक्ट पर देने से प्रदेश के करोड़ों किसान बेरोजगार हो जायेंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों को बेरोजगारी से बचाने हेतु उक्त कांट्रैक्ट फार्मिंग नीति पर पुनर्विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण व बाल विकास पुष्टाहार व कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रश्न जो है वह नई कृषि उत्पाद विपणन विनिमय निवेश नीति के सम्बन्ध में है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार द्वारा क्या कोई ऐसी नीति बनाई गई है ? यदि बनाई गई है तो उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, वर्तमान सरकार द्वारा इस समय कोई ऐसी नीति नहीं बनाई गई है।

श्री हुकुम सिंह-

मुख्य बात यही थी, जब नीति ही नहीं है तो किसानों का भला होगा ही नहीं। प्रश्न यह है कि जो कृषि उत्पाद हमारे हैं, उनके बारे में सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिए ताकि किसानों को मजबूरी में विवश होकर अपना उत्पाद न बेचना पड़े। नीति आपकी है नहीं, इतनी अच्छी सरकार है। कल अगर खेती का कोई उत्पाद आयेगा बाजार में, यह इत्तेफाक की बात है कि आज तो वह महंगे हैं लेकिन कल को सस्ते भी होंगे और अगर सस्ते होंगे तो नीति के अभाव में सरकार के ऊपर कुछ भी करने का दबाव है ही नहीं क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई नीति है नहीं। इस स्थिति में किसान को न गुजरना पड़े, इसके लिये कोई उपाय करने के लिये कोई स्पष्ट नीति बनायेंगे आप ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, भारत सरकार के जो माडल ऐक्ट, 2003 के तहत जिसमें यह सुझाया गया था कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, उन्हें अच्छा बाजार मिले और कृषि पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसके लिये हमारी सरकार ने 08 अगस्त, 2007 को एक नीति बनाई थी ऐसी, लेकिन मान्यवर, उसमें किसानों में काफी भ्रांतियां फैलीं, किसान उसमें आन्दोलित हो रहे थे, जबकि यह भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार यह कृषि उत्पाद विपणन विकास एवं विनिमय नीति बनाई गई। मान्यवर, उसमें विचार हुआ कि कृषकों में जो इधर भ्रांतियां फैली हैं और किसान जो आन्दोलित हो रहे हैं उनकी भ्रांतियों को दूर करने के लिये जो उन्हें तरह-तरह के लोगों ने बरगलाने का काम किया कि आपकी जमीनें ले ली जायेंगी। मान्यवर, उनसे यह कहा गया कि जो कृषि उत्पाद है उनका आपको सही मूल्य नहीं मिलेगा। इन भ्रांतियों को समाप्त करने के लिये और किसानों में इसको लेकर ज्यादा उत्तेजना न फैल सके इसलिये उस नीति को मान्यवर, 30 अगस्त, 2007 को समाप्त कर दिया गया। अब जो पुरानी नीति बनी थी उसी आधार पर इसमें कार्यवाही हो रही है। नई नीति बनाने का विचार अभी सरकार के पास नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, पहले कहा कि कोई नीति नहीं है। अब कह रहे हैं कि नीति बनी थी लेकिन वह समाप्त कर दी गयी। आपने बताया कि उस नीति को लेकर भ्रांतियां फैलायी गयी थीं इसलिये

उसे समाप्त कर दिया गया है। उस नीति के मुख्य बिन्दु क्या हैं वह आपने नहीं बताया है। यह भी नहीं बताया कि उसमें किस बिन्दु को लेकर भ्रांति थी जो किसानों को स्वीकार नहीं थी। अब अगर कोई विशेष बिन्दु उन्हें स्वीकार नहीं था तो इसका मतलब यह तो नहीं होता कि सारी नीति ही समाप्त हो जाये। वह कोआपरेटिव फारमिंग वाला बिन्दु हो सकता है लेकिन उसको लेकर बाकी सारी नीति समाप्त क्यों कर दी गयी। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने उनके कृषि उत्पाद और विपणन के सम्बन्ध में न कोई नीति है और न कोई कार्यक्रम हैं। आप बता दें कि इसके अभाव में उसकी उपज के भाव का क्या होगा, किसानों के उत्पाद का क्या होगा ? उनकी उपज के क्रय के लिये सेन्टर खोलने के लिये क्या करेंगे उसके लिये बजट का एलोकेशन करेंगे या नहीं करेंगे ? आज यह सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। यह किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस सम्बन्ध में नीति के सम्बन्ध में सरकार को कुछ स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए था। अगर नीति नहीं है तो सरकार की कोई सोच तो होगीं यह बताने का कष्ट करें कि वह सोच क्या है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, 1964 की नीति है, हमारी कृषि नीति है, उसके अन्तर्गत 247 मण्डी हैं और 349 उप मण्डियां हैं उसी आधार पर इसमें कार्यवाही हो रही है। उसमें खरीदने के लिये बेचने के लिये सारे अधिकार हैं और सारी सुविधायें मौजूद हैं। वर्तमान में नई नीति सरकार ने न कोई बनाई है और न बनाने का विचार है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपने कह दिया कि नीति बनाने का विचार नहीं है। यह कम से कम सरकार की सोच तो बता सकते हैं। यह नीतिविहीन सरकार आज किसानों के मामले में निर्विचार हो चुकी है। जो निर्विचार होता है वह अपना अस्तित्व समाप्त मानकर विलीन हो जाता है। तो यह विलीन होने वाली सरकार है जिसके पास न इस सम्बन्ध में कोई नीति है और न ही चिन्ता है। तो किसान कहां जायेगा उसके उत्पाद का क्या होगा ? उसकी कुछ तो चिन्ता इस सरकार को करनी चाहिए थी। मण्डियां तो आपकी बनी हैं लेकिन कोई ठोस नीति के अभाव में उन मण्डियों में क्या होगा ? उसकी उपज के उचित विपणन के बारे में आपकी भागीदारी है या नहीं। आप कोई क्रय केन्द्र खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। धान की फसल महीने भर बाद आने वाली है खरीफ का मौसम चल रहा है। अगर धान का मूल्य 400 रु0 कुंटल या 500 रु0 कुंटल पर आ जाता है तो उसमें तो किसानों का बहुत शोषण होगा। यह निर्विचार सरकार अगर उस समय हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गयी तो वास्तव में किसान दया का पात्र हो जायेगा। मेरा आग्रह है कि यह जो संसदीय कार्य मंत्री जी कान पर कुछ लगाये बैठे हैं सुन नहीं रहे हैं वह कान पर से उस यंत्र को हटायें और कुछ बोलें। वैसे माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं वह भी वरिष्ठ मंत्री हैं और वरिष्ठताक्रम में उनका तीसरी चौथा नम्बर है आप मजबूत भी हैं तो उन सब स्थितियों को ध्यान में रखकर जवाब दें और बतायें कि इन सबके सम्बन्ध में आप किसानों के हित में क्या करेंगे ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, हमारे पास मण्डियां हैं और तमाम उसमें सुविधायें हैं उसमें क्रय विक्रय की। यह बताया कि नई नीति के बारे में कोई विचार है नहीं। पुरानी नीति हमारी पहले से ही रही है किसानों के बारे में।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा विवाद सुलझाने हेतु दीक्षित एवार्ड के अनुरूप कार्यवाही की मांग

*3-श्री मदन भैया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा विवाद सुलझाने हेतु दीक्षित एवार्ड के संदर्भ में दोनों राज्यों के बीच अब तक कितनी बैठकें हुईं तथा उनका विवरण क्या है ? उक्त विवाद में विगत 5 वर्षों में जनपद मेरठ एवं बागपत के कितने लोगों की अब तक जानें गयी ? क्या शासन द्वारा उनके परिवार को कोई सहायता प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु दीक्षित एवार्ड के अनुरूप कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

उत्तर प्रदेश हरियाण सीमा विवाद सुलझाने हेतु दीक्षित एवार्ड के संदर्भ में दोनों राज्यों के बीच जो बैठकें विभिन्न स्तरों पर हुई हैं उनका विवरण संलग्न है।

इस अवधि में जनपद मेरठ अथवा बागपत में उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा विवाद में किसी व्यक्ति की जान नहीं गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार समस्या के समाधान हेतु दीक्षित एवार्ड के अनुरूप ही कार्यवाही कर रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 220-221 पर।)

प्रदेश में राजस्व एवं चकबन्दी न्यायालय की स्थापना सम्बन्धी जानकारी

*4-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजस्व एवं चकबंदी न्यायालय स्थापित करने हेतु शासन ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री फागू चौहान-

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा नीति निर्धारित नहीं है। पूर्व में प्रचलित नीति के अन्तर्गत राजस्व सम्बन्धी वादों की सुनवाई नायब तहसीलदार, तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक, मुख्य राजस्व अधिकारी, उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, अपर आयुक्त, आयुक्त एवं राजस्व परिषद् द्वारा की जाती है।

चकबन्दी सम्बन्धी वादों की सुनवाई, सहयक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी तथा उप संचालक चकबन्दी द्वारा की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शीतगृह स्वामियों द्वारा लिया जा रहा भण्डारण शुल्क

*5-डा0 अनिल चौधरी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शीतगृह स्वामियों द्वारा चालू वर्ष में भण्डारकों से रु0 110/- से रु0 130/- प्रति क्विंटल की दर से भण्डारण शुल्क लिया जा रहा है ? क्या शासन शीतगृह अधिनियम, 1976 की धारा 29 (3) का प्रयोग कर भण्डारण दर स्वयं घोषित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री नारायण सिंह)-

जी हां।

जी नहीं। सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1997 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भण्डारण प्रभार को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के बाद शीतगृह उद्योग में प्रतिस्पर्धा के कारण उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में कार्यरत शीतगृहों की संख्या-1316 एवं शीतगृहों की भण्डारण क्षमता बढ़कर 91.98 लाख मैट्रिक टन हो गयी है। उक्त संशोधन के पूर्व कार्यरत शीतगृहों की संख्या-738 एवं उनकी भण्डारण क्षमता 40.24 लाख मैट्रिक टन थी जिससे स्पष्ट है कि शीतगृहों की संख्या एवं उनकी क्षमता में काफी वृद्धि हुई है।

जनपद मुजफ्फरनगर में बागवानी से जुड़े किसानों के फलों के निर्यात हेतु योजना

*6-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में बागवानी से जुड़े किसानों के फलों के निर्यात हेतु कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यद्यपि जनपद मुजफ्फरनगर में बागवानी से जुड़े किसानों के फलों के निर्यात हेतु अलग से कोई योजना नहीं बनायी गयी है, तथापि जनपद सहारनपुर मण्डी परिषद् के परिसर में उ0 प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा मैंगो पैक हाउस की स्थापना की गयी है जिसका उपयोग सहारनपुर परिक्षेत्र, जिसमें मुजफ्फरनगर भी सम्मिलित है, के कृषक निर्यात हेतु प्रयोग कर सकते हैं।

उक्त मैंगो पैक हाउस में फलों की तुड़ाई के उपरान्त प्रबन्धन के अन्तर्गत ग्रेडिंग, पैकिंग, फलों का पकाना, वाष्प उष्मा उपचार आदि क्रियाएं आती हैं, जो निर्यात के लिये आवश्यक हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की बंजर जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिये कार्य योजना

*7-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की बंजर जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिये कोई कार्य-योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

जी हां।

11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 में भी बंजर जमीन को कृषि योग्य बनाने हेतु विशेष रूप से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई की योजना संचालित की जा रही है। इसके अलावा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जनपदों में किसान हित योजना एवं नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 (11-12 एवं 13) के अन्तर्गत स्वीकृत इन्टीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट की योजना संचालित की जा रही है जिससे यहां की बंजर/बीहड़ क्षेत्र को उपचारित करके कृषि योग्य क्षेत्र में परिवर्तित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

विमुक्त जातियों के लिये संचालित योजनाएं

*8-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन जातियों को विमुक्त जाति घोषित किया गया है ? क्या विमुक्त जाति के कल्याण की कोई योजना सरकार के द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

शासनादेश संख्या-529/26-3-2001-3(12)/80, दिनांक 27-2-2001 द्वारा एक ही स्थान पर रहने वाली 11 जातियों क्रमशः बंजारा, भर, दलेरे, कहार, गंडीला, घोसी (हिन्दू), केवट, मल्लाह, लोध, मेवाती, औधिया, तंगाभाट को तथा 25 घुमन्तू जातियों क्रमशः खुरपल्टा, मोंगिया (मोंग), मदारी, सिंगीवाला, औघड़, वैद, भाट, चमरमंगता, जोगी, जोगा, किंगिरिया, महावत (लुंगी पठान) भतरी, सपेरा (सपेरिया), कुरमंगिया (हिन्दू महावत), बेलदार, कनमैलिया, घोशियान, गोदाहार, लोना चमार, बुर्जी, सिंगलीगर, कंकाली, ब्रजवासी, कुलन्दर, फकीर की सूची विमुक्त जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निर्गत की गयी है।

विमुक्त जातियों के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति योजना, आश्रम पद्धति विद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के उतरौला मण्डी समिति क्षेत्र में मण्डी भवन बनाये जाने की मांग

*9-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बलरामपुर के उतरौला मंडी समिति क्षेत्र उतरौला की जनता एवं व्यापारियों की सुविधा के लिये सरकार उक्त कस्बे के आस-पास फल, सब्जी एवं अनाज मंडी का भवन बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जेट्रोफा (डीजल) की खेती को प्रोत्साहित किये जाने की मांग

*10-डा0 अजय तोमर-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जेट्रोफा (डीजल) की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में दैवीय आपदा से कृषि फसल की सम्पूर्ण या आंशिक क्षति होने पर क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित मानक

*11-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दैवीय आपदा के कारण कृषि फसल की सम्पूर्ण या आंशिक क्षति होती है तो सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति के लिये कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? क्या रबी व खरीफ की फसलों में अलग-अलग मानक रखे गये हैं ? क्या खेती की फसल जलने/या कटी हुई गहाई युक्त फसल के नुकसान की भरपाई हेतु अलग-अलग मानक हैं ? क्या मा0 मंत्री जी किसानों के हित में इस नुकसान की क्षतिपूर्ति के मानकों में परिवर्तन करके इसे किसानों के हित में अधिक लाभोन्मुखी बनायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

दैवी आपदा के कारण कृषि फसल की सम्पूर्ण या आंशिक क्षति होती है तो शासनादेश संख्या-जी0आई0-134/1-11-2007-46/97, दिनांक 31-07-2007 द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित सी0आर0एफ0 गाइड लांइस में दी गयी व्यवस्थानुसार राहत सहायता उपलबध कराये जाने का प्राविधान है। कृषि फसलों, बागवानी फसलों, वार्षिक वृक्षारोपण फसलों में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर असिंचित क्षेत्र के लिये रु0 2000/- प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित क्षेत्र हेतु रु0 4000/- प्रति हेक्टेयर एवं बारह मासी फसलों की क्षति पर रु0 6000/- प्रति हेक्टेयर का कृषि निवेश अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

दैवी आपदा से पृथक मामलों में फसल जलने पर कृषक बीमा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

सी0आर0एफ0 गाइड लाइन्स भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देशित है। जो देश के सभी प्रदेशों में लागू है। राज्य सरकार के स्तर से इसमें परिवर्तन सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

*12-श्री राम बिशुन आजाद-

[दो विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

भारत सरकार द्वारा उर्वरक में दी गई छूट का लाभ प्रदेश के किसानों को सीधे दिये जाने की मांग

*13-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को उर्वरक में दी गई छूट सीधे उर्वरक निर्माताओं को दी जाती है और इस छूट का लाभ

किसानों को न मिलने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस छूट को सीधे किसानों को देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

इस सम्बन्ध में ऐसी कोई शिकायत वर्तमान में प्रदेश शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

यह भारत सरकार का नीति विषयक मामला है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में आंधी-तूफान के कारण क्षति हेतु राहत अनुदान की मांग

*14-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा जनपद में दि0 14-5-2008 को आये तूफान के कारण लगी आग से हुई जन हानि, पशु हानि एवं धन हानि का विवरण तैयार किया गया है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके अनुसार क्या राहत अनुदान की कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

दिनांक 14-05-2008 को आये आंधी-तूफान के कारण जनपद आगरा में 07 जनहानि, 104 पशुहानि हुयी तथा अनुमानित क्षति रु0 75,58,750/- की हुयी है। इस सम्बन्ध में अनुग्रह सहायता रु0 9,09,600/- अहेतुक सहायता रु0 2,22,500/- तथा गृह अनुदान रु0 7,38,000/- अर्थात् कुल धनराशि रु0 18,68,100/- की राहत सहायता वितरित की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रेटर नोयडा एवं जनपद गौतमबुद्ध नगर में प्रदेश के विधायकगणों को आवास अथवा भू-खण्ड उपलब्ध कराये जाने की मांग

*15-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर में प्रदेश के विधायकगण को आवास अथवा भूखण्ड प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*16-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[4थे बुधवार के तारा0 प्र0 सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद प्रतापगढ़ में कतिपय जाति में लोगों को अनु0 जाति का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की जानकारी

1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि गोड़, धुरिया, नायक जाति के लोगों को तहसील-पट्टी, प्रतापगढ़ में अनु0 जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसके लिये जिम्मेदार तहसीलदार तथा अन्य के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमानुसार गोंड, धुरिया, नायक जाति के लोगों को आवेदन करने पर अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

जनपद कुशीनगर में "मैत्रेयी" परियोजना के पास कतिपय लोगों द्वारा खरीदी गयी जमीनों की जांच की मांग

2-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-कुशीनगर में प्रारम्भ हो रही "मैत्रेयी" परियोजना के इर्द-गिर्द अधिकारियों, भू-व्यवसायियों, राजनेताओं, नव-धनिकों ने फार्म हाउस विकसित किये जाने के लिये 2 एकड़ से बड़ी जमीनें खरीदी हैं ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त परियोजना के इर्द-गिर्द खरीदी गयी जमीनों की विक्रय सम्बन्धी जांच करवायेगी तथा बेनामी सम्पत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सीजनल संग्रह अमीनों को नियमित किये जाने की मांग

3-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 में सीजनल संग्रह अमीनों को नियमित करने हेतु कोई निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो शासन द्वारा क्या इस सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां

उत्तर प्रदेश संग्रह अमीनों की सेवा नियमावली, 1974 के पांचवें संशोधन 1992 के प्राविधानों के अनुसार वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर 35 प्रतिशत संग्रह अमीन के पदों को सामयिक संग्रह अमीनों से अभियान चलाकर भरे जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के अनुसार शासनादेश संख्या-1975/1-7/2002-2(1)/87-97, दिनांक 21 जून, 2002 निर्गत किया गया।

संगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाती है। शासन द्वारा सीजनल संग्रह अमीनों एवं सीजनल संग्रह अनुसेवकों की नियमित नियुक्ति की कार्यवाही के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों को दिनांक 30 मई, 2008 को निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कतिपय जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने की मांग

4-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निषाद, केवट, मल्लाह, धीमर, कहार, महार, कश्यप, बथम, मांझी, मझवार, मछुआ, भील, तुरैहा, गौड़, रायकवार, किरीट, गंगापुत्र जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कोई कार्यवाही प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्यवाही का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

अनुसूचित जातियों की सूची विषयक शासनादेश संख्या-1432/26-3-86-11 (वि0स0)/86, दिनांक 10 जुलाई, 1986 के क्रमांक-53 पर मझवार एवं क्रमांक-66 पर तुरैया जाति पूर्व से ही अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है।

मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से मा0 प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को प्रेषित पत्र दिनांक 4-3-2008 द्वारा (1) कहार, कश्यप (2) केवट, मल्लाह, निषाद (3) कुम्हार, प्रजापति (4) धीवर (5) बिन्द (6) भर, राजभर (7) धीमर (8) बाथम (9) तुरहा (10) गोंड (11) मांझी (12) मदुवा

जातियों/वर्गों के नागरिकों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में उ0 प्र0 लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत विवादित वादों को समय सीमा के अन्दर निस्तारित कराने की मांग

5-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर की सातों तहसीलों में उ0 प्र0 लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट 1901 की धारा 34 के विवादित वादों की संख्या जिनका निस्तारण समय सीमा के अन्दर नहीं किया है, प्रत्येक तहसील वार उनका विवरण क्या है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए वादों का निस्तारण समय सीमा के अन्दर कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बुलन्दशहर की सातों तहसील में उ0 प्र0 लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट 1901 की धारा-34 के विवादित अनिस्तारित वादों की संख्या तहसीलवार निम्नलिखित है :-

तहसील	विवादित वादों की संख्या
1-बुलन्दशहर	32
2-अनूपशहर	30
3-खुर्जा	40
4-सिकन्दराबाद	15
5-शिकारपुर	09
6-स्याना	29
7-डिबाई	76
कुल योग-	231

विवादित वादों का निस्तारण उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं गुण दोष के आधार पर किया जाता है। इनके निस्तारण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अतएव किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-4 के प्रकाशन के पश्चात् भूमि की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज के प्राविधान सम्बन्धी जानकारी

6-श्री कुबेर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत धारा-4 का प्रकाशन किये जाने के उपरान्त क्या जमीन की रजिस्ट्री कराई जा सकती है ? यदि हां, तो उसके दाखिल खारिज (नामान्तरण) की कार्यवाही का प्राविधान उक्त अधिनियम में है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (यथा संशोधित-1984) में धारा-4 की विज्ञप्ति का प्रकाशन किये जाने के उपरान्त भूमि की रजिस्ट्री न किये जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। रजिस्ट्री के आधार पर भूमि के दाखिल-खारिज (नामान्तरण) की कार्यवाही का प्राविधान उ0प्र0 भू-अर्जन अधिनियम में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि रजिस्ट्री के आधार पर भूमि के अंतरण एवं कब्जा हस्तान्तरण के मामलों में दाखिल-खारिज (नामान्तरण) की कार्यवाही उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1901 के अन्तर्गत की जाती है।

जनपद बुलन्दशहर की तहसील स्याना को फल पट्टी क्षेत्र घोषित किये जाने एवं वहां पैकेजिंग हाउस के निर्माण की जानकारी

7-श्री सुन्दर सिंह-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर की तहसील स्याना को शासन द्वारा फल पट्टी क्षेत्र घोषित किया गया है तथा गत वर्ष में शासन द्वारा स्याना तहसील में एक पैकेजिंग हाउस बनाने के लिये स्वीकृति मिली थी तथा पैकेजिंग हाउस बनाने के लिये शासन स्तर से एक करोड़ दस लाख रुपये की पहली किश्त आवंटित कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार पैकेजिंग हाउस का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह-

शासनादेश सं0-6854/12-4-211/81, दिनांक 02 जनवरी, 1988 द्वारा जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड स्याना तथा ऊँचागांव को फल पट्टी क्षेत्र घोषित किया गया है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के मदन मोहन इंजीनियरिंग कालेज में अवैधानिक नियुक्तियों की जांच की मांग

8-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदन मोहन इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के कार्यवाहक प्राचार्य द्वारा दि0 24 दिसम्बर, 2001 के असाधारण सरकारी गजट संख्या-2922/सत्रह-वि-1-2(क)35-2001 (अध्यादेश संख्या 26 सन् 2001) में उल्लिखित प्राविधिानों की अवहेलना करके नवम्बर, 2007 तथा उसके बाद अवैधानिक नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सदल प्रसाद)-

प्रकरण में जांच कार्यवाही प्रचलित है। जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

9-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये शासन ने मई, 2007 से अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या शासन "उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय आर्थिक विषमता उन्मूलन आयोग" के गठन पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 के अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्रों को निम्न सुविधायें उपलब्ध करायी गयी है :-

भूमि की खरीदारी पर स्टैम्प शुल्क से छूट तथा रियायती दरों पर सब-रजिस्ट्रार के यहां पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गयी हैं। पूर्वांचल क्षेत्र के 29 जनपदों में स्टैम्प शुल्क से लघु एवं लघुत्तर इकाइयों को पूर्ण छूट प्रदान की गयी है इसी प्रकार मध्यम एवं वृहत् औद्योगिक इकाइयों को इन क्षेत्रों में स्टैम्प शुल्क की 50 प्रतिशत छूट उपलब्ध कराई गई है।

अदा किये गये व्यापार कर के समतुल्य ब्याज रहित ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। पूर्वांचल क्षेत्र की इकाइयों में 10 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली इकाइयों को 10 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी की आंगनबाड़ी कार्यकत्री सर्वेश कुमारी के वाद के निर्णय के सम्बन्ध में जानकारी

10-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वेश कुमारी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री मई बुजुर्ग फतेहपुर सीकरी, जनपद-आगरा का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा निस्तारित वाद सं0 436/शि030/2006 का मा0 अध्यक्ष, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिनांक 7-3-08 को निस्तारित वाद के निर्णयों का अनुपालन करा दिया गया है ? यदि हां, तो किस प्रकार तथा कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

मा0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित कार्यकत्री के लम्बित सभी देयकों का भुगतान चेक संख्या-56683 दिनांक 9-8-08 के द्वारा कर दिया गया है, तथा उसका यथा स्थान पुनः सेवायोजित कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में बाल विकास परियोजना में हो रही अनियमितता की जांच

11-श्रीमती प्रेमलता कटियार-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोण्डा द्वारा बाल विकास परियोजना में हो रही अनियमितताओं के कारण अचानक दिनांक 22 दिसम्बर, 2007 को निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो उक्त निरीक्षण में कितने सी0डी0पी0ओ0 को अनियमितता के आरोप में दण्डित किया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

श्रीमती मधू सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं श्रीमती यशोराज लक्ष्मी सक्सेना, मुख्य सेविका को अनुपस्थित पाये जाने के कारण चेतावनी पत्र निर्गत कर दिया गया है।

प्रदेश में खेल स्टेडियम एवं खेल नीति की जानकारी

12-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 2007 से 31 जनवरी, 2008 तक प्रदेश में कुल कितने खेल स्टेडियम बनाये गये तथा इससे पूर्व कुल कितने स्टेडियम प्रदेश में किन-किन स्थानों पर हैं ? इन पर विगत तीन वर्षों में कितना धन व्यय हुआ है ? क्या सरकार खेल के लिये कोई दूरगामी प्रभावी नीति बनायेगी जिससे प्रदेश के खिलाड़ी प्रतिभावान बन सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अयोध्या प्रसाद पाल)-

जून, 2007 से 31 जनवरी, 2008 तक की अवधि में किसी भी स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इससे पूर्व प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 55 स्टेडियम निम्नलिखित स्थानों पर निर्मित हैं :-

आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, उरई, बांदा, हमीरपुर, लखनऊ, चौक स्टेडियम (लखनऊ), उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, बिजनौर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बलरामपुर, बहराइच, हरदोई, आजमगढ़, गोण्डा, फैजाबाद, मैनपुरी, कानपुर, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, मुरादाबाद, रामपुर, बलिया, बदायूं, ललितपुर, शाहजहांपुर, मथुरा, पीलीभीत, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, मऊ, महराजगंज, सैफई (इटावा), अम्बेडकरनगर, अमेठी (सुल्तानपुर), गाजियाबाद, महोबा, सीतापुर, कुशीनगर।

विगत 03 वर्षों में इन पर निम्नवत् धनराशि व्यय की गयी है :-

वर्ष	निर्माणाधीन क्रीड़ांगन धनराशि (लाख में)	पूर्व निर्मित क्रीड़ांगन धनराशि (लाख में)
2005-06	104.64	90.92
2006-07	1683.50	103.57
2007-08	2063.11	93.94
	रु0 3851.25	रु0 288.43

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेलकूद के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश में विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, विशेष प्रतिभाओं को चिन्हित कर राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने हेतु छात्रावास, स्पोर्ट्स कालेज संचालित करने, विभिन्न स्तरीय प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने तथा खेल संघों को वित्तीय सहायता देने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

13-श्री अनिल कुमार सिंह-

[1ले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महामाया नगर तहसील सादाबाद ग्राम मई में पशु चिकित्सालय की मांग

14-डा0 अनिल चौधरी-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 250/रालोद/विमदल/वि0स0/07, दिनांक 5-11-07 के संदर्भ में क्या ग्राम मई, तहसील

सादाबाद, जनपद महामाया नगर में पशु चिकित्सालय बनाने पर शासन कोई कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो उपरोक्त पशु चिकित्सालय कब तक कार्यरत हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवधपाल सिंह यादव)-

जी हां। पशु चिकित्सालय निर्माणाधीन है।

निर्माण कार्य पूर्ण होने तथा पद सृजित होने के पश्चात् कार्यरत हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामाया नगर के कलेक्ट्रेट मुख्यालय के समीप स्टेडियम निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि से अधिक क्षेत्रफल पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करवाने सम्बन्धी जानकारी

15-डा0 अनिल चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद महामाया नगर के कलेक्ट्रेट मुख्यालय के समीप स्टेडियम निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण एजेंसी द्वारा बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कर लिया गया है ? क्या उक्त प्रकरण में तहसील अधिकारियों द्वारा किसान रेशो देवी पत्नी रामगोपाल सिंह की जमीन पर आम के 14 व कटहल के 6 पेड़ कटवाकर निर्माण एजेंसी को कब्जा दिलाया गया है ? यदि हां, तो उक्त की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर, क्या किसान को उसकी भूमि वापस दिलाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद महामाया नगर के कलेक्ट्रेट मुख्यालय के समीप स्टेडियम निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण एजेन्सी द्वारा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व टीम द्वारा दिनांक 12-12-07 को पैमाइश कर अधिक भूमि पर बनी हुई बाउण्ड्रीवाल को हटवा दिया गया है तथा फाजिल भूमि को काश्तकार की मौजूदगी में भूमि पर निशान लगाकर पृथक कर दिया गया है। दिनांक 12-12-07 से अब तक बाउण्ड्रीवाल अधिग्रहीत भाग पर ही निर्मित है।

उक्त प्रकरण में तहसील अधिकारियों द्वारा किसान रेशो देवी पत्नी रामगोपाल की जमीन से कोई पेड़ नहीं कटवाया गया है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

16-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[दिनांक 18-8-08 के अता0 प्र0 सं0-153 द्वारा उत्तरित]

चकबन्दी अधिनियम, 1953 के प्राविधानों के प्रतिकूल आदेश निरस्त करने विषयक प्राप्त शिकायती पत्र पर कार्यवाही

17-श्री सुधीर कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अधिनियम, 1953 के प्राविधानों के प्रतिकूल किया गया उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ का आदेश सं0-69/01-02, दिनांक 6 अगस्त, 2002 निरस्त किये जाने विषयक श्री धर्मराज निषाद विधायक के पत्र पर प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री ने विधायक कोष्ठक के पत्र संख्या-176629/08, दिनांक 8 फरवरी, 2008 द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को क्या कोई निर्देश निर्गत किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि उप जिलाधिकारी का प्रश्नगत आदेश उ0 प्र0 चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 12(1), धारा-27(2), धारा 49 तथा उक्त अधिनियम में उद्देश्यों के बिन्दु में निहित प्राविधानों के प्रतिकूल है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधिनियम के प्राविधानों का अतिक्रमण कर किये गये प्रश्नगत आदेश को वापस लेकर विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रकरण में प्रार्थी श्री कमलेश साहू के प्रार्थना-पत्र पर एक बैठक आयोजित कर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में एक निगरानी मा0 राजस्व परिषद् में विचाराधीन होने के कारण प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्यवाही उचित नहीं है।

जी नहीं।

प्रकरण में कार्यवाही चकबन्दी अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत न होकर भू-राजस्व अधिनियम की धारा-33/39 के अन्तर्गत हुई है। इसलिए इस प्रकरण में चकबन्दी अधिनियम की धारायें लागू नहीं होती हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत जनपद आगरा में नाफेड के माध्यम से आलू क्रय का लक्ष्य

18-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष में आलू की ज्यादा पैदावार के मद्देनजर आगरा जनपद में बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत नाफेड आदि सरकारी एजेन्सियों द्वारा कितने आलू की खरीद का लक्ष्य रखा गया है ? क्या खरीद लक्ष्य के अनुरूप हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह-

राशन द्वारा वर्ष 2007-08 में आलू उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत जनपद आगरा में नाफेड के माध्यम से 8000 टन आलू क्रय का लक्ष्य रखा गया था।

जी नहीं।

जनपद आगरा में नाफेड द्वारा खन्दौली एवं शमसाबाद में एक-एक आलू क्रय केन्द्र खोला गया था। नाफेड द्वारा अवगत कराया गया है कि बाजार हस्तक्षेप योजनान्तर्गत समर्थन मूल्य रु0 250.00 प्रति कुन्तल से बाजार भाव अधिक होने के कारण आलू क्रय नहीं हुआ।

जनपद इलाहाबाद में कलावती पत्नी स्व0 शारदा प्रसाद को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लाभ की मांग

19-श्री उदयभान करवरिया-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कलावती पत्नी स्व0 शारदा प्रसाद को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लाभ दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3-638062, दिनांक 17-1-07 समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मई, 2007 के बाद स्थापित उद्योगों में हुए पूंजी निवेश के बारे में जानकारी

20-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मई, 2007 के बाद से अब तक उद्योगों में हुए पूंजी निवेश का विस्तृत विवरण क्या है ? इस पूंजी निवेश का उद्योगवार एवं जनपदवार विवरण क्या है ?

सुश्री मायावती-

उत्तर प्रदेश में मई, 2007 से अब तक स्थापित इकाइयों के सापेक्ष कुल पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन का विवरण निम्न प्रकार है:-

कुल स्थापित इकाइयों की संख्या	पूंजी निवेश धनराशि (रु0 लाख में)	रोजगार
32.323	2,84,861.55	1,85,558

प्रदेश के 71 जनपदों में स्थापित सूक्ष्म, मध्यम तथा वृहद् लघु उद्योग क्षेत्रों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 422-424 पर।)

जनपद आगरा ब्लाक फतेहपुर सीकरी में आंगनबाड़ी कार्यकत्री सर्वेश कुमारी को समस्त बकाया एवं मानदेय का भुगतान किये जाने की मांग

21-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वेश कुमारी, पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकत्री, केन्द्र मई बुजुर्ग, ब्लाक फतेहपुर सीकरी, जनपद आगरा के खिलाफ दर्ज एफ0आई0आर0 की जांच गलत पाये जाने के उपरान्त उनको पुनः सेवा में बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उनको निलम्बन की तिथि नवम्बर, 2004 से नवम्बर, 2005 तक एवं 18-4-2006 से 18-2-08 तक का समस्त बकाया एवं मानदेय का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

नवम्बर, 04 से नवम्बर, 05 तक के मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। दिनांक 18-4-06 से 18-2-08 तक कार्यकत्री द्वारा कार्य न करने के कारण भुगतान नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के तहसील आलापुर में तालाबों की जानकारी

22-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील आलापुर के जनपद अम्बेदकर नगर के ग्राम सभा हरदिहा जलाल के अन्तर्गत कितने तालाब हैं ? उन तालाबों के पट्टे किन-किन समुदाय के लोगों को दिये गये हैं ?

श्री फागू चौहान-

जनपद अम्बेदकर नगर की तहसील आलापुर के ग्राम सभा हरदिहा जलाल के अन्तर्गत कुल 16 तालाब/क्षेत्रफल 3.041 हे0 है।

उक्त तालाबों को किसी भी व्यक्ति या समुदाय के लोगों को पट्टे पर नहीं दिया गया है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों में विगत दो वर्ष में क्रेडिट कार्ड धारकों एवं ऋण कर्ताओं की जानकारी

23-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं 2007-0६ में किसानों को कितने क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं तथा कितने किसानों को ऋण उपलब्ध कराये गये हैं ? क्या सरकार पूरा विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सातों जनपदों में किसानों को वर्ष 2006-07 में 1,44,568 एवं वर्ष 2007-08 में 1,29,612 (कुल 2,74,180) किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।

वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में कुल 4,68,854 कृषकों को ऋण उपलब्ध कराये गये हैं जिसमें से 2,94,595 कृषक किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं।

विवरण काफी विस्तृत हैं जिसका अवलोकन मेरे कार्यालय में किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में पट्टों के आवंटन की जानकारी

24-डा0 अजय तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत की बड़ौत तथा खेकड़ा तहसील में वर्ष 2007-2008 में कितने-कितने व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर पट्टों का आवंटन किया गया है ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बागपत में वर्ष 2007-2008 में तहसील बड़ौत में 679 एवं तहसील खेकड़ा में 123 व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर ग्राम पंचायत की भूमि का आवंटन किया गया है।

प्रदेश में सीजनल संग्रह अमीन/सेवकों को समायोजित किये जाने की मांग

25-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 29 अगस्त, 2001 नियमित संग्रह अमीन/सेवकों के रिक्त पदों पर उ0प्र0 संग्रह अमीन नियमावली 1974 के पांचवे संशोधन दिनांक 30 अक्टूबर, 1992 के क्रियान्वयन को निलम्बित करते हुए प्रदेश में कार्यरत सामयिक संग्रह अमीनों को समायोजित किये जाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

उ0प्र0 संग्रह अमीनों की सेवा नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) तथा उ0प्र0 संग्रह अनुसेवक सेवा नियमावली, 2004 के अन्तर्गत सीजनल संग्रह अमीनों तथा सीजनल संग्रह अनुसेवकों से क्रमशः रिक्तयों के 35 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत पदों को भरे जाने का प्राविधान है। सीजनल संग्रह अमीनों तथा सीजनल संग्रह अनुसेवकों को संग्रह कार्य के लिए वर्ष में अल्प अवधि के लिए तैनात किया जाता है तथा संग्रह कार्य समाप्त होने पर उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। प्रदेश के समस्त सीजनल संग्रह अमीनों/अनुसेवकों को एक साथ समायोजित किये जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद बागपत के पिलाना ब्लाक में पट्टों के आवंटन की जानकारी

26-डा0 अजय तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के पिलाना ब्लाक में वर्ष 2007-2008 में किस-किस गांव में कुल कितने व्यक्तियों/परिवारों को पात्रता के आधार पर पट्टों का आवंटन किया गया है ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बागपत के पिलाना ब्लाक में वर्ष 2007-2008 में ग्राम डोला में 28, कहरका में 06, पुरा में 13, मवीखुर्द में 78, चक्रसेनपुर में 04, कासा पट्टी में 01, अमीपुर बालौनी में 58, एवं ग्राम चमरावल में 38 कुल 226 व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर ग्राम पंचायत की भूमि का आवंटन किया गया है।

जनपद बागपत में पिलाना ब्लाक में कतिपय जातियों के आधार पर पट्टों के आवंटन की जानकारी

27-डा0 अजय तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के पिलाना ब्लाक में वर्ष 2007-2008 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य जाति के कितने व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर पट्टों का आवंटन किया गया है ? पिलाना ब्लाक में कितने पात्र व्यक्ति/परिवार पट्टों के आवंटन से वंचित रह गये हैं ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बागपत में पिलाना ब्लाक में वर्ष 2007-2008 में अनुसूचित जाति के 159, अनुसूचित जनजाति के कोई नहीं, पिछड़ी जाति के 66 एवं सामान्य जाति के 01 व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर ग्राम पंचायत की भूमि का आवंटन किया गया है।

28-डा0 अजय तोमर-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मुजफ्फरनगर में कतिपय विकास खण्डों में पाला से नुकसान के मुआवजे की मांग

29-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन, थाना भजन, कैराना, शामली, बघरा में पाला पड़ने के कारण आलू सरसों, गन्ना व आम आदि की फसल 60 प्रतिशत तक नष्ट हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मुजफ्फरनगर में पाला पड़ने के कारण दर्शायी गई फसलों में 10 से 30 प्रतिशत की हानि हुई थी। भारत सरकार द्वारा जारी आपदा राहत निधि के व्यय की गाइड लाइन्स के अनुसार उक्त आपदा उन आपदाओं में सम्मिलित नहीं है, जिनके नुकसान पर कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य है और न ही नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक है। अतएव किसानों को उक्त हानि के फलस्वरूप राहत सहायता दिया जाना अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में विगत छः वर्षों में वृक्षारोपण हेतु पट्टों की जानकारी

30-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील-बांदा में वर्ष 2002 से फरवरी, 2008 तक कितने पट्टे वृक्षारोपण हेतु किये गये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि वृक्षारोपण हेतु पट्टे कराने के बाद वृक्ष न लगाकर कृषि की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पट्टों की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बांदा की तहसील बांदा में वर्ष 2002 से फरवरी, 2008 तक कुल 62 व्यक्तियों को रकबा 19.120 हे0 के पट्टे वृक्षारोपण हेतु किये गये हैं।

वृक्षारोपण हेतु पट्टे कराने के बाद पट्टे वाली भूमि पर वृक्षारोपण ही किया गया है। कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ग्राम दलीपपुर में गाटा संख्या-49 पर बैनामानुसार कब्जा की मांग

31-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी की तहसील सदर वि0ख0 कुरावली के ग्राम-दलीपपुर में गाटा संख्या-49 का श्री राजकुमार पुत्र स्व0 श्री नत्थू सिंह के नाम

से बैनामा है ? यदि हां, तो क्या बैनामेदार को उक्त जमीन का कब्जा मिल गया है ? यदि नहीं, तो कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

तहसील सदर जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड कुरावली के ग्राम दलीपपुर में गाटा संख्या-49 का श्री राजकुमार पुत्र स्व0 नत्थू सिंह के नाम बैनामा नहीं है। बल्कि राजकुमार पुत्र कंचन सिंह निवासी दलीपपुर भाग कुम्हरौआ तहसील मैनपुरी के नाम बैनामा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज के ग्राम माधव नगर में गाटा संख्या-287 पर बैनामानुसार कब्जा की मांग

32-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज की तहसील छिबरामऊ मौजा मिधौली ग्राम माधवनगर में गाटा संख्या 287 का श्री ईश्वर दयाल पुत्र स्व0 अहिबरन सिंह नि0 नगला भजा के नाम 1 बीघा 12 बिस्वा का बैनामा है ? यदि हां, तो क्या उक्त बैनामेदार को अपनी जमीन पर कब्जा मिल गया है ? यदि नहीं, तो उक्त कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

मौजा सिधौली के ग्राम माधवनगर में गाटा संख्या-287 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा पर जरिये बैनामा श्री ईश्वर दयाल पुत्र श्री अहिबरन सिंह निवासी-नगला, भजा का नाम अंकित है तथा उक्त बैनामेंदार को अपनी जमीन पर कब्जा दखल दे दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के तहसील बदलापुर में सम्मिलित ग्रामों की चकबन्दी कराये जाने की मांग

33-श्री मदन भैया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में तहसील सदर से हटाकर तहसील बदलापुर में सम्मिलित किये गये ग्रामों की 15 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक चकबन्दी नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों की चकबन्दी कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद जौनपुर की तहसील सदर से हटाकर तहसील बदलापुर में कुल 44 ग्राम सम्मिलित किये गये थे जिनकी प्रथम चक्र की चकबन्दी प्रक्रियायें विगत वर्षों में पूर्ण कराकर धारा-52 का प्रकाशन कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में गो-सेवा आयोग के गठन की मांग

34-श्री मदन भैया-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में गो-सेवा आयोग का गठन कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके सदस्यों का विवरण उपलब्ध करायेगी ? क्या सरकार वर्षों से गो-सेवा में सेवारत इस्कान मन्दिर इलाहाबाद से भी कोई सदस्य नामित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 के द्वारा उ0प्र0 गो-सेवा आयोग को स्थायी रूप से गठित संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। सचिव/प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग पदेन उ0प्र0 गो-सेवा आयोग के अध्यक्ष नामित हैं।

उ0प्र0 शासन के सचिव, वित्त विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, दुग्ध विकास विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 पदेन सदस्य के रूप में नामित होते हैं।

गैर सरकारी सदस्य के रूप में श्री विद्युतकान्त शुक्ला को उ0प्र0 गो-सेवा आयोग का सदस्य एवं उपाध्यक्ष, गो-सेवा आयोग 01 वर्ष हेतु नामित किया गया है। श्री राधा कृष्ण पाठक को उ0प्र0 गो-सेवा आयोग का गैर सरकारी सदस्य 01 वर्ष हेतु नामित किया गया है।

नामांकन नियमानुसार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भू-गर्भ जल स्तर के नियंत्रण हेतु पिपरमेन्ट की खेती रोकने की मांग

35-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पिपरमेन्ट की खेती की जा रही है जिसमें सबसे ज्यादा पानी लगता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में गिरते हुये भू-गर्भ जल स्तर को देखते हुए पिपरमेन्ट की खेती को रोकने के लिए कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

किसान अपने खेतों पर खेती करने के लिए स्वतंत्र है। अतः उसके ऊपर मेंथा (पिपरमेण्ट) की खेती करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

36-डा0 धर्मपाल सिंह-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-95 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में कृषि बीज भण्डारों के जर्जर भवनों के पुनः निर्माण की मांग

37-डा0 अजय तोमर-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि विभाग के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कृषि बीज भण्डारों के जर्जर भवनों के पुनः निर्माण की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में जेट्रोफा की खेती को प्रोत्साहित किये जाने की मांग

38-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जेट्रोफा की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये क्या सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या बायो एनर्जिक तेल शोधक संयंत्र लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद झांसी में किसानों को मिनीकिट एवं फुल पैकेज के वितरण की जानकारी

39-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में कितने किसानों को मिनी किट एवं फुल पैकेज वितरित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

झांसी जिले में वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में क्रमशः 10,158 एवं 17,514 मिनी किट वितरित किए गए। जहां तक पैकेज वितरित किए जाने का प्रश्न है, वर्ष 2006-07 में यह योजना प्रदेश में कार्यान्वित नहीं थी। केवल वर्ष 2007-08 में खरीफ फसल के लिए 4312 पैकेज प्रदर्शन किए गए। रबी 2007-08 के लिए भारत सरकार द्वारा फुल पैकेज प्रदर्शन योजना स्वीकृत नहीं की गयी थी।

फुल पैकेज स्कीम वर्ष 2006-07 एवं रबी 2007-08 में कार्यान्वित नहीं थी।

जनपद झांसी तथा ललितपुर में विगत दो वित्तीय वर्षों में कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषक गोष्ठी

40-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी एवं ललितपुर में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में कितनी कृषक गोष्ठी किन-किन ग्रामों में आयोजित की गयी तथा उनमें कितना रुपया खर्च हुआ ? क्या सरकार कृषक गोष्ठी में राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करने की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

कृषि विभाग द्वारा जनपद ललितपुर में वर्ष 2006-07 में कुल 113 गोष्ठियां आयोजित की गयीं तथा उन पर रु0 4,52,165/- व्यय हुआ तथा वर्ष 2007-08 में कुल 169 गोष्ठियां आयोजित की गयीं तथा उन पर रु0 20,88,882/- व्यय हुआ। कृषि विभाग द्वारा जनपद झांसी में वर्ष 2006-07 में कुल 95 गोष्ठियां आयोजित की गयीं तथा उन पर रु0 2,76,709/- व्यय हुआ तथा वर्ष 2007-08 में कुल 113 गोष्ठियां आयोजित की गयीं तथा उन पर रु0 17,73,120/- व्यय हुआ।

जिन ग्रामों में कृषक गोष्ठियां आयोजित की गयी उनका व्यय वार विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में अवलोकित किया जा सकता है।

प्रदेश में स्थापित कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, फैजाबाद एवं मेरठ के राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों का उपयोग राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तरीय गोष्ठियों में कृषकों की समस्याओं को सुलझाने एवं नई तकनीकी को किसानों तक पहुंचाने में नियमित रूप से किया जाता है।

प्रदेश में विकास खण्ड स्तर पर स्थित कृषि बीज भण्डारों पर बीज के साथ उर्वरक एवं कीटनाशकों की आपूर्ति की मांग

41-डा0 अजय तोमर-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के अन्तर्गत मिलावट एवं कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से विकास खण्ड स्तर पर स्थित कृषि बीज भण्डारों पर बीज

के साथ-साथ उर्वरकों व कीट-नाशकों की आपूर्ति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में कृषि रक्षा इकाई स्थापित है जहां से गुणवत्तायुक्त कृषि रक्षा रसायन कृषकों में वितरित किया जा रहा है। विकास खण्ड स्तर पर स्थित कृषि बीज भण्डारों पर उर्वरकों की आपूर्ति किये जाने सम्बन्धी सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कृषि बीज भण्डारों द्वारा उर्वरकों की आपूर्ति तब की जाती थी जब रासायनिक उर्वरक प्रायोगिक अवस्था में थे। अब कृषकों के मध्य इसकी स्वीकार्यता स्थापित है तथा सहकारिता एवं निजी क्षेत्र अच्छी तरह से इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।

प्रदेश में नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

42-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने नायब तहसीलदारों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

347

जी हां।

उ0प्र0 अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायाब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2003 के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा चयन के उपरान्त नियुक्तियां की जाएंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

43-डा0 राजेन्द्र सिंह-

[2सरे मंगलवार के अता0प्र0सं0-105 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मुजफ्फरनगर में पशु चिकित्सकों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

44-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्साकार के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

पशु चिकित्साधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर जनपद मुजफ्फरनगर में रिक्त पदों पर समानुपातिक रूप से रिक्त पदों पर शीर्ष नियुक्ति कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर में राजकीय आश्रम पद्धति महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराने की मांग

45-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर की तालबेहर तहसील में नवनिर्मित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में अभी तक शिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ? क्या सरकार शिक्षण कार्य प्रारम्भ करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

प्रश्नगत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में छात्रों का प्रवेश सम्बन्धी कार्य पूर्ण हो चुका है। माह सितम्बर, 2006 से शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में ग्राम केशव नगर में कतिपय लोगों की भैंसें नदी में डूब कर मर जाने सम्बन्धी कथित प्रकरण

46-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम केशव नगर पश्चिमी निवासी हुसैनी यादव की चार भैंसें वर्ष 2007 में बाढ़ के कारण बिसुही नदी में डूबकर मर गयी ? यदि हां, तो विभाग द्वारा दैवी आपदा में भैंसों का मुआवजा भैंस मालिक को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

दिनांक 05-08-2007 को ग्राम केशव नगर ग्रन्ट पश्चिमी परगना बुढ़ापायर तहसील-मनकापुर में श्री लालमन पुत्र श्री राम औतार की 01 भैंस, श्री जुग्गुर पुत्र श्री राम औतार की 01 भैंस व श्री राम सहाय पुत्र बुधई की 02 पड़िया विसुही नदी के सेवार व जलकुम्भी में फंस कर मर गयी थीं। उक्त भैंसें दैवी आपदा में नहीं मरी थीं क्योंकि कोई बाढ़ नहीं थी। हुरौनी के नाम से कोई रिपोर्ट नहीं हुई थी। हुसेनी का वास्तविक नाम लालमन बताया गया है।

उक्त घटना दैवी आपदा के अन्तर्गत न होने के कारण कोई सहायता नहीं दी गयी थी।

प्रकरण दैवी आपदा के अन्तर्गत न होने के कारण कोई सहायता अनुमन्य नहीं है।

प्रदेश में कार्यरत किसान मित्रों को नियमित किये जाने की मांग

47-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत किसान मित्रों को नियमित करने के लिये शासन की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वयं खेती करने वाले गांव के जागरूक शिक्षित (कृषि स्नातक/ इण्टरमीडिएट-कृषि/स्नातक अर्हताधारी) व्यक्ति को किसान मित्र के रूप में चयनित किया जाता है। इन चुने हुए कृषकों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर नई तकनीकी को स्वयं अपनाने के लिए प्रेरित करना किसान मित्रों को रखने का मुख्य उद्देश्य है ताकि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अन्य किसान इनसे सीख कर स्वयं इनके माध्यम से नई योजनाओं की नियमित जानकारी प्राप्त कर सकें। इस कार्य हेतु इन्हें प्रतिमाह मानदेय के रूप में रु0 1,000/- व नियत यात्रा भत्ता के रूप में रु0 200/- दिया जाता है।

जनपद-झांसी में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की उच्चस्तरीय जांच

48-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी में मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 2006-07 में निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की जांच टी0ए0सी0 अथवा समान स्तर की किसी एजेन्सी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि समय-समय पर विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क मार्गों की जांच करायी जाती रहती है।

जनपद-उन्नाव की तहसील सदर में ग्राम कर्नीपुर में गाटा सं0-600 पर कथित कब्जा को हटाये जाने का प्रकरण

49-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव की तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम कर्नीपुर में भूमि सं0-600 जो चकबन्दी में अनुसूचित बस्ती में जाने का रास्ता है, को उक्त ग्राम के दबंग लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त रास्ता खोलने हेतु ग्रामवासियों ने बन्दोबस्त अधिकारी, उन्नाव के यहां वाद दायर किया है ? यदि हां, तो उक्त अनुसूचित आबादी का रास्ता कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

जी नहीं।

वर्तमान समय में गाटा संख्या-600 मुख्य मार्ग पुरानी गाटा संख्या-675 मि0/0-1-13 में बना है, जो अभिलेखों में मुख्य मार्ग अंकित है तथा रास्ता खुला है।

जनपद-उन्नाव में सदर तहसील के अन्तर्गत मण्डी समिति स्थापित किये जाने की मांग

50-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव में सदर तहसील के अन्तर्गत मण्डी समिति स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

अधिसूचना संख्या-1631/12 बी-1200(170)/169 दिनांक 21-3-1972 द्वारा मण्डी समिति, उन्नाव घोषित है।

51-श्री सुन्दर लाल लोधी-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद एवं उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र को "मैंगो बेल्ट" घोषित करके कृषकों को सुविधायें दिये जाने की मांग

52-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपद लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र एवं उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र को "मैंगो बेल्ट" सरकार द्वारा घोषित किया गया है ? यदि हां, तो मैंगो बैल्ट के किसानों को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह-

जी हां।

शासनादेश सं0 कृषि (4) अनुभाग संख्या-3983/12-4-211/81, दिनांक 10 सितम्बर, 1984 द्वारा मलिहाबाद क्षेत्र एवं शासनादेश संख्या-861/58-1-94-198/91, दिनांक 16 फरवरी, 1994 द्वारा हसनगंज क्षेत्र को फल पट्टी क्षेत्र घोषित किया गया है।

फल पट्टी क्षेत्र के किसानों को प्रोत्साहन के लिए राज्य सहायता पर फल पट्टी विकास योजना संचालित की जा रही है, जिसमें आम के नवीन उद्यान रोपण, समन्वित कीट व्याधि प्रबन्धन, सूक्ष्म तत्वों का परीक्षण, फुट स्प्रेयर एवं पोस्ट हार्वेस्ट किट वितरण के कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। उक्त कार्यक्रम जनपद लखनऊ के आम फल पट्टी क्षेत्र मलिहाबाद एवं जनपद उन्नाव के हसनगंज फल पट्टी क्षेत्र में भी चलाये जा रहे हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

के0 एन0 आई0 टी0 सुल्तानपुर के कैम्पस वाइस नेटवर्किंग के टेण्डर में बरती गयी अनियमितताओं की जांच

53-श्री यशपाल सिंह चौहान-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के दूसरे गुरुवार को उत्तरित श्री सुखलाल मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-65 के उत्तर के संदर्भ में क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि क्या प्रचलित जांच की कार्यवाही अब तक पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी जांच आख्या को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी हां।

मा0 सदस्य अपनी सुविधानुसार मेरे कार्यालय कक्ष में जांच आख्या का अवलोकन कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बागपत की बड़ौत व खेकड़ा तहसील में पात्रता के आधार पर पट्टों का आवंटन

54-डा0 अजय तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत की बड़ौत व खेकड़ा तहसील में 2007-08 में अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त कितने पिछड़ी जाति के तथा कितने सामान्य जाति के पात्र व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर पट्टों का आवंटन किया गया है ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-बागपत की बड़ौत तहसील में वर्ष 2007-2008 में पात्रता के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त पिछड़ी जाति के 125 व्यक्तियों तथा सामान्य जाति के 25 व्यक्तियों को एवं तहसील खेकड़ा में अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त केवल पिछड़ी जाति के 08 पात्र व्यक्तियों को पट्टा किया गया है।

जनपद बागपत के ब्लाक पिलाना में पात्रता के आधार पर पट्टों का आवंटन

55-डा0 अजय तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत की बागपत तहसील के ब्लाक पिलाना में 2007-08 में अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त पिछड़ी जाति तथा सामान्य जाति के कितने पात्र व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर पट्टों का आवंटन किया गया है ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-बागपत की बागपत तहसील के ब्लाक पिलाना में वर्ष 2007-2008 में अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त पिछड़ी जाति के 66 तथा सामान्य जाति के 01 व्यक्ति को पात्रता के आधार पर ग्राम पंचायत की भूमि का आवंटन किया गया है।

जनपद बागपत के ब्लाक बागपत में पात्रता के आधार पर पट्टों का आवंटन

56-डा0 अजय तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत की बागपत तहसील के ब्लाक बागपत में वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त पिछड़ी जाति तथा सामान्य जाति के अन्तर्गत कितने पात्र व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर पट्टों का आवंटन किया गया है ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-बागपत की बागपत तहसील के ब्लाक बागपत में वर्ष 2007-2008 में अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त पिछड़ी जाति के 18 तथा सामान्य जाति के 01 व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर पट्टा किया गया है।

प्रदेश में रिक्त चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारियों की नियुक्ति की मांग

57-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के उन जनपदों में जहां चकबन्दी सहायक चकबन्दी अधिकारी के पद नहीं है अथवा रिक्त हैं चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारियों की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

चकबन्दी अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति सहायक चकबन्दी अधिकारी पद से की जाती है। सहायक चकबन्दी अधिकारी संवर्ग की वरिष्ठता सूची मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-6015/एस0एस0/2005 में पारित आदेश दिनांक 24-9-2005 द्वारा स्थगित है, जिसको पास कराने हेतु विभाग द्वारा प्रतिशपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् नियमानुसार रिक्त पद के भरने की कार्यवाही की जायेगी। सहायक चकबन्दी अधिकारी के 50 प्रतिशत पद चकबन्दीकर्ता/आयतकर्ता पद से पदोन्नति से तथा 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के माध्यम से भरे जाते हैं। सीधी भर्ती के पद रिक्त नहीं हैं। जहां तक पदोन्नति के रिक्त पदों को भरे जाने का प्रश्न है चकबन्दीकर्ता संवर्ग की वरिष्ठता सूची अभी अन्तिम नहीं हुई है। वरिष्ठता सूची अन्तिम होने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति से भरने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज तहसील तिर्वा की ग्राम पंचायत बिनौरा रामपुर की भूमि गाटा सं0 116/5.12 का पट्टा श्री गजोधर प्रसाद पुत्र श्री मथुरा प्रसाद को दिये जाने की मांग

58-श्री लालजी यादव-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-कन्नौज तहसील तिर्वा की ग्राम पंचायत-बिनौरा रामपुर की ग्राम समाज की भूमि गाटा सं0-116/5.12 में से 0.60 रकबे पर उक्त ग्राम पंचायत के निवासी श्री गजोधर प्रसाद पुत्र श्री मथुरा प्रसाद द्वारा फलदार व अन्य प्रजातियों के वृक्ष लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि का पट्टा उन्हें दिये जाने पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम बिनौरा रामपुर के भू-खण्ड संख्या-116/5.12 एकड़ में से 0.40 एकड़ के कुछ अंश पर छुटपुट फलदार व अन्य प्रजाति के वृक्ष उक्त ग्राम पंचायत के निवासी श्री गजोधर प्रसाद पुत्र श्री मथुरा प्रसाद द्वारा लगाये गये हैं। उक्त भू-खण्ड संख्या-116/5.12 एकड़ के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का आवंटन पूर्व में ही 21 व्यक्तियों के मध्य किया जा चुका है। अब इस भू-भाग में कोई क्षेत्रफल आवंटन हेतु अवशेष नहीं रह गया है इसके अलावा श्री गजोधर प्रसाद पुत्र श्री मथुरा प्रसाद के पास पहले से ही 3.125 एकड़ से अधिक भूमि है जिसके कारण ये उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 की धारा 198(1) में उल्लिखित पात्रता के क्रम में नहीं आते हैं। अतः श्री गजोधर प्रसाद पुत्र श्री मथुरा प्रसाद को ग्राम पंचायत की भूमि का पट्टा दिये जाने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के थाना गढ़िया रंगीन के ग्राम निजामपुर की भूमि पर अवैध कब्जा विषयक पत्र पर कार्यवाही

59-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भवरपाल सिंह, निवासी ग्राम निजामपुर नगरिया, थाना गढ़िया रंगीन, जनपद-शाहजहांपुर की जमीन से अवैध कब्जा हटाने तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-/178715/2008, दिनांक 02-04-2008 प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व एवं आपदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

ग्राम-निजामपुर नगरिया, परगना व तहसील-जलालाबाद, जनपद-शाहजहांपुर के गाटा संख्या-260/0.393 हे0 बचान सिंह पुत्र नर सिंह, निवासी ग्राम के नाम अभिलेखों में अंकित है, की पैमाइश की गई। उक्त गाटा में कोई अवैध निर्माण नहीं पाया गया। भवरपाल के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है। पुलिस के विरुद्ध की गई शिकायत भी निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में श्रीमती सूजंकला निवासी पूरे देवी दास हैदरगढ़ की जमीन को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराने की मांग

60-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सूजंकला निवासी पूरे देवी दास हैदरगढ़, बाराबंकी की जमीन को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-/178714/2008, दिनांक 02-04-2008 प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व एवं आपदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में महराजदीन बनाम अपर आयुक्त, प्रशासन, फैजाबाद मण्डल व श्रीराम, मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ में रिट पिटीशन संख्या-4612(एम0 एस0)/2006 विचाराधीन है जिसमें स्थल पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश है। ऐसी दशा में स्थल पर कब्जा परिवर्तन कराया जाना उचित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के यमुना पार क्षेत्र के कृषकों के खलिहानों में आग लगने से वर्ष 2008 में हुये नुकसान एवं मुआवजे की जानकारी

61-श्री उदयभान करवरिया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के यमुना पार क्षेत्र के कृषकों के खलिहानों में आग लगने से वर्ष 2008 में अब तक कुल कितना नुकसान हुआ है ? क्या नुकसान की भरपायी हेतु सरकार द्वारा किसानों को कोई मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद इलाहाबाद के यमुना पार क्षेत्र में स्थित 04 तहसीलों (करछना, बारा, मेजा एवं कोरांव) में कृषकों के खलिहानों में आग लगने से वर्ष 2008 में अब तक 56 दावे प्राप्त हुए हैं।

जी हां।

प्राप्त हुये दावे मण्डी परिषद् द्वारा खलिहान अग्निकाण्ड, दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत मानक के अनुसार निस्तारित कराये गये हैं। जिनके सापेक्ष रु0 2,63,100.00 की धनराशि कृषकों को वितरित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की नगर पंचायत शंकरगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना कराये जाने की मांग

62-श्री उदयभान करवरिया-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के प्रथम गुरुवार को अतारांकित प्रश्न संख्या-31 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नगर पंचायत शंकरगढ़ के वार्डों में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त।

जनपद लखनऊ के ग्राम काकराबाद में आकार-पत्र 45 की खाता-खतौनी अभिलेखों में फर्जी ढंग से अंकित विवरण

63-श्री सुधीर कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ग्राम काकराबाद में आकार पत्र 45 की खाता खतौनी क्रम सं0 क्रमशः 17, 33, 120, 122, 125, 126, 231, 275, 334 में अंकित भूमि सन् 1332 फसली खतौनी में ग्राम सभा की बंजर भूमि में दर्ज थी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्तमान खाता धारकों के नाम उक्त अभिलेखों में फर्जी ढंग से अंकित किया गया है ? क्या सरकार भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 33/39 के अन्तर्गत उक्त भूमि को पुनः ग्राम समाज में दर्ज कराकर विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम काकराबाद की आकार पत्र-45 खाता-खतौनी क्रम सं0-17, 33, 120, 122, 125, 126, 231, 275, 334 में वर्तमान अंकित गाटा संख्या में से कोई गाटा संख्या-1332 फसली के अभिलेख में बंजर अंकित नहीं है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर तहसील सादाबाद में तहसील परिसर की जीर्ण-शीर्ण इमारत को गिराने की मांग

64-डा0 अनिल चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सादाबाद जनपद-महामायानगर के तहसील परिसर की जीर्ण-शीर्ण पुरानी इमारत से निकटवर्ती जूनियर हाई स्कूल व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों व विद्यार्थियों की जान को खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त आधी ढह चुकी इमारत को तत्काल गिरायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जिलाधिकारी, महामायानगर से निष्प्रयोज्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा रहा है। औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त प्रश्नगत इमारत को ध्वस्त कर पुनर्निर्माण करने की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के तरबगंज तहसील में भीषण बाढ़ के कारण कृषकों को मुआवजे की मांग

65-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के तरबगंज तहसील में वर्ष 2007 में आयी भीषण बाढ़ के कारण कृषकों का भारी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो प्रभावित किसानों एवं अन्य लोगों को दैवी आपदा के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

तहसील तरबगंज में वर्ष 2007-08 में कुल 65127 किसानों एवं अन्य लोगों को दैवी आपदा के अन्तर्गत रु0 334.132 लाख सहायता के रूप में दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माह अप्रैल 2008 में लू लगने से हुई मृत्यु का विवरण

66-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में कितने व्यक्तियों को माह अप्रैल, 2008 में लू लगने से मृत्यु हुई है ? क्या उनके आश्रितों को कोई सरकारी सहायता उपलब्ध करायी गयी है ? यदि हां, तो उनके विवरण क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

उत्तर प्रदेश में माह अप्रैल, 2008 लू लगने से किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना नहीं है।

किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना न होने के कारण सरकारी सहायता का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर में अग्निकाण्ड में हुये नुकसान एवं मुआवजे का विवरण

67-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा एवं बलरामपुर में माह अप्रैल, 2007-08 में कितने घर आग से जले, उससे कितने व्यक्तियों/पशुओं की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार द्वारा पीड़ितों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री फागू चौहान-

जनपद गोण्डा में माह अप्रैल, 2007-08 में अग्निकाण्ड में 889 घर जलने, 06 मानव मृत्यु (तहसील गोण्डा में 01, तहसील मनकापुर में 02 एवं तरबगंज में 03) एवं 11 पशु मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत माह अप्रैल वर्ष 2007-08 में अग्निकाण्ड से तहसील बलरामपुर में कुल 124 घर/परिवार, तहसील उतरौला में 35 घर/परिवार एवं तहसील तुलसीपुर में 56 घर/परिवार प्रभावित हुए थे। तहसील बलरामपुर में 03 बकरी, तहसील उतरौला में 02 छोटे पशु तथा तहसील तुलसीपुर में 07 छोटे पशुओं की मृत्यु हुई।

जी हां।

जनपद गोण्डा में प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को तत्समय प्रभावी सी0आर0एफ0 गाइड लाइंस के अनुसार प्रति मृतक रु0 50,000/-की दर से राहत सहायता प्रदान करते हुए मृतक व्यक्तियों के आश्रितों एवं पशुओं की मृत्यु पर अहेतुक सहायता रु0 5.27 लाख, गृह अनुदान रु0 3.784 लाख एवं अनुग्रह सहायता रु0 0.10 लाख कुल रु0 9.154 लाख की राहत सहायता वितरित की गई है। जनपद बलरामपुर में तहसील बलरामपुर में रु0 1.16 लाख गृह अनुदान एवं रु0 2250 अनुग्रह सहायता, तहसील उतरौला में रु0 29,200 गृह अनुदान तथा रु0 3,000/- अहेतुक एवं रु0 2,000/- अनुग्रह सहायता एवं तहसील तुलसीपुर रु0 44,800/- गृह अनुदान एवं रु0 6330/- अनुग्रह सहायता वितरित की गयी।

जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद में लेपन स्तर तक विभिन्न मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव

68-डा0 अनिल चौधरी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, मण्डी परिषद्, लखनऊ को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्रांक 981/रालोद/विमदल/वि0स0/08, दिनांक 28-4-08 में संदर्भित तहसील सादाबाद, जनपद-महामायानगर में लेपन स्तर तक विभिन्न मार्गों का निर्माण के परिप्रेक्ष्य में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 28-4-2008 के क्रम में परिषद पत्र संख्या-मु0अभि0 (प्रस्ताव)/2008-245, दिनांक 5-5-2008 एवं पत्र संख्या-1701, दिनांक 12-8-2008 द्वारा जिलाधिकारी महामाया नगर से आवश्यकता एवं औचित्य सहित मण्डी समिति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु विचारार्थ प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लू एवं आगजनी से मरने वालों की संख्या एवं आश्रितों को दी गयी सहायता

69-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लू एवं आगजनी से वर्तमान वर्ष में मरने वालों की संख्या क्या है ? क्या उनके आश्रितों को सरकार द्वारा सहायता दिये जाने हेतु कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

श्री फागू चौहान-

प्रदेश में लू एवं आगजनी से जनपदवार प्राप्त की गयी सूचना के अनुसार जनपद कौशाम्बी में आगजनी से 01, बांदा में 03, अम्बेडकरनगर में 01, सीतापुर में 05, सोनभद्र में 03, उन्नाव में 12, अलीगढ़ में 01, फिरोजाबाद में 01, गाजीपुर में 11, आगरा में 04, महाराजगंज में 07, कुशीनगर में 06, बाराबंकी में 09, बहराइच में 06, कन्नौज में 17, रामपुर में 01, जौनपुर में 01, बलिया में 02, सुल्तानपुर में 10, मैनपुरी में 01, बस्ती में 13, मऊ में 02, चित्रकूट में 02, फर्रुखाबाद में 04, देवरिया में 02, बदायूं में 09, औरैया में 08, मथुरा में 01, इलाहाबाद में 06, भदोही में 01, काशीराम नगर में 03, खीरी में 10, श्रावस्ती में 02, इटावा में 11, रायबरेली में 02, शाहजहांपुर में 03, हरदोई में 01, हमीरपुर में 03, फैजाबाद में 08, प्रतापगढ़ में 05, एटा में 06, पीलीभीत में 05, व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुयी है।

जी हां।

शासनादेश संख्या जी0आई0-134/1-11-2007-46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 द्वारा दैवी आपदा से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को प्रति मृतक रु0 1,00,000 दिये जाने का प्राविधान है।

जनपद बागपत में अवशेष ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराने की समय सीमा

70-डा0 अजय तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के किस-किस ब्लाक में चकबन्दी का कार्य कब से चल रहा है ? क्या चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण होने की सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित की थी ? यदि हां, तो क्या निर्धारित समय सीमा में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण करा ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-बागपत के ब्लाक-पिलाना (01 ग्राम) में वर्ष 1987, ब्लाक-बागपत (01 ग्राम) में वर्ष 2008 तथा ब्लाक-बिनौली (07 ग्राम) में वर्ष 1981 से कुल 09 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है।

ग्राम निरपुंडा में मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण चकबन्दी प्रक्रिया अवरुद्ध हैं अवशेष 08 ग्रामों में से 07 ग्रामों में वर्ष 2010 तक तथा 01 ग्राम में वर्ष 2011 तक चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण किये जाने की कार्य योजना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी व स्ववित्त पोषित (निजी) इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या एवं गरीब छात्रों को फीस माफी की व्यवस्था

71-डा0 अजय तोमर-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने सरकारी व कितने स्ववित्त पोषित (निजी) इंजीनियरिंग कालेज हैं ? क्या स्ववित्त पोषित संस्थानों में भी अलग-अलग फीस निर्धारित है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार स्ववित्त पोषित इंजीनियरिंग कालेजों के गरीब छात्रों की फीस माफ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

प्रदेश में 06 सरकारी/सरकार द्वारा वित्त पोषित इंजीनियरिंग कालेज तथा 200 स्ववित्त पोषित (निजी) इंजीनियरिंग कालेज हैं।

जी हां।

यह व्यवस्था मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत गठित शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निजी क्षेत्र की संस्थाओं की फीस का निर्धारण किया जाता है। संस्थाये शुल्क निर्धारण समिति को अपने आय-व्ययक के विवरण के साथ शुल्क ढांचा का प्रस्ताव समिति को प्रस्तुत करती है जिसके आधार पर संस्थावार फीस का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान में प्रवेश और फीस नियमन समिति के कार्य पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगनादेश होने के कारण शासन द्वारा सत्र 2008-09 में जिन संस्थाओं की फीस निर्धारित है उनमें निर्धारित फीस तथा जिन संस्थाओं की फीस का निर्धारण अभी शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नहीं हुआ है उनमें एम0बी0ए0 में रु0 60,000/- तथा अन्य पाठ्यक्रमों में रु0 46,000/- औपबन्धिक फीस निर्धारित की गई है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब छात्रों जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय रु0 एक लाख तक है, की पूर्ण नान रिफण्डेबुल प्रवेश शुल्क तथा पिछड़े वर्ग एवं आरक्षित वर्गों के अतिरिक्त अन्य वर्ग (सामान्य) के ऐसे छात्रों जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय रु0 एक लाख तक वार्षिक है, को राजकीय अभियंत्रण संस्थानों के शुल्क के बराबर (रु0 25000/-) सीमा तक प्रतिपूर्ति की व्यवस्था शासन के समाज कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा की गई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बागपत में मण्डी विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत

72-डा0 अजय तोमर-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में मण्डी विभाग से सम्बन्धित सड़क की पिछले पांच वर्षों से मरम्मत नहीं हुई है ? क्या सरकार इन जर्जर सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं। आलोच्य अवधि में जनपद-बागपत में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों में से 11 नग सड़कों की मरम्मत मण्डी परिषद् द्वारा एवं 05 नग सड़कों की मरम्मत अन्य विभागों द्वारा करायी गयी है।

मरम्मत योग्य अवशेष 4 नग क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत हेतु जिलाधिकारी से अनुमोदित मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए सड़कों की मरम्मत कराने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों व कर्मचारियों की तैनाती की मांग

73-डा0 अजय तोमर-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में पशु चिकित्सालयों में रिक्त पशु चिकित्साधिकारी व अन्य कर्मचारियों की तैनाती की कोई कार्य योजना सरकार की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में कृषि योग्य भूमि के आवंटित पट्टे

74-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में जुलाई, 2005 में जनवरी, 2008 तक तिथिवार कृषि योग्य भूमि के पट्टे स्वतः (सुमोटो) अधिकारों का प्रयोग करते हुए उप जिलाधिकारी, पट्टी द्वारा किन-किन ग्राम सभाओं में स्वीकृत किया गया है ? उसका विवरण क्या है ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में जुलाई, 2005 से जनवरी, 2008 तक की अवधि में उपजिलाधिकारी, पट्टी द्वारा स्वतः (सुमोटो) अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी भी ग्राम पंचायत में कृषि आवंटन स्वीकृत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में तालाबों आदि पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अवैध कब्जे हटवाये जाने की मांग

75-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में तालाबों को पूर्ववत् बहाल किये जाने हेतु उपलब्ध तालाब/पोखरों/झीलों/रिजर्ववायर के रूप में कुल 1757.163 हेक्टेयर भूमि के सापेक्ष कुल गाटों का वर्तमान में क्षेत्रफल क्या है ? सरकार द्वारा माह जुलाई, 2007 से अब तक अलग-अलग गाटों से कितने अवैध कब्जे हटवाये गये ? क्या मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जुलाई, 2005 से 3 अगस्त, 2007 तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो ग्रामवार विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में तालाबों को पूर्ववत् बहाल किये जाने हेतु कुल तालाब 4062 रकबा 1767.163 हेक्टेयर था जिसमें से कुल 215 तालाब 57.051 हेक्टेयर पर अतिक्रमण पाया गया था। वर्तमान क्षेत्रफल 1757.163 हेक्टेयर ही है।

सरकार द्वारा जुलाई, 2007 से अब तक अलग-अलग दो गाटों से अवैध कब्जे हटवाये गये हैं।

जी हां।

56 ग्रामों के 129 तालाबों पर से अवैध कब्जे हटाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उपजिलाधिकारी श्री जय शंकर त्रिपाठी एवं अन्य द्वारा भूमि पट्टे में अनियमितता विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

76-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में कार्यरत रहे उप जिलाधिकारी श्री जय शंकर त्रिपाठी एवं अन्य द्वारा भूमि के पट्टे सहित कई अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 3-9-2007 प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रकरण में जांच करायी गई। जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ में प्रश्नगत जांच आख्या अपने पत्र दिनांकित 14-11-2007 द्वारा शासन के नियुक्ति अनुभाग-3 को भेजी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी ग्राम सभा अतरसण्ड एवं रमईपुर नेवादा में मत्स्य पालन हेतु स्वीकृत पट्टा

77-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में ग्राम सभा अतरसण्ड एवं रमईपुर नेवादा में जुलाई, 2005 से 31-1-08 तक किन-किन व्यक्तियों को तालाब की भूमि का मत्स्य पालन हेतु आवंटन का पट्टा स्वीकृत किया गया है ? क्या सरकार प्रत्येक की पात्रता का सत्यापन भी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में जुलाई, 2005 से 31-01-08 तक ग्राम सभा अतरसण्ड में 11 व्यक्तियों को यथा सर्वश्री देवीदीन पुत्र तुलई, शेर बहादुर पुत्र रामआसरे, राम अवध पुत्र बोडई, कमलनाथ पुत्र केदारनाथ, भोला पुत्र सूचित, बुधना पत्नी बुद्धू, मातादीन पुत्र बुद्धू, राम अवध पुत्र रामसुन्दर, जगदीश प्रसाद पुत्र चन्द्रपाल, आलोकमणि पुत्र लालमणि तथा ग्राम

सभा रमईपुर नेवादा में 01 व्यक्ति श्री ओम प्रकाश पुत्र रामदीन को मत्स्य पालन हेतु पट्टा स्वीकृत किया गया है।

पात्रता सत्यापन के पश्चात् पट्टा किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम लाखीपुर में तालाब भूमि पर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध कब्जा करने की दर्ज रिपोर्ट

78-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2007 के पहले गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-124 के क्रम में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लाखीपुर ब्लाक मंगरौला के गाटा संख्या-21/0.357 हेक्टेयर जो तालाब के खाते में दर्ज है, में से 16 बिस्वां 5 धुर पर ग्राम प्रधान श्री रमेश द्वारा कब्जा किये जाने के आरोप में उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा कब्जे के कुल अवधि के सापेक्ष अर्थ दण्ड सहित ग्राम प्रधान के दायित्व के निर्वहन हेतु गठित त्रिस्तरीय समिति सहित सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम लाखीपुर का गाटा संख्या-21 रकबा 0.357 हेक्टेयर तालाब के खाते में अंकित है। इसमें से (16-5 धुर) 0.011 हेक्टेयर में ग्राम प्रधान श्री रमेश द्वारा अनधिकृत कब्जा करके गोशाला बना ली गयी थी। इस प्रकरण में तहसीलदार पट्टी द्वारा धारा 122-बी, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 30-6-07 को बेदखली का आदेश पारित किया गया एवं अतिक्रमणकर्ता पर 3007.00 रु0 का अर्थदण्ड आयद किया गया। दिनांक 03-11-07 को मौके पर पुलिस बल के साथ कब्जा हटा दिया गया। ग्राम प्रधान द्वारा यह कब्जा अपनी आबादी के अन्तर्गत अपनी भूमि समझकर किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

गोंड जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग

79-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण के आदेश संख्या-330 सी0एम0/26-3-06-3/28/78, दिनांक 3-1-07 अनुभाग-3 के अनुपालन में जनपद प्रतापगढ़ ग्राम रेडीगारापुर, सारडीह सहित ब्लाक आसपुर देवसरा, पट्टी मंगरौरा, बाबा बेल्खरनाथ धाम के निवासियों को गोंड जाति का प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद के कतिपय ग्रामों में पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग

80-डा0 अनिल चौधरी-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद के ग्राम गढ़ उमराव, अरौठा, धानौटी, कजरौठी, कुरसण्डा में पशु चिकित्सालय अथवा पशु चिकित्सा उपकेन्द्र बनाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

ग्राम सभा धनौटी, कजौठी एवं कुरसण्डा में पशु सेवा केन्द्र खोलने हेतु अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्राम सभा गढ़ उमराव एवं आरौठा में विभागीय मानकों के अनुसार कोई पशु चिकित्सालय अथवा पशु सेवा केन्द्र स्थापित नहीं किये जा सकते हैं।

ग्राम सभा गढ़ उमराव एवं ग्राम सभा आरौठा के निकट 2.5 कि0मी0 की दूरी पर पशु चिकित्सालय मई, 3.0 कि0मी0 की दूरी पर पशु सेवा केन्द्र नौगवां एवं 'द' श्रेणी पशु औषधालय विसावर पहले से ही स्थित हैं।

प्रदेश में पाले (कुहासा) से आम के वृक्ष झुलस कर खत्म होने पर कृषकों को मुआवजा दिलाये जाने की मांग

81-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08 मे प्रदेश के किन-किन जनपदों में पाले (कुहासा) से किसानों के आम के वृक्ष झुलस कर खत्म हो गये हैं ? क्या सरकार प्रभावित किसानों को हुई क्षति का मुआवजा दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रदेश के किसी जनपद से वर्ष 2007-08 में पाले (कुहासा) से किसानों के आम के वृक्ष झुलस कर खत्म होने की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है।

जी नहीं। किसी किसान की 50 प्रतिशत से अधिक क्षति की सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में पशु चिकित्सालयों की संख्या एवं रिक्त पशु चिकित्साधिकारियों के पदों पर नियुक्ति की मांग

82-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं तथा कितने चिकित्सालयों पर पशु चिकित्साधिकारी तैनात हैं ? क्या सरकार रिक्त पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

वर्तमान में विभागान्तर्गत 2008 पशु चिकित्सालय निर्मित है। तथा उक्त के सापेक्ष 1294 पशु चिकित्साधिकारी तैनात है।

जी हां।

पशु चिकित्साधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर रिक्त पदों पर शीर्ष नियुक्ति कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर कर्ण में कार्यरत कृषि रक्षा प्रभारी श्री डी0 पी0 सिंह के स्थानान्तरण की मांग

83-श्री सुन्दर लाल लोधी-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2008 के दूसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0-31 के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर कर्ण में कार्यरत कृषि रक्षा प्रभारी श्री डी0 पी0 सिंह कितनी अवधि से कृषि रक्षा इकाई अचलगंज पर कार्यरत हैं ? क्या इनकी सेवायें मात्र जनपद उन्नाव के लिये हैं ? क्या शासन की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत इनका स्थानान्तरण करने पर विचार किया जायेगा ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सिकन्दरपुर कर्ण स्थित कृषि रक्षा इकाई, अचलगंज के प्रभारी के पद पर श्री डी0पी0सिंह कार्यरत नहीं है। बल्कि कृषि रक्षा इकाई, अचलगंज के प्रभारी के पद पर श्री प्रेम पाल सिंह, विगत दो वर्षों से कार्यरत हैं। श्री डी0पी0 सिंह, विकास खण्ड सिकन्दरपुर कर्ण में स्थित कृषि बीज भण्डार, अचलगंज के प्रभारी के पद पर वर्ष 1987 से कार्यरत हैं।

जी नहीं।

श्री डी0पी0 सिंह के स्थानान्तरण पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया। शासन के कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-1/3/96-का0-4-08, दिनांक 15-5-08 द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-11 के अनुसार मान्यता प्राप्त सेवा संघों के जनपदीय अध्यक्ष एवं जनपदीय सचिव के स्थानान्तरण नहीं किये जाने की व्यवस्था की गई है। श्री डी0पी0 सिंह, अर्धानस्थ कृषि सेवा संघ के जनपद उन्नाव शाखा के जनपद अध्यक्ष हैं। तद्क्रम में शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुपालन में इनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

84-श्री सुन्दर लाल लोधी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज के ग्राम मलोव में सड़कों के डामरीकरण सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

85-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक नबाबगंज के ग्राम मलांव में डामरीकृत दो सड़कें बनाने हेतु मण्डी समिति ने वर्ष 2007-08 में निर्णय लिया है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता ने दिनांक 4-3-08 को उक्त निर्णय में आंशिक संशोधन हेतु प्रार्थना-पत्र आपको दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी हां।

पत्र दिनांक 4-3-08 जिलाधिकारी को विचारार्थ/प्रस्ताव हेतु भेज दिया गया है। चूंकि सम्पर्क मार्ग, लखनऊ कानपुर मार्ग से मास्टर होटल होते हुए ग्राम मलांव के मन्दिर तक का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा कार्य प्रगति पर है। अतएव मार्ग संशोधित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में पिछड़ी जाति के बच्चों की शादी में दी गयी धनराशि को समयान्तर्गत न दिये जाने की जांच

86-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में वर्ष 2007-08 हेतु पिछड़ी जाति की कन्याओं की शादी के लिये किन-किन लोगों को कब-कब कितनी-कितनी धनराशि दी गयी ? क्या यह धनराशि सभी को समयान्तर्गत ही दी गयी है, यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण की उच्च स्तरीय जांच कराकर सरकार रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री अवधेश कुमार वर्मा)-

जनपद सीतापुर में वर्ष 2007-08 हेतु पिछड़ी जाति की कन्याओं की शादी हेतु कुल 28 पात्र लाभार्थियों (सर्वश्री काकोरीलाल, नेतराम, रामदयाल, सोबरन, श्रीकृष्ण, हीरालाल, लालजी, रोहन, वीरेन्द्र कुमार सभी तहसील सीतापुर, सर्वश्री अखिलेश कुमार, राधेलाल, श्रीमती प्रेमा देवी, सभी तहसील महमूदाबाद, सर्वश्री रमेश चन्द्र राठौर, बलभद्र प्रसाद, सुन्दर, गुलजारी लाल, रामदयाल, संकटा प्रसाद मौर्य, राजेन्द्र प्रसाद, रामेश्वर दयाल, राम भजन, बाबूराम सभी तहसील मिश्रिख, सर्वश्री निरंजन लाल, राम सागर, सन्त लाल, नरेश (दिनांक 5-4-2008), श्रीमती मुन्नी देवी, सभी तहसील सिधौली, श्री रामादल, तहसील लहरपुर में रुपये 2.80 लाख की धनराशि वितरित की गयी है। प्रत्येक व्यक्ति को रु0 10,000/- मात्र की धनराशि दिनांक 31-3-2008 को समयान्तर्गत दी गयी है। वर्तमान में वर्ष 2007-08 का कोई भी आवेदन-पत्र, अनुदान हेतु अवशेष नहीं है। अतः विलम्ब का प्रश्न नहीं है तथा उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता नहीं है।

जनपद सीतापुर में अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी हेतु धनराशि के वितरण में विलम्ब किये जाने की जांच

87-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी हेतु कितनी-कितनी धनराशि कब-कब और किन किन लोगों को वितरित की गयी ? क्या धनराशि के वितरण करने में विलम्ब हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन लोग दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद सीतापुर में अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी/बीमारी योजना मद में वर्ष 2007-08 में रु0 207.96 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी जिससे दिनांक 15-01-2008 को 789 लाभार्थियों को रु0 78.90 लाख, दिनांक 04-02-2008 को 10 लाभार्थियों को रु0 1.00 लाख, दिनांक 19-03-2008 को 328 लाभार्थियों को रु0 32.80 लाख, दिनांक 29-03-2008 को 512 लाभार्थियों को रु0 51.20 लाख, दिनांक 31-03-2008 को 239 लाभार्थियों को रु0 23.90 लाख तथा दिनांक 31-3-2008 को 200 लाभार्थियों को रु0 20.00 लाख कुल 2078 लाभर्थियों को रु0 207.80 लाख वितरण किया गया है।

जी हां।

जांच करवायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

88-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद उन्नाव के सफीपुर तहसील में मिनी स्टेडियम बनवाये जाने की मांग

89-श्री सुधीर कुमार-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उन्नाव जनपद के सफीपुर तहसील में खेलकूद एवं अन्य क्रीड़ा हेतु एक मिनी स्टेडियम बनवायेगी ? यदि हां, तो उक्त स्टेडियम कब तक बनाकर तैयार कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में नये स्टेडियम के निर्माण हेतु विभाग के बजट में आवश्यक धनराशि का प्राविधान न होने के कारण नये मिनी स्टेडयम का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर कर्ण के ग्राम अचलगंज में पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

90-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर कर्ण के ग्राम अचलगंज में पशु चिकित्सालय का अपना कोई भवन न होने के कारण एक धर्मशाला में अस्पताल चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त अस्पताल के भवन के लिये उपलब्ध जमीन पर भवन निर्माण हेतु धन के आवंटन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता ने दि0 11-1-08 को आपको भेजा था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील बागपत में पात्रता के अनुरूप पट्टों का आवंटन तथा कब्जा दिलाये जाने की मांग

91-डा0 अजय तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत की बागपत तहसील में कितने पात्र व्यक्तियों/परिवारों को वर्ष 2007-08 में पात्रता के आधार पर पट्टों का आवंटन किया गया है ? क्या इन सभी को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बागपत की तहसील बागपत में वर्ष 2007-08 में 384 व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर ग्राम पंचायत की भूमि का आवंटन किया गया है। 384 आवंटियों में से 325 आवंटियों को कब्जा दिलाया गया है तथा शेष 59 आवंटियों को मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के कारण कब्जा नहीं दिलाया गया है।

जनपद महराजगंज में बाढ़ से हुयी क्षति में आपदा राहत कोष से दी गयी धनराशि का विवरण।

92-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के लिये वर्ष 2007-08 में आपदा राहत कोष से बाढ़ से हुई क्षति के लिये कितना धन किन-किन मदों में सरकार ने दिया है ? उक्त धनराशि किन-किन कार्यों में खर्च की गई है ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद महराजगंज में वर्ष 2007-08 में आपदा राहत कोष से कुल 3182.61 लाख का आवंटन किया गया।

1-मु0 65.00 लाख दैवी आपदा कार्यों हेतु अनुदान।

2-7 लाख अतिरिक्त अनुग्रह अनुदान।

3-7 लाख कम्बल क्रय हेतु।

4-500.00 लाख कृषि निवेश अनुदान।

5-500.00 लाख परिसम्पत्तियों की तात्कालिक आवश्यकता हेतु अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्यों हेतु।

6-2103.51 लाख परिसम्पत्तियों की अनुरक्षण/मरम्मत/पुनर्स्थापना कार्यों हेतु।

अहेतुक सहायता में चावल, गेहूं, गुड़, आटा, चना, किरोसीन तेल, लाई, दियासलाई, पालीथीन आदि 68032 पात्र लाभार्थियों में वितरित किया गया जिस पर 8316881 रु0 व्यय किये गये। कृषि निवेश में कुल लाभार्थियों की संख्या 30432 में रु0 16508791 व्यय किया गया। गृह अनुदान में 16822 पात्र व्यक्तियों में रु0 29199128 व्यय किया गया। अनुग्रह अनुदान मानव एवं पशु मृत्यु पर वारिसों को रु0 6808000 व्यय किया गया। शीत लहरी/कम्बल में रु0 899100 व्यय किया गया। नाव भाड़ा पर रु0 921063 व्यय किया गया। 10 लाख से कम की परियोजनाओं पर 12 विभागों द्वारा प्रस्तुत 94 परिसम्पत्तियों पर रु0 462.46 लाख आवंटित किया गया तथा 10 लाख से ऊपर परिसम्पत्तियों पर पांच विभागों द्वारा 56 परियोजनाओं पर रु0 2103.51 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

आहरित/आवंटित धनराशि से रु0 2469839 समर्पित किया गया।

जी हां, उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के उप नगर परतावल में तहसील बनाने की मांग

93-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990 में जनपद महराजगंज के परतावल उप नगर में तहसील बनाने का निर्णय शासन ने किया था और सभी औपचारिकता पूर्ण करने, मण्डी समिति के भवन में नये तहसील का कार्य शुरू करने के साथ तहसीलदार की भी नियुक्ति कर दी गई थी ? यदि हां, तो तहसील का कार्य रोक दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

वर्तमान में जनपद महराजगंज के परतावल उप नगर में कोई तहसील सृजित नहीं है। शेष बिन्दुओं पर सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने की योजना

94-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में केचुओं की घटती संख्या से पृथ्वी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो रही है जिससे फसलों की उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने केचुओं को बचाने एवं वृद्धि के लिये कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

वर्ष 2003-04 से मैको मैनेजमेंट आफ एग्रीकल्चर के अन्तर्गत जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना "जैविक खाद का उत्पादन एवं उपयोग की योजना" चलाई जा रही है। वर्ष 2008-09 की कार्य योजना की स्वीकृति भारत सरकार से अपेक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गेंहू की सरकारी खरीद का मूल्य निर्धारण

95-श्री राम विशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गेहूं के उत्पादन पर कृषकों के लागत के अनुसार गेहूं की सरकारी खरीद का मूल्य निर्धारण 1800/- रुपया प्रति कुन्टल किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी नहीं।

गेहूं व अन्य प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार स्तर पर गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा की जाती है। मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित मूल्य परामर्शदात्री परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में बोयी जाने वाली प्रमुख फसलों के सहायक मूल्यों की संस्तुति मात्र कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारत सरकार को की जाती है।

प्रदेश में किसानों को कृषि उपज का लाभकारी मूल्य अथवा बोनस का भुगतान कराये जाने की मांग

96-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को उनकी कृषि ऊपज का लाभकारी मूल्य देने हेतु समर्थन मूल्य के अलावा बोनस का भुगतान करने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा गठित मूल्य परामर्शदात्री परिषद् द्वारा भारत सरकार को फसलों के सहायय मूल्य संस्तुत किये जाते हैं ताकि भारत सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते समय राज्य सरकार की संस्तुतियों को संज्ञान में लेते हुए फसलों के समर्थन मूल्यों की घोषणा करे। किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए राज्य स्तर पर अलग से कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य देने हेतु समर्थन मूल्य के अलावा बोनस का भुगतान करने के सम्बन्ध में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु कम मूल्य पर कृषकों को संसाधन उपलब्ध कराये जाने की मांग

97-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु खाद, बीज, दवा, कृषि यंत्र कम दामों पर कृषकों को उपलब्ध कराने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं। खाद के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव शासन में विचारार्धीन नहीं है। कृषकों को खाद सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा उर्वरक निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को सीधे अनुदान देते हुए विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है।

ज्वार, बाजरा तथा धान की अधिसूचित प्रजातियों के प्रमाणित बीजों के सरकारी/अर्धसरकारी संस्थाओं द्वारा किये गये वितरण पर रु0 200/- (रुपये दो सौ मात्र) प्रति कुंतल, संकर धान के प्रमाणित बीजों अथवा प्रमाणित बीजों की उपलब्धता नगण्य होने की दशा में संकर धान के टुथफुल बीज, जिसकी कृषकों में अच्छी मांग/लोकप्रियता हो तथा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आर0 एण्ड डी0 अनुमोदित हो, के बीजों के वितरण पर विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा रु0 4,000/- (रुपया चार हजार मात्र) प्रति कुंतल, जो भी कम हो, की दर से अनुदान दिये जाने के आदेश दिनांक 27 जून, 2008 को जारी कर दिये गये हैं। इसी प्रकार रबी की फसल गेहूं और जौ के प्रमाणित बीजों का वितरण सरकारी/अर्धसरकारी संस्थाओं द्वारा किये जाने पर रु0 200/ प्रति कुंतल की दर से अनुदान अनुमन्य किया गया है।

दवा तथा कृषि रक्षा यंत्र कम दामों पर कृषकों को उपलब्ध कराने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत "विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण की योजना" वर्ष 2008-09 हेतु शासन के विचाराधीन है।

प्रत्येक वर्ग एवं प्रत्येक श्रेणी के कृषकों को बैल चालित एवं मानव चालित कृषि यंत्रों पर 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 2000/- (रुपया दो हजार मात्र) का अनुदान देय है। इसी प्रकार शक्ति चालित कृषि यंत्रों पर 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 10,000/- का अनुदान देय है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ाये जाने की योजना

98-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दलहन की फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसे कब से लागू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी हां। प्रदेश में दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र पुरोनिधानित आइसोपॉम योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना तथा राज्य सरकार द्वारा रबी में दलहन उत्पादन बढ़ाने की योजना चलायी जा रही है।

केन्द्र पुरोनिधानित आइसोपॉम योजना भारत सरकार द्वारा संचालित चालू योजना है जो वर्ष 2004-05 से चलायी जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा रबी में दलहन उत्पादन बढ़ाने की योजना वर्ष 2007-08 से चलायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

99-श्री यशपाल सिंह चौहान-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के ग्राम भगेसर देहली के तालाब पर हुए अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

100-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भगेसर देहली तहसील करछना जनपद इलाहाबाद में तालाब संख्या 139 का कुल कितना रकबा है ? क्या इस तालाब का पट्टा मत्स्य पालन हेतु ग्राम में निवास करने वाले गिरीश कुमार के नाम से 10 वर्षों के लिये किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि तालाब पर कतिपय दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर कच्चा निर्माण करा लिया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि कब्जेदार भी राजस्व विभाग का ही एक कर्मचारी है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर अवैध कब्जे को हटवा कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम भगेसर देहली, तहसील करछना, जनपद इलाहाबाद ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है। 1359 फ0 के अनुसार तालाब संख्या 139 का कुल रकबा 10-6-0 बीघा (2.350 हे0) है।

जी हां, पट्टेदार मछुआ जाति का है। उनके द्वारा लगान न जमा करने के कारण आदेश दिनांक 5-8-2008 द्वारा मत्स्य पालन पट्टा निरस्त कर दिया गया है।

चकबन्दी अधिकारी के आख्यानुसार उक्त तालाब के 1.0059 हे0 में आबादी बसी है तथा 0.0500 हे0 में रास्ता बना हैं। नियमानुसार अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही शीघ्रता से की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जांच करायी गयी, मौके पर आबादी बसी है जिसके बेदखली हेतु नियमानुसार शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के समाज कल्याण विभाग के कतिपय लिपिकों का स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण कराये जाने की मांग

101-श्री सुन्दर लाल लोधी व श्री उदय राज यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के समाज कल्याण विभाग कार्यालय में कार्यरत लिपिक श्री लक्ष्मी बाबू, श्रीमती इन्दु माथुर व श्री देवी दयाल यादव कितनी अवधि से जनपद उन्नाव में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इनका स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत जनपद उन्नाव से अन्यत्र किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

श्री लक्ष्मी नारायण, कनिष्ठ लिपिक जनपद उन्नाव में दिनांक 21-06-2001 से दिनांक 30-06-2008 तक, श्रीमती इन्दु माथुर, कनिष्ठ लिपिक दिनांक 22-08-2003 से अब तक एवं श्री देवीदयाल यादव, वरिष्ठ लिपिक दिनांक 12-08-1998 से दिनांक 07-08-2008 तक कार्यरत रहे हैं।

स्थानान्तरण नीति 2008-09 में समूह ग के लिपिकीय संवर्ग कार्मिकों के सामान्य/समयबद्ध स्थानान्तरण (जनपद परिवर्तन) की व्यवस्था नहीं है, तथापि प्रश्नगत कनिष्ठ श्रेणी लिपिकों का स्थानान्तरण जनपद उन्नाव से अन्यत्र किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में जिला कृषि अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

102-श्री सुन्दर लाल लोधी व श्री उदय राज यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में जिला कृषि अधिकारी का पद सृजित है ? यदि हां, तो उक्त पद कितनी अवधि से रिक्त है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त रिक्त पद पर कब तक कोई अधिकारी नियुक्त होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव के स्थानान्तरण के फलस्वरूप उक्त पद दिनांक 12-07-07 से रिक्त है। कार्य हित में दिनांक 12-07-07 से जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव के पद का अतिरिक्त प्रभार उप कृषि निदेशक, उन्नाव के पास है।

रिक्त पदों पर चयन का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को सन्दर्भित किया गया है। लोक सेवा आयोग से चयन परिणाम/संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव के पद पर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के ग्राम देवरा के स्व0 हरनारायन के अश्रितों को किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिलाये जाने की मांग

103-श्री सुन्दर लाल लोधी व श्री उदय राज यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद उन्नाव में किसान दुर्घटना बीमा योजना लागू है ? यदि हां, तो तहसील हसनगंज के ग्राम देवरा मजरा गौरी सलोनपुर के निवासी स्व0 हरनारायन की माह मई, सन् 2006 में कृषि कार्य करते समय काले सांप के काटने से मृत्यु हो जाने के उपरान्त इनकी पत्नी राम दुलारी द्वारा दुर्घटना लाभ हेतु सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् भी सम्बन्धित बीमा कम्पनी दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा आज तक बीमा लाभ नहीं दिया गया है ? सरकार द्वारा कार्यवाही कर लाभ कब तक दिलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

ग्राम देवरा, तहसील-हसनगंज, जिला उन्नाव के निवासी हरि नरायन पुत्र श्याम लाल की सर्पदंश से दिनांक 04-05-2006 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कृषक की पत्नी श्रीमती राम दुलारी निवासी ग्राम देवरा के नाम से दावा प्रपत्र पूर्ण कराकर जिला कार्यालय बीमा कम्पनी को तहसील कार्यालय से दिनांक 19-05-06 को प्रेषित किये गये थे। द न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 द्वारा मृत्यु का कारण संदिग्ध मानते हुए यह उल्लेख किया गया है कि यह पालिसी से आच्छादित नहीं है एवं दावा देय नहीं है। उक्त के क्रम में जिला कार्यालय के पत्र संख्या-113 सात-भूलेख, दिनांक 16-12-2006 के अनुपालन में दावाकर्ता श्रीमती राम दुलारी को क्षेत्रीय लेखपाल के माध्यम से दिनांक 27-12-2006 को अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तनुसार।

अनुसूचित जाति/जनजाति शोध संस्थान गोमती नगर, लखनऊ की क्षेत्रीय अन्वेषक कु0 जयश्री की प्रोन्नति विषयक नियम-301 की सूचना पर कार्यवाही की जानकारी की मांग

104-श्री इमरान मसूद-

क्या समाज कल्याण मंत्री को यह जानकारी है कि श्री लाल जी यादव, सदस्य, विधान सभा की नियम 301 की सूचना जो अनुसूचित जाति/जनजाति शोध संस्थान, गोमती नगर लखनऊ में कार्यरत क्षेत्रीय अन्वेषक कु0 जयश्री को प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में है, पर दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में यथोचित कार्यवाही हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया

था ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उक्त सूचना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश संख्या 14(4) की अपेक्षानुसार निर्धारित एक माह की अवधि के भीतर कृत कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित सदस्य को भेज दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध उक्त निदेश संख्या 14 (4) के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की सूचना विधान सभा के आगामी सत्र में सदन में देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

उक्त सूचना पत्र दिनांक 09 जून, 2008 द्वारा मा0 सदस्य को प्रेषित की गई थी। प्रकरण में सूचना देने के सम्बन्ध में प्रक्रियागत विलम्ब हुआ था, जिसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर पत्रांक-1398(1)/26-1-2008-1(54)/2001, दिनांक 10 जून, 2008 व पत्रांक-2212/26-1-2008-1(54)/2001, दिनांक 12 अगस्त, 2008 द्वारा संसदीय कार्य अनुभाग-2 को दे दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अजमगढ़ की तहसील निजामाबाद ग्राम ईसरपानू के पोखर पर अनधिकृत कब्जा हटवाये जाने की मांग

105-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेडकर ग्राम ईसरपानू तहसील निजामाबाद थाना तहबरपुर जिला आजमगढ़ में ग्राम सभा की 15 बिस्वा की पोखरी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस पोखरी को रमेश राय पुत्र स्व0 कोमल राय ने पूर्ण रूपेण पाटकर अनधिकृत कब्जा कर रखा है जिससे गांव वालों को एवं मवेशियों को गम्भीर जल संकट से गुजरना पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त अम्बेडकर गांव के पोखरी से अनधिकृत कब्जा हटवाकर खुदाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम ईसरपार तहसील निजामाबाद थाना तहबरपुर जिला आजमगढ़ में गाटा संख्या-34 क्षेत्रफल 0.138 हे0 पोखरी नहीं बल्कि गाड़ा ग्राम सभा खाते की भूमि है।

प्रश्नगत आ0सं0-34 क्षेत्रफल 0.138 हे0 गाड़ा है जो मौके पर पटकर समतल हो चुका है। इसके 0.008 हे0 पर रमेश राय पुत्र श्री कोमल राय ने अनधिकृत कब्जा करके मड़ई रख ली थी जिसको राजस्व कर्मियों द्वारा खाली करा दिया गया है और भूमि प्रबन्धक समिति के

अध्यक्ष/ग्राम प्रधान को मौके पर कब्जा दिला दिया गया है। उक्त गाड़ा के पटने से मवेशियों एवं ग्रामीणों के सामने कोई जल संकट नहीं है। बरसात समाप्त होने के पश्चात् ग्राम प्रधान द्वारा गाड़ा की खुदाई करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में बन्द पड़े पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों के संचालन की योजना सम्बन्धी जानकारी

106-श्री सुन्दर लाल लोधी व श्री उदय राज यादव-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में पशुओं की चिकित्सा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा उनमें से कितने उपकेन्द्र संचालित हैं तथा कितने बन्द हैं ? क्या बन्द केन्द्रों के संचालन हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

41 पशु सेवा केन्द्र तथा 06 'द' श्रेणी पशु औषधालय अर्थात् कुल 47 उपकेन्द्र स्थापित हैं, जो संचालित हैं। कोई उपकेन्द्र बन्द नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की सभी तहसीलों के तालाबों/झीलों पर अवैध कब्जा पूर्णरूप से हटवाये जाने का अनुपालन कराये जाने की मांग

107-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पानी के प्राकृतिक स्रोतों को उसे मूल स्वरूप में लाने विषयक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी जनपद प्रतापगढ़ की सभी तहसीलों में तालाबों और झीलों पर से अतिक्रमण हटाने का कार्य अभी तक शत-प्रतिशत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद की समस्त तहसीलों में तालाब, झील, पोखर आदि जल प्रणाली कुल संख्या 1313/क्षेत्रफल 227.051 हे0 पर अवैध कब्जा पाया गया था। मा0 उच्च/उच्चमत न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत संख्या 741/क्षेत्रफल 175.583 हे0 पर से अवैध कब्जा हटवा दिया गया है। संख्या 572/क्षेत्रफल 51.468 हे0 पर आवासीय भवन बना होने के कारण कब्जा नहीं हटाया गया है। अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में खलिहान में आग लगने से हुई क्षति की पूर्ति तथा आवास उपलब्ध कराये जाने की मांग

108-श्री दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में वर्ष 2008 में कितने गांव खलिहान व फसलें आदि जल कर राख हो गई हैं तथा क्या इसके पीड़ितों को शासन स्तर से कितना धन व आवास उपलब्ध कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद झांसी में वर्ष 2008 में 91 गांव, 10 खलिहान व 01 फसल जलने की घटना हुई। इसके पीड़ितों को पु0 6,48,192.00 रु0 की धनराशि व 08 व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के ब्लाक ऊरवा के ग्राम राम नगर के तालाब में हुए अवैध कब्जे को हटवाये जाने की मांग

109-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामनगर ब्लाक ऊरवा जनपद इलाहाबाद में तालाब संख्या-308 पर अवैध कब्जे को देखते हुये आयुक्त इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद द्वारा थाना मेजा जनपद इलाहाबाद में अवैध कब्जेदार के विरुद्ध जुलाई, 2006 में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त तालाब को अवैध कब्जे से क्या मुक्त करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां। तहसीलदार मेजा द्वारा अवैध कब्जेदार सरदार राज नारायण स्मारक इण्टर कालेज के प्रबन्धक अभयराज सिंह नि0 रामनगर के विरुद्ध थाना मेजा में लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 12-7-05 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

जी नहीं।

मु0अ0 संख्या 93/05 धारा 420/467/468/174 भारतीय दण्ड विधान एवं 3/5 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल क्रिमिनल रिट याचिका संख्या 7550/05 में पारित आदेश दिनांक 22-07-05 द्वारा स्थगन आदेश प्रदान किया गया है। साथ ही बेदखली की कार्यवाही के सम्बन्ध में दायर रिट याचिका संख्या 19071/2005 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-3-05 द्वारा बेदखली नोटिस दिनांक 3-3-06 को स्थगित किया गया। प्रकरण के मा0 न्यायालय में लम्बित रहने एवं स्थगन आदेश प्रभावी रहने के कारण अग्रेतर कार्यावाही उपयुक्त नहीं है।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनायें

110-डा0 अजय तोमर-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दूध की कमी को दूर करने हेतु सरकार की कौन-कौन सी योजनायें इस समय चल रही हैं ? क्या सरकार पशुपालकों के उत्थान हेतु निःशुल्क/रियायती दर पर पशु आहार, चिकित्सा व दवाइयां आदि उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

पशुपालन विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं :--

1-पशु चिकित्सा एवं रोग नियंन्त्रण

2-पशु अभिजनन एवं नस्ल सुधार

3-चारागाह एवं हरा चारा/बीज उत्पादन कार्यक्रम।

सरकार निःशुल्क/रियायती दर पर चिकित्सा व दवाइयां उपलब्ध कराती है। पशु आहार नहीं उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

111-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु पश्चात् आश्रितों को सहायता दिलाये जाने विषयक योजना

112-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति की दुर्घटना, पानी में डूबने, छत से गिरने से हुयी, मृत्यु के फलस्वरूप मृत व्यक्ति के आश्रितों को सहायता देने के लिये सरकार की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

भारत सरकार के पत्र संख्या-32-34/2007-एन0डी0एम0-I, दिनांक 27-6-2007 में उल्लिखित आपदा की परिधि में आने वाले मृतकों के आश्रितों को एक लाख रुपये प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान के रूप में दिये जाने का प्राविधान है।

यदि मृतक व्यक्ति कृषक है तो दुर्घटना में मृत्यु के फलस्वरूप कृषक दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत एक लाख रुपये की सहायता का प्राविधान है।

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर समाज कल्याण विभाग को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत रुपये बीस हजार की सहायता पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद की ग्राम पंचायतों में चकबन्दी प्रक्रिया के उपरान्त बची भूमि को भूमिहीनों को आवंटित कराये जाने की मांग

113-श्री सिबगतुल्ला अंसारी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गार्जीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम पंचायत अवधही, राजापुर, जोगामुसाहित करीमुदीनपुर, तराव तथा गोडउर में चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात् बंजर, परती मीठा पोखरी आदि के नाम सुरक्षित ग्राम समाज की भूमि प्राइवेट विद्यालयों के नाम दर्ज कर दी गई है ? यदि हां, तो इन संस्थाओं के नाम क्या हैं ? क्या सरकार इन ग्रामों में बसे भूमिहीनों को पात्रता के अनुसार पट्टा दिलाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम पंचायत अवधही, राजापुर, जोगामुसाहिब करीमुद्दीनपुर व तराव में बसे भूमिहीन परिवारों में भूमि उपलब्धता के अनुसार भूमि का पट्टा कर दिया गया है। आवंटन योग्य कोई भूमि अवशेष नहीं हैं। ग्राम पंचायत गोडउरे के ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभा की भूमि को खलिहान दर्ज करने हेतु चकबन्दी अधिकारी, गार्जीपुर के न्यायालय में मुकदमा नम्बर 260 दायर किया गया है जिसका निस्तारण करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा तीन माह का समय दिया गया है। वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश है। वाद के निर्णय उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बांदा की तहसील व ग्राम बबेरू में राबिया इण्टर कालेज की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटवाये जाने की मांग

114-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील बबेरू के ग्राम बबेरू की खाता खतौनी संख्या-2867 में श्रेणी 6 (4) की कुल कितने एकड़ भूमि दर्ज है ? क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राबिया के नाम पर राबिया इण्टर कालेज हेतु भी भूमि आरक्षित है जिसमें अवैध कब्जेदारों द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाये गये हैं ? यदि हां, तो ग्राम सभा की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करके मकान बनाने वालों को बेदखल कराकर सम्पूर्ण खाता खतौनी संख्या-2867 की भूमि को अवमुक्त कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बांदा की तहसील बबेरू के ग्राम बबेरू की खाता खतौनी संख्या-2867 के श्रेणी 6(4) में राबिया कन्या कालेज, बबेरू के नाम गाटा संख्या-936 रकबा 0.069 हे0/0.17 एकड़ भूमि दर्ज है।

जी नहीं, राबिया कन्या कालेज बबेरू के नाम भूमि अंकित है। राबिया कन्या कालेज, बबेरू के नाम दर्ज भूमि में से 0.009 हे0/1000 वर्ग फुट पर रामसुमिरन पुत्र बैजनाथ संग्रह चपरासी तहसील बबेरू, रामेश पुत्र राम सजीवन निवासी काजीटोला 0.009 हे0/1000 वर्ग फुट पर विजय पुत्र महावीर निवासी भभुवा 0.006 हे0/650 वर्ग फुट पर तथा बच्चू सिंह द्वारा 0.035 हे0/3750 वर्ग फुट पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिया गया था।

खाता-खतौनी संख्या-2867 श्रेणी-6 (4) में राबिया कन्या कालेज बबेरू के गाटा संख्या-936 रकबा 0.069 हे0 में से 0.009 हे0 यानी 1000 वर्ग फुट पर अवैध काबिज राम सुमिरन पुत्र बैजनाथ, संग्रह चपरासी, तहसील बबेरू 0.009 हे0 यानी 1000 वर्ग फुट पर रमेश पुत्र राम सजीवन निवासी काजीटोला 0.006 हे0 यानी 650 वर्ग फुट पर विजय पुत्र महावीर निवासी भभुवा एवं 0.035 हे0 3750 वर्ग फुट पर पर बच्चू सिंह पुत्र जयपाल सिंह निवासी बबेरू द्वारा अवैध कब्जा कर मकान बना लिया गया था, जिनके विरुद्ध क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 25-3-2008 को प्राप्त होने पर धारा-122 बी0 नियम-115 सी0 के अन्तर्गत वाद संस्थित करके विधिक प्रक्रिया अपनाकर दिनांक 07-07-2008 को बेदखली का आदेश पारित करके दिनांक 11-7-2008 को पुलिस बल की उपस्थिति में बुल्डोजर का प्रयोग करके पूर्ण रूप से अतिक्रमण हटवा दिया गया है। वर्तमान समय में खाता संख्या-2867 की भूमि को पूर्ण रूप से अवैध कब्जाधारियों के अवैध कब्जे से अवमुक्त करा दिया गया है। खाता खतौनी संख्या-2867 गाटा संख्या-936 रकबा 0.069 भूमि मौके पर खाली पड़ी है। उक्त भूमि पर किसी का अवैध कब्जा शेष नहीं रह गया है।

पूर्वोक्तानुसार प्रश्नगत भूमि अतिक्रमण से मुक्त करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील बांदा के ग्राम सिकुवा में ग्राम सभा की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटवायें जाने की मांग

115-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील बांदा के ग्राम सिकुवा में कुल कितनी कृषि योग्य भूमि गांव सभा के खाते में दर्ज है ? क्या सरकार को जानकारी है कि गांव सभा की भूमि पर अवैध कब्जा कर गत कई वर्षों से फसल पैदा की जा रही है ?

क्या ग्राम सभा की भूमि से अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बांदा की तहसील बांदा के ग्राम सिकुवा में गांव सभा के खाते में कृषि योग्य कुल 9.959 हे0 भूमि दर्ज कागजात है, जो कृषि योग्य भूमि नहीं है।

गांव सभा की भूमि कृषि योग्य न होने के परिणाम स्वरूप अवैध कब्जा कर फसल पैदा करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ऐसा कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया है। ग्राम सिकुवा की ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा वर्तमान तक नहीं पाया गया है। फलस्वरूप अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ग्राम दुरेंड़ी में वन विभाग की भूमि मुक्त कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

116-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-2-2008, जो जनपद बांदा के ग्राम दुरेंड़ी में वन विभाग की भूमि मुक्त कराने विषयक था, प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन है। न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन अपील में दिनांक 28-8-2008 तिथि नियम है। उक्त अपील के शीघ्र निस्तारण हेतु निदेशालय द्वारा उप संचालक चकबंदी/बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी को अपील की सुनवाई हेतु सप्ताहिक तिथि निर्धारित करते हुए निस्तारण करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

117-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-141 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में आग से होने वाली फसलों की क्षति हेतु योजना

118-श्री मदन चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गेहूं की फसल को आग से होने वाली क्षति से किसानों को राहत देने की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

खलिहान में रखी फसल की यदि आग से क्षति होती है तो क्षति पूर्ति के लिए खलिहान दुर्घटना बीमा योजना लागू है।

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर की झीलों पर पट्टा धारकों का कब्जा सम्बन्धी जानकारी

119-श्री मदन चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के गढ़ मुक्तेश्वर में पट्टे के रूप में कोथला झील व कल्याणपुर झील की भूमि को पट्टों के रूप में आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो वर्तमान में किसका कब्जा है ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

वर्तमान में कोथला झील की आवंटित भूमि पर ग्राम पंचायत का कब्जा है तथा कल्याणपुर झील की भूमि पर पट्टा धारकों का कब्जा है।

प्रदेश में किसानों को पशु बीमा का लाभ दिये जाने की योजना

120-श्री मदन चौहान-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों या पशु पालकों के गाय, भैंस आदि दुधारु पशु के आकस्मिक मरने पर उन्हें राहत के रूप में क्या कोई धनराशि दिये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवध पाल सिंह यादव-

जी नहीं। यदि पशु बीमित है, तो आकस्मिक मृत्यु होने पर बीमा की धनराशि के सापेक्ष भुगतान की कार्यवाही सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

प्रदेश के ग्रामों में प्रचलित चकबन्दी की प्रक्रिया

121-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने ग्रामों में चकबन्दी की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों में चल रही है तथा वर्ष 2007-08 में कुल कितने ग्रामों में चकबन्दी कार्य पूर्ण करके ग्रामों को धारा-52 के अन्तर्गत प्रकाशन किया गया है ? क्या उक्त वर्ष में चकबन्दी प्रक्रिया का लक्ष्य 25% से भी कम हुआ है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 5593 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया विभिन्न स्तरों में प्रचलित है। वर्ष 2007-08 में कुल 932 ग्रामों का चकबन्दी कार्य पूर्ण करके धारा-52(1) के अन्तर्गत प्रकाशन किया जा चुका है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में गेहूं की फसल को होने वाली बीमारी यूजी 99 के रोकथाम की योजना

122-डा0 अजय तोमर-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अफ्रीकन देशों से गेहूं की फसल को चौपट करने वाली खतरनाक बीमारी यूजी 99 की जानकारी प्रदेश सरकार को है ? यदि हां, तो क्या उ0प्र0 की मुख्य फसल गेहूं में यूजी 99 के सम्भावित प्रकोप को रोकने की कोई कार्य योजना सरकार बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

जी हां। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संसथान के अन्तर्गत पादप रोग विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक द्वारा गेहूं अनुसंधान की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'सिमिट' (मैक्सिको) के साथ बचाव बाबत अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बाराणसी सहित प्रदेश के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों से भी उक्त रोग की रोकथाम हेतु किए जा रहे शोध कार्यों का विवरण मांगा गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में भू-माफियों को चिन्हित कर कार्यवाही करने की मांग

123-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में जनवरी, 2007 से अप्रैल, 2008 तक कितने भू-माफियों को चिन्हित किया गया है तथा उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद झांसी में 29 भू-माफिया चिन्हित किये गये थे।

इन भू-माफियाओं के खिलाफ 16 एफ0आई0आर0 भूमि प्रकरणों में 06 एफ0 आई0 आर0 अवैध खनन प्रकरणों में एवं 02 एफ0आई0आर सूदखोर प्रकरण में दर्ज करायी गयी है। उक्त भू-माफियाओं के विरुद्ध स्टाम्प कमी के लम्बित प्रकरणों में उत्पीड़ात्मक कार्यवाही करते हुये रु0 24.26 लाख धनराशि की वसूली की गयी। अवैध खनन के मामलों में चिन्हित भू-माफियाओं पर रुपये 1,38,95,123.00 का अर्थदण्ड भी आरोपित किया गया साथ ही साथ इन भू-माफियाओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एन0एस0ए0) गैंगस्टर ऐक्ट, गुण्डा अधिनियम एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के ग्राम रसूलपुर में आग के लगने से हुयी क्षति तथा मुआवजे की मांग

124-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के ग्राम रसूल पुर में दिनांक 27/28 मार्च, 2008 की रात्रि में आग लगने के कारण चालीस (40) परिवारों के घर जलकर राख हो गये व उनके पालतू जानवर जिन्दा जल गये ? बिना घरों के इन परिवारों को खुले आसमान के नीचे दिन बिताने पड़ रहे हैं ? क्या सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को घर बनाने हेतु मुआवजे के तौर पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के ग्राम रसूल पुर में दिनांक 27-03-2008 को दोपहर 1.30 बजे के लगभग अचानक आग लगने से कुल 36 व्यक्तियों के घर जल गये थे तथा पीड़ित व्यक्ति सददीक पुत्र श्री फौमूदीन की दो बकरी व किशन पुत्र मामू की 02 मुर्गी उक्त अग्निकाण्ड में जलकर मर गयी थी। उक्त सभी अग्निकाण्ड से पीड़ित को सरकार की ओर से तत्काल दिनांक 27-03-2008 की सायं को ही शासनादेशानुसार गृह अनुदान के अन्तर्गत अंकन 38,500.00 रु0 अहेतुक सहायता के अन्तर्गत अंकन 51000.00 रु0 अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत 2060.00 रु0, कुल 91,560.00 रु0 की सहायता राशि वितरित की गयी है तथा उक्त सभी पीड़ितों में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को तत्काल भोजन व्यवस्था हेतु 20 किग्रा0 चावल एवं सब्जी हेतु 100.00 रु0 प्रति परिवार की दर से तत्काल वितरित करा दिये गये थे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील शामली में शत्रु सम्पत्ति के बैनामा को निरस्त करने की कार्यवाही

125-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील शामली, कस्बा थाना भवन में शत्रु सम्पत्ति का बैनामा करा दिया गया था ? क्या इसकी जांच जिला स्तर पर चल रही है ? यदि हां, तो उक्त सम्पत्ति को शत्रु सम्पत्ति घोषित कर बैनामा निरस्त कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

ग्राम थाना भवन पट्टी कालरू तहसील शामली मुजफ्फरनगर की प्रश्नगत गाटा संख्या-645, 646, 647, 649, 650, 656 व 588 कुल रकबा 2.300 हे0 का बैनामा खातेदार श्रीमती शाफिया खातून द्वारा दिनांक 17-12-07 को 06 क्रेताओं के पक्ष में कर दिया गया।

प्रश्नगत सम्पत्ति की जांच कराने के पश्चात् यह तथ्य संज्ञान में आया कि श्रीमती शाफिया खातून दिसम्बर 1974 में पाकिस्तान चली गयी थी। दिनांक 06-05-1976 से पाकिस्तानी नागरिक हैं। श्रीमती शाफिया पासपोर्ट संख्या-ए-3800725 के द्वारा भारत आयी और प्रश्नगत भूमि को दिनांक 17-12-2007 को क्रेताओं को पंजीकृत बैनामें के माध्यम से विक्रय कर दिया। क्षेत्रीय लेखपाल व नायब तहसीलदार द्वारा कोई जांच पड़ताल नहीं की गयी बाद में जांच के आदेश होने पर इस भूमि को शत्रु सम्पत्ति होने की आख्या दी गयी। अब प्रश्नगत भूमि को शत्रु सम्पत्ति दर्ज कराने अवैध का विजद्वार से किराया का आंकलन कर किराया वसूल करने व पंजीकृत बैनामों को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

126-श्री उदयभान करवरिया-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

127-श्री संजीव दरियाबादी-

[2सरे मंगलवार के अता0प्र0सं0-106 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद-हरदोई की नगर पंचायत कुरसठ के पशु चिकित्सालय में चिकित्सक की तैनाती की मांग

128-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई की नगर पंचायत कुरसठ के पशु चिकित्सालय में कितने वर्षों से चिकित्सक तैनात नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवध पाल सिंह यादव-

दिनांक 20-9-2005 से नगर पंचायत कुरसठ के पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक तैनात नहीं है।

जी हां।

विभाग में रिक्त पशु चिकित्साधिकारियों के पदों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त हो गये हैं। उसमें से पशु चिकित्सालय कुरसठ हरदोई पर अनुपातिक रूप से तैनाती शीघ्र कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पशुओं के दूध निकालने हेतु अक्सीटोसीन इंजेक्शन का प्रयोग एवं बिक्री पर रोक लगाये जाने की मांग

129-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में पशुओं का दूध निकालने के लिये आक्सीटोसीन इंजेक्शन का प्रयोग अब भी किया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त इंजेक्शन से निकाले गये दूध के प्रयोग से मानव शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त इंजेक्शन के निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

आक्सीटोसीन इंजेक्शन के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार औषधि नियंत्रक, भारत सरकार में निहित है तथा भारत सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की ग्राम सभा गिरधरपुर की ग्राम पंचायत की भूमि का अनियमित आवंटन

130-श्री सुल्तान बेग-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2007 के पहले गुरुवार के अता0 प्रश्न-51 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि उक्त प्रकरण की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जनपद बरेली की ग्राम सभा गिरधरपुर की ग्राम पंचायत की भूखण्ड संख्या-1066 का चैरिटेबिल स्व0 मिसिर यार खान शिक्षा समिति ग्राम अहरों के प्रबन्धक शराफत यार खान के नाम अनियमित आवासीय आवंटन के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बरेली के न्यायालय में वाद संख्या-05/07 अन्तर्गत नियम 115-पी उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली पंजीकृत किया गया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30-6-2008 द्वारा प्रश्नगत आवंटन निरस्त कर दिया गया एवं इस भूखण्ड को यथापूर्व खलिहान के खाते में अंकित करने के आदेश दिये गये। इस निर्णय के विरुद्ध शिक्षा समिति द्वारा आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के न्यायालय में निगरानी संख्या 486/21-7-08 मिसिर यार खां बनाम सरकार योजित की गई है जिसमें यथास्थिति के आदेश दिनांक 24-7-08 को पारित हो चुके हैं तथा वर्तमान में आदेश दिनांक 31-7-08 द्वारा कलेक्टर बरेली के आदेश दिनांक 30-6-08 स्थगित रखे जाने के आदेश हैं।

उक्त अनियमित आवंटन के सम्बन्ध में तत्कालीन परगनाधिकारी श्री खेम सिंह खड़क, तत्कालीन तहसीलदार श्री नत्थी लाल वर्मा, राजस्व निरीक्षक श्री राम गुलाम एवं लेखपाल श्री अनवारुल हक की संलिप्तता पायी गयी। राजस्व निरीक्षक श्री राम गुलाम की मृत्यु हो चुकी है। जिलाधिकारी द्वारा श्री खेम सिंह खड़क, तत्कालीन उप जिलाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन के नियुक्ति विभाग को तथा तत्कालीन तहसीलदार श्री नत्थी लाल वर्मा के विरुद्ध कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी/राजस्व परिषद् को पत्र भेजे गये हैं। श्री अनवारुल हक, राजस्व निरीक्षक कार्यरत जनपद बदायूं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में पारित दण्डादेश दिनांक 12-6-08 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धियां स्थायी रूप से रोकी गयी है तथा प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में कार्यरत दुग्ध समितियां तथा उनके द्वारा दुग्ध का क्रय

131-श्री राम विशुन आजाद-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत कितनी दुग्ध समितियां वर्तमान में कार्यरत हैं ? वित्तीय वर्ष 2006-2008 में कितने लीटर दुग्ध इन समितियों द्वारा क्रय किया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम पंचायत भिटोरा में स्थापित दुग्ध समिति द्वारा दुग्ध विक्रेताओं से निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर दुग्ध क्रय किया गया और दुग्ध समिति द्वारा क्रय दुग्ध अधिक मूल्य पर बाजार में बेच दिया गया ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्तमान में कुल 26 दुग्ध समितियां कार्यरत हैं।

वित्तीय वर्ष 2006-08 के इन दो वर्षों में कुल 3,86,893.700 लीटर दुग्ध समितियों द्वारा क्रय किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लू लगने से मृत व्यक्तियों की संख्या एवं इनके आश्रितों को आर्थिक सहायता

132-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2006 से 20 अप्रैल, 2008 के मध्य कितने लोगों की लू लगने से मृत्यु हुई ? क्या मृतक आश्रितों को सरकार द्वारा कोई सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रदेश के जनपद इटावा, अलीगढ़ एवं उरई में मार्च, 2006 से अप्रैल, 2008 के मध्य लू लगने से एक-एक तथा जनपद हमीरपुर में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

जी हां। मृतकों के आश्रितों को राहत आपदा निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुमन्य आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु वर्तमान नीति में सरलीकरण करने की मांग

133-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु उद्योग लगाने की वर्तमान नीति में सरलीकरण करने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रदेश में निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने एवं स्थापित हो रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों/निगमों के स्तरों से स्वीकृतियां, अनुमति, अनापत्ति तथा प्रमाण-पत्रों आदि को निर्गत कराने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं उद्योग परक बनाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा निवेश मित्र की घोषणा की गयी है। जिसके क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश में उद्यमियों की सुविधा के लिये उद्यमियों के प्रार्थना-पत्र इण्टरनेट के माध्यम से जमा कराये जाने तथा प्रदेश के जिला उद्योग केन्द्रों पर हेल्प डेस्क की सुविधा प्रदान कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में नये पशु चिकित्सालयों का निर्माण कार्य तथा स्टाफ की नियुक्ति की मांग

134-डा0 अजय तोमर-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में मार्च, 2008 तक कितने नये स्वीकृत पशु चिकित्सालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितनों का निर्माण कार्य प्रक्रिया में है ? क्या सरकार द्वारा पूर्ण हो चुके पशु चिकित्सालय भवनों को पशुधन विभाग को स्थानान्तरित किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त नवनिर्मित पशु चिकित्सालयों पर पशु चिकित्साधिकारी व अन्य स्टाफ/कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

16 नये स्वीकृत पशु चिकित्सालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 02 नये पशु चिकित्सालयों का निर्माण कार्य प्रक्रिया में है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

पद सृजित होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत भिटौरा में अपात्र व्यक्तियों को वृक्षारोपण का पट्टा दिये जाने की जांच

135-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिटौरा में गाटा सं0-3646 क,ख,ग,घ का कुल रकबा कितना है ? क्या यह सही है कि उक्त गाटा सं0 में राजस्व कर्मियों द्वारा अनियमित रूप से अपात्र व्यक्तियों को वृक्षारोपण के अन्तर्गत पट्टा दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त गाटा सं0 में ही राम भवन पुत्र श्री राम शबद ग्राम भिटौरा द्वारा दिनांक 30-1-2006 को कितने रकबे का बैनामा लिखा गया था तथा क्या उक्त बैनामे में नियमानुसार स्टाम्प लगाया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सभी प्रकरणों की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं पट्टा/बैनामा का निरस्तीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम पंचायत भिटौरा परगना व तहसील मनकापुर, जिला गोण्डा के अन्तर्गत गाटा संख्या-3646, क, ख, ग, ध का कुल रकबा 0.80 डि0 है।

गाटा संख्या-3646क/0-13 एयर खाता सं0-1-37 पर किशन लाल पुत्र दीवान चन्द्र और खाता सं0-572 पर पल्टू पुत्र किशन व गोमती प्रसाद व भगौती प्रसाद पुत्रगण देवी सरन, 3646ख/0.53 एयर, और खाता सं0-569 पर पल्टू पुत्र किशुन दत्त, गोमती प्रसाद, काली प्रसाद पुत्रगण देवी सरन, कन्हैया लाल व बजरंगी प्रसाद पुत्रगण भवानी प्रसाद, दशरथ लाल पुत्र शम्भू दत्त, 3646ग/0-032 एयर, खाता सं0-950 श्रीमती मायादेवी पत्नी जगदीश प्रसाद के नाम 3646घ/0-157 एयर खातेदार भूमिधर दर्ज कागुजात है। सिर्फ गाटा सं0-3646 ड/0-156 एयर जो बंजर भूमि है, इस भूमि में वृक्षारोपण का पट्टा निम्न तीन व्यक्तियों को किया गया :--

1-शिव लली पत्नी भवानी प्रसाद 0-042 एयर

2-गोमती पुत्र देवी सरन 0-040 एयर

3-अरविन्द कुमार पुत्र पल्टू 0-081 एयर

उक्त पट्टा उप जिलाधिकारी, मनकापुर द्वारा दिनांक 20-5-94 को स्वीकृत हुआ। अरविन्द पुत्र पल्टू अपात्र शेष पात्र हैं।

गाटा संख्या-3646घ में श्रीमती माया देवी पत्नी जगदीश प्रसाद संक्रमणीय भूमिधर द्वारा दिनांक 30-1-2006 को श्री राम भवन पुत्र श्री राम शब्द के पक्ष में 0-14 एयर भूमि का बैनामा किया गया है।

वृक्षारोपण पट्टे का विक्रय नहीं हुआ है।

बैनामे की तिथि में निर्धारित स्टाम्प शुल्क में स्टाम्प में कमी नहीं पायी गयी है। आवंटी अरविन्द कुमार पुत्र पटलू के विरुद्ध पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही कर दी गयी है। दोषी राजस्व कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद तहसील सोरांव के गांव सभा आनापुर की भूमि को अवैधानिक रूप से डिग्री कालेज के नाम करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

136-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाटा सं0 564/1, 6000, 559/4/, 1440, 289/1/1.5483 है0 नवीन परती गांव सभा, गाटा संख्या 289/2/.9200 आबादी वर्ग 6 गांव सभा आनापुर (टाउन एरिया) तहसील सोरांव, इलाहाबाद के खाते में दर्ज थी ? यदि हां, तो क्या सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, इलाहाबाद के आदेश अपील संख्या 1543/433 दिनांक 02-02-2001 द्वारा उक्त गांव सभा की उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करते हुए अवैधानिक रूप से आई0के0एम0 डिग्री कालेज, आनापुर के नाम दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैधानिक आदेश पारित करने वाले सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी इलाहाबाद के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

जी हां, अवैधानिक आदेश पारित करने वाले तत्कालीन सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, इलाहाबाद को शासन के आदेश संख्या-1536/1-8/2008-35/33/2008,674, दिनांक 11-8-2008 द्वारा निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत रविदास नगर की तहसील घनघटा व मेंहदावल में चकबन्दी कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

137-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संतकबीरनगर की किन-किन तहसीलों में चकबन्दी किया जाना प्रस्तावित है ? क्या तहसील मेहदावल की भी चकबन्दी करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद संतकबीरनगर की घनघटा व मेंहदावल तहसीलों में चकबन्दी प्रस्तावित है।

जी हां। तहसील मेंहदावल के अन्तर्गत ग्राम खजुरी में द्वितीय चक्र की चकबन्दी प्रारम्भ कराये जाने हेतु निदेशालय द्वारा विज्ञप्ति संख्या-1198/जी0-78/2002-08, दिनांक 02-7-08 निर्गत की जा चुकी है। शेष ग्रामों में जिलाधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा उपयुक्त पाये जाने पर चकबन्दी करायी जा सकती है।

कार्ययोजना के अनुसार 31 दिसम्बर, 2009 तक धारा-52 का प्रकाशन कराया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उटता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जीविकोपार्जन हेतु पात्रता के आधार पर वर्कशाप खोलने हेतु भूमि का आवंटन

138-श्री सुधीर कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 1900/एक-1/2003-12(26)/2003-104-राजस्व-1, दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विश्वकर्मा समाज (बढ़ई एवं लोहार) के लोगों को जीविकोपार्जन हेतु कार्यशाला (वर्कशाप) स्थापति करने के लिए ग्राम सभा में स्थित ग्राम समाज की भूमि पट्टे पर आवंटित की जाती है ? यदि हां, तो क्या उक्त वर्कशाप के आवंटन हेतु गजेन्द्र शर्मा, जितेन्द्र कुमार शर्मा एवं धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र श्री छोटे लाल ग्राम घुसवल कलां, परगना बिजनौर, जनपद-लखनऊ द्वारा तहसील दिवस दिनांक 6 मई, 2008 को तहसील दिवस प्रभारी, सदर तहसील लखनऊ को कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश की अपेक्षानुसार क्या आवेदनकर्ताओं को वर्कशाप हेतु भूमि आवंटित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार शासनादेश का अनुपालन न करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए भूमि का आवंटन आवेदनकर्ताओं को करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। पात्रता क्षेत्र में आने पर आवेदनकर्ताओं को भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व विभाग के लेखपालों को प्रोन्नति दिये जाने हेतु विभागीय परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने सम्बन्धी जानकारी

139-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के सीनियर लेखपालों की राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति किये जाने हेतु वर्ष 2006-2007 में विभागीय परीक्षा करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उसका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आये भीषण आंधी तूफान से पीड़ित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने की मांग

140-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई 2008 में प्रदेश में आये भीषण आंधी तूफान से कितने धन, जन की हानि हुई एवं पीड़ितों को कितनी-कितनी धनराशि की सहायता उपलब्ध करायी गयी ? क्या पीड़ितों को सहायता दिया जाना शेष है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक सरकारी सहायता उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

48 जनपदों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार जनपद आजमगढ़, अलीगढ़, औरैया, एटा, इलाहाबाद, इटावा, उन्नाव, कानपुर, देहात, कौशाम्बी, कुशीनगर, कन्नौज, गोरखपुर, गोण्डा, जौनपुर, रामपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, पीलीभीत, फैजाबाद, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, बलिया, बहराइच, बुलन्दशहर, बांदा, मैनपुरी, महाराजगंज, मुजफ्फरनगर, महामायानगर, हरदोई व देवरिया तथा

सोनभद्र में मई, 2008 में प्रदेश में आये भीषण आंधी-तूफान से 127 व्यक्तियों तथा 133 पशुओं की मृत्यु हुयी तथा रु0 5,85,13,475/-की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है, जिसके सापेक्ष पीड़ितों को प्रति मृतक व्यक्ति के आश्रित को 01 लाख रु0 की राहत सहायता उपलब्ध करायी गयी तथा गृह अनुदान रु0 15,82,000/-तथा अनुग्रह सहायता रु0 45,16,270/-तथा अहेतुक सहायता रु0 2,95,420/-वितरित की गयी।

जनपद चित्रकूट, ज्योतिबाफूलेनगर, ललितपुर, बलरामपुर, बस्ती, मऊ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, श्रावस्ती, सीतापुर तथा सहारनपुर में किसी क्षति की कोई सूचना नहीं है। शेष 28 जनपदों से सूचना प्राप्त नहीं हुयी है, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

जनपद महामायानगर में 03 पशु हानि पर सहायता दिया जाना शेष है तथा जनपद उन्नाव में 01 मृतक को सहायता नहीं दी जा सकी।

पशु हानि के सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सहायता उपलब्ध करा दी जायेगी। जनपद उन्नाव का मृतक अविवाहित था तथा माता पिता भी जीवित नहीं है। अतएव अर्ह न पाये जाने के कारण राहत सहायता नहीं उपलब्ध करायी जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

हीवेट पालीटेक्निक महानगर लखनऊ का आडिट

141-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हीवेट पालीटेक्नीक महानगर लखनऊ का आडिट वर्ष 1990-91 से 1999-2000 तक वर्षवार किस संस्था/अधिकारी से कराया मया ? क्या आडिट कराये जाने वाली संस्था/अधिकारी से सम्प्रेक्षण शुल्क के रूप में संस्था को प्राप्त बिलों का भुगतान क्या कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि हीवेट पालीटेक्नीक महानगर लखनऊ का आडिट (लेखा जोखा का सम्प्रेक्षण) वर्ष 2000-01 से अब तक किस संस्था/अधिकारी से कराया गया है ? यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? सम्प्रेक्षण नियमित रूप से न कराये जाने के लिए कौन उत्तरदायी है ? शासन ने इसके लिए क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदन प्रसाद-

हीवेट पालीटेक्निक महानगर, लखनऊ का आडिट वर्ष 1990-91 से 1999-2000 तक प्रतिवर्ष स्थानीय निधि लेखा विभाग एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मे0 विजय कुमार गुप्ता एण्ड कम्पनी से कराया गया।

जी हां।

मार्च, 2007 में किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

हीवेट पालीटेक्निक महानगर लखनऊ का सम्प्रेक्षण वर्ष 2000-01 से स्थानीय निधि लेखा विभाग से कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

143-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बागपत के ग्राम बिजरौल में पशु पालीक्लीनिक में निर्माण कार्य शुरू कराये जाने की मांग

143-डा0 अजय तोमर-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के ग्राम बिजरौल में निर्माणाधीन पशु पॉलीक्लीनिक का कार्य पिछले तीन चार माह से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य को पूर्ण कराने की सरकार की क्या कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन एवं रहने हेतु छात्रावासों के निर्माण का व्यय विवरण

144-श्री राजाराम त्यागी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनु0 जाति एवं अनु जनजाति के छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन हेतु उनके रहने के लिए कितने छात्रावासों का निर्माण 31-5-08 तक कराया जा चुका है ? इनमें से विभाग द्वारा कितने छात्रावासों को संचालित किया जा रहा है तथा कितनों का स्वयं सेवी संगठनों द्वारा संचालन हो रहा है ? रायबरेली जनपद में कुल कितने तथा कहां-कहां छात्रावास संचालित हैं ? इनके संचालन एवं रख-रखाव पर कितना व्यय होता है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन हेतु उनके रहने के लिये दिनांक 31-5-2008 तक कुल 323 छात्रावासों का निर्माण कराया जा चुका है।

इनमें से विभाग द्वारा 189 छात्रावासों का संचालन तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा 85 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है।

जनपद रायबरेली में कुल 04 छात्रावास संचालित है जिनका विवरण निम्नवत् है :-

1-राजकीय अनुसूचित जाति छात्र, छात्रावास, रायबरेली मुख्यालय।

2-राजकीय अनुसूचित जाति छात्र, छात्रावास, बछरावां।

3-जिला पंचायत द्वारा निर्मित छात्र, छात्रावास, रायबरेली मुख्यालय।

4-सर्वोदय विद्यापीठ डिग्री कालेज, सलोन, रायबरेली।

(स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निर्मित)

इन छात्रावासों के संचालन एवं रख-रखाव पर वित्तीय वर्ष 2007-08 में कुल रु0 766500/-की धनराशि व्यय हुई है।

प्रदेश में संचालित भिक्षुक गृह

145-श्री राजाराम त्यागी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग तथा स्वयं सेवी संगठनों द्वारा प्रदेश में कुल कितने भिक्षुक गृहों का संचालन किया जा रहा है ? इन भिक्षुक गृहों पर अलग-अलग भिक्षुकों की संख्या क्या है ? इन भिक्षुक गृहों पर क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा कुल 08 भिक्षुक गृह संचालित हैं। प्राप्त सूचनानुसार स्वयं सेवी संगठनों द्वारा कोई भिक्षुक गृह संचालित नहीं है।

भिक्षुक गृहवार भिक्षुकों की संख्या निम्नवत् है :-

आगरा-25, इलाहाबाद-शून्य, लखनऊ-8, मथुरा-शून्य, वाराणसी-शून्य, कानपुर-शून्य, फैजाबाद, (पुरुष)-शून्य, फैजाबाद (महिला-शून्य)।

भिक्षुक गृह में निरुद्ध भिक्षुकों को भोजन, वस्त्र, बिस्तर, दवा एवं प्रशिक्षण की सुविधा अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के ग्राम कोटवा की सुरक्षित भूमि को अनुसूचित जाति व निर्धन व्यक्तियों को आवंटित किये जाने की मांग

146-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के ग्राम कोटवा की भूमि सं0-175, 176, 486, 543 आबादी हेतु सुरक्षित है ? क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा है ? क्या प्रशासन द्वारा दलितों व अन्य गरीब व्यक्तियों को भूमि आवंटित करने की योजना पर अवैध कब्जाधारियों ने सिविल जज जू0डि0 उत्तरी के यहां दीवानी वाद सं0-156/2006 दायर हुआ और उक्त वाद दि0 19-9-07 को न्यायालय द्वारा खारिज किया गया ? यदि हां, तो उक्त सुरक्षित भूमि का आवंटन अनुसूचित व निर्धन लोगों को आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

भूमि सं0-175 व 176 पर कुछ ग्रामवासियों का अवैध कब्जा है।

भूमि सं0-175 व 176 पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में सिविल जज (जू0डि0) उत्तरी उन्नाव के न्यायालय में वाद संख्या-156/2006 फूलचन्द बनाम सुरेश कुमार प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 19-9-07 को उभयपक्षों की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया था। वादीगण फूलचन्द आदि द्वारा उसी न्यायालय में पुनर्स्थापना वाद संख्या-42/2008, प्रस्तुत किया गया है जिसने अग्रिम तिथि 28-8-08 नियत है।

जिलाधिकारी को निदेश दे दिये गये हैं कि वे एक माह के अन्दर आवास स्थल आवंटन की कार्यवाही करायें।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संग्रह अमीनों/सेवकों को रिक्त पदों प ायोजित करने की मांग

147-श्री सुखलाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में लगभग 12,000 (बारह हजार) सामयिक संग्रह अमीन/सेवक लगभग 10 से 25 वर्ष से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें संग्रह अमीन/सेवकों के रिक्त पदों पर नीति बनाकर समायोजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

इनके समायोजन के बारे में नीति पहले से ही निर्धारित है। उ0 प्र0 संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) एवं उ0 प्र0 संग्रह अनुसेवक सेवा नियमावली, 2004 के अन्तर्गत सामयिक संग्रह अमीन और सामयिक संग्रह अनुसेवक के लिए क्रमशः रिक्तियों का 35 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत पदों पर नियमित नियुक्ति का प्राविधान है। शासन द्वारा संगत सेवा नियमावलियों के अन्तर्गत नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में दिनांक 30-5-2008 को निर्देश निर्गत किये गये हैं। सामयिक संग्रह अमीन/सामयिक संग्रह अनुसेवक के रूप में तैनाती फसली वर्ष में अल्प समय के लिए की जाती है और राजस्व संग्रह कार्य समाप्त हो जाने पर इनकी सेवायें भी स्वतः समाप्त हो जाती है। राजस्व वसूली की मांग के आधार पर इन्हें पुनः सामयिक रूप से तैनात किया जाता है। अतः उक्त सामयिक कर्मियों को एक साथ समायोजित किये जाने का औचित्य नहीं है।

नियमित नियुक्ति की कार्यवाही सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार की जाती है। यह सतत् प्रक्रिया है। अतः समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

148-डा0 धर्मपाल सिंह-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के लिपिक श्री तीरथराम के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

149-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग का अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-13/पी0एस0/ एस0एम0के0/223/02 दिनांक 02-9-02 जो निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में कार्यरत श्री तीरथराम कनिष्ट लिपिक की सेवा समाप्ति विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्राप्त पत्र पर अब तक क्या बिन्दुवार कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

संदर्भित पत्र सचिव द्वारा निदेशक को प्रेषित किया गया था।

श्री तीरथ राम नामक कोई कनिष्ठ लिपिक कार्यरत नहीं है। अपितु रामतीर्थ, कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सेवा से पृथक कर दिया गया था, परन्तु आरोपों के सापेक्ष दण्ड अधिक होने के कारण पुनर्विचार कर सेवा में पुनः बहाल किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज के कतिपय ग्रामों में दैविक आपदा से पीड़ितों को सहायता हेतु अनुदान का विवरण

150-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में ग्रा0 मानिकपुर ब्लाक सुल्तानगंज व ग्राम जिरौली ब्लाक सुल्तानगंज भैसरोली ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी में विगत 15-5-08 को भयंकर आंधी तूफान व आग लगने से भारी नुकसान हुआ है ? क्या सरकार जांच कराकर शासन से आर्थिक सहायता प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

श्री फागू चौहान-

दिनांक 15-05-2008 को आंधी तूफान/अग्निकाण्ड की कोई घटना नहीं हुई थीं। दिनांक 14-05-2008 को आंधी तूफान/अग्निकाण्ड में ग्राम मानिकपुर में हुए क्षति पर राहत आपदा निधि गाइडलांस में दी गयी व्यवस्थानुसार 15000.00 अहेतुक सहायता 8000.00 रुपये गृह अनुदान का वितरण कराया गया था तथा ग्राम जिरौली में 4000.00 अहैतुक सहायता एवं 4000.00 रुपये गृह अनुदान में वितरण कराया गया। इसी प्रकार ग्राम भेंसरौली ब्लाक बेवर में 12000.00 रुपये अहैतुक सहायता तथा 10000.00 रुपये अनुग्रह अनुदान से वितरण कराया गया है।

प्रदेश में तहसील दिवस पर प्राप्त समस्याओं के शत-प्रतिशत निस्तारण करने की कार्य योजना की जानकारी

151-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई ऐसा सर्वे कराया है कि प्रदेश की प्रत्येक तहसील स्तर पर होने वाले तहसील दिवस में प्राप्त होने वाली जन समस्याओं का कुल कितने प्रतिशत निस्तारण होता है ? जन समस्याओं के शत प्रतिशत निस्तारण के लिए सरकार ने क्या कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां, प्रदेश की प्रत्येक तहसील स्तर पर होने वाले तहसील दिवस में प्राप्त होने वाली जन समस्याओं के निस्तारण प्रतिशत जानने के लिए सर्वे नहीं, बल्कि प्रत्येक माह तहसील दिवस में प्राप्त प्रार्थना-पत्र एवं उनके निस्तारण की सूचना प्राप्त की जाती है। शासन द्वारा प्रत्येक माह का निस्तारण का लक्ष्य 95 प्रतिशत रखा गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

152-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्र संख्या-एम-262/60-2-06-2/1 (43)/06 दिनांक 30 मई, 2006 पत्र संख्या-एम-273/60-2-06-2/1(43)/06 दिनांक 16 जून, 2006 पत्र संख्या-एम-273/60-2-06-2/1(43)/06 दिनांक 24 नवम्बर, 2006 एवं एम-273(2)/60-2-06-2/1(43)/06, दिनांक 03 जनवरी 2007 जो निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराये जाने विषयक थे शासन को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या जांच की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या दोषी को दण्डित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

प्रश्न में उल्लिखित शासन के पत्र निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को भेजे गये हैं।

जांच की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत पट्टी को मानक के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की मांग

153-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत पट्टी में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं ? क्या कुल 10 वार्डों में रहने वाले समस्त बच्चों/महिलाओं को इस कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्या मानक के अनुसार सभी वार्डों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना की जायेगी , यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

नगर पंचायत पट्टी में कोई आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है।

जी नहीं।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र संख्या-397 दिनांक 30-07-08 के द्वारा नगर पंचायत पट्टी हेतु 10 आंगनबाड़ी केन्द्रों की मांग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे परीक्षणोपरान्त स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के प्रत्येक ब्लाक में व्यायाम शालाओं का निर्माण

154-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खेल कूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के प्रत्येक ब्लाक के ग्रामीण अंचलों में अभी तक कितनी व्यायामशालायें स्थापित की जा चुकी हैं ? तथा वर्ष 2008-2009 में क्या लक्ष्य निर्धारित है ? निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कितनी व्यायामशालाओं का निर्माण हो चुका है ? शेष व्यायामशालाओं का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के किसी ब्लाक में व्यायामशाला का निर्माण नहीं कराया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए व्यायामशाला के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित है। अतएव लक्ष्य के अनुरूप व्यायामशाला के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

व्यायामशालाओं के निर्माण की योजना वर्ष 2008-09 में नहीं संचालित हैं।

155- श्री प्रदीप जैन आदित्य-

[दिनांक 18-8-08 के अता0प्र0सं0-163 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था

156-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उद्यमियों द्वारा उद्योग लगाने को प्रोत्साहन देने हेतु कोई सरल नीति बनाने पर सरकार विचार कर रही है यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रदेश में निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने एवं स्थापित हो रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों/निगमों के स्तरों से स्वीकृतियां, अनुमति, अनापत्ति तथा प्रमाण-पत्रों आदि की निर्गत कराने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं उद्योग परक बनाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा निवेश मित्र की घोषणा की गयी है जिसके क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश में उद्यमियों की सुविधा के लिए उद्यमियों के प्रार्थना-पत्र इण्टरनेट के

माध्यम से जमा कराये जाने तथा प्रदेश के जिला उद्योग केन्द्रों पर हेल्प डेस्क की सुविधा प्रदान कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आंवले का उत्पादन

157-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2007 में आंवले की फसल का कुल कितना उत्पादन हुआ ? क्या वर्ष 2008 में वर्ष 2007 की तुलना में आंवले की फसल का उत्पादन कम हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार आंवला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह-

वर्ष 2006-07 में प्रदेश में अनुमानतः 25,780 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 1.41 लाख मी0 टन आंवले का उत्पादन हुआ।

जी नहीं।

वर्ष 2007-08 में प्रदेश में अनुमानतः 29,185 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 1.75 लाख मी0टन आंवले का उत्पादन हुआ। जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आंवला उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में स्थानीय उपयुक्तता एवं अनुकूलता के आधार पर भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राज्य औद्यानिक मिशन एवं राज्य सरकार की सघन क्षेत्रों में व्यवसायिक औद्यानिक विकास की योजना तथा फल पट्टी विकास की योजना के अन्तर्गत क्षेत्र विकास के कार्यक्रम विगत वर्षों से क्रियान्वित है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पशु सेवा केन्द्र के भवनों के निर्माण की योजना

158-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कौन-कौन से पशु सेवा केन्द्र तथा अन्य श्रेणी के चिकित्सालय भवनहीन हैं ? क्या भवन व परिसर के कर्मचारियों के आवास जर्जर अवस्था में हैं ? यदि हां, तो क्या इन भवनों के पुनर्निर्माण की कोई योजना शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

पशु सेवा केन्द्र अमरगढ़, अतरौरा एवं "डी" श्रेणी औषधालय दिवानगंज तथा एस0आर0सी0 कोहडौर भवनविहीन है।

पशुचिकित्सालय आसपुर देवसरा, अमापुर, पट्टी मरम्मत योग्य हैं तथा पशु सेवा केन्द्र अतरौरा जर्जर अवस्था में है।

पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य (जि0यो0) के अन्तर्गत प्रश्नगत् संस्थाओं का पुनर्निर्माण कराया जाता है, किन्तु वर्तमान में उक्त योजनान्तर्गत धनराशि उपलब्ध नहीं है।

यथासमय धन की उपलब्धता होने पर इनके निर्माण कराये जा सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

"गोंड" जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने हेतु सर्वेक्षण कराकर आख्या उपलब्ध कराने की मांग

159-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा जुलाई, 2007 में प्रदेश के 57 जिलों में गोड़ जाति धुरिया नामक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने हेतु गणना एवं सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो जनपद प्रतापगढ़ की तहसीलदार और तहसील पट्टी के किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी जनसंख्या पाई गई है ? क्या सरकार उक्त गणना एवं सर्वे रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

"गोंड" जाति (न कि "गोड़" जाति) को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में एकरूपता लाने हेतु अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराकर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 को दिये गये हैं। सर्वेक्षण की कार्यवाही में सभी जनपदों से सूचना एकत्र की जा रही है।

सर्वेक्षण सम्पन्न होने के पश्चात् ही जनसंख्या का आंकलन होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्रामों में स्टेडियम एवं व्यायामशाला निर्माण हेतु आरक्षित भूमि

160-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के किन-किन ग्रामों में स्टेडियम, व्यायामशाला खेलकूद के मैदान हेतु भूमि आरक्षित की गई है और उनका रकबा क्या है ? यदि नहीं, तो क्या शासन इस बारे में कोई स्पष्ट नीति बनायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के किसी ग्राम में युवा कल्याण विभाग द्वारा स्टेडियम एवं व्यायामशाला निर्माण हेतु भूमि आरक्षित नहीं की गयी है।

पट्टी तहसील के कुल 91 राजस्व ग्रामों में खेलकूद के मैदान हेतु भूमि आरक्षित है, जिनका रक्बा सहित विवरण संलग्न है।

जी नहीं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में युवा कल्याण विभाग के आय-व्ययक में नये स्टेडियम/व्यायामशाला हेतु धनराशि का प्राविधान न होने के कारण इनका निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 425-428 पर)

आगरा महानगर में साफ्टवेयर टेक्नोलांजी पार्क बनाये जाने की मांग

161-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वर्तमान में आगरा महानगर में साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में नये परियोजना केन्द्र खोलने की मांग

162-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये परियोजना केन्द्र खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामाया नगर में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक हेतु आवास निर्माण की मांग

163-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद महामायानगर में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के लिये सरकारी आवास निर्मित हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या

सरकार उक्त अधिकारियों के आवास का समयबद्ध तरीके से निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां। प्रकरण विचाराधीन है।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत यथाशीघ्र निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राम नरेश पाण्डेय तथा श्री शिव सम्पत्ति राम के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

अब हम निधन के निर्देश लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम नरेश पाण्डेय का 14 जून, 2008 को निधन हो गया था। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री राम नरेश पाण्डेय का जन्म 19 जून, 1930 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0टी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम नरेश पाण्डेय वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र कुशीनगर, तत्कालीन जिला देवरिया (वर्तमान जिला कुशीनगर) से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र फाजिल नगर, तत्कालीन जिला देवरिया (वर्तमान जिला कुशीनगर) से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राम नरेश पाण्डेय वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान मीसा एवं डी0आर0आर0 के अन्तर्गत जेल में निरुद्ध रहे। वे श्री चन्द्रशेखर शास्त्री विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तथा अनेक शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध रहे थे। उनकी रचनायें समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती थीं। खेलकूद एवं शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम नरेश पाण्डेय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शिव सम्पत्ति राम का 18 अगस्त, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 92 वर्ष के थे। श्री शिव सम्पत्ति राम का जन्म सितम्बर, 1916 में ग्राम महुली, तत्कालीन जिला मिर्जापुर (वर्तमान जिला सोनभद्र) में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शिव सम्पत्ति राम वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र दुद्धी (अ0जा0), तत्कालीन जिला मिर्जापुर (वर्तमान जिला सोनभद्र) से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे छठी लोकसभा के सदस्य भी थे। श्री शिवसम्पत्ति राम वर्ष 1975 में आपातकाल में 18 माह जेल में रहे थे। वे वर्ष 1977 से 1979 तक आल इंडिया रेलवे इम्पलाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे। वे कनहर नदी के पुल के निर्माण तथा कनहर नदी पर बांध के निर्माण के लिये अंतिम समय तक प्रयासरत रहे। सत्संग एवं कृषि में उनकी रुचि थी। श्री शिव सम्पत्ति राम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर कृपया दो मिनट मौन खड़े हो जायें।

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये।)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को स्थगित पृथक बुन्देलखण्ड राज्य बनाने विषयक संकल्प को आज की कार्य-सूची में सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रदीप जैन 'आदेत्य'-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन नियमों से चलता है और 4 दिन का सदन हुआ और इसमें अंतिम दिन असरकारी दिवस आपने इसमें 12.20 बजे के बाद रखा है। और हमने 6 नवम्बर, 2007 को जैसा प्रदेश सरकार की मंशा थी कि पृथक बुन्देलखण्ड राज्य बने उसके लिए एक संकल्प लगाया था हर सत्र में उसको लम्बित किया जाता है और सरकार द्वारा मीटिंगों में घोषणा की जाती है कि हम उत्तर प्रदेश का विभाजन कर बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल और 4 हिस्से बना रहे हैं और आज कार्य-सूची में उसको सम्मिलित नहीं किया गया। आज असरकारी दिवस है और आज उसको सम्मिलित भी नहीं किया गया इससे यह सिद्ध होता है कि यह सरकार पृथक बुन्देलखण्ड राज्य का निर्माण नहीं करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष-

यही व्यवस्था है आपकी।

आपका संकल्प है, यह पिछली बार तो लिया गया था। यह प्रस्तुत हुआ है ?

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, प्रस्तुत हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

पिछली बार आपका 103 में लगा था आप सदन से बाहर चले गये थे जब आपका नाम पुकारा गया था आप नहीं थे इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया था। आप सदन में नहीं थे इसलिए निरस्त कर दिया गया था।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, उसको आगे के लिए लम्बित किया गया था यह कह दिया गया था कि समय नहीं है अगले सत्र में ले लेंगे। कोई निरस्त नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, इसको दिखवा लेंगे अगर नहीं हुआ है तो हम करा देंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं। किन्हीं कारणों से कल कार्य-मंत्रणा समिति में भी इस विषय को मैंने उठाया था कि एक पूर्वान्चल का और बुन्देलखण्ड का चर्चा के लिए ले लिया जाय। किन्हीं कारणों से वह प्रकाशित नहीं हुआ है। सम्भवतः यह लिपिकीय त्रुटि है, इसे दिखवा लें, इस पर चर्चा जारी थी। कल एजेन्डे में आया था मुझे आज भी याद है, सीरियल नं0-4 पर था आपने कहा भी था कि इसको ले लिया जाय। परन्तु किन कारणों से छूट गया मुझे नहीं मालूम मान्यवर। कृपया इसको दिखवा लें और इस पर चर्चा जारी रहे, एक-एक मिनट बोलकर, फिर अगले सत्र में हो जायेगा, लेकिन उसे ले लें।

अध्यक्ष-

ठीक है।

स्वतंत्रता आन्दोलन 1857 की 150वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर सरकार द्वारा शहीदों के सम्मान में सदन में प्रस्ताव लाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन 1857 की 150वीं पूरे देश में मनायी जा रही है। उन क्रान्तिकारियों ने, जिन्होनें देश की आजादी के लिये अपने आपको समर्पित कर दिया, उन्हीं की बदौलत हम लोग आज सदन के अन्दर बैठे हैं। लेकिन यह सरकार उनके प्रति गंभीर नहीं है, कम से कम सरकार को एक प्रस्ताव लाना चाहिये उन क्रान्तिकारियों के लिये, जिससे कि हम लोग उनको श्रद्धाजंलि अर्पित कर सकें जिन महान सपूतों ने देश की आजादी में अपने को समर्पित कर दिया और अपनी कुर्बानी दे दी देश के लिये। तो मान्यवर, यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी तो मैं आपके माध्यम से इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर कौन सी व्यवस्था आप मांग रहे हैं ?

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, जिन्होनें देश की आजादी के लिये लड़ाई लड़ी, उनको श्रद्धाजंलि देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

उनका तो सम्मान होता है और हमेशा उनको श्रद्धाजंलि दी जाती है। जब उसका समय होता है।

(श्री राम विशुन आजाद द्वारा पुनः खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप काहे को बिगड़ रहे हैं। सभी आजादी दिलाने वालों का सम्मान है। हम लोग उनको नमन करते हैं उनका आदर है। धरती पर हमारा देश का हर बच्चा-बच्चा उनका नमन करेगा। सब लोग उनका सम्मान और कद्र करते हैं। आप बैठिये।

मद संख्या-4 व मद संख्या-5 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 अगस्त, 2008 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 21 अगस्त, 2008 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

1-दिनांक 21 अगस्त, 2008 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं ली जायं।

2-दिनांक 21 अगस्त, 2008 का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :--

अगस्त, 2008

21 गुरुवार

1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

3-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (आधा-आधा घण्टा :--

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

(2) तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008

(3) उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008

(4) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008

(5) उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008

(6) उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008

4-डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर एवं चौधरी सत्यपाल सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :--

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में निरन्तर घटते भू-गर्भ जल-स्तर को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल एवं सिंचाई के लिये भू-गर्भ जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनाई जाय।"

5-उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को प्रस्तुत सूचना पर एक घण्टे की अग्रतर चर्चा।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 21 अगस्त, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 58 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी है।.....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आखिरी दिन आज सत्र का है और यह परम्परा रही है कि आखिरी दिन सभी सूचनाओं को ले लिया जाता है, आप सबको ले लीजिये।

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जिनका इस सप्ताह में न आया हो और जो नियमों में हो, नियमों के अनुसार ही लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है कि यह परम्परा रही है और परम्परा नियमों के अनुसार ही बनती है और आपके विवेक को चुनौती नहीं दी जा सकती है। मान्यवर, आज अन्तिम दिन है आज के बाद अवसर मिलेगा नहीं और इसमें कुछ करना भी नहीं है इसलिए अनुरोध है कि नियम-301 की जितनी सूचनाएं हों, सभी स्वीकार कर लें और 301 ही नहीं आज जितनी नियम-51 की सूचनाएं हों उन पर भी ध्यान आकर्षित कर दें। मान्यवर, यह परम्परा रही है और अच्छी परम्पराओं को नहीं तोड़ना चाहिए और जब अच्छी परम्परा बनायें तो अच्छे लोगों की तरफ देखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, नियम-301 की सूचनाएं जितने भी मा0 सदस्यों ने दी हैं, मैं सभी की सूचनाओं को स्वीकार कर लेता हूं।

(सभी सूचनायें स्वीकार की गयी जो पढ़ी हुई मानी गयी।)

खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण एवं हाटमिक्स प्लाण्ट से निर्माण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित, अति पिछड़ा एवं गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। एक वर्ष में शासन स्तर से स्वीकृतियों तथा धन आवंटन के बाद भी पी0डब्ल्यू0डी0, खीरी द्वारा कोई सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ है। मुख्य मार्ग खीरी से बहराइच मार्ग पसढ़िया चौराहा से गन्ना मिल खमरिया होते हुए सरैया वाया नौरंगपुर से हसनपुर कटौली, दुर्गापुर पडरी तक 25 कि0मी0 चौड़ीकरण तथा हाटमिक्स प्लाण्ट से निर्माण व पी0डब्ल्यू0डी0, खीरी से प्रस्तावित 16 रपटों के निर्माण की मैं मांग करता हूं क्योंकि लाखों गन्ना किसानों की जीविका का गन्ना औने-पौने दामों पर रास्ता निर्माण न होने के कारण बेचना पड़ता है। अतः मैं आपके माध्यम से निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

बरेली मण्डल के सहकारिता विभाग में शासकीय नीति के विरुद्ध पद स्थापना को निरस्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवत शरण गंगवार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना लाना चाहता हूं।

प्रदेश के सहकारिता विभाग के अन्तर्गत शासन की स्थानान्तरण नीति का खुला उल्लंघन करके गोलबन्दी/पेशबन्दी के तहत अधिकारियों के द्वारा अपने मनचाहे स्थानों पर बीसों बरस तक एक ही मण्डल में पदस्थ रहने की स्थिति के तहत भ्रष्टाचार एवं मनमानी का उदाहरण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में बरेली मण्डल के कतिपय अधिकारियों विशेषकर सहकारिता विभाग में जिला सहायक निबन्धक बरेली का ज्वलन्त उदाहरण है। इस पर पदस्थ पद धारक लगभग 17 वर्षों तक जनपद बरेली में एवं लगभग 22 वर्षों तक बरेली मण्डल में रह चुके हैं।

इसके साथ ही जन सामान्य में ऐसी पद स्थापनाओं से गलत सन्देश जाता है तथा भ्रष्टाचार एवं अराजकता को बढ़ावा मिलता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण पर सरकार को तत्काल जांच करने तथा शासकीय नीति के विरुद्ध पद स्थापना को निरस्त कराने की कृपा करें।]

नाट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर के क्षतिग्रस्त मार्ग की तत्काल मरम्मत कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कंसल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर के अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण मार्ग की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क जो सरकुलर रोड से रेशु बिहार होते हुए परिक्रमा मार्ग को जोड़ते हुए अलमासपुर होते हुए भोपा मेने रोड को जोड़ती है, इस मार्ग में जगह-जगह बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिसके कारण आये दिन जानलेवा दुर्घटनायें होती रहती हैं। इस मार्ग पर 3-4 विद्यालय भी पड़ते हैं मार्ग के अत्यन्त खराब होने के कारण बहुत से विद्यार्थी आये दिन चोटिल हो रहते हैं। इस मार्ग का निर्माण न कराये जाने के कारण यहां के निवासियों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्ग का निर्माण अविलम्ब कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

लालबाग राजकीय आफीसर्स कालोनी, लखनऊ के दोनों ब्लाकों में एक-एक लिस्ट को बदलवाये जाने तथा कालोनी परिसर में नई बोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

[मान्यवर, मैं नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं :-

लालबाग राजकीय आफिसर्स कालोनी, लालबाग, लखनऊ दो सात मंजिली इमारत है जो वर्ष 1980 में निर्मित की गयी थी। इस कालोनी के 'ए' तथा 'बी' ब्लाक में 56 फ्लैट्स हैं जिनमें बूढ़े, बच्चे और महिलायें भी निवास करते हैं। इस कालोनी के प्रत्येक ब्लाक में दो-दो लिफ्टें हैं तथा अध्यासियों के पेयजल की व्यवस्था हेतु कालोनी के परिसर में ही एक पम्पिंग स्टेशन की स्थापना करके जलापूर्ति की जाती रही है। विगत कई वर्षों से उक्त कालोनी में अधिष्ठापित दोनों ब्लाकों की चारों लिफ्टें 25-25 वर्ष पुरानी होने के कारण बार-बार खराब हो जाती थीं। अतः अध्यासियों के अनुरोध पर प्रत्येक ब्लाक की दो-दो लिफ्टों में से एक-एक लिफ्ट बदलकर ओटिस की एक-एक नई लिफ्ट दोनों ब्लाक्स में लगायी गयी थीं। विधान सभा के पिछले सत्र में दिनांक 10 मार्च, 2008 को इस सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना सदन ने स्वीकार की थी किन्तु उक्त कालोनी में अभी एक-एक लिफ्ट दोनों ब्लाक में बदली जानी शेष है। उक्त दोनों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लिफ्टों के प्रतिस्थापन का कार्य 31 मई, 2008 तक पूर्ण कराये जाने हेतु पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2008 द्वारा मा0 मंत्री ने आश्वासन भी दिया था। इस कार्य हेतु धनराशि गत वर्ष से स्वीकृत है। बूढ़े और बीमार व्यक्तियों के लिये एक लिफ्ट खराब हो जाने पर आवागमन के लिये दूसरी लिफ्ट नितान्त आवश्यक है।

इसी प्रकार जल के गिरते स्तर के कारण कालोनी के अध्यासियों को जलापूर्ति के लिये अधिष्ठापित पम्प का मोटर जल जाने के कारण अक्सर जल संकट हो जाता है। इसके सम्बन्ध में दिनांक 10 मार्च, 2008 को नियम 301 में दी गयी उक्त सूचना में ही यह भी अनुरोध किया था कि पेयजल जैसी महत्वपूर्ण नैसर्गिक आवश्यकता की अपरिहार्यता को ध्यान में रखते हुये उक्त कालोनी के परिसर में नई बोरिंग करायी जाय।

मैं अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 10 मार्च, 2008 की उक्त सूचना के अनुसार उक्त कालोनी के दोनों ब्लाकों में शेष एक-एक लिफ्टों को बदलवाये जाने तथा कालोनी के परिसर में नई बोरिंग कराये जाने सम्बन्धी कार्य अभी तक प्रारम्भ भी नहीं किया गया है।

लालबाग राजकीय आवासीय कालोनी के अध्यासियों से सम्बन्धित लोकहित के महत्वपूर्ण विषय को मुझे सदन में उठाये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।]

दिनांक 26-2-2008 को नियम-301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचना का गलत उत्तर भेजने वाले एवं वित्तीय अनियमितता करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग के सम्बन्ध में सूचना

श्री राम बिशुन आजाद-

[मान्यवर, प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम का प्रदेश में शासन द्वारा सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, जिससे नरेगा जैसी योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है और जॉब कार्डधारकों का शोषण किया जा रहा है। अधिकारियों की लापरवाही से योजनायें धरातल पर नहीं आ रही हैं और गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसका उदाहरण मेरे द्वारा नियम-301 के अन्तर्गत 26-2-2008 को विधान सभा के सत्र के दौरान उठाया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में आपको अवगत कराना है कि मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा द्वारा पत्रांक सं0-477/अ0लि0/नियम-301 उत्तर/2008-09, दिनांक 13-06-2008 सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को जो जांच आख्या भेजी गयी है उच्च अधिकारी से जांच कराकर वित्तीय अनियमितता करने वाले खण्ड विकास अधिकारी, मनकापुर से ही जांच करायी गयी जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी थी, जो नियमानुसार गलत है, मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा द्वारा जो उत्तर माननीय सदन को भेजा गया है वह भ्रामक है। खण्ड विकास अधिकारी, मनकापुर द्वारा नरेगा के शासनादेश का उल्लंघन कर संयुक्त खाते का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संचालन न करके एकल हस्ताक्षर से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये देवीपाटन ग्रामीण बैंक, मनकापुर से धन आहरित कर भारी पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की गयी है। मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा को उक्त प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद भी कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? उक्त प्रकरण की जांच गम्भीरता से न लेकर सही तरीके से जांच नहीं करायी गयी और तथ्यों को छिपाकर प्रेषित किया गया है, जिससे मा0 सदन की अवमानना हुई है। गलत उत्तर भेजने वाले एवं वित्तीय अनियमितता करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही होना आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

मुरली विहार (टी0सी0एल0) कालोनी के पीछे सरोजनीनगर, लखनऊ में जलभराव एवं सड़क में गड्ढे होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना है कि श्री मुन्ना लाल, श्री रामचन्दर, श्री कन्हैया लाल, श्री बी0 एन0 वर्मा तथा अन्य निवासीगण 100 मुरली विहार, (टी0सी0एल0) कालोनी के पीछे, सरोजनीनगर, लखनऊ के घर के सामने जल निकासी ठीक न होने के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गयी है जिस कारण उक्त क्षेत्र के निवासियों के आवागमन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण ही सड़क में गड्ढे हो गये हैं। उक्त क्षेत्र के निवासियों को सड़क से आवागमन में बड़ी असुविधा हो रही है।

अतः आदरणीय सदन से अनुरोध है कि 100 मुरली विहार, (टी0सी0एल0) कालोनी के पीछे, सरोजनीनगर, लखनऊ के निवासियों की उक्त समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।]

दीनदयाल विश्वविद्यालय, गोरखपुर में सांध्यकालीन छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन का ध्यान एक अति लोक महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करना चाहूंगा कि दीनदयाल विश्वविद्यालय के नवागत कुलपति ने हमेशा से चली आ रही सांध्यकालीन छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। करीब 5 हजार छात्र जिसमें स्नातक और परास्नातक कक्षा के छात्र है। उनके भविष्य के सामने प्रश्नचिन्ह लग गया है। प्रवेश

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

न पाने के कारण वह आन्दोलित हैं आये दिन धरना और प्रदर्शन चल रहा है कभी भी स्थिति विस्फोटक हो सकती है। छात्रों में आक्रोश व्याप्त हैं।

अतः यही स्थिति रही तो इसका अनुकरण दूसरे विश्वविद्यालय के लोग करेंगे और इस प्रकार हजारों छात्र सड़क पर आ जायेंगे और शिक्षा पाने में मजबूर होंगे। यह निहायत महत्वपूर्ण विषय है मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह कुलपति दीनदयाल विश्वविद्यालय गोरखपुर को निर्देशित करें कि पूर्ववत् सांध्यकालीन कक्षा खोलकर छात्रों का प्रवेश देना प्रारम्भ कर दें।]

जिला पंचायत अलीगढ़ में नहरों, नालों की सफाई आदि में व्यय धन के दुरुपयोग की जांच कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जमीर उल्ला खां-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के विषय पर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जिला पंचायत अलीगढ़ जनपद अलीगढ़ में सिंचाई विभाग के कार्यों में बहुत ही अनियमिततायें की गयी हैं, नहरों, नालों की सफाई में फर्जी पेमेंट हुआ है। तालाब खुदाई आदि में भारी अनियमितता हुई है, यही नहीं जिला पंचायत के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में बड़े पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। इस तरह तमाम कामों में भारी अनियमिततायें कर सरकारी धन की लूट मची है, हम लोगों द्वारा बार-बार शासन एवं प्रशासन की जानकारी में लाये जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है लोक महत्व का है इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा वर्ष 2005 में औद्योगिक क्षेत्र हेतु अधिग्रहीत की गई किसानों की भूमि का अब तक मुआवजा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक कुमार-

[मान्यवर, जनपद उन्नाव के गांव शंकर पुर सराय, कन्हवापुर, मनभवना, परगना परियर तहसील सदर, उन्नाव के किसानों की कृषि योग्य भूमि 441.72 हेक्टे0 वर्ष 2005 में औद्योगिक क्षेत्र हेतु यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा अधिग्रहीत की गयी थी जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 व किसानों के मध्य समझौता हुआ था कि पांच लाख इक्यावन हजार रुपये की दर से किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा दिया जायेगा जो अभी तक नहीं दिया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया है। जबकि किसानों की भूमि से उनका नाम कट कर यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो चुका है। अब किसान उस जमीन पर न खेती कर सकता है और न ही बैंक से कर्जा ले सकता है जिससे किसान मारा-मारा फिर रहा है कोई सुनने वाला नहीं है। इससे किसानों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए किसान को उनकी भूमि का बाजार दर से मुआवजा देने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ से प्रभावित लोगों एवं किसानों को समुचित सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सर्वेश कुमार सिंह "सिपू"-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सगड़ी जनपद आजमगढ़ जो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वर्तमान समय में बाढ़ से प्रभावित है, जल भराव से किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी है उसका मुआवजा बढ़ा कर दिया जाये, सहायता राशि जो दी गयी है वह बहुत ही कम दी गयी है। छोटी सरजू नदी के जलभराव के कारण फसलें बहुत ही नष्ट हो चुकी हैं, बाढ़ पीड़ित के लोगों के धरासायी घरों को बनवाने हेतु दैवी आपदा प्रबन्धन को दिये जाने वाली गृह अनुदान की राशि को महंगाई के हिसाब से बढ़ाने पर विचार किया जाये और पूरे क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित कर सारी वसूलियां स्थगित की जायें। मेरे द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद प्रभावित लोगों को स्थानीय प्रशासन द्वारा न तो उचित मात्रा में सहायता राशि दी गई, न गृह अनुदान दिया गया न उनके पुनर्वास की कोई योजना बनायी गयी, लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार का ध्यान आकृष्ट कर समुचित सहायता राशि, आवास, गृह अनुदान आदि की व्यवस्था किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा की क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद झांसी अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गरौठा में गुरुसहाय नगर से गुजरने वाली सड़क जो निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी है और यह सड़क तीन तहसीलों के मुख्य मार्ग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से जुड़ी है और दो सीमाओं को भी जोड़ने का कार्य करती है। यह सड़क बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, आवागमन बाधित है, गड्ढे होने से गम्भीर बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा बन गया है। इस सड़क की मरम्मत कराये जाने हेतु स्थानीय लोगों द्वारा भी बार-बार मांग की जा रही है। गुरुसहाय नगर में रहने वाले लोगों में महामारी फैलने की आशंका बढ़ गयी है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं तथा टूटी हुई सड़क गुरुसहाय नगर की तत्काल ठीक कराये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर की क्षतिग्रस्त सड़क को हाटमिक्स प्लान्ट से बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ सदर अन्तर्गत दीवानी कचेहरी से चौक होते हुये हरी की चुंगी होकर शहर बाईपास तक लोक निर्माण विभाग द्वारा बनी सड़क बहुत ही क्षतिग्रस्त है और यह सड़क बाईपास होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको हाटमिक्स प्लान्ट से बनाया जाना अतिआवश्यक है। इस सम्बन्ध में बार-बार अनुरोध किया गया परन्तु उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सड़क न बनने के कारण बहुत ही आम लोगों को असुविधा होती है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार का ध्यान आकृष्ट कर उक्त सड़क को हाटमिक्स प्लान्ट से बनाये जाने की मांग करता हूं।]

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई', सदस्य, विधान सभा द्वारा वाई श्रेणी की सुरक्षा अथवा दो अतिरिक्त गनर शासकीय खर्चे पर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई''-

[मान्यवर, मैं विधान सभा क्षेत्र 241 खुटहन जनपद जौनपुर से विधायक हूं, मैंने बार-बार अपनी सुरक्षा हेतु शासन से अनुरोध किया और इस सम्बन्ध में पिछले सत्र के दौरान भी प्रकरण मेरे द्वारा सदन में उठाया गया था जिसमें आप द्वारा अपने कक्ष में मुझे बुलाकर आश्वासन दिया गया था कि आपकी सुरक्षा दी जायेगी। पूर्व में मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गयी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

थी, राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों से मुझे खतरा बना है। इस बीच मेरे परिवार के एक सदस्य की हत्या भी कर दी गयी।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा तत्काल दिया जाय अथवा अतिरिक्त दो गनर शासकीय खर्चे पर दिये जाने की मांग करता हूं।]

शासकीय/अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालय में कार्यरत कर्मचारी की योग्यता स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान प्रमाण-पत्र कर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजीव दरियाबादी-

[सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा प्रदेश के 11 प्रशिक्षण केन्द्रों में पुस्तकालय विज्ञान प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 के इलाहाबाद के पत्रांक-परि0 9/396, दिनांक 26 सितम्बर, 2002 के अनुसार बिना पुस्तकालय के मान्यता नहीं दी जाती है। पुस्तकालय द्वारा समाज के सभी वर्गों विशेषकर दलित, कमजोर व पिछड़े वर्गों को उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, मार्गदर्शक व उन्नति के अवसरों से परिचित कराया जाता है। माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, शिक्षक सभी प्रशिक्षित होते हैं, वहीं दूसरी ओर उक्त को नवीन ज्ञान से अवतन रखने वाले पुस्तकालयाध्यक्ष का प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। इससे छात्रों व विद्यालय में पठन-पाठन का उपयुक्त वातावरण नहीं बन पाता यदि प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति अनिवार्य हो तो शिक्षा का कायाकल्प हो सकता है। इस हेतु पुस्तकालयाध्यक्ष का प्रशिक्षण वही संस्था प्रदान कर रही है, जो शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसलिए पुस्तकालय विज्ञान प्रमाण-पत्र धारकों को अनिवार्यतः माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाय, साथ ही उसे अनिवार्यतः शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को नवीन पठन सामग्री व ज्ञान तथा विद्यार्थियों के मार्गदर्शक करने का दायित्व भी दिया जाय। इससे शिक्षा सर्व सुलभ व जीवन को प्रकाशमय करेगी। यदि शासकीय/अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालय में कार्यरत कर्मचारी की योग्यता स्नातक के साथ पुस्ताकलय विज्ञान प्रमाण-पत्र कर दी जाय तो माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालय का संचालन सुचारु रूप से होगा और सीबीएससी व आईसीएससी की तरह परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट होगा तथा गरीब गांव के छात्र भी इसका उपयोग कर सकेंगे।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नानपारा बहराइच में कांवरियों को दौड़ा-दौड़ा कर मारने-पीटने की उच्चस्तरीय जांच निष्पक्ष एजेन्सी से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश्वर सिंह-

[महोदय, दिनांक 10 अगस्त, 2008 को कांवरिया संघ नानपारा बहराइच के नेतृत्व में लगभग 150 कांवरिया तकिया घाट जल भरने जा रहे थे कि रास्ते में "मंगलपुरवा" में नानपारा देहाती के ग्राम प्रधान पीरगुलाम एवं उनके पुत्र के नेतृत्व में एक समुदाय के लोगों ने कांवरियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा एवं कीचड़ फेंका, जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की गयी, किन्तु दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके परिणामस्वरूप 11 अगस्त को नानपारा (इमामगंज चौराहे) पर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कांवरियें धरने पर बैठ गये, उसी समय एक समुदाय के लोग जत्थे के साथ पहुंच-पहुंच कर धरने पर बैठे कांवरियों पर पथराव शुरू कर दिया, उन्हीं के साथ नानपारा के प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश प्रताप ने भी कांवरियों पर पुलिस बल के साथ लाठियों से पिटाई शुरू करा दी, जिससे कई कांवरिये घायल हो गये। इसके पश्चात् एक सामुदाय के लोगों ने कोतवाल को कंधे पर बैठाकर जिन्दाबाद के नारे लगाने लगे। इसके पश्चात् नानपारा बाजार की दुकानें बन्द हो गयीं। मौके पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच पहुंचे। स्थिति का जायजा लेकर श्री रमेश प्रताप प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही कांवरियों की तरफ से दो मु0अ0सं0 639/08 एवं 640/08 कायम हुए। इसके पश्चात् राजनैतिक कारणों से 12 अगस्त को 639ए/08 एवं 640ए/08 कायम कराये गये।

आम जनमानस के आक्रोश को देखकर श्री रमेश प्रताप प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन 48 घंटे के भीतर ही उन्हें फिर कोतवाली का चार्ज दे दिया गया। किन्तु दोषियों एवं साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

न्यायहित में यह आवश्यक हो गया है कि सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच निष्पक्ष एजेन्सी से कराकर दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही एवं निर्दोष को न्याय सुलभ कराने का कष्ट करें।

अतः विधान सभा कार्य प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत नियम-301 के तहत सरकार को सदन में जवाब देने हेतु निर्देशित करें।]

भातखण्डे संगीत विश्वविद्यालय, लखनऊ की संगतकर्ता गायन (लोक नृत्य) सुश्री मीता चटर्जी के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्वनाथ-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर दिलाते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि सुश्री मीता चटर्जी, संगतकर्ता गायन (लोकनृत्य), भातखण्डे संगीत संस्थान

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विश्वविद्यालय, लखनऊ को चिकित्सा व्यय हेतु अग्रिम धनराशि रु0 1,49,219.00 (एक लाख उन्चास हजार दो सौ उन्नीस) का भुगतान सम्बन्धित (संस्कृति विभाग) द्वारा लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में शासन के विवेकाधीन कोष से नहीं की गयी है। यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 07 फरवरी, 2007 को इस आशय का पत्र श्री ओ0 पी0 शर्मा, प्रशासनाधिकारी भातखण्डे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा श्री वी0 के0 दुबे, संयुक्त सचिव, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित कर शासन के विवेकाधीन कोष से दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। एक वर्ष से सम्बन्धित प्रकरण शासन के विचाराधीन होने के बावजूद भी अभी तक सुश्री मीता चटर्जी को चिकित्सा व्यय हेतु अग्रिम धनराशि रु0 1,49,219.00 का भुगतान नहीं किया गया है। सुश्री मीता चटर्जी वर्तमान में असाध्य रोग से पीड़ित हैं और इनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है।

अतः सुश्री मीता चटर्जी के जीवन को बचाने हेतु विवेकाधीन कोष से उक्त धनराशि दिलाने हेतु सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।]

कानपुर नगर की तहसील घाटमपुर के तीन ब्लाकों के अधिकांश ग्रामों की बी0पी0एल0 सूची के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रकाश कुशवाहा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद कानपुर नगर की तहसील घाटमपुर के तीनों ब्लाकों भीतरगांव, पतारा व घाटमपुर के कई ग्रामों की बी0पी0एल0 सूची के पुनरीक्षण में गम्भीर अनियमितताएं बरती गयी हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों का नाम हटा दिया गया है और सम्पन्न लोगों को सूची में शामिल करके गरीबों के साथ कुठाराघात किया गया है। बहुतेरे ग्रामों में बी0पी0एल0 से आच्छादित लोगों का क्रम नीचे करने से पहले लाभ पाने के अधिकारी पात्र व्यक्तियों को समय से लाभ नहीं मिलेगा। भीतरगांव ब्लाक के शाह कुड़नी, छतेरुआ, साढ़, गहोलिनपुरवा (रावतपुर), बरईगढ़, अरंजहामी, हाजीपुर, कदीम, गोपालपुर नर्वल, दौलतपुर, बेहटा, गम्भीरपुर, कोरथा, देवसढ़, बैजूपुर, चतुरीखेड़ा, वीरनखेड़ा, गौरीककरा, पासीखेड़ा, पसेवां, राजेपुर, जसरा, बारीगांव, भीतरगांव, पतारी, सीहूपुर, राजेपुर, चिरली, अमौर, पालपुर, कुंदौली, देवपुरा तथा पतारा ब्लाक के नगेलिनपुर, धरमपुर, जगदीशपुर, पतारा, चतुरीपुर और घाटमपुर ब्लाक के सजेती, बरीपाल, अमौली, व गुच्चूपुर ग्रामों की बी0पी0एल0 सूची के पुनरीक्षण में गड़बड़ी की गई है। इस कदाचार व लापरवाही के कारण क्षेत्र की गरीब जनता में भीषण रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकहित के महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्रामों की बी0पी0एल0 सूची के पुनः पुनरीक्षण की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापर के सेवानिवृत्त ज्येष्ठ लेखापरीक्षक ग्रेड-2 श्री इज्जत अली उस्मानी के भविष्य निर्वाह निधि से रु0 11000/- की धनराशि के गलत आहरण की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर के कार्यालय जिला लेखा परीक्षाधिकारी जनपद सीतापुर के सेवानिवृत्त ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-2 श्री इज्जत अली उस्मानी, ज्येष्ठ लेखापरीक्षक पद पर कार्यरत रहते हुए अपने भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या आ0-यू/1096 से अंकन 11000 रुपया की धनराशि जिस वर्ष अग्रिम रूप से प्राप्त किये गये दर्शाया गया है जबकि 11000 रुपये की धनराशि को अग्रिम रूप से धनराशि के दिये गये प्रार्थना-पत्र, वेतन बिल पंजिका, जी0पी0एफ0 लेजर तथा जी0पी0एफ0 पासबुक जिसमें अग्रिम रूप से ली गयी धनराशि को आहरित दर्शाया गया है जबकि श्री इज्जत अली उस्मानी सेवानिवृत्त ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-2 द्वारा धनराशि से सम्बन्धित प्रमाणित छाया प्रतियां उपलब्ध कराने की बार-बार मांग करने के बावजूद उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी करके इनके खाते से 11000 रुपये निकाल लिए गये हैं जिससे इनके तथा परिवार के लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने एवं उत्तर की मांग करता हूं।]

जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत शारदा नदी के कटान से प्रभावित ग्राम-दम्बल छांडा एवं राम नगर कलां आदि में ठोकर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश कुमार-

[महोदय, जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत मेरी विधान सभा क्षेत्र-53, पैला में शारदा नदी के कटान से क्षेत्र के कई गांव शारदा नदी में समा गये तथा शारदा नदी निरन्तर कटान कर रही है जिससे हजारों किसानों के खेत एवं घर नदी में बह गये तथा खेत की फसलें नष्ट हो गयी हैं लोग बेघर हो गये हैं तथा भुखमरी के कगार पर आ गये हैं जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यन्त रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शारदा नदी में ठोकर लगाये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-लखीमपुर खीरी के लोक निर्माण विभाग प्रथम खण्ड पचपेंडी घाट पर बेलदार पद पर कार्यरत श्री शारदा प्रसाद को नौकरी करने हेतु समय बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर खीरी के लोक निर्माण विभाग प्रथम खण्ड में पचपेंडी घाट पर बेलदार पद पर कार्यरत श्री शारदा प्रसाद पुत्र श्री जैराम विभाग में नौकरी कर रहे हैं, वे पढ़े-लिखे नहीं हैं, हस्ताक्षर कर लेते हैं उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है जिसे मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी ने जांचोपरान्त प्रमाणित करके दिया है। किन्तु उनको 30 अगस्त, 2008 को सेवानिवृत्त किया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। जिससे इनके तथा परिवार के लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर उनको नौकरी करने हेतु समय बढ़ाने के सम्बन्ध में उत्तर की मांग करता हूं।]

लखीमपुर खीरी के उजाड़े गये ग्राम चुन्नीलाल पुरवा को पुनः आबाद करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 कौशल किशोर-

[मान्यवर, कुछ वर्षों पूर्व चुन्नीलाल पुरा एक आबाद गांव था लेकिन काले पुत्र नजीर नि0 धोसियाना, लखीमपुर देहात ने अपनी दबंगई से इस गांव के निवासियों को डरा-धमकाकर उन्हें गांव छोड़कर भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया और गांववासी गांव छोड़कर भाग गये तो काले पुत्र नजीर ने गांव की आबादी की जमीन व खलिहान की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और खेती करके गन्ना बो दिया। चुन्नीलाल पुरवा के भागे हुए व्यक्यिों को अन्य कहीं ठिकाना नहीं मिला इसलिए वह पुनः पुरवा आकर आबाद होना चाहते हैं परन्तु काले अपनी दबंगई से उन्हें आने नहीं देना चाहता है। कई बार जिलाधिकारी, खीरी व तहसीलदार से शिकायतें की गईं लेकिन नतीजा सिफर रहा।

चुन्नीलाल पुरवा के पूर्व निवासी व अन्य कुछ लोग आन्दोलनरत् हैं इसलिए लोकमहत्व की यह अविलम्बनीय समस्या है, इसका निराकरण कराया जाये।]

उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संवर्ग के अधिकारियों को सुविधाएं प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, शासनादेश शासन द्वारा जारी किया जाता है उसको लागू करने में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बहुत ही विलम्ब क्यों किया जा रहा है सोचनीय विषय है, शासनादेश संख्या-06/2-2-2008-19/2(62)/07 टी0 सी0 नियुक्ति अनुभाग-2 दिनांक 14 फरवरी, 2008 के द्वारा विभिन्न वेतनमानों में न्यायिक कार्य करने वाले उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संवर्ग के अधिकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप अतिथि सत्कार भत्ता आवास पर विद्युत एवं जल शुल्क प्रतिपूर्ति समाचार-पत्र/पत्रिका चिकित्सा प्रतिपूर्ति चिकित्सा भत्ता दिये जाने की बात है। परन्तु उक्त शासनादेश को आज तक लागू नहीं किया गया है और न ही उससे उक्त लोगों को इसका लाभ मिल रहा है लोगों में निराशा है और रोष व्याप्त है। यह लोक महत्व का गम्भीर विषय है।

अतः इस लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल शासनादेश को लागू करने की मांग करता हूं।]

मेरठ जनपद में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार धारा-144 एवं 353 के अन्तर्गत जनता का उत्पीड़न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[मान्यवर, मेरट जनपद में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विपक्ष के सभी राजनैतिक दलों, सामाजिक संगठनों, व्यापारी संगठनों एवं छात्र संगठनों तथा सभी नागरिकों का लगातार धारा-144 एवं धारा-353 के अन्तर्गत उत्पीड़न किया जा रहा है।

सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी जनता की आवाज सुन नहीं रहे हैं जब भी जनता, राजनैतिक दल अथवा अन्य कोई संगठन अपनी बात कहने के लिए कचहरी, थाने पर धरना प्रदर्शन की बात करता है तो तुरन्त धारा-144 लगाने की बात पुलिस अधिकारी एवं सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को धमकाया जाता है। धारा-144 अंग्रेजों के समय में हिन्दुस्तानी व्यक्तियों को धरने प्रदर्शन से रोकने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाली धारा थी। मेरठ जिले में पिछले वर्ष में कितने समय धारा-144 लागू रही है। कितने समय तक धारा-144 लगातार रह सकती है ? बताने का कष्ट करें तथा इसी प्रकार धारा-353 का अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। किसी भी धरने प्रदर्शन पर राजनैतिक कार्यकर्ताओं, छात्र संगठनों, सामाजिक व्यापारिक किसान संगठनों पर धारा-353 लगाकर जेल भेजा जा रहा है। धारा-353 लगाने का क्या औचित्य है ? धरने प्रदर्शन में सरकारी कार्य में क्या बाधा है ? पहले धारा-353 जमानती अपराध था अब गैर जमानती हो गया है। धारा-353 जमानती अपराध होना चाहिए तथा धारा-353 एवं 144 का दुरुपयोग तत्काल बन्द होना चाहिए। मेरठ के अधिकारियों को तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गोरखपुर के मानीराम डोमीनगढ़-मानीराम बन्धे में रेगुलेटर को सही जगह एवं सही लेबल पर लगाकर जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र मानीराम जनपद गोरखपुर के रोहिणी नदी के समानान्तर डोमीनगढ़ से सिवारिया होते हुये मानीराम पुल तक बंधे में रेगुलेटर से पानी नदी के तरफ बढ़ाव न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र मानीराम जनपद गोरखपुर डोमीनगढ़-मानीराम बंधा पिछले वर्षों में बाढ़ से गांवों को बचाने हेतु बना लेकिन उसमें रेगुलेटर ठीक ढंग से निरीक्षण करके नहीं लगाया गया जिससे पिछले वर्ष एवं इस समय भी नदी का जलस्तर घटने पर शेरपुर चमराह शिवरिया काजीपुर सेमरा अवईपापड़, जैसे अनेक गांवों के चारों तरफ पानी भरा रहता है। आवागमन अवरुद्ध रहता है। ड्रेनेज खण्ड के अधिकारियों के घोर लापरवाही के कारण आमजन में आक्रोश व्याप्त है। जनहित में उक्त रेगुलेटर को सही जगह पर सही लेबल पर लगाकर ठीक करवाया जाय जिससे पानी की निकासी हो सके और रवी की फसल का सही समय पर बुवाई की जा सके। बन्द रास्तों से पानी हटे। जनहित में उक्त रेगुलेटर का निर्माण कार्य अविलम्ब पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये रेगुलेटर लगाकर अविलम्ब चालू कराकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नगर पालिका परिसर, मथुरा में रेलवे पुल के निकट तथा नये/पुराने बस स्टेशन के पास तात्कालीन जल भराव की समस्या का तत्काल निदान कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[मैं सदन का ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र मथुरा नगर पालिका अन्तर्गत रेलवे पुल के पास नये व पुराने बस स्टेशन पर पूरा जलभराव हो गया है। सरकार को जानकारी है कि इस वर्ष बरसात औसत से ज्यादा हुई है। नगरपालिका मथुरा पहले से ही भ्रष्टाचार में डूबी है। सड़क नदारद है। जन्माष्टमी होने के कारण मथुरा व वृन्दावन में पर्यटकों की इस समय भीड़ लगी रहती है। ऐसे में इस जल भराव से जो छवि आने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाले पर्यटकों में मथुरा तथा इस उत्तर प्रदेश के कुशल प्रशासन की बनती है वह वही लोग जानते होंगे। जलभराव इतना ज्यादा है कि अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर उसको जगह मिलती है परन्तु प्रशासन तथा प्रदेश शासन बेखबर नींद में सोता रहता है। ऐसे में प्रदेश की जो पर्यटन तथा नगर विकास नीति है वह दोनों ही कोलैप्स्ड हैं। सरकार अपने मुह मियां मिट्ठू भले ही बने। जनता की समस्याओं से उसका कोई सरोकार नहीं है।

सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल जल भराव की तात्कालिक समस्या का निदान तथा दीर्घकालीन समस्या निदान का विकल्प ढूंढा जाये तथा जो सड़कें जलभराव से जीर्ण शीर्ण हैं उनको तत्काल सरकार विशेष आर्थिक सहायता देकर किसी सक्षम एजेंसी से तत्काल बनवाया जाये।]

नवनिर्मित तहसील भवन चौरी-चौरा, गोरखपुर के चारों ओर जलभराव की समस्या के निदान की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माधव पासवान-

[मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान नवनिर्मित तहसील भवन चौरी-चौरा, गोरखपुर की ओर दिलाना चाहता हूं। नवनिर्मित तहसील भवन चौरी-चौरा जो अभी एक वर्ष पूर्व में बनकर तैयार हुआ है, वह पूरी तरह से सड़क लेबल से दो फीट गड्ढे में बना है। बरसात के समय उसके चारों तरफ पानी भर जाता है, जिससे भवन के अन्दर भी पानी घुस जाता है। बरसात का पानी भवन के अन्दर जाने से वहां पर रखे सरकारी रिकार्ड भी पानी के कारण नष्ट हो चुके हैं। उक्त समस्या का स्थायी निराकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। यहीं पर नजदीक मंझना नाला पड़ता है, जिसमें पानी की निकासी को गिराया जा सकता है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

सीतापुर रोड योजना सेक्टर-ए, फेज-बी लखनऊ के लिये एक पृथक सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 के0 चौधरी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सीतापुर रोड योजना, सेक्टर-ए, फेज-बी, (मकान नं0-ईएस0 1 बी-769 से 746 तक) लखनऊ का वह भाग जो मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन के ठीक पूरब दिशा में पड़ता है, की गम्भीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह कालोनी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बसाई गयी है जो अब नगर निगम को हस्तांतरित हो चुकी है और फेज-2 के इस भाग में कुल 178 मकान हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कालोनी के उक्त फेज के निवासियों को आने-जाने के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कोई पृथक से सड़क नहीं दी गयी है, बल्कि पल्टन गांव के बीच से बने हुये मार्ग द्वारा ही कालोनी के इस फेज को जोड़ दिया गया है। वर्तमान में गांव के निवासियों द्वारा इस मार्ग पर काफी अतिक्रमण किया जा चुका है जिससे कालोनीवासियों को काफी दिक्क्त का सामना करना पड़ रहा है। गांव के अन्दर से जो सम्पर्क मार्ग दिया गया है, वह काफी घूमकर आया है जिससे कालोनीवासियों को अनावश्यक दिक्क्त पैदा होती है।

आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना है कि कालोनी के उक्त फेज के लिये एक पृथक सड़क का निर्माण किया जा सकता है और इससे कालोनीवासियों की समस्या का समाधान हो जायेगा। इसके लिये ज्यादा बजट की आवश्यकता नहीं है, मात्र 50 मीटर ही सड़क बनायी जानी है और इस हेतु नजूल की भूमि भी उपलब्ध है। नगर निगम ने डा0 किदवई के दवाखाना के पीछे से श्री मुरारी लाल यादव के घर तक पक्की सड़क बना रखी है और मुरारी लाल यादव के घर से कालोनी के उक्त फेज की दूरी (राज कपूर तिवारी के घर तक) मात्र 50 मीटर ही रह जाती है, यदि इस सड़क को थोड़ा आगे बढ़ाकर कालोनी से जोड़ दिया जाय जो एक अच्छा समाधान निकल आयेगा और कालोनीवासियों के आवागमन की समस्या का समाधान हो जायेगा।

मैं इस लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रतापगढ़ के रामपुर खास क्षेत्रान्तर्गत तीन न्याय पंचायतें कस्बा लतीफपुर, संग्रामगढ़ एवं अशोगी के तहसील लालगंज में सम्मिलित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद तिवारी-

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास के विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ की तीन न्याय पंचायतें-कस्बा लतीफपुर, संग्रामगढ़ एंव अशोगी, तहसील कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत पड़ती हैं, इन तीनों न्याय पंचायतों का राजस्व सम्बन्धी कार्य तहसील कुण्डा से सम्पादित होता है जबकि इन तीनों न्याय पंचायतों का थाना संग्रामगढ़ है जो लालगंज सर्किल के अन्तर्गत आता है अर्थात् इन न्याय पंचायतों से सम्बन्धित लोगों को तहसील स्तर पर कार्यरत उप जिलाधिकारी से कार्य पड़ने पर उनको तहसील कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ जाना पड़ता है और पुलिस विभाग से सम्बन्धित अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक से कार्य पड़ने पर लोगों को तहसील लालगंज जनपद प्रतापगढ़ जाना पड़ता है। इसके साथ ही साथ विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत यह तीनों न्याय पंचायतें-कस्बा लतीफपुर, संग्रामगढ़ एंव अशोगी पड़ती हैं जबकि विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ़ की शेष सभी न्याय पंचायतें तहसील लालगंज, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत पड़ती हैं मात्र उपरोक्त तीन न्याय पंचायतें ही तहसील कुण्डा, प्रतापगढ़ में पड़ती है।

नोट :- । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ऐसी परिस्थिति में जहां इन न्याय पंचायतों का राजकीय कार्य एवं विकास कार्य प्रभावित होता है वहीं यहां के लोगों को भी विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां की विषम भौगोलिक परिस्थिति, विकास एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये मा0 जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने भी इनको कुण्डा तहसील से निकालकर तहसील लालगंज में सम्मिलित करने हेतु संस्तुत किया है। राजस्व परिषद् से प्रस्ताव पास होने के उपरान्त शासन स्तर पर प्रकरण विचाराधीन है। न्याय पंचायत कस्बा लतीफपुर, न्याय पंचायत संग्रामगढ़ एंव न्याय पंचायत अशोगी के तहसील लालगंज में सम्मिलित न होने से लोगों को कार्य कराने में असुविधा हो रही है और उनमें चिन्ता तथा कुण्ठा व्याप्त है।

मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण अंचलों में पेयजल सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, जनपद मथुरा के ग्रामीण आंचल में पेयजल की आपूर्ति उ0प्र0 जल निगम की टंकियों से पांच, छः विभिन्न ग्रामों को जोड़कर पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था रही है। आज यह उत्तर प्रदेश की जल निगम की टंकियां विभिन्न कारणों जैसे कि बिजली कनेक्शनों के अभाव में, मोटर फूकने के अभाव में, पानी स्रोत समाप्त होने के अभाव में, आपरेटर स्टाफ के अभाव में, जुड़े अन्य गांव की पाइप लाईन न रहने के अभाव में, बनी हुई टंकियों की जर्जर स्थिति के कारण, एवं अन्य कारणों से गोवर्धन क्षेत्र के ग्रामीण आंचल के ग्राम रेपुरा, पौरी शाहजादपुर, कोंह, पिपरौठ, पीलुआ, लाडपुर, नगला, ग्यासीया, गढाया, झण्डीपुर, बलरई कुरकन्दा, परखम, झुडावई, किरारई, बरारी, बेरी, गाजौली, धाना जीवना, महुअन, ओल, सरूरपुर, रसूलपुर, मगौरा, फौडर, लोरिया, सौख, पैठा, नीमगांव, आन्योर, जतीपुरा, भवनपुरा, गांठौली, खामनी, आदि ग्रामों में क्षेत्रीय जनता को पेयजल की महती आवश्यकता है।

अतः इस जनहित लोक महत्व के जनहित विषय पर सरकार से जनपद मथुरा गोवर्धन क्षेत्र के इन ग्रामीण आंचल में पेयजल सुनिश्चित कराने की मांग करता हूं।]

पटेलनगर योजना निकट सेक्टर-8, इन्दिरानगर लखनऊ में पानी की निकासी हेतु चौड़े नाले के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

[महोदय, निवेदन है कि उक्त "पटेल नगर योजना" निकट सेक्टर-8, इन्दिरा नगर, लखनऊ में सेक्टर-8, 9 शालीमार गार्डेन, वैशाली इन्क्लेव, राजवीर नगर, ज्ञान विहार, अजय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर, मुलायम नगर आदि का पानी इस्माइलगंज के पीछे स्थित तालाब में इकट्ठा होता है और वहां से वह पानी सुरेन्द्र नगर होता हुआ बहकर कठौता झील जाता था, किन्तु इधर-उधर तीन-चार वर्षों से इतने अधिक निर्माण कार्य हो गये हैं जिनके कारण उक्त तालाब में एकत्रित जल की निकासी का कोई रास्ता नहीं रह गया है। इसी कारण उक्त पांच-छः मोहल्लों का बरसाती पानी एकत्रित हो जाने से लगभग पूरा पटेल नगर योजना जल प्लावित हो गया है और आज भी उक्त मोहल्ले के घरों में और सड़कों पर 2-3 फुट पानी भरा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि सेक्टर-8 स्थित पुलिस चौकी से पटेल नगर योजना तक साधारण सी बरसात होने पर जल भराव हो जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त मोहल्लों के बरसाती पानी की निकासी हेतु एक चौड़े नाले का तत्काल निर्माण कराये जाने हेतु मा0 नगर विकास मंत्री जी को निदेशित करने की कृपा करें।]

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम खनियां (पश्चिम) में भू-खण्ड गाटा संख्या-481, रकबा 5.864 विवादित प्रकरण की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनूप सण्डा-

[सुल्तानपुर जनपद के ग्राम-खनियां (पश्चिम) विकास खण्ड कुड़वार में स्थित भूखण्ड गाटा संख्या (नया नम्बर) 481 रकबा 5.864 विवादित है।

जिसमें वाद माननीय राजस्व परिषद एवं मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है तथा वादी महादेव, नकछेद आदि को स्थगन आदेश प्राप्त है।

पूर्व में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 1/3 भूमि को गनपत सहाय डिग्री कालेज ने अपने नाम दर्ज करा लिया था।

बाद में 11-11-1974 को सक्षम अधिकारी ने उक्त गनपति सहाय डि0का0 की भूमि को सीलिंग ऐक्ट अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित किया था तथा इस भूमि का प्रतिकर भी ग0स0 डिग्री कालेज को प्रतिकर भी दिया गया था। इसी भूमि को स्थगन आदेश के बावजूद श्री रामकिशोर त्रिपाठी, प्रबन्धक गणपति सहाय डिग्री कालेज ने डा0 ओम प्रकाश त्रिपाठी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं प्रबन्धक/सचिव पं0 राम केदार-राम किशोर त्रिपाठी महाविद्यालय खनियां पश्चिम को दान कर दिया।

इस विद्यालय की समिति में मुख्य मंत्री के विशेष कार्याधिकारी श्री पवन सागर की पत्नी व कैबिनेट मंत्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी भी उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति की सदस्य हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसी विवादित भूखण्ड पर दिनांक 31-7-08 को श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री राकेश धर त्रिपाठी ने विरोध के बावजूद पुलिस के दम पर उक्त विद्यालय का शिलान्यास किया। अहिंसक विरोध करने वाले वादकारियों के परिजनों को पुलिस ने अवैध ढंग से दिनभर कुडवार थाने में बैठाये रखा।

सम्पूर्ण प्रकरण की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही की मांग करते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

आगरा के फतेहाबाद में पुराने तहसील भवन में गरीबों के लिये मुफ्त आवास या पालीटेक्निक की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राजेन्द्र सिंह-

[आगरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद का, फतेहाबाद नगर में पुराना तहसील परिसर नयी तहसील बनने के बाद खाली पड़ा है। फतेहाबाद को मा0 काशीराम शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित है। इस क्षेत्र में गरीबों के लिये मुफ्त आवास बनाये जायें या एक पोलीटेक्नीक बनाया जाय।

लोक महत्व के इस समस्या के समाधान के लिये शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

कुशीनगर के रामकोला क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज से तहसील मुख्यालय हाटा को जोड़ने वाले बौद्ध परिपथ का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर अन्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज से तहसील मुख्यालय हाटा मार्ग लम्बाई 23 कि0मी0 बौद्ध परिपथ से जुड़ा मार्ग है। यह तहसील मुख्यालय जिला मुख्यालय तथा कुशीनगर बौद्ध स्थली को प्रमुख मार्गों से जोड़ता है। यह महत्वपूर्ण सड़क 3-3 फुट के गड्ढों में बदल चुका है। वर्तमान समय में यह मार्ग उ0प्र0 का सबसे क्षतिग्रस्त मार्ग है। वाहनों की बात तो दूर इस पर पैदल चलना भी कष्टप्रद हो गया है। इस सड़क निर्माण के लिए पूर्व स0पा0 सरकार के लो0नि0वि0 के राज्यमंत्री द्वारा शिलान्यास चौड़ीकरण एवं पुनः निर्माण के लिए किया गया जिसमें करोड़ों रुपया अवमुक्त हुआ था, परन्तु कुछ जगहों पर केवल मिट्टी डालकर धन का बन्दर बांट कर लिया गया। इस सड़क की महत्ता को लेकर मेरे द्वारा कई बार सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध भी किया गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मार्ग के अत्यन्त खराब होने के कारण आवागमन अवरुद्ध हो गया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है इस मार्ग के निर्माण के लिए जनता द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जनहित में इस मार्ग का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न के माध्यम से उपरोक्त मार्ग का निर्माण अविलम्ब कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बादशाहनगर सचिवालय कालोनी लखनऊ में अवैधानिक केबिल संचालन की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया-

[मैं सदन का ध्यान मनोरंजन कर विभाग के अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नांकित बिन्दु पर आकर्षित करना चाहता हूं। बादशाहनगर सचिवालय कालोनी में ममता केबिल संचालित किया जा रहा है। केबिल आपरेटर वहां के निवासियों को कोई पे चैनल नहीं देता है तथा रिसेप्शन खराब रहता है। दिनांक 5-8-08 को इसकी सूचना मनोरंजन कर आयुक्त को विन्दुवार दी गयी किन्तु संगठित भ्रष्टाचार होने के नाते मुख्यालय के प्रवर्तन अधिकारी ने तथा उपायुक्त, मनोरंजन कर, लखनऊ ने कोई कार्यवाही नहीं की। केबिल आपरेटर प्रतिमाह 200 रुपये वसूलता है तथा कार्ड अपने पास ही रखता है न तो केबिल पर दर्शाये जाने वाले चैनल की सूची देता है न रिसेप्शन साफ आता है। वार्ता करने पर कहता है कि जाओ मुख्य मंत्री तक मेरी शिकायत कर दो। कोई व्यवसायिक प्रक्रिया सचिवालय कालोनी के आवास से संचालित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई संचालित करता है तो अब अपराध है तथा उसका परिवार यदि व्यवसाय करता है तो उसका रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिये। मनोरंजन कर विभाग न जाने कैसे केबिल संचालन हेतु अनुमति सरकारी मकानों के लिये प्रदान कर देता है। यदि संगठित भ्रष्टाचार न होता तो बादशाहनगर कालोनी के अध्यासी द्वारा शिकायत किये जाने पर लखनऊ मुख्यालय का प्रवर्तन अधिकारी जो इसीलिये नियुक्त किया गया है तथा वेतन आहरित करता है अवश्य छापा डालता लेकिन जिसकी शिकायत होती है उसको तो पता लग जाता है किन्तु कार्यवाही कोई नहीं होती है। यह सिद्ध करता है कि विभाग में इसके लिये नियुक्त अधिकारी कार्यवाही नहीं करना चाहते। मनोरंजन कर विभाग की राजस्व में इन्हीं कारणों से दिनों दिन कमी होती जा रही है।

उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विन्दु को आपके संज्ञान में लाते हुये अनुरोध है कि ममता केबिल, बादशाहनगर के विरुद्ध दिनांक 5-8-08 को जो शिकायत बादशाह नगर कालोनी के अध्यासी ने केबिल के सम्बन्ध में की है उस पर तो कार्यवाही की ही जाये मुख्यालय पर तैनात प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यवाही न करने तथा उप आयुक्त, मनोरंजन कर लखनऊ द्वारा केबिल संचालकों की समय समय पर जांच न करने के लिये कार्यवाही की जाये।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राज्य सम्पत्ति अधिकारी को भी निदेशित किया जाये कि सरकारी आवास के पते से कैसे व्यवसाय संचालित हो रहा है तथा विद्युत उपभोग किस प्रकार किया जा रहा है पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

शाहजहांपुर की तिलहर नगरपालिका में व्याप्त अनियमितताओं की पूर्व में जांच के आधार पर कार्यवाही किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा राज-

[महोदय, शाहजहांपुर जनपद की तिलहर नगर पालिका में अनियमितताओं को लेकर दिनांक 04-06-2008 से 20-06-2008 तक नगरपालिका तिलहर कार्यालय के गेट पर अनशन किया गया। आन्दोलनकारी सभासदों की प्रमुख मांग थी कि तिलहर में निर्माण कार्य पहले हो गया उसका टेण्डर बाद में किया गया है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अपात्र व्यक्तियों की नियुक्तियां तथा नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारियों के सगे सम्बन्धियों की नियुक्ति की गयी। इस सम्बन्ध में नगर विकास सचिव से लेकर जिलाधिकारी, शाहजहांपुर तक को ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी ने ए0 डी0 एम0 (एफ0आर0), अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा सहित एक जांच की टीम बनाई। इनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। नगर पालिका, तिलहर में अनियमितताओं का बोलबाला है, उन पर कोई अंकुश नहीं है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करती हूं।]

विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा ठेकेदार श्री कृष्ण कुमार तिवारी का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल लोधी-

[महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ में विभागीय अनुबन्ध के अनुसार श्री कृष्ण कुमार तिवारी ठेकेदार ने गोमती विस्तार योजना के से0-1 में आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य (ग्रुप-ए0, एफ0) व से0-6 में विद्युत सब-स्टेशन से बाईपास रोड का कार्य विगत वर्ष सम्पूर्ण कराया था, कार्य के पूर्ण किये लम्बी अवधि हो गयी है और प्राधिकरण द्वारा भुगतान न किये जाने से आर्थिक समस्यायें उत्पन्न हो गयी हैं, इस भुगतान हेतु मा0 मोहम्मद इरसाद खां सभापति प्रतिनिहित विधायन समिति ने सचिव, विकास प्राधिकरण को लिखा था, प्राधिकरण द्वारा उत्तर में पत्रांक सं0-264/ए0ए0जेड0-ए0/08 दिनांक 18-6-08 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त कार्यों के अंतिम भुगतान हेतु पत्रावलियां अग्रसारित कर दी गयी हैं परन्तु अभी तक भुगतान नहीं हो सका। श्री तिवारी का लाखों रुपया भुगतान न होने से पारिवारिक आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तथा श्री तिवारी विक्षिप्त होकर आत्म हत्या के कगार पर हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये विकास प्राधिकरण लखनऊ को निर्देश देने का कष्ट करें कि इनका भुगतान अविलम्ब हो।]

मैनपुरी के भोगांव क्षेत्रान्तर्गत सलेमपुर पड़ीना के पुल के दोनों तरफ सड़क कट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलोक कुमार शाक्य-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में सलेमपुर पड़ीना के पुल के दोनों तरफ रोड कट गयी है जिससे आवागमन में लोगों को काफी असुविधा हो रही है। आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। उक्त पुल के दोनों तरफ कटी सड़क की मरम्मत कराया जाना बहुत ही आवश्यक है, यह जनहित का विषय है, लोक महत्व का है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल टूटी सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

राजकीय डा0 बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज देवकाली, फैजाबाद के छात्रों को डा0 तोमर द्वारा फर्जी रूप से उत्पीड़ित किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मिथिलेश कुमार-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि राजकीय डा0 बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज देवकाली फैजाबाद के छात्रों द्वारा एक शिकायती पत्र 11-8-06 को आयुक्त फैजाबाद मण्डल तथा जिलाधिकारी फैजाबाद से शिकायत सं0-3765 व 4868 दि0 29-8-06 को दी गयी। जिसमें टेक्निकल आडिट सेल फैजाबाद मण्डल को जांच हेतु निर्देशित किया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि डा0 तोमर के विरुद्ध की जांच सही है। डा0 तोमर के विरुद्ध वर्तमान में थाना कोतवाली नगर फैजाबाद में मु0अ0सं0-568/07 धारा-457, 380 मु0अ0सं0-2337/07 धारा-420, 468, 471 मु0अ0सं0-257/08 मु0अ0सं0-258/08 धारा-419, 420, 467, 468 व 471 पंजीकृत हैं जबकि जिलाधिकारी द्वारा करायी गयी जांच व विभागीय जांचों में डा0 तोमर का दोष प्रमाणित किया जा चुका है।

डा0 दशरथ सिंह तोमर द्वारा शिकायतकर्ता छात्र अमित व अन्य के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर फैजाबाद में दि0 22-8-07 को मु0अ0सं0-1958/07 धारा 387 पंजीकृत कराया गया। इसी प्रकार वर्तमान में अमित पटेल के विरुद्ध 14-7-08 को थाना कोतवाली नगर फैजाबाद में मु0अ0सं0-2612/08 धारा 419, 420, 467, 468 पंजीकृत कराया गया जबकि उक्त प्रकरण में विभाग द्वारा करायी गयी जांच में अमित पटेल का कोई दोष नहीं पाया गया तो पुलिस द्वारा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2 वर्ष पूर्व की घटना दिखाकर एक वर्ष पूर्व में 23-10-07 को दिये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्ट 14-7-08 को कैसे दर्ज कर ली गयी, जबकि आज तक अमित पटेल को शिक्षा ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जिला पुस्तकालय बांदा की पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा कथित रूप से दायर किये गये फर्जी मुकदमों की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक लोक महत्व के विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जनपद बांदा में सुशीला देवी पुस्तकालय अध्यक्ष जिला पुस्तकालय बांदा में लगभग 20 वर्षों से कार्यरत हैं जो लगातार कई वर्षों से जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा से लगाकर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को फर्जी केशों में फंसाकर धन वसूलने का काम करती हैं। तथा फर्जी घटना बनाकर मुकदमें लिखवा देती हैं पूरे जनपद के अधिकारी सुशीला देवी से परेशान हैं। उदाहरण के तौर पर सुशीला देवी ने एक बहुत बड़ी कूट रचित रचना कर 13-5-2000 को पूर्व मुख्य मंत्री श्री राम प्रकाश के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर लखनऊ में मनगढ़ंत घटना बनाकर कमलेश पुत्र श्री चन्द्रपाल निवासी बलखण्डी नाका शहर बांदा को फंसाने का काम की हैं और मुकदमा दर्ज करा दी है। कम्प्यूटर सं0-72554 दिनांक 13-5-2000 को पुलिस अधीक्षक बांदा को एफ0आई0आर0 दर्ज करने के आदेश दिये गये थे। बड़े गौर की बात है कि जिस टाइप से प्रार्थना-पत्र टाइप किया गया है उसी से नीचे द0 पुलिस अधीक्षक बांदा टाइप कर नीचे हाथ से एफ0आई0आर0 लिखी जाय, हस्ताक्षर राम प्रकाश, मुख्य मंत्री उ0 प्र0 की मुहर लगायी गयी, जो पूरी तरह से फर्जी है। क्योंकि प्रार्थना-पत्र प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बांदा के नाम लिखा जाय। इस प्रकरण की शासन स्तर पर जांच कराई जाय तथा सुशीला देवी द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी के हस्ताक्षर व मुहर बनाकर फर्जी मुकदमा की जांच कराई जाय तथा निर्दोष कमलेश को न्याय दिलाया जाय।

अतः इस अविलम्बनीय के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

मुरादाबाद के विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा के ग्राम पीपल साना में पुराने विद्युत तारों को शीघ्र बदलवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उस्मानुल हक-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा के ग्राम पीपलसना की तरफ दिलाना चाहता हूं वहां की आबादी 15,20 हजार है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यह कस्बा बाजार भी है, काफी भीड़ भाड़ रहता है, इस बाजार में बिजली के तार जो लगे हैं वह बहुत ही जर्जर व पुराने हो चुके हैं। शीघ्र इसका बदला जाना जनहित में आवश्यक है। यहां आये दिन बिजली के तार टूटने से दुर्घटनायें होती रहती हैं। मेरे बार-बार अधिकारियों से अनुरोध करने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं की जाती है। इससे स्थानीय लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली/मिर्जापुर के नरायनपुर पम्प कैनाल के गंगा नहर से निकलने वाली जोगवां बुछवार माइनर को आगे खुदाई कर सीपी0 रेगुलेटर से निकलने वाली डंवक बबुरी नहर में मिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम किशुन-

[महोदय, जनपद चन्दौली/मिर्जापुर के नरायनपुर पम्प कैनाल के गंगा नहर से निकलने वाली जोगवां बुछवार माइनर की क्षमता वृद्धि करके ग्राम-पिड़खिर के पास से गड़ई नदी पर साइफन बनाकर जनपद-चन्दौली मिर्जापुर की सीमा से नई माइनर की खुदाई करके सीपी0 रेगुलेटर से निकलने वाली डंवक बबुरी नहर में मिलाये जाने से बबुरी क्षेत्र के पचासों गांव के किसानों के खेतों की सिंचाई सूखे के प्रभाव से बचाया जा सकता है। यह क्षेत्र गड़ई नदी और चन्द्रप्रभा नदी से तीन ओर से घिरा हुआ है। सिंचाई के और कोई दूसरे साधन नहीं है। सूखा पड़ने से चन्द्रप्रभा बांध में पानी न रहने पर इस क्षेत्र के किसानों की सिंचाई डंवक बबुरी नहर से नहीं हो पाती है। हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अभाव में फसलें बरबाद हो जाती हैं। नरायनपुर पम्प कैनाल की जितनी भी नहरें हैं उनका पानी गड़ई नदी में बहते हुए चन्द्रप्रभा नदी में तथा इससे होकर कर्मनाशा नदी में चला जाता है। इसी बेकार पानी को बिहार सरकार कर्मनाशा नदी के अपने क्षेत्र में लिफ्ट लगाकर अपने किसानों को नदी के बेकार पानी को सिंचाई के लिए उपलब्ध करा रही है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि जनपद-चन्दौली के नहरों का पानी गड़ई नदी में बह जाता है अगर उस बेकार पानी को सीपी0 रेगुलेटर से निकलने वाली बबुरी डंवक नहर में डाल दिया जाय या लिफ्ट लगा करके सिंचाई की व्यवस्था किया जाय तो बबुरी क्षेत्र के पचासों गांवों को सूखे की मार से बचाया जा सकता है।

अतः इस जनहित के लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जनहित में कार्य कराये जाने का कष्ट करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बुन्देलखण्ड में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विवेक कुमार सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री प्रदीप जैन आदित्य-

[मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं। वर्तमान में प्रदेश में भीषण बरसात हो रही है, जिससे जगह-जगह फसलों, मकानों, जानवरों और नागरिकों का भारी नुकसान हुआ है। बरसात के कारण प्रदेश की सभी की सभी नदियों का जल स्तर काफी ऊंचा हो गया है, जिससे कई स्थानों पर लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। प्रदेश को बुन्देलखण्ड इलाका पहले पांच वर्षों से भयंकर सूखे की मार झेल रहा है और अब अतिवृष्टि के कारण बुन्देलखण्ड के निवासियों की कमर ही टूट गयी है। लोगों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गयी हैं, जगह-जगह मकान ढह गये हैं, जानवरों के लिए चारा न होने के कारण भूख से मर रहे हैं, कई जगह आकाशीय बिजली गिरने के कारण लोग काल के मुंह में समा गये हैं। लोगों के पास न खाने के लिए राशन की व्यवस्था है और न ही तन ढकने के लिए कपड़ा। सरकार द्वारा अभी तक बुन्देलखण्ड में कोई भी राहत सामग्री, राहत अनुदान एवं पुनर्वास की घोषणा नहीं की गयी है। गरीब, बेसहारा एवं वृद्धजन सरकार से मदद के लिए टकटकी लगाये बैठा है, किन्तु सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड में अतिवृष्टि से बुन्देलखण्ड में अतिवृष्टि की भीषण समस्या के निराकरण हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। अतिवृष्टि से बुन्देलखण्ड में हालत यह है कि जगह-जगह बिजली के तार एवं खम्भे टूटे पड़े हुये हैं, किन्तु उन्हें ठीक तक नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड के लिए कोई भी राहत घोषणा न किये जाने के कारण वहां के नागरिकों में गहरा असंतोष एवं रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

लखनऊ स्थित ममता सहकारी गृह निर्माण समिति द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयभान करवरिया-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ममता सहकारी गृह निर्माण समिति लखनऊ में किये जा रहे भ्रष्टाचार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

ममता सहकारी गृह निर्माण समिति के निलम्बित सचिव श्री डींगर सिंह विष्ट द्वारा समिति तथा समिति के सदस्यों के हित में निजी एवं सदस्यों की धनराशि से क्रय की गयी भूमि को समिति की प्रबन्ध कमेटी एवं समिति सचिव तथा विभागीय सम्बन्धित प्रदाधिकारियों द्वारा मिली

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भगत करके समिति की उक्त भूमि को बिक्री कर पूर्व सचिव एवं पूर्व सदस्यों को भुगतान न करके प्लाट बिक्री से एकत्रित धनराशि को अवैधानिक एवं गुपचुप ढंग से गबन कर लिया है एवं किया भी जा रहा है। जिससे पूर्व सदस्यों एवं सचिव में आक्रोश व्याप्त है। साथ ही साथ सचिव विश्वकर्मा द्वारा समिति के पुराने सदस्यों को बिक्री बैनामा किये गये प्लाटों को पुनः बिक्री किया जा रहा है। पुराने ले आउट को बदल कर सदस्यों को गुमराह करके उन्हें बिक्री किया जा रहा है। वर्तमान में विश्वकर्मा द्वारा बनाये गये ले आउट प्लान खसरा सं0 40 एवं 156 व 157 एवं 152 चकरोड एवं सरकारी नाली पर प्लाटिंग करके भूमि को बेचकर गबन किया जा रहा है। समिति की वर्तमान प्रबन्ध कमेटी के निदेशों के अन्तर्गत उक्त अवैध कार्य विश्वकर्मा द्वारा किया जा रहा है। उक्त के साथ-साथ यह भी अवगत कराना है कि समिति में विश्वकर्मा द्वारा कोई योगदान नहीं किया गया है। और अवैध तरीके से मेम्बरों को डरा धमकाकर मुकदमों में फसाने की धमकी देकर धन उगाही की जा रही है।

इस तरह समिति के लगभग विभिन्न खसरा नं0 के लगभग 75 प्लाटों के अवैध विक्री से लगभग 75 लाख की अवैध गबन किया जा रहा है एवं जो मूल्य रजिस्ट्रियों में अंकित है। उससे लगभग चार गुना अधिक मूल्य लिया गया है। समिति में विश्वकर्मा द्वारा अवैध कार्यों को देखते हुए पूर्व अधिकारी ने समिति के सचिव विश्वकर्मा के हस्ताक्षर खत्म करके रजिस्ट्री पर रोक लगायी गयी किन्तु अधिकारियों को धन देकर जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने के बावजूद भी लगी पाबन्दी अवैधानिक तरीके से हटा दी गयी एवं एक ही दिन में लगभग 10.15 भूखण्डों की रजिस्ट्री एक ही साथ विश्वकर्मा द्वारा कर दी गयी। विश्वकर्मा द्वारा समिति में किये अवैधानिक एवं गबनीय कार्यों से सहकारिता अधिकारियों की छवि समाप्त हो रही है। साथ ही साथ विकास शुल्क के नाम पर प्लाट की रजिस्ट्री को निरस्त करने की धमकी लिखित एवं मौखिक दी जा ही है। जबकि मान के अनुसार न तो कोई कार्य हो रहा है न तो कहीं से भी एल0डी0ए0, आवास विकास, नगर निगम, जिला पंचायत कहीं से भी कोई एन0ओ0सी0 ली गयी है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रकरण जांच कराकर कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य लिफ्ट कैनाल बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य लिफ्ट कैनाल जो वर्षों से बन्द पड़ा है और जिला अधिकारी सीतापुर को इससे मैंने कई बार अवगत भी कराया, अधिशासी अभियन्ता

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शारदा नहर प्रखण्ड सीतापुर द्वारा लघु डाल सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण किया जाना लम्बित है लिफ्ट कैनाल चालू न होने के स्थानीय लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है बार-बार मेरे द्वारा यह प्रकरण सदन के संज्ञान में लाया गया, यह जनहित का विषय है लोक महत्व का है।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव पर तैनात तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गयी कथित अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशीराम-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव पर तैनात तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम जनम जो अभी एक महीने पहले वहां से हटाये गये हैं। उनके द्वारा ब्लाक में तैनाती के समय भारी अनियमिततायें की गयी हैं। इनके द्वारा नरेगा योजना में भारी अनियमिततायें की गयी हैं। यही नहीं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर मण्डाव जो पूर्व में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर ब्लाक कोपा में भी तैनात थे, वहां पर भी अम्बेडकर गांवों में काफी अनियमिततायें कीं। उस समय में की गयी शिकायत पर इनके विरुद्ध हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज करने का प्रकरण भी अम्बेडकर विभाग उत्तर प्रदेश शासन में भी लम्बित है। फतेहपुर मण्डाव में कागजों पर ही तालाबों की खुदाई हुई, मौके पर कुछ नहीं उदाहरण स्वरूप ओपलापुर नेवादा में पोखरा मरम्मत के नाम धन निकाला गया, ग्राम परशुपुर में पोखरा मरम्मत पर धन निकला। इस तरह से कई गांवों में तालाबों व पोखरों की मरम्मत व खुदाई के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। पौधरोपण के नाम पर ब्लाक को मिलने वाली राशि का दुरुपयोग किया गया हैं ग्राम परसिया जयराम गिरि में नाममात्र का भी कार्य पौधरोपण के नाम पर नहीं हुआ और धन ब्लाक द्वारा निकाल लिया गया है। इस तरह पौधरोपण मद में भारी अनियमिततायें की गयी हैं। सड़कों के निर्माण काली चौरा से मोलनापुर, ग्राम मोलाडाई से बरियाडीह व कई अन्य सड़कों पर तो कार्य हुआ ही नहीं और सरकारी धन निकाल लिया गया है। चूंकि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राम जनम जो विद्यालय भी चलाते हैं सरकारी धन को उसी विद्यालय में ले जाकर लगा रहे हैं। इसके अलावा तमाम ब्लाक स्तर से अनियमिततायें इनके द्वारा तैनाती के समय की गयी हैं। नाली व खड़ंजा के नाम पर भी व ब्लाक से मिलने वाले गरीबों को इन्दिरा आवास आदि में भी खुलकर कमीशन बाजी की गयी है और अपात्रों को इसका लाभ दिया गया है। इन सारे प्रकरण को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है और तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के समय सम्पूर्ण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कर दण्डित किये जाने की मांग हो रही है।

नोट :-[| यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मैं मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के कमासिन ब्लाक के अन्तर्गत डी0 पी0 ए0 पी0 के निर्माणाधीन कठार पम्प कैनाल के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अजय तोमर-

[मान्यवर, आपका ध्यान जनपद बांदा के कमासिन ब्लाक के अन्तर्गत डी0पी0ए0पी0 सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1983-84 से निर्माणाधीन कठार पम्प कैनाल के अधूरे निर्माण की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। 10 क्यूसेक क्षमता की उपरोक्त नहर पर उस समय 20.02 लाख की लागत आनी थी परन्तु समय से कार्य न पूरा किये जाने के कारण वर्ष 1990-91 तक इस नहर की पुनरीक्षित लागत 83 लाख हो गयी जिसके चलते वर्ष 1991 में नहर का काम पुनः रोक दिया गया। जबकि इस परियोजना में 19.33 लाख रुपया व्यय होकर आधे से अधिक कार्य हो चुका था। नहर विभाग के अधिकारियों की नहर बनाओ एवं नहर न बनाओं के विवाद पर रिपोर्टों के चलते19.33 लाख की बड़ी धनराशि खर्च करने के बाद नहर निर्माण रोक दिया गया है। अभियन्ताओं की जिस टीम ने 4 नलकूप लगाने की सिफारिश नहर निर्माण की जगह किया था उसके पश्चात कराये गये अध्ययनों में यह बात उजागर हुयी कि इस क्षेत्र में नलकूप सफल नहीं हो सकती एवं उनके भरोसे सिंचाई भी नहीं हो सकती।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि सदन की समस्त कार्यवाही को रोक कर इस अविलमबनीय विषय पर चर्चा कराकर सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें, कि उपरोक्त कठार पम्प कैनाल चालू किया जावे या फिर कठार के बगल में ग्राम सभा खटान में कुचौली नामक सर्वेक्षण शुदा स्थान पर इस योजना का निर्माण किया जाये जिससे लगभग 10 हजार आबादी वाले क्षेत्र ग्राम सभा दांदौ, अमेढी, राधौपुर, कठार, खटान, नन्दूपुर, मंझनपुर, बीरा, बरौली खेड़ा, कल्लूपुर आदि गांवों के किसानों के खेत की सिंचाई की समस्या हल करने हेतु कठार पम्प कैनाल योजना का निर्माण अविलम्ब पूरा कराया जाये।]

इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत टाउन एरिया फूलपुर में रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखू लाल यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद की तरफ केन्द्रित करना चाहता हूं। मान्यवर हम जिस विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, वह देश

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू का क्षेत्र रहा है तथा डा0 लोहिया जी की कर्मभूमि रही है मान्यवर फूलपुर टाउन एरिया इलाहाबाद जौनपुर मार्ग पर स्थित इलाहाबाद शहर में 25 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज न होने के कारण आवागमन में बड़ी परेशानी होती है। आये दिन जाम लगा रहता है। मान्यवर, कभी-कभी ऐसे दृष्टान्त आये हैं कि गम्भीर रोगियों को जाम में फंस जाने के कारण उनको जान से हाथ धोना पड़ता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

शाहजहांपुर नगर में पुनः सर्वे कराकर केवल पात्र व्यक्तियों को ही बी0 पी0 एल0 सूची में लाकर कार्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर, शाहजहांपुर नगर में अभी हाल ही में बी0पी0एल0 की श्रेणी में आने वालों की सूची बनायी गयी इसमें जो पात्र व्यक्ति थे जिनकी आमदनी 2000/- रुपये मासिक से कम थी उसमें से किसान बिरादरी, कश्यप बिरादरी तथा दर्जी व राठौर तथा अन्य अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति की श्रेणी में आनी वाली बिरादरियों के लोगों को इस बी0 पी0 एल0 की सूची में पात्रता होने के बाद भी शामिल नहीं किया गया तथा अपात्रों को इस सूची में शामिल किया गया। मोहल्ला दिलाजाक, मोहल्ला एमनजेई, जलालनगर, मोहल्ला तारीन जलाल नगर, मोहल्ला अहमदपुरा मोहल्ला हार्थीथान, मोहल्ला नसरजेई, मोहल्ला चकमनी, मोहल्ला तारीन गार्डीपुरा आदि ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर बी0 पी0 एल0 की सूची सही नहीं बनी। यहां पर केवल सिफारिश को ही प्राथमिकता दी गयी है पात्रता को नहीं। इन मोहल्लों में पुनः सर्वे कराकर बी0 पी0 एल0 की श्रेणी में आने वाले गरीबों का कार्ड बनवाया जाना जनहित में आवश्यक है।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक पारदर्शी नीति के अन्तर्गत यह कार्ड बनाये जावे, मनचाहे तरीके से नहीं, इनकी क्रास चेकिंग की तथा सैम्पिल चेकिंग की व्यवस्था होनी चाहिये, साथ ही जो लोग, कर्मचारी गल्ती करे या लापरवाही करे उनके विरुद्ध कार्यवाही भी होना चाहिये।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उपरोक्त क्षेत्रों का पुनः सर्वे कराकर केवल पात्रों को ही बी0 पी0 एल0 सूची में लाकर उनके बी0 पी0 एल0 कार्ड बनाये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम अभयपुर निवासी श्री मनवीर सिंह की मृत्यु के फलस्वरूप उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर सिंह-

[नैपाल सिंह पुत्र श्री मनवीर सिंह आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम अभयपुर ब्लाक जहांगीराबाद थाना खानपुर फ्रेनचाई आर0 के0 कान्ट्रक्शन में प्राइवेट कार्य करता था दिनांक 30-05-2008 को आर0 के0 कान्ट्रक्शन कम्पनी की ओर से ग्राम शेखपुरवा गढ़वा थाना खानपुर में बिजली की लाइन पर कार्य कर रहा था। अचानक विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने लाइन चालू कर दी जिससे नैपाल सिंह करेन्ट लगने से जमीन पर गिर पड़ा तथा तत्काल उसकी मृत्यु हो गयी नेपाल सिंह की पत्नी श्रीमती रानी 4 बच्चों की मां है। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। घटना स्थल पर ग्राम शेखपुर गढ़वा के अन्य गांवों के सैकड़ों व्यक्ति इकट्ठे हो गये हैं लाश को उठाने नहीं दे रहे हैं व मुआवजे की मांग कर रहे हैं। घटना स्थल थाना इन्चार्ज खानपुर, इन्सपेक्टर कोतवाली स्याना, सी0 ओ0 स्याना एस0 डी0 एम0 स्याना, जनपद बुलन्दशहर सभी पहुंचे परन्तु ब्राह्मणों के विरोध के कारण लाश को उठाने में असमर्थ रहे। मैं घटना स्थल पर पहुंचा व काफी समझाने बुझाने व शासन द्वारा आर्थिक सहायता का आश्वासन देने के बाद गांव में लाश को उठाने दिया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये रु0 एक लाख की सहायता प्रदान करने की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर के तहसील बिलासपुर के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के भवन की स्थिति बहुत ही जर्जर हो गयी है और बरसात होने पर सारा का सारा पानी कमरों में चला जाता है। लगभग 100 वर्ष पुराने इस भवन का जीर्णोद्धार नहीं किया गया है जिससे कार्य बाधित होता है मा0 राजस्व मंत्री जी ने वर्ष 2008-09 के बजट भाषण में इसी वित्तीय वर्ष में इसको निर्मित कराने की घोषणा की थी परन्तु इस संदर्भ में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है भवन का निर्माण होना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रायबरेली के ग्राम अतरेहटा से महराजगंज ड्रेन पर पक्के पुल के निर्माण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजा राम त्यागी-

[महोदय, रायबरेली जनपद के विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम अतरेहटा में महराजगंज ड्रेन पर जनता की सुविधा को देखते हुये काफी समय से एक पक्के पुल के निर्माण की मांग होती चली आ रही है। साल के गर्मी के मौसम को छोड़कर शेष महीनों में महराजगंज ड्रेन पर बराबर पानी भरा रहता है जिसके कारण स्थानीय नागरिकों को आने जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से समय की बर्बादी होती है। पुल के न होने से बरसात के समय काफी पानी जमा हो जाने के कारण दुर्घटनायें भी हो जाती रही हैं। खासकर छोटे बच्चों के लिये इधर से उधर आने जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अनेक बार प्रयत्न किये गये मगर जनता की मांग को आज तक पूरा नहीं किया गया।

अतः आपकी अनुमति से मैं इस प्रश्न को उठाना चाहता हूं कि सरकार इस लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

मुजफ्फरनगर के थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल वारिस खां-

[जनपद मुजफ्फरनगर के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं व कुछ मार्ग पर खड़ंजा है जिन पर लेपन का कार्य होना है। वर्तमान पर मार्गों पर चलना बेहद कठिन है। इन मार्गों के निर्माण के लिये धनराशि अवमुक्त कराया जाना अति आवश्यक है।

1-ग्राम अम्बेटा रिदान से सिम्भालका मार्ग।

2-ग्राम मालेण्डी से ताना मार्ग।

3-ग्राम चौदाहेडी से नौनागली, दरगाहपुर तक।

4-ग्राम भढ़ी से चौसाना मार्ग।

5-ग्राम बसीचुगियारी से गगोर तक।

6-ग्राम डेरा पंडितान से बिडौली बांध तक।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम गोहनियां निवासी श्री रामशरण के विरुद्ध दर्ज मुकदमें में अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

[मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम गोहनियां थाना चिल्हिया के निवासी श्री रामशरण पुत्र राम भवन सं0-13/08 धारा-419, 420, 467, 468, 471, 120 बी0 दिनांक 29-5-2008 को दर्ज हुआ परन्तु आज तक न तो इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी और न ही इस मुकदमें को फाइनल किया गया है। राजनैतिक दबाव के कारण इस मुकदमें का निस्तारण नहीं हो पा रहा है जिससे उस क्षेत्र के वासियों में असन्तोष है।

अतएव आपके माध्यम से इस मुकदमें की विवेचना करने और अभियुक्त को गिरफ्तार करने की मांग करता हूं।]

नगर पंचायत सहपऊ, जनपद-महामायानगर में जल निकासी की समस्या के निदान हेतु नाले के निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत

डा0 अनिल चौधरी-

[नगर पंचायत सहपऊ जनपद महामाया नगर का एक बड़ा भाग पुलिस थाना से लेकर होली गेट व नई आबादी कुशवाहा बस्ती पानी का निकास नहीं होने से थोड़ी ही वर्षा में जल प्लावित हो जाता है।

सहपऊ के नागरिकों द्वारा इस समस्या के निदान हेतु विभिन्न माध्यमों से नाला निर्माण की मांग समय-समय पर की जाती रही है।

मैं सहपऊ कस्बा की इस समस्या के समाधान हेतु पुलिस थाना से होली गेट होकर पोखर तक नाला निर्माण की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के मोहल्ला मर्दन नाका के निवासी श्री भगवानदीन की भूमि गाटा संख्या-3235 को भू-माफियाओं से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत

श्री विशम्भर सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ कराना चाहता हूं जनपद-बांदा में श्री भगवानदीन पुत्र देविया यादव, निवासी-मु0-मर्दन नाका शहर बांदा की भूमि जो लड़का पुरवन गाटा संख्या-3235 जो बांदा नरैनी मार्ग पर स्थित है। श्री भगवानदीन यादव की भूमि पर बिना किसी बैनामा रजिस्ट्री के शासन के दबाव में एक प्रभावशाली मंत्री जी के भाई द्वारा भूमि पर जबरियन कब्जा कर लिया गया है। जिले के अधिकारी मौन हैं कोई भी अधिकारी गरीब

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की मदद नहीं कर रहा है। इसलिए सदन के संज्ञान में मामला उठाया जा रहा है तथा आशा व विश्वास है कि इसकी जांच कराकर भू-माफियाओं से जमीन मुक्त करायी जायेगी।

अतः लोक महत्व के विषय पर अनुरोध है कि उक्त विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

जनपद गोण्डा/बलरामपुर के जिला सहकारी बैंक एवं साधन सहकारी समितियों के बन्द पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोक महत्व एवं गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। यह कि जनपद गोण्डा/बलरामपुर के जिला सहकारी बैंक एवं साधन सहकारी समितियों के बन्द पड़े होने से किसानों को खाद, बीज न मिलने के कारण किसानों में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने एवं जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर के जिला सहकारी बैंक एवं साधन सहकारी समितियां जो बन्द पड़ी हैं, को खुलवाने की कार्यवाही करें।]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पुल निर्माण हेतु स्वीकृत अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत पूर्वांचल निधि के राज्यांश से अरैली, भांट पट्टी, महरूपुर मार्ग एवं पुल निर्माण स्वीकृत किया गया था जिसमें 15 लाख अवमुक्त किया गया था, अवशेष धन एक करोड़ 15 लाख भी विभाग द्वारा विगत चार माह पूर्व अवमुक्त किया गया परन्तु स्थानीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण आवश्यकतानुसार लगभग 66.74 लाख के स्थान पर एक करोड़ 14 लाख अवमुक्त धनराशि शासन को वापस लेना पड़ा। पुनः आयुक्त इलाहाबाद मण्डल के माध्यम से पुल एवं अवशेष मार्ग निर्माण हेतु लगभग 66.74 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध प्रमुख सचिव लोक निर्माण अनुभाग-14 को प्राप्त हुए हैं जिसे जनहित में अवमुक्त किया जाना अति आवश्यक है। इसी के साथ वर्ष 1996 से अब तक उपरोक्त योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों के अवशेष कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु धन की आवश्यकता है।

लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए धन अवमुक्त कराते हुए अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सड़क निर्माण, विद्युतीकरण तथा हैण्डपम्पों के लगाये जाने आदि विकास कार्यों में सरकार द्वारा उदासीनता एवं भेदभाव किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर आज इस सत्र का अन्तिम दिन है अब पता नहीं सदन कब बैठेगा। मान्यवर, पूर्व में जितने भी सत्र हुए और जब भी सत्र का अन्तिम दिन हुआ तो नेता सदन से या संसदीय कार्य मंत्री से जब भी आग्रह किया गया तो उन्होंने कुछ न कुछ व्यवस्थायें दी हैं चाहे वह हैण्डपम्प की हों, चाहे सड़कों की हों। मान्यवर, हैण्डपम्पों के बारे में बार-बार मा0 सदस्यों की चिन्तायें आयीं, अब एक शासनादेश 14 अगस्त को हुआ और उस शासनादेश में केवल जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को अधिकृत कर दिया गया कि वही सब कुछ करेंगे। मा0 विधायकगणों का विकास के कार्यों में यह योगदान होता था कि वह अपने-अपने क्षेत्र में जहां आवश्यकता होती थी, हैण्डपम्प लगवा देते थे। मान्यवर, अब हमारे पास और काम क्या रह गया, कम से कम इतना काम तो आप कर दें कि पेयजल का जहां पर संकट हो वहां हम हैण्डपम्प की व्यवस्था कर दें। अगर इतना भी हमारा अधिकार नहीं रहेगा और इतनी भी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी तो यह उचित नहीं होगा। मा0 मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उनसे जब कभी भी कहा गया तो उन्होंने सौ थे तो दो सौ कर दिये, सड़कों के बारे में उदारता दिखाई तो आखिर आज क्या ऐसा परिवर्तन आ गया कि जन प्रतिनिधि का कोई स्थान ही न रहा। जनप्रतिनिधियों के विवेक पर आखिर अविश्वास क्यों ? मान्यवर, नेता सदन तो यहां पर नहीं हैं लेकिन वरिष्ठ मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, हम बहुत ही विनम्रता के साथ कहेंगे कि इस बात का वह संज्ञान लें और सदन को आश्वस्त करें कि सौ, डेढ़ सौ, दो सौ जितने की आप व्यवस्था कर सकें अपने विवेक से, इस शासनादेश को दृष्टिगत रखते हुए करें और मान्यवर, इस बात की घोषणा करें कि मा0 विधायकों से सुझाव लिये जायेंगे और उसके सुझाव के अनुरूप सौ, डेढ़ सौ हैण्डपम्पों की व्यवस्था आप करेंगे। मान्यवर, नगरीय विधायकों की हमेशा यह मांग रही है कि उनकी हमेशा उपेक्षा हो जाती है, आज उस उपेक्षा को भी दूर कर दें। चाहे ग्रामीण अंचल हो या नगरीय क्षेत्र उसके बारे में निश्चित रूप से आप अगला विषय लेने से पहले इस विषय का निस्तारण अवश्य कर दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा दिया है, मा0 हुकुम सिंह जी ने। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि पिछली सरकार में यही बजट था, यही धनराशि थी, तब हैण्डपम्प भी दिये जा रहे थे। हम लोगों ने कहा कि डेढ़ सौ-ढाई सौ तक हैण्डपम्प दिये गये, उस समय नगरीय क्षेत्र में भी दिये गये। पहले पांच किलोमीटर फिर सात किलोमीटर सड़क भी दी गई, पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण भी हुआ। ऐसा क्या हुआ कि इस सरकार के आने के बाद पिछली व्यवस्थाओं को भंग कर दिया तो यह तीन अच्छी व्यवस्थायें थीं, हर विधायक के क्षेत्र

में दो सौ ढाई सौ हैण्डपम्प लग जायें, हर विधान सभा क्षेत्र में मा0 सदस्य के अनुरोध पर सड़क बन जाये और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था कि मा0 सदस्यों के कहने पर पांच गांव का विद्युतीकरण हो जाये और इन सबमें भी नगरीय क्षेत्र की घोषणा भी की थी पिछली सरकार ने, वह इस सरकार में नहीं लगा। आज तक नगरीय क्षेत्र में किसी के यहां नहीं लगा। पानी नहीं, बिजली नहीं, मकान नहीं, सड़क नहीं तो फिर किस मामले में यह पिछली सरकार से अच्छी सरकार अपने को कहने की कोशिश कर रही है। इससे अच्छी तो पिछली सरकार थी कम से कम उसने किया था। तो मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस परम्परा से जो आपकी कृपा से होती थी उसको फिर से पुनर्जीवित नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी खड़ा होना चाह रहे हैं, वैसे इनसे मुझे आशा कम रहती है क्योंकि आदत होती है और नियत होती है। जबसे यह वित्त मंत्री बने हैं, न कहने की आदत हो गई है। घर में अपने बच्चों को भी पहचानने से इंकार कर देते हैं कि मेरे हैं या नहीं हैं। मान्यवर, यह इनके घर का अन्दरूनी मामला है उसमें दखल नहीं देना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैं खुद संतुष्ट होना चाहता हूं और आप कहेंगे तो संतुष्ट होऊंगा। पिछली सरकार अगर कर सकती है, हर विधायक को 200-250 हैण्डपम्प, 5, 7 कि0मी0 सड़क दे रही थी, उस समय आप विपक्ष में थे। यह नहीं कहा कि हम ब0स0पा0 को नहीं देंगे या भा0ज0पा0 को नहीं देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे, तो आज आप उस अच्छी परम्परा का क्यों नहीं पालन कर रहे हैं, एक तो इसका कारण बता दें और इसका एक ही जवाब हो सकता है कि आज घोषणा करें कि 250 हैण्डपम्प प्रत्येक विधायक को मिलेगा, सड़क के बारे में मैं समझता हूं कि नसीमुद्दीन जी इस मामले में आपसे कहीं ज्यादा बेहत्तर हैं, जब आप हैण्डपम्प की बात करेंगे तो। अगर कर देंगे, वरना उनकी भी परीक्षा हो जायेगी कि अच्छे हैं। मैं तो अच्छा कहने की कोशिश कर रहा हूं, साबित उनको करना है। मान्यवर, मैं तो रास्ता दिखा सकता हूं, चलना या न चलना इनका काम है। तीसरा मान्यवर, विद्युतीकरण के लिये, मा0 ऊर्जा मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। वह कह रहे हैं कि पता नहीं कितने हजार मेगावाट बिजली लग जायेगी। अगर गांव में बिजली नहीं होगी तो लग जायेगी तो गांव में बिजली जायेगी, पैसा आयेगा, रेवेन्यू आयेगा। इसमें भी आपका फायदा है। मान्यवर, इसमें मैं एक चीज चाहता हूं इसमें आप भी दृढ़ता दिखायें क्योंकि आप विधायक हैं, आप अगर कह देंगे तो उसके बाद इनको करना पड़ेगा। कहीं न कहीं हनुमान गीयर, जो स्पेशल वाला होता है वह लगाना ही पड़ता है। वह लगाइये और सरकार से कहिये कि वह करें और फिर जहां पर विधायकों की संतुष्टि थी उसको हटा देना मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक परम्पराओं का अपमान है। इस संदर्भ में आपसे अनुरोध करूंगा कि जो कुछ भी कहना चाहें, कहें।

श्री अध्यक्ष-

इसी विषय पर नियम-300 के अन्तर्गत श्री अम्बिका चौधरी और माता प्रसाद पाण्डेय जी की सूचना है। अभी आगे आयेगी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने कई बार इस बात को स्वीकार किया और आप सहमत हैं। मुझे मालूम है कि आप मन से सहमत हैं और आपकी इच्छा भी है आपकी इच्छा को भी सरकार पूरा न करे तो यह हम सबके लिये अपमान की बात है। आपने स्वयं इस बात को बड़े विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ कहा है कि शहरी क्षेत्र के विधायक हैं उनको विगत 2 वर्षों से एक भी हैण्डपम्प नहीं मिला। क्या इस शहर में गरीब नहीं हैं, क्या शहर में अल्प आय वर्ग के लोग नहीं हैं, क्या शहर में बस्तियां नहीं हैं, क्या शहर के लोगों को पानी नहीं पीना है। मान्यवर, आप भिज्ञ हैं, आपको सारी जानकारी है इसलिये आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश दें कि जो विधायक छूट गये थे जिनको नहीं मिला था उनको भी उसी श्रेणी में शामिल करके हैण्डपम्प व सड़क दी जायेगी।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 21 अगस्त, 2008 को नियम-300 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई।

पहली सूचना, श्री प्रमोद तिवारी की उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा में मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा का निर्वाचन न कराये जाने से विधान सभा की मा0 उपाध्यक्ष से सम्बन्धित समितियों का कार्य बाधित होने के सम्बन्ध में हैं, दूसरी सूचना, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री अम्बिका चौधरी की प्रदेश सरकार द्वारा पेयजल योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्पों के आवंटन में सत्तापक्ष एवं विपक्ष के विधायकों में भेदभावपूर्ण नीति अपनाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राम किशुन, श्री राम विशुन आजाद व श्री आर0ए0 उस्मानी की प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल विकास निधि एवं अन्य विकास कार्यों के अन्तर्गत सत्तापक्ष एवं विपक्ष के विधायकों में भेदभावपूर्ण नीति अपनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना, श्री उदयराज यादव की दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 के पूर्व उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु धन जमा कर दिये जाने के बावजूद भी अनुबन्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना, श्री शम्भू चौधरी की विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं का उत्तर न प्राप्त होने के सम्बन्ध में है। नियम-51 के बारे में मैं व्यवस्था दे चुका हूं और उसके बारे में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि दो महीने का समय दे दिया जाए। छठी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी की महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसमें जांच के लिये निर्देश दे दिया गया है।

जो सूचनाएं नहीं सुनी जायेंगी उन मा0 सदस्यों के नाम हैं--डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भईया, श्री उदयभान करवरिया, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भईया, डा0 पी0 के0 राय, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला व श्री मिथिलेश कुमार।

श्री उदयभान करवरिया-

हमारी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग की सूचना दी है यह नियम 300 में कैसे आ जायेगी ?

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

अम्बिका चौधरी और पाण्डेय जी ने जो सूचना दी है उसमें सबकी बात आ जायेगी।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, पांच लोगों का एक परिवार विधान सभा के सामने बैठा हुआ है उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो आज ही मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपको इतनी जानकारी है।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

उनकी जमीन पर जबरिया कब्जा किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

कब्जा दिलाने के लिये नियम-300 नहीं बना है।

आप बैठ जाइये हम इस बात को सरकार के संज्ञान में ला देंगे।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

उनकी जमीन पर दीवाल बनवाई जा रही है। पीड़ित लोग सदन के सामने बैठे हैं। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक उनकी सुन नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

जब मैंने कह दिया कि सरकार के संज्ञान में ला देंगे उसके बावजूद सदस्य जबरदस्ती बोल रहे हैं इनकी बात नोट न की जाय।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, माननीय सदस्य की बात महत्वपूर्ण है। इनको सुन तो लें। एक मंत्री का भाई कर रहा है। इसमें आप हस्तक्षेप कीजिए।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष ने निवेदन किया है हम सदस्य को बात रखने के लिये समय दे देंगे।

करवरिया जी बैठ जाएं जिला सहकारी बैंक नियम-300 में कहां से आ जायेगा ? प्रमोद तिवारी जी अपनी बात रखें।

प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा में मा0 उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने तथा उनसे सम्बन्धित समितियों का कार्य बाधित होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 जिससे इस विधान सभा की कार्यवाही संचालित होती है उसके नियमों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। और आपके माध्यम से इस पर औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। यह सीधे-सीधे भारत के संविधान के उन अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का भी उल्लंघन हो रहा है और इस सदन में सभी के समक्ष हो रहा है लेकिन उन नियमों की अवहेलना करके विपरीत जाकर सदन की कार्यवाही चलाई जा रही है। इस संदर्भ में आपके संज्ञान में लाते हुए कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 208(1) के अन्तर्गत विधान सभा का गठन होता है और इसी विधान सभा के गठन में नियमावली बनाने का अधिकार निहित है उसके तहत सदन में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है नियमावली जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के रूप में जानी जाती है। मान्यवर, इसके नियम 9(1) के अन्तर्गत उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। मान्यवर, उपाध्यक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण पद होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका यही कार्य नहीं होता कि जब अध्यक्ष जी पीठासीन न हों, मान्यवर, आप पीठासीन न हों तो उस स्थल पर बैठ कर आपके दायित्वों का निर्वहन करे यही उनका कार्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन इसके अलावा भी उनका एक महत्वपूर्ण दायित्व है। बहुत सी समितियां है मान्यवर, जिसके वे अध्यक्ष होते हैं। प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, आश्वासन समिति, नियम एवं सदंर्भ समिति यह तमाम समितियां होती हैं। वे कई समितियों के अध्यक्ष होते हैं। मान्यवर, प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति है, विशेषाधिकार हनन समिति है, नियम समिति है जिसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है। आज मान्यवर, सदस्य तो आपने हमको बना दिया। आज हममें से बहुत सारे लोग उस समिति के सदस्य हो गये हैं लेकिन मान्यवर, वह समिति अपना कार्य इसलिये नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास अपना अध्यक्ष नहीं है। मैंने पिछली बार भी यह प्रश्न उठाया था। उस समय जब मैंने यह प्रश्न उठाया था तो कहा गया था कि उपाध्यक्ष का चुनाव शीघ्र कर लिया जायेगा। तब से 6 महीने बीत गये हैं। मैं नहीं समझता शीघ्र की परिभाषा क्या है। लेकिन 5 साल का सामान्यतया जीवन काल होता है इस विधान सभा का। डेढ़ वर्ष की अवधि बीत चुकी है और अब साढ़े तीन साल बचे हैं। डेढ़ साल में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि इन समितियों को पंगु रखा जा रहा है। इन समितियों को ही पंगु नहीं रखा जा रहा है, ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं जिससे सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से न चल सके। मैंने मान्यवर, परसों ही आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था कि मान्यवर, आप 11 बजे पीठासीन हुए और 5 बजे आप वहां से हटे। इसका एक मात्र कारण यह

था कि 11 बजे से 5 बजे तक माननीय अध्यक्ष जी आपको इसलिये बैठना पड़ा कि उस वक्त यहां पर कोई पीठासीन अधिकारी यहां मौजूद नहीं था अगर सम्मानित उपाध्यक्ष होते तो मान्यवर, आपको यह रिकार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।

मान्यवर, 11 बजे से 5 बजे तक लगातार बैठना एक मजबूरी में हुआ। फिर उस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन समितियों का हेडलेस होना। इन समितियों का अपने दायित्व का निर्वहन न कर पाना मान्यवर, सभी के अधिकारों का शोषण हो रहा है। सभी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मान्यवर, फिर इसमें कारण क्या है ? परम्परा के रूप में यह पद विपक्ष को जाता है। मान्यवर, विपक्ष को कहा जाय कि आपना कोई एक उम्मीदवार दे दें आप तारीख निर्धारित करिये सरकार से परामर्श करके उसमें कोई एक नाम चला जायेगा और उस नाम के अनुसार उसका चयन हो जायेगा। जहां आपको एक उपाध्यक्ष मिल जायेगा वहीं इन समितियों को उसका सभापति मिल जायेगा और इस प्रकार मान्यवर, यह जो एक बहुत बड़ी संवैधानिक भूल मान्यवर, मैं कहूंगा नियमावली के प्रतिकूल जो हो रहा है। उससे इस सदन को मुक्ति मिल जायेगी। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस औचित्य के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें सरकार के उत्तर के बाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यद्यपि यह सूचना माननीय प्रमोद तिवारी जी ने दी है लेकिन यह सूचना इस पूरे सदन के सभी सदस्यों और सदन की गरिमा से सम्बन्धित मामला है क्योंकि उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया और स्थिति मान्यवर, नियमावली में माननीय अध्यक्ष के चुने जाने के तत्काल बाद की है और इस पन्द्रहवीं विधान सभा के गठन के बाद मान्यवर, इतना समय बीत जाने के बाद भी माननीय उपाध्यक्ष का निर्वाचन न हो पाना और इसमें कोई कारण ऐसा होता जिसमें कि इसके निर्वाचन में कोई गम्भीर कठिनाई होती। श्रीमनु, मैं इस सदन में इस बात का स्मरण इसलिये दिलाना चाहता हूं कि पिछले कार्य काल में जब पिछली सरकार थी मान्यवर, तो उपाध्यक्ष का चयन जैसे ही नई सरकार पदारूढ़ हुई समाजवादी पार्टी की सरकार उपाध्यक्ष का चयन विपक्ष ने किया और उनका निर्वाचन सर्वसम्मति से कराने का काम माननीय मुख्य मंत्री, माननीय नेता सदन ने तुरन्त करा दिया। बिना किसी विलम्ब के। श्री राजेश अग्रवाल जी उपाध्यक्ष चुने गये। उपाध्यक्ष का कार्य सिर्फ इन पांच समितियों जिनका आपने उल्लेख किया, का सभापति होने मात्र से नहीं है। प्रश्नों के निर्धारण करने का काम और श्रीमनु, अनेक ऐसे कार्य जिनका भार आप पर अतिरिक्त रूप से है और उपाध्यक्ष का पद मान्यवर, इसलिये बनाया गया कि उसके जो उत्तरदायित्व हैं उनका उत्तरदायित्व वह स्वयं पूरा कर सके उसका निर्वाचन हो सके। सरकार कोई ठोस कारण लेकर आई होती कि इन कारणों से इन पन्द्रह महीनों में कि इस कारण से उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं कराना चाहते। मान्यवर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अगर इनका विश्वास नहीं है तो बहुत सारे आचरण इस सरकार ने ऐसे किये हैं जिससे लगता है कि लोकतंत्र की परम्पराओं

को नहीं मानते हैं। मान्यवर, यह निर्वाचन करायें और अगर यह साबित करना चाहते हैं कि विपक्ष का नहीं रखना चाहते हैं तो यह अपने यहां का चुनकर बैठायें। सब जगह यह संदेश जाए लेकिन किसी भी दशा में उपाध्यक्ष की कुर्सी खाली रखी जाए और उपाध्यक्ष का निर्वाचन न कराया जाये यह सीधे-सीधे न सिर्फ परम्पराओं का अवमान है न सिर्फ लोकतंत्र की स्थापित परम्पराओं को नकारना है मान्यवर, बल्कि सीधे-सीधे इस सदन का भी अवमान है। मान्यवर, इनको कठिनाई महसूस हो रही होगी तो उसे व्यक्त करें कि यह समाजवादी पार्टी के लोगों में से किसी को निर्वाचित होते हुए नहीं देखना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या विपक्ष को नहीं देखना चाहते हैं तो अवगत करायें। अपने पक्ष के किसी मा0 सदस्य को चाहते हैं तो निर्वाचित करें लेकिन उपाध्यक्ष का पद रिक्त रखकर इस सदन को अनन्त काल तक ऐसे चलाया जाए यह सदन की अवमानना है और यह आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको सरकार से बिना पूछे उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि घोषित करनी है, आप घोषित कीजिए। सरकार अगर उन परम्पराओं का निर्वाह करेगी कि विपक्ष का उपाध्यक्ष होना चाहिए तो सरकार उसका आदर करेगी, सरकार अगर इन परम्पराओं का निरादर करना चाहेगी तो सरकार बेनकाब होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज ही जब व्यवस्था दें तो उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि घोषित करें। यह हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, पिछले सत्र में भी इस पर काफी चर्चा हुई थी और आपने सम्मानपूर्वक सदन को आश्वस्त किया था कि हम इस पर वार्ता करके कोई तिथि निर्धारित करेंगे। लेकिन अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं हो पाई। निश्चित है कि समुचित कारण होंगे। लेकिन यह पूर्ण रूप से आपके अधिकार क्षेत्र में है और आपके निर्देश पर प्रमुख सचिव, विधान सभा को उसकी तिथि निर्धारित करनी है। अब उस तिथि के निर्धारण के बाद कौन पक्ष कौन सी भूमिका निभाता है कितनी सहमति असहमति व्यक्त करता है कौन सा कैन्डीडेट लाता है कौन सा नहीं लाता है। सहमति से लाता है कि असहमति रहती है यह सदन के अन्दर बैठे हुए लोगों और पार्टियों का अपना अधिकार है लेकिन तिथि निर्धारित करना तो आपका अधिकार भी है और आपका दायित्व भी है। अगर उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है तो इसमें कहीं न कहीं तिथि न निर्धारित होना भी कारण है। मैं चाहूंगा एक बार तिथि, क्योंकि पिछली कई बार जो विधान सभायें चुनकर आयीं उसमें तिथियां निर्धारित होती थी और वह स्थगित हो जाती थी दो तीन बार ऐसा हुआ, लेकिन पहले तिथि तो निर्धारित हो, स्थगित होनी होगी तो होगी। तिथि तो निर्धारित हो क्योंकि चुनाव तो इस सदन में बहुमत से होगा लेकिन कार्य की जो क्षति हो रही है समितियां काम नहीं कर पा रही हैं यह कहीं न कहीं प्रत्येक सदस्य के अधिकार का हनन भी हो रहा है। इसलिये समितियों का कार्य और समितियों के माध्यम से दायित्व को निभाना जो उसके सदस्य हैं इनका

अधिकार भी है इसलिये कई तरह से हनन हो रहा है। केवल सामान्य औपचारिकता चुनाव की निभाना ही नहीं है। उसके साथ कई प्रकार के अधिकार, दायित्व और जनहित से जुड़े हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनहित की उपेक्षा सवा साल से हो रही है इसके चुनाव न होने के कारण। बाकी चीजें बहुमत से होंगी, विपक्ष का हो, यह परम्परा है और अगर सरकार परम्परागत पालन करे या न करे या नई परम्परा बना ले कि बहुमत हमारा है इसलिये हम करेंगे। परम्पराओं को अगर तोड़ना ही चाहती है तो विपक्ष कुछ नहीं कर सकता है केवल यह कह सकता है कि एक स्वस्थ परम्परा चली आ रही थी उसको तोड़ दिया लेकिन बहुमत से ही इस सदन में सब कुछ होगा इसलिये मेरा आग्रह है कि तारीख उपाध्यक्ष के चुनाव की निर्धारित करने का अधिकार और दायित्व दोनों आपका है और आपके निर्देश पर विधान सभा के प्रमुख सचिव का है इसलिये इस दायित्व को आप अपने पूर्व सत्र के आश्वासन के अनुसार कार्यान्वित करें यही मेरा आग्रह है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, सभी मा0 सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया कि इसमें तिथि निर्धारित करने का आपको अधिकार है। प्रायः सामान्य तौर पर जो परम्परा रही है कि नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन और अन्य नेताओं से परामर्श करके तिथियां निर्धारित करने की रही है। मान्यवर, चूंकि इसमें सम्पूर्ण अधिकार आपको है, इसलिये हमें क्या कहना मान्यवर, आप जैसा उचित समझें ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जैसा बताया, इस पर वार्ता करके कोई रास्ता निकाला जायेगा, हम इसको करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने पूरी तरह से आप पर डाल दिया है और आपका ही अधिकार है, आज तिथि घोषित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

वार्ता करके बतायेंगे।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, वार्ता करके कितने दिन में तिथि निर्धारित कर देंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब आपके अधिकार पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। आपके अधिकार पर दबाव डालना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे, दबाव भी डाल सकते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, दबाव की बात पर याद आया, मैं देख सकता हूं, आपको चेहरा देख सकता हूं, पढ़ सकता हूं कि गलती किसी और की, सजा आपको भुगतनी पड़ रही है। मैं समझता हूं इस बात को लेकिन कुछ कहना नहीं चाहता, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि यथासम्भव जो अगला सत्र हो, हम तो आपके लिये जोड़ीदार तलाश रहे हैं, आप मुझे अकेले अच्छे नहीं लग रहे हैं। मान्यवर, तो जोड़ीदार को आप ढूंढ लें। नेता विरोधी दल के बगल में एक सीट खाली रहती है।

श्री अध्यक्ष-

जब खन्ना जी के लिये इतना समय लग गया तो मेरे लिये कितना समय लग सकता है।

मैंने इस प्रश्न पर मा0 प्रमोद तिवारी जी को सुना, मा0 अम्बिका चौधरी जी को सुना, मा0 ओम प्रकाश जी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह औचित्य का प्रश्न नहीं बना, अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों तथा पेयजल योजनान्तर्गत हैण्डपम्पों के आवंटन में सत्तापक्ष एवं विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद-164 और उसके क्लाज-3 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी थी कि जब सरकारों का गठन होगा तो मंत्रि-परिषद् के सदस्य एक शपथ लेंगे। संविधान निर्माताओं ने इसकी व्यवस्था इसलिये की थी कि हो सकता है कि, आने वाले दिनों में किसी के मन में राग-द्वेश उत्पन्न हो जाये और उससे प्रभावित होकर वह अपने दायित्वों के निर्वहन से विचलित होने लगे। इसलिये जो हमारी परम्परा है या विश्व में भी यह बात चलती है कि जब शपथ ली जाती है तो अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति जो शपथ ले रहा है, उसके अनुरूप काम करेगा। शपथ का प्रारूप मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। इसी की तीसरी अनुसूची में है। किसी राज्य के मंत्री के लिये पद के शपथ का प्रारूप-मैं अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।

यह मंत्रिमण्डल के लोगों के लिये, मा0 मुख्य मंत्री जी, उनके सभी सहयोगी इस प्रकार की शपथ लेते हैं। लेकिन मान्यवर, शपथ लेने के बाद जब सरकार की कुर्सी पर, मंत्री की कुर्सी

पर, मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो उस समय वह इस शपथ को भूल जाते हैं। अभी जो बजट पिछली बार पास हुआ, चाहे वह पी0डब्लू0डी0 का हो, पी0डब्लू0डी0 के बजट में सड़कों की व्यवस्था की गई, नई सड़कों की व्यवस्था की गई उसमें हम लोगों से, विपक्ष के जो लोग हैं, उसमें से किसी से न तो कोई प्रस्ताव मांगा जाता है और न ही हम लोगों की तरफ सड़क बनाने की कोई योजना है, न उसका सर्वे कराया जाता है। मान्यवर, यह सही है कि सरकार के पास बजट है, समग्र विकास के लिये वह अपनी नीति बनाती है। जहां कहीं पिछड़ापन है, जहां कहीं और विशेष कठिनाइयां हैं उसके लिये अलग से पैकेज देने की व्यवस्था है लेकिन सामान्य रूप से केवल एक विशेष लोगों के लिये अलग से संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसी बात नहीं है कि उसके लिये अलग से उनको लाभ पहुंचाने के लिये बजट की व्यवस्था की जाये। आज वर्ष 2007-08 का बजट पास हो गया। पी0डब्लू0डी0 का बजट पास हो गया। यह जो पूर्वांचल निधि है उसमें जिलांश भी है पूर्वांचल भी है। पूर्वांचल निधि में भी हम विपक्ष के विधायकों को नहीं दिया जाता है। मैं नहीं जानता कि बुन्देलखण्ड वालों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन पूर्वांचल का जो राज्यांश है उसमें हम लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। जो हमारा जिलांश है वह इतनी धीमी गति से चल रहा है कि अभी वित्तीय वर्ष 07-08 का पहुंचा तो है लेकिन अभी उसकी कोई कार्य योजना नहीं बन पायी और उस पर काम नहीं शुरू हो पाया।

मान्यवर, हैण्डपम्पों के मामले में, आपने कर दिया, आज तो कहा गया। लेकिन पिछली बार जब इस सदन में आया था तो सत्ताधारी दल के लोगों को अलग से इसका आवंटन किया गया था और विपक्ष के लोगों को इससे अलग रखा गया था। यही नहीं मान्यवर, आप किसी भी काम में देख लें तो यह जो पक्ष और विपक्ष का भेद किया जाता है यह राग-द्वेष से प्रभावित किया जाता है। न्याय के मामले में जहां तक न्याय की बात है मान्यवर, आपको कई बार हमने इस सदन में आग्रह भी किया है कि जिले स्तर पर जो विपक्ष के लोग हैं मुख्य रूप से जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उसमें एक वर्ग विशेष के लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। क्योंकि शपथ लिया है विधि के अनुसार न्याय करने का, विधि के अनुसार न्याय भी नहीं किया जाता है। हम लोग जब मारे जाते हैं तो हमारी रपट नहीं लिखी जाती है दूसरी तरफ खरोंच नहीं आती तो हम लोगों के ऊपर बड़ी से बड़ी दफायें लगाकर उनकी गिरफ्तारी की जाती है। यह विधि के अनुसार न्याय की जो शपथ ली जाती है उसका उल्लंघन हो रहा है। इसलिये मैं आपके समक्ष औचित्य का प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी, मैं संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 का उल्लेख करना चाहता हूं। 163 के 1 में जिन बातों में संविधान के द्वारा इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करें। उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिये एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान

मुख्य मंत्री होगा और मान्यवर, आर्टिकल 164 में उसके बाद है कि मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करेंगे और श्रीमन्, इसी के 164-3 का प्राविधान है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये गये प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलायें और श्रीमन्, शपथ दिलाने के लिये हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में शेड्यूल्ड थर्ड में अलग-अलग फार्मेट्स बनाये हैं। केन्द्रीय मंत्रियों के अलग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिये अलग, माननीय राज्यपाल के लिये अलग और राज्य सरकार में मा0 मंत्रियों के शपथ लेने के लिये मान्यवर, प्रारूप 5 और प्रारूप 6 है। प्रारूप 5 जिसका उल्लेख माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने किया। उसमें मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि-मैं फला राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इसके प्रारूप 6 में गोपनीयता की शपथ है। उसका उल्लेख मैं अभी नहीं करना चाहता। पूरा पढ़कर इस सदन का मूल्यवान समय जाया नहीं करना चाहता। मैं यह आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस शपथ का प्राविधान संविधान में अनिवार्य रूप से इसलिये किया गया है कि उनकी नियुक्ति के लिये प्राविधान कर दिये जाने के बाद भी अगर यह शपथ उनको नहीं दिलायी जाती है तो वह मंत्री पद का अपना कर्तव्य कर पाने के लिये समर्थ नहीं होंगे। अपना आफिस एक मिनट के लिये होल्ड नहीं कर सकते और उनके द्वारा किया गया कोई कृत्य वैधानिक नहीं होगा। अगर वह इस उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में कार्य करना चाहें। जिस दिन से इस सरकार की स्थापना हुई है राग-द्वेष के अलावा इस सरकार के मन में कुछ है नहीं। किसी लोगों के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष। राग जिनके प्रति है उनके कारणों पर नहीं जाना चाहूंगा। अनेक कारणों से उनका राग है, लेकिन द्वेष जिनके प्रति है वह स्पष्ट है। मैं प्रदेश की जनता की बात करूं उसके पहले इस सदन में जो सदस्य हैं, उनके प्रति जो द्वेष है उसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। उसका उल्लेख करूं इसके पहले इस देश को आजाद कराने वाले लोग और अनेक महापुरुष, जिनमें सबके प्रति श्रद्धा समान भाव से होनी चाहिए, उसमें भी इनके मन में जो द्वेष है, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मान्यवर, जब इस सूबे में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री होते हैं तो किसी महापुरुष के नाम से चलने वाली योजना को बन्द करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि अम्बेडकर गांव की कोई योजना को यह बन्द करने का काम करें। लेकिन लोहिया ग्राम की कोई योजना चल रही है, तो इस सरकार को डा0 लोहिया के नाम से भी परहेज है, और उस योजना के माध्यम से पहले का विकास होता है तो यह सरकार अपनी स्थापना के समय से ही पहले महापुरुषों पर हमला करने का काम करती है।

मान्यवर, इस सदन में जैसा माता प्रसाद पाण्डेय जी ने उल्लेख किया है और आज सुबह से ही यह बात चल रही है, हैण्ड पम्पों का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दिये गये कि नहीं दिये गये, कम दिये गये ज्यादा दिये गये। हैण्ड पम्प जो कम ज्यादा दिये जाते हैं तो वह बात अलग हो सकती थी। आपके बजट में प्राविधान नहीं हो सकता था सरकार तो वह अपनी नीति तय करती कि हम ग्राम्य विकास के लिये पेयजल की व्यवस्था नहीं करना चाहते हैं, आप यह मद हटा सकते थे। यद्यपि आपका एनुअल प्लान पिछली सरकार की परफार्मेंस के कारण छः हजार करोड़ और बढ़ा। 19 हजार करोड़ से बढ़कर 25 हजार करोड़ बढ़ा और बाकी मदों में आपने प्राविधानित भी किया। हैण्ड पम्पों के लिये भी आपने प्राविधानित किया लेकिन एक जीओ मैं पढ़ना चाहता हूं। यह 18 फरवरी, 2008 का शासनादेश है। इस शासनादेश में दिये गया है-मान्यवर, उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित 189 विधान सभा क्षेत्रों में पूर्व में स्वीकृत हैण्ड पम्पों के अतिरिक्त मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा चयनित स्थलों पर एक सौ पचास हैण्ड पम्प स्थापित कराये जायें। 189 की सूची मैं पढ़ूं तो समय लगेगा। लेकिन 189 में 188 नहीं, 189 पर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के विधायकों का नाम है। और, एक ही जनपद मे अगर बहुजन समाज पार्टी का सदस्य जिस क्षेत्र से चुना गया है वहां पेयजल की आवश्यकता है और उसके बगल में अगर समाजवादी पार्टी का या दूसरे दल का विधायक चुना गया है तो वहां पर पेयजल की कोई आवश्यकता नहीं है यह राग-द्वेष और भेदभाव का उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं।

मान्यवर, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, हमने मंत्रि-परिषद् की शपथ ली थी, तत्कालीन पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर श्री शिवपाल यादव जी ने पहले वर्ष पांच किलोमीटर सड़क प्रत्येक विधायक से प्रस्ताव लिया और अगले वर्ष फिर सात-सात किलोमीटर का प्राविधान किया प्रत्येक विधायक के प्रस्ताव पर और बनाया। श्रीमन, हैण्ड पम्पों की बात थी, जितने हैण्ड पम्पों का वितरण हुआ है एक तरह का शासनादेश जारी हुआ, एक तरह की व्यवस्था हुई प्रत्येक सदस्य को। गांवों के विद्युतीकरण का सवाल आया तो प्रत्येक सदस्य का समान अधिकार था। पूर्वांचल विकास निधि में जो राज्यांश निधि की बात माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कही है, राज्यांश में कहीं ज्यादा आवश्यकता होगी तो ज्यादा और कहीं कम आवश्यकता होगी तो कम, यह बात सरकार विचार करती है। राज्यांश और जिलांश की व्यवस्था तो है। लेकिन ऐसी अद्भुत व्यवस्था मैंने नहीं देखी कि राज्यांश में अगर प्रस्ताव बी0एस0पी0 के विधायक दें तो विकास की आवश्यकता है लेकिन अगर एस0 पी0 या दूसरे दल के विधायक दें तो इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो यह राग द्वेष तो क्या है ? राग-द्वेष नहीं तो इतना है कि अगर गुंजाइश होती सरकार के पास, घोषित नहीं कर रही है, अघोषित तो है, मान्यवर, उत्तर प्रदेश में समुन्दर नहीं है, अन्यथा यह आदेश कर सकती थी कि मुलायम सिंह यादव जी की जाति के लोग अर्थात यादव जाति के लोगों में जो पैदा हुआ है उसे समुन्दर में फिकवा दिया जाय। मान्यवर, इन 15, 16 महीनों में इस

सरकार का जो कृत्य है, हम इसका अलग-अलग जिक्र नहीं करेंगे, अगर यहीं तक सीमित रखें और जिसका उल्लेख अभी दूसरे शासनादेश का माननीय हुकुम सिंह जी ने किया आज यह सिर्फ इसलिये किया गया है मान्यवर, कि अब किसी विधायकों को कहने को आवश्यकता ही नहीं रहे, कलेक्टर वहां पर तय कर देंगे और तय क्या कर देंगे जो निर्देश आपका यहां से खामोशी से जायेगा उसके अनुसार हो जायेगा, उसका प्रस्ताव भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये श्रीमन् मेरा यह कहना है, हम इनसे कोई न्याय की मांग नहीं कर रहे हैं, इनसे न्याय की उम्मीद है ही नहीं तो न्याय की मांग इनसे क्या करें। मैं यह कहना चाहता हूं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से कि यह सरकार अपने शपथ भंग की दोषी है। सभी मंत्रीगण ने संविधान की तीसरी अनुसूची में जो प्रारूप पांच और छः की शपथ है उसको भंग किया है और जब शपथ भंग किया है तो अब यह जितनी देर भी मंत्री पद पर बने हुए हैं वह अवैधानिक तौर पर बने हुए हैं, गैर संवैधानिक तौर पर मंत्री पद पर हैं, इसलिये इनको अब एक क्षण भी मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। न ही कोई आवश्यकता है। सरकार अपना संवैधानिक अस्तित्व खो चुकी है।

मान्यवर, प्रारूप-ख में गोपनीयता की शपथ अगर यह तोड़ते तो उसके लिये मान्यवर, आफीसियल सीक्रेट ऐक्ट के सेक्शन-5 में मान्यवर, यह भी प्राविधानित है कि इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाता। लेकिन मान्यवर, प्रारूप-5 में जो यह अनुराग-द्वेष का भेद किये विना जो सबके प्रति न्याय करने की जो शपथ इन्होंने लिया है, वह शपथ मान्यवर, टूट गई है और उस शपथ के टूट जाने के बाद यह मंत्री जबरदस्ती मंत्री बने हुए हैं इनको मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और अगर इनको इसका औचित्य सिद्ध करना है तो यह आज इस बात की घोषणा करें कि किसी प्रकार का कोई भेद-भाव नहीं होगा और माननीय विधायकों द्वारा दिये गये जो प्रस्ताव हैं उन पर दलीय आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा और उसका पश्चाताप करें उसके बाद अगर आप इनको क्षमा करना चाहें तो दूसरी बात होगी। मान्यवर, पूरी तरह से इनका पद अवैधानिक है, इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसी विषय पर माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह ने भी सूचना दी है, वह भी सिर्फ दो मिनट में अपनी बात कह लें। इससे ज्यादा अगर बोलेंगे तो आपकी बात नोट नहीं की जायेगी। ज्यादा भूमिका मत बांधियेगा, सीधे अपनी बात कहियेगा। वैसे सारी बात आ गई है, माननीय अम्बिका चौधरी जी ने सारी बात कह दी है।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, इस सरकार ने यह शासनादेश 40438586 7स0म0 अधिवर्ष में, पार्टी विशेष के विधायकों को 2007-2008 में

डेढ़ सौ हैण्डपम्पों का विशेष तोहफा दे दिया है। क्या सरकार और विपक्ष के विधायकों के बीच भेद-भाव भी सिर्फ पार्टी के आधार पर किया जायेगा। सरकार ने इस शासनादेश में विपक्ष के किसी भी विधायक का नाम नहीं लिया है। आगरा जनपद की भौगोलिक स्थिति, फतेहाबाद की सबसे ज्यादा खराब है। हमारे यहां इस समय पानी का स्तर 60 से लगा कर के 90 मीटर नीचे तक है और जितने भी हैण्डपम्प वहां पर रि-बोर हुए हैं वह सारे के सारे खराब पड़े हुए हैं। हमने दो बार ग्राम्य विकास मंत्री महोदय को दो बार लेटर लिख करके दिया और उन्होंने एक आदेश भी किया कि हम आपको ढाई सौ हैण्डपम्प अलग से देने के लिये संस्तुति करने जा रहे हैं लेकिन उस लेटर का भी कोई फायदा नहीं हुआ है इसीलिये हम यह सूचना आपके समक्ष लाये हैं और हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार कोई अध्यादेश ला करके विपक्ष के माननीय सदस्यों को मिलने वाली सारी सुविधाओं को खत्म कर दे और अगली बार पता चले कि अध्यादेश आ जाये कि विपक्ष के माननीय सदस्यों को यहां से निकाल कर बाहर कर दिया जाये।

(श्री अध्यक्ष और श्री राजेन्द्र सिंह के एक साथ अपनी बात कहने के कारण शोर की स्थिति उत्पन्न हो गयी)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब आप समाप्त करें।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए। हमें यह डेढ़ सौ हैण्डपम्प तो दिये ही जायं इसके अलावा जो 225 हैण्डपम्प और मिलने वाले हैं उनके बारे में भी आप संस्तुति करने की कृपा करें। आपकी बहुत ज्यादा कृपा होगी, धन्यवाद।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से दो बातें पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोई किसी देश का राजा होता है उसकी प्रजा जो होती है उसके हितों को ध्यान में रख कर उसी के अनुसार काम भी होता है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां पर जो राजा है वह एक पक्ष का काम कर रहा है दूसरे पक्ष का काम नहीं कर रहा है। क्या हमारे यहां जो नल लगेंगे और उसका जो पानी होगा उसे गरीब भी पियेंगे और अन्य लोग भी पियेंगे, इसमें जाति और बिरादरी का मायने नहीं रहता है। सड़कें बनेंगी तो सभी लोग चलेंगे उसमें किसी के साथ कोई भेद-भाद नहीं होता है, लेकिन यहां ऐसा लग रहा है कि यह सरकार यह चाह रही है कि एक तरफा कार्यवाही ही की जाये जो कि बिल्कुल निन्दनीय है। मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं कारण यह है कि जिस प्रकार से 225 नल दिये गये और आज वह एक पक्ष को देने के बाद दूसरे पक्ष को नल नहीं दिये जा रहे हैं। दूसरी बात जो सड़के हैं इसके पहले जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने सबको सड़कें दीं सात-सात किमी0 सड़कें दीं, 225 नल भी दिये, बिजली के लिये 5-5 गांव भी दिये। लेकिन इस

सरकार ने इन सब चीजों को देने में भेदभाव किया है। यहां पर सिर्फ एक ही दल के माननीय सदस्य नहीं हैं। यहां पर सपा है, भाजपा है, कांग्रेस है, अन्य दल हैं, सभी हैं तो मैं यह चाह रहा हूं कि इसमें किसी के भी साथ किसी तरह का भेद-भाव न किया जाये और अगर ऐसा होता है तो पूर्ण रूप से इस चीज पर नियंत्रण किया जाये, सबको एक समान दृष्टि से देखा जाये। मान्यवर, एक तरह का सबके साथ व्यवहार होना चाहिए। ऐसा न हो कि परिवार में एक व्यक्ति के लिये तो सूट बन जाये और दूसरा व्यक्ति केवल लुंगी पहने। ऐसा नहीं होना चाहिए सबके साथ समान व्यवहार सरकार करे।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद का हवाला देते हुए हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रकरण पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। मान्यवर, हम लोग जनता से चुनकर यहां पर आते हैं। चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों सब जनप्रतिनिधि हैं। जो उनके क्षेत्र की समस्याएं होती हैं उनको यहां आकर सदन में रखते हैं और अपने-अपने प्रस्ताव देते हैं। लेकिन यह सरकार जो अपने आप को कहती है एक कल्याणकारी सरकार मैं इसको नहीं मानता हूं कि यह जनता का कल्याण करने वाली सरकार है। मान्यवर, कोई भी कल्याणकारी सरकार भेदभाव नहीं करती है चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। मान्यवर, मेरा आरोप है कि विपक्ष के सदस्यों के साथ इस सरकार के समय पूरी तरह से भेद-भाव की नीति अपनायी जा रही है। मान्यवर, हमारे यहां पूर्वांचल का इलाका सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जो पूर्वांचल विकास निधि का पैसा है, उसमें यह सरकार केवल अपने विधायकों की योजनाओं को स्वीकृत कर रही है और उन्हीं के यहां केवल विकास के काम कराना चाहती है। उसमें विपक्ष के विधायकों की किसी योजना को नहीं लिया गया है। मान्यवर, हमारे जनपद गोण्डा में जिला योजना 2007-08 में केवल सत्ता पक्ष के विधायकों के प्रस्ताव लिये गये हैं। डिक्सर में जो विधायक हैं उनके यहां पांच करोड़ रु0 की योजना स्वीकृत की गयी है इसी तरह से सदर क्षेत्र के विधायक के यहां लगभग पांच करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है। विपक्ष के विधायकों की जनपद गोण्डा में एक भी योजना जिला योजना के अन्तर्गत जान-बूझकर स्वीकृत नहीं की गयी है। जबकि मेरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा है।

मान्यवर, इसी तरह से मेरे क्षेत्र में डा0 अम्बेडकर ग्रामों के जो मजरे हैं, उनका विद्युतीकरण नहीं किया गया है, केवल सरकार में सत्ता पक्ष के सदस्यों के क्षेत्रों के पुरवों में काम किया जा रहा है और हम लोगों के प्रस्ताव को आज तक नहीं लिया गया है। यह कह कर टाल दिया जाता है कि वित्तीय संसाधन की कमी के कारण कार्य नहीं कराया जा सकता है।

मान्यवर, आप सरकार को दिशा-निर्देश दें जिससे कि विपक्ष के विधायकों के भी प्रस्ताव लिये जायें और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा जाये, बन जाये तथा जिससे सभी विधायकों के क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सके।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के विपक्ष के सदस्यों के साथ लोक निर्माण मंत्री द्वारा भेद-भाव किया जा रहा हैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने सत्ता पक्ष के विधायकों से वर्ष 2007-08 में 5-5 करोड़ रु0 के प्रस्ताव लिये हैं जबकि विपक्ष के विधायकों से कोई भी प्रस्ताव नहीं मांगा गया हैं मान्यवर, जब पिछले सत्र में यह बात कही गयी थी और लोक निर्माण मंत्री जी ने यह कहा था कि जिनके प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं वह स्वीकृत कर दिये गये हैं। मान्यवर, मैंने अपने पिछड़े हुए विधान सभा क्षेत्र के लिये 2 प्रस्ताव पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी को दिये थे। उसमें आगणन भी बनकर वहां से आ गये हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें स्वीकृत नहीं किया गया है। न कोई उस पर पैसा ही दिया गया है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल के विकास के लिये पूर्वांचल विकास निधि बनी हुई है इसी तरह से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिये बुन्देलखण्ड विकास निधि बनी हुई है। मान्यवर, हमारा लखीमपुर जनपद लखनऊ मण्डल के अन्तर्गत आता है। वह तराई का क्षेत्र है। मान्यवर, जब पिछली बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार गठित थी, उस समय आदर्श जनपद विकास योजना बनी थी। उससे वहां पर विकास के कार्य हो रहे थे। लेकिन इस सरकार ने उन्हें बन्द करने का काम किया है। उसमें जो काम चल रहे थे और जिसमें 40-50 प्रतिशत काम पूर्ण हो गये थे उनको आज छोड़ दिया गया है। परसरिया घाट और मरघट घाट पर पुल का काम हो रहा था उसमें भी पैसा वापस लेने का काम इस सरकार ने किया है।

मान्यवर, पिछले सत्र में इसी सरकार की मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में 225-225 हैण्ड पम्प दिये जायेंगे वह मिल गये थे। लेकिन इस वर्ष का कोई भी हैण्ड पमप अभी तक नहीं मिला है और जबकि सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्र में 150-150 हैण्डपम्प अलग से दिये गये हैं। मान्यवर, इसी के साथ-साथ यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक बिजली नहीं है वहां के लिये 10-10 गांव दिये जायें। ताकि विधायक ऐसे 10-10 गांवों की सूची दे सकें सरकार को विद्युतीकरण के लिये।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने संविधान का बड़ा उद्धरण दिया काश जब वह मंत्री थे तब उनको याद रहा होता। मान्यवर, मेरे जिले में ओवर ब्रिज के लिये पैसा स्वीकृत हुआ था वहां गिट्टी और मौरंग भी गिर गयी थी। वहां ब्रिज कारपोरेशन द्वारा अपनी आफिस भी बना ली गयी थी वह सारी गिट्टी और मौरंग भी उठकर चली गयी थी। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में 2002-2003 में कुछ सड़कें स्वीकृत हुई थीं पूर्वांचल विकास राज्यांश से। आधा पैसा खर्च हो चुका था उसके बाद भी उन पैसों को रोक दिया गया। साढ़े तीन साल में रोज विधान सभा में

प्रश्न लगाता रहा, वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाया। मान्यवर, हमारी सरकार ने पूरी निष्पक्षता के साथ पूरे प्रदेश को एक आधार मानते हुए 403 विधान सभा क्षेत्रों में बराबर रूप से विकास का काम हो सके इस बात को ध्यान में रखते हुए डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना प्रारम्भ करने का काम किया। कोई भेद-भाव न हो, किसी तरह का पक्षपात न हो आबादी के आधार को बनाने का काम किया प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 सबसे कम आबादी के गांव और 5 सबसे ऊपर की आबादी के गांव उसमें भी जाति के आधार पर कोई आबादी का आंकलन नहीं किया गया। इस तरह से पूरे प्रदेश को विकास के लिये केवल 5 कि0मी0 और 7 कि0मी0 नहीं एक-एक विधान सभा क्षेत्र में 20-25-30-40 किलोमीटर तक के सड़कों को कराने का काम किया।

(श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर)

मान्यवर, मैं बीच में नहीं खड़ा हुआ। मैं कोई नाटक करना नहीं जानता।

(श्री मोहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठ जायें, मंत्री जी बोल रहे हैं। बात न पसन्द आये वह अलग बात है।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने बीच में खड़ा होने का काम नहीं किया, कुछ भी कहते रहे मैं बीच में न टोका, न खड़ा हुआ। हमारे भी किसी सदस्य ने टोकने का काम नहीं किया और इनको यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

बात न पसन्द आये वह अलग बात है वह अपना वर्जन कह रहे हैं आप सुन लीजिए। सुनने की आदत डालिये, सुना जाता है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय सदस्य बोल रहे थे मैं नहीं खड़ा हुआ। इस तरह से प्रदेश के बजट का बड़ा हिस्सा किन-किन जिलों में दिया जाता है उसका मैं उद्धरण नहीं करूंगा। उस समय चौधरी साहब आपको वह शपथ याद नहीं रही। मान्यवर, हमारी सरकार बनी हमारी मुख्य मंत्री का पूरे प्रदेश को एक यूनिट मानने का परिचायक है। यह तीन मेडिकल कालेज पहले बन रहे थे किसी के द्वारा बनाये जा रहे थे हमने उसमें एक में भी पैसा रोकने का काम नहीं किया जितने भी पैसों की जरूरत थी उसको देने का काम किया। सैफई में मान्यवर, मेडिकल कालेज बना, पैरा मेडिकल कालेज नहीं बना था उसको पैसे की जरूरत थी हमने उस पैसे को रोकने का काम नहीं किया। किसी भी तरह से भेद-भाव करने का काम नहीं किया। मान्यवर, भेद-भाव करने वाले लोग भेद

के आधार पर पक्षपात करने वाले लोग जिनका केवल पक्षपात का ही चरित्र रहा है वह आज इस तरह से हमारे ऊपर आरोप लगायें यह उचित नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह शासनादेश देखें यह खाली लफ्फाजी है।

(श्री अम्बिका चौधरी द्वारा शासनादेश दिखाया गया)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं माननीय अम्बिका चौधरी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने उनकी बातों को शांतिपूर्वक सुना और उन्होंने जितने भी आरोप लगाये, हमें सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है और इस तरह की तमाम बातें कहने का काम किया, लेकिन हमारे कोई भी सदस्य ने किसी भी तरह से टोकने का काम नहीं किया। मान्यवर, अगर हमने संयमित होकर सुनने का काम किया तो आपसे भी आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप भी सुनें। मान्यवर, 403 विधान सभा क्षेत्रों में माननीय चौधरी साहब का भी विधान सभा क्षेत्र होगा। माननीय पाण्डेय जी का भी विधान सभा क्षेत्र होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में है, अगर 10 ग्राम सभा अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में चयनित न हों तो आप हमसे सवाल करिये कि हमारे क्षेत्र में छोड़ दिया गया। मान्यवर, प्रदेश के 403 विधान सभा क्षेत्रों में इस तरह से बराबरी के आधार पर सभी को विकास का एक यूनिट मानने का काम किया गया। मान्यवर, अब किसी व्यक्ति को अगर कुछ एलर्जी है किसी व्यक्ति को कष्ट अगर किसी तरह का दूसरा है और अगर कोई दूसरी जगह से कष्ट उठाकर आता है और विधान सभा में आकर अपनी खीझ उतारने का काम करे तो उसका जवाब हम नहीं दे पायेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह कहकर आप अन्याय करोगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, विभिन्न विकास के लिये अतिरिक्त जरूरतें पड़ती हैं। माननीय विधायकगण अपने प्रस्ताव मंत्रीगण को देते हैं। बहुत से सदस्यों ने सड़कों के बारे में माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को दिया होगा। माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने भी दिया होगा। माननीय प्रमोद जी ने भी दिया होगा। आपके भी बहुत से सदस्यों ने दिया होगा और इन्होंने उसकी आवश्यकता का परीक्षण करके अलग से भी कुछ स्वीकृतियां करने का काम किया होगा इस पर मैं कोई सवाल नहीं करना चाहता। मान्यवर, इसी तरह से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अलग से पेयजल की एक गंभीर समस्या थी और उस गंभीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए बुन्देलखण्ड के हमारे विधायकों ने अलग से मांग किया था और उस पर हमारे ग्राम्य विकास मंत्री जी ने अलग से उनको पेयजल के लिये हैण्डपम्प देने का काम किया था। लेकिन मान्यवर, आज उसी तरह से जिस शासनादेश का

उल्लेख कर रहे हैं, विभिन्न सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के पेयजल की समस्या का जिक्र किया थी और उसके आधार पर उस तरह का कोई शासनादेश जारी हुआ होगा। लेकिन मान्यवर, आज जो इण्डिया मार्का हैण्डपम्प के सम्बन्ध में भारत सरकार की जो गाइड लाइन है मान्यवर, भारत सरकार हमसे इस बात का सर्टीफिकेट लेती है कि क्या आपके प्रदेश में एम0एल0ए0 कोटा के अधीन कार्य स्थल चयनित किये गये हैं यदि ऐसा है तो उनका विवरण और यह पुष्टि की जाय कि एम0एल0ए0 कोटा त्वरित ग्रामीण जल सम्पूर्ति के लिये लागू नहीं है। इस तरह का प्रमाण-पत्र भारत सरकार हमसे मांगती है और इस तरह का कोई प्रमाण-पत्र हम भारत सरकार को दें कि हम एम0एल0ए0 कोटा के अन्तर्गत कोई चयन नहीं किये हैं और यहां हम एम0एल0ए0 कोटा बना दें पेयजल के लिये इण्डिया मार्का हैण्डपम्प के लिये यह अपराध हम नहीं कर सकते लेकिन मान्यवर, जब हमें जानकारी मिली ....

श्री अम्बिका चौधरी-

(एक कागज दिखाते हुए) यह 189 एम0एल0ए0 का कोटा है कि नहीं ?

श्री लालजी वर्मा-

यह कब का आदेश है ? मान्यवर, आपसे इस तरह की गलत बयानबाजी हो सकती रही हो लेकिन हम इस तरह का गलत बयानबाजी नहीं कर पायेंगे कि भारत सरकार में हम यहां लिखकर कुछ भेजें और यहां एम0एल0ए0 कोटा करें। मान्यवर, यह इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लग सकें, अमूमन यह होता था मान्यवर, कि इण्डिया मार्का हैण्डपम्प इसलिये नहीं लग पाता था कि भारत सरकार 10 प्रतिशत, जो लाभार्थी हिस्सा है, उसको यह चाहती थी कि उसको लाभार्थी समूह दें, जिसके कारण हमारे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं विशेषकर लाभार्थी समूह, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसे लाभार्थी समूह उसको वहन कर सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लेने का काम किया जिसे आज तक किसी ने नहीं किया था कि इस 10 प्रतिशत लाभार्थी कोटे को स्टेट के खर्चे से, प्रदेश सरकार के खजाने से वहन किया जायेगा। इस तरह से जो 14 अगस्त का शासनादेश जारी हुआ है।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, 14 अगस्त का जो शासनादेश जारी किया गया है, मैं उसे पढ़ करके सुना देता हूं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन में सम्बन्धित लाभार्थी समूह से सहभागिता ली जाने वाली 10 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इतना बड़ा कदम उठाने का काम इस सरकार ने लोकहित में किया है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ प्रदेश

की ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल मुहैय्या कराने के लिये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन में एक हैण्डपम्प से दूसरे हैण्डपम्प की दूरी पूर्व में 100 मीटर निर्धारित थी, जिसे अब शिथिल करते हुए 100 मीटर के स्थान पर 75 मीटर कर दिया गया है। निहित वित्तीय संसाधनों में 50 प्रतिशत धनराशि स्पेशल कम्पोनेन्ट की भी सम्मिलित होने के कारण कम से कम 50 प्रतिशत हैण्डपम्प अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य गावों/बस्तियों में स्थापित किये जायेंगे। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में सर्वप्रथम असेवित बस्तियों में अधिष्ठापन का कार्य कराया जायेगा। ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि में से 5 प्रतिशत धनराशि जल संरक्षण और संस्थेलिटी के कार्यों पर व्यय की जायेगी। मान्यवर, इस तरह से बिना पक्षपात के यह निर्णय लेने का काम किया गया। हमने इस बात की शपथ ली है कि हम बिना किसी पक्षपात के और वह पक्षपात किसी भी व्यक्ति के लिये, किसी के लिये भी हम कोटा निर्धारित करें, वह पक्षपात होगा। हमने यह तय किया है कि पक्षपात न हो, उसके तहत हमने यह निर्णय लेने का काम किया है और भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार हमें भी इस तरह का निर्णय लेने की जरूरत पड़ी। इसके साथ ही वह हैण्डपम्प स्थापित हो इसलिये 10 प्रतिशत लाभार्थी समूह के पैसे को राज्य के खजाने से देने का निर्णय लिया गया। पूर्वांचल विकास निधि की बात की गई, पूर्वांचल विकास निधि के दो अंश होते हैं, एक राज्य अंश होता है और दूसरा जिला अंश होता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, ठीक है, केन्द्र सरकार से आदेश आया है कि एम0एल0ए0 कोटा न हो तो एम0एल0ए0 कोटा आप न दें। लेकिन क्या विधान सभा को इकाई आप मान लेंगे, उस पर तो कोई बाध्यता है नहीं। क्या प्रत्येक विधान सभा को इकाई मानकर सामान्य रूप से वहां पर हैण्डपम्प देने की बात करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक स्पष्ट शासनादेश है, उसमें 75 मीटर की दूरी पर हैण्डपम्प लगना है। मैं समझता हूं कि इससे शायद ही कोई गांव बचेगा, जिस गांव में इस शासनादेश के अनुसार हैण्डपम्प न लगे। हमारा पूरी तरह से यह प्रयास है कि हर क्षेत्र हर गांव पूरी तरह से संतृप्त हो जाये। यहां विधान सभा का सवाल कहां है, हम तो चाहते हैं कि हर पुरवा और हर मजरा संतृप्त हो, उसके आधार पर कार्यवाही की जा रही है, इसमें किसी प्रकार से भेद-भाव करने का प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि में दो अंश होते हैं एक राज्य अंश होता है जो उन जिलों को जो पूर्वांचल विकास निधि क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिले हैं उन जिलों की स्थितियों को देखकर उसका एक हिस्सा जहां बड़े काम की आवश्यकता है, बड़े जिलों को जोड़ने की आवश्यकता है, इस तरह के कार्यों के लिये स्टेट के ऊपर निर्भर हैं, उन पर राज्य सरकार

आवश्यकतानुसार, जनप्रतिनधियों की मांग के अनुसार अलग-अलग निर्णय लेती है। जो जिला अंश है, उस जिला अंश के पैसे को जारी कर दिया गया है और प्रत्येक जिले में प्रतिनिधियों के अनुसार हर प्रतिनिधि को बराबर-बराबर का हिस्सा देने का काम किया गया है। इसमें किसी प्रकार का भेद-भाव करने का काम नहीं किया गया है और मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि यह सरकार पूरे प्रदेश के साथ इंसाफ करना चाहती है। यह इंसाफ करने वाली सरकार है और सबके साथ इंसाफ करने का काम कर रही है, किसी के साथ भेद-भाव का कार्य नहीं करेगी, जैसाकि पहले लोगों ने किया है, उस तरह से हम भेद-भाव करने का काम नहीं करेंगे। दूसरा, एक निवदेन और करना चाहता हूं मा0 अम्बिका चौधरी जी ने महापुरुषों का नाम लेने का काम किया। वर्ष 2003 में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना चल रही थी और वर्ष 2003-2004 के लिये गांव सेलेक्ट भी हो गये थे, हम लोगों ने अपनी-अपनी विधान सभा से गावों के नाम भी दे दिये थे लेकिन यह कहा गया कि अब अम्बेडकर ग्राम विकास के नाम पर विकास नहीं होगा बल्कि समग्र विकास के नाम पर विकास होगा। अम्बेडकर ग्राम विकास का नाम हटा दिया गया और अम्बेडकर विकास योजना को खत्म करके समग्र ग्राम विकास योजना रखा गया। इससे स्पष्ट होता है कि पिछली सरकार में भेद-भाव किया गया। इसी के साथ मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है इसलिये इसे खारिज करने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बन्द नहीं की गयी।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

इतनी निराधार, असत्य और [× × ×] बात कहेंगे। समग्र ग्राम विकास योजना दूसरी चीज है और अम्बेडकर ग्राम विकास योजना दूसरी चीज है और डा0 लोहिया ग्राम विकास योजना अलग थी। आप दिखाइये कि कहां हमने खत्म किया था, आप दिखा दीजिए। हमने खत्म नहीं किया था। एक कि0मी0 सड़क किसी भी मा0 विधायकों के क्षेत्रों में नहीं दिया गया। हमारे यहां भरथना में क्या 1 कि0मी0 सड़क दिया क्या, जसवन्तनगर में दिया ? प्रतिपक्ष के लोगों को नहीं दिया। (प्रतिपक्ष से आवाज आयी कि नहीं मिला) हमने तो काफी हैण्डपम्प दिये, चाहे वह विधान परिषद् सदस्य हो, चाहे विधान सभा सदस्य हो, सबको दिया। 5 व 7 कि0मी0 सड़क दी। जब-जब प्रमोद तिवारी जी खड़े हो गये तो हमने दिया हमने कभी नहीं देखा कि खजाने में पैसा है या नहीं है। खजाना में व्यवस्था तो करनी पड़ती है। जो सरकार कहे कि संसाधन नहीं है वह सरकार निकम्मी और नालायक होती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता का विकास करे, कहीं से संसाधन जुटाये लेकिन जनता का विकास हो। 25 हजार करोड़ रुपया आपको वसूल

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कर दिया था जब हम आये थे, अपने-आप वह आपको मिला होगा। योजना आयोग से मिला वह कहां खर्च किया ? कहां-कहां खर्च किया है ? 3 हजार करोड़ रुपये का पत्थर लगा रहे हैं। 3 हजार करोड़ का पत्थर लगा रहे हैं और 252 करोड़ रुपया बीमारियों के लिये और मात्र 85 करोड़ रुपया सड़कों के लिये दिया गया है। 85 करोड़ में आप सड़कें बनवा देंगे ? इतनी बाढ़ आयी है सड़कें इतनी खराब हुई हैं, इसमें तो दो जिले भी नहीं बनवा सकते हैं। आपने मांगा ही 85 करोड़ तो इसमें कहां से हो जायेगा ? यह आप बता दीजिए। इससे कितनी मरम्मत करवा देंगे ? इससे ही मालूम हो गया कि आपकी नीयत क्या है ? इतना न बोलिये यह कहते कि करूंगा, नहीं कर पाते, चलो हम मान लेंगे लेकिन [× × ×] बोल करके कि पिछली सरकार में पक्षपात हुआ, कहां से पक्षपात हुआ। हमने इसलिये किया कि लोहिया ग्राम विकास योजना चलेगी, उधर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना चलेगी तो सारे गांव के गांव संतृप्त हो जायेंगे। वहां आपने कह दिया कि जहां दलित ज्यादा हैं उनको लिया जायेगा, इसलिये हमने कर दिया कि जहां पर बड़ा गांव है, जहां गरीब हैं और दलित हैं, उनके लिये भी दें, कहीं पक्षपात नहीं था अम्बेडकर योजना किसने चलाई थी। यह योजना हमने चलाई थी, समग्र ग्राम्य विकाय योजना, डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम्य विकास योजनाएं हमारी चलाई हुई थीं। आप सदन में गलत बयानी कर रहे हैं। हमने तो कल ही कहा था कि यह बेहया और बेशर्म सरकार है यह गलत बयानी से बाज नहीं आती है। हमारे क्षेत्र में आपने एक कि0मी0 सड़क दी, शिवपाल यादव के यहां एक कि0मी0 सड़क दी ? आपको नहीं पता है तो गलत बयानी क्यों करते हैं ? आज ही कह दें कि सभी को सड़क देंगे तो हम जानें हम कहेंगे नहीं। आप कहते हैं हमने सरकार बचाई अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमने केन्द्र सरकार को सहयोग क्यों दिया ? हमने केन्द्र सरकार को सहयोग देशहित में दिया क्योंकि आज देश खतरे में है परमाणु हथियार बनाने के लिये यूरेनियम हमारे पास नहीं है पहले रूस से यूरेनियम मिलता था लेकिन वह भी समझौते में शामिल हो गया है। आप कहां से परमाणु हथियार बनायेंगे। जहां तक परमाणु परीक्षण की बात है तो वह तो पांच परीक्षण हो चुके हैं। हमें यूरेनियम की अधिक जरूरत है। हमारी स्वतंत्र विदेश नीति और सोवर्निटी (सम्प्रभुता) कायम है इसे प्रधान मंत्री ने देश के सामने स्वीकार किया तब हमने सहयोग दिया। आप बिजली की बात कर रहे हैं आगे 25 साल में भी देश में एक लाख 40 हजार मेगावाट विद्युत की कमी रहेगी। बिजली इकाई बनाने के लिये हमने सहयोग किया है यह देश हित में किया है हमने कहा कि यू0एन0पी0ए0 (युनाइटेड नेशनल प्रोग्रेसिव एलायन्स) टूटना हो टूट जाए लेकिन देश हित में समर्थन किया है। उन्होंने देश हित नहीं समझा। हम कहना नहीं चाहते लेकिन जिन्होंने समर्थन नहीं दिया उन्होंने देशद्रोह का काम किया है। मैं रक्षा मंत्री रहा हूं मुझे पता है कि पाकिस्तान को पूरे के पूरे हथियार चीन ने दे दिये हैं, अमेरिका ने दे दिया। इधर नेपाल में

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सरकार में माओवादियों का कब्जा हो गया है। यहां के प्रधान मंत्री चीन जा रहे हैं। माओवादियों को सारे हथियार चीन ने दिये। चीन अरुणाचल प्रदेश अभी तक मांग रहा है। देश बहुत खतरे में है। 45 देशों में अगर हम दस्तखत नहीं करते तो अकेले पड़ जाते। चीन चाहता था कि किसी तरह दस्तखत न होने पाये। अगर आप लोगों को समझ नहीं है तो अनावश्यक बात नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह पक्षपात है पूरा पक्षपात है। हमने देशहित में समर्थन किया हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हमने बिना स्वार्थ के समर्थन किया है।

(हाजी याकूब कुरेशी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

याकूब साहब बैठ जाइये।

(हाजी याकूब के बोलने के लिये खड़े होने पर विपक्ष के सदस्यों द्वारा शोर)

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी को सुना। याकूब साहब आप बैठ जाइये। (शोर) मैंने माता प्रसाद पाण्डेय जी को सुना माननीय अम्बिका चौधरी को सुना, डा0 राजेन्द्र सिंह को सुना, माननीय श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल साहब को सुना, राम बिशुन आजाद जी को सुना, डा0 आर0ए0 उस्मानी जी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। इनकी सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं। नियम-56 की सूचनाएं लेता हूं। शेष 300 की सभी सूचनाएं अग्राह्य कर चुका हूं।

(सदस्यों के बोलते रहने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये याकूब साहब।

(श्री उदयराज का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उदयराज-

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न के रूप में दी है उसको आप देख लें कि कितनी महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिये तो आपको बुलाया है।

श्री उदयराज-

मान्यवर, आपने नियम-56 पुकार लिया था इसलिये कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

माननीय मंत्री जी कोई बात कह रहे थे उसमें हम एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहते थे। मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें।

श्री उदयराज-

माननीय अध्यक्ष जी, आप इनको बैठाइये और हमको दो मिनट सुन लीजिए। मैं दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

हां दो-दो मिनट। सूचनाएं निरस्त हो गयी हैं। माननीय उदयराज जी की है, दुर्गा प्रसाद की जांच के लिये है, शम्भू चौधरी को सुना जा सकता है।

श्री उदयराज-

मान्यवर, मैं जो सूचना लाया हूं।

(श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय उदयराज जी वह शुरू से ही खड़े हैं जरा दो मिनट बैठ जायं। माननीय मोती सिंह जी काफी देर से खड़े हैं। पता नहीं क्या कहना है ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी मौजूद हैं। हैण्ड पम्प के बारे में जो स्पष्टीकरण माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दे रहे थे वह ए0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत दे रहे थे। उस योजना को बता रहे थे जो राजीव गांधी मिशन योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण हुआ। शत प्रतिशत उसे पूरा करना है। एम0एन0पी0 कार्यक्रम प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत हम हैण्ड पम्प लगाते हैं। जो भारत सरकार की योजना बता रहे थे उसमें 80 प्रतिशत धनराशि उनकी है 20 प्रतिशत प्रदेश सरकार की है। उसमें जो चाहें करें। परन्तु जो परम्परा रही है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत हम बजट में व्यवस्था करते हैं प्रदेश सरकार धन देती है उसमें माननीय विधायकों की राय से हैण्डपम्प हम लगा सकते है। हम ग्राम्य विकास मंत्री से जरूर चाहेंगे कि वे भी एक क्षेत्र के विधायक हैं आज मंत्री हैं उनके निर्देश का पालन होगा कल हो सकता है कि उधर से इधर आना पड़े। माननीय जन प्रतिनिधियों के सम्मान की रक्षा के लिये सदन है तो आपसे यही प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी को निर्देशित करें कि जो भारत सरकार की योजना बता रहे थे ए0आर0पी0 में आपने जो नीति बनाई है उसका अनुपालन करें। लेकिन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट व्यवस्था करके माननीय विधायकों की संस्तुति पर उनके विधान सभा क्षेत्र में जो स्वीकृति आप दें वह हैण्ड पम्प लगना चाहिए, नहीं तो आपकी सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह उठेगा। क्षेत्र का विधायक अपने क्षेत्र में जाय और समस्या का निदान न कर सके। मैं समझता हूं कि यह पूरे सदन का अपमान है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं केवल इस बिन्दु पर। (मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, जवाब दिलवा दें। सभी 403 लोगों का विषय हैं कोई एक का नहीं। आपका भी है। आप भी एक क्षेत्र के विधायक हैं। आप हमारे संरक्षक हैं। अगर आप संरक्षित नहीं करेंगे तो कैसे व्यवस्था चलेगी। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। एक व्यवस्था है आप भी किसी क्षेत्र के विधायक हैं आप संरक्षित नहीं करेंगे तो कैसे व्यवस्था चलेगी। मंत्री जी से उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी नहीं समझ रहे हैं तो हम कैसे समझायें ?

(शोर)

हम किसी मंत्री पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। वह कुछ नहीं करना चाहते हैं तो क्या करें ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पूरी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं और जैसा माननीय मोती सिंह जी कह रहे थे तो ए0आर0पी0 नाम की कोई योजना नहीं है। ए0आर0डब्लू0एस0पी0 है 'त्वरित ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम' और यह योजना पचास प्रतिशत भारत सरकार और पचास प्रतिशत राज्य सरकार के सहयोग से चलती है और उसके सम्बन्ध में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी नीति स्पष्ट कर दी है। भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार सभी विधान सभा क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगाये जायेंगे परन्तु आवश्यकता के अनुसार जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी निर्धारित कर चुके हैं असेवित बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्प लगवाये जायेंगे।

दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 के पूर्व उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु धन जमा कर दिये जाने के बावजूद भी अनुबन्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उदय राज-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के माध्यम से जो मैं सूचना लाया हूं वह बहुत ही गम्भीर सूचना है। मान्यवर, यह माना जाता है हम लोग भी यह मानते हैं सदन में बैठ करके और प्रदेश की जनता भी यह मानती है कि विधान सभा के अन्दर अगर सरकार का मंत्री कोई घोषणा करता है या प्रश्न का जवाब देता है तो निश्चित रूप से उसको लागू करने का, उसका शासनादेश जारी करने का काम किया जायेगा। मान्यवर, 29 फरवरी, 2008 को तारांकित प्रश्न संख्या-2 लगा हुआ था जो बिजली विभाग से सम्बन्धित था। मान्यवर, मैंने अनुपूरक सवाल के रूप में माननीय ऊर्जा मंत्री जी से केवल इतना ही जानने का काम किया था कि 1 अक्टूबर, 2007 से पहले, विद्युत दरें बढ़ने से पूर्व, उत्तर प्रदेश के जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु आपके विभाग द्वारा जो प्राक्कलन के आधार पर पैसा जमा कराने का काम किया गया था तो पैसा जमा होने के बाद और अनुबन्ध किसी कारणों से, विभाग की गलती से या

किसानों के अशिक्षित होने के कारण, उनका अनुबन्ध नहीं हो सकता था क्या ऐसे किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन विद्युत दरों के बढ़ने के पूर्व की दर पर देने का काम मंत्री जी करेंगे। काफी देर मंत्री जी इधर-उधर घुमाते रहे। उसके बाद माननीय आजम खां जी ने उठकर केवल इतना कहा था कि बहुत सीधा सा सवाल है, मान्यवर, 29 तारीख की कार्यवाही में है कि 1 अक्टूबर से पूर्व बढ़ी हुई विद्युत दरें लागू होने के पूर्व जिन किसानों ने पूरा पैसा अपने विद्युत कनेक्शनों के लिये जमा किया है क्या उन किसानों को पूर्व की दरों पर विद्युत कनेक्शन देने की कृपा करेंगे ? माननीय मंत्री जी ने साफ-साफ कहा था।

मान्यवर, अगर आप कहेंगे तो मैं कार्यवाही भी भिजवा दूंगा। मान्यवर, 6-7 महीने बीत जाने के बाद भी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी की सदन में घोषणा के बाद कि 1 अक्टूबर, 2007 से पहले जिन किसानों ने अपने ट्यूबवेल के लिये विद्युत कनेक्शन का पैसा जमा किया है उन सारे किसानों को विद्युत कनेक्शन पूरानी दरों पर देने का काम किया जाएगा। आज तक मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मार्च से लेकर अब तक 6 महीने बीत रहे हैं मान्यवर, इसका शासनादेश जारी करने का काम नहीं किया है। मान्यवर, इसी तरीके से सरकार के मंत्री क्या कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उन्हें निर्देश देने का काम करें कि यदि कोई मंत्री सदन के अन्दर घोषणा करता है तो निश्चित रूप से उस पर अमल करने का काम करें। मान्यवर, इसी तरीके से एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। 11 मार्च को मान्यवर, मेरा एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न लगा हुआ था और उसके माध्यम से मैंने जानकारी की थी कि क्या मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी यह बताने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पेयजल की समस्या है, हैण्डपम्प को रि-बोर कराने का काम करेंगे ? मान्यवर, जिस तरीके से यहां गलत घोषणाएं हो रहा हैं, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी ने कहा था कि 20 मार्च तक सारे रि-बोर होले वाले हैण्डपम्प की सूची आ [illegible]गा और प्रदेश के पूरे हैण्डपम्पों को रि-बोर कराने का काम कर दिया जायेगा। मान्यवर, सूची आने के [illegible] जो शासनादेश सरकार के द्वारा जारी हुआ, वह यह जारी हुआ कि वर्ष 2007-08 में जो अम्बेडकर गांव में जो हैण्डपम्प रि-बोर कराने योग्य हैं, उनको केवल रि-बोर कराने का काम किया जायेगा। तो मैं अपने नियम-300 के इस प्रश्न के माध्यम से निश्चित रूप से आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि मंत्रीगण जो भी यहां पर घोषणा करें, उनको पूरा करने का भी काम करें, धन्यवाद।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, घोषणा के लिये आश्वासन समिति बनी है जो यहां आश्वासन होता है, आश्वासन समिति में जाता है। यह नियम-300 में कहां से आती है ? इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको आप अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

यदि यह नियम-300 में नहीं आता है तो जिसमें आता है, वही बता दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

यदि यह आश्वासन में आता है तो उसी में ले लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

अगर यहां पर कोई आश्वासन दिया जाता है तो वह आश्वासन में आयेगा या नहीं ? आप हमारा मार्गदर्शन करिये। मान्यवर, यहां जो आश्वासन दिया जायेगा, वह आश्वासन में आयेगा और अगर मा0 मंत्री जी ने आश्वासन दिया रहा है तो निश्चित रूप से आयेगा, वह 300 का विषय कहां बनता है ? इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री उदय राज यादव जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती, अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं का उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

पांचवीं सूचना जो श्री शम्भू चौधरी जी की है, उस पर विचार दे चुका हूं। इसके लिये दो माह का अतिरिक्त समय दिया गया है।

महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

छठवीं सूचना जो श्री दुर्गा प्रसाद यादव की है, उस पर जांच कराई जा सकती है। शेष सभी सूचनाएं निरस्त की गई हैं।

भूमि विवाद से सम्बन्धित मामला उठाने का प्रयास

(श्री विशम्भर सिंह यादव के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

हां, यादव जी, आप क्या कहना चाहते हैं, शार्टकट में बता दीजिए।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, [× × ×]

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नहीं है।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आप नियम-300 में किसी के ऊपर आरोप लगाकर चर्चा करायेंगे ? यह उचित नहीं है, इसको कार्यवाही से निकालें, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। जब कोई इनकी सूचना है नहीं। मैं इसको कार्यवाही से निकाल देता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह आपका अपना निर्णय है, आप जैसा चाहें करें, लेकिन मा0 सदस्य को आपने स्वयं बोलने की अनुमति दी है, तो यह बड़ा हस्तक्षेप होगा कि बार-बार संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कि वह बार-बार आपको निर्देशित करें कि क्या आपको सुनना है, क्या आपको नहीं सुनना है, आपने स्वयं सुनने के लिये इजाजत दी हैं

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने कहा कि मेरी भी एक सूचना है, मैंने कहा कि मैं सुनूंगा। लेकिन देख रहा हूं कि इनकी कोई सूचना है नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह आपका अधिकार है।

(श्री विशम्भर सिंह यादव के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाइये, यादव जी, बाद में सूचना दे दीजिएगा, हो जायेगा।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 21 अगस्त, 2008 को नियम 311 में प्राप्त 04 सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 46 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयी। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है-पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय कपूर, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री राम सेवक, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री अजय पाल सिंह, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अशोक सिंह तथा श्री संजय कपूर की है जो प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री अवधेश प्रसाद की है जो इसी विषय से सम्बन्धित है। तीसरी सूचना श्री उदय भान करवरिया, चौथी सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री नरेन्द्र

सिंह वर्मा तथा श्री अनूप गुप्ता की है, पांचवीं सूचना हाजी अब्दुल समद अंसारी की, आठवीं सूचना श्री राम बिशुन आजाद की, नवी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की, दसवीं सूचना श्री उस्मान उल हक की, ग्यारहवीं सूचना श्री सनातन पाण्डेय की तथा बारहवीं सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की है, यह सभी सूचनाएं उसी विषय से सम्बन्धित हैं। तेरहवीं सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री सतीश महाना, श्री यशवाल सिंह चौहान तथा श्री शम्भू चौधरी की प्रदेश में हो रहे बड़े पैमाने पर गो-वध से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री दीप नारायण सिंह तथा श्री विशम्भर प्रसाद यादव की समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 एवं 2009 में पिछड़ी जाति के छात्रों को अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के छात्रों के भांति प्रवेश के समय निःशुल्क प्रवेश एवं छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री अम्बिका चौधरी की जनपद बलिया के विकास खण्ड दुबहढ़ में ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध अनियमित ढंग से अविश्वासमत प्रस्ताव पारित किये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की जनपद बिजनौर के ग्राम इब्राहिमपुर के किसान द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के निकट पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह किये जाने के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्री उदयभान करबरिया की नगर परिषद् मथुरा एवं वृन्दावन के अध्यक्षों के विरुद्ध भ्रष्टाचार साबित होने के बाद भी उनके वित्तीय अधिकार समाप्त न किये जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की मोतीलाल इण्टर कालेज, दुधरा, जनपद गोरखपुर की प्रबन्ध समिति का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री आर0 ए0 उस्मानी की लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की सुल्तानपुर के जिलाधिकारी द्वारा जिला उद्यान अधिकारी का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में डॉ0 भारती द्वारा एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है। बाइसवीं सूचना डा0 अजय तोमर की ईस्टन पैरीफल एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण हेतु जनपद बागपत के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य के अनुसार दिये जाने के सम्बन्ध में है। तेइसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की लखनऊ के चौक क्षेत्र में बिजली की कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। वह सूचनाएं जो विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सुनी जायेंगी-पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की राजकीय डॉ0 बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, देवकली, फैजाबाद के पांच वर्षीय मेडिकल छात्रों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री कौकब हमीद की जनपद बागपत की नगरपालिका बागपत के किसानों की कृषि भूमि को अधिग्रहीत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना डॉ0 कौशल किशोर की जनपद खीरी के भगवानदीन आर्य कन्या महाविद्यालय, लखीमपुर में स्नातक कक्षाओं के प्रवेश में आरक्षण नियमों का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री लालजी यादव की जनपद सिद्धार्थनगर के समाजवादी पार्टी के

कार्यकर्ताओं का पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' की माननीय विधायक को सुरक्षा न मिलने के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचना चयनित नहीं हुई, अतः अस्वीकृत हुई-श्री आर0ए0 उस्मानी, श्री सुरेश्वर सिंह, श्री दशरथ प्रसाद चौहान, श्री भगवत शरण गंगवार, श्रीमती कृष्णाराज, विशम्भर सिंह यादव, डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री इमरान मसूद, डॉ0 बैजनाथ दुबे, श्री सलिल विश्नोई, डॉ0 राजेन्द्र सिंह, श्री राजाराम त्यागी, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री जमीरउल्ला खां, श्री मदन चौहान तथा श्री जोखू लाल यादव।

(श्री विशम्भर सिंह यादव के लगातार बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

इनका लिखा नहीं जायेगा। श्री यादव जी, आप लिखकर हमको दीजिए तो जांच करायें, आप दीजिए हमको। आजम खां साहब वह हमको लिखकर दे दें तो हम कुछ व्यवस्था करते हैं। जायसवाल जी कहां हैं ?

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

मान्यवर, 311 का जो दिये थे उसको सुन लीजिए। मान्यवर, सीतापुर का सबसे महत्वपूर्ण मामला है। मेरे यहां 24 मौतें हुई हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए आप बोलें।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

मान्यवर, आपने मुझे नियम 311 पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में बाढ़ और वर्षा से भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। सीतापुर में 24 मौतें वर्षा और बाढ़ से हुई हैं। आज उत्तर प्रदेश में 99 मौतें जो अखबार के द्वारा दर्शायी गयी हैं। जबकि अकेले सीतापुर जनपद में 24 मौतें हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की 25 प्रतिशत मौतें अकेले हमारे जनपद सीतापुर में हुई हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह गम्भीर समस्या है। हम लोग जनता द्वारा चुनकर आते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था से और जनता आज देख रही है। आज उत्तर प्रदेश विधान सभा, सदन चल रहा है और सीतापुर में बाढ़ और वर्षा से जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई है। उससे लोग यह आस लगाये बैठे हैं कि हमारा विधायक जब वापस आयेगा तो वह विधान सभा से कुछ न कुछ लेकर जरूर आयेगा। जिनके घर गिर गये हैं वह अपने घर में विलख-विलख कर रो रहे हैं। जिनके बच्चे मर गये हैं उनकी माताएं रो रही हैं कि हमारा बेटा आज चला गया, हमारा विधायक चुनकर गया है वह सरकार की तरफ से, विधान सभा की तरफ से कुछ न कुछ हमको दिलाएगा। आज बाढ़ की जो स्थिति उत्पन्न है उसमें हमारे तहसील बिसवां, तहसील महमूदाबाद, तहसील लहरपुर और तहसील सीतापुर में हजारों घर बाढ़ से घिरे हैं, लोग

छप्पर पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि जो मृतक हुए हैं इन चौबीस लोगों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय। जो घायल हुए हैं उन्हें कम से कम एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय तथा जिनके घर गिर गये हैं उन लोगों को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि यहां से एक टीम बना दी जाय और जनपद सीतापुर में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है वह उसकी जांच कर ले और उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाय और पीड़ित व्यक्तियों को समुचित राहत दिलाने का वह काम करें। मान्यवर, विकास खण्ड रामपुर मथुरा में पारा, रमनगरा, टेरवा, दहला, मानपुर, केवड़ा, शुकुलपुर, हजारा सोहरिया, अपसरिया, देशी लौकिहा, गड़रियन पुरवा, पठानन पुरवा, कबरियनपुरवा, धोबिनपुरवा, मजरा छतौनी, कण्डी, बसन्तपुर तथा विकास खण्ड-रेउसा में श्रीपतपुर, मानपुर, राजपुर, केवराना, राजापुर, लालपुर, रन्डाकोडर, चहलारी, हुसैनपुर खानी, गोलोकोडर, ठौर नेवड़ी छोलहा, द्वारकी मजरा, बढ़ईडीह यह सब बाढ़ से घिरे हुए हैं। वहां पर नाव की व्यवस्था नहीं है। एक किलो अनाज नहीं दिया गया है, एक माचिस नहीं दिया गया है, एक लीटर मिट्टी के तेल की भी व्यवस्था नहीं है। शासन लापरवाही बरत रहा है। मैं चाहता हूं कि यहां से एक टीम जाय उसका निरीक्षण करे और उन्हें समुचित राहत दी जाय।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर, जब पूरा उत्तर प्रदेश बाढ़ की चपेट में है, चारों तरफ भीषण वर्षा के कारण, जो कई वर्षों का रिकार्ड तोड़ रही है उससे जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मैं केवल तीन चार बातें कहना चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार जितनी वर्षा हुई है वह कई वर्षों में नहीं हुई है। यह एक दिन में नहीं हुई है। यह लगातार पिछली दो महीनों से चल रही है। सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी बाढ़ राहत का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बाढ़ लगभग अपने चरम पर है, यह एक दो दिन से नहीं महीनों से है, लेकिन अभी तक बाढ़ राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जो राहत की राशि का वितरण होता है, बाजार मूल्य को अगर देखें तो जो राहत राशि मिली है, उसे बताने में भी शर्म आती है। मान्यवर, दो हजार, ढाई हजार रुपये ही दिये गये हैं। जहां पर लाखों की क्षति हुई है वहां पर दो हजार, ढाई हजार की सहायता राशि दी जा रही है। यह कहना चाहूंगा कि यह दैवी आपदा है। लोगों का सब कुछ नष्ट हो गया है, मकान गिर रहे हैं, गैर सरकारी आंकड़े हजारों में हैं वहीं सरकारी आंकड़े सौ के आस-पास हैं। जल प्लावन के कारण उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश के दूर के इलाके तो हैं ही, आप लखनऊ को ही ले लें। यहां पर गोमती नदी के किनारे रहने वालों, नालों के किनारे रहने वालों की स्थिति जल प्लावन के कारण खराब हो रही है।

यहां पर सरकार के द्वारा एक भी कैम्प नहीं लगाया गया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा आपसे कि यह तो बाढ़ है, बाढ़ के साथ बीमारी भी आती है, कानपुर में एक रहस्यमय बीमारी से सैकड़ों लोग पीड़ित हैं। बुन्देलखण्ड में हमारे साथियों ने बताया कि बुन्देलखण्ड में एक जबरदस्त बीमारी है। स्वास्थ्य विभाग भी मान्यवर, इस होने वाली बीमारी के बारे में सचेत नहीं है और मरीज अगर वहां पहुंच रहे हैं, मान्यवर, सबको मालूम है कि अगर बाढ़ आयेगी तो उससे जुड़े हुए तमाम आंतों के रोग, पेट के रोग होते हैं उनके लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, कि सरकार बाढ़ राहत कार्य के मामले में पूरी तरह से असफल साबित हुई है और इसमें उसने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया है जबकि यह स्थिति दो महीने से चल रही है। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि जिनका पूरा घर गिर गया है उन्हें कम से कम एक इन्दिरा आवास तो दिया जाय जिससे वह सिर छिपाने की जगह तो हासिल कर सकें। मैं यह नहीं कहता कि यह आवास उनको भी दिया जाय जो इसके पात्र नहीं हैं, लेकिन जो इसके पात्र हैं मान्यवर, उन्हें अगर प्राथमिकता के आधार पर इन्दिरा आवास दे दिये जायें तो शायद थोड़ी बहुत राहत की शुरुआत हो सकती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं बाढ़ की समस्या एक विभाग की समस्या नहीं होती है, इसमें सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कम से कम इन तीनों विभाग की एक संयुक्त समिति बननी चाहिए, एक कैबिनेट सब कमेटी बननी चाहिए और इस अवसर पर सरकार का भी यह दायित्व है आप निर्देश करें कि वह सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुला कर, सारे दलों के नेताओं की बैठक बुलाई जाय उनके साथ सरकार रूबरू हो, सरकार इस पर कोई कार्यवाही युद्ध स्तर पर अब तक नहीं करेगी, मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विश्वासपूर्वक कह सकता हूं, प्रदेश से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर कह सकता हूं कि बाढ़ राहत का कार्य करना तो दूर रहा बहुत सी जगहों पर अभी राजस्व विभाग ने प्रारम्भ भी नहीं किया है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने यहां दवाओं का स्पेशल पैकेट भी नहीं दिया है। मान्यवर, इस बार नेपाल से यहां कहीं से बाढ़ नहीं आई है। नेपाल से आने वाली बाढ़ से जो जिले प्रभावित होते थे, इस बार अगर वह प्रभावित हुए हैं तो वह अत्यधिक जल वर्षा जो हुई है, उसके कारण प्रभावित हुए हैं। मान्यवर, यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं हुई है जैसा कि मैंने कहा लगभग ढाई महीने से मई से लगातार यह स्थिति चल रही है। परन्तु मुझे यह कहने में मान्यवर, जरा भी संकोच नहीं है कि एक तरफ जहां बाढ़ से जल प्लावन की स्थिति है दूसरी तरफ सरकार पता नहीं कहां सो रही है कि उसने अभी तक जो यह संयुक्त प्रयास इन तीनों विभागों का होना चाहिए था जो कम से कम सदन में आज तो बता दें मान्यवर, कि यह तीनों विभाग मिलजुल कर क्या प्रयास कर रहे हैं। कितने मकान गिरे हैं, कितने लोगों की मौत हुई है और कितनी धनराशि दी गई है मान्यवर, इन तीनों का खुलासा मैं आज यहां चाहता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि बाढ़ के साथ दो-तीन विभाग जुड़ जाते हैं मान्यवर, राजस्व की तरफ से कहा जाता है कि केन्द्र का एक मानक है। मान्यवर,

केन्द्र का एक मानक मिनिमम है, कम से कम है, उसके ऊपर अगर उत्तर प्रदेश की सरकार देना चाहे तो केन्द्र सरकार ने रोक नहीं लगाई है। वह दे सकते हैं, लेकिन यह बहाना कि मानक पुराने हैं अगर मानक पुराने हैं तो उस मानक को बदलने की जरूरत है, आवश्यकता है कि सबसे पहले काम किया जाय कि उत्तर प्रदेश में जो यह आपदा आई है इसके लिए मुख्य मंत्री के स्तर पर सर्वदलीय सभा हो, उस पर सारे नेताओं से बात करके इसके लिए युद्ध स्तर पर जब तक हम कार्य नहीं करेंगे, मान्यवर, हम लाखों अब तो यह संख्या करोड़ों में पहुंच गई है, उनकी दिशा में तब तक कोई सहायता नहीं कर सकेंगे। अब फिर मैं इस बात को दोहराते हुए कि अभी तक, आज की तारीख तक सरकार ने कोई गम्भीर प्रयास प्रारम्भ नहीं किया है। इसको कहते हुए मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि तत्काल युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू किये जायं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, आज लगातार दो महीने से बारिश से पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और विशेष तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश का जन-जीवन पूरी तरह से संकट में है। श्रीमन् कम से कम इस प्रदेश में लाखों लोग बेघर हो गये हैं, सैकड़ों लोग मर गये हैं, हजारों लोग दीवाल गिरने से, छत गिरने से, छप्पर गिरने से चोट खा कर के या तो अपने घरों में पड़े हैं या टीले पर पड़े हैं क्योंकि उनके पास कोई दवाई का इन्तजाम नहीं है। श्रीमन् मेरी निश्चित जानकारी है, मेरे क्षेत्र से लगातार मेरे पास कल से फोन आ रहे हैं कि आप क्षेत्र वापस कब आ रहे हैं, यहां पर घर गिर गये हैं। मान्यवर, वहां लोग गांव को छोड़कर स्टेशन पर पड़े हैं या सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं। उनका कोई पुरसाहाल नहीं है। सबसे दुखद पहलू यह है कि घर किसका गिरा है। मान्यवर घर गरीबों का गिरा है अल्पसंख्यकों का, दलितों का गिरा है। जो रोजाना मजदूरी करते थे और उस पैसे से शाम को अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते थे आज लगातार पानी गिरने से उनको मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। वह अपने बाल बच्चों को लेकर सड़कों पर पड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से एक पैसे का भी इंतजाम उनके लिए नहीं हुआ है। जो लोग मान्यवर, दबकर मर गये हैं या चोट खाकर सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं उनके लिए कुछ लोग एस0डी0एम0 के पास गये थे। उन्होंने जवाब दिया कि कहां से पैसा दें। देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। मान्यवर, आज वहां पशु मर रहे हैं। वहां पर महामारी फैलने की आशंकायें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। हमारे गांव में कल ही 3-4 बच्चे मर गये। यह लोक महत्व का प्रश्न है। मान्यवर, आज यह आदरणीय सदन उठ जायेगा फिर हम कहां आवाज उठायेंगे। चाहे मान्यवर इधर के सदस्य हों या उधर के सदस्य हों सब यही चाहते हैं कि इन पीड़ित लोगों के लिए सरकार की ओर से किसी विशेष पैकेज की घोषणा की जाये। चाहे इसके लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए जरूरत हो तो उद्यान और पार्क बनने जैसे कामों को अभी रोक दिया जाये और उसका पैसा इन पीड़ितों को दिया जाये। मान्यवर, मैं यह भी मांग करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में आयें और इसके बारे में सरकार की घोषणा करने का काम करें। यह एक दुःखद स्थिति उत्पन्न

है। आज उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोग मर रहे हैं तमाम घर गिर गये हैं और करोड़ों रु0 की सम्पत्ति को नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई विशेष पैकेज बनाकर इसकी घोषणा करे और लोगों को राहत पहुंचाने का काम करे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आज आप जिस सूचना पर सुन रहे हैं वह आज प्रदेश की सबसे गम्भीर समस्या है। पिछली आठ जून से बारिश हो रही है और बहुत नुकसान हुआ है।

मान्यवर, अगर श्यामदेव राय चौधरी जी पहले बोलना चाहते हैं तो बोल लें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं विशेषकर वनारस शहर से वहां की स्थिति आज गम्भीर है। वहां 19 तारीख को रात में लगभग पौने नौ बजे पानी गिरना शुरू हुआ था। उस समय अधिकांश लोग सो रहे थे या अपनी दुकानों को बंद करके अपने घरों को जा रहे थे। ऐसे समय वह बारिश शुरू हुई थी और दूसरे दिन लगभग साढ़े नौ बजे वह बन्द हुई है। मान्यवर, यह बारिश इतनी भयंकर थी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। वहां पर लोगों का कहना है कि पिछले 10-15 वर्षों में उन्होंने ऐसी बारिश नहीं देखी है। मान्यवर, केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार लगभग 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे हमारे वनारस दक्षिण क्षेत्र में लगभग 6 लोगों की मृत्यु हो गयी है और कई मकान गिर गये हैं। मान्यवर, जो हमारा क्षेत्र है वह पूरे वनारस का हृदय है। वहां पर व्यापारिक क्षेत्र है और उस समय लोग अपनी दुकानें बंद करके जा रहे थे। पानी इतनी जल्दी प्रवेश कर गया कि लोग अपना कारोबार का सामान बचाने के लिये घरों से भी नहीं आ सके। उनका सारा सामान खराब हो चुका है। लोगों को बहुत आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। मान्यवर, वहां पर गरीब बुनकर लोगों के घरों में जिनके घरों के अंदर पानी प्रवेश कर गया है, उनके हथकरघे खराब हो गये हैं। उनका सारा सामान नष्ट हो गया है। वह एक तरह से बिल्कुल सड़कों पर आ गये हैं। वहां पर जो अन्य गरीब लोग थे वह सब सड़कों पर आ गये हैं। कई लोग मर गये हैं और कई मकान वहां पर गिर गये हैं। मान्यवर, मेरे ही क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे वनारस में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौतें हो गयी हैं। चूंकि मैं यहां लखनऊ में हूं मुझे टेलीफोन से सूचना मिली है कि कई लोग मर गये हैं। यही स्थिति मिर्जापुर में है और यही स्थिति मान्यवर आपके आजमगढ़ में है। इसमें दो दर्जन से अधिक लोग मर गये हैं। मिर्जापुर में 8 लोग मर गये हैं। हमारे वनारस में, रामनगर में कई मकान ढह गये हैं। आज इस भयंकर बारिश से लोगों को जानमाल की क्षति हुई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह मांग करता हूं सरकार से कि सरकार संवेदनशीलता का परिचय दे जिन लोगों के माल और जान का नुकसान हुआ है उन सारे मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दे, जो गम्भीर रूप से घायल हैं ऐसे लोगों को 2-2 लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करें और जो गरीब बुनकर बिल्कुल सड़क पर आ गये हैं उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान

करें और जिनके मकान बिल्कुल उजड़ गये, गिर गये जमींदोज हो गये उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें और जो गरीब लोग अस्पताल में गम्भीर रूप से घायल होकर भर्ती हैं जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं ऐसे लोगों को सारी चिकित्सा की जो सुविधा है वह सरकार वहन करे और उनको आर्थिक मुआवजा दे। मैं आशा करता हूं कि यह बहुत से लोगों की सूचना है और मेरी सूचना वनारस के सम्बन्ध में है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जब उत्तर देंगे तो निश्चित है कि मेरी सूचना अलग थी और उसके सम्बन्ध में उन्होंने वनारस से सूचना मंगाई होगी तो जो कुछ वह वनारस के सम्बन्ध में करना चाहते हैं, करेंगे इसकी घोषणा वह अलग से करेंगे। मैं इतनी प्रार्थना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से करूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी 8 जून से यह बारिश शुरू हुई और 8 जून की बारिश अनवरत बीच में कहीं एक दो दिन 4 दिन थोड़ी-थोड़ी कमी आई बारिश में लेकिन लगातार बारिश उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में होती रही अधिकांश हिस्से इससे प्रभावित होते रहे। मैं दो भागों में इसको कहना चाहता हूं कि शुरूआत में ही नदी में जब बाढ़ का मौसम होता है, माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं, बाढ़ के आने के पूर्व जो पुर्वानुमान है और उनके लिए जो कंट्रोल सेन्टर्स बनाये जाते हैं जैसे शुरूआत हुई वैसे शुरुआत में ही कुछ नदियों में बाढ़ आ गयी जैसे पूर्वान्चल में घाघरा में बाढ़ आ गयी और दूसरी छोटी उससे जुड़ी हुई नदियों में बाढ़ आ गयी। बाढ़ से प्रभावित जो जनपद जुलाई में ही हो गये उनकी विभीषिका भी अपनी जगह पर है लेकिन उसके अतिरिक्त बारिश इतनी हुई कि जल जमाव से सभी गरीबों की बस्तियों में पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों की बस्तियों में जहां कच्चे मकान और झोपड़पट्टी है उसमें से 85 से 90 फीसदी बस्तियां प्रभावित हैं इस जल भराव के कारण और अगर मैं बलिया जनपद की बात करना चाहूं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अकेले बलिया जनपद में हजारों घर कम से कम 3000 घर ऐसे हैं कच्चे घर जो इस बारिश के जल जमाव के कारण जमींदोज हो गये। अभी बाढ़ की विर्भाषिका का मामला अलग है और श्रीमन्, इसमें बहुत विस्तार से हम नहीं जाये अगर तो जितने मामूली प्रबन्ध होने चाहिए थे स्वास्थ्य विभाग का प्रबन्ध, पशुपालन विभाग का प्रबन्ध, सिंचाई विभाग का प्रबन्ध और राजस्व विभाग की ओर से दैवी आपदा का प्रबन्ध इन प्रबन्धों के नाम पर मान्यवर, अभी तक सारी व्यवस्था शून्य है, कोई राहत नहीं पहुंचाई गयी उसके लिए जितने भी बहाने बनायें जायें इन बहानों से काम चलने वाला नहीं है और इतनी जाने गयी हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 108 लोगों की मृत्यु हो गयी लेकिन सरकारी आंकड़े सही नहीं है। जितने लोगों की मृत्यु हुई है। उसके एक बटा पांच की भी सूचना ठीक यहां नहीं दी गयी है और विभिन्न कारणों से इस सूचना को दबाया जा रहा है। जनपदों से जब यह खबर आ रही है कि कितने लोगों की मृत्यु घर गिर जाने के कारण हुई है तो उस सूचना में हेराफेरी की जा रही है। मैं यह मांग करना चाहता हूं सरकार से कि पहले अपने आंकड़ों को ठीक करिये उनको छुपाने का कोई फायदा नहीं है। उन

अधिकारियों को आंकड़े कम करके भेजने का अगर कोई लाभ समझ में आता है तो आप उनको सख्ती से निर्देश दीजिए। सरकार का काम यह नहीं है कि कितने की मृत्यु हुई कितने घायल हुए, उन आंकड़ों को छिपाया जाय। सर्वाधिक आवश्यकता तत्काल उन लोगों को राहत दिये जाने की है। इन्दिरा आवास के आवंटन में एक निर्देश आप दे दें, पहले से निर्देश है कि दैवी आपदा के लिये 5 प्रतिशत इन्दिरा आवास में से आरक्षित होगा और वह 5 प्रतिशत प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा। लेकिन जैसी विभीषिका इस बार प्रदेश में है, मैं यह कहूंगा कि चाहे केन्द्र सरकार से आपको पत्राचार करना पड़े या उसके दिशा-निर्देश में परिवर्तन करना पड़े। जितनी आवश्यकता इन्दिरा आवास की दूसरे चयनित अभ्यर्थियों को देने की है उससे ज्यादा आवश्यकता इस बाढ़ में जो लोग और इस जल जमाव में जिनके घर जमींदोज हो गये हैं, उनको दिये जाने की है और दूसरी योजना जो आपने अपनी ओर से, राज्य सरकार की ओर से इन्दिरा आवास की एक योजना महामाया योजना के नाम से शायद आपने चलाई है उस योजना की सर्वाधिक मात्रा आप इसके लिये आरक्षित करने का निर्देश भेजने का काम करें। मान्यवर, एक और बात जो कहने से छूट जायेगी, उसे कह दूं कि सिर्फ सूखा पीड़ित लोगों को और सूखे में अगर खेतों की बुवाई नहीं हो सके तो उनको दैवी आपदा मानने का एक भ्रम हो गया है, बारिश के कारण भी जो फसल बोई नहीं जा सकी और जो खेत आच्छादित नहीं हो सके, उनको भी दैवी आपदा में तत्काल राहत दिये जाने का प्रबन्ध अभी तक राजस्व विभाग की तरफ से नहीं किया गया है। अभी तक केन्द्र सरकार को इस तरह का कोई पत्र राज्य सरकार की तरफ से नहीं भेजा गया है और न कोई निर्देश जिलों को भेजा गया है। मैं अपने जनपद के बारे में बताना चाहता हूं कि 40 प्रतिशत खेत ऐसे हैं जिसमें हल चला ही नहीं, बारिश शुरू हुयी और यह पूरा का पूरा मौसम निकल गया, हल चलाने लायक स्थिति बनी ही नहीं। मैं आशा करता हूं कि राजस्व मंत्री जी का अपना जिला और माननीय अध्यक्ष जी आपका अपना जिला, वहां भी 40 प्रतिशत के आस-पास खेत ऐसे हैं जहां हल नहीं चला है और न इसके आंकड़े आपने इकट्ठा किये और न उनको राहत देने का बन्दोबस्त किया, उचित तो यह रहा होता कि सरकार अपने प्रयासों के बारे में स्वयं सूचना इस सदन को वक्तव्य के माध्यम से देती कि हमने इस अभूतपूर्व स्थिति के लिये क्या-क्या किया है। यह कार्य-स्थगन के माध्यम से सवाल उठाये जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिये मान्यवर, मैं आपसे इन दो मांगों के साथ पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि अत्यन्त संवेदनशील तरीके से और पूर्वांचल के जनपदों में विशेष राहत का कार्य आप तत्काल चलाइये। स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कराइये, मवेशियों के चारे का इंतजाम कराइये। मान्यवर, मवेशियों के चारे की स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी है, हरा चारा खेत में रह नहीं गया है। बाकी लोगों को जो आप राहत दे सकते हैं वह दीजिये और उसकी सीमा बढ़ाइये। आप राहत के गाइड लाइन से मत गवर्न होइये। दैवी आपदा में मृत्यु पर 50 हजार दिये जाने का प्राविधान केन्द्रीय सरकार की जो पालिसी थी, उसमें दिया जाता था और माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे तो अपने कैबिनेट

से प्रस्ताव पारित करके उस 50 हजार के अलावा बाढ़ में जितने लोग मरे थे, एक लाख रुपया राज्य सरकार ने इस प्रकार डेढ़ लाख रुपया प्रति व्यक्ति अपनी ओर से देने का काम किया था। लेकिन आपने अभी तक एक रुपया भी किसी मृतक परिवार को अपनी ओर से भिजवाने का काम नहीं किया है। इसलिये मान्यवर, मैं अपने कार्य-स्थगन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं और आज मांग करता हूं कि आप तत्काल यह प्रबन्ध करें कि जो प्रबन्ध आपके हैं उनको तत्काल जिलों में अधिकारियों को निर्देशित भी कीजिये, ठीक आंकड़े भी मंगवाइये और सदन को भी अवगत कराइये। इसी के साथ मैं अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(श्री अनूप कुमार गुप्ता का नाम पुकारे जाने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय मंत्री जी, कृपया सिद्धार्थ नगर का भी दिखवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

दो मिनट में अपनी बात कहें। अगर दो मिनट से ज्यादा किसी का हो जायेगा तो उसकी बात नोट नहीं की जायेगी।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जनपद सीतापुर में कल ही 21 लोग मरे हैं और बाकायदा अखबार तक में आया हुआ है। मान्यवर, पूरे शहर में पानी भर गया है और गांव में जो मकान कच्चे हैं उसमें भी कई लोग मर गये हैं और कई लोग अपना मकान छोड़कर बाहर चले गये हैं। वहां पर जो लोग बीमार थे उनको लखनऊ लाया जा रहा था लेकिन रास्ते में जाम होने के कारण और रास्ते में जबरदस्त गड्ढे होने के कारण वह भी रास्ते में खत्म हो गये, क्योंकि उनको समुचित इलाज नहीं मिल पाया। अध्यक्ष महोदय, जो लोग वहां पर स्कूलों में और धर्मशालाओं में शरण लिये हुये हैं, उनके खाने के लिये शासन द्वारा किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी है। वहां पर स्वयंसेवी संगठन जाकर पूड़ी आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जहां पर मकान गिरे हैं जहां पर उनको गांव में रहने की किसी प्रकार सुविधा नहीं हो पा रही है, उनके लिये कुछ न कुछ जरूर इंतजाम करें। इसी प्रकार जो सड़क पर जाम लगा हुआ है, इससे मरीज लखनऊ नहीं आ पा रहे हैं। गड्ढामुक्त कहने वाली इस सरकार की सड़कें गड्ढायुक्त हो गई है। इस प्रकार हमारे क्षेत्र में हमारे जिले में जो भयंकर बाढ़ आई है इसके लिए मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि वहां कुछ न कुछ अवश्य मदद दी जाय।

श्री उस्मानुल हक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे जिले मुरादाबाद में मेंथे की फसल बिल्कुल बरबाद हो गई है बारिश से। मान्यवर, यहां पर

छोटे-छोटे किसान ज्यादातर मेंथे की फसल ही पैदा करते हैं लेकिन बारिश के कारण यहां सारी फसल नष्ट हो गई और जो पत्ते से तेल निकलता था वह सारा बरसात के कारण गल गया। लगभग एक एकड़ में आठ किलोग्राम तेल निकलता था परन्तु मेंथे का पत्ता गलने के कारण मात्र एक किलोग्राम तेल निकला। मान्यवर, किसानों ने 80 प्रतिशत फसल खेतों में छोड़ दी जिसके कारण उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। इसी की वजह से एक परिवार भारत सिंह पुत्र लटूरी सिंह, निवासी समरापुर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। यहां पर बहुत दयनीय स्थिति है इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार मुरादाबाद जिला और रामपुर में थोड़ा ध्यान दे ताकि वहां किसानों को राहत मिल सके।

हाजी अब्दुल समद अंसारी-

उत्तर प्रदेश में बाढ़ व वर्षा के कारण जो तबाही हुई है, विशेष रूप से पूर्वांचल में जो माहौल दिख रहा है वह माहौल मिनी सुनामी जैसा दिखता है। वनारस में बारिश से जो तबाही हुई है वह बाजरडीहा, रामापुरज्ञ, मदनपुरा, गोदौलिया, बेनिया, चौक, रेवड़ी तालाब, विशेश्वरगंज, गड़वासीटोला, बैजनत्था, काजीपुरा कला, पितरकुण्डा सरैयां, छित्तनपुरा, आजाद पार्क, पीलीकोटी कच्चीबाग सैलपुत्री बटलोहिया, नक्खीघाट, बड़ी बाजार, गुरुबाग, रनियामहल, तेलियाबाग आदि क्षेत्रों में बारिश से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से बुनकर रहते हैं, इनके करघों में पानी घुस गया है और पानी घुसने के कारण इनके सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। मान्यवर, प्रहलाद घाट में खिड़कियाघाट स्थित हनुमान मन्दिर व उसके तीन कमरे पानी में बह गये और एक मारुति वैन जिसमें आदमी बैठे थे वह बह गई, चार पांच मोटर सायकिलें बह गयीं। बजरडीहा में खम्भे में करंट उतरने से संजय कुमार नामक बीस वर्षीय युवक की मौत हो गई। बजरडीहा में जख्खा मोहल्ले में वर्षा के पानी में डूबकर मो0 चांद पुत्र मो0 सलीम की हालत भी गम्भीर है। रनिया महल तेलियाबाग में फौड़ी चौहान पुत्र पांचू की नाले में डूवकर मृत्यु हो गई। मा0 अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग इस भयंकर बारिश में वनारस में मर गये हैं उनके परिवारों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाये और जो लोग घायल हो गये हैं और जिनके हथकरघे नष्ट हो गये हैं व मकानों को नुकसान हो गया है उन सभी पीड़ित लोगों को आर्थिक मुआवजा दिये जाने की मांग मैं सदन के माध्यम से सरकार से करता हू।।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम इसमें नहीं है लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो एक मिनट हम भी अपनी बात कह लें।

श्री अध्यक्ष-

हां कहें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरे अपने जिले में नेपाल का पानी आ जाता है वहां हर साल तहसील नौगढ़, तहसील शोहरतगढ़, तहसील इटवा और तहसील बांसी, चार तहसीलें हमेशा पानी से डूब जाती है। अबकी बार तो नेपाल का उतना पानी नहीं आया लेकिन बरसात का इतना पानी आ गया कि चार-पांच लोग पानी में डूब करके मर गये इसमें से तीन तो हमारे क्षेत्र के लोग मर गये और 15-15 दिन गांव घिर गये थे, नाव की व्यवस्था नहीं हो पायी, चारों तरफ से गांव घिरे रहे। हमारे यहां जो रेगुलेटर बना था सुनौली और नवेल का जो इतना संकरा था कि उसके नाते करीब 25 गांव घिरे रह गये, नाली का पानी नीचे चला गया लेकिन संकरा होने के नाते पानी नहीं निकला। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुकवा-मदरहवा बंधै के लिए 8 करोड़ रुपया दिया था वह पूरा नहीं हुआ और उसके नाते 15-20 गांव डूब गये थे। अगर वह बंधे का काम पूरा हो जाए तो यह गांव बच जायेंगे। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको देख लें और पूरे प्रदेश में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण नालों की सफाई न होना है इसलिए नालों की सफाई की व्यवस्था करायी जाए। दूसरे पशुओं की दवा का इंतजाम नहीं है, आदमियों की दवा तो कहीं ने कहीं से मिल जाती है। पशुओं की दवा का इंतजाम न होने के कारण किसानों की 20-25 हजार की भैंसे, अच्छे-अच्छे बैल, गाय मर जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पशुपालन विभाग को सक्रिय किया जाए जिससे कि इन पशुओं की बीमारी का निदान किया जा सके और किसानों के पशु बच सकें।

(श्री राम किशुन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

राम किशुन जी आप बैठिये। चन्दौली की सूचना हम रोज सुन लेते हैं। मैंने आरिफ अनवर हाशमी जी को बुला लिया है।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, चन्दौली जनपद बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, उसको भी सुन लीजिए।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण नियम-56 की सूचना पर जो प्रदेश में अतिवृष्टि से सम्बन्धित है, बोलने का अवसर दिया। प्रदेश में भारी बारिश के कारण हजारों मकान गिर गये, सैकड़ों लोगों की जानें चली गयी, हजारों की तादाद में मवेशी मर गये। बाढ़ के कारण मवेशियों के चारे की व्यवस्था नहीं है, गरीबों को दर-दर भटकना पड़ रहा है, बंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं देवी पाटन मण्डल के बारे में बताऊं। आदरणीय पाण्डेय जी ने बस्ती मण्डल के सिद्धार्थ नगर जनपद जो नेपाल से सटा

हुआ है, उसके बारे में बताया। हमारे गोण्डा जनपद में घाघरा नदी, सरयू नदी से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मान्यवर, वहां के लोग अपने जानवरों को ले करके बंधे पर गये, बंधे पर भी पानी चढ़ आया और उनके जानवर बह गये, वह तबाह हो गये, बरबाद हो गये। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं प्रदान की गयी। इसी क्रम में पड़ोस में जनपद बलरामपुर है, वहां राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कुंआनों, बिसुही नदी का इस तरह कहर जारी हुआ कि हजारों घर तबाह हो गये और किसानों की फसलें बरबाद हो गयीं लेकिन सरकार की तरफ से न तो घर गिरने की कोई सूचना नोट की गयी और न उनको अभी तक राहत पहुंचायी गयी और न ही उनके पशुओं के चारे की व्यवस्था की गयी। जो मकान गिर गये हैं उनकी भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। भयंकर बीमारी से लोग तबाह हो रहे हैं, भुखमरी से तबाह हो रहे हैं। इतनी परेशानी है जैसे मालूम होता है कि सूबे में कोई सरकार ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसी आपदा में हर सरकारों ने गरीबों की सुध ली है तो यह सरकार खाली पत्थरों से प्रेम न करे, गरीब किसान, मजदूरों के लिए व्यवस्था करें। मान्यवर, आपने मुझे सुना, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

माननीय अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड की स्थिति ऐसी है कि एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। पहले सूखे की स्थिति थी अब अतिवृष्टि की स्थिति है और अतिवृष्टि के कारण हमारे यहां झांसी में 11 व्यक्ति और जालौन में 5 व्यक्ति दीवाल गिरने से मर गये। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अतिवृष्टि के कारण जो पशुओं की ज्वार और बाजरे की फसल होती थी वह पूरी की पूरी पानी में डूब गयी है। जो स्थिति है बुन्देलखण्ड की पूरा का पूरा ढलाव उत्तर से पूरब की तरफ यमुना की तरफ पानी जाता है तो पूरे किसान जो गरीबी से, भुखमरी से, सूखे से परेशान थे वह बारिश का लाभ नहीं ले पाये। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक रहस्यमय बीमारी भी फैल रही है। मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजीशियन की नियुक्ति की लेकिन आज भी मेडिकल कालेज के बाहर सैकड़ों की संख्या में मरीज डायरिया और मलेरिया के कारण प्रतिदिन मर रहे हैं। ऐसे ही सिविल अस्पताल में मरीज मर रहे हैं। मेरी मांग है कि स्पेशल मेडिकल किट का वितरण करा दें। दूसरे जिनके मकान गिर गये हैं उनको सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाए सरकार पार्कों और मूर्तियों को बनवाने में करोड़ों रुपये खर्च कर रही है लेकिन बुन्देलखण्ड में जो लोग मर रहे हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वहां पर पहले लोग सूखे से मरे अब अतिवृष्टि और बीमारी में मर रहे हैं। मैं सरकार से चाहता हूं कि वह प्रत्येक व्यक्ति को 10-15 हजार रुपये की एक मुश्त सहायता प्रदान करे। मैं कोई पांच दस लाख की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग विद्वान हैं चाहें तो दो मिनट में अपनी बात कह दें। उस मण्डल के सभी लोग बोले हैं इसलिए शुक्ला जी को छोड़ना ठीक नहीं है।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

अध्यक्ष जी हमारे सिद्धार्थ नगर में जो हमारा मुख्यालय पड़ता है वहां पर बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रकोप था और लगातार 15 दिन मुख्यालय का रास्ता बन्द था, न तो कोई बांसी से आ सकता था, न डुमरियागंज से आ सकता था, न ही बढ़नी से आ सकता था। हमारे क्षेत्र में 11 नदियां हैं वहां चार पर चार लोग बाढ़ से मर गये हैं। राहत कार्य जो चल रहा था वह इलाके से सबसे कमजोर था। उसका बाजार से मुख्यालय तक सड़क आती है उस पर कनछुलिया पुल है मैं लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पुल पर 8 मीटर पानी चल रहा था। उस पुल के रास्ते दो आदमी बहकर मर गये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो फसलों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है उसका सरकार मुआवजा दे और जिनके मकान गिर गये हैं उनको इन्दिरा आवास बनवाने की कृपा करें।

श्री राम बिशुन आजाद-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रदेश के जनपदों का जनजीवन अतिवृष्टि के कारण अस्त-व्यस्त हो गया है। पूरे प्रदेश में दैवी आपदा का प्रकोप अतिवृष्टि के कारण फैला हुआ है। पता नहीं कितने कच्चे मकान ढह गये हैं और मकान ढहने से कितने गरीबों की मृत्यु हो गयी है। इस बार सामान्य वर्षा से 35 प्रतिशत अधिक वर्षा पूर्वांचल में हुई है। सामान्य वर्षा से पश्चिमी प्रदेश में 15 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है जिससे पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। किसानों की फसल पूरी तरह से बरबाद हो चुकी है। किसान परेशान एवं बेहाल हैं देवी पाटन मण्डल पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त है। हमारा जनपद गोण्डा घाघरा, सरयू, कुआनों, मनवर, राप्ती नदियों से घिरा हुआ है इसके अतिरिक्त तहसील मनकापुर भी प्रभावित है नैपाल के नालों से भी पानी छोड़ा जा रहा है जिससे गोण्डा और बलरामपुर में तहसील मनकापुर, कर्नलगंज अन्य तहसील बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं और किसानों की फसलें बरबाद हो रही हैं। सरयू नदी के कटान के कारण विकास खण्ड नवाबगंज के कई गांव कटकर बह चुके हैं, किसानों की फसल बरबाद हो चुकी है। आने वाले समय में किसान गेहूं एवं तिलहन की फसल की बुआई नहीं हो सकेगी वर्तमान समय से तहसील मनकापुर के किसानों के दलहन, तिलहन और धान की फसल पूरी तरह से बरबाद हो चुकी है। दलहन, तिलहन और धान की फसल पूरी तरह से बरबाद हो चुकी है। मेरे क्षेत्र मनकापुर में ग्राम पंचायत भिटौरा के ग्राम चिरैया में 14 साल के लड़के की गड्ढे में डूबने से मृत्यु हो गयी परन्तु आज तक परिवार को किसी तरह की सहायता नहीं मिली। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जनपद के जिलाधिकारी एवं समस्त तहसीलों के एस0डी0एम0 को यह निर्देश जाना चाहिए कि अपने-अपने क्षेत्र में सर्वे करवा लें कि किसानों की कितनी फसलें बरबाद हुई हैं, कितने जनधन की हानि हुई है जिससे किसानों को जितना नुकसान हुआ हो सर्वे कराकर उस नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर बल देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जिसका नाम होगा बस उसको ही सुना जायेगा और किसी को नहीं।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, जनपद चन्दौली में गढई नदी और चन्द्रप्रभा नदी है। बांधों से पानी छोड़ दिये जाने के कारण काफी संकट उत्पन्न हो गया।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया। यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। 11 लोग बोल चुके हैं। एक दल के दो नेता बोल चुके। उसमें सब बोलने के लिये हाथ उठायेंगे तो हो गया।

श्री राम किशुन-

चर्चा नहीं मान्यवर, बांधों से पानी आने और अतिवृष्टि हो जाने से सैकड़ों मकान गिरे हैं, दो तीन मृत्यु हो गई है। नगर पालिका मुगलसराय में पानी भर गया है और मुख्यालय से कई दर्जनो गांव का सम्पर्क टूट गया है। चकिया और मुगलसराय के मार्ग पर दो तीन फिट पानी बह रहा है। वहां पर व्यवस्था करने की बहुत जरूरत है। गरीब तबके की जो बस्तियां हैं उनमें बांध का पानी भी आया और अतिवृष्टि भी हुई। दोहरा मार झेलना पड़ रहा है। एरोरा बांध से जो पानी छोड़ा गया उससे जनपद चन्दौली पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। यह लोक महत्व का गम्भीर प्रश्न है। वह नक्सल प्रभावित जिला है। वहां पर विशेष रूप से सुविधा उपलब्ध कराई जाय। जो लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं और बीमार हैं बरसात में उनको दवा का इंतजाम कराने और उनको आर्थिक सहायता दिये जाने का काम करें। जिनका घर गिरा है उनके लिये मुआवजे की मांग करता हूं और गरीबों को निर्बल आवास देने की मांग करता हूं। इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर मैंने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है।

श्री अध्यक्ष-

चतुर्वेदी जी एक मिनट में खत्म करिये। सारी बात आ गई है।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड में हमारा जनपद जालौन चारों ओर से नदियों से घिरा है और पूरे जनपद में बाढ़ का कहर चल रहा है और सबसे बड़ी बात जो विद्युत गिरती है उससे आज से 15 दिन पहले हमारे यहां एक जनहानि हुई। ग्राम इमलिया में एक निरंजन परिवार का 23 वर्ष का बच्चा विद्युत से मरा जिसका पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर है। माननीय अध्यक्ष जी वह बच्चा खत्म हो गया।

श्री अध्यक्ष-

अब बस हो गया। बात आ गई।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा कष्ट यह है कि जालौन जनपद में जिस रोड से बालू की ढुलाई हो रही है, जिस रोड से ठेले निकल रहे हैं। माननीय मंत्री जी हैं उन्हें मालूम है कि जनपद के रोड उखड़कर वहां पर गड्ढे हो गये हैं। मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री जी कि जनपद जालौन में जो यह निरंजन परिवार में बच्चा खत्म हो गया है उनको आर्थिक सहायता दिलाई जाय।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया। एक घण्टा लग गया है। बहुत लोग बोले हैं जिनका नाम नहीं है वह भी हाथ उठाये हैं। करवरिया जी आपका नाम इसमें नहीं है। दूसरी सूचना है आपकी। अच्छा है, आपका नाम। चलिये एक मिनट बोल लीजिये। मदन जी आपका नाम इसमें नहीं है। हम नहीं बुलवायेंगे। दुर्गा जी आपका नहीं है, कुशवाहा जी आपका नाम नहीं है। पाण्डेय जी आपका है पर चलिये अब बहुत हो गया। करवरिया जी कहिये एक मिनट में। वह तो आ गया है सब लोग एक ही बात बोलेंगे।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मैं बिन्दुवार दो चीजें कहूंगा। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में पिपराऊ, चामू और भिलाऊ, लोंगरा यह सब गांव ऐसे हैं जिन गांवों का सारा का सारा पानी एक बंधे में जाकर के एकत्रित होता है। मान्यवर, इस बार अत्यधिक बरसात के कारण यह बंधा टूट गया है और सारे के सारे गांव जलमग्न हैं। लोग अपने घर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जितने भी पहुंच मार्ग हैं वह सब बन्द हो जाने के कारण लोग जो हैं अपना आवश्यक वस्तु जो उनकी घरों में रह गई है उसको लेकर भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सरकार जरा इसको दिखवा लेगी कि मान्यवर, जिन लोगों के मकान वहां पर गिर गये हैं, ढह गये हैं और जिनका सारा सामान उस बरसात में बर्बाद हो गया है इसको दिखवा लेंगे। एक तो इस बंधे को बंधवाने की व्यवस्था तुरन्त न करवाई गई तो जो बचे हुए गांव हैं वे भी जल भराव के कारण बाढ़ की चपेट में आ जायेंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंवर माइनर है। मान्यवर, गुदावां गांव पंवर माइनर के बगल में पड़ता है और पूरा गांव जलमग्न है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

एक ही बात सब बोलेंगे तो कैसे चलेगा। अब आप बैठें।

श्री उदयभान करवरिया-

आज सुबह मुझे सूचना मिली है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी शुरू करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मंत्री जी आधा मिनट में अपनी बात कहेंगे। सुबह सूचना मिली है पंवर माइनर है वहां पानी इतना ज्यादा बह रहा था गांव डूबा हुआ है, नहर टूटने की वजह से पूरा गांव डूबा है। लोग अपने आवास पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं सुबह की घटना बता रहा हूं एक अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है मैं पहले की बात नहीं बता रहा हूं आज सुबह की बात बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

पाण्डेय जी के यहां भी यही स्थिति है आपकी बात आ गई है।

श्री उदयभान करवरिया-

नहर तोड़कर पानी गांव में घुस गया है। सुबह की बात बता रहा हूं यह चीजें ऐसी हैं कि इनको तत्काल दिखवा लेना चाहिए। इस कारण से मान्यवर, इलाहाबाद रीवा मार्ग पर करीब 12 किलोमीटर का जाम लगा है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर तत्काल कार्यवाही करायें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें।

श्री सनातन पाण्डेय-

हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। सबकी बातें सुनी जा रही हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं।

आबकारी, लोक निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, आपने सबसे पहले तिवारी जी को बोलने का अवसर दिया था और तिवारी जी से शुरूवात हुई उसके बाद आपने करीब डेढ़ दर्जन लोगों को बोलने का मौका दिया। मुझे आज बड़ा अचम्भा सा हो रहा है। माननीय तिवारी जी की बात सुनकर। मान्यवर, बाढ़ आने से पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश से जहां-जहां बाढ़ संभावित क्षेत्र थे कि यहां बाढ़ आती है आने की संभावना है, उन क्षेत्रों में बाढ़ आने के पहले ही गया। सारे अखबारों में छपा। इस पर माननीय तिवारी जी ने मुझे बधाई दी, मरे बड़े भाई हैं और मेरी पीठ भी ठोकी कि बहुत अच्छा काम किया आपने। उसके बाद कई बार अधिकारी गए। कल भी चीफ सेक्रेट्री गये, इससे पहले भी चीफ सेक्रेट्री गये।

(श्री मुहम्मद आजम खां के कुछ कहने पर)

कोई एतराज पीठ ठोकने में आपको हो तो बता दीजिये। यह मेरे बड़े भाई हैं अगर बड़ा भाई पीठ ठोंकता है, आप अगर मुझको अपने से छोटा मानते हैं आपको मैं बड़ा भाई मानता हूं अगर आप मानते हों तो आप भी पीठ ठोंक दीजियेगा। लेकिन आपकी अगर आदत में ही नहीं है तो मैं

क्या कर सकता हूं वैसे मैं उम्मीद रखता हूं बड़े भाई की इधर भी और उधर भी। मान्यवर, करवरिया जी को आपने बोलने का मौका दिया आखिरी में।

श्री अध्यक्ष-

दो लोग हैं सनातन पाण्डेय जी और ज्योत्सना जी। पाण्डेय जी दुबारा जब बोलना चाहेंगे तो मौका दिया जाएगा।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

करवरिया जी ने जो मान्यवर सूचना दी है यह सूचना गलत है कारण यह है कि इन्होंने पंवर माइनर के नाम से हवाला दिया कि यह नहर जो है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस नाम की कोई माइनर है ही नहीं। मैं हाउस में बोल रहा हूं पंवर माइनर के नाम से कोई नहर है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिये चले गये हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

चले गये कोई बात नहीं। जो सूचना दी है उसमें कुछ सही है। एक नहर अधिक पानी होने के कारण पंवर गांव के पास नहर जरूर कट गई है। एक गांव में पानी भर गया था उसको निकाल दिया गया है लेकिन इतना पानी नहीं भरा था कि किसी की हानि हो। आबादी के अन्दर पानी नहीं घुसा था, बाहर-बाहर था, लेकिन उस पानी को पूरी तरह से निकाल दिया गया है, यह मैं करवरिया जी ने जो बात उठायी है उसका जवाब दे रहा हूं। तिवारी जी ने कहा कि बाढ़ राहत कार्य नहीं किये जा रहे हैं, राहत बहुत कम है। घर गिरने की जो सूचना है, मैं पढ़कर सुना दूंगा। मा0 अवधेश जी ने भी एक बात कही है, श्यामदेव राय चौधरी जी ने भी कहा कि जल्दी पानी प्रवेश कर गया। यह सही है कि पानी कुछ ज्यादा बरसा और यह सभी ने स्वीकार किया है। मान्यवर, वाराणसी में 12 घण्टे में 292 मि0मी0 और सीतापुर में 36 घण्टे में 300 मि0मी0। इसी तरह बस्ती में 66, अयोध्या में 44 मि0मी0 यह जो वर्षा हुई है इसके कारण यह समस्या आई है और जहां तक राहत की बात जो कही है, नदियों की स्थिति आपने पूछी नहीं, इसलिए उसके बारे में बताकर समय जाया नहीं करना चाहता हूं। आपने जो कहा है कि राहत कार्य नहीं किया जा रहा है। नदियों के बारे में आपने पूछा नहीं, यदि कहें तो मैं सदन को बता दूंगा। मान्यवर, जो सूचना मिली है उसमें आकाशीय बिजली एवं बाढ़ में जो मृतकों की संख्या है, उसमें अतिवृष्टि भी शामिल है, 660 है। इसमें 16-08-2008 तक अतिवृष्टि और बादल फटने से जो मृतकों की संख्या है, वह 114 है। बाढ़ से मृतकों की जो संख्या है, वह 90 है, पूरे प्रदेश में। बाढ़ से प्रभावित जनपद 21 हैं, बाढ़ से प्रभावित ग्राम 3173 हैं, जलमग्न गांव 674 है। मान्यवर, प्रभावित जनसंख्या 15.29 लाख है, करोड़ों में नहीं है। प्रभावित बोया गया जो क्षेत्र है, जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 3658.53 लाख हेक्टेयर है। खोले गये राहत शिविर 268 है। अभी

किसी साथी ने कहा कि नावों की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मान्यवर, उपयोग में लाई जा रही नावों की संख्या 2457 है, क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 36416 है और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 2496 है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या है 33919, पशु हानि संख्या 522 है, व्यक्तियों की संख्या जो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाये गये, वह 5751 है, बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता हेतु 2 करोड़ 35 लाख 32 हजार, जो अभी तक दिया जा चुका है। पी0ए0सी0 की 17 कम्पनियां तैनात हैं। मान्यवर, अभी जो कहा गया कि सामान नहीं दिया जा रहा है, तो मान्यवर, प्लास्टिक, माचिस और उसके साथ-साथ अन्य सामान वितरित किया गया है। 30898.13 कुन्तल चावल वितरित किया गया, 182.89 कुन्तल गेहूं वितरित किया गया, 3.69 लाख ली0 मिट्टी का तेल वितरित किया गया, किसी भी तरीके की कहीं कोई ढिलाई नहीं है। मैंने एक बात आपके सामने रखी, अगर कोई स्पेशिफिक जहां-जहां के बारे में हमारे मा0 सदस्यों ने बताया, हमने नोट किया है फिर भी इसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। मान्यवर, यह नियम-56 में नहीं आता इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बांध नहीं टूटे हैं, बाढ़, बांध टूटने से नहीं है, मैने जो प्रश्न उठाया कि अत्यधिक जलवृष्टि से जल प्लावन जो हुआ, मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, अतिवृष्टि के कारण हुए हैं, जो लगातार 3-3, 4-4, 5-5 दिन बारिश चल रही थी और दूसरा वाटर लागिंग की वजह से है। मैं इसीलिये कहता हूं कि इसमें जब एक विभाग जवाब देगा तो वह जवाब पूरा नहीं होगा। मान्यवर, राहत राशि दी जा रही है ढाई से तीन हजार रुपये किसी के मकान गिरने पर देना उसके जले पर नमक छिड़कना है। जब तक उस राशि को बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा जब भी बाढ़ आती है बाढ़ के साथ बीमारियां फैलती हैं उसके लिए कोई प्रबन्ध नहीं किये जा रहे हैं। इसीलिये मैंने सुझाव दिया था कि यह बाढ़ कोई बांधों के टूटने से नहीं आयी है। लेकिन वहीं पर अत्यधिक वृष्टि के कारण जो जल प्लावन हुआ है, वाटर लागिंग हुयी है जो शहरों तक है आप दूर न जाइये लखनऊ के बख्शी का तालाब जाइये वहां भी यही स्थिति है। कुल मिलाकर मेरा कहना है कि राहत राशि बढ़ाने के बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, दवाओं के बारे में कुछ नहीं कहा कि इसके लिये इतनी धनराशि अवमुक्त की गयी है। तीसरी बात मैंने महत्वूपर्ण बात कही थी कि जब तक बाढ़ की विभीषिका को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सर्वदलीय बैठक नहीं बुलायेंगे, मुख्य मंत्री के स्तर पर बुलायें जिससे कम से कम स्थिति तो पता लगे और मान्यवर, अत्यधिक वृष्टि के कारण जानवरों के चारे की फसल थी वह नष्ट हो गयी। इसीलिये मैंने कहा इसको बाढ़ के विभाग के रूप में न लेकर इसको आप तीनों विभाग की संयुक्त जिम्मेदारी, यह तीनों विभाग की असफलता है। उसके रूप में लें। लोहे का दाम बढ़ गया, ईंटे का दाम बढ़ गया। ढाई हजार मान्यवर, क्या कोई मकान

दोबारा बन सकता है। इसीलिये मैंने सुझाव दिया कि वहां पर इंन्दिरा आवास दिये जायें। ज्वार-बाजरे की फसल नहीं हुयी, घास जम नहीं पायी ठीक से, जानवरों के सामने चारे का भीषण संकट है। दवाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं है। जब तक यह नहीं होगा तब तक कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाकर कोई कंट्रोल रूम स्थापित नहीं करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है माननीय मंत्री जी से। मैंने जितनी भी बातें कहीं उन्होंने एक का भी संज्ञान नहीं लिया। मैंने कहा कि लगातार बारिश की वजह से खेत बोए नहीं गये, आच्छादित नहीं हुए और न उनका कोई सर्वे कराया गया और न उनको कोई राहत दी गयी। किसी जनपद की रिपोर्ट बता दें। यह आग्रह किया गया कि नालों, नालियों की सफाई न होने के कारण वाटर लागिंग की जो प्राब्लम हुयी, जल जमाव के कारण यह निचली बस्तियों में पानी भर गया और कच्चे मकान गिर गये, मकानों की दीवारें गिर गयीं, लोगों की मौतें हुयीं। उसका प्रबन्ध नहीं किया। मवेशियों के चारे का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया और मवेशियों का चारा दो वजह से नहीं हो सका, एक हरा चारा उगाया नहीं जा सका और फसल उसमें बोई नहीं जा सकी और वाटर लागिंग के कारण पहले का जो चारा सड़ गया उसका इंतजाम नहीं किया गया और मवेशियों की दवाई का कोई इंतजाम नहीं। अध्यक्ष जी, इतनी गम्भीरता से आपने इसको सुना लेकिन सरकार कितनी गम्भीर है इन्दिरा आवास में मैंने कोटा बढ़ाये जाने की जो बात कही कि इन्दिरा आवास में नये आवंटन के लिए आप इनका बढ़ा दीजिये। आप राज्य सरकार की ओर से महामाया आवास योजना में जो योजना चला रहे हैं उसका कोई मात्राकृत कर दीजिए कि जो बेघर हो गये हैं, उनको तत्काल आवास दे दिये जायें। चूंकि आपने इनमें से एक का भी संज्ञान नहीं लिया यह बड़ा दुःखद है। बहुत संवेदनशील मामला है पूरे प्रदेश में तबाही है। रूटीन जवाब देने से काम नहीं चलेगा। हम नहीं कहते कि यह तबाही राज्य सरकार लेकर आयी है। लेकिन इस तबाही में आप अपनी भूमिका पर गम्भीर नहीं हैं यह गम्भीर बात है। मैं कहूंगा माननीय मंत्री जी आप इस पर गम्भीरता से देखिये। यह कर लीजिये और श्रीमन् श्री सनातन पाण्डेय जी इतने गम्भीर आपरेशन के बाद सदन की कार्यवाही में भाग लेने आये हैं अभी उनकी रीढ़ की हड्डी का आपरेशन हुआ है। वह चल फिर नहीं सकते हैं। उनकी बात सुन लें।

श्री सनातन पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे सारे वरिष्ठ साथियों ने अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति का अपने-अपने जनपदों का नुकसान का ब्योरा देने का काम किया। माननीय चौधरी साहब ने समय से पूर्व बरसात होने के कारण जो पशुओं का चारा नहीं बोया जा सका उसके बारे में कहा। आज पशुओं को चारे का संकट हो गया है। अतिवृष्टि के कारण नदी नाले उफान पर आ गये हैं, तालाब भर गये हैं। जो धान बोया भी गया वह पानी के कारण सड़ गया है, इससे अन्न का संकट पैदा हो गया है। ढाई महीने से पूरी तरह

से पूर्वांचल के जनपदों में संकट के बादल मडरा रहे हैं। लगातार बरसात होने के कारण उनके परिवार में गैस की व्यवस्था नहीं है। वह बाहर से लकड़ी लाकर खाना बनाने का काम कर रहे हैं। इस पर सरकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं एक लिस्ट बनाकर लाया हूं आपको भिजवा दूंगा। 110 मकान गिर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह लिस्ट आप हमें दे दीजिये हम इसे मंत्री जी के पास भिजवा देंगे।

श्री सनातन पाण्डेय-

ठीक है मान्यवर, मैं यह भिजवा रहा हूं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में केवल यह कहा है कि बारह घण्टे में वनारस में 292 मिलीमीटर बरसात हुई। मैंने बहुत ही संक्षेप में और स्पष्ट बात कही थी और यह कहा था कि जो मृतक के परिवारीजन हैं उनको क्या सहायता दी जायेगी, जो अस्पताल में हैं उनके लिये क्या सहायता दी जायेगी, जो मकान जमीनदोज हो गये हैं उसके लिए क्या सहायता दी जायेगी ? सिद्दीकी साहब ने 292 मिलीमीटर बरसात की बात कहकर अपनी बात खत्म कर दी।

श्री अध्यक्ष-

यह स्पष्टीकरण आ गया है कि माननीय मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, हमारी भी सुन लें। मथुरा और वृन्दावन की भी स्थिति ठीक नहीं है। जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें।

श्री प्रर्दाप माथुर-

मान्यवर, वहां पर नदी, नालों की सफाई होनी चाहिए, सड़कें खराब हैं उसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें। माननीय मंत्री जी जो मरे हैं उनके मृतक आश्रितों का क्या हुआ, जो घायल हुए हैं उनके लिये क्या सुविधा दी जा रही है, जो घर गिर गये हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं, यह बता दें ? राहत के क्या नार्म्स हैं यह बता दें ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो भी बाढ़ से या मकान गिरने से, दीवार ढहने से लोग मरे हैं प्रत्येक मृतक के आश्रित को एक-एक लाख रुपया चौबीस घण्टे में भुगतान कर दिया है। अगर नहीं हुआ है तो यह बतायें उसकी व्यवस्था हम करा देंगे। जहां तक मकानों का सवाल है, अभी मकानों का सर्वे

किया जा रहा है, एक जगह की सूचना मेरे पास आई है बाकी हर जगह की सूचना अभी नहीं आ पाई है। सीतापुर में कोई सराय नहीं है उसके पास जो आबादी थी, उस आबादी के पास जो मकान गिरे हैं अभी वहां की पूरी सर्वे रिपोर्ट नहीं आ पाई है, लेकिन फिलहाल वहां सात लाख सोलह हजार रुपये मकान के लिए भुगतान किया गया है और जहां तक मान्यवर, पैसे का सवाल है तो सभी जिलाधिकारियों को टी0आर0-27 के तहत पूरा अधिकार है जितना पैसे की आवश्यकता हो, उतना धन निकालें। पैसे की, धन की कमी बाढ़ पीड़ितों के लिए इस सरकार में आड़े नहीं आने दी जायेगी। जहां तक मकानों की बात कही, इन्दिरा आवास की बात आपने बार-बार कही तो इन्दिरा आवास एवं महामाया आवास को बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों में आवंटित करने हेतु यह शासनादेश जो है जारी होने की प्रक्रिया में है। मैं समझता हूं कि सारी बातें आ गई, अब संतुष्ट होंगे आप।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जवाब आ गया, यह सही है कि जवाब आ गया, लेकिन मान्यवर जितनी संवेदन हीनता से जवाब आया है और बाढ़ जिससे पूरा प्रदेश बुरी तरह से प्रभावित है और चारे का कोई जिक्र नहीं मान्यवर, चारे के जिक्र में जैसा कि माननीय चौधरी साहब ने बताया कि बोया भी नहीं गया और जो चारा था वह सब खत्म हो गया, गल गया पानी से, मवेशियों की दवा का कोई इन्तजाम नहीं हुआ, नालों की सफाई किसी तरह से नहीं हुई, वाटर लागिंग का कोई इन्तजाम नहीं हुआ तो मान्यवर, इस संवेदनहीन जवाब से हम मुतमईन नहीं है और हम समझते हैं कि यह जवाब प्रदेश के हित में नहीं है, बाढ़ से पीड़ित जनता के हित में नहीं है, धोखा देने वाला है, भ्रमित करने वाला है, इसलिए इसके विरोध में हमारा दल सदन से बर्हिगमन करता है।

(श्री मोहम्मद आजम खां अपने दल के सदस्यों सहित सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन त्याग कर चले गये)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

माननीय आजम खां साहब को यह भी नहीं पता है कि नहरों की सफाई होती कब है, बहिर्गमन करना है, बहाना चाहिए, वह बात अलग है।

(विपक्ष के कई सदस्य के एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रमोद तिवारी जी को सुना, श्री प्रदीप जैन "आदित्य" जी को सुना, श्री अम्बिका चौधरी जी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी जी को सुना, श्री अवधेश प्रसाद जी को सुना, श्री उदयभान करवरिया जी को सुना, श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू को सुना, श्री अनूप कुमार गुप्ता जी को सुना, श्री आरिफ अनवर हाशमी जी को सुना, श्री राम बिशुन

आजाद जी को सुना, श्री उस्मानुल हक जी आदि को सुना और माननीय मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

दूसरी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री सतीश महाना, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री शम्भू चौधरी जी की प्रदेश में हो रहे बड़े पैमाने पर गो-वध से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, चूंकि माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया कि मुख्य मंत्री के स्तर पर सभी दलों की एक बैठक हो जाये।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, आपकी व्यवस्था आ जाने के बाद यह बहिर्गमन करने की भूमिका बना रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था के खिलाफ बहिर्गमन नहीं करूंगा. माननीय मंत्री जी के जवाब के खिलाफ बहिर्गमन करूंगा।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, यह नई परम्परा को जन्म दे रहे हैं, यह नियमों के ज्ञाता हैं मान्यवर।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था को शिरोधार्य करते हुए और चूंकि आपकी बात भी यह नहीं मान रहे हैं मान्यवर, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(तत्पश्चात् श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नाम लेकर के माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि मैंने गलत तथ्य रखे हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आप अपनी बात हमें लिख करके दे दीजिये, हम उसको करवा देंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यन्त लोकमहत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, गाय इस भारत की अस्मिता की प्रतीक है। गाय इस देश की रक्षक के रूप में मानी जाती है। गाय भारत की आस्था के रूप में मानी जाती है। इसलिए यह जो गौ-हत्या से सम्बन्धित प्रश्न है उसको आपके माध्यम से सदन के सामने रख रहा हूं। मान्यवर, जिस समय सरकार ने वह चाहे प्रदेश की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो, इस गो-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार किया था तो जिस तरह के बिन्दु उसके सामने रखे होंगे वह महत्वपूर्ण रहे होंगे। वह चाहे आस्था से सम्बन्धित हों, चाहे आर्थिक नीति से सम्बन्धित हों, प्रदेश

के विकास से सम्बन्धित हों, चाहे हमारे धर्म और हमारी संस्कृति से सम्बन्धित हों, वह सारे के सारे विषय उस समय सरकार के विचार में रहे होंगे जब उसने गो-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में सोचा था। मान्यवर, इस देश में आज अगर गाय सुरक्षित नहीं है तो यह देश भी सुरक्षित नहीं है। मान्यवर, इस गाय की हम सब पूजा करते हैं। मान्यवर, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी बड़े पैमाने पर इस कानून के बनने के पश्चात भी, गायों की हत्या हो रही है और यह सरकार इस प्रकरण को किसी भी तरीके से गम्भीरता से लेने के लिए प्रयत्न नहीं कर रही है। मान्यवर, कोई एक घटना नहीं है जिसका जिक्र मैं करूं। हर महीने 2-4 घटनायें इस तरह की प्रकाश में आ रही हैं जहां पर गाय काट दी गयी है और गाय के मांस को बेचा जा रहा है।

मान्यवर, गो-हत्या पाप है। मान्यवर, आज उस पाप को करके इस देश के साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का षडयंत्र किया जा रहा है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 28-29 फरवरी को 27 गायें कानपुर नगर में रसूलाबाद में काट दी गयीं। उस समय सदन चल रहा था और आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी ने उस विषय को यहां पर जोरदार ढंग से उठाया था। सरकार की तरफ से जवाब आया था और उसमें सरकार ने स्वीकार किया कि यह घटना हुई है। वहां पर जिन लोगों को इस अपराध के लिए चिन्हित किया गया उनको आज तक पकड़ा नहीं गया है। मान्यवर, एक पाप करने वाले व्यक्ति के प्रति यदि सरकार गम्भीर नहीं होगी और उसको सजा नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से उसी तरह का विचार रखने वाले और उसी मानसिकता के अन्य लोग भी उस अपराध को करने लगेंगे। उन्हें उससे बल मिलेगा। इस तरह से वह अपराध बढ़ते जायेंगे। मान्यवर, इसी तरह से 29 मार्च को रुदौली बाराबंकी में घटना हुई। फिर इसी प्रकार की मुजफ्फरनगर में 7 अप्रैल को घटना हुई। मान्यवर, इसी तरह से लखीमपुर, शाहजहांपुर और कन्नौज में घटनायें हुई हैं। लखनऊ के काकोरी में घटना हुई। बुलन्दशहर में 70 गायें 22 जून को काटी गयी। मान्यवर, गाय का कटना हम लोगों को पीड़ा देता है। कोई भी व्यक्ति हो वह चाहे किसी भी धर्म जाति का हो या वर्ग का हो वह इस बात को सुनकर पीड़ित महसूस करता है। मान्यवर, भारतीय संस्कृति में गाय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गाय को हमारे यहां मां कहा गया है। वह गाय हमें दूध देती है। वह हमारी समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में गाय होती है यह माना जाता है कि वह घर फलता फूलता है। मान्यवर, हम लोग गाय की पूजा करते हैं। लेकिन जब उसी गाय के कटने की खबर मिलती है तो मन में बहुत पीड़ा होती है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया माननीय सदस्यगण सदन में शांति बनाये रखें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, गाय का हमारे धार्मिक महत्व से सीधा-सीधा सम्बन्ध है, उसका हमारी संस्कृति से सीधा सम्बन्ध है।

मान्यवर, कानपुर और लखनऊ के बीच में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो मांस का निर्यात करती है वहां पर पैकिंग का कार्य होता है। मान्यवर, मैं यह अपेक्षा करना चाहता हूं कि जो ऐसी फैक्ट्रियां हैं वहां किस प्रकार का मांस जा रहा है वह देखा जाना चाहिए। उसके लिए डाक्टर नामित किये जाने चाहिए और कोई टीम निर्धारित होनी चाहिए जो वहां जाकर सब कुछ चेक कर सके।

(इस समय 3 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री त्रिभुवन दत्त पीठासीन हुए।)

इसके साथ ही जो पशु वधशालाएं हैं इसमें मैं प्रमुख रूप से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरठ के अन्तर्गत जो पशु वधशाला है उसमें भी जितने निर्धारित संख्या में पशुओं का वध होना चाहिए, जितने की वहां पर सुविधा है, जितनों की डाक्टरी जांच हो सकती है जितने वहां पर स्लाटर हाउसेज लगे हुए हैं, स्लाटर की मशीन लगी हुई है उससे अधिक वहां पर पशुओं का वध हो रहा है क्योंकि उस नम्बर से अधिक पशुओं का वध होता है इसलिए उसमें कहीं न कहीं गऊ भी शामिल कर ली जाती है। यह मैंने जैसा आपसे निवेदन किया।

हाजी याकूब-

मान्यवर, माननीय सदस्य गलत बयानी कर रहे हैं।

(शोर)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा रहा था लेकिन कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इनकी दाढ़ी इतनी है कि तिनके ही तिनके नजर आ रहे हैं। इन्होंने खुद अपने आप उठकर यह साबित कर दिया कि खुद संरक्षण में यह हो रहा है। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने न तो इनका नाम लिया है और न इनकी ओर इंगित किया है न मैंने इनके बारे में कोई बात कही है लेकिन जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जाता है तो मुझे लग रहा है कि इनकी दाढ़ी में तिनकों की भरमार है। मान्यवर, इस प्रकार के लोग सदन के अन्दर अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। इसी प्रकार के लोगों की शह के ऊपर यह सारा का सारा काम हो रहा है। मुझे इस बात को नहीं कहना था लेकिन इन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया अपने आपको वहां पर खड़ा करके, न मैंने इनका नाम लिया न इनकी ओर इंगित किया। (शोर) मैंने जिस वक्त मेरठ के पशु वधशाला की बात कही तो मैंनें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया किसी राजनैतिक दल का नाम नहीं लिया किसी की ओर इशारा भी नहीं किया। आदमी को इतनी समझ होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी बात कहें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी बात को सुना। मान्यवर, इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार के लोग जो इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं मुझे उन्हें चिन्हित करने की आवश्यकता नहीं थी वह स्वयं अपने आप सामने आ जाते हैं किसी न किसी स्वरूप में। आज मान्यवर, इस अतिलोकमहत्व प्रश्न के ऊपर मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि इसके ऊपर सख्ती के साथ कानून बनाये और जितनी भी घटनायें हुई हैं उसकी सूची भी मेरे पास है।

श्री अधिष्ठाता-

सूची भिजवा दीजिए और बात संक्षेप में रखिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो गो-कशी कर रहे हैं या गो-कशी को संरक्षण दे रहे हैं दोनों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यह सूची मेरे पास है विभिन्न स्थानों के ऊपर के विभिन्न समय पर जहां-जहां पर इस प्रकार की घटनायें प्रकाश में आई हैं और उसमें जो भी लोग पकड़े गये हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। यह कुछ उदाहरण है मैं अगर इसको पढ़ना शुरू कर दूंगा तो इसमें बहुत समय लगेगा। जो प्रकाशित समाचार हैं मैं उनका संज्ञान नहीं लेना चाहता लेकिन आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें और जितने भी स्थानों पर घटनाएं हुई हैं उसमें इंगित लोग या जिनकी तरफ इशारा जाता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो ताकि आगे से गो-हत्या के ऊपर प्रतिबन्ध लग सके और इस प्रकार का पाप करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाय।

श्री शम्भू चौधरी-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया पहला प्रश्न मेरा यह है कि कितनी पशु वधशालाएं हैं और एक प्रश्न यह है कि कुशीनगर जनपद में पशु वधशालाएं पशु को काटने के लिए कितने लाइसेन्स दिये गये हैं ? पहले इसके बारे में हमको बता दें फिर मैं अपनी बात को रखता हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, गो-वध के ऊपर कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं। इसमें मैं कुल तीन बिन्दु रखना चाहूंगा। गो-वध नियंत्रण कानून के रहते हुए भी गो-वध अवैध ढंग से होने की घटनायें तेजी से बढ़ रही हैं। गोवध इस भारत के अन्दर रहने वाला, प्रदेश के अंदर रहने वाला काई समाज नहीं करता और न कोई समाज करना चाहता है क्योंकि पूरा समाज सौहार्द के साथ रहना चाहता है। लेकिन जैसे कल सिमी की चर्चा हो रही थी, उसी प्रकार गो-वध करने वाले कुछ अवांछनीय, अराजक, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, मानसिकता

के कुछ लोग होते हैं इनकी मानसिकता के कारण गो-वध अवैध ढंग से हो रहा है। यह एक संस्कृति के ऊपर हमला माना जा रहा है। क्योंकि गो-संस्कृति की एक पहचान है, केन्द्र है क्योंकि यह एक दुधारू पशु ही नहीं है, इसकी अनेक प्रकार से महत्ता इस देश की संस्कृति और साहित्य और ग्रन्थों में गायी गयी है। दुनिया की एक विशिष्ट पशु श्रेणी का यह जीव है जिसके प्रति श्रद्धा इस समाज की है उसको चोरी छिपे अवैध रूप से काटना, उसकी तस्करी करना यह अगर बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं जो कानून है, उसका पालन कड़ाई से नहीं कराया जा रहा है, तंत्र कहीं ढीला है। तंत्र कहीं से मिला हुआ है। पूरा तंत्र नहीं लेकिन जगह-जगह ऐसा है। जैसे सीमाओं के ऊपर जब तस्करी होती है, वध के लिये चोरी छिपे ले जाते हैं तो निश्चित है कि प्रदेश की सीमा पर जिनको रोकने का दायित्व है वह नहीं रोक पाते हैं और यह काम थोड़े लोग करते हैं लेकिन अगर इसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है तो यह कहीं न कहीं कानून का पालन कराने के प्रति शासन की जो जिम्मेदारी है उसमे ढिलाई है। अब इसका दुष्परिणाम मान्यवर क्या हो रहा है ? अब कोई चोरी छिपे एक काटता है, तस्करी करता है, कहीं काटकर लेकर के भाग जाता है लेकिन लड़ते हैं दो समाज। दो समाज आपस में लड़ जाते हैं घर किसी और का जलाया जाता है। जिसको पता भी नहीं है लाठी किसी और की पड़ती है, ढेले किसी और के पड़ते हैं और इससे सामाजिक तनाव पैदा हो रहा है। सांस्कृतिक आघात पहुंच रहा है और परस्पर सौहार्द बिगड़ रहा है, परस्पर अविश्वास पैदा हो रहा है। जिसके लिये पूरा समाज जिम्मेदार नहीं है केवल कुछ लोग जिम्मेदार हैं। मैं एक घटना बतला रहा हूं कि 21-5-2008 की, खीरी जनपद की और इसमें लोग गिरफ्तार किये गये, बछिया कटी हुयी मिली। बारात में गो-मांस परोसा गया। यह एक उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरह से कुछ लोगों की प्रवृत्ति इस समाज के सौहार्द को, सांस्कृतिक पहचान को, सांस्कृतिक केन्द्रों के प्रति खिलवाड़ करने की हो रही है। ऐसे अवांछनीय तत्वों को रोकने की जिम्मेदारी शासन की है और समाज में सौहार्द बनाने की सबकी है। अब पहले तो हम लोग जानते हैं कि चोरी छिपे कटती थी। कहीं एक आध कट गयी कोई खाने के लिये काट रहा है। लेकिन अगर यह 25-25 की संख्या में, 27-27 की संख्या में, 70-70 की संख्या में तस्करी करने के लिये ट्रकों में ले जाया जाय तो इसका मतलब है कि इसके पीछे व्यवसायिक मानसिकता बहुत प्रबल हो गयी है। इसलिये इसका लाभ कमाने वाले लोग पूरे समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का प्रश्न पैदा कर रहे हैं और लाभ कुछ ले रहे हैं, पैसा कुछ लोग कमा रहे हैं। इसलिए ऐसे तत्वों पर नियंत्रण करने का दायित्व है और अगर यह बढ़ता जा रहा है, तस्करी बढ़ती जा रही है, वध बढ़ता जा रहा है और जो वधशालाएं हैं उसमें नियमों का उल्लंघन करके संख्या, सर्टिफिकेट आदि का उल्लंघन हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक ढिलाई है, इसलिए कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए परस्पर सौहार्द बनाये रखने के लिए, परस्पर विश्वास बनाये रखने के लिए और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने की दृष्टि से प्रशासनिक कठोरता की आवश्यकता है, जिसकी ढिलाई कहीं न कहीं निश्चित रूप से है,

जिसके कारण यह मानसिकता पनप रही है। अब इन सब चीजों को हम लें, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कोई व्यक्ति कर रहा हो, गो-वध कर रहा हो और उसको यदि कहीं राजनीतिक लाभ-हानि के रूप में तौलें तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संस्कृति एवं आस्था की सुरक्षा से ज्यादा वोट का और राजनीतिक स्वार्थ का हित हो जायेगा तो इन सारी चीजों पर प्रतिबन्ध नहीं लग पायेगा। कहीं न कहीं यह भी फैक्टर है, दिशा है जो प्रभावित कर रहा है, इसलिए मान्यवर, मैं इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि गो-वध को रोकने के लिए कठोर कदम उठायें अन्यथा सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ेगा, शान्ति व्यवस्था भी बिगड़ेगी, परस्पर विश्वास भी बिगड़ेगा और कुछ लोग अपने आर्थिक लाभ के लिए या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए यह सब गतिविधियां करेंगे और निरीह लोगों में से किसी का घर जलेगा, किसी की आर्थिक क्षति होगी। इसलिए मेरा मानना है कि गो-वध नियंत्रण कानून के ऊपर पुनः विचार किया जाये और इसमें जो अनुभवों के आधार पर शक्ति की आवश्यकता है, उसमें शक्ति बरती जाय और इस आस्था के केन्द्र से सामाजिक और साम्प्रदायिक सौहार्द न बिगड़ने पाये, इसके लिए सामाजिक चेतना जगाने का कोई न कोई उपाय किया जाय। इतना ही मैं इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपसे अनुरोध है कि इसे ग्राह्य करें।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे।)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 करवरिया जी, आप बैठ जायें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, कल अध्यक्ष जी ने मुझे इसी सदन में इसी विषय पर बोलने के लिए मौका देने के लिए कहा था।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, अभी अध्यक्ष जी आयेंगे तो सुन लेंगे।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, अब सारी बातें आ गयी हैं। आपकी तो सूचना ही नहीं है तो कैसे बोलेंगे ?

श्री अधिष्ठाता-

आपके नेता बोल लिये हैं अब आपको क्या बोलना बाकी रह गया है, अब सरकार की ओर से जवाब आने दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चर्चा नहीं हो रही है आप ग्राह्यता पर सुन रहे हैं और ग्राह्यता पर सुनने के लिए जरूरी है कि उसने नोटिस दिया हो। मा0 करवरिया जी ने, मा0 इमरान जी ने कोई नोटिस नहीं दिया। मान्यवर, एक दिन में एक से अधिक विषय नहीं आ सकते अभी करवरिया साहब का एक विषय दूसरा था अब दूसरे विषय पर बोलना चाह रहे हैं तो मान्यवर, एक-एक दिन में

कितने विषय लगायेंगे। यह उचित परम्परा नहीं होगी। मान्यवर, [× × ×] इनके सारे लोग एक साथ हल्ला मचा रहे हैं। मान्यवर, अगर असली मकसद गो-वध रोकना होता तो हम निश्चित रूप से इनकी सराहना करते। लेकिन इनका असली मकसद यही नहीं है, इसलिए यह सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं। मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 समय-समय पर यथा-संशोधित अस्तित्व में है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गो-वध की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश समय-समय पर दिया गया है।

(इसी बीच श्री उदयभान करवरिया, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री शम्भू चौधरी, श्री सलिल विश्नोई, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्रीमती कृष्णाराज, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन की वेल में आ गये और नारे लगाने लगे)

श्री उदयभान करवरिया (वेल से)-

संसदीय कार्य मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

करवरिया जी, कृपया आप अपने स्थान पर चलें, सरकार का जवाब तो सुनें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हरिद्वार के राष्ट्रीय सम्मेलन में जिस तरह से गो-वध के विरुद्ध बोलने वाले लोगों ने [× × ×] उसे पूरे देश ने देखने का काम किया था। वह इनके चरित्र को उजागर करता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग अपने स्थान पर चलिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार गो-वध को रोकने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है और जो इसमें कानून है उसके आधार पर सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वह पूरी तरह से इस पर रोक लगाने की कार्यवाही करें। अभी श्री सतीश महाना जी ने जो सूची पढ़ी, वह इस बात की परिचायक है कि जगह-जगह लोग पकड़े गये। सरकार गो-वध को रोकने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं और उसी का परिणाम है कि जगह-जगह लोग पकड़े गये और उनका विभिन्न धाराओं में चालान करने का काम किया गया। इसलिए मान्यवर, सिर्फ हल्ला मचाकर राजनीतिक रोटी सेंकने की नीयत से कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो वह निन्दनीय है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(वेल में आये हुये सदस्यगण नारे लगाते रहे।)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्यगण, अपने आसन पर चलिये और सरकार का जवाब तो सुन लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 में अत्यन्त सख्त प्राविधान है उसमें अर्थ दण्ड और कारावास दोनों सम्मिलित है। उसके आधार पर कार्यवाही हो रही है। कहीं भी गो-वध को बढ़ाने की कार्यवाही नहीं होने दी जायेगी। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस काम में [× × ×] के लोग भले ही चाहते हैं, तमाम शिकायतें इस तरह की मिली हैं। मेरठ में जब लोग पकड़े गये तो [× × ×] उनको छुड़ाने का काम किया था लेकिन हमारी सरकार इस काम को करना नहीं चाहती है और प्रत्येक स्तर पर इस पर रोक लगाने का काम करेगी।

श्री अधिष्ठाता-

अगली सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री दीप नारायण सिंह ब श्री विशम्भर सिंह यादव की, समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2007-2008 एवं 2009 में पिछड़ी जाति के छात्रों को अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के छात्रों की भांति प्रवेश के समय निःशुल्क प्रवेश एवं छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

(वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर मैंने तो संयमित भाषा में अपनी बात रखी लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस तरह से उत्तर देते हुए यह आरोप लगाया कि आप ही गो-वध कराना चाहते हैं मैं भी इस तरह का आरोप लगा सकता था कि इसको राजनैतिक संरक्षण कौन दे रहा है लेकिन इस तरह के आरोप किस तरह से प्रमाणित हो सकेंगे। इस तरह की बात संसदीय कार्य मंत्री को नहीं बोलनी चाहिए आप सामान्य सदस्य नहीं हैं आप सरकार के प्रवक्ता हैं हमारे ऊपर आप आरोप लगाते हैं क्या प्रमाणित कर सकते हैं ? मेरा निवेदन है कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो वर्जन दिया है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय। आप कह रहे थे कि हमारे साथी ने कहा कि विधायक ने छुड़वा दिया आप प्रमाणित कर सकेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी जिसका प्रमाण नहीं रख सकते हैं वह आरोप क्यों लगाते हैं ? जो उत्तेजना फैलाने वाले आरोप हैं मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस वक्तव्य और इस व्यवहार पर विचार करें। संसदीय कार्य मंत्री जी सदन के अन्दर जो उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, लांछित करने का काम कर रहे हैं उनके इस व्यवहार के विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री ओम प्रकाश सिंह अपने दल के साथ सदन त्यागकर चले गए।)

श्री विशम्भर सिंह यादव-

हमारे यहां बवेरू के परगनाधिकारी ज्ञानेश्वर प्रसाद ने 270 बकरियां पकड़कर तहसील में रखी और 20 बकरियां खा गये।

श्री अधिष्टाता-

आपका नाम नहीं है। मैंने विशम्भर प्रसाद निषाद का नाम पुकारा है।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

माननीय अधिष्टाता महोदय, आपने कार्य-स्थगन के इस प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। पूरे प्रदेश में जो दशमोत्तर कक्षाओं के लिए जो शुल्क वापस किया जाता है उसमें केवल सामान्य जाति के बच्चों जिनकी आय एक लाख रुपये से कम है और अनुसूचित जाति के छात्रों का पिछले वर्ष का और इस वर्ष का शुल्क वापस हो गया है यही लेकिन पिछड़ी जाति के छात्रों का नहीं हुआ है। इसलिए पिछड़ी जाति के छात्र पूरे प्रदेश में आन्दोलित हैं। हमारे बांदा क्षेत्र में कई लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि विधायक जी इस बात को उठाइए। हमारे यहां बांदा में जिलाधिकारी ने विज्ञप्ति निकाली है जो मैं आपके पास पहुंचाए देता हूं। इसमें है कि सामान्य जाति और अनुसूचित जाति का प्रवेश शुल्क न लिया जाय इसलिए पिछड़ी जाति के छात्र आन्दोलित हो रहे हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। इससे यह साबित होता है कि यह सरकार पिछड़ी जाति विरोधी है। सामान्य जाति और अनुसूचित जाति को छात्रवृत्ति मिल गई लेकिन पिछड़ी जाति को नहीं मिली पिछले साल भी नहीं मिली थी और इस साल भी नहीं मिली। मैं चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि पिछड़ी जाति के छात्रों का शुल्क वापस हो और उनको छात्रवृत्ति मिले। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा ली जाए।

(संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने तथा श्री विशम्भर सिंह यादव के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्टाता-

अरे भाई, आप बैठ जाइये। इससे कोई गरिमा नहीं बनेगी बीच-बीच में खड़े होने से। माननीय मंत्री जी को अपनी बात कहने दें।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, मेरा इसी पर दस्तखत है। बकरी वाला तो आगे आयेगा। पिछड़े वर्ग के छात्रों को जो स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है उस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। बकरी वाला तो अभी नहीं है अभी तो यह पिछड़े वर्ग वाला है। बकरी वाले में तो मैं बाद में माननीय अधिष्ठाता महोदय से अनुमति लूंगा। मेरा प्रश्न भी लगा है नियम-56 के तहत लगा हुआ है उस पर। ज्ञानेश्वर प्रसाद परगना अधिकारी जो बबेरू के हैं 270 बकरियां बंद कर दीं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रश्न क्या था और बोलने क्या लगे ? मान्यवर, यह समाज कल्याण का एक महत्वपूर्ण विषय विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने उठाया मान्यवर, और उस पर यह दूसरी चीज बोलने लगे।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, हम इस पर बल देते हुए बैठ जाते हैं अपनी बात को खत्म करते हैं। पिछड़े वर्ग को स्कॉलरशिप दिला दें। हमें बकरी वाले मामले में अधिष्ठाता महोदय समय दे दीजियेगा हम इसमें अपना समय खत्म करते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अभी कल ही इस सदन ने अनुपूरक बजट पास किया और मान्यवर, उसमें पिछड़ी जाति के छात्रों को भी प्रवेश शुल्क वापस हो सके उनसे मुक्ति मिल सके उसके लिये 188 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है और निश्चित तौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसके अनुसार पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी जिनको छात्रवृत्ति मिलनी है उनको प्रवेश शुल्क वापस कराया जायेगा।

(श्री अम्बिका चौधरी का नाम पुकारे जाने तथा श्री विशम्भर सिंह यादव के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह जो विशम्भर सिंह यादव जी बोल रहे हैं। वह कार्यवाही का अंग न बने क्योंकि इसके लिये आपने इन्हें अनुमति नहीं दी है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय चौधरी साहब आप अपनी बात रखें।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करा लें अगर मेरी बात जरा सी गलत हो तो मुझे सदन से निकाल दिया जाय हमेशा के लिये। 270 बकरी किसानों की बांदा जनपद के बबेरू के परगना अधिकारी ने बकरियां पकड़ कर बन्द कर दीं।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर आपकी नोटिस नहीं है।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, 20 बकरियां चोरी कर ली परगना अधिकारी ने।

श्री अधिष्ठाता-

चौधरी साहब आप अपनी बात कहें। उनकी बात का नोटिस नहीं लिया जा रहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, ये बैठ जायं मैं बोल रहा हूं।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, किसानों को डंडे से मारा। नारियल पर भी टैक्स। बकरी वालों को जो बेचारे मुसलमान हैं मारा।

श्री अधिष्ठाता-

आप लिखकर दे दीजियेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो नोटिस इन्होंने दिया ही नहीं उस पर क्यों बुलवा रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठ जायं सदन का समय क्यों खराब कर रहे हैं ?

श्री विशम्भर सिंह यादव-

ज्ञानेश्वर प्रसाद परगना अधिकारी कहता है कि मैं मुख्य मंत्री का रिश्तेदार हूं कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पर निवेदन करूं इससे पहले मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध कर लूंगा आपके माध्यम से बाकी जो कुछ विशम्भर सिंह यादव ने कहा है वह नियमों में आयेगा तो आप देखेंगे। लेकिन अगर कोई एस0डी0एम0 या अधिकारी इस तरह की बात करता है तो आप इसकी जांच करवा लें और सन्तुष्ट हो जायं किन्तु कोई अधिकारी इस तरह की बात कहता है तो नितान्त गम्भीर है। अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो यह अपने आप में गम्भीर है बाकी कार्यवाही तो आप नियमानुसार करेंगे। मान्यवर, मैं एक ऐसी घटना के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों को सुदृढ़ करने का काम हमारे संविधान में संशोधन करके और त्रि-स्तरीय पंचायत को मजबूत करने और शक्तिशाली बनाने का काम किया गया। पिछली बार पंचायतों में विभिन्न स्तरों पर जो भी लोग चुने गये पूरे प्रदेश में अनेक स्थानों पर सरकार सत्ता से जुड़े लोगों के दबाव के कारण अनेक स्थान पर ऐसा हुआ कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया गया और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को नाजायज तरीके से हटाने का काम किया गया। इसी क्रम में मान्यवर, बलिया जनपद में दुबहड़ ब्लाक की ब्लाक प्रमुख जो दलित महिला हैं श्रीमती कबूतरी देवी दलितों की हमदर्द बनने वाली सरकार के सामने मैं रखना चाहता हूं। कबूतरी देवी के खिलाफ एक अविश्वास का प्रस्ताव आया। उस अविश्वास के प्रस्ताव पर नियमानुसार मान्यवर, उतने हस्ताक्षर नहीं थे जिस पर कोई तिथि तय की जाती लेकिन मान्यवर, वह तिथि तय हो गई

मतदान की, 11 अगस्त तिथि मतदान की तय हो गई तो उसके पहले उसके सारे समर्थकों को दबाव में लेने का काम किया गया।

श्रीमन्, हल्दी थाने पर, उस क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सरकार के, उनकी गाड़ी रात को रोकी गई, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का विशेष ध्यान चाहूंगा वह किसी कागज को पढ़ने में व्यस्त हैं, मेरी बात सुन लें कागज कल पढ़ लें। गम्भीर बात है आप अपने पुलिस अधीक्षक से वैरीफाई कराईए। रात को 11 बजे उनकी गाड़ी थाने पर रोकी गई। पहरे के सिपाही ने रोका। और चार हथियारबन्द लोग उस गाड़ी के सामने आए। उसको उन्होंने चेक किया और कहा इसमें तो वह है ही नहीं जिसकी हम तलाश कर रहे थे और गाड़ी रात को थाने के अन्दर से ले जाई गई, उसको छोड़ दिया गया। जब कप्तान साहब को यह बात बताई गई और कहा कि इतनी गम्भीर घटना हो गई होती कि रात को चार हथियारबन्द पुलिस के लोग पहरे के सिपाही की मदद से यह कार्य कर रहे थे पुलिस अधीक्षक बलिया ने कहा मेरी जानकारी में नहीं था। थानाध्यक्ष हल्दी को उन्होंने कहा कि यह घटना कैसे हो गई तो थानाध्यक्ष हल्दी ने कहा कि मैं तो थाने पर ही नहीं था। मैं तो दूसरी जगह चला गया था रेवती में, दबिश में, इसलिए सिपाहियों ने उस काम को कर दिया। यद्यपि उन्होंने उससे पूछतांछ की, डांटने का काम किया। लेकिन डांटने की बात नहीं है एक अत्यन्त गम्भीर और शर्मनाक घटना होती जिस मंशा के साथ उस गाड़ी को रात में 11 बजे चार हथियारबन्द लोगों ने थाने के गेट पर, पहरे के सिपाही द्वारा हाथ दिखवाकर रोकने का काम किया, यह घटना हुई।

मान्यवर, उसके दो दिन बाद उस क्षेत्र में बलिया विधान सभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रामकंवल बिंद को गिरफ्तार कर लिया कोतवाल साहब ने, और आरोप यह लगा कि 156(3) में आपके खिलाफ कोर्ट से कोई आदेश हुआ था। चुनाव के समय 156(3) में आदेश हुआ था, अगर आप में इतनी मुस्तैदी रही होती तो उसके मुद्दई को कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता थी। वह एफ0आई0आर0 लिखाता और आप कार्यवाही कर लेते। लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया जब लोग पूछने आए तो ढाई सौ लोगों पर, एक हजार के करीब लोग वहां पर रात में धरने पर आए कि इनके साथ कोई गम्भीर घटना न हो जाए, वहां मान्यवर, ढाई सौ लोग वहां इन्जर्ड हुए। 32 लोगों का मेडिकल मुआयना हुआ तीन लोगों को थाने में 6 अगस्त की रात को बैठा लिया गया। हम लगातार प्रयास करते रहे उप महानिरीक्षक आजमगढ़ को, पुलिस निरीक्षक बलिया को जिलाधिकारी बलिया को सभी लोगों को अवगत कराने का काम किया। सबने स्वीकार किया कि मामला गड़बड़ हो रहा है। यह बड़ा गलत हो रहा है मैं ऐसा नहीं सोचता था कोतवाल ने ऐसा किया, कप्तान को बोलना है यह बड़ा खराब किया। सब एक दूसरे को बताते रहे बड़ा खराब किया। मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात हुई मैं जिम्मेदारी लेकर आपसे यह बात कहना चाहता हूं पुलिस अधीक्षक से, जिलाधिकारी से लगातार यह बात होती रही, उन्होंने लगातार मुझे आश्वस्त किया लेकिन लगातार काम चलता रहा।

मान्यवर, 11 तारीख को मतदान के दिन 10 बजे कबूतरी देवी चली गईं वहां पर, अकेले, 11 बजे का समय था, 11 बजे तक लोगों को आना था एक घण्टे का समय बीत गया। मान्यवर, 11.00 बजे का समय बीत गया। एक भी व्यक्ति दूसरा वहां नहीं आया उन्होंने उप जिलाधिकारी से कहा कोरम नहीं है अब आप डिक्लेयर कर दीजिए काम खत्म हो जाए। 11.00 बजे तक लोग नहीं आए अभी तक का समय था। लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय पूरी तरह से शासन सत्ता के लोगों के दबाव में जो कुछ कर रहे थे जो कुछ कह रहे थे उसका अक्षरशः पालन करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। साढ़े 12 बजे लोग आए 44 लोग, और 44 लोगों में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता था। हमने पहले कहा था जिलाधिकारी से कि आप वीडियोग्राफी कराइए। वीडियोग्राफी हुई। आज भी वीडियोग्राफी में दिखवा लिया जाए कि 44 लोगों के अलावा 45 वां व्यक्ति उपस्थित नहीं था और 52 लोग रिकार्ड हुए हैं। जब यह बात आई कि 44 लोग थे तो यह कैसे हुआ ? तो उप जिलाधिकारी महोदय बख्शा-पेटी लेकर के ब्लाक के बजाय चले आए पुलिस लाइन, दबाव इतना बढ़ा कि मण्डलायुक्त भी आए, पुलिस उपमहानिरीक्षक भी आए, यहां का दबाव इतना बढ़ा, पता नहीं क्या कारण था, यह तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बतायेंगे, मैं नहीं बता सकता लेकिन इतना दबाव बढ़ा कि वे लोग भी चले गये। मैंने मण्डलायुक्त से पूछा कि आपने क्या किया, उन्होंने कहा कि गड़बड़ तो था लेकिन सब नियमानुसार होगा, मैंने कहा, नियमानुसार क्या होगा, 44 लोग थे, मण्डलायुक्त से मेरी बात स्वयं हुई और उसके बाद पुनः उनसे कहा गया कि उप जिलाधिकारी पुलिस लाइन कैसे चले आए, फिर जाइये ब्लाक पर, तो रात को 9 बजे पुनः ब्लाक पहुंच करके परिणाम डिक्लेयर कर दिया गया। मैं आज भी मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग उसमें अनुपस्थित थे, उन सब लोगों ने, फूला देवी ने, सत्यनारायण गिरि ने, विक्रम ने, सावित्री देवी ने और जो लोग अनुपस्थित थे, जिनके हस्ताक्षर फर्जी बनाकर के जिससे संख्या पूरी की गयी है, उन लोगों ने शपथ-पत्र भी दिया, जिलाधिकारी महोदय के सामने उपस्थित होकर भी कहा कि हम लोग वहां नहीं थे और वीडियो रिकार्डिंग में भी उनकी उपस्थिति नहीं है, 44 की जगह 45वां नहीं है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हमने शासन को रिफर किया है, हम यह वीडियो रिकार्डिंग और हस्ताक्षर युक्त रजिस्टर भेज रहे हैं, उस रजिस्टर पर हस्ताक्षर सही है, यह फर्जी हैं, उसकी भी जांच हो जायेगी और वीडियो रिकार्डिंग भी देख ली जाएगी। मान्यवर, मैं आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में, इस आदरणीय सदन में और मान्यवर, जो 17 करोड़, 18 करोड़ लोगों की आस्था का केन्द्र है, लोकतंत्र का इतना बड़ा मन्दिर है यह कि यहां पर उनकी फरियाद सुनी जायेगी।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं उन लोगों की फरियाद, एक दलित महिला कबूतरी देवी की फरियाद, लोकतंत्र के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों की फरियाद ले करके सदन में आपके सम्मुख हूं। पुलिस ने जितनी ज्यादती की, जितने फर्जी मुकदमे किए, जिस तरह अपराधियों के

साथ साठ-गांठ करके यह सारा अनर्थ किया उसके बाद भी जब कुछ भी नहीं हो सकता था तब अपने आप 44 लोगों की उपस्थिति पर 52 लोगों की हाजिरी दिखा करके परिणाम घोषित करने का काम किया है श्रीमन्, उसकी उच्च स्तरीय जांच करा लें और जो आपकी जांच में आ जायेगा, हम विश्वास कर लेंगे। पहली बार मैं यह बात कह रहा हूं। मैं किसी न्यायिक जांच की मांग, विधान सभा की किसी कमेटी की मांग नहीं करूंगा। मेरा यह कहना है कि सरकार राजस्व परिषद् से या उच्च स्तर पर शासन के किसी अधिकारी से जांच करवा ले हम आपकी जांच की रिपोर्ट मान लेंगे। लेकिन इन डाकूमेंट्स पर, इस वीडियो ग्राफी पर, इसके बीच में जो हुआ है, उन सारी स्थिति पर और लोगों के बयान लेकर आप इसका निष्कर्ष आप स्वयं निकाल दें। लेकिन यह एक कलंक होगा कि इतने विनम्र भाव से सरकार के सम्मुख यह बात रखने के बावजूद अगर सरकार संरक्षण नहीं दे पायेगी तो उस दलित की आस्था जायेगी, अलग जायेगी, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है, यह भी बात पता चलेगी। न्यायालय और दूसरे तरीके से जो बातें होंगी, वह तो अपनी जगह होंगी, दूसरी जगह जाना होगा लेकिन उससे बहुत बेहतर होगा कि उत्तर प्रदेश की जो सर्वोच्च पंचायत है, उत्तर प्रदेश की विधान सभा, इसी मण्डप में, उस न्याय के रास्ते पर चलते हुए संसदीय कार्य मंत्री जी कोई उच्च स्तरीय इसमें जांच यदि करा देंगे, हम सरकार की जांच पर भी यकीन करेंगे। इसी के साथ मैं पुनः अपने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर बल देते हुए आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर बाकी कार्य स्थगित करते हुए चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पंचायती राज व्यवस्था में अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक तरीका है और उस अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर जिलाधिकारी को ज्ञापन मिलता है, जिलाधिकारी स्वयं उसके लिये दिन नियत करते हैं और एक मजिस्ट्रेट को उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिये नियुक्त करते हैं। मान्यवर, मजिस्ट्रेट के जो पावर हैं ? उस समय उस पर कोई सरकारी दबाव नहीं डाला जा सकता, कुछ लोग डाला करते थे कि अगर 20 मेम्बरों में से 8 मेम्बर उपस्थित थे तो जिला पंचायत का अध्यक्ष चुन लिया जाता था। लेकिन यह सरकार वह गलती नहीं करती। वह काम आप लोगों ने किया है और उसकी याद आज भी बनी हुई है उसी तरह से फिर करना चाहते हैं। वोट देने जाते हैं जिला पंचायत के कैम्पस में और वहां से ही गायब कर दिये जाते हैं। कई जिलों का ऐसा उदाहरण है। मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह सरकार पूरी तरह से कानून की हिफाजत करने में विश्वास करती है और कानून के आधार पर ही कार्यवाही की जाती है। जो अधिकार किसी दूसरे अधिकारी का है उस समय अगर वह रिटर्निंग अफसर था उसकी अध्यक्षता में बैठक हुई उसका परिणाम कुछ निकला उस पर सरकारी दबाव नहीं डाला जायेगा। जहां तक अगर कोई भी किसी भी तरह की शिकायत आती है उसकी जांच होगी ही। अगर इस तरह की कोई शिकायत की जायेगी तो निश्चित तौर पर उसकी जांच की जायेगी।

लेकिन इस विषय पर उस पर हम कोई दबाव डालकर उसके परिणाम को प्रभावित करें यह इस सरकार के द्वारा संभव नहीं है। यह दूसरे लोग किया करते थे दबाव डालकर परिणाम प्रभावित कराना। यह सरकार परिणाम प्रभावित कराने का काम नहीं करेगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही है मैं इस पर क्या कह सकता हूं मैंने किस विनम्रता से आपके समक्ष सरेंडर किया कि आप ही जांच करा लो और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं मान्यवर, मैंने परिणाम बदलने की बात नहीं कही, मैंने कहा कि सदन का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते मैंने इतनी घटनाओं, परिस्थितियों का जिक्र किया और पूरी जिम्मेदारी से अगर आप वाक्यों को शपथ मानें तो मैं इन वाक्यों को शब्दशः सत्यापित करके यह बात कह रहा हूं। मैंने यह भी नहीं कहा कि आप इसकी ज्यूडिशियल इंक्वायरी कराइये, आप समिति बनाइये, मैंने सी0बी0आई0 नहीं कहा। मैंने सिर्फ यह कहा कि आप सरकारी जांच करा लीजिए, जिस स्तर पर आप उचित समझते हैं आप जांच करा लीजिए, परिणाम बदलने की बात मैंने नहीं कही है। अगर इतना भी सरकार नहीं कर पायेगी तो फिर संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ भी सिर्फ उत्तर दे देने से आपका इकबाल बढ़ने वाला नहीं है। इसलिये मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की आप उच्च स्तरीय जांच शासन से करा लीजिए। जो परिणाम निकले वह आप अपने पास रखें उचित समझें बतायें, उचित न समझें न बतायें लेकिन आप एक उच्च स्तरीय जांच कराइये और इस सदन में यह बात कराइये। इससे जरूरी बात क्या हो सकती है ? उनकी गिरफ्तारी की बात बता रहा हूं, कोतवाली की घटना बता रहा हूं और 11 तारीख की घटना बता रहा हूं, पुलिस लाइन बक्सा आने का क्या औचित्य है। चुनाव होता है वहां रिटर्निंग अफसर है, और पुलिस लाइन आया कि नहीं आया, आप जांच करा लीजिए। यह सारी रिपोर्ट मेरे पास है मान्यवर। सबने देखा है उसको। और आप जांच करवा लीजिए कि किन परिस्थितियों में वह बक्सा उस ब्लाक से पुलिस लाइन क्यों आया और पुलिस लाइन से फिर वहां क्यों गया ? आप परिणाम नहीं बदल सकते लेकिन इसकी जांच करवा लीजिए। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब यह है कि शायद आपने स्वयं टेलीफोन करके यह दबाव बनाने का काम किया हो। आपको अपने ऊपर संकोच हो रहा हो कि शायद जांच में मैं पकड़ जाऊंगा इसलिये आपको दिक्कत हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निश्चित आप पर मेरी शंका है कि आप इतने साधारण मन से जांच कराने से क्यों भाग रहे हैं। और इस अनर्थ के कार्य में सरकार और सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जी पूरी तरह से लगता है कि स्वयं शामिल हैं। इसलिये वह जांच से बचना चाहते हैं और अपने किसी अधिकारी से भी जांच नहीं करवाना चाहते हैं। मेरा यह सुनिश्चित आरोप है अगर यह इसमें शामिल न हों तो अभी इसमें जांच करा लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने माननीय अम्बिका चौधरी जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह नियम 56 में नहीं आती है, अतः मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है उसमें श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी की जनपद बिजनौर के ग्राम इब्राहिमपुर के किसान द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के निकट पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह किये जाने के सम्बन्ध में है, श्री उदयभान करवरिया की नगर परिषद् मथुरा एवं वृन्दावन के अध्यक्षों के विरुद्ध भ्रष्टाचार साबित होने के बाद भी उनके वित्तीय अधिकार समाप्त न किये जाने के सम्बन्ध में है, श्री सर्वेश कुमार सिंह जी की मोतीलाल इण्टर कालेज, दुधरा, जनपद गोरखपुर की प्रबन्ध समिति का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री आर0ए0 उस्मानी की लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में, श्री अनूप सण्डा जी की जनपद सुल्तानपुर के जिलाधिकारी द्वारा जिला उद्यान अधिकारी का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात मैं इसमें रखना चाहता हूं। मैं बड़ा ही आभारी हूं कि आपने मुझे कहने का अवसर दिया। यह एक गम्भीर घटना है। उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्रित अधिकारी, सुल्तानपुर के जिला उद्यान अधिकारी ने, सुल्तानपुर के जिलाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के, अधिकारियों से दुर्व्यवहार के और मुख्य मंत्री को धन भेजने के नाम पर अधिकारियों से धन वसूलने के आरोप लगाये हैं। मान्यवर, कार खरीदने के नाम पर, प्लाट खरीदने के नाम पर सुल्तानपुर के जिलाधिकारी अपने अधिकारियों से धन वसूलने का काम करते हैं इस तरह के आरोप सी0 बी0 पाण्डे जिला उद्यान अधिकारी ने लगाये हैं। मान्यवर, ऐसे में सरकार की तरफ से उस जिलाधिकारी के खिलाफ जांच कराने के बजाय उन जिला उद्यान अधिकारी को दण्डित करने का काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस अधिकारी ने इस उत्पीड़न से तंग आकर के अपनी नौकरी से त्याग-पत्र देने का काम किया है। जब एक राजपत्रित अधिकारी जिलाधिकारी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि वह अपने अधिकारियों से दुर्व्यवहार करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार उनके खिलाफ जांच नहीं करवा रही है, तो मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है, यहां पर नोटतंत्र कायम हो गया है। मान्यवर, जो सुल्तानपुर के जिलाधिकारी है उनकी कार्यशैली का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। देवमती पाण्डे नाम की पैंसठ वर्ष की एक महिला सुल्तानपुर में अपनी जमीन पर जो लोग कब्जा कर रहे थे, उसका रास्ता रोक लिया था, उस रास्ता रोकने के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठी थी। इस पैंसठ साल की महिला को, तीन दिन आमरण अनशन पर बैठने के बाद सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने जेल भिजवाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में

लोकतंत्र नहीं तानाशाही कायम है। मान्यवर, 10 से 12 बजे तक का समय उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने समस्त अधिकारियों को दिया है कि वह अपने कार्यालयों में बैठेंगे। कई हफ्ते बीत गये हैं लेकिन यह जिलाधिकारी अपने कार्यालय नहीं गये हैं। सौ डेढ़ सौ की संख्या में लोग खड़े रहते हैं, लेकिन वह नहीं रहते। जब उनका मन आता है वह आते हैं और जब मन में आता है नहीं जाते हैं। शस्त्रों के लाइसेंस के नाम पर सैकड़ों फाइलें कार्यालय में रखवायी गयी हैं। बीस-बीस हजार रुपये लेकर यह लाइसेंस बनवाये जा रहे हैं। मान्यवर, एक राजपत्रित अधिकारी ने दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अपने पद से त्याग-पत्र दिया है, यह एक अत्यन्त संवेदनशील मसला है। हम चाहते हैं कि सरकार को इसमें आप निर्देश दें कि कम से कम जिलाधिकारी महोदय के आचरण की जांच कराने की घोषणा करें। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त हुई है, जिलाधिकारी सुल्तानपुर के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-2774/ओएसडी/डी0एम0-8, दिनांक 15-8-08 द्वारा श्री चन्द्र भूषण पाण्डे, जिला उद्यान अधिकारी, सुल्तानपुर के विरुद्ध साक्ष्य सहित कर्मचारी आचरण नियमों का घोर उल्लंघन करने के तथ्यों से शासन को अवगत कराते हुए श्री पाण्डे को जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया था। जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ने पत्र के साथ-साथ श्री पाण्डे के जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र दिनांक 8-8-2008 द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया है यह कदाचित एक राजपत्रित अधिकारी से अपेक्षित आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है और कर्मचारी आचरण नियमों का उल्लंघन है। उक्त के अतिरिक्त श्री पाण्डेय के विरुद्ध पूर्व तैनाती स्थान जिला उद्यान अधिकारी, चित्रकूट कार्यालय में भी अधीनस्थ कर्मचारियों के उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार की शिकायतें प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्तुत है। जनपद सुल्तानपुर में भी श्री पाण्डेय द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों के उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई जिनकी जांच निदेशक उद्यान एवं मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर से कराई जा रही है। इससे स्पष्ट है कि श्री चन्द्र भूषण पाण्डेय, जिला उद्यान अधिकारी विवादित छवि के अधिकारी हैं। अतः जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के अनुरोध एवं शासन स्तर पर उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रकृति की गम्भीरता को देखते हुए किसी अप्रिय घटना से बचने के लिये शासन के आदेश दिनांक 18-08-2008 द्वारा श्री चन्द्र भूषण पाण्डेय को प्रथमतः प्रशासनिक आधार पर मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। जहां तक श्री चन्द्र भूषण पाण्डेय द्वारा जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच कराये जाने का सम्बन्ध में तो इस सम्बन्ध में नियुक्ति विभाग द्वारा मण्डलायुक्त फैजाबाद से आख्या प्राप्त की जा रही है। आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, इसलिये मैं चाहूंगा कि इस सूचना को अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्टाता-

यह सूचना अग्राह्य तो पहले ही की जा चुकी है, इस पर सिर्फ शासन का ध्यान आकृष्ट था।

अगली सूचना श्री प्रदीप माथुर की डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में डॉ0 भारती द्वारा एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

अगली सूचना डॉ0 अजय तोमर की ईस्टर्न पैरीफल एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण हेतु जनपद बागपत के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य के अनुसार दिये जाने के सम्बन्ध में है।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, केवल दो मिनट लूंगा। आपने मुझे नियम-56 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार भारत सरकार द्वारा दिल्ली में पड़ रहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर-बाहर एक पैरीफल एक्सप्रेस हाई-वे का निर्माण कराया जा रहा है। मान्यवर, जिसको ईस्टर्न पैरीफल एक्सप्रेस हाई-वे का नाम दिया गया है। इसमें जनपद बागपत के 11 गांवों को चिन्हित किया गया है। मान्यवर, जनपद बागपत के 11 गांवों की 204 हेक्टेयर भूमि का इसके अन्दर अधिग्रहण किया जाना है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि यह जो 204 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है, केवल इसकी प्रक्रिया, भूमि के मूल्य का निर्धारण, अधिग्रहण की गई भूमि के मूल्य का निर्धारण का कार्य प्रदेश की जनपदीय स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाना हैं मान्यवर, पैसे का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाना है। मान्यवर, वर्तमान में इन 11 गांवों की जो कृषि भूमि है और कुछ जगह पर आवासीय भूमि और कुछ जगह पर इसमें औद्योगिक क्षेत्र की भूमि भी है, इसका रकबा जो भूमि का निर्धारित किया गया है, इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। वहां के किसान हजारों हजार की संख्या में लगातार आन्दोलन करने पर उतारू हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब आप समाप्त करें।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, इसमें वहां के किसानों की स्थिति ऐसी है कि वे अपने जो सर्किल रेट हैं जो कुछ जगह सर्किल रेट के आधार पर भूमि नहीं ली गई है, कुछ जगह सर्किल रेट के आधार पर भूमि ली गयी है तो वहां के किसानों की मांग है कि वहां पर भूमि का मुआवजा वहां के बाजारी भाव अथवा आपसी सहमति के आधार पर दे दिया जाय। मान्यवर, बराबर के प्रदेश हरियाणा से भी यह निकलता है जो इन

11 गांवों के बराबर में यमुना नदी पार करते ही उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हरियाणा के जो गांव हैं वहां पर उत्तर प्रदेश से कई गुना अधिक मुआवजा किसानों का निर्धारित किया गया है। इसलिये मान्यवर, मैं चाहूंगा, इस सदन में आपके माध्यम से इस सम्बन्ध में कोई ऐसा निर्देश हो कि भारत सरकार की इस योजना के लिये जो भूमि का अधिग्रहण होना है, इस अधिग्रहण का वहां का जो बाजारू भाव है उसके अनुसार वहां के किसानों की मांग के अनुसार, आपसी सहमति के अनुसार जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी और किसानों की बीच सहमति बना कर उनका मूल्य निर्धारण किया जाय ताकि वहां पर किसी प्रकार का कोई आन्दोलन न हो।

(इस समय 4 बज कर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

किसानों का अहित न हो और किसी प्रकार के अहिंसक या हिंसक आन्दोलन करने के लिये किसानों को उतारू न होना पड़े। आपने मुझे सुना, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और पुनः निवेदन करता हूं कि किसानों की भावना को ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजा दिलाने का कार्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसको दिखवा लेंगे। अब किसी का कुछ नहीं, अब हम चल रहे हैं संकल्प पर।

एक सूचना कौकब हमीद जी की है वह कह गये हैं कि डा0 अजय तोमर जी उस पर बोलेंगे।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन का दिनांक 11 जून, 2008 को एक गजट नोटिफिकेशन हुआ है। उसमें कैबिनेट के फैसले का सदंर्भ दिया गया है। उसमें यह है कि बागपत जिले के 69 गांव ऐसे हैं जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसके विषय में हमें यह कहना है कि वहां पर बड़ौत और बागपत दो नगर पालिकायें हैं और दो नगर पंचायत अमीन नगर सराय और खेकड़ा हैं इन चारों नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अन्तर्गत की 69 गांवों की जमीन लिये जाने की बात हो रही है। वहां पर बागपत, बड़ौत, खेकड़ा विकास प्राधिकरण बनने की बात है और उसके लिये जमीन लेने की बात हो रही है। इसी तरह से बाद में अन्य 67 गांवों की जमीन ली जायेगी।

मान्यवर, आप वहां पर सर्वे करा लें। मेरी निश्चित सूचना है कि अगर आप सर्वे करा लेंगे तो यह पायेंगे कि बागपत के रहने वाले जो लोग हैं उनमें से कोई भी प्लाट या मकान उसमें नहीं लेना चाहता है। वहां के निवासियों को इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्या यह विकास प्राधिकरण का गठन दिल्ली से आकर रहने वाले लोगों के लिये बनाया जा रहा है। उससे

उत्तर प्रदेश के निवासियों को और विशेषकर वहां के निवासियों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं चाहूंगा कि वहां के लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस विकास प्राधिकरण के निर्माण की जो बात है उसको रोकने का काम किया जाये। आप वहां की जनता में सर्वे करा लें कि वह मकान या प्लाट उसमें लेना चाहते हैं या नहीं। मान्यवर, बागपत जिला दिल्ली से सटा हुआ है इसलिये दिल्ली के लोगों को आवासीय सुविधायें देने के लिये ऐसा किया जा रहा है। आप दिल्ली के लोगों को लाकर वहां पर बसाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दिखवा लेंगे। यह किसानों की भूमि के अधिग्रहण से सम्बन्धित मामला है। मैंने इस सूचना को अग्राह्य किया।

(चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी तथा श्री मदन चौहान के खड़े होने पर)

आप लोग बैठ जायें। सब निरस्त हो चुकी हैं।

गो-हत्या विषयक हुई चर्चा में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अप्रमाणित, आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आज थोड़े समय पहले आप उस पीठ पर नहीं थे और अधिष्ठाता जी विराजमान थे। बहुत महत्वपूर्ण विषय गो-हत्या के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी। उसमें ओम प्रकाश सिंह जी ने और अन्य सदस्यों ने अपने विचार रखे थे। उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक टिप्पणी कर दी गयी वह न प्रमाणित थी और न नियमानुसार थी। और इस तरह की टिप्पणी की अपेक्षा भी नहीं थी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से। अपने भाषण में माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने इस बात को कहा भी है। मैं मांग करता हूं कि जो अप्रमाणित तथ्य कहे गये हैं उनके द्वारा उसे आप कार्यवाही से निकलवाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

कोई आपत्तिजनक बात होगी तो उसको दिखवा लूंगा।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने कहा कि मुझे ऐसी सूचना मिली है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

वह सूचना आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही मिली।

श्री अध्यक्ष-

अगर कोई अंश आपत्तिजनक होगा तो वह कार्यवाही से निकल

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने छात्रों के हित में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मुझे अवसर दिया है मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह राजकीय डा0 बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, देवकली, फैजाबाद का मामला है इसमें कई छात्रों को जो फिफ्थ ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं तथा फर्स्ट ईयर के हैं, उनके खिलाफ कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने बदले की भावना से आपराधिक मुकदमें फर्जी तरीके से दर्ज करा दिये हैं। घटनाक्रम यह है कि कुछ छात्रों ने मेडिकल कालेज के लिये 22 लाख 18 हजार रुपये ग्रान्ट मिली थी, उसके रिपेयर के लिये, कुछ निर्माण के लिये, कुछ बाउण्ड्रीवाल के लिये, कुछ लाइब्रेरी के लिये उसका मान्यवर, गबन हुआ, मण्डलायुक्त को इन छात्रों की तरफ से एप्लीकेशन दी गयी उस एप्लीकेशन पर मण्डलायुक्त ने टी0ए0सी0 फैजाबाद से जांच कराई और जांच में उन छात्रों का जो तथ्य था वह पुष्ट हो गया उसमें 19 लाख 40 हजार 556 रुपये का गबन मान्यवर, उस टी0ए0सी0 कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अपनी जांच आख्या में जो प्रस्तुत की तो उसमें यह साबित होना बताया। उसमें जिलाधिकारी ने परीक्षण करवाकर मुकदमा पंजीकृत करवा दिया और कार्यवाहक प्रधानाचार्य डा0 दशरथ जी उसमें सस्पेन्ड भी हुए। उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी हुआ लेकिन उन्होंने बदले की भावना से छात्रों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर करवा दिये। हालांकि वह जमानत पर हैं छात्र लोग और कोर्ट ने उस पर होल्ड भी किया कि प्राइमाफेसी केस बनता नहीं है ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जैसे घटना हुई हो।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इस प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो खुद आरोपित हो और जिसके खिलाफ 3-4 मुकदमें हों। मान्यवर, मैं क्राइम नम्बर सहित आपको बता दूं जो प्रधानाचार्य के ऊपर मुकदमें हैं क्राइम नम्बर 2337/7 धारा 420/467/471 तीन लोगों का एडमीशन बिना पी0एम0टी0 में सेलेक्ट हुए इन्होंने फर्जी दस्तावेज बना लिया और खुद एडमीशन कर लिया यह आरोप है इनके ऊपर। आरोप 257/258 लोगों के फर्जी दस्तखत करके और उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के द्वारा नगर कोतवाली फैजाबाद में मान्यवर, दाखिल की गयी। 3-4 मुकदमें इस प्रिन्सिपल के खिलाफ दाखिल हैं और उन्होंने बदले की भावना से छात्रों को मोहरा बनाया है जिन लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत की थी गबन की। मान्यवर, ऐसे मामले में हम आपका संरक्षण चाहते हैं और उन छात्रों का भी संरक्षण चाहते हैं जिनको झूठे फर्जी मुकदमों में फंसाया गया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का क्षेत्र भी है हो सकता है उनकी व्यक्तिगत रूप से जानकारी भी हो इस सम्बन्ध में। यह छात्र बिल्कुल निर्दोष हैं, इनका कैरियर खराब हो जायेगा अगर इनके खिलाफ कोई कार्यवाही होती है। जहां तक मेरी जानकारी है इनके खिलाफ कोई इवीडेंस नहीं है। मैंने आपके माध्यम से सरकार से यह मांग की है कि इन मुकदमों को एक्सपंज किया जाय। इनके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट हो और जिन लोगों ने फर्जी रिपोर्ट लिखाई है उनके विरुद्ध धारा 182 की कार्यवाही होनी चाहिए। आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया मैं

आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और इसमें कार्यवाही की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय खन्ना जी ने जो बात कही है प्रिंसिपल को उनकी जांच पर जो उस समय कार्यवाहक प्रिंसिपल पहले थे उनको सस्पेन्ड किया जा चुका है और मुख्यालय से अटैच हैं। जहां तक एफ0आई0आर0 की बात है मैं दिखवा लूंगा। अगर पुनः जांच कराने की आवश्यकता होगी तो पुनः जांच करा लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय सुरेश खन्ना जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है। शेष सूचनाएं निरस्त कर दी गयी हैं।

(मद संख्या-9 और डा0 राधामोहन दास अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक मेरा निवेदन था। चूंकि यह विधान परिषद् में भी जाना है विधेयक जो हमारे हैं और वहां लगने हैं। अगर वहां हम सूचित नहीं कर पायेंगे तो कल की कार्यवाही में लग नहीं पायेंगे। इसलिये मेरा आग्रह है कि पहले विधेयक ले लें उसके बाद संकल्पों पर चर्चा करा दें यह मेरा आपसे आग्रह है और मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको मान लें इसलिये कि मान्यवर, मुझे विधान परिषद् में जाना है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इतना एडजस्ट करा लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसके लिये भाग नहीं रहा हूं। लेकिन मान्यवर, विधान परिषद् में जाना है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, पहले संकल्प प्रस्तुत करा दें। संकल्प रखने वाले भी सहमत हैं क्योंकि काफी देर हो चुकी है इसलिये संकल्प प्रस्तुत करा दें और उसके बाद विधेयक ले लें लेकिन उसके पहले एक महिला को बुलवा दें क्योंकि आज बहुत जोर से अखबार में लिखा गया है महिलाओं के लिये, कि उनको अवसर नहीं मिलता है।

श्रीमती कृष्णा राज-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। 19 अप्रैल, 2008 को घटना हमारे मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र जनपद लखीमपुर-खीरी में हुयी, उस दिन से लगातार एक महीने तक अग्निकांड का प्रकोप हमारे विधान सभा क्षेत्र में चलता रहा। जिसमें सत्ता पक्ष के माननीय मंत्री माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी भी वहां पर गये थे। अनेक गांव जिसमें ऐसी स्थिति थी जिसमें

घर के सामान सहित जानवर और इंसान भी हमारी आंखों के सामने धू-धू करके जलते हुये दिखायी दिये। बार-बार हमने जिला प्रशासन से और तहसील प्रशासन से आग्रह किया कि जब बेघर हो गये हैं तो तमाम तरह से योजनाओं के तहत जिनको आवश्यकता नहीं होती है, उनको आवास देते हैं, अन्य सुविधायें देते हैं तो इन असहाय, बेघर इनसे ज्यादा लाचार और बेबस और कोई व्यक्ति नहीं होगा इनको भी एक आवास तथा अन्य सुविधायें देने का आग्रह करते रहे लेकिन हजारों घर जलने के बावजूद जिला प्रशासन ने जो शासन के द्वारा दी जाने वाली हजार-दो हजार की राशि थी उसमें भी बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी की और जिन लोगों को आवश्यकता थी उनको भी वह नहीं मिली। मान्यवर, मैं उस समय का मंजर बताना चाहूंगी कि अगर कोई राशन और पानी की व्यवस्था करता तो दूर-दूर तक कोई ऐसी लकड़िया या जलाने का कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे वह अपना खाना बनाकर अपना जीवन निर्वहन कर सकते। मेरा आपके माध्यम से सत्ता और सरकार से यह आग्रह है कि उन बेसहारा और बेघर लोग, जो अग्निकाण्ड का भी शिकार हुये और भीषण बाढ़ भी आई हुयी है, नानकमत्ता डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, इस तरह से जो बचा बचाया था वह सब भी एकदम दयनीय स्थिति में हो गये हैं। इसलिये हमारा आग्रह है कि शासन को, सरकार को निर्देशित करें कि ऐसे असहाय लोगों की सूची मंगवा कर कम से कम उनको एक आवास और जो भी सुविधायें शासन उनको दे सकता है, उनके जीवन यापन के लिये अगर आप यह मुहैया करा देंगे तो हम और हमारा क्षेत्र आपका बड़ा आभारी होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। यह जिस घटना का जिक्र किया है, आग लगी है क्षेत्र में, उसको दिखवा लीजियेगा।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये विशेष आर्थिक पैकेज दिये जाने विषयक डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प तथा प्रदेश में स्थित छावनी परिषद् में सांसदों एवं क्षेत्रीय विधायकों को पदेन सदस्य के रूप में नामित किये जाने विषयक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-9 पर डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल के संकल्प पर और मद संख्या-10 पर श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल के संकल्प पर भी चर्चा जारी रहेगी।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

यह तो पहले प्रस्तुत किया जा चुका है इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है दोनों पर चर्चा जारी रहेगी। अब संकल्प प्रस्तुत किये जायें।

वाराणसी के कमच्छा क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व स्वीकृत शिलान्यासित 220/33 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किये जाने विषयक श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, आपसे एक प्रार्थना है कि मेरे संकल्प पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी से बात हो चुकी है अगर आप अनुमति देंगे तो दो मिनट में ही एक संकल्प का जो परिणाम आना है वह आ जायेगा।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि वाराणसी में कमच्छा क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व स्वीकृत शिलान्याशित 220/33 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराया जाय।" यह शिलान्यास माननीया मुख्यमंत्री जी ने किया था और अन्य विद्युत घरों का भी इसके साथ ही में किया था। एक वर्ष के लगभग समय पूरा हो चुका है और कार्य कोई प्रारम्भ अभी तक नहीं हुआ है, इसलिये मुझे यह संकल्प लाना पड़ा, माननीय विद्युत मंत्री जी इस समय सदन में उपस्थित हैं, मैं इस संकल्प के माध्यम से उनसे प्रार्थना करूंगा कि यह कार्य अविलम्ब प्रारम्भ हो जाय, इस दिशा में आप पहल करने की कृपा करें।

प्रदेश के गुर्जरों के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु राजस्थान राज्य की भांति उन्हें 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किये जाने विषयक श्री मदन भैया द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री मदन भैया-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश के गुर्जरों के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु राजस्थान राज्य की भांति उन्हें 5 प्रतिशत का आक्षण प्रदान किया जाय।"

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आपका संकल्प प्रस्तुत हो गया।

शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु वाणिज्य पर राजस्व से प्राप्त होने वाली धनराशि का 25 प्रतिशत निर्धारित किये जाने विषयक श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु वाणिज्य कर राजस्व से प्राप्त होने वाली धनराशि का 25 प्रतिशत निर्धारित किया जाय।"

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी।

श्री सतीश महाना-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11(4) पर डा0 धर्मपाल सिंह अनुपस्थित हैं। इनका संकल्प व्यपगत हो गया।

प्रदेश में विद्युत अभाव की समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्य स्रोत बनाये जाने विषयक श्री उदयभान करवरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में विद्युत अभाव की समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्य स्रोत बनाया जाय।"

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आपका संकल्प प्रस्तुत हुआ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

पृथक बुन्देलखण्ड राज्य की स्थापना विषयक श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा संकल्प पर चर्चा स्थगन

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, कल पृथक बुन्देलखण्ड राज्य की स्थापना वाली बात आई थी, आपने कहा था कल ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

उसके लिये तिवारी जी ने कहा था प्रस्तुत हुआ था लेकिन एजेन्डे में नहीं आ पाया उसके लिये मैं दिखवा लूंगा।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, अगली बार के लिये जारी करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अब ठीक है जारी करा देंगे। हमने पहले ही तिवारी जी से कह दिया था।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

अब इस पर क्या बोलना है ? आप ही लोगों के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री जी यह संशोधन लाये। मान्यवर, इसमें कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसको सर्वसम्मित से पारित करें।

श्री अध्यक्ष-

इस पर तो सब लोग चाह रहे हैं सर्वसम्मति से करना। आप संशोधन वापस ले रहे हैं कि प्रश्न प्रस्तुत करें ?

(श्री मोहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

श्री लालजी वर्मा-

इसमें कार्य क्षेत्र दिया गया है हर विश्वविद्यालय का।

श्री अध्यक्ष-

आजम जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आज यह दो विधेयक हैं एक विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय वाला है।

श्री लालजी वर्मा-

नहीं, वह नहीं है। यह तो उच्च शिक्षा मंत्री वाला है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय वाला है। यह सुभारती वाला नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

तीर्थंकर वाला दिखवा लीजियेगा इसमें एक शर्त छूट गयी है वह बाद में फिर गवर्नर के यहां से एतराज लगकर आ जायेगा। तो उसे दिखवा लीजियेगा।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब वापस नहीं ले रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

डा0 सहाब वापस ले लीजिये। जब आप सहमत है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

विश्वविद्यालय के बनाने में कोई विवाद नहीं होना चाहिये और मेरे ख्याल से तो यह सर्वसम्मति से पास होना चाहिये लेकिन यह भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि विश्वविद्यालय खोलना, महाविद्यालय खोलना, इसमें किसी तरह का ताज्जुब नहीं होना चाहिये।

श्री लाल जी वर्मा-

यह दूसरा है इसमें केवल विश्वावेद्यालयों के क्षेत्र का बंटवारा है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये अच्छा प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत के गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित संख्या 10 सन् 1973 की धारा 5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द "तथा काशी विद्यापीठ" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) को निकाल दिया जाएगा।

धारा 37 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 37 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात्:-

"(1) यह धारा डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबाफूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली, वीरबहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, डाक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद और ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों (लखनऊ विश्वविद्यालय से भिन्न) पर लागू होगी जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।"

नई धारा 72-झ और 72-ञ का बढ़ाया जाना

4-मूल अधिनियम की धारा 72-ज के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के कतिपय छात्रों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

"72-झ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा जिला चन्दौली, मिर्जापुर संत रविदास नगर, सोनभद्र, वाराणसी और बलिया के परीक्षा केन्द्रों से वर्ष 2008 की स्नातक भाग-1 या स्नातकोत्तर भाग-1 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की गयी थी और जिसे परीक्षाफल में सफल घोषित किया गया है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा शैक्षणिक वर्ष

2008-2009 और 2009-2010 के दौरान उपर्युक्त जिलों के परीक्षा केन्द्रों से उक्त विश्वविद्यालय की, यथास्थिति, स्नातक भाग-2 तथा स्नातक भाग-3 की परीक्षा अथवा स्नातकोत्तर भाग-2 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी और ऐसे परीक्षाफल के आधार पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी और ऐसी परीक्षा विधिमान्य समझी जायेगी।

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कतिपय छात्रों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

72-ञ लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जिसे छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा जिला लखनऊ के परीक्षा केन्द्र से वर्ष 2008 की स्नातक भाग-1 या स्नातकोत्तर भाग-1 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की गयी थी और जिसे परीक्षाफल में सफल घोषित किया गया है, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के दौरान जिला लखनऊ के परीक्षा केन्द्र से उक्त विश्वविद्यालय की, यथास्थिति, स्नातक भाग-2 तथा स्नातक भाग-3 या स्नातकोत्तर भाग-दो की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी और ऐसे परीक्षाफल के आधार पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी और ऐसी परीक्षा विधिमान्य समझी जायेगी।

अनुसूची का संशोधन

5-मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् :-

अनुसूची

(धारा 5 देखिये)

क्र0सं0	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा
1	2	3
1	लखनऊ विश्वविद्यालय	लखनऊ, जिला।
2	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर जिले।
3	छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।	इलाहाबाद, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी सीतापुर, रायबरेली तथा उन्नाव जिले।
4	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर तथा सिद्धार्थनगर जिले।

1	2	3
5	डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।	आगरा, अलीगढ़ एटा, फिरोजबाद, हाथरस, कांशीरामनगर, मैनपुरी तथा मथुरा जिले।
6	डाक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद।	अम्बेडकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, गोण्डा, प्रतापगढ़, श्रावस्ती तथा सुल्तानपुर जिले।
7	महात्मा ज्योतिबा फुले नगर, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।	बदायूं, बरेली, बिजनौर, ज्योतिबा फुलेनगर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर तथा शाहजहांपुर जिले।
8	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।	बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर तथा महोबा जिले।
9	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर।	आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर तथा मऊ जिले।
10	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।	बलिया, चन्दौली, मिर्जापुर, संतरविदास नगर, सोनभद्र तथा वाराणसी जिले।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री लालजी वर्मा-

डा0 साहब इसको तो आप सबने कहा था कि सर्व-सम्मति से पास करायेंगे, तो आप अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस ले लीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

ठीक है, मैं इस विधेयक पर अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस पर पूरे सदन की सहमति ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 'तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008' पर डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने पर यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-53 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008

तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, सोसाइटी, मुरादाबाद द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश में एक जैन अल्पसंख्यक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये।

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्नसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 कहा जाएगा।

परिभाषायें

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) "विद्या परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् से है;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड, योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(ग) "कुलाधिपति" "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है;

(घ) "कोर्ट" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कोर्ट से है;

(ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य संस्था, महाविद्यालय, विद्यालय, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन के विभाग से है जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित है;

(छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित है;

(ज) "कार्य परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् से है;

(झ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ञ) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के निवास से है;

(ट) "संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्था से है;

(ठ) "विहिति" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ड) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ढ) "सोसाइटी" का तात्पर्य सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, सोसाइटी, मुरादाबाद से हैं;

(ण) "परिनियमों और अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(त) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(थ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्यों, सहयुक्त आचार्यों उपाचार्यों, सहायक आचार्यों प्राध्यापकों और ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षा /अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाए;

(द) "कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियंत्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(ध) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी द्वारा स्थापित तीर्थंकर महार्वीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से है;

(न) "कुलाध्यक्ष" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है।

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में सोसाइटी द्वारा तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

4–प्रायोजक संस्था, सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा:–

(क) विश्वविद्यालय के लिए न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का स्वामित्व हो;

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये होगा;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में न्यूनतम 5 करोड़ रूपये की लागत से कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में उपस्करों की स्थापना;

(घ) कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिए विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनाना;

(च) ऐसी अन्य शर्तें जिनकी विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5–(1) राज्य सरकार सोसाइटी द्वारा धारा (4) में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी करने के प्रस्ताव एवं संबंधित अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त ही, प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन प्रारम्भ करने के लिये प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही सोसाइटी विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ करेगा।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य

6–विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करने का भरसक प्रयास करेगा:–

(क) शिक्षा में नवीनता की प्रोन्नति करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(ख) शिक्षा के विभिन्न शाखाओं में अध्ययन।

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन।

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, समाजिक समरसता और अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव और नैतिकता का अभियंत्रीकरण।

(ङ) जैन अल्पसंख्यकों को उनके समग्र विकास के लिये मुख्य धारा से जोड़ना, साथ ही साथ भारत के जैन समुदाय के विकास के लिये सभी आधुनिक और श्रेण्ठ शिक्षा प्रदान कर उनका उत्थान करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

7–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होगी:–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिये तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना।

(ख) विज्ञान, प्रोद्योगिकी, चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, प्रबन्धन, विधि तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा इतिहास, संस्कृत, दर्शन, कला इत्यादि पाठ्यक्रमों का संस्थागत केन्द्रों या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यमों से, जैसा कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद द्वारा समय-समय पर सुनिश्चित किया जाए, शिक्षा प्रदान एवं प्रचार करना।

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर एमेरिटस की उपाधि से सम्मानित करना।

(घ) विश्वविद्यालय अपने नियमों के अधीन परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं में उपाधियों को प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारणों से इन डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं की उपाधियों को वापस लेना।

(ङ) परिनियमों द्वारा विहिति रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना।

(च) ऐसे व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, को शिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी हैं।

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सहयुक्त आचार्य, उपाचार्य पद, सहआचार्य, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करना।

(ज) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना।

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना।

(ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना।

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिए विद्यालयों संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो।

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना।

(ड) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों/आवासों की स्थापना, तथा उनका पर्यवेक्षण करना, अनुरक्षण करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य, कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना।

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे।

(ण) परिनियमों के अनुसार केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय घोषित करना।

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है।

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना।

(द) छात्राओं एवं जैन समुदाय के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे।

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और इसका पालन कराना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय

द्वारा आवश्यक समझा जाए।

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना।

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का जिसके अन्तर्गत न्यास और बन्दोबस्ती सम्पत्तियां भी हैं, अर्जन, धारण, प्रबंध और निपटारा करना।

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए सोसाइटी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय सम्पत्ति की प्रतिभूति, उसके धन पर उधार लेना या बन्धक रखना।

(ब) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए संविदा या अन्य किसी आधार पर विजिटिंग प्रोफेसर, ऐमेरिट्स प्रोफेसर, परामर्शकों, विद्वानों एवं कलाकारों आदि को नियुक्त करना।

(भ) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों जो विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से अनुमोदित हों।

प्रवेश और मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रदेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय उपचारिका परिषद् इत्यादि के दिशा–निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य विशिष्ट परिषदों के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9–विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधि सम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी वृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने कि लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें :

परन्तु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक समुदाय को विभिन्न पदों पर नियुक्तियों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश में आरक्षण के लिये समुचित उपबन्ध बनाने से नहीं रोकेगी जो 50 प्रतिशत से अनधिक हो।

कुलाध्यक्ष

10–(1) कुलाध्यक्ष की नियुक्ति सोसाइटी द्वारा स्वयं की जायेगी जैसा कि परिनियमों में विहित है।

(2) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की शिक्षा, अनुशासन, शालीनता और समुचित कार्य प्रणाली के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किन्हीं संस्थानों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, पोलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(3) कुलाध्यक्ष को कुलाधिपति द्वारा निर्दिष्ट विवादित मामलों में कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति

(ख) कुलपति

(ग) प्रति–कुलपति

(घ) निदेशक/प्राचार्य या संस्था का प्रधान

(ङ) कुलसचिव

(च) कोषाध्यक्ष

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष

(झ) परीक्षा नियंत्रक

(ञ) कुलानुशासक

(ट) वित्त अधिकारी; और

(ठ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाएं।

कुलाधिपति

12–(1) कुलाधिपति के पद पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को सोसायटी की प्रबन्ध समिति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

(2) कुलाधिपति सोसाइटी के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) कुलाधिपति, सोसाइटी को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

(4) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कुलाधिपति अपने पद ग्रहण के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा एवं पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा :

परन्तु कुलाधिपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर लें।

(5) कुलाधिपति अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अन्तरिम कार्य परिषद् का गठन करेगा।

(6) कुलाधिपति यदि उपस्थित है, तो डिग्रियां प्रदत्त करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।

13--(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित की जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी और विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस अधिकारी को अवगत करायेगा:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह ऐसे दिनांक से, जिस पर ऐसे कार्यवाही के आधार पर विनिश्चय उसे संसूचित किया गया है, एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे और इस पर कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है। लेकिन अपील किसी भी प्रकार आदेश के अनुपालन से विरक्त नहीं करती जब तक कि कुलाधिपति आदेश पर रोक न लगा दें।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित है।

प्रतिकुलपति

14–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जो विहित किया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाए, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेंगे।

(4) प्रतिकुलपति ऐसी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाय।

निदेशक/ प्राचार्य या संस्था के प्रमुख

15–निदेशक या संस्था के प्रमुख की नियुक्ति उसी रीति से होगी तथा वह उन्हीं शक्तियों और कृत्यों का संपादन करेगा जो विहित किया जाए।

कुलसचिव

16–(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा दिहित किया जाए।

(3) कुल सचिव कार्य परिषद और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा।

कोषाध्यक्ष

17–(1) कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(2) कोषाध्यक्ष वार्षिक बजट, वार्षिक अंकेक्षण, निधियों के आवंटन इत्यादि सहित समस्त वित्तीय मामलों में कुलपति की सहायता करेगा।

संकायों के संकायाध्यक्ष

18–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

वित्त अधिकारी

19–(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा, जैसा विहित किया जाए।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20–विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित की जाए।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे।

(क) कोर्ट
(ख) कार्य परिषद्
(ग) विद्या परिषद्
(घ) वित्त समिति
(ङ) नियोजन बोर्ड
(च) संकाय बोर्ड
(छ) प्रवेश समिति
(ज) परीक्षा समिति
(झ) अनुशासन समिति
(ञ) शोध समिति
(ट) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों के प्राधिकारी घोषित किए जायं।

कोर्ट

22–(1) कोर्ट के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसा विहित किया जाए।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोर्ट की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे :–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय–समय पर पुर्निरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपाय का सुझाव देना।

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों पर विचार करना और संकल्प पारित करना और ऐसे लेखाओं पर सम्परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना।

(ग) किसी ऐसे मामलें के सम्बन्ध में कुलाध्यक्ष को परामर्श देना जो उसे परामर्श के लिए निर्दिष्ट किया जाए।

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जो विहित किया जाए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य परिषद्

23–(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि ओर इसकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किए जाएं।

विद्या परिषद्

24–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद् का गठन, सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

वित्त समिति

25--(1) वित्त समिति वित्तीय विश्वविद्यालय की वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

नियोजन बोर्ड

26–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य संबंधित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इसकी अन्य शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

संकाय और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27–संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा, समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएँ।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28–(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए कुलाधिपति के अनुमोदन से परिनियम बनाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसा कि :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों, जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य।

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति ओर निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो।

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां।

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ।

(ङ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना या दायित्व ग्रहण करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सेवानिवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियां।

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को निर्धारित करने वाला सिद्धान्त।

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया।

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् में अपील करने की प्रक्रिया।

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना।

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टयों का वापस लेना।

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों ओर पुरस्कारों को संस्थित करना।

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना।

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/ महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनका समाप्त किया जाना।

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(त) अन्य सभी विषय जो विहित किए जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनवायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

(4) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति विश्वविद्यालय को अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सन्दर्भ में परिनियमों में उपबन्ध करने का निर्देश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् ऐसे किसी निर्देश को उसकी प्राप्ति के नब्बे (90) दिनों के भीतर लागू करने में असमर्थ रहे तो कुलाधिपति ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए कार्य परिषद् द्वारा संसूचित कारणों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् परिनियमों को, कुलाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से, उपयुक्त रूप में बना सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम/अध्यादेश कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कार्य परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे। जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन।

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम का निर्धारित किया जाना।

(ग) अनुदेश और परीक्षा का माध्यम।

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा अन्य शैक्षणिक प्रविष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किए जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किए जाने वाले माध्यम।

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभार्य शुल्क।

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषकों को प्रदान करने की शर्तें।

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य है।

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की परिस्थितियां।

(झ) महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें यदि कोई हों और उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना।

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां।

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना।

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति।

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझी जाए, के सृजन, संरचना और कृत्य।

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक।

(ण) अध्यापकों और अन्य निकाय शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों जिनकी सेवा परिनियमों द्वारा विहित न हो की सेवा शर्तें।

विनिमय

30–विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, कार्य परिषद् के अनुमोदन के विषयानुसार विनियम बना सकते हैं जो कि अधिनियम के अनुरूप हो तथा अपने व्यवसाय के आचार हेतु संविधि तथा अध्यादेश तथा उस हेतु समिति यदि कोई हो, जिसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में अधिनियम में प्राविधानित न हो, अध्यादेश तथा संविधि, जैसा कि विहित किया जाए।

वार्षिक रिपोर्ट

31–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाएगा और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

32–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, कराई जाएगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के पर्यवेक्षणों सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक लेखों पर कुलाधिपति द्वारा किए गए पर्यवेक्षणों को कोर्ट और कार्य परिषद् के संज्ञान में लाया जाएगा और कार्य परिषद् द्वारा पुर्निरीक्षण किए जाने के पश्चात् पर्यवेक्षण यदि कोई हों, कुलाधिपति को प्रस्तुत किए जाएंगे।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

33–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा या काम पर लगाया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी के लिए अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चिय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कार्य परिषद् के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत् किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से कुलाधिपति द्वारा किया जाएगा।

(5) कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किए गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

अपील करने का अधिकार

34–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेशों या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, लिखित रूप में अपने द्वारा ऐसे संकल्प की प्रति या ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चिय को पुष्ट, उपान्तरित या पलट सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन

35–विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ, के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हए जो विहित किए जाएं ऐसी पेंशन या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसी वह उचित समझे।

प्राधिकरण निगमों, निकायों के गठन के बारे में विवाद

36–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

37–जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो वहाँ ऐसी समितियों अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें गठित होंगी।

रिक्तियों का भरा जाना

38–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुयी सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था, भरा जाएगा ऐसी रिक्ति में नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति ऐसे शेष पदावधि के लिए ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिए वह नियुक्त या सहयोजित किया गया है।

कार्यवाही की विधिमान्यता

39–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमान्यता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की रीति

40–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

41–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

42–(1) विश्वविद्यालय कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

43–(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात् :–

(क) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाए ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) सोसाइटी द्वारा किए गए सभी अंशदान ; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किए गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जाएगा।

विकास निधि

44–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात् :–

(क) विकास शुल्क जिसे छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए अन्य स्त्रोतों से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) सोसाइटी द्वारा किए गए सभी अंशदान ;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किए गए सभी अंशदान ;

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जाएगा।

निधि का अनुरक्षण

45–धारा 42, 43 एवं 44 के अधीन स्थापित निधियों को कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जाएगा जैसी विहित की जाए।

वित्तीय शर्तें

46–विश्वविद्यालय एक स्ववित्तपोषित संस्था होगी तथा राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायक अनुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता पर आधारित नहीं होगी।

शुल्क

47–विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।

सूचनाओं और अभिलेखों को मंगाने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां

48–(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जो राज्य सरकार द्वारा मांगी जाए।

(2) राज्य सरकार यदि यह समझती है कि यदि इस अधिनियम या परिनियम या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह विश्वविद्यालय के धारा 52 के अधीन ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

49–(1) विश्वविद्यालय राज्य सरकार को कम से कम छह मास की लिखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगी जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय को व्यय

50–(1) धारा 49 (4) के अधीन उसे प्रबन्धन करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जाएगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों को निस्तारण करके किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

51–(1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य नहीं कर रहा है, विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसी समय के भीतर, जो उचित समझे किन्तु जो दो मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथमदृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझें।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन जारी किन्हीं निदेशों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करेगी।

(4) जहां राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में किसी जांच के प्रयोजनों के लिए कोर्ट को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह अधिसूचना द्वारा यथास्थिति कोर्ट को निलम्बित करने का आदेश दे सकेगी और जांच पूरी होने तक के लिए विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(5) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :–

(क) किसी साक्षी को सम्मन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना ;

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

(6) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध हुआ है या उसमें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है तो वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्वानुमान से अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने पर लागू की जाएगी।

नीति विषयक मामलों में राज्य सरकार का निर्देश देने का अधिकार

52–राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

53–(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 1973, जहाँ तक संस्थाओं का प्रबन्ध है, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहें वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे ;

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-53 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के लिये 3 शर्तें होती हैं। उसमें एक शर्त छूट गयी है उसको आप पूरा करा दें वरना यह राजभवन से वापस आ जायेगा। शर्तों में यह है कि 5 एकड़ की भूमि हो, 24 हजार वर्गमीटर कवर्ड एरिया हो, वह भी है लेकिन जो एंडाउमेण्ट फीस है वह इसमें नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मैं इसको दिखवा लूंगा।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब, आप अपना संशोधन का प्रस्ताव रखें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस पर मतदान करा लिया जाए। इस विषय को कल हम लोगों ने लिया ही था। जो हम लोगों के मुद्दे थे वैट के बारे में और हमने इण्ट्री टैक्स का विरोध किया था। अगर उसे दोहराया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 का अग्रतर संशोधन के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

(2) यह 1 जनवरी, 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007 का सामान्य संशोधन

2-उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 में, शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007" जहां-जहां भी आये हों, के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नगर विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मैं इस विषय पर संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण विधेयक है। यह विधेयक कुछ देर से आ रहा है। पहली बार हिन्दू सक्सेसन ऐक्ट 2005 लागू हुआ। तीन साल हो गए इसको लागू होने के पहले दक्षिण भारत के तमाम प्रान्तों आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल ने यह सारे अधिकार अपने नागरिकों को दिए हैं। इस नाते कोई नई चीज नहीं है। चूंकि इस विधेयक के माध्यम से अविवाहित पुत्रियों को उनके मायके के परिवार की सम्पत्ति में हिस्सा हो रहा है इसलिए मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। यह ठीक है। मैं चाहता हूं कि इतना प्रावधान हो जाए कि ज्वाइंट सम्पत्ति में लड़के लड़की का हक बनता है मैं चाहता हूं कि जब एक माता-पिता जिन्दा रहें तब तक सम्पत्ति बंटने न पाए इसके बारे में सरकार विचार कर ले।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मेरा कहना है कि पुत्री का हक खत्म हो सकता है पहला कि उसके बाद लड़की शादी करे तो मेरा कहना है कि अगर कोई सम्पत्ति मिलने के बाद शादी करे मान लीजिए 40 साल, 50 साल में 60 साल में तो ऐसी स्थिति में उसकी सम्पत्ति का क्या होगा कोई लड़का मिल न करे तो उस अविवाहित पुत्री की सम्पत्ति का क्या होगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के बजाय मैं पहले राजस्व मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि वह ऐसा प्रस्ताव लेकर आए निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है मैं केवल विरोध के रहते इसका विरोध नहीं करूंगा मुझे भी राजस्व मंत्री रहने का अवसर मिला है। हम इसको लाना चाहते थे। इसमें दो बातें स्पष्ट होने की आवश्यकता है। सीमें के मन में भ्रम की स्थिति है चर्चा करके इस बात को समाप्त कर दिया जाय। इसमें आप धारा दो क परिवर्तित कर रहे हैं और अविवाहित पुत्री को इसमें रख दिया है लेकिन अविवाहित पुत्री अगर विवाहित होगी तो उसकी क्या स्थिति रहेगी ? विवाहित होने के बाद उसके अंश में परिवर्तन हो जाएगा ? दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अगर विवाहित होने के बाद भी वह सम्पत्ति उसके पास रहेगी तो अविवाहित शब्द लिखने का क्या अर्थ है ? अविवाहित पुत्री को अधिकार दे रहे हैं विवाह होने पर अधिकार नहीं रह जाएगा इससे आपके सामने अनेक कानूनी अड़चने पैदा हो जाएगी इसलिए उन

अड़चनों को दूर करने के लिए इसी समय इसका हल करना आवश्यक है। धारा 174 में आपने संशोधन किया वह भी ठीक है खण्ड घ में आपने विवाहित पुत्री रख दिया यह ठीक है।

इसमें "ख" में पति है मूल अधिनियम में 174 ख में उसको आप क में क्यों नहीं ले आये। अगर कोई भूमिधर मर जाय बिना वसीयत किये तो पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, पुत्र की विधवा और पूर्वमृत पुत्र की विधवा को जायेगी। पति बेचारे का क्या दोष है, इसलिये यह बढ़ा देने में क्या आपत्ति है ? मैं कह रहा हूं आज नहीं आप जब चाहें ले आयें।

श्री अध्यक्ष-

अविवाहित लड़की को जब हम इसमें वारिस के रूप में कैटेगिरीबद्ध कर रहे हैं अगर वह विवाहित हो गई तब भी तो वह उसकी ओनर रहेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

एक बार उसको आप भूमिधरी का राइट देकर उसके मैरेज के टाइम पर आप उसको विदड्रा करेंगे तो इसमें बड़ी जटिलता होगी। गम्भीर स्थिति पैदा होगी पूरे प्रदेश में। हम तो इसका स्वागत कर रहे हैं कि आप पुत्री को भी अधिकार दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसको रेवेन्यू विभाग से विदड्रा होने का क्या नियम है ? बतायें। आप तो मंत्री रहे हैं। कैसा विदड्रा ? राइट को कैसे विदड्रा करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, ऐसा है एक बात जब आप जैसे प्रत्येक स्थिति में जो अगर अविवाहित पुत्री को देंगे तो पुत्री विवाहित होते ही उसका यह अधिकार समाप्त हो जायेगा। यह मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष-

यह कहां इसमें व्यवस्था है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

है मान्यवर, आप इसको देखें तो।

श्री अध्यक्ष-

इसमें ऐक्ट में कहां लिखा है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

आप देखें तो।

श्री अध्यक्ष-

खण्ड "क" में शब्द विधवा के स्थान पर शब्द विधवा, अविवाहित पुत्री रख दिये जाएंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, उसका यही प्रभाव होगा। आप सिर्फ पुत्री लिखिये। मेरा यह कहना है आप इस पर विचार कर लीजिये। आप इसके शब्दों पर जायेंगे तो आपको दिक्कत हो जायेगी। आप एक मिनट सुन तो लें। अगर पुत्री को देने की मंशा है और अविवाहित पहले होगी विवाहित बाद में होगी। ठीक है। तो अविवाहित पुत्री को अगर हम देना चाहते हैं तो इसको पुत्री लिखने में क्या हर्ज है जब विवाहित होने पर वह सम्पत्ति उसके साथ चली जायेगी। सिर्फ पुत्री रखिये कोई जटिलता नहीं होगी। मेरा तो संशोधन है, मैं तो स्वागत कर रहा हूं इसके लिये। मैं तो स्वागत कर रहा हूं इसका। मैं तो सहयोग करना चाहता हूं जिन बातों को आप कहना चाहते हैं उसका स्वागत करते हुए और सहयोग के लिये कहना चाहता हूं कि इस शब्द से आप कई तरह की जटिलताएं आमंत्रित करेंगे। इसकी आवश्यकता नहीं है। आप अभी चाहें। अभी हमने इसको पारित नहीं किया है आप स्वयं सत्ता पक्ष की तरफ से जो एक प्रक्रिया है। आप एक लाइन लिखिये कि हम इसमें यह संशोधन कर रहे हैं वह यहां पर स्वीकार हो जायेगा। सिर्फ पुत्री करने में क्या हर्ज है ? अविवाहित पुत्री के स्थान पर सिर्फ पुत्री लिख दिया जाय। मैं पुत्री को देने के पक्ष में हूं। और यह अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। यह एक क्रांतिकारी कदम है, स्वागतयोग्य कदम है बधाई का कदम है और देना चाहिए लेकिन आप इस कानून को हेय करके बिगाड़िये मत। मेरा यह कहना है। यह जटिल हो जायेगा। आप विचार कर लीजिये।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, इसमें जो अधिकार देने का प्रश्न है। माननीय कोई व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसकी जो सम्पत्ति है वह उसकी पत्नी उसके जितने बालिग बच्चे हैं, पुत्र है उनमें स्थानान्तरित होती थी लेकिन अब उनके साथ-साथ पत्नी और पुत्रों के साथ-साथ अविवाहित पुत्रियों का भी उसमें समावेश किया गया है पहले स्तर पे। इसलिये किया गया है जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा हो सके। अगर इसको दिये जाने से जैसा मैं स्वागत करता हूं कि माननीय चौधरी साहब ने इसका स्वागत किया।

तो इसमें अविवाहित और उस समय कोई विवाहित पुत्री है तो उसको उस पहले वाले स्टेटस में शामिल नहीं किया गया, इतना ही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन यह महत्वपूर्ण है। असल बात यह है कि पुत्रियों को अब तक सम्पत्ति के अधिकार से एक तरह से वंचित रखा गया था। यह जो संशोधन आप ला रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इसी सदन में मात्र तीन साल पहले एक संशोधन आपने पारित किया। उसके पूर्व पुत्रियों की स्थिति माननीय मंत्री जी 'ग' में नहीं थी 'ट' के नीचे थी। हमने संशोधन करके उसको ऊपर लाने का काम किया। लेकिन मैं आपको दूसरी बात यह बताना

चाहता हूं पुत्रियों में, विवाहित और अविवाहित पुत्रियों के बीच में भेदभाव न करें। आप जो डेट तय करेंगे तभी लागू होगा। उसके पहले नहीं आएगा लेकिन आप जब विवाहित और अविवाहित पुत्रियों के बीच में भेद करेंगे तो इससे अनेक जटिलतायें उत्पन्न होंगी। मेरा कहना है एक बार नीतिगत और सैद्धान्तिक रूप से पुत्री को सम्पत्ति में हिस्सा देने की बात सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करते है तो सर्वोत्तम यह है कि आप सिर्फ पुत्री लिखिए। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग अनेक बार मीटिंग हुई इसके लिए उनका विशेष आग्रह था आपको कदाचित आपको इसके लिये सराहना मिल सके कि आपने उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनके समुदाय की भावना के अनुरूप उसका समावेश किया। जहां तक पुत्री को अपनी सम्पत्ति से हिस्सा न दिए जाने की जो सोच थी वह इससे बदल गई है आप इसको पुत्री कीजिए। इसको विवाहित और अविवाहित के बीच में न डालिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य कहां चले गए, संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

वह तो चले गए आप प्रश्न उपस्थित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

2–उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 171 में,– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 171 का संशोधन

उपधारा (2) में,–

(क) खण्ड (क) में, शब्द 'विधवा' के स्थान पर शब्द "विधवा, अविवाहित पुत्री" रख दिये जाएंगे।

(ख) खण्ड (ग) निकाल दिया जाएगा।

3–मूल अधिनियम की धारा 174 में,– धारा 174 का संशोधन

(क) खण्ड (क) में, शब्द "पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा" के स्थान पर शब्द "पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा और अविवाहित पुत्री" रख दिये जाएंगे।

(ख) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगाः–

(घ) "विवाहित पुत्री,"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विधान सभा स्थित सेन्ट्रल हाल जलपान गृह के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अनूप सण्डा-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मा0 सदस्यों की सुविधा के लिए इस विधान सभा में मा0 सदस्यों के लिए एक कैन्टीन चलवाई जाती है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मद तो पूरी होने दें।

श्री अध्यक्ष-

मद के बीच में आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमागत)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित व्यवस्था और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। मिसाल के तौर पर आपने कुंवारी लड़की का अधिकार दे दिया उसे, अब उसकी शादी हो गई तो क्या उस अधिकार को वापस लेंगे ? इसका प्राविजन इसमें नहीं है। इसका तो स्वागत है लेकिन आप खुद सोचें एक अविवाहित लड़की को आपने जायदाद का हिस्सा दे दिया अब वह विवाहित हो गई तो क्या इसे आप वापस लेंगे। इसका इसमें प्राविधान है ही नहीं। आपने एक बार सम्पत्ति दे दी वह उसकी मालकिन हो गई चाहे उसकी शादी हो या न हो तो फिर उसमें कुंवारी लगाने की क्या जरुरत है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, तत्काल उसको जो शादी-शुदा है, जो विवाहित है, उसको उस समय नहीं दिया जा सकता, उसके लिये 174 में व्यवस्था है और 173 में उस समय जितने पुत्र हैं, पुत्रों के साथ और अगर उस व्यक्ति की पत्नी जीवित है तो उसके साथ, उस अविवाहित लड़की को उसका हिस्सा बराबर-बराबर की स्थिति में हो जायेगा। अब जब हिस्सा किसी के पास आ गया और उसके बाद अगर कोई गतिविधि होती है तो वह कहां उस हिस्से से अलग होगी ? यह तो सामान्य जो नियम है, उसके अनुसार भी वह हिस्सा वापस नहीं होता।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, उसके लिये प्राविजन बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, तीन औलादें हैं, दो बेटे हैं, एक बेटी है, आपने प्रापर्टी का डिस्ट्रीब्यूटशन कर दिया, लड़की की शादी हो जाती है तो क्या उस प्रापर्टी का विदड्राल होगा ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसका मतलब लड़की चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, जो प्रापर्टी उसे मिल गयी वह उसकी मालिक हो गई।

श्री अध्यक्ष-

हां, अविवाहित सही है, कोई नहीं रहता तो विवाहित पा जाती है जो सक्सेशन लिस्ट है, उस क्रम में आ जाती है।

श्री मोहम्मद आजम खा-

मान्यवर, इस ग्राउण्ड पर तो यह पूरा ऐक्ट ही चैलेंज हो जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, इस सदन ने इसे पारित कर दिया तो हम इसे रोक तो पा नहीं रहे और रोकने की हमारी मंशा भी नहीं है। हमारी तो मदद करने की मंशा है इसलिये इस प्राविधान का हम समर्थन कर रहे हैं। इसीलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि तकनीकी तौर पर कोई बात आगे-पीछे हो जाये तो उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। इसलिये मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं, आपने तो इसे कर ही लिया है लेकिन आगे आवश्यकता प्रतीत हो तो अगली बार ले आइयेगा, यह विवाहित-अविवाहित शब्द हटा कर आइयेगा। अब तो आपने पारित कर लिया है, हम इस पर कोई बात नहीं कह सकते और आपके पूरे इशारे से पता चलता है कि आप हमसे सहमत हो रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि एक नई तरह की जटिलता पैदा करके, मैं एक उदाहरण के द्वारा स्पस्ट करना चाहता हूं, कई बार बेवा को ऐसे अधिकार दिये जाते हैं कि उसके पास में सारी सम्पत्ति आती रहेगी, किराया आता रहेगा, पेंन्शन आती रहेगी, जब तक कि वह पुनर्विवाह न कर ले। मान्यवर, उसको सर्टीफिकेट देना पड़ता है कि हमने पुनर्विवाह नहीं किया है। अस्सी बरस की वृद्धा को सर्टीफिकेट देना पड़ता है कि आई हैव नाट रि-मैरिज, हर साल अक्टूबर में यह देना पड़ता है। लिविंग सर्टीफिकेट डाक्टर से लिखवाइये कि मैं जिन्दा हूं और एक सर्टीफिकेट दीजिये कि रि-मैरेज नहीं की। इसलिये मान्यवर, मेरा यह कहना है कि इन जटिलताओं को हटाने की दृष्टि से सर्वोत्तम यह है कि यदि आप बेटी के अधिकार को मान्यता देते हैं, आपने दिया, आपको बधाई है, धन्यवाद है, तो आप उसे इतनी सफाई से दीजिये कि उसके चलते परिवार में कोई जटिलता या कानूनी समस्या पैदा न हो। अब आपने इसे पारित कर दिया है, आगे इस पर विचार कर लीजियेगा, मेरी बात यदि अच्छी लगे और आपके अधिकारी हां कर दें तो करके ले आइयेगा।

विधान सभा परिसर स्थित सेन्ट्रल हाल, जलपान गृह में गन्दगी एवं अव्यवस्था होने की शिकायत

श्री अनूप सण्डा-

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अनूप सण्डा-

अध्यक्ष जी, आपकी कृपा से विधायकों और अन्य लोगों की सुविधा के लिये एक कैन्टीन की व्यवस्था की गई है। उस कैण्टीन का आलम यह है, मैं अभी भोजन करने गया था और मान्यवर, जो दाल हमको दी गयी, उस दाल में मक्खी मिली। जब उस मक्खी को रख करके मैनेजर को बुलाया तो 20 मिनट इन्तजार करने के बाद भी मैनेजर नहीं आये, मैंने सुझाव पुस्तिका मांगी तो बताया गया कि सुझाव पुस्तिका उपलब्ध नहीं है और जब मैंने सादा कागज मांगा कि सादा कागज दे दीजिये, मैं लिख करके अपनी कम्प्लेन दे दूं तो सादा कागज भी हमको नहीं मिल पाया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दे दें अन्यथा किसी दिन खाने की जो गुणवत्ता है, कोई ऐसी दुर्घटना हो जायेगी कि 10-20 जनप्रतिनिधि या तो अस्पताल में भर्ती होंगे और जो हालत है, कैण्टी में कोई सुनने वाला नहीं है। इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जो बात मेरे संज्ञान में लाये हैं। मैं सदन के सम्मानित सदस्य की बात पर पूरा विश्वास करते हुये इनकी बात को पूरी गम्भीरता से लेता हूं और मैं इस विषय को स्वयं दिखवाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उस कैण्टीन में इस तरह की अनियमितता या इस तरह की गंदगी का माहौल न बनने पाये। मैं इसको अच्छी तरह से संज्ञान में लेकर स्वयं इसको दिखवाऊंगा।

श्री अनूप सण्डा-

धन्यवाद।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 के सम्बन्ध में सुझाव

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मान्यवर, हमारा एक सुझाव यह था कि जब लड़की कुंवारी होती है, जब उसकी शादी नहीं हुयी होती है तब तो उसके मां-बाप उसका पूरा ध्यान देते ही हैं। उसके ऊपर संकट तो तब आता है जब उसकी शादी किसी कमजोर घर में हो जाये या उसके पति की मृत्यु हो जाये। तब तो उसको सम्पत्ति की आवश्यकता पड़ती है। कुंवारी में तो उसको सम्पत्ति की जरुरत है नहीं। मेरा सुझाव है कि जैसे आप सम्पत्ति देना ही चाहते हैं तो शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा हो सबके बारे में एक बात बोली जाये।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008

संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 पर विचार किया जाये।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

श्री अध्यक्ष-

चलिये, संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया। संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय मंत्री जी यह बता दें कि इस विधेयक में लेकर क्या आ रहे हैं ? अच्छा रहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-81 तक, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश राज्य में स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे तथा भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं,

परिभाषायें

2—इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो,—

(एक) " **संगम**" का तात्पर्य ऐसे संगम, केन्द्र, व्यक्तियों के संगठन या समूह, चाहे निगमित हो या न हो, से है, जो किसी माल या विपण्य प्रतिभूतियों से सम्बन्धित विक्रय या कारोबार का नियन्त्रण या संचालन करने या कोई अन्य संव्यवहार करने के प्रयोजन के लिये स्थापित किया गया हो;

(दो) " **बैंककार**" का तात्पर्य ऐसे किसी संघ, कम्पनी या व्यक्ति से है जो जनता से जमा के रूप में ऐसा धन स्वीकार करता हो जो मांग पर या अन्यथा प्रति संदेय हो और चेक/ड्राफ्ट, भुगतान आदेश द्वारा या अन्यथा प्रत्याहरणीय हो;

(तीन) "**बाण्ड**" के अन्तर्गत—

(क) कोई लिखत जिससे कोई व्यक्ति दूसरे को धन अदा करने के लिये इस शर्त पर स्वयं को आबद्ध करे कि किसी निश्चित कार्य के पूरा किये जाने या न किये जाने, जैसी भी स्थिति हो, पर बंधन निष्प्रभावी हो जायेगा;

(ख) एक साक्षी द्वारा साक्ष्यांकित कोई लिखत जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरों को धन अदा करने के लिये आबद्ध करें, जो उसके आदेश पर या वाहक को देय न हो;

(ग) उक्त प्रकार से साक्ष्यांकित कोई लिखत जिसे कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरे को अन्न या अन्य कृषि उपज देने के लिये आबद्ध करे;

स्पष्टीकरण:— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी , इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए किसी लिखत के सम्बन्ध में "साक्ष्यांकित"का तात्पर्य एक या उससे अधिक ऐसे साक्षियों द्वारा साक्ष्यांकित किये जाने से है जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादी को लिखत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा हो या अपनी उपस्थिति में या निष्पादी के निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखत पर हस्ताक्षर करते देखा हो या निष्पादी से उसके हस्ताक्षर या चिन्ह या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त किया हो और उनमें से प्रत्येक ने निष्पादी की उपस्थिति में लिखत पर हस्ताक्षर किया हो, किन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे साक्षियों में से एक से अधिक साक्षी एक ही समय उपस्थित रहे हों और साक्ष्यांकन का कोई विशिष्ट तरीका आवश्यक नहीं होगा।

(चार) "**प्रभार्य**"– इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद निष्पादित या सर्वप्रथम निष्पादित लिखत के लिये प्रयोग किये जाने की दशा में " प्रभार्य" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन " प्रभार्य " है और अन्य किसी लिखत के लिये प्रयोग किये जाने की दशा में उस विधि के अधीन " प्रभार्य " है, जो लिखत के निष्पादन के समय, या जब लिखत अनेक व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न समयों पर निष्पादित किया गया हो, तो प्रथम निष्पादन के समय भारत में लागू हों;

(पांच) "**मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकारी** " का तात्पर्य राजस्व परिषद् के किसी सदस्य, मण्डल आयुक्त, अपर मण्डल आयुक्त या स्टाम्प विभाग के किसी अधिकारी जो उप आयुक्त स्टाम्प की पंक्ति से नीचे का न हों, और किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिये इस निमित्त नियुक्त करे;

(छः) " **समाशोधन सूची**"– का तात्पर्य संविदाओं से सम्बन्धित संव्यवहारों की ऐसी सूची से है जो किसी संगम के समाशोधन गृह में संगम के नियमों या उप विधियों के अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित हो :

परन्तु कोई लिखत, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये तब तक समाशोधन सूची नहीं समझी जायेगी, जब तक कि उसमें ऐसे संव्यवहार का निपटारा करने वाले व्यक्तियों द्वारा या उसकी ओर से समुचित रूप से नियत अटार्नी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निम्नलिखित घोषणा न हो, अर्थातः–

" मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त सूची में मेरे/हमारे संव्यवहार का पूर्ण एवं सत्य विवरण समाविष्ट है जिसके अन्तर्गत संगम के नियमों/उप विधियों के अनुसार निरस्त संव्यवहार या समाशोधन गृह में प्रस्तुत किये जाने वाले संव्यवहार भी है। मैं/हम अग्रतर घोषणा करता हूं/करते हैं कि कोई संव्यवहार, जिसके लिये इस अधिनियम की अनुसूची के, यथास्थिति, अनुच्छेद 5(ख) (करार या उसके अभिलेख या करार का ज्ञापन) अनुच्छेद 44 (टिप्पणी या ज्ञापन)· के अधीन छूट के लिए दावा किया गया है, छोड़ा नहीं गया है।"

स्पष्टीकरण:– इस खण्ड के प्रयोजन के लिये संव्यवहार के अन्तर्गत विक्रय और क्रय, दोनों होंगे।

(सात) " **कलेक्टर** "– का तात्पर्य किसी जिले के राजस्व प्रशासन के मुख्य प्रभारी अधिकारी से है और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी भी है जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे और जिस पर इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य कलेक्टर को कोई या सभी शक्तियां ऐसी अधिसूचना द्वारा या किसी अन्य अधिसूचना द्वारा प्रदत्त की गयी हों।

(आठ) " **हस्तान्तरण-पत्र** " के अन्तर्गत :–

(क) विक्रय का हस्तान्तरण पत्र, या

(ख) प्रत्येक लिखत, या

(ग) किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की प्रत्येक डिक्री या अन्तिम आदेश, या

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) की धारा 394 के अधीन कम्पनियों के समामेलन या पुनर्गठन के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश, या

(ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1949) की धारा 44-क के अधीन बैंककारी कम्पनियों के समामेलन या पुनर्गठन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश है।

(च) सहकारी समितियों द्वारा ऐसी समिति के किसी विद्यमान सदस्य की अचल सम्पत्तियों में किसी अन्तर्गामी सदस्य के पक्ष में नया शेयर सर्टीफिकेट जारी करके या विद्यमान सदस्य के शेयर सर्टीफिकेट पर अन्तर्गामी सदस्य के पक्ष में पृष्ठांकन करके शेयर का अन्तरण,

जिसके द्वारा सम्पत्ति, चाहे व जंगम या स्थावर, किसी अन्य व्यक्ति को या जीवित व्यक्तियों के बीच अन्तरित या निहित की जाती है और जो अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित नहीं है।

स्पष्टीकरण– इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी निम्नलिखित लिखतों को इस खण्ड के प्रयोजन के लिये ऐसा लिखत समझा जायेगा जिसके द्वारा सम्पत्ति जीवित व्यक्तियों के बीच अन्तरित की जाती है–

(एक) कोई लिखत जिसके द्वारा सम्पत्ति के परिनिश्चित अंश का सहःस्वामी ऐसे अंश या उसके भाग को सम्पत्ति के दूसरे सहःस्वामी को अन्तरित करता है; या

(दो) कोई लिखत जिसके द्वारा कोई भागीदार, भागीदारी कारबार की सम्पत्ति में अपने अंश को दूसरे भागीदार या अन्य भागीदारों को, चाहे पृथक रूप से या संयुक्त रूप से, सेवानिवृत्ति या विघटन पर अन्य कारबार या आस्तियों के अन्तरण के साथ अन्तरित करता है या जिसके द्वारा वह किसी सम्पत्ति में अपने अधिकार और हक या हित के अन्तरण द्वारा भागीदारी फर्म की पूंजी में अंशदान करता है।

(तीन) कोई लिखत जिसके द्वारा किसी निगमित कम्पनी या निगमित निकाय की सम्पत्ति उसके साधारण अंशों के अन्तरण द्वारा दूसरी निगमित कम्पनी या निगमित निकाय या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अन्तरित की जाती है;

(नौ) " **सम्यक् रूप से स्टाम्पित**"– से जबकि वह किसी लिखत के बारे में प्रयुक्त है, यह तात्पर्य है कि समुचित राशि से अन्यून राशि का आसंजक या छापित स्टाम्प, उस लिखत पर लगा हुआ है, और यह कि ऐसा स्टाम्प राज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार लगाया गया है या उपयोग में लाया गया है,

(दस) **"निष्पादित" और "निष्पादन"** का तात्पर्य जब उसका प्रयोग लिखतों के सम्बन्ध में किया गया हो, "हस्ताक्षरित"' और "हस्ताक्षर" से है ;

स्पष्टीकरण– पद "हस्ताक्षरित" और "हस्ताक्षर" का वही तात्पर्य होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) की धारा 11 इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का विचार में प्राविधानित है।

(ग्यारह) " **सरकारी प्रतिभूति** " का तात्पर्य लोक ऋण अधिनियम, 1944 (अधिनियम संख्या 18 सन,1944) में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूति से है,

(बारह) "**अचल सम्पत्ति**" में भूमि ,भवन, आनुवांशिक भत्ता, मार्ग का अधिकार, प्रकाश, नौघाट, मत्स्य पालन या भूमि से उत्पन्न कोई अन्य लाभ या पृथ्वी से संलग्न वस्तुएं या पृथ्वी से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप में बंधी हुई लेकिन इसके अन्तर्गत काष्ठ, उगती हुई फसल या घास, वृक्षों के फल या उनके रस या किसी न्यास सम्पत्ति में लाभार्थी का लाभकारी हित सम्मिलित नहीं है।

(तेरह) " **छापित स्टाम्प**" – के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :–

(क) समुचित अधिकारी द्वारा लगाये गये और छापित लेबल, और

(ख) स्टाम्पित कागज पर समुदभृत या उत्कीर्ण स्टाम्प,

(ग) फ्रेंकिंग मशीन, ई-स्टाम्पित या किसी अन्य ऐसी मशीन से छाप जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे या

(घ) गजट में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण या व्यक्ति द्वारा कोई चिन्ह, सील या पृष्ठांकन।

(चौदह) " **लिखत**"– के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (न) में यथा परिभाषित किसी इलेक्ट्रानिक स्टोरेज और रिट्रीवल डिवाइस, मीडिया या इलेक्ट्रानिक रिकार्ड द्वारा सृष्ट या अनुरक्षित प्रत्येक दस्तावेज और अभिलेख भी है, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व, सृष्ट, अन्तरित, सीमित, विस्तारित, निहित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है, लेकिन उसमें विनिमय पत्र, चेक, वचनपत्र, बिल आफ लेडिंग, प्रत्यय पत्र, बीमा पालिसी, शेयर का अन्तरण, डिबेन्चर, प्राक्सी और रसीद सम्मिलित नहीं हैं ;

(पन्द्रह) " **दान की लिखत**"– के अन्तर्गत कोई मौखिक दान देने या स्वीकार करने के लिये कोई लिखत भी है, चाहे वह घोषणा के रूप में हो या अन्यथा हो ,

(सोलह) " **विभाजन की लिखत**"– का तात्पर्य ऐसी लिखत से है, जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के सहस्वामी किसी सम्पत्ति को अलग-अलग विभाजित करते हैं या ऐसी सम्पत्ति को विभाजित करने का करार करते हैं , और इसके अन्तर्गत–

(क) किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा विभाजन करने के लिये पारित किया गया अन्तिम आदेश है;

(ख) किसी मध्यस्थ द्वारा विभाजन का निदेश करने वाला पंचाट है; और

(ग) जब ऐसी किसी लिखत को निष्पादित किये बिना कोई विभाजन किया गया हो तो सहस्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित और सहस्वामियों के मध्य ऐसे विभाजन की शर्तों को अभिलिखित, चाहे ऐसा विभाजन घोषणा के रूप में हो या अन्यथा, करने वाली कोई लिखत या लिखतें।

(सत्रह) " **पट्टा**"– का तात्पर्य चल या अचल सम्पत्ति के पट्टे से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है:–

(क) पट्टा :

(ख) किसी स्थावर सम्पत्ति पर खेती करने, उस पर अधिभोग रखने या उसके लिये भाटक का संदाय या परिदान करने के लिये कोई कबूलियत या कोई अन्य लिखित वचनबन्ध जो पट्टे का प्रतिलेख नहीं है,

(ग) कोई लिखत जिसके द्वारा किसी प्रकार के पथ-कर पट्टे पर उठाये जाते हैं,

(घ) पट्टे के लिये आवेदन पर कोई लेखन, जिससे यह संज्ञापित करना आशयित हो कि आवेदन स्वीकृत किया गया है,

(ङ) कोई लिखत, जिसके द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 3 के खण्ड (ङ) में यथापरिभाषित गौण खनिजों के सम्बन्ध में खनन पट्टा स्वीकृत किया जाय।

(च) पट्टा के सम्बन्ध में किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की प्रत्येक डिक्री या अन्तिम आदेश,

(अठारह) "**विपण्य प्रतिभूति** " का तात्पर्य इस प्रकार की प्रतिभूति से है जो भारत के किसी भी स्टाक बाजार में बेचे जाने के योग्य है।

(उन्नीस) " **बाजार मूल्य**" सम्पत्ति के बाजार मूल्य का तात्पर्य कलेक्टर द्वारा नियत दरों के आधार पर यथा अवधारित मूल्य या लिखत में दी गयी प्रतिफल, जो भी उच्चतर हों, से है,

"शेयरों के बाजार मूल्य" के लिए अनुच्छेद 24 (ङ) के स्पष्टीकरण (2) को देखें।

(बीस) " **बन्धक विलेख**" के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक लिखत है जिसके द्वारा इस प्रयोजन से कि उधार के तौर पर दी गयी या दी जाने वाली धनराशि को या किसी वर्तमान या भावी ऋण को या किसी वचनबन्ध का पालन किये जाने को प्रतिभूत किया जाये या कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर या तद्विषयक कोई अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को या उसके पक्ष में अन्तरित या सृजित करता है,

(इक्कीस) "**कागज** " के अन्तर्गत नकली चमड़ा, कागज या कोई अन्य सामग्री है जिस पर कोई लिखत लिखी जा सकती है,

(बाईस) "**मुख्तारनामा**" के अन्तर्गत (तत्समय प्रवृत्त न्यायालय–फीस से सम्बन्धित विधि के अधीन किसी फीस से प्रभार्य न होने वाली) ऐसी लिखत है, जो उसे निष्पादित करने वाले व्यक्ति की ओर से उसके नाम से कार्य करने के लिये किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को सशक्त करती है,

(तेईस) "**लोक आफिसर**" का तात्पर्य सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) की धारा 2 के खण्ड (17) में यथापरिभाषित लोक आफिसर से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संगठनों में से किसी के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्यरत प्रत्येक आफिसर भी है, अर्थात्–

(क) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम, के अधीन गठित कोई सांविधिक निकाय या प्राधिकरण ;

(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम,1965 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) की धारा 2 के खण्ड (ट) में यथापरिभाषित कोई "वित्त पोषक बैंक" या "केन्द्रीय बैंक"।

(चौबीस) "**व्यवस्थापन**" का तात्पर्य किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का किसी लिखित अवसीयती व्ययन से है, जो –

(क) विवाह के प्रतिफल के लिये किया गया है;

(ख) व्यवस्थापक की सम्पत्ति की उसके कुटुम्ब के या उन व्यक्तियों के बीच, जिनके लिये वह व्यवस्था करना चाहता है, वितरित करने के प्रयोजन के लिये या उस पर आश्रित व्यक्ति के लिये व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिये किया गया है; या

(ग) धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिये किया गया है,

और इसके अन्तर्गत ऐसा व्ययन करने के लिये कोई लिखित करार है और जहां कि कोई ऐसा व्ययन लिखित में नहीं किया गया है, वहां किसी ऐसे व्ययन के निबन्धनों को चाहे वह न्यास की घोषणा के तौर पर या अन्य प्रकार का हो, अभिलिखित करने वाली कोई लिखत है।

(पच्चीस) "**अनुसूची** " का तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची से है,

(छब्बीस) " **सैनिक**" के अन्तर्गत गैर कमीशन्ड आफिसर से निम्न रैंक का कोई व्यक्ति है जो आर्मी ऐक्ट, 1950 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1950) के अधीन अभ्याविष्ट हो।

(सत्ताईस) " **स्टाम्प**" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रभारणीय शुल्क के प्रयोजनों के लिये किसी ऐसे अभिकरण या व्यक्ति द्वारा लगाये गये किसी चिन्ह, मुहर या पृष्ठांकन से है जिसे राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया है तथा इसमें आसंजक (चिपकने वाला) या विमुद्रित स्टाम्प भी सम्मिलित है।

(अट्ठाईस) "सामान्य रोल" एवं "राज्य रोल" शब्द का अर्थ अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 25 सन् 1961) में समनुदेशित के अनुसार होगा।

(उन्तीस) इस अधिनियम में अपरिभाषित किन्तु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) में परिभाषित शब्द और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये 1899 के उक्त अधिनियम में समनुदेशित है।

अध्याय– 2

स्टाम्प शुल्क

(क) लिखतों का शुल्क के बारे में दायित्व

शुल्क से प्रभार्य लिखतें

3–इस अधिनियम के उपबन्धों और अनुसूची में अन्तर्विष्ट छूटों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित लिखतें ऐसी धनराशि के शुल्क से प्रभार्य होगी जो अनुसूची में क्रमशः उनके लिये उचित शुल्क के रूप में उपदर्शित की गई है, अर्थातः–

(क) अनुसूची में वर्णित प्रत्येक लिखत जो किसी व्यक्ति द्वारा पहले ही निष्पादित नहीं की गई है बल्कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात राज्य में निष्पादित की गई है।

(ख) (विनिमय-पत्र या वचन-पत्र से भिन्न) ऐसी प्रत्येक लिखत, जो अनुसूची में बर्णित है, और जो किसी व्यक्ति द्वारा पहले ही निष्पादित नहीं की गई है बल्कि धारा 23 के अधीन राज्य के बाहर निष्पादित की जाती है :

परन्तु इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और इस धारा के खण्ड (क) और (ख) या अनुसूची में किसी वस्तु के अन्तर्विष्ट होते हुए भी निम्नलिखित लिखत अनुसूची में अन्तर्विष्ट छूट के अध्यधीन, उसके लिये यथास्थिति उचित शुल्क के रूप में अनुसूची में निर्देशित धनराशि के शुल्क से प्रभार्य होगी, अर्थातः–

(क) अनुसूची में वर्णित प्रत्येक लिखत, जो पहले किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित न किया गया हो, उत्तर प्रदेश में निष्पादित किया गया था–

(एक) अनुसूची में वर्णित लिखतों के मामले में उस दिनांक पर या उसके पश्चात् जिस पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1948 प्रवर्तन में आया हो, और

(दो) अनुसूची में वर्णित लिखतों के मामले में उस दिनांक पर या उसके पश्चात्, जिस पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1952 प्रवर्तित हुआ हो,

(ख) अनुसूची में वर्णित प्रत्येक लिखत, जो पहले किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित न किया गया हो, उत्तर प्रदेश के बाहर निष्पादित किया गया हो–

(एक) अनुसूची में वर्णित लिखतों के मामले में उस दिनांक पर या उसके पश्चात जिस पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1948 प्रवर्तन में आया हो, और

(दो) अनुसूची में वर्णित लिखतों के मामले में उस दिनांक पर या उसके पश्चात जिस पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1952 प्रवर्तित होता है और उत्तर प्रदेश में किये जाने वाले या किये गये मामलों या वस्तुओं या उत्तर प्रदेश में स्थित किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित है और उत्तर प्रदेश में अभिप्राप्त किया जाता है :

परन्तु यह भी कि कोई भी शुल्क निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रभार्य न होगा:–

(1) सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित किसी लिखत पर, उस दशाओं में जिनमें , छूट के अभाव में, सरकार ऐसी लिखत के अन्तर्गत प्रभार्य शुल्क देने के लिये दायी होती ।

(2) कोई लिखत जो पश्चात्वर्ती अधिनियमों द्वारा यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम,1958 (अधिनियम संख्या 44 सन् 1958) या बाम्बे कोस्टिंग वैसिल्स ऐक्ट, 1838 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1838) या इण्डियन रजिस्ट्रेशन आफ शिप्स ऐक्ट, 1841, (अधिनियम संख्या 10 सन् 1841) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या जलयान के, अथवा किसी पोत या जलयान के किसी भाग, हित, अंश या सम्पत्ति चाहे आत्यन्तिकतः या बन्धक द्वारा या अन्यथा, विक्रय अन्तरण या अन्य व्ययन के लिये हो।

(3) किसी ऐसे लिखत पर जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विकासकर्ता , या "इकाई" के द्वारा या की ओर से या के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

स्पष्टीकरण

(1) इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये पद " **विकासकर्ता**" "**विशेष आर्थिक क्षेत्र**" और "**इकाई**" का क्रमशः वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 28 सन् 2005) की धारा 2 के खण्ड (छ) ,(यक) और (यग) में उनके लिये समनुदेशित है।

(2) जहां अनुसूची में विहित शुल्क की धनराशि में दस रुपये का कोई भाग हो तो समुचित शुल्क की धनराशि दस रुपये के अगले उच्चतर गुणांक में पूर्णांकित धनराशि होगी जैसा उक्त अनुसूची में एतदपश्चात आया है।

किसी एकल संव्यवहार में प्रयोग में लाई गई कई लिखतें

4–(1) जहां किसी एकल संव्यवहार को पूरा करने के लिए कई लिखतें प्रयोग की जाती है, वहां केवल मूल लिखत ही उक्त के लिये अनुसूची में विहित शुल्क से प्रभार्य होगी और अन्य लिखतों में से प्रत्येक उसके लिए उस अनुसूची में विहित शुल्क (यदि कोई हो) की बजाय एक सौ रुपये के शुल्क से प्रभार्य होगी;

(2) पक्षकार अपने आप यह अवधारित कर सकेंगे कि इस प्रकार प्रयोग में लाई गई लिखतों में से कौन सी लिखत उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए मूल लिखत समझी जायेगी :

परन्तु इस प्रकार अवधारित की गई लिखत पर प्रभार्य शुल्क ऐसा अधिकतम शुल्क होगा जो प्रयोग में लाई गई उक्त लिखतों में से किसी की बाबत प्रभार्य है।

कई सुभिन्न मामलों से सम्बन्धित लिखतें

5–कई सुभिन्न मामले समाविष्ट करने वाली या उनसे सम्बन्धित कोई लिखत ऐसे शुल्कों के योग की धनराशि से प्रभार्य होगी जिससे ऐसे विषय को समाविष्ट करने वाली या उनसे सम्बन्धित पृथक-पृथक लिखतें, इस अधिनियम में, हर एक के अधीन प्रभार्य होतीं।

अनुसूची में विभिन्न वर्णनों में आने वाली लिखतें

6–धारा 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जहां इस प्रकार विरचित कोई लिखत, अनुसूची के दो या अधिक वर्णनों में आती है, वहां यदि उसके अधीन प्रभार्य शुल्क भिन्न-भिन्न हैं, तो ऐसे शुल्कों में से केवल अधिकतम शुल्क से ही वह प्रभार्य होगी :

परन्तु इस अधिनियम की कोई भी बात, शुल्क से प्रभार्य किसी भी लिखत के प्रतिलेख या द्वितीय प्रति को जिसकी बाबत उचित शुल्क संदत्त किया जा चुका है पचास रुपये से अधिक शुल्क से प्रभार्य नहीं बनायेगी जब तक वह धारा 6 के उपबन्ध के अन्तर्गत नहीं आता।

प्रतिलिपि, प्रतिलेख या द्वितीय प्रति पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प शुल्क का भुगतान यदि वह शुल्क मुख्य या मूल लिखत पर अदा नहीं किया गया है

7–(1) धारा 4 या 6 में या किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी वस्तु के होते हुए भी जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि –

(क) मुख्य या मूल लिखत पर, जैसी भी स्थिति हो, या

(ख) इस धारा के प्राविधानों के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क अदा नहीं कर दिया गया है तब तक मुख्य लिखत के अतिरिक्त संव्यवहार को पूर्ण करने के लिये काम में लायी गयी विभिन्न लिखतों में से किसी भी एक लिखत पर या किसी की प्रतिलिपि, प्रतिलेख या द्वितीय प्रति पर प्रभार्य शुल्क, यदि मुख्य या मूल लिखत, उत्तर प्रदेश में प्राप्त किये जाने पर, इस अधिनियम के अधीन शुल्क के उच्चतर दर से प्रभार्य होती, वह शुल्क होगा जो मुख्य या मूल लिखत पर धारा 24 के अधीन प्रभारित किया जाता।

(2) जहां कोई लिखत उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त भारत के किसी भाग में पंजीकृत हो और लिखत पूर्ण या आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति से सम्बन्धित हो, वहां ऐसे लिखत की प्रतिलिपि, जब उत्तर प्रदेश मे अभिप्राप्त हो, उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति के मूल्य या प्रतिफल की सीमा तक और के अनुपात में धारा 24 के अधीन मुख्य लिखत की भांति स्टाम्प शुल्क के अन्तर से प्रभारित होने के लिये दायी होगा और मूल प्रतिलिपि पर स्टाम्प शुल्क अदा करने के लिये दायी पक्षकार, पंजीकरण अधिकारी से सूचना प्राप्त करने पर अनुमन्य समय में शुल्क में अन्तर का भुगतान करेगा।

(3) किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत, प्रतिलेख, द्वितीय प्रति या प्रतिलिपि उचित रूप में स्टाम्पित रूप से साक्ष्य में तब तक प्राप्त नहीं किया जायेगा जब तक कि इस धारा के अधीन उस पर प्रभार्य शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु कोई न्यायालय, जिसके समक्ष ऐसा कोई लिखत, प्रतिलेख, द्वितीय प्रति या प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाता है, स्वविवेकानुसार इस धारा के अधीन उस पर प्रभार्य शुल्क का भुगतान किये जाने के लिये अनुज्ञा दे सकेगा और तब साक्ष्य में प्राप्त कर सकेगा।

उधार पर निर्गमित बन्ध-पत्र डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियाँ

8–(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी डिबेन्चर से भिन्न बन्ध-पत्रों या प्रतिभूतियों को निर्गमित करके स्थानीय प्राधिकरण उधार अधिनियम, 1914 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1914) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन उधार लेने वाला कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे उधार के सम्बन्ध में अपने द्वारा निर्गमित बन्ध-पत्रों या डिबेन्चर की कुल धनराशि पर दो प्रतिशत शुल्क से प्रभार्य होगा और ऐसे बन्ध-पत्रों या प्रतिभूतियों को स्टाम्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी और नवीनीकरण, समेकन, उपखण्डीकरण पर या अन्यथा वे किसी अतिरिक्त शुल्क से प्रभार्य नहीं होंगे।

(2) कतिपय बन्ध-पत्रों या डिबेंचर से भिन्न प्रतिभूतियों को स्टाम्पित किये जाने से किसी अतिरिक्त शुल्क से प्रभार्य होने से छूट देने वाली उपधारा (1) के उपबन्ध, उसमें वर्णित सभी प्रकार के बकाया उधार विषयक बन्धपत्रों या प्रतिभूतियों पर लागू होंगे और ऐसे सभी बन्ध-पत्र या प्रतिभूतियां चाहे वह स्टाम्पित हों, या न हों, विधिमान्य होंगी;

(3) इस धारा द्वारा अपेक्षित शुल्क अदा करने में जानबूझकर उपेक्षा करने की दशा में, स्थानीय प्राधिकारी संदेय शुल्क की रकम पर दस प्रतिशत की धनराशि के बराबर राशि राज्य सरकार को समपहृत करने का दायी होगा और ऐसे प्रथम मास के पश्चात् प्रत्येक मास जिसके दौरान उपेक्षा चलती रहें, समान शास्ति का दायी होगा।

निक्षेपागार में व्यवहृत प्रतिभूतियां स्टाम्प शुल्क की दायी नहीं होगी

9–इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी–

(क) कोई निर्गतकर्ता किसी एक अथवा अनेक निक्षेपकर्ता के पक्ष में प्रतिभूति जारी करता है तो उसके द्वारा निर्गमित ऐसे निर्गम के सम्बन्ध में प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि पर शुल्क से प्रभार्य होगा तथा ऐसी प्रतिभूतियों को स्टाम्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) जब कोई निर्गतकर्ता निक्षेप अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 22 सन् 1996) की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रतिभूति का प्रमाण-पत्र जारी करता है तो ऐसे प्रमाण-पत्र पर, वही शुल्क देय होगा जो इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि जारी करने पर देय होता है,

(ग) (एक) किसी व्यक्ति से किसी निक्षेपागार को या किसी निक्षेपागार से किसी लाभग्राही स्वामी को प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रीकृत स्वामित्व का,

(दो) किसी निक्षेपागार द्वारा व्यवहृत, प्रतिभूतियों के लाभग्राही स्वामित्व का ;

(तीन) किसी निक्षेपागार द्वारा व्यवहृत यूनिटों के लाभग्राही स्वामित्व का, जब ऐसे यूनिट किसी म्यूचुअल फन्ड के ऐसे यूनिट हों, जिनके अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963, (अधिनियम संख्या 52 सन् 1963) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट भी हैं–

अन्तरण इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन शुल्क के लिये दायी नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 1– इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "लाभदायी स्वामी", "निक्षेपकर्ता" तथा "निर्गतकर्ता" का वही अर्थ होगा जो निक्षेपकर्ता अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 22 सन् 1996) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ड.) और (च) में उनके लिए कमशः समनुदेशित हैं।

स्पष्टीकरण 2 – इस धारा के प्रयोजन के लिये पद "**प्रतिभूतियों**" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 42 सन् 1956) की धारा 2 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) में उसके लिए समनुदेशित है।

निगमितीकरण और पुनर्रचनाकरण योजना तथा उससे सम्बन्धित लिखत शुल्क का दायी नही होगी

10–इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी,–

(क) निगमितीकरण या पुनर्रचनाकरण योजना या दोनों जिसे स्टाक एक्सचेन्ज (शेयर बाजार) द्वारा मान्य किया गया है; या

(ख) कोई ऐसा लिखत, जिसमें, योजना के अनुसरण में स्टाक एक्सचेन्ज द्वारा मान्य निगमितीकरण या पुनर्रचनाकरण या दोनों, के प्रयोजन के लिये या के सम्बन्ध में, किसी सम्पत्ति, कारबार, सम्पदा, चाहे चल हो या अचल, संविदा, अधिकार, दायित्व और बाध्यता के अन्तरण का या से सम्बन्धित लिखत सम्मिलित है,

जैसा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 42 सन् 1956) की धारा 4-ख की उपधारा (2) के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनियम परिषद् द्वारा अनुमोदित है, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शुल्क का दायी नहीं होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिये–

(क) पद "**निगमितीकरण**", "**पुनर्रचनाकरण**" तथा "**योजना**" का वही अर्थ होगा, जैसा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 42 सन् 1956) की धारा 2 के खण्ड (कक), (कख), तथा (छक), में उनके लिए समनुदेशित है।

(ख) "**भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम परिषद**" का तात्पर्य प्रतिभूति तथा विनियम परिषद् अधिनियम, 1992 (अधिनियम संख्या 15 सन् 1992) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम परिषद् से है।

परक्राम्य भांडागार प्राप्तियों पर स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगी

11–इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी परक्राम्य भांडागार प्राप्तियों पर स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा।

शुल्कों को कम करने, उससे छूट देने या उसका प्रशासन करने की शक्ति

12–जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हैं तो गजट में प्रकाशित नियम या आदेश द्वारा–

(क) राज्य के सम्पूर्ण या किसी भाग में, ऐसे शुल्क को भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से कम कर सकेगी या उससे छूट दे सकेगी जिससे कोई लिखतें, जब ऐसे विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों द्वारा या उनके पक्ष में या ऐसे वर्ग के किन्हीं सदस्यों द्वारा या उनके पक्ष में निष्पादित की जायें, प्रभार्य हों, और

(ख) किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगम निकाय द्वारा निर्धारित डिबेंचर से भिन्न, बन्ध-पत्र या अन्य विपण्य प्रतिभूतियों तथा अंतरण (जब अन्तरिती अकेला हो चाहे वह निगमित हो या नहीं) की दशा में शुल्कों के प्रशमन या समेकन के लिए उपलब्ध कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करने या उसमें कमी करने के दौरान शर्तें अधिरोपित करने की शक्ति होगी :

परन्तु यह और कि स्टाम्प शुल्क में कमी करने या उसमें छूट प्रदान करने के नियम या आदेश में अधिरोपित शर्तों के भंग होने की स्थिति में कलेक्टर को यह शक्ति होगी कि वह सम्बन्धित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात ऐसे लिखत, जिसपर स्टाम्प शुल्क में इस प्रकार छूट प्रदान किया गया हो या उसमें कटौती की गयी हो, के निष्पादन के दिनांक से एक माह या उसके आंशिक भाग के लिए एक प्रतिशत के ब्याज के साथ इस प्रकार छूट प्राप्त या कम किये गये स्टाम्प शुल्क की वसूली करें।

ख – स्टाम्प और उसके उपयोग की रीति

शुल्क कैसे दिये जायेंगे

13–(1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सभी शुल्क, जिनसे कोई लिखतें प्रभार्य हैं, सन्दत्त किये जायेंगे और ऐसा सन्दाय ऐसे लिखतों पर स्टाम्पों द्वारा उपदर्शित किया जायेगा।

(क) इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार; या

(ख) जहां किसी मामले में ऐसा कोई उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार।

(2)–उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियम, अन्य विषयों के साथ-साथ,–

(क) उन स्टाम्पों का वर्णन जो हर एक प्रकार की लिखत की दशा में उपयोग में लाये जा सकेंगे।

(ख) छपे हुये स्टाम्पों से स्टाम्पित लिखतों की दशा में, उन स्टाम्पों की संख्या, जो उपयोग में लाये जा सकेंगे;

(3) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये राज्य सरकार इस निमित्त लिखतों पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान को अंकित करने के लिये स्टाम्प पर फ्रैकिंग छाप, स्टाम्प चिन्ह, मुहर या पृष्ठांकन के लिये मशीन के प्रयोग के लिये किसी व्यक्ति, निकाय या संगठन को प्राधिकृत कर सकती है।

कतिपय मामलों में नकद रूप में, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या भुगतान आदेश द्वारा स्टाम्प शुल्क का भुगतान

14–(1) धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी किसी लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान नकद रूप में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या भुगतान आदेश द्वारा या कोषागार बैंक या कोषागार में चालान द्वारा भी किया जा सकेगा, जिस पर इस निमित्त अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा सशक्त किसी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। इस प्रकार सशक्त अधिकारी ऐसे चालान के प्रस्तुत किये गये शुल्क की धनराशि की लिखत पर पृष्ठांकन द्वारा यथाविहित रीति से प्रमाणित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी लिखत पर किये गये पृष्ठांकन का वही प्रभाव होगा मानो पृष्ठांकन में वर्णित राशि के समान राशि का शुल्क उसके सम्बन्ध में अदा किया गया है और ऐसी अदायगी धारा 13 के अपेक्षा के अनुसार स्टाम्प के द्वारा ऐसे लिखत पर निर्देशित की गयी है।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, पद "डिमांड ड्राफ्ट" या "भुगतान आदेश द्वारा" का तात्पर्य ऐसे डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश से है जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 23 सन् 1955) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1970) की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 40 सन् 1980) की धारा 3 के अधीन गठित तत्समान किसी नए बैंक द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) की धारा 2 के खण्ड (ड) में यथापरिभाषित किसी अन्य अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया है।

स्टाक एक्सचेंज और संगम द्वारा व्यापारकर्ता सदस्य के खाते से स्टाम्प शुल्क की कटौती किया जाना

15–इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी स्टाक एक्सचेंज या किसी संगम के माध्यम से संव्यवहार की दशा में, जैसा कि अग्रिम संविदा (विनियम) अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 74 सन् 1952) की धारा 2 के खण्ड (क) में परिभाषित है, यथास्थिति, स्टाक एक्सचेंज या संगम ऐसे संव्यवहार के निपटान के समय व्यापारकर्ता सदस्य के खाते से स्टाम्प शुल्क की कटौती करके उसका संग्रह कर लेंगे। इस प्रकार संगृहीत शुल्कों को स्टाम्प आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से किसी सरकारी कोषागार, उपकोषागार, भारतीय स्टेट बैंक के सरकारी कारबार शाखा या इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य बैंक में अन्तरित कर दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "**स्टाक एक्सचेंज**" का तात्पर्य प्रतिभूति संविदा (विनिमय) अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 42 सन् 1956) की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में यथापरिभाषित स्टाक एक्सचेंज से है।

चिपकने वाले स्टाम्पों का उपयोग

16–निम्नलिखित लिखतें चिपकने वाले स्टाम्पों से स्टाम्पित की जा सकेगी, अर्थात्:–

(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 25 सन् 1961) की धारा 22 के अधीन राज्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया नामांकन प्रमाण-पत्र

(ख) नोटरी कार्य; और

(ग) किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय के शेयरों के पृष्ठांकन द्वारा अंतरण।

चिपकने वाले स्टाम्प का रद्दकरण

17–(1) जो कोई शुल्क से प्रभार्य किसी ऐसी लिखत पर जो किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित की गई है, कोई चिपकने वाला स्टाम्प लगाता है, वह ऐसा स्टाम्प लगाते हुये, उसे काट देगा जिससे वह पुनः उपयोग में न लाया जा सके, और

(2) जो कोई किसी कागज पर जिस पर चिपकने वाला स्टाम्प लगा है, कोई लिखत निष्पादित करता है, वह निष्पादन के समय, यदि ऐसा स्टाम्प उपर्युक्त रीति से पहले ही काट न दिया गया हो, उसे काट देगा जिससे वह पुनः उपयोग में न लाया जा सकें।

(3) किसी भी ऐसी लिखत की जिस पर चिपकने वाला स्टाम्प लगा हुआ है और जो ऐसे काटा नहीं गया है कि पुनः उपयोग में न लाया जा सके, जहां तक स्टाम्प का सम्बन्ध है, यह समझा जायेगा कि वह स्टाम्पित नहीं है।

(4) वह व्यक्ति जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन चिपकने वाले स्टाम्प को काटना अपेक्षित है वह उस पर या उसके आर–पार अपना नाम या आद्यक्षर लिखकर या अपनी फर्म का नाम या आद्यक्षर लिखने की सही तारीख लिखकर या किसी और प्रभावी प्रकार से उसे काट सकेगा।

छापित स्टाम्प लगी हुई लिखतें कैसे लिखी जायेंगी

18–प्रत्येक ऐसी लिखत जो ऐसे कागज पर लिखी है जिस पर छपा हुआ स्टाम्प लगा हो, ऐसी रीति से लिखी जायेगी कि लिखत के सामने के भाग पर स्टाम्प दिखाई दे और वह किसी अन्य लिखत के लिये उपयोग में नहीं लाया जा सके या अन्य लिखत पर लगाया नहीं जा सके।

एक स्टाम्प पर केवल एक ही लिखत रहेगी

19–किसी भी ऐसे छापित कागज पर जिस पर शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत पहले ही लिखी जा चुकी है, शुल्क से प्रभार्य कोई भी दूसरी लिखत नहीं लिखी जायेगी :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे पृष्ठांकन को जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित है, या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, किसी लिखत पर उसके द्वारा सृजित या साक्ष्यित किसी अधिकार का अन्तरण करने के या कोई धनराशि या माल की, जिसका चुकाया जाना या परिदान उसके द्वारा प्रतिभूत है, प्राप्ति की अभिस्वीकृति के प्रयोजन के लिये किया जाना निवारित नहीं करेगी।

धारा 18 या 19 के प्रतिकूल लिखी गई लिखत अस्टाम्पित समझी जायेगी

20—धारा 18 या धारा 19 के उल्लंघन में लिखी गई हर लिखत की बाबत यह समझा जायेगा कि वह बिना स्टाम्प के है।

शुल्क द्योतक करना

21—जहां किसी शुल्क की मात्रा जिससे कोई लिखत प्रभार्य है या उसकी शुल्क से छूट किसी भी रीति से उस शुल्क पर निर्भर है जो किसी अन्य लिखत, चाहे वह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, की बाबत वस्तुतः दिया गया है, वहां ऐसी अन्तिम वर्णित शुल्क उस दशा में जिसमें कि उस प्रयोजन के लिये कलेक्टर को लिखत रूप में आवेदन किया गया है दोनों ही लिखतों के प्रस्तुत किये जाने पर, कलेक्टर के हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन द्वारा या ऐसी अन्य रीति से (यदि कोई हो), जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा विहित करे, ऐसी प्रथम वर्णित लिखत पर द्योतित किया जायेगा।

राज्य में निष्पादित की गई लिखतें

22—शुल्क से प्रभार्य और उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित सभी लिखतें निष्पादन किये जाने के पूर्व या उसी समय स्टाम्पित की जायेगी।

विनिमय-पत्रों और वचन-पत्रों से भिन्न लिखतें जो उत्तर प्रदेश के बाहर निष्पादित की गई हैं

23—(1) शुल्क से प्रभार्य हर लिखत, जो केवल उत्तर प्रदेश के बाहर निष्पादित की गई है और जो विनियम-पत्र या वचन पत्र नहीं है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार उसके प्राप्त होने के तीन मास के भीतर स्टाम्पित की जायेगी।

(2) जहां कि कोई ऐसी लिखत जिसके लिये विहित वर्णन के स्टाम्प से किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं की जा सकती, वहां वह उक्त तीन मास की कालावधि के भीतर कलेक्टर के समक्ष लाई जायेगी, जो उसे ऐसे मूल्य के स्टाम्प से, जैसा ऐसी लिखत को लाने वाला व्यक्ति अपेक्षित करे और लेखे की अदायगी करे, ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार नियम द्वारा विहित करे, स्टाम्पित करेगा।

धारा 3 के खण्ड (ख) और खण्ड (घ) के अधीन उत्तर प्रदेश में शुल्क को बढ़ाने के लिये दायी निश्चित लिखतों पर शुल्क की अदायगी

24—जहां इस अधिनियम के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य कानून के अधीन उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किसी राज्य में कोई लिखत शुल्क से प्रभार्य हो गया है और तत्पश्चात् धारा 3 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन उत्तर प्रदेश में शुल्क के उच्चतर दर से प्रभार्य होता है, तब—

(एक) धारा 3 के प्रथम परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी ऐसे लिखत पर प्रभार्य शुल्क की राशि अनुसूची के अधीन इस पर प्रभार्य राशि, ऐसे राज्यों में इस पर पहले अदा किये गये, यदि कोई हो, शुल्क की राशि से कम करके होगी, और

(दो) उसके लिये पहले से चिपकाये गये, यदि कोई हो, स्टाम्पों के अतिरिक्त, ऐसे लिखत खण्ड (1) के अधीन उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि की अदायगी के लिये आवश्यक स्टाम्पों से उसी ढंग से और उस समय पर और उसी व्यक्ति द्वारा स्टाम्प किया जायेगा जैसे कि ऐसे लिखत उस समय पर, जब उच्चतर शुल्क से प्रभार्य हुआ हो, प्रथम बार राज्य में अभिप्राप्त लिखत हो।

घ–शुल्क के लिए मूल्यांकन

विदेशी करेंसी में अभिव्यक्त राशि का संपरिवर्तन

25–(1) जहां कि कोई लिखत भारत की करेंसी से भिन्न किसी करेंसी में अभिव्यक्त किसी धनराशि लेख मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है, वहां ऐसे शुल्क का परिकलन उस धनराशि के मूल्य पर किया जायेगा जो लिखत के दिनांक को प्रचलित विनियम दर के अनुसार उसका भारत की करेंसी में है।

(2) ब्रिटिश या किसी विदेशी करेंसी को भारत की करेंसी में संपरिवर्तन करने के लिये विनियम की दर जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन विहित है, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विद्यमान दर समझी जायेगी।

स्टाक और विपण्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन कैसे किया जायेगा

26–जहां कि कोई लिखत किसी स्टाक या किसी विपण्य या अन्य प्रतिभूति की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है, वहां ऐसे शुल्क का परिकलन ऐसे स्टाक या प्रतिभूति के उस मूल्य पर किया जायेगा, जो लिखत की तारीख के दिन उसकी औसत कीमत या मूल्य के बराबर हैं।

विनिमय दर विपण्य या औसत कीमत विषयक विवरण का प्रभाव

27–जहां कि प्रचलित विनिमय दर या औसत कीमत का विवरण जैसी भी स्थिति अपेक्षित हो, किसी लिखत में है और ऐसे विवरण के अनुसार वह वहां स्टाम्पित है जहां तक कि ऐसे विवरण की विषय–वस्तु का सम्बन्ध है, उसके बारे में यह उपधारण की जायेगी कि वह सम्यक रूप से स्टाम्पित है, जबकि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है।

वे लिखतें जिनमें ब्याज के लिये उपबन्ध है

28–जहां कि किसी लिखत के नियन्धनों के अनुसार ब्याज अभिव्यक्त रूप से देय है, वहां ऐसी लिखत उस शुल्क से अधिक शुल्क से प्रभार्य नहीं होगी जिससे तब प्रभार्य होती जबकि उसमें ब्याज का वर्णन नहीं किया गया होता।

विपण्य प्रतिभूतियों के बन्धकों से सम्बन्धित कतिपय लिखतों का करार के रुप में प्रभार्य होना

29–(1) जहां कि कोई लिखत (जो वचन–पत्र या विनिमय–पत्र नहीं है)–

(क) उधार के रूप में अग्रिम दी गई या अग्रिम दी जाने वाली धनराशि के लिये अथवा किसी विद्यमान या भविष्य ऋण के लिये प्रतिभूति के रूप में विपण्य प्रतिभूति का निक्षेप किये जाने के समय दी गई है, या

(ख) किसी विपण्य प्रतिभूति के सम्यक रूप से स्टाम्पित अन्तरण को, जो प्रतिभूति के रूप में आशयित मोचनीय बनाती है या परिसीमित करती है, वहां वह शुल्क से ऐसे प्रभार्य होगी मानो वह अनुसूची के अनुच्छेद संख्या 5 के खण्ड (1) के अधीन शुल्क से प्रभार्य कोई करार या करार का ज्ञापन हो।

(2) किसी ऐसी लिखत की निर्मुक्ति या उन्मोचन केवल वैसे ही शुल्क से प्रभार्य होगा।

किस ऋण के प्रतिफलस्वरुप अथवा भविष्य में सदाय की शर्त करने वाले अंतरण आदि किस प्रकार प्रभारित किये जायेंगे

30–जहां कि कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को, उसे शोध्य ऋण के पूर्णतः या भागतः प्रतिफल के लिये या किसी धनराशि या स्टाक की निश्चित या समाश्रित संदाय के अध्यधीन चाहे वह सम्पत्ति पर भार या विल्लंगम हो या नहीं या बनाता हो या नहीं, अन्तरित की जाती है, वहां ऐसे ऋण, धनराशि या स्टाक की बाबत यह समझा जायेगा कि वह यथास्थिति पूर्ण प्रतिफल या उसका भाग है, जिसके बाबत वह अन्तरण मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे विक्रय प्रमाण–पत्र पत्र लागू नहीं होगी जो अनुसूची के अनुच्छेद संख्या 18 में वर्णित है :

स्पष्टीकरण– किसी बन्धक या अन्य विल्लंगम के अधीन सम्पत्ति के विक्रय की दशा में, न चुकाई गई कोई बन्धक धनराशि या भारित धनराशि और साथ–साथ उस पर देय ब्याज (यदि कोई हो) विक्रय के प्रतिफल का भाग समझा जायेगा :

परन्तु जहां कि ऐसी सम्पत्ति जिस पर कोई बन्धक है, बन्धकदार को अन्तरित की जाती है, वहां वह उस अन्तरण पर देय शुल्क में से उतने शुल्क की राशि की कटौती करने का हकदार होगा जो बन्धक की बाबत पहले ही दे दी गई हैं।

दृष्टान्त

(1) क, ख का 1,000 रुपये का ऋणी है। क 500 रुपये के प्रतिफल और पहले के 1,000 रुपये के ऋण की निर्मुक्ति में ख को सम्पत्ति बेच देता है। स्टाम्प शुल्क 1,500 रुपये पर देय होगा।

(2) ख को 500 रुपये में क ऐसी एक सम्पत्ति बेचता है जिस पर ग का 1,000 रूपये का बन्धक और 200 रुपये का असन्दत्त ब्याज है। स्टाम्प शुल्क 1,700 रुपये पर देय होगा।

(3) क. 10,000 रुपये के मूल्य का एक गृह ख को 5,000 रुपये में बन्धक रखता है। ख उसके पश्चात् क से मकान खरीद लेता है। बन्धक के लिये पहले ही दे दी गई स्टाम्प शुल्क की राशि को कम करके, 10,000 रुपये पर, स्टाम्प शुल्क की राशि को कम करके, 10,000 रुपये पर, स्टाम्प शुल्क संदेय होगा।

वार्षिकी आदि की दशा में मूल्यांकन

31—जहां कि कोई लिखत किसी वार्षिकी या कालिकतः देय किसी राशि का दिया जाना सुनिश्चित करने के लिये निष्पादित की जाती है या जहां कि हस्तान्तरण का प्रतिफल कोई वार्षिकी या कालिकतः देय कोई अन्य राशि है, वहां, यथास्थिति, ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत राशि या ऐसे हस्तांतरण के लिये प्रतिफल के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समझा जाएगा कि वह—

(क) वहां, जहां कि राशि किसी निश्चित कालावधि के लिए देय है, जिससे कि दी जाने वाली कुल राशि को पहले ही अभिनिश्चित किया जा सके, ऐसी कुल राशि है,

(ख) वहां, जहां कि राशि शाश्वत रूप में या किसी अनिश्चित समय के लिये ऐसी लिखत या हस्तान्तरण—पत्र के दिनांक को अस्तित्वधारी प्राणी के जीवन के साथ ही पर्यवसित नहीं होता है, देय है, ऐसी कुल राशि है, जो ऐसी लिखत या हस्तान्तरण—पत्र के निबन्धकों के अनुसार बीस वर्षों की कालावधि के दौरान देय होगी या देय हो सकेगी, जिसका परिकलन प्रथम संदाय के शोध्य होने के दिनांक से किया जाएगा और

(ग) वहां, जहां कि धनराशि ऐसी लिखत या हस्तान्तरण—पत्र के दिनांक को अस्तित्वधारी प्राणी के जीवन के साथ ही पर्यवसित होने वाली किसी अनिश्चित समय के लिये देय है—ऐसी अधिकतम राशि है, जो उस दिनांक के बारह वर्षों की कालावधि के दौरान यथापूर्वोक्त रूप में देय होगी या हो सकेगी जिसका परिकलन प्रथम सन्दाय के शोध्य होने के दिनांक से किया जाएगा।

स्टाम्प, जहां कि विषयवस्तु का मूल्य अनवधार्य है

32—जहां कि मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य किसी लिखत की विषयवस्तु की राशि या मूल्य उसके निष्पादन या प्रथम निष्पादन के दिनांक को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व निष्पादित किसी लिखत की दशा में अभिनिश्चित नहीं किया सकता था, वहां ऐसी लिखत के अधीन उस अधिकतम राशि या मूल्य से अधिक किसी भी राशि के मूल्य का कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा, जिसके लिए, यदि उसी प्रकार की किसी लिखत में वह कथित किया गया होता, वस्तुतः उपयोग में लाया गया स्टाम्प ऐसे निष्पादन के दिनांक को पर्याप्त होता :

परन्तु किसी ऐसी खान के पट्टे की दशा में, जिसमें स्वामित्व या उत्पादन का हिस्सा भाटक या भाटक के भाग के रूप में प्राप्त होता है, स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिये ऐसे स्वामित्व या ऐसे हिस्से के मूल्य का प्राक्कलित किया जाना उस दशा में पर्याप्त होता –

(क) जब कि पट्टा सरकार द्वारा या उसकी ओर से ऐसी राशि या मूल्य पर दिया गया है जिसकी बाबत कलेक्टर ने मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये प्राक्कलित किया हो कि पट्टे के अधीन उस सरकार को स्वामित्व या हिस्से के रूप में उसके दिये जाने की सम्भावना है, या

(ख) जब कि पट्टा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बीस हजार रुपया प्रति वर्ष कर दिया गया है और ऐसे स्वामित्व या हिस्से की पूरी राशि, चाहे वह कितनी भी हो, ऐसे पट्टे के अधीन दावा किया जाने योग्य होगी:

परन्तु यह और कि जहां लिखत की बाबत धारा 36 या 44 के अधीन कार्यवाहियां की गई हैं, वहां कलेक्टर द्वारा प्रमाणित की गई राशि के विषय में यह समझा जायेगा कि वह निष्पादन के दिनांक को वस्तुतः उपयोग में लाया गया स्टाम्प है।

शुल्क पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों को लिखत में उपवर्णित किया जाना

33–(1) वह प्रतिफल (यदि कोई हो) जिससे और वे अन्य सभी तथ्य और परिस्थितियां जिनके किसी लिखत पर प्रभारित होने वाले किसी शुल्क पर या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि पर असर पडेगा उसमें पूर्ण रूप से और सत्यतापूर्वक उपवर्णित की जायेंगी।

(2) सम्पत्ति के मूल्य पर मूल्यानुसार शुल्क के प्रभार्य अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित लिखतों के मामलो में और न कि उपवर्णित मूल्य पर, लिखित राजस्व अदा करने वाले भूमि के मामले में वार्षिक भू–राजस्व, अन्य अचल सम्पत्ति के मामले में, यदि कोई हो, वार्षिक भाटक या सकल अस्तियां, स्थानीय दरों, नगरपालिका या अन्य करों, यदि कोई हो, जिसके अधीन ऐसी सम्पत्ति हो सकेगी और कोई अन्य विशिष्टियों, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित हो सकेगा, को पूर्ण रूप से और सत्यतापूर्वक उपवर्णित करेगा।

कतिपय हस्तान्तरण–पत्रों की दशा में शुल्क के बारे में निदेश

34–(1) जहां कि किसी सम्पत्ति को किसी एक प्रतिफल के लिए सम्पूर्णतः बेचे जाने के लिए संविदा की गई है और वह क्रेता को भिन्न–भिन्न लिखतों द्वारा पृथक–पृथक भागों में हस्तान्तरित की गई है, वहां प्रतिफल ऐसी रीति से जैसा पक्षकार उचित समझे, प्रभाजित किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि हर एक पृथक भाग के लिए सुभिन्न प्रतिफल उससे सम्बद्ध हस्तान्तरण–पत्र में उपवर्णित किया गया है, तथा ऐसा हस्तान्तरण ऐसे सुभिन्न प्रतिफल के सन्दर्भ में या सम्पत्ति के ऐसे भाग के बाजार मूल्य के अनुसार जो भी अधिक हो, मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा।

(2) जहां कोई सम्पत्ति दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा स्वयं और दूसरों के लिये अथवा पूर्णतः दूसरों के लिए किसी एक प्रतिफल के लिए सम्पूर्णतः क्रय किये जाने के लिये संविदा की गई, पृथक–पृथक लिखतों द्वारा प्रतिफल के सुभिन्न भागों के लिये उन व्यक्तियों को, जिनके द्वारा या जिनके लिये वह क्रय की गई थी, भागों में हस्तान्तरित की जाती है, वहां हर एक पृथक भाग का हस्तान्तरण–पत्र उसमें विनिर्दिष्ट किये गये प्रतिफल के सुभिन्न भाग या सम्पत्ति के बाजार मूल्य के सन्दर्भ को, जो भी अधिक हो सके, मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा।

(3) जहां कि कोई व्यक्ति, जिसने किसी सम्पत्ति को क्रय करने की संविदा की है किन्तु उसका हस्तान्तरण–पत्र अभिप्राप्त नहीं किया है, उसे किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की संविदा करता है और परिणामतः सम्पत्ति अनुक्रेता को तुरन्त हस्तान्तरित कर दी जाती है, वहां वह हस्तान्तरण –पत्र उस प्रतिफल की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा, जो मूल्य क्रेता द्वारा अनुक्रेता को किये गये विक्रय या सम्पत्ति के बाजार मूल्य जो भी अधिक हो।

(4) जहां कि कोई व्यक्ति, जिसने किसी सम्पत्ति को क्रय करने की संविदा की है किन्तु उसका हस्तान्तरण–पत्र अभिप्राप्त नहीं किया है, उसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को सम्पूर्णतः या उसके किसी भाग का विक्रय करने की संविदा करता है और परिणामस्वरुप सम्पत्ति मूल विक्रेता द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को भागों में हस्तान्तरित कर दी जाती है, वहां अनुक्रेता को बेचे गये हर एक भाग का हस्तान्तरणपत्र, मूल प्रतिफल या सम्पत्ति के बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की बाबत ही मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा; और मूल क्रेता को बेची गई ऐसी सम्पत्ति के शेष भाग का (यदि कोई हो) हस्तान्तरण–पत्र, केवल उस प्रतिफल सम्पत्ति के बाजार मूल्य जो भी अधिक हो, की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा जो अनुक्रेताओं द्वारा संदत्त प्रतिफलों के योग से मूल प्रतिफल के आधिक्य में है :

परन्तु ऐसे अन्तिम हस्तान्तरण–पत्र पर शुल्क किसी भी दशा में एक सौ रुपये से कम नहीं होगा।

(5) जहां कि कोई अनुक्रेता उस व्यक्ति के, जो उसका सीधा विक्रेता है, हित का वास्तविक हस्तान्तरण–पत्र ले लेता है जो उसके द्वारा संदत्त प्रतिफल की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है और जिस पर तदनुसार सम्यक् रुप से स्टाम्प लगा है वहां मूल विक्रेता द्वारा उसी सम्पत्ति का उसके पश्चात् किया गया कोई भी हस्तान्तरण–पत्र ऐसे शुल्क से प्रभार्य होगा, जो उस शुल्क के बराबर होगा, जो ऐसे हस्तान्तरण–पत्र पर ऐसे मूल विक्रेता द्वारा अभिप्राप्त किये गये प्रतिफल के लिए प्रभार्य है या जहां कि ऐसा शुल्क एक सौ रुपये से अधिक हो, वहां एक सौ रुपये के शुल्क से प्रभार्य होगा।

ङ–शुल्क किसके द्वारा देय है

शुल्क किसके द्वारा देय है

35–किसी प्रतिकूल करार के अभाव में, उचित स्टाम्प की व्यवस्था करने के खर्चे निम्न लिखित व्यक्तियों द्वारा वहन किये जायेंगे :–

(क) अनुसूची में जैसी भी स्थिति हो, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी में वर्णित किसी लिखत की दशा में, अर्थात् –

सं0 2– (प्रशासन बन्ध–पत्र)

सं0 6– (हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम्, आड़मान या गिरवी से सम्बन्धित करार)

सं0 14– (बन्ध–पत्र)

सं0 15– (पोत बन्ध–पत्र)

सं0 26– (सीमा शुल्क बन्ध–पत्र)

सं0 31– (अतिरिक्त प्रभार)

सं0 33– (क्षतिपूर्ति बन्ध–पत्र)

सं0 41– (बन्धक विलेख)

सं0 44– (टिप्पणी या ज्ञापन)

सं0 53– (निर्मुक्ति)

सं0 54– (जहाजी माल बन्ध–पत्र)

सं0 55– (प्रतिभूति बन्ध–पत्र, जो बन्धक विलेख न हो)

सं0 56– (व्यवस्थापन)

सं0 60(क)–(किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयरों के अन्तरण)

सं0 60(ख)–(धारा 8 द्वारा उपबन्धित डिबेंचरों के सिवाय, ऐसे डिबेंचरों के, जो विपण्य प्रतिभूतियां हो, का अन्तरण, चाहे वह डिवेंचर शुल्क के देने का दायी हो या न हो)

सं0 60(ग)–(बन्ध–पत्र, बन्धक विलेख या बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत किसी हित का अन्तरण की दशा में ऐसी लिखत को लिखने वाले, बनाने वाले या निष्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा);

(ख) किसी हस्तान्तरण की (जिसके अन्तर्गत बन्धक सम्पत्ति का पुनः हस्तान्तरण है) दशा में–प्राप्तकर्ता द्वारा किसी पट्टे के करार की दशा में–पट्टेदार या आशयित पट्टेदार द्वारा;

(ग) कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) की धारा 394 के अधीन उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन एक कम्पनी के दूसरे कम्पनी को अन्तरण की स्थिति में स्टाम्प शुल्क का वहन उस कम्पनी द्वारा किया जाएगा जो धारा 2 के खण्ड (आठ) के उपखण्ड (घ) के अधीन आस्तियों और दायित्व प्राप्त कर रही हों या उन्हें पुनर्निर्मित कर रही हों ;

(घ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1946) की धारा 44–क के उपबंधों के अधीन एक बैंक का दूसरे बैंक द्वारा अर्जन किये जाने स्थिति में स्टाम्प शुल्क का वहन ऐसे बैंक द्वारा किया जाएगा जो धारा 2 के खण्ड (आठ) के उपखण्ड (ड.) के अधीन दूसरे बैंक का अर्जन कर रहा है या उसका पुनर्निर्माण कर रहा हो;

(ड.) किसी निगमित कम्पनी या निगमित निकाय द्वारा अन्य कम्पनी या निगमित निकाय को इक्विटी शेयरों का अन्तरण करके सम्पत्ति के अन्तरण की स्थिति में स्टाम्प शुल्क का वहन ऐसी अन्तरिती कम्पनी द्वारा किया जाएगा जो धारा 2 के खण्ड (आठ) के स्पष्टीकरण (तीन) के अधीन अर्जन कर रही हो।

(च) किसी पट्टे के प्रतिलेख की दशा में–पट्टाकर्ता द्वारा;

(छ) विनिमय की लिखत की दशा में– पक्षकारों द्वारा बराबर हिस्सों में;

(ज) विक्रय प्रमाण–पत्र की दशा में– सम्पत्ति के, जिससे ऐसा प्रमाण–पत्र सम्बद्ध है, क्रेता द्वारा; और

(झ) दान की किस लिखत की दशा में आदाता द्वारा

(ञ) विभाजन लिखत की दशा में– विभाजित की गई सम्पूर्ण सम्पत्ति में अपने–अपने हिस्सों के अनुपात में, अथवा जबकि विभाजन किसी राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय या मध्यस्थ द्वारा पारित किये गये आदेश के निष्पादन में किया गया है, तब ऐसे प्राधिकारी, न्यायालय या मध्यस्थ द्वारा निर्दिष्ट किये गये अनुपात में उसके पक्षकारों द्वारा वहन किये जायेंगे।

अध्याय 3

स्टाम्पों के बारे में न्यायनिर्णयन

समुचित स्टाम्प के बारे में न्याय निर्णयन

36–(1) जबकि कोई लिखत, चाहे वह निष्पादित हो या न हो और चाहे पहल ही स्टाम्पित हो या न हो, कलेक्टर के पास लाई जाती है और उसे लाने वाला व्यक्ति शुल्क के बारे में (यदि कोई हो), जिससे वह प्रभार्य है, उस अधिकारी की राय के लिये आवेदन करता है और (एक सौ रूपये की फीस भुगतान कर देता है) ऐसी अन्य रकम जो राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा नियत की जाये। तब कलेक्टर उस शुल्क को (यदि कोई हो) अवधारित करेगा, जिससे उसके निर्णय में वह लिखत प्रभार्य है।

(2) इस प्रयोजन के लिये कलेक्टर लिखत की संक्षिप्त और शपथ–पत्र या अन्य साक्ष्य के लिये जाने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह यह साबित करने के लिये आवश्यक समझे कि लिखत पर प्रभारित होने वाले किसी शुल्क पर या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि पर प्रभाव डालने वाले सभी तथ्य और परिस्थितियां उसमें पूर्ण रूप से और सत्यतापूर्वक उपवर्णित हैं और जब तक कि ऐसे साक्ष्य तदनुसार प्रस्तुत न कर दिये जायें वह किसी ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने से इनकार कर सकेगा।

परन्तु–

(क) इस धारा के अनुसरण में दिया गया कोई भी साक्ष्य, ऐसी जांच के सिवाय जो ऐसे शुल्क के बारे में हो जिससे वह लिखत जो उससे सम्बन्धित है प्रभार्य है, किसी सिविल कार्यवाही में किसी व्यक्ति के विरूद्ध उपयोग में नही लाया जायेगा; और

(ख) हर व्यक्ति, जिसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दिया जाता है, ऐसा पूरा शुल्क दे देने पर, जिससे वह लिखत जो उससे सम्बन्धित है प्रभार्य है, किसी भी ऐसी शास्ति से अवमुक्त कर दिया जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसने ऐसी लिखत में उपर्युक्त किन्हीं भी तथ्यों या परिस्थितियों को सत्यतापूर्वक कथित न करने के कारण उपगत कर ली हों।

कलक्टर द्वारा प्रमाणित पत्र

37–(1) जब कि धारा 36 के अधीन कलेक्टर के समक्ष लाई गई कोई लिखत उसकी राय में, इस प्रकार की है जो शुल्क से प्रभार्य है और–

(क) कलेक्टर यह अवधारित करता हैं कि वह पहले से ही पूर्णतः स्टाम्पित है या

(ख) धारा 36 के अधीन कलेक्टर द्वारा अवधारित किये गये शुल्क या लिखत की बावत पहले से ही दिये गये शुल्क सहित ऐसी राशि जो इस प्रकार अवधारित किये गये शुल्क के बराबर है, दे दी गई है, तब कलेक्टर ऐसी लिखत पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि उस पर प्रभार्य पूर्ण शुल्क (धनराशि को उल्लिखित करते हुए), दे दिया गया है।

(2) जबकि उसकी राय में, ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तब कलेक्टर उपर्युक्त रीति से यह प्रमाणित करेगा, कि ऐसी लिखत इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है।

(3) किसी लिखत के बारे में, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कोई पृष्ठांकन किया गया है, यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है तथा यदि वह शुल्क से प्रभार्य है, तो वह साक्ष्य में या अन्यथा ऐसे लिये जाने योग्य होगा और उसके अनुसार ऐसी कार्यवाही की जा सकेगी और ऐसे रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी मानो वह आरम्भ से ही सम्यक् रूप से स्टाम्पित थी:–

परन्तु इस धारा की कोई बात कलेक्टर को–

(क) किसी ऐसी लिखत पर ऐसे अन्य लिखत के अतिरिक्त जो धारा 3 के खण्ड (ख) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत पारित शुल्क हो, उत्तर प्रदेश में निष्पादित की गई हो या प्रथम बार निष्पादित की गई हो और जो, यथास्थिति, उसके निष्पादन या प्रथम बार निष्पादन के दिनांक से एक मास का अवसान हो जाने के पश्चात् उसके समक्ष लाई गई हो।

(ख) किसी ऐसी लिखत जो धारा 3 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन शुल्क से प्रभार्य हो और उस तिथि, जिस पर यह उत्तर प्रदेश में प्रथम बार प्राप्त किया जाता है, से तीन महीने के अवसान के बाद उसके समक्ष लाई गई हो।

अध्याय 4

सम्यक रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें

लिखतों की परीक्षा और परिबद्ध किया जाना

38–(1) हर व्यक्ति, जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने का प्राधिकार रखता है, और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त लोक कार्यालय का भार साधक प्रत्येक व्यक्ति जिसके समक्ष उसकी राय में शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत उसके कर्तव्यों के पालन में प्रस्तुत की जाती है या आ जाती है उस दशा में उसे परिबद्ध करेगा यदि उसे यह प्रतीत होता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है।

(2) उस प्रयोजन के लिये ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रभार्य और अपने समक्ष प्रस्तुत की गई या आई प्रत्येक लिखत की जांच यह अभिनिश्चित करने के लिए करेगा कि जब ऐसी लिखत निष्पादित की गई या प्रथम बार निष्पादित की गई थी, तब क्या वह भारत में प्रवृत्त विधि द्वारा अपेक्षित मूल्य और विवरण की स्टाम्प में स्टाम्पित थी।

परन्तु

(क) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी मजिस्ट्रेट या दाण्डिक न्यायालय के न्यायाधीश से यह अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जायेगी कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 125 से 128 और धारा 145 से 148 के अधीन कृत कार्यवही से भिन्न किसी कार्यवाही के अनुक्रम में अपने समक्ष आने वाली किसी लिखत की परीक्षा करे या उसे परिबद्ध करे, यदि वह ऐसा करना समीचीन नहीं समझता है।

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में, इस धारा के अधीन किसी लिखत की परीक्षा करने और परिबद्ध करने का कर्तव्य ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जा सकेगा जिसे उक्त न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करे।

(3) शंका की दशा में इस धारा के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार यह अवधारित कर सकेगी कि किन कार्यालयों को लोक कार्यालय समझा जायेगा और किन व्यक्तियों को लोक कार्यालयों का भार साधक समझा जायेगा।

(4) जहां अदा किये गये स्टाम्प शुल्क में कमी किसी लिखत के प्रतिलिपि से सूचित की जाती है वहां कलेक्टर स्वप्रेरणा से या किसी न्यायालय के या स्टाम्प आयुक्त या अतिरिक्त स्टाम्प आयुक्त या उप-स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त के निर्देश पर उस पर अदा किये गये शुल्क के पर्याप्तता के विषय में स्वयं के समाधान के उद्देश्य के लिये मूल लिखत को मंगा सकेगा और कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये गये ऐसे लिखत को उसके कार्य के निष्पादन में उसके समक्ष लिया गया या प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।

(5) कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत प्रस्तुत न किये गये लिखत के मामले में, वह स्टाम्प शुल्क की कमी, यदि कोई हो, के साथ लिखत की प्रतिलिपि पर धारा 45 के अधीन शास्ति की अदायगी की अपेक्षा कर सकेगा।

परन्तु उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन कोई कार्यवाही लिखत के निष्पादन की तिथि से चार वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं की जायेगी।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन कोई कार्यवाही लिखत के निष्पादन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के पश्चात् किन्तु आठ वर्ष की अवधि के पूर्व की जा सकती हैं।

सम्यक् रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें साक्ष्य आदि में अग्राह्य हैं

39-शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखित जब तक कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है किसी व्यक्ति द्वारा, जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने के लिये प्राधिकार रखता है, किसी भी प्रयोजन के लिये साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी लोक अधिकारी द्वारा उस पर कार्यवाही नहीं की जायेगी या वह रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणीकृत नहीं की जाएगीं।

परन्तु

(क) कोई ऐसी लिखत जो रसीद न हो, या जो विनिमय पत्र या वचनपत्र नहीं है, ऐसे सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, वह शुल्क जिससे वह प्रभार्य है अथवा उस लिखत की दशा में, जो अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिये अपेक्षित राशि और साथ–साथ पांच रूपये के शास्ति अथवा जब उसके (शास्ति की राशि जो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के चार गुने के बराबर हो) दे दिए जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होगी।

(ख) जहां कि किसी प्रकार की कोई संविदा या करार दो या अधिक पत्रों से मिलकर बने, पत्र–व्यवहार द्वारा प्रभावी होता हो और पत्रों में से किसी एक पर उचित स्टाम्प लगा हो, वहां उस संविदा या करार की बाबत यह समझा जायेगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है।

(ग) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 125 से 128 और धारा 145 से 148 के अधीन की कार्यवाही से भिन्न दाण्डिक न्यायालय की किसी कार्यवाही में, किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण किये जाने से निवारित नहीं करेगी।

(घ) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी न्यायालय में किसी लिखत को ग्रहण किये जाने से निवारित नहीं करेगी, जब कि ऐसी लिखत सरकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित की गई हो या उस पर इस अधिनियम की धारा 37 या इसके किसी अन्य उपबन्ध द्वारा यथा उपबन्धित कलेक्टर का प्रमाण पत्र लगा हो।

लिखत का ग्रहण कहां प्रश्नगत् नहीं किया जायेगा

40–जहां कोई लिखत साक्ष्य में गृहीत की गई हो, वहां धारा 67 में यथा उपबन्धित के सिवाय ऐसा ग्रहण, इस आधार पर कि लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं की गई है, उसी वाद या कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में प्रश्नगत् नहीं किया जायेगा।

अनुचित रूप से स्टाम्पित लिखतों का ग्रहण किया जाना

41–राज्य सरकार यह उपबन्धित करने वाले नियम बना सकेगी कि जहां किसी लिखत पर पर्याप्त राशि का किन्तु अनुचित प्रकार का स्टाम्प लगा हुआ है, वहां वह, शुल्क जिससे वह प्रभार्य है, दे दिये जाने पर यह प्रमाणित किया जायेगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है और इस प्रकार प्रमाणित लिखत के बारे में यह समझा जायेगा कि वह अपने निष्पादन की तारीख से ही सम्यक् रूप से स्टाम्पित है।

परिबद्ध की गई लिखतें कैसे निपटाई जायेंगी

42–(1) जहां धारा 39 के अधीन किसी लिखत को परिबद्ध करने वाले व्यक्ति को विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने का प्राधिकार है और ऐसी लिखत को वह धारा 39 द्वारा यथा उपबन्धित किसी शास्ति के या धारा 41 द्वारा यथा उपबन्धित किसी शुल्क के दिये जाने पर साक्ष्य में ग्रहण कर लेता है, वहां वह ऐसी लिखत की अधिप्रमाणीकृत एक प्रति और साथ–साथ उसकी बाबत उद्गृहीत शुल्क और शास्ति की राशि का कथन करते हुये एक लिखित प्रमाण पत्र कलेक्टर को भेजेगा और ऐसी राशि कलेक्टर को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, भेजेगा।

(2) अन्य प्रत्येक मामले में, किसी लिखत को इस प्रकार परिबद्ध करने वाला व्यक्ति उसे मूल रूप में कलेक्टर को भेजेगा।

परिबद्ध की गई लिखतों को स्टाम्पित करने की कलेक्टर की शक्ति

43–(1) जब कलेक्टर किसी लिखत को, जो रसीद या विनिमय–पत्र या वचन–पत्र नहीं है, धारा 38 के अधीन परिबद्ध करता है या धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन उसे भेजी गई किसी लिखत को प्राप्त करता है, तब वह निम्नलिखित प्रक्रिया, अपनायेगा–

(क) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तो वह उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह यथास्थिति, सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है।

(ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है और वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या कमी को पूरा करने के लिये अपेक्षित रकम और साथ–साथ शास्ति की रकम जो उचित शुल्क के कमी वाले भाग की रकम के चार गुने से अनधिक होगी, दी जाए :

परन्तु जब ऐसी लिखत केवल इस कारण से परिबद्ध की गई हो कि यह धारा 18 या धारा 19 के उल्लंघन में लिखी गई है, तब यदि कलेक्टर, उचित समझता है, तो वह इस धारा द्वारा विहित की गई पूरी शास्ति की माफी दे सकेगा :

परन्तु यह और कि ऐसी कोई शास्ति तब तक उद्ग्रहीत नहीं की जायेगी जब तक सम्बन्धित पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया जाये।

(2) कलेक्टर यह भी अपेक्षा करेगा कि उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सन्दत्त किये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक अदायगी के दिनांक तक संगणित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जाये।

परन्तु यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के तहत या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा फेरफार किया गया हो, तो इस उपधारा के अधीन ब्याज की रकम की पुनः संगणना की जायेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन संदेय ब्याज की रकम, देय रकम में जोड़ दी जायेगी और उसे, सभी प्रयोजनों के लिये संदत्त किये जाने हेतु अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायेगा।

(4) जहां स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात् ऐसा स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहाँ उपधारा 2 में निर्दिष्ट ब्याज किसी ऐसी अवधि के लिए भी संदेय होगा, जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृत्त रहा हो।

(5) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जमा की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसके विरूद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के प्रति समायोजित किया जायेगा और तत्पश्चात् आधिक्य को, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायेगा।

(6) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपधारा 1 के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक प्रमाण–पत्र उसमें वर्णित विषयों का निश्चायक साक्ष्य होगा।

(7) जहां कोई लिखत धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर को भेजी गई हो, वहां कलेक्टर इस धारा द्वारा यथा उपबंधित कार्यवाही कर लेने के पश्चात् उसे परिबन्धन अधिकारी को लौटा देगा।

घटनावश असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतें

44–केवल बीस पैसे से अनधिक शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत जो शुल्क से प्रभार्य है और सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वप्रेरणा से उसके निष्पादन के दिनांक के वर्ष के अन्दर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, और ऐसा व्यक्ति कलेक्टर की जानकारी में यह तथ्य लाता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है और कलेक्टर को उचित शुल्क की राशि या उसे पूरा करने के लिये अपेक्षित राशि देने का प्रस्ताव करता है और कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी लिखत घटनावश, भूल या अत्यधिक आवश्यकता के परिणामस्वरूप सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं हो पाई थी, तो वह धारा 37 और धारा 43 के अधीन कार्यवाही करने के बदले, ऐसी राशि स्वीकार कर सकेगा और इसके पश्चात् इसमें विहित रूप से आगे की कार्यवाही करेगा।

उन लिखतों को पृष्ठांकित करना जिन पर धारा 39,43,44 या 49 के अन्तर्गत शुल्क संदत्त किया जा चुका है।

45–(1) जब किसी लिखत की बाबत उद्ग्रहणीय शुल्क और शास्ति (यदि कोई हो) धारा 39, 43, 44 या धारा 49 के अधीन संदत्त की चुकी है, तब यथास्थिति, ऐसी लिखत को साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने वाला व्यक्ति या कलेक्टर उस पर पृष्ठांकन द्वारा, इस बात की किसी लिखत की बाबत, यथास्थिति उचित शुल्क या उचित शुल्क और शास्ति उद्ग्रहीत की जा चुकी है (प्रत्येक की राशि उल्लिखित करते हुए) और उस व्यक्ति का, जिसने वह दी है, नाम और निवास–स्थान प्रमाणित करेगा।

(2) इस प्रकार पृष्ठांकित प्रत्येक लिखत तब साक्ष्य स्वरूप ग्राह्य होगी और रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही की जा सकेगी और वह ऐसे अधिप्रमाणित की जा सकेगी मानो वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित थी और वह इस निमित्त आवेदन किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में से वह परिबद्ध करने वाले अधिकारी के पास पहुँची थी या जिसे वह व्यक्ति निर्दिष्ट करे, परिदत्त की जायेगी।

परन्तु

(क) ऐसी कोई भी लिखत, जो धारा 39 के अधीन शुल्क और शास्ति दे दिये जाने पर साक्ष्य में ग्रहण कर ली गई है, ऐसे परिबद्ध करने के दिनांक से एक मास का अवसान होने के पहले या उस दशा में जिसमें कलेक्टर ने यह प्रमाणित कर दिया है कि उसको और भी रोक, रखना आवश्यक है और ऐसे प्रमाण–पत्र को रद्द नहीं किया है, इस प्रकार परिदत्त नहीं की जायेगी।

(ख) इस धारा के किसी बात से सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) की धारा 144 के खण्ड (3) के आदेश 23 की अनुसूची प्रभावित नहीं होगी।

स्टाम्प विधि के विरूद्ध अपराध के लिये अभियोजन

46–किसी लिखत की बाबत इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों को शुरू कर देने या कोई शास्ति दे देने से किसी ऐसे व्यक्ति का जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसने ऐसी लिखत की बाबत स्टाम्प विधि के विरूद्ध अपराध किया है, अभियोजित किया जाना वर्जित नहीं होगा :

परन्तु ऐसा कोई भी अभियोजन, किसी ऐसी लिखत की दशा में जिसकी बाबत ऐसी शास्ति दी जा चुकी है, तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कलेक्टर को यह प्रतीत नहीं होता है कि अपराध उचित शुल्क देने से बचने के आशय से किया गया था।

शुल्क या शास्ति देने वाले व्यक्ति कतिपय मामलों में उसे वसूल कर सकेंगे

47–(1) जहां किसी लिखत की बाबत किसी व्यक्ति द्वारा धारा 39 धारा 41 धारा 43 या धारा 44 के अधीन कोई शुल्क दिया जा चुका है या शास्ति दी जा चुकी है, और किसी करार द्वारा या धारा 33 के उपबन्धों के या उस समय जब ऐसी लिखत निष्पादित की गई थी, प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लिखत के लिये उचित स्टाम्प के व्यय देने के लिये आबद्ध था, वहां प्रथम वर्णित व्यक्ति इस प्रकार दिये गये शुल्क या दी गई शास्ति की राशि को ऐसे अन्य व्यक्ति से वसूल करने का हकदार होगा।

(2) ऐसी वसूली के प्रयोजन के लिये इस अधिनियम के अधीन ऐसी लिखत की बाबत स्वीकार किया गया प्रमाण–पत्र उसमें प्रमाणित किये गये विषयों का निश्चायक साक्ष्य होगा।

(3) यदि न्यायालय उचित समझे तो, ऐसी राशि किसी वाद या कार्यवाही में, जिसके ऐसे व्यक्ति पक्षकार हैं और जिनमें ऐसी लिखत साक्ष्य में प्रस्तुत की गई है, खर्च के बारे में किसी आदेश में सम्मिलित की जा सकेगी। यदि न्यायालय ऐसी राशि को ऐसे आदेश में सम्मिलित नहीं करता है, तो उस राशि की वसूली के लिये कोई भी अतिरिक्त कार्यवाहियां नहीं चलेगी।

धारा 42 के अधीन भेजी गई लिखतों का खो जाने के लिये अदायित्व

48–(1) यदि धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर को भेजी गई कोई लिखत पारेषण के दौरान खो जाती है या नष्ट हो जाती है या विक्षत हो जाती है तो उसे भेजने वाला व्यक्ति उसके ऐसे खो जाने, नष्ट हो जाने या विक्षत हो जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

(2) जब कोई लिखत इस प्रकार भेजी जाने वाली हो तो ऐसा व्यक्ति, जिसके कब्जे में से यह उसको परिबद्ध करने वाले व्यक्ति के पास पहुँची थी, से इस बात की अपेक्षा कर सकेगा कि उसकी एक प्रति ऐसे प्रथम वर्णित व्यक्ति के व्यय पर बनाई जाये और ऐसी लिखत परिबद्ध करने वाले व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणीकृत की जाये।

लिखत का अवमूल्यन

49–(1)(क) यदि किसी लिखत, जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो, की विषयवस्तु ऐसी सम्पत्ति की उक्त लिखत में उल्लिखित बाजार मूल्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य से कम हो, तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी लिखत प्रस्तुत करने के ठीक पश्चात् और रजिस्ट्रीकरण के लिए उसे स्वीकार करने और उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन कोई कार्यवाही करने से पहले, धारा 35 के अधीन स्टाम्प शुल्क देने के लिए दायी व्यक्ति से उक्त नियमावली के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य के आधार पर यथासंगणित स्टाम्प शुल्क की कमी को देने की अपेक्षा करेगा और अव रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 23 के अनुसार पुनः प्रस्तुत करने के लिये लिखत को वापस लौटा देगा।

(ख) जब खण्ड (क) के अधीन सन्दत्त किये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी को किसी लिखत के सम्बन्ध में संदत्त कर दिया जाता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस पर पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करेगा कि उसके सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की कमी को सन्दत्त कर दिया गया है और अदा करने वाले व्यक्ति के नाम और आवास को सत्यापित करके उसे रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(ग) इस अधिनियम के किन्ही अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्टाम्प शुल्क की कमी को ऐसी घोषणा जैसा कि विहित किया जाय, से अन्तर्विष्ट छापित स्टाम्पों के रूप में या अन्यथा खण्ड (क) के अधीन संदत्त किया जा सकता है।

(घ) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (क) में निर्दिष्ट आदेश को प्राप्त करने के पश्चात् स्टाम्प शुल्क की कमी का संदाय नहीं करता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः प्रस्तुत करता है तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लिखत को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य और उस पर संदेय उचित शुल्क को अवधारित करने के लिए उसे कलेक्टर को सन्दर्भित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर पक्षों की सुनवाई का उचित अवसर देने और ऐसी रीति से, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा नियत की जाये, जांच करने के पश्चात् सम्पत्ति का बाजार मूल्य जो ऐसी लिखत की विषयवस्तु हो, और उस पर देय उचित शुल्क अवधारित करेगा।

(3) कलेक्टर, स्वप्रेरणा से, या किसी न्यायालय या स्टाम्प आयुक्त या किसी अपर स्टाम्प आयुक्त या उप स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के अभिदेश पर, किसी लिखत को, जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो और जो उपधारा (1) के अधीन उसे पहले से, अभिदिष्ट न हो, सम्पत्ति का बाजार मूल्य जो ऐसे लिखत की विषयवस्तु हो, और उस पर देय शुल्क की सत्यता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिये, निबन्धन की तारीख से चार वर्ष के भीतर मंगा सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है और यदि एक परीक्षण के पश्चात् उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि लिखत में ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य ठीक प्रकार से नहीं दिखाया गया है तो वह ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य और उस पर देय शुल्क अवधारित कर सकता है :

परन्तु राज्य सरकार के पूर्व अनुमति से इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही लिखत के जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो, निबंधन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के पश्चात् किन्तु आठ वर्ष की अवधि के पूर्व की जा सकती है।

स्पष्टीकरण– उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के किसी आदेश के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्टाम्प शुल्क की कमी की अदायगी कलेक्टर को उपधारा (3) के अधीन किसी लिखत पर कार्यवाही प्रारम्भ करने से नहीं रोकेगी।

(4) यदि उपधारा (2) के अधीन जांच और उपधारा (10) के अधीन परीक्षण करने पर कलेक्टर सम्पत्ति के बाजार मूल्य को–

(एक) ठीक प्रकार से उल्लिखित और लिखत को सम्यक् रूप से स्टाम्पित पाये तो वह पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करेगा कि यह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है और उसे उस व्यक्ति को वापस करेगा जिसने अभिदेश किया हो।

(दो) ठीक प्रकार से उल्लिखित न पाये और लिखत को सम्यक् रूप से स्टाम्पित न पाये तो वह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या कमी को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ–साथ शास्ति की रकम जो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के चार गुने से अनधिक होगी, दी जाये

(5) कलेक्टर यह भी अपेक्षा करेगा कि उपधारा (4) के खण्ड (दो) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक अदायगी के दिनांक तक संगणित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जायें :

परन्तु यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के तहत या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश पर फेरफार किया गया हो, तो इस उपधारा के अधीन ब्याज के रकम की पुनः संगणना की जायेगी।

(6) उपधारा (5) के अधीन देय ब्याज की रकम देय रकम में जोड़ दी जायेगी और उसे सभी प्रयोजनों के लिए, दिये जाने के लिये अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायेगा।

(7) जहाँ स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात् ऐसा स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहाँ उपधारा 5 में निर्दिष्ट ब्याज किसी ऐसी अवधि के लिए भी देय होगा, जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृत्त रहा हो।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जमा की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसके विरूद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के प्रति समायोजित किया जायेगा और तत्पश्चात् आधिक्य को, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायेगा।

(9) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत लिखत को उन कृत्यों के पालन में उसके समक्ष आया हुआ समझा जायेगा।

(10) यदि लिखत कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह स्टाम्प शुल्क की कमी, यदि कोई हो, लिखत की प्रति पर उपधारा (2) और (4) में की गई प्रक्रिया के अनुसार शास्ति के साथ संदाय करने की अपेक्षा कर सकता है।

शुल्कों और शास्तियों की वसूली

50–इस अधिनियम के अधीन दिए जाने के लिये अपेक्षित सभी शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां कलेक्टर द्वारा उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा वह देय है, जंगम सम्पत्ति से करस्थम् और विक्रय द्वारा या भू–राजस्व की बकाया की वसूली के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा वसूल की जा सकेगी।

लिखत के सम्बन्ध में पृष्ठांकन या प्रमाण–पत्र की वैधता जिसके लिये उत्तर प्रदेश में शुल्क की उच्चतर दर संदेय है

51–इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन पृष्ठांकन या प्रमाण–पत्र, इस अधिनियम के अनुसार शुल्क की उच्चतर दर के साथ उत्तर प्रदेश में प्रभार्य लिखत के सम्बन्ध में साक्ष्य में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा या ऐसे लिखत पर शुल्क की अदायेगी के सम्बन्ध में, साक्ष्य में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा या ऐसे लिखत पर शुल्क की अदायगी के सम्बन्ध में तब तक वैध नहीं होगा जब तक इस अधिनियम में उपबन्धित दर पर प्रभार्य शुल्क ऐसे लिखत पर अदा न कर दिया गया हो।

अध्याय 5

कतिपय अवस्थाओं में स्टाम्पों में छूट

खराब हो गये स्टाम्पों के लिये छूट

52–ऐसे नियमों के अधीन जो अपेक्षित साक्ष्य अथवा की जाने वाली जांच के बारे में राज्य सरकार द्वारा बनाये जाएं, धारा 53 में विहित कालावधि के भीतर आवेदन किये जाने पर, कलेक्टर का यदि उन तथ्यों के बारे में समाधान हो जाता है, तो इसमें इसके पश्चात् वर्णित दशाओं में खराब हो गये छापित स्टाम्पों के लिये वह छूट दे सकेगा, अर्थात्

(क) किसी ऐसे कागज पर का स्टाम्प, जो किसी व्यक्ति द्वारा उस पर लिखी गई किसी लिखत के निष्पादित किये जाने के पूर्व अनवधानता और अपरिकल्पित रूप से खराब हो गया है या मिट गया है या लिखने की गलती से या किसी अन्य कारण से आशयित प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त हो गया है,

(ख) किसी ऐसे दस्तावेज पर का स्टाम्प, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से लिखा गया है किन्तु जो उसके किसी पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित या निष्पादित नहीं किया गया है,

(ग) उसके किसी पक्षकार द्वारा निष्पादित किसी लिखत के लिये उपयोग में लाया गया स्टाम्प, जो–

(एक) तत्पश्चात्, प्रारम्भ से ही विधि की दृष्टि से पूर्ण रूप से शून्य पाई गई हैं,

(दो) तत्पश्चात्, उसमें की किसी त्रुटि या भूल के कारण मूल रूप से आशयित प्रयोजन के लिये वह अनुपयुक्त पाई गई है,

(तीन) किसी ऐसे व्यक्ति की , जिसके द्वारा उसका निष्पादित किया जाना आवश्यक था, उसे निष्पादित किये बिना मृत्यु हो जाने या किसी ऐसे व्यक्ति के, उसको निष्पादित करने से नकार दिये जाने के कारण, वह इस रूप में पूर्ण नहीं की जा सकती जिससे आशयित संव्यवहार को अपेक्षित प्ररूप में प्रभावी बनाया जा सके,

(चार) किसी आवश्यक पक्षकार द्वारा उसका निष्पादन न किये जाने और उसको हस्ताक्षरित करने में उसकी असमर्थता या उससे नकार दिये जाने के कारण उस प्रयोजन के लिये, जिसके लिए वह आशयित है, तथ्यतः अपूर्ण और अपर्याप्त है,

(पांच) उसके अधीन कार्य करने से, या उसके द्वारा प्रतिभूत किये जाने के लिये आशयित, कोई अग्रिम धन देने से किसी व्यक्ति के नकार देने के कारण या उसके द्वारा प्रदान किये गये किसी पद के लेने से, नकार देने या अप्रतिगृहीत किये जाने के कारण वह आशयित प्रयोजन के लिये पूर्णतः निष्प्रभावी हो गई है,

(छः) उसके द्वारा प्रभावी किये जाने के लिये आशयित ऐसे संव्यवहार के परिणाम स्वरूप जो उन्ही पक्षकारों के बीच किसी अन्य लिखत द्वारा प्रभावी हुआ है, अनुपयोगी हो जाता है और जिस पर उससे कम मूल्य का स्टाम्प नहीं है,

(सात) कम मूल्य का है और उसके द्वारा प्रभावी किये जाने के लिये आशयित संव्यवहार उन्ही पक्षकारों के बीच किसी अन्य लिखत द्वारा प्रभावी किया जा चुका है और जिस पर उससे कम मूल्य का स्टाम्प नहीं है।

(आठ) अनवधानता से और अपरिकल्पनापूर्वक खराब हो गया है और जिसके बदले में उन्हीं पक्षकारों के बीच और उसी प्रयोजन के लिये लिखी गई कोई अन्य लिखत निष्पादित की गई है और सम्यक् रूप से स्टाम्पित है :

परन्तु यह तब जब कि निष्पादित की गई किसी लिखत के मामले में कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही प्रारम्भ नही की गई है जिसमें वह लिखत साक्ष्य में दी जा सकती थी, पेश की जा सकती थी अथवा दी गई या पेश की गई है और जिसमें उक्त लिखत रद्द नहीं की गई है।

स्पष्टीकरण– धारा 37 के अधीन कलेक्टर का इस आशय का प्रमाण–पत्र कि लिखत पर प्रभार्य सम्पूर्ण शुल्क दे दिया गया है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत एक छापित स्टाम्प है।

धारा 52 के अधीन राहत दिये जाने के लिये आवेदन कब किया जायेगा

53–धारा 52 अधीन राहत दिये जाने के लिये आवेदन निम्नलिखित कालावधियों के भीतर किया जायेगा, अर्थात्–

(क) खण्ड (ग) के उपखण्ड (पांच) में वर्णित मामलों में लिखत के दिनांक के दो मास भीतर,

(ख) किसी ऐसे स्टाम्पित कागज के मामले में, जिस पर उसके किसी पक्षकार द्वारा कोई भी लिखत निष्पादित नहीं की गई है, स्टाम्प के खराब हो जाने के छह महीने के भीतर,

(ग) किसी ऐसे स्टाम्पित कागज के मामले में, जिस पर उसके पक्षकारों में से किसी के द्वारा कोई लिखत निष्पादित की गई है, लिखत के दिनांक के छह महीने के भीतर या यदि उस पर दिनांक नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा वह पहली बार या अकेले ही निष्पादित की गई थी, उसके निष्पादित किये जाने के छह महीने के भीतर, किया जायेगा।

परन्तु,–

(क) जब खराब हो गई लिखत पर्याप्त कारण से भारत के बाहर भेज दी गई है, तब आवेदन उसके भारत में वापस आ जाने के छह महीने के भीतर किया जा सकेगा।

(ख) जब कोई लिखत जिसके स्थान पर अन्य लिखत प्रतिस्थापित की जा चुकी है, अनिवार्य परिस्थितियों के कारण उपर्युक्त कालावधि के भीतर रद्द करने के लिये प्रस्तुत नहीं की जा सकती है तब आवेदन प्रतिस्थापित की गई लिखत के निष्पादन के दिनांक के छह महीने के भीतर किया जा सकेगा।

छपे प्ररूपों की दशा में छूट जिनकी निगमों को और आवश्यकता नहीं हो

54–मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी या इस निमित्त मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा सशक्त किया गया कलैक्टर, किसी बैंककार द्वारा या किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा लिखतों के छपे हुये प्ररूपों के लिये उपयोग में लाये गये स्टाम्पित कागजों के लिये समय परिसीमित किये बिना, छूट उस दशा में दे सकेगा, जिसमें कि किसी पर्याप्त कारण से ऐसे प्ररूप उपर्युक्त बैंककार कम्पनी या निगमित निकाय द्वारा अपेक्षित न रह गये हो, परन्तु यह तब कि जब ऐसे प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसे स्टाम्पित कागजातों की बाबत शुल्क सम्यक् रूप से दे दिया गया है।

गलती से उपयोग किये गये स्टाम्पों के लिऐ छूट

55–(क) जब किसी व्यक्ति ने किसी ऐसी लिखत के लिये जिस पर शुल्क प्रभार्य है, ऐसे स्टाम्प से, जो ऐसी लिखत के लिये इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित है, भिन्न प्रकार का स्टाम्प या आवश्यकता से अधिक मूल्य के स्टाम्प का अनवधानता से उपयोग किया है या किसी ऐसे लिखत के लिये, जिस पर कोई शुल्क प्रभार्य नहीं है, किसी स्टाम्प का अनवधानता से उपयोग किया है, या

(ख) जब किसी लिखत के लिये उपयोग में लाया गया कोई स्टाम्प, ऐसी लिखत की धारा 18 के उपबन्धों के उल्लंघन में लिखी गई होने के कारण, अनवधानता से धारा 19 के अधीन अनुपयोगी हो गया है, तब कलेक्टर लिखत के दिनांक के छह महीने के भीतर या, यदि उस पर दिनांक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा वह प्रथम बार या अकेले ही निष्पादित की गई थी, उसके निष्पादित किये जाने के छह महीने के भीतर आवेदन किये जाने पर और यदि वह लिखत शुल्क से प्रभार्य है तो लिखत के उचित शुल्क से पुनः स्टाम्पित किये जाने पर, उसको रद्द कर सकेगा और इस प्रकार गलती से उपयोग किये गये या अनुपयोगी हुये स्टाम्प के लिये खराब हुई स्टाम्प की तरह छूट दे सकेगा।

खराब हो गये या गलती से उपयोग किये गये स्टाम्पों के लिये छूट किस प्रकार दी जायेगी

56–कलेक्टर किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें खराब हो गये या गलती से उपयोग किये गये स्टाम्पों के लिए छूट दी गई है उसके बदले में दे सकेगा–

(क) उसी वर्णन और मूल्य के अन्य स्टाम्प, या

(ख) उस दशा में जिसमें ऐसा अपेक्षित हो और वह उचित समझता है, उतने ही मूल्य की राशि में किसी अन्य प्रकार के स्टाम्प, या

(ग) स्वविवेकानुसार, प्रत्येक रूपये या रूपये के प्रभाव के लिये दस पैसे कटौती करके उसी मूल्य के बराबर धनराशि।

उन स्टाम्पों के लिये छूट जो उपयोग में नहीं आने हैं

57–जब किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसा स्टाम्प या ऐसे स्टाम्प हैं, जो खराब नहीं हो गई है या आशयित प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त या अनुपयोगी नहीं हो गई है किन्तु जिसका या जिनका उसके द्वारा तुरन्त उपयोग नहीं किया जाना है, तब कलेक्टर ऐसे व्यक्ति को ऐसी स्टाम्प या स्टाम्पों के मूल्य के बराबर धनराशि उसमें से प्रत्येक रूपये या रूपये के प्रभाग के लिये [illegible] कटौती करके ऐसे व्यक्ति द्वारा उसे रद्द किये जाने को परिदत्त किये जाने पर और कलेक्टर के समाधान होने पर निम्नलिखित साबित [illegible] वापस दे सकेगा,–

(क) यह कि ऐसे [illegible]म्प या ऐसे स्टाम्प ऐसे व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के सद्भावे आशय से क्रय की गई थी।

(ख) यह कि उसने उनकी पूरी कीमत दी है और

(ग) यह कि वह उस तारीख के जिसको वह इस प्रकार परिदत्त की गई थी, ठीक पूर्ववर्ती छह माह की कालावधि के भीतर ऐसे क्रय की गई थी :

परन्तु जहां कोई व्यक्ति स्टाम्पों का अनुज्ञप्त विक्रेता है, वहां यदि कलेक्टर उचित समझता है तो वह विक्रेता द्वारा वस्तुतः दी गई राशि, यथापूर्वोक्त कोई कटौती किये बिना वापस कर देगा।

अध्याय 6

निर्देश, पुनरीक्षण और अपील

मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी का नियन्त्रण और उससे सम्बन्धित मामले का कथन

58–(1) वे शक्तियां, जो कलेक्टर द्वारा धारा 12, धारा 32 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क), अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 8 के अधीन प्रयोक्तव्य हैं, सभी मामलों में मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी के नियन्त्रणाधीन होगी।

इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, धारा 12, धारा 32 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क), अध्याय चार, अध्याय पांच और अध्याय आठ के अधीन कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा जो पक्षकारों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मामले पर विचार करेगा और उस पर ऐसा आदेश, जैसा वह न्याय संगत और उचित समझे, पारित करेगा और इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगा:

परन्तु स्टाम्प शुल्क की किसी विवादग्रस्त रकम की, जिसके अन्तर्गत उस पर ब्याज या शास्ति भी है, वसूली के रोक के लिए किसी आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि आवेदक ऐसी विवादग्रस्त रकम के एक-तिहाई के अन्यून भाग की अदायगी का सन्तोषजनक प्रमाण न प्रस्तुत कर दे :

परन्तु यह और कि जहाँ मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी किसी स्टाम्प शुल्क, उस पर ब्याज या शास्ति की वसूली के स्थगन के लिए या किसी ऐसे आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रवर्तन के स्थगन के लिए कोई आदेश पारित करता हो और ऐसे आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रवर्तन के स्थगन के लिए कोई आदेश पारित करता हो और ऐसे आदेश के फलस्वरूप किसी स्टाम्प शुल्क उस पर ब्याज या शास्ति की वसूली स्थगित कर दी जाये वहां ऐसा स्थगन आदेश तीस दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, जब तक कि अपीलार्थी बकाया रकम की अदायगी के लिए सम्बन्धित कलेक्टर के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति न प्रस्तुत कर दे।

(2) यदि धारा 36, धारा 43 या धारा 44 के अधीन कार्य करने वाले कलेक्टर को उस शुल्क की राशि के बारे में, जिससे कोई लिखत प्रभार्य है, कोई सन्देह होता है तो वह मामले के कथन को लेखबद्ध करेगा और उसे अपनी राय सहित मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी के विनिश्चय के लिये सन्दर्भित करेगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त मामले पर विचार करेगा और अपने विनिश्चय की एक प्रति कलेक्टर को भेजेगा जो ऐसे विनिश्चय के अनुरूप शुल्क (यदि को हो) निर्धारित और प्रभारित करने की कार्यवाही करेगा।

(4) जहाँ कलेक्टर का कोई आदेश मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा आंशिक रूप से परिवर्तित या अभिखण्डित कर दिया जाय, वहाँ कलेक्टर को उक्त आदेश के अधीन भुगतान किये गये स्टांप शुल्क, शास्ति या ब्याज की अतिरिक्त धनराशि को वापस करने का अधिकार होगा।

उच्च न्यायालय को मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा मामले का कथन

59–(1) मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी धारा 58 की उपधारा (2) के अधीन अपने को निर्देशित किये गये या अन्यथा उसकी जानकारी में आये किसी मामले का कथन तैयार कर सकेगा और ऐसे मामले को यदि राज्य में उद्भूत हुआ हो तो उस राज्य के उच्च न्यायालय को उस पर अपनी राय सहित सन्दर्भित कर सकेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक मामला उच्च न्यायालय के, जिसको वह सन्दर्भित किया गया है, कम से कम तीन न्यायाधीशों द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी।

कथित मामले के बारे में अतिरिक्त विशिष्टियों की मांग करने की उच्च न्यायालय की शक्ति

60–यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान नहीं होता है कि उक्त मामले में अन्तर्विष्ट कथन, तद्द्वारा उठाये गये प्रश्नों को अवधारित करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त हैं, तो न्यायालय उस राजस्व प्राधिकारी को, जिसके द्वारा उक्त कथन तैयार किया गया था, उसमें ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन करने के लिए, जैसे वह न्यायालय इस निमित्त निर्दिष्ट करे, मामले को वापस भेज सकेगा।

कथित मामले को निपटाने की प्रकिया

61–(1) उच्च न्यायालय किसी ऐसे मामले की सुनवाई पर तद्द्वारा उठाये गये प्रश्नों को विनिश्चित करेगा और उस पर उन आधारों को अन्तर्विष्ट करते हुए उन पर ऐसा विनिश्चय आधारित है, अपना निर्णय देगा।

(2) न्यायालय उस राजस्व प्राधिकारी को, जिसके द्वारा मामले का कथन किया गया था, ऐसे निर्णय की प्रति जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी और जिस पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे, भेजेगा, और राजस्व प्राधिकारी, ऐसी प्रति मिलने पर मामले का निपटारा ऐसे निर्णय के अनुरूप करेगा।

उच्च न्यायालय को अन्य न्यायालयों द्वारा मामले का कथन

62–(1) यदि धारा 63 में वर्णित न्यायालय से भिन्न न्यायालय को धारा 39 के परन्तुक (क) के अधीन किसी लिखत की बाबत देय शुल्क की राशि के बारे में सन्देह है, तो वह न्यायाधीश मामले का एक कथन तैयार करेगा और उस पर अपनी राय सहित उसे उस उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिये सन्दर्भित करेगा जिसको यदि वह मुख्य नियन्त्रण, राजस्व प्राधिकारी होता, तो वह धारा 63 के अधीन उसे सन्दर्भित करता ।

(2) ऐसा न्यायालय मामले पर ऐसी कार्यवाही करेगा मानो वह धारा 59 के अधीन निर्देशित किया गया हो तथा अपने निर्णय के प्रति, जिस पर न्यायालय की मुहर लगी होगी और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे, मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी को और ऐसी ही दूसरी प्रति निर्देश करने वाले न्यायाधीश को भेजेगा जो ऐसी प्रति प्राप्त होने पर मामले का, ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटारा करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किये गये निर्देश उस दशा में जिसमें वे जिला न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा किये जाते है उस जिला न्यायालय के मार्फत किये जायेंगे और उस दशा में, जिसमें कि वे किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा किये जाते है ठीक वरिष्ठ न्यायालय के मार्फत किये जायेंगे।

स्टाम्पों की पर्याप्तता के सम्बन्ध में न्यायालयों के कतिपय विनिश्चियों का पुनरीक्षण

63–(1) जब कोई न्यायालय अपनी सिविल या राजस्व अधिकारिता का प्रयोग करते हुये या कोई दाण्डिक न्यायालय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 125 से 128 और धारा 145 से 148 के अधीन किसी कार्यवाही में किसी लिखत को सम्यक् रूप से स्टाम्पित रूप में जिसके लिये स्टाम्प अपेक्षित नहीं है या धारा 39 के अधीन शुल्क और शास्ति दे दिये जाने पर साक्ष्य में ग्रहण करने का कोई आदेश देता है, तो वह न्यायालय, जिसको ऐसे प्रथम वर्णित न्यायालय से अपील होती है या निर्देश किये जाते है, स्वप्रेरणा से या कलेक्टर के आवेदन पर ऐसे आदेश पर विचार कर सकेगा।

(2) यदि ऐसे न्यायालय की इस प्रकार विचार करने के पश्चात् यह राय है कि ऐसी लिखत धारा 39 के अधीन शुल्क और शास्ति दिये बिना या दिये गये शुल्क और शास्ति से अधिक शुल्क और शास्ति के दिये बिना, साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिये था, तो वह उस आशय की एक घोषणा अभिलिखित करेगा और शुल्क की जिससे ऐसी लिखत प्रभार्य है, राशि अवधारित करेगा और किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके कंब्जे में या शक्ति में ऐसी लिखत उस समय है, वह लिखत प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और प्रस्तुत किये जाने पर उसे परिबद्ध कर सकेगा।

(3) जब उपधारा (2) के अधीन कोई घोषणा अभिलिखित की गई है, तब उसे अभिलिखित करने वाला न्यायालय उसकी एक प्रति कलेक्टर को भेजेगा, और जहां उससे सम्बन्धित लिखत परिबद्ध की गई है या अन्यथा ऐसे न्यायालय के कब्जे में है वहां वह ऐसी लिखत भी उसे भेजेगा।

(4) कलेक्टर, तदुपरि, ऐसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण करने के आदेश में अथवा धारा (45) या धारा (46) के अधीन अनुदत्त किसी प्रमाण पत्र में किसी बात के होते हुये भी, किसी व्यक्ति को स्टाम्प विधि के विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसके बारे में कलेक्टर का यह विचार है कि उसने ऐसी लिखत की बाबत यह अपराध किया है, अभियोजित कर सकेगा :

परन्तु–

(क) ऐसा कोई भी अभियोजन उस दशा में जिसमें शुल्क और शास्ति सहित वह राशि जो ऐसे न्यायालय के अवधारण के अनुसार धारा 39 के अधीन लिखत की बाबत देय थी, कलेक्टर को दे दी गई है, तब के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा जबकि वह यह समझता है कि अपराध उचित शुल्क देने में अपवंचन करने के आशय से किया गया था।

(ख) ऐसे अभियोजन के प्रयोजनों के सिवाय, इस धारा के अधीन की गई कोई भी घोषणा, किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण करने के किसी आदेश या धारा (45) के अधीन अनुदत्त किसी प्रमाण पत्र की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अध्याय–7

दाण्डिक अपराध और प्रक्रिया

ऐसी लिखत के जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, निष्पादन आदि के लिए शास्ति

64–(1) कोई व्यक्ति जो शुल्क से अपवंचन करने आशय से शुल्क से प्रभार्य, किसी लिखत को उसे सम्यक् रूप से स्टाम्पित किये बिना निष्पादित करता है या साक्षी के रूप से भिन्न हस्ताक्षर करता है तो दोष सिद्ध होने पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि एक माह से कम नहीं होगी किन्तु जो छह माह तक हो सकेगा और जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक हो सकेगा दण्डनीय होगा :

परन्तु जब धारा 39, धारा 43 या धारा 49 के अधीन किसी लिखत के सम्बन्ध में कोई शास्ति दे दी गयी है तो ऐसी शास्ति की राशि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति पर जिसने ऐसी शास्ति दे दी है, उसी लिखत सम्बन्ध में इस धारा के अधीन अधिरोपित किये गये जुर्माने मे से (यदि कोई हो) कम कर दी जायेगी।

(2) यदि शेयर वारण्ट सम्यक् रूप से स्टाम्पित किये बिना निर्गमित किया गया है तो उसे निर्गमित करने वाली कम्पनी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, उसके निर्गमित किये जाने के समय उस कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक या सचिव या अन्य मुख्य अधिकारी है, दोष सिद्ध होने पर जुर्माने से जो पॉच सौ रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन ऐसी लिखत के सम्बन्ध में, जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो और जिसे न्यायालय द्वारा ऐसे विनिश्चय के पश्चात् स्वीकार किया गया हो कि उक्त लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित था या कोई स्टाम्प अपेक्षित नहीं था, अभियोजन नहीं चलाया जायेगा।

समाशोधन सूची में मिथ्या घोषणा करने के लिए शास्ति

65–कोई व्यक्ति जो किसी अनापत्ति सूची में ऐसी घोषणा करता है जो मिथ्या हो या जिसे वह जानता हो या विश्वास करता हो कि यह मिथ्या है, दोष सिद्ध होने पर कारावास से जिसकी अवधि एक माह से कम नहीं होगी किन्तु जो छः माह तक हो सकेगी और जुर्माने से जो पॉच हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

चिपकने वाले स्टाम्प को काटने में त्रुटि के लिये शास्ति

66–यदि कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षित है कि वह धारा 17 के अधीन किसी चिपकने वाले स्टाम्प को काट दे, उस धारा द्वारा विहित की गई रीति से ऐसे स्टाम्प को काटने में त्रुटि करेगा, वह जुर्माने से, जो एक सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 33 के उपबन्धों का अनुपालन करने में लोप करने के लिये शास्ति

67—जो कोई व्यक्ति सरकार को धोखा देने के आशय से—

(क) कोई ऐसी लिखत निष्पादित करेगा जिसमें वह तथ्य और परिस्थितियां जिनकी बाबत धारा 33 के अधीन यह अपेक्षित है कि वे ऐसी लिखत में उपवर्णित की जाये पूर्णतः और सत्यतः उपवर्णित नहीं की गई है, या

(ख) किसी लिखत के तैयार करने में नियोजित होने पर या उसके बारे में सम्बन्धित होने पर, उसमें सभी ऐसे तथ्य और परिस्थितियां पूर्णतः और सत्यतः उपवर्णित करने में उपेक्षा करेगा या लोप करेगा, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन सरकार को किसी शुल्क या शास्ति से वंचित करने की परिकल्पना से कोई अन्य कार्य करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

स्टाम्प शुल्क में कमी की धनराशि की वसूली

68—(1) जहां किसी लिखत (जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट लिखत न हो) के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन शुल्क अदा करने के लिये दायी कोई व्यक्ति धारा 64 या 67 के अधीन अपराध के लिये दोष सिद्ध किया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट , किसी दण्ड, जो ऐसे अपराध के लिए अधिरोपित किया जा सकता है, के अतिरिक्त उस लिखत के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन शुल्क या शास्ति की किसी धनराशि, यदि बकाया हो, की वसूली का निर्देश दे सकेगा और ऐसी धनराशि भी वसूल की जाने योग्य होगी, मानो यह मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो ।

(2) ऐसी वसूली पर कलेक्टर तदन्तर, लिखत पर पृष्ठांकन द्वारा, प्रमाणित करेगा कि उचित शुल्क या शास्ति , यथास्थिति , उसके सम्बन्ध में उद्गृहीत किया गया है।

स्टाम्पों के विक्रय से सम्बन्धित नियम के भंग के और अप्राधिकृत विक्रय के लिए शास्ति

69—जो कोई व्यक्ति—

(क) स्टाम्पों के विक्रय के लिये नियुक्त होते हुये इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम की अवज्ञा करेगा, और

(ख) इस प्रकार नियुक्त न होते हुये किसी स्टाम्प का, (जो दस पैसे या पांच पैसे वाले चिपकाने वाले स्टाम्प से भिन्न है) विक्रय करेगा या उसे विक्रय के लिये प्रस्थापित करेगा, वह कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सो रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

अभियोजन का संस्थित किया जाना और संचालन

70–(1) जो इस अधिनियम या एतद्द्वारा निरसित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय अपराध की बाबत कोई भी अभियोजन, कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी की,जिसे इस निमित्त राज्य सरकार साधरणतः या कलेक्टर विशेषतः प्राधिकृत करे, मन्जूरी के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

(2) मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा साधारणतः या विशेषतः प्राधिकृत अन्य अधिकारी किसी ऐसे अभियोजन को रोक सकेगा या किसी ऐसे अपराध का शमन कर सकेगा।

(3) किसी ऐसे शमन की राशि, धारा 48 द्वारा उपबन्धित रीति से वसूलनीय होगी।

मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता

71–प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट से या ऐसे मजिस्ट्रेट से, जिसकी शक्तियां द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट से कम नहीं हैं, भिन्न कोई भी मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

विचारण का स्थान

72–किसी लिखत की बाबत किया गया ऐसा हर अपराध, किसी जिले में, जिसमें ऐसी लिखत पाई गई है, और साथ–साथ किसी जिले में, जिसमें ऐसा अपराध तत्समय प्रवृत्त दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) के अधीन विचारित किया जा सकता है, विचारित किया जा सकेगा।

अध्याय–8

अनुपूरक उपबन्ध

पुस्तकें आदि निरीक्षण के लिये खुली रहेंगी

73–प्रत्येक लोक अधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में कोई रजिस्टर, पुस्तक, अभिलेख, कागज, दस्तावेज या तत्सम्बन्धी कार्यवाहियां हैं, जिसके निरीक्षण का यह परिणाम हो सकता है कि कोई शुल्क अभिप्राप्त हो या किसी शुल्क के सम्बन्ध में कोई कपट या लोप साबित या प्रकट हो जाये, कलेक्टर द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किये गये किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति जिसका कार्य यह देखना है कि उचित शुल्क दिया है या नहीं, को ऐसे प्रयोजन के लिये किसी शुल्क या प्रभार के बिना उन रजिस्टरों, पुस्तकों, कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों का निरीक्षण सभी सुसंगत समयों पर करने देगा और जो टिप्पणी और उद्धरण वह आवश्यक समझे, लेने देगा।

सूचना, लिखत या अभिलेख मंगाने की कलेक्टर की शक्ति

74–(1) जहाँ कलेक्टर या स्टाम्प आयुक्त, स्टाम्प अपर आयुक्त, स्टाम्प उप आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त के पास विश्वास करने का कारण हो कि शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत बिल्कुल प्रभारित नहीं किया गया है या इस अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय शुल्क से गलत रूप से प्रभारित किया गया है वहाँ वह या उनके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत, कोई अन्य अधिकारी (जिसे 'प्राधिकृत अधिकारी' कहा जाएगा) सम्बन्धित व्यक्ति से जिसकी अभिरक्षा में ऐसी लिखत, रजिस्टर,

पुस्तकें, अभिलेख, कागज आदि, मानचित्र, दस्तावेज या कार्यवृत्त रखे गये हों या अनुरक्षण कर रहा हो, से उसके समक्ष या प्राधिकारी प्राधिकारी के समक्ष ऐसी लिखत या कोई अन्य सुसंगत अभिलेख जो उससे सम्बन्धित हो, जिसमें रजिस्टर, पुस्तकें अभिलेख कागज आदि मानचित्र , दस्तावेज या कार्यवृत्त सम्मिलित है, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है :

स्पष्टीकरणः– इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद "**सम्बन्धित व्यक्ति**" में व्यक्तियों का निकाय, कोई सांविधिक प्राधिकरण या संघ, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है

(2) यदि कोई व्यक्ति, कलेक्टर या स्टाम्प आयुक्त, अपर स्टाम्प आयुक्त, उप स्टाम्प आयुक्त, या सहायक स्टाम्प आयुक्त या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उप धारा (1) के अधीन ऊपर उल्लिखित अपेक्षित लिखत या अन्य अभिलेख को बिना किसी पर्याप्त कारण के प्रस्तुत करने में जानबूझकर विफल रहे तो कलेक्टर या स्टाम्प आयुक्त, अपर स्टाम्प आयुक्त, उप स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त ऐसे व्यक्ति को शास्ति के रूप में पांव हजार रूपये से अनधिक की धनराशि का भुगतान करने का निदेश दे सकता है :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन ऐसा कोई आदेश कलेक्टर या स्टाम्प आयुक्त, अपर स्टाम्प आयुक्त, उप स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को जिस पर शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव है, इस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय :

परन्तु यह और कि इस उप धारा के अधीन पारित आदेश के सम्बन्ध में तीस दिन के भीतर या ऐसी बढी हुई अवधि के भीतर जिसकी इस विषय में अनुमति दी जाय, मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकारी को अपील की जा सकती है जो कि अपीलकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस विषय में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह न्यायपूर्ण और उचित समझे और इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगा।

स्टाम्पों के विक्रय से सम्बन्धित नियम बनाने की शक्ति

75–राज्य सरकार निम्नलिखित को विनियमित करने के लिए गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगीः–

(क) स्टाम्पों, ई स्टाम्प, फ्रेकिंग मशीन, इन्टरनेट का प्रयोग करके या किसी अन्य मशीन द्वारा स्टाम्प और स्टाम्पित कागजों के प्रदाय और विक्रय,

(ख) वे व्यक्ति केवल जिनके द्वारा ऐसा विक्रय संचालित किया जायेगा, और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य और पारिश्रमिक और उनके प्रभार्य फीस, परन्तु ऐसे नियम दस पैसे या पांच पैसे के चिपकने वाले स्टाम्पों के विक्रय को निबन्धित नहीं करेंगे।

साधारणतः अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति

76—राज्य सरकार गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणतः कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी और ऐसे नियमों द्वारा उसके भंग के लिए उपगत होने वाले जुर्माने विहित कर सकेगी, जो किसी भी मामले में पांच सौ रूपये से अधिक नहीं होंगे।

कतिपय शक्तियों का प्रत्यायोजन

77—राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित प्रत्यायोजन कर सकेगी।

(क) मुख्य नियन्त्रक राजस्व अधिकारी को धारा 2 के खण्ड (पॉच) धारा 38 की उपधारा (3) और धारा 70 की उपधारा (1) और धारा 75 द्वारा प्रदत्त की गयी सभी या कोई भी शक्तियां, और

(ख) किसी अधीनस्थ राजस्व प्राधिकारी को जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, धारा 11, धारा 58 की उपधारा (1) धारा 70 की उपधारा (2) द्वारा मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त की गई सभी या कोई शक्तियां।

न्यायालय फीस के बारे में व्यावृत्ति

78—धारा 7 की नकल के परन्तुक के अतिरिक्त इस अधिनियम की कोई भी बात, न्यायालय फीस सम्बन्धी किसी तत्समय प्रवृत्ति अधिनियमिति के अधीन प्रभार्य शुल्कों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी।

कतिपय स्टाम्पों के बारे में व्यावृत्ति

79—सभी स्टाम्प जो चार आने या उसके गुणित वाले हों, यथास्थिति, पच्चीस पैसे या उसके गुणित वाले मूल्य के स्टाम्प समझे जायेंगे और तदनुसार इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होंगे।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की प्रवृत्ति

80—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899), जहां तक यह संविधान की सप्तम् अनुसूची की प्रथम सूची की प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के सम्बन्ध में उक्त अनुसूची की सूची तीन की प्रविष्टि 44 से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में है, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी, का विस्तार उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में होगा।

अपवाद और निरसन

81–(1) उत्तर प्रदेश राज्य में यथा अनुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) भारतीय संविधान की सप्तम अनुसूची में सूची प्रथम की प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से सम्बन्धित है, के सिवाय उसे एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) के उपबन्ध ऐसे निरसन पर प्रवृत्त होंगे :

परन्तु यह कि एतद्द्वारा निरसन से–

(एक) किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व जो पहले से अर्जित, उपाप्त या उपगत हो या की गयी या भुक्त किसी पर

(दो) ऐसे अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व के सम्बन्ध में किसी विधिक कार्यवाही या उपचार (एतद्द्वारा निरसित) अधिनियमिति के उपबंधों के अधीन कोई प्रभाव नहीं होगा और ऐसी कोई कार्यवाही संस्थित, जारी और निस्तारित की जा सकती है और किसी ऐसे उपचार को प्रवृत्त किया जा सकता है, मानों यह अधिनियम पारित न हुआ हो।

(2) एतद्द्वारा निरसित किन्हीं अधिनियमितियों के अधीन की गयी या जारी कोई नियुक्ति अधिसूचना, नोटिस आदेश नियम या प्रारूप को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया या जारी समझा जाएगा, जहां तक ऐसी नियुक्तियां, अधिसूचनाएं, नोटिस आदेश नियम या प्रारूप इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल न हो और वे तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन की गयी या जारी किसी नियुक्ति, अधिसूचना, नोटिस, आदेश, नियम या प्रारूप द्वारा अधिक्रमित न हो जाय।

(3) चार आना या उसके गुणांकों के नाम के सभी स्टाम्पों को पच्चीस नये पैसे या यथास्थिति उनके गुणांकों के मूल्य का स्टाम्प समझा जाएगा और तदनुसार विधिमान्य होंगे।

अनुसूची

देखिये धारा 3 और धारा 80

उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम, 2008 के अधीन लिखतों पर स्टाम्प शुल्क

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
1.	**अभिस्वीकृति** – किसी ऋण की राशि या मूल्य में एक हजार रूपये से अधिक की जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से किसी बही में (जो बैंककार की पास बुक से भिन्न है) या किसी पृथक कागज के टुकड़े पर, साक्ष्य निमित्त लिखी जाये या हस्ताक्षरित की जाये, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो :	दस रूपये

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	परन्तु यह तब जब कि ऐसी अभिस्वीकृति में उस ऋण के चुकाने का कोई वचन या ब्याज देने का, या किसी माल या अन्य सम्पत्ति का परिदान करने का अनुबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं है।	
2	**प्रशासन बन्धपत्र** – जिसके अन्तर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1925) की धारा 291, 375 और 376 या गवर्नमेन्ट सेविंग्स बैंक अधिनियम, 1873 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1873) की धारा 6 के अधीन दिया गया कोई बन्धपत्र है।	वही शुल्क जो ऐसी राशि के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) पर देय है, अधिकतम दो सौ रूपये।
3	**दत्तक विलेख** – अर्थात कोई लिखत (वसीयतनामा से भिन्न) जो दत्तक ग्रहण के अभिलेख स्वरूप है या दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है। *अधिवक्ता – अधिवक्ता के रूप में प्रविष्टि संख्या–17 देखिए*	एक सौ रूपया
4	**शपथ पत्र**– जिसके अन्तर्गत, उन व्यक्तियों के मामले में जो शपथ लेने के बजाय प्रतिज्ञान करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात है, कोई प्रतिज्ञान या घोषणा है।	दस रूपये

छूटें

लिखित रूप में शपथ–पत्र या घोषणा जबकि वह–

(क) सेना अधिनियम, 1950, (अधिनियम संख्या 40 सन् 1950), वायु सेना अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1950) या नौसेना अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 62 सन् 1957) के अधीन भर्ती होने के लिए शर्त के रूप में, या

(ख) किसी व्यक्ति को कोई पेन्शन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के एक मात्र प्रयोजन के लिए की गई है।

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
5.	**करार या इसका अभिलेख या करार का ज्ञापन–**	
	(क) यदि वह विनियम–पत्र के विक्रय से सम्बन्धित है,	प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके भाग के लिए, एक रूपये,
	(ख) यदि वह सरकारी प्रतिभूति के क्रय या विकय से सम्बन्धित है,	प्रतिभूति के क्रय या विक्रय , जैसी भी स्थिति हो, के समय मूल्य के प्रत्येक 1,00,000 रूपये या उसके भाग के लिए, पचास पैसे,
	(ग) यदि वह किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय के शेयरों, स्किप्स, स्टॉक्स, बंधपत्रों, डिबेन्चर स्टॉक्स या समान प्रकृति के किसी अन्य विपण्य प्रतिभूति के क्रय या विकय से सम्बन्धित हो–	
	(एक) जब ऐसा करार या करार का ज्ञापन प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, (अधिनियम संख्या 42 सन् 1956) के अधीन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज के किसी सदस्य या सदस्यों के साथ या उनके माध्यम से हो,	प्रतिभूति के कय या विकय, जैसी भी स्थिति हो, के समय मूल्य के प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके भाग के लिए, एक रूपया,
	(दो) किसी अन्य मामले में,	प्रतिभूति के कय या विकय, जैसी भी स्थिति हो, के समय मूल्य के प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके भाग के लिए, एक रूपया,

अप्रकाशित भाग

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(घ)	(एक) यदि वह कपास के क्रय या विक्रय से सम्बन्धित हो,	कपास के मूल्य के प्रत्येक 10,000 या उसके भाग के लिए एक रूपया,
	(दो) यदि वह सोना, चाँदी के क्रय या विक्रय से सम्बन्धित हो,	सोना या चाँदी या सावेरिन, जैसी स्थिति हो, के मूल्य के प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके भाग के लिए, एक रूपया,
	(तीन) यदि वह तिलहन के क्रय या विक्रय से सम्बन्धित हो,	तिलहन के मूल्य के प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके भाग के लिए, एक रूपया,
	(चार) यदि वह किसी प्रकार के यार्न, गैर–खनिज तेल या किसी प्रकार के मसालों के क्रय से सम्बन्धित हो,	किसी प्रकार के यार्न, गैर –खनिज तेल या किसी प्रकार के मसालों जैसी स्थिति हो, के मूल्य के प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके भाग के लिए, एक रूपया।
	स्पष्टीकरण– अनुच्छेद–22, 44 या 52 जैसी स्थिति हो के अधीन संदत्त कोई शुल्क खण्ड (ख) (ग) (घ) – (एक) (दो) (तीन) और (चार) के अधीन प्रभार्य शुल्क के सापेक्ष समायोजित की जायेगी।	
(ङ)	यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से सम्बन्धित है जहां कब्जे का दिया जाना स्वीकार न किया गया हो और न ही हस्तान्तरण पत्र का निष्पादन किये बिना दे दिये जाने का करार किया गया हो :	प्रतिफल की धनराशि, जैसा लिखत में दी गयी है, पर प्रत्येक एक हजार रूपये या उसके भाग के लिए, बीस रूपये,

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	परन्तु जब ऐसे करार के अनुसरण में हस्तान्तरण पत्र का निष्पादन उक्त करार के निष्पादन के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर किया जाय, तब खण्ड (ग) के अधीन संदेय शुल्क के आधिक्य का समायोजन हस्तान्तरण पत्र पर देय शुल्क के प्रति किया जायेगा : परन्तु यह और कि यदि उक्त करार ऐसे करार के निष्पादन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर विखण्डित कर दिया जाय तो ऐसे करार पर संदत्त स्टाम्प शुल्क को, एक सौ रूपये की न्यूनतम कटौती के अधीन रहते हुए, ऐसे करार पर संदत्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि का दस प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात, वापस कर दिया जायेगा।	
(च)	यदि वह किसी भूमि पर, किसी व्यक्ति द्वारा, जो ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न हो, किसी भवन के निर्माण से सम्बन्धित हो और उसमें ऐसा अनुबन्ध हो कि निर्माण के पश्चात् ऐसे भवन को यथास्थिति, ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार और उस अन्य व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक–पृथक धारित किया जायेगा या कि उनके द्वारा उसे संयुक्त रूप से या पृथक–पृथक बेचा जायेगा या कि उसके एक भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक–पृथक धारित किया जायेगा और उसके शेष भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक –पृथक बेचा जायेगा।	प्रतिफल की राशि, जैसी कि करार में अंकित है या अचल सम्पत्ति जो करार की विषय वस्तु है, के बाजार मूल्य में से, जो अधिक हो, पर प्रत्येक एक हजार रूपये या उसके भाग के लिए बीस रूपये,

स्पष्टीकरण –

(1) पद 'भूमि' में वे वस्तुऐं जो भूबद्ध हों या किसी भूबद्ध वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, भी सम्मिलित होंगी,

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क

(2) पद 'पट्टेदार' का तात्पर्य शाश्वतकाल के लिए या तीस वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए पट्टाधारक से होगा,

(3) पद "**भवन**" का तात्पर्य एक से अधिक '**अपार्टमेन्ट**' और/या एक से अधिक "**वाणिज्यिक इकाई**" वाले भूवन से है, जहां पर "अपार्टमेन्ट" का तात्पर्य किसी सम्पत्ति के भाग से है ,जो स्वतन्त्र प्रयोग के लिए आशयित हो और जिसमें कि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु आशयित किसी एक या अधिक तल पर अवस्थित एक या अधिक कमरे या बंद स्थान सम्मिलित है, जो कि आवासीय प्रयोजन के लिए आशयित हो और जिसमें किसी सार्वजनिक मार्ग, सड़क या राजमार्ग पर या ऐसे मार्ग, सड़क या राजमार्ग पर निकलने वाले किसी सार्वजनिक क्षेत्र/स्थान पर सीधा निकास हो और जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों एवं सुविधाओं में अविभाजित हित के साथ एक स्वतन्त्र आवासीय इकाई बनता हो या और पद "**वाणिज्यिक इकाई**" का तात्पर्य भवन या वाणिज्यिक भवन संकुल में एक या अधिक तत्व पर या अवस्थित बन्द स्थान को सम्मिलित करते हुये किसी पृथक पहचान योग्य सम्पत्ति या उसका कोई हिस्सा या हिस्सों से है, जो कि कोई वृत्ति चलाने या कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप, धन्धा, व्यवसाय या व्यापार चलाने के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य सम्बन्धित उपयोग के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाय और जिसमें किसी सार्वजनिक मार्ग, सड़क या राजमार्ग पर या ऐसे मार्ग, सड़क या राजमार्ग पर निकलने वाले किसी सार्वजनिक क्षेत्र/स्थान पर सीधा निकास हो और जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों एवं सुविधाओं में अविभाजित हित के साथ एक स्वतन्त्र वाणिज्यिक इकाई बनता हो और इसके अन्तर्गत भवन में कोई गोदाम भी सम्मिलित है जिसमें कि ऐसी इकाई के स्वामी द्वारा सामान (माल) रखने के लिए ऐसी इकाई अवस्थित है।

(छ)	यदि–	
	(एक) लाभ कमाने या उससे व्यापार करने के आशय से किसी उत्पाद, या कार्यक्रम या आयोजन के संवर्धन हेतु मास मीडिया पर किसी विज्ञापन से सम्बन्धित हो,	संविदा में अनुबन्धित धनराशि के प्रत्येक 1,000 रूपये या उसके भाग के लिए दो रूपये।
	(दो) किसी आयोजन या फिल्म की टेलिकास्टिंग, ब्राडकास्टिंग या प्रदर्शन का अनन्य अधिकार प्रदान करना,	संविदा में अनुबन्धित धनराशि के प्रत्येक 1,000 रूपये या उसके भाग के लिए दो रूपये।

		लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
		(तीन) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा विशिष्ट कार्यकम जहां संविदा का मूल्य 1,00,000 रूपये से अधिक हो,	संविदा में अनुबन्धित धनराशि के प्रत्येक 1,000 रूपये या उसके भाग के लिए दो रूपये।
		(चार) किसी दायित्व, अधिकार या हित का सृजन जिसका आर्थिक मूल्य हो, परन्तु इस अनुच्छेद के अधीन आच्छादित न हो	संविदा में अनुबन्धित धनराशि के प्रत्येक 1,000 रूपये या उसके भाग के लिए, दो रूपये।
		(पांच) कापीराइट एक्ट, 1957 (अधिनियम संख्या–14 सन 1957) के अधीन कापी राइट (प्रतिलिपि अधिकार) का समनुदेशन	ऐसे समनुदेशन के लिए हस्ताक्षरित मूल्य के संविदा में अनुबन्धित धनराशि पर प्रत्येक 1,000 रूपये या उसके भाग के लिए, दो रूपये।
(ज)		यदि अन्यथा उपबन्धित न हो,	एक सौ रूपये ।
		छूट	
		जो केन्द्रीय सरकार को किन्हीं ऐसी निविदाओं के रूप में किये गये हैं जो किसी उधार के लिए हैं, या उससे सम्बन्धित हैं।	
		पट्टे के लिए करार– (संख्या 35) देखिये।	
		लीज का इकरार– लीज (संख्या 35) देखिये।	
6.		**हक–विलेखों के निक्षेप, पण्यम, आडमान या गिरवी से सम्बन्धित करार**–अर्थात निम्नलिखित से सम्बन्धित करार को साक्ष्यित करने वाली कोई लिखत–	
	(1)	ऐसें हक–विलेखों या लिखतों का निक्षेप जिससे किसी भी सम्पत्ति पर (विपण्य प्रतिभूति से भिन्न) हक का साक्ष्य हो जाता है, या	

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(2)	जंगम सम्पत्ति का पण्यम, आडमान या गिरवी, जहां कि ऐसा निक्षेप, पण्यम, आडमान या गिरवी, उधार में अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाये जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में की गई है–	
	(क) यदि ऐसा उधार या ऋण, मांग पर या ऐसे समय पर जो करार को साक्ष्य करने वाली लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक है, प्रतिसंदेय है:	
	उधार या ऋण की रकम के प्रत्येक 1,000 रूपये या उसके भाग के लिए।	पांच रूपये, अधिकतम दस हजार रूपये।
	स्पष्टीकरण– इस अनुच्छेद के खण्ड (1) के प्रयोजनों के लिए, हक–विलेखों के निक्षेप से सम्बन्धित कोई कागजादि, टिप्पण या ज्ञापन या लेख चाहे हक–विलेखों के निक्षेप के प्रभावी होने के समय या उसके पूर्व या पश्चात् लिखे या बनाये गये हों और चाहे वह प्रथम उधार या किसी पश्चातवर्ती उधार के सम्बन्ध में हों, ऐसे कागजादि, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को हक–विलेखों के निक्षेप के सम्बन्ध में किसी पृथक करार की अनुपस्थिति में, हक विलेखों के निक्षेप से सम्बन्धित करार को साक्ष्य करने वाला लिखत समझा जायेगा।	
(ख)	यदि ऐसा उधार या ऋण ऐसे समय पर प्रतिसंदेय है जो ऐसी लिखत के दिनांक से तीन मास से अधिक नहीं है।	शुल्क का आधा जो ऐसी प्रतिभूति राशि के लिए खण्ड (क) के अन्तर्गत उधार या ऋण पर लगता है।
	छूट	
	कृषि उत्पाद के पण्यम, आड़मान या गिरवी की कोई लिखत, यदि वह अप्रमाणित हो।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
7.	**किसी अधिकार के कियान्वयन में नियुक्ति** – न्यासियों का नियुक्त किया जाना या जंगम या स्थावर सम्पत्ति का नियोजन, जहां वह ऐसी लिखत में जो वसीयत न हो, किया गया हो,	
	(क) जहां सम्पत्ति का मूल्य 1,000 रूपये से अधिक नहीं है,	पचास रूपये
	(ख) अन्य स्थिति में	एक सौ रूपये।
8	**दशा या मूल्यांकन आंकना** – जो किसी वाद के अनुकम में न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जाकर अन्यथा किया गया है–	
	(क) जहां कि राशि 1,000 रूपये से अधिक नहीं है,	वही शुल्क जो ऐसी राशि के बन्धपत्र (संख्या 14) पर लगता है।
	(ख) किसी अन्य मामले में,	वही शुल्क जो एक हजार रूपये के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) पर लगता है।
	छूटें	
	(क) आंकना या मूल्यांकन जो केवल एक पक्षकार की जानकारी के लिये किया गया है और जो या तो करार या विधि के प्रवर्तन द्वारा पक्षकारों के बीच किसी भी रीति से आबद्धकर नहीं है।	
	(ख) भाटक के रूप में भूमि स्वामी को दी जाने वाली राशि अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये फसलों को आंकना।	
9	**शिक्षुता विलेख**– जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा लेख है जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक या सेवा या अध्यापन से सम्बन्धित है जो	बीस रूपये

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिये रखा गया है किन्तु जो "क्लर्की के आर्टिक्लिस (संख्या 11) नहीं है। **छूट** शिक्षुता लिखत, जो एप्रेण्टिसेज एक्ट, 1850 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1850) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित की गई है या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी लोक पूर्त द्वारा या उसके प्रभार में शिक्षु रखा गया है।	
10	**कम्पनी के संगम अनुच्छेद** **छूट** ऐसे संगम के अनुच्छेद जो लाभार्जन के लिये नहीं बनाया गया है और जो इण्डियन कम्पनीज एक्ट, 1913 (अधिनियम संख्या 7 सन् 1913) की धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है। *कम्पनी की संगम ज्ञापन (संख्या 40) भी देखिये।*	पांच सौ रूपये
11	**क्लर्की के आर्टिक्लिस** – संविदा या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति इस दृष्टि से कि वह उच्च न्यायालय में अटॉर्नी के रूप में दर्ज हो सके, क्लर्क के रूप में सेवा करने के लिए आबद्ध होता है, *समनुदेशन– यथास्थिति देखिये– हस्तान्तरण–पत्र (संख्या 24), अन्तरण (संख्या 60) और पट्टे का अन्तरण (संख्या 61)* *अटॉर्नी– मुख्तारनामा (संख्या 48) वाली प्रविष्टि देखिये।* *दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार– दत्तक–विलेख (संख्या 3) देखिये।*	चार सौ रूपये

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
12	**पंचाट** –अर्थात वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किये गये किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय, जो विभाजन का निदेश देने वाला पंचाट नहीं है–	
	(क) जहां कि उस सम्पत्ति की, जिससे पंचाट सम्बन्धित है, राशि या मूल्य, जो पंचाट में उपवर्णित हो, 1,000 रूपये से अधिक नहीं है,	वही शुल्क, जो उतनी ही राशि के बाण्डपत्र (संख्या 14) पर लगता है,
	(ख) यदि यह 1,000 रूपये से अधिक है तो प्रत्येक 1,000 रूपये या उसके भाग के लिए	दस रूपये,
	(ग) जहां पंचाट की विषय वस्तु मूल्यांकन में असमर्थ है।	वही शुल्क जो 10,000 रूपये की राशि के बन्धपत्र (संख्या 14) पर लगता है।
	छूट	
	उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 324 (1) या उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अधिनियम, 1922 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1922) की धारा 191 के अन्तर्गत पंचाट।	
13	**बैंक गारण्टी** – किसी संविदा के सम्यक् पालन या किसी दायित्व के सम्यक निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति के रूप में किसी बैंक द्वारा निष्पादित गारण्टी विलेख–	
	प्रत्येक 1,000 रूपये या उसके भाग के लिए,	पांच रूपये परन्तु अधिकतम दस हजार रूपये।
	बिल ऑफ एक्सचेंज– देखें संख्या–13 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूची	

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	बिल ऑफ लेडिंग– देखें संख्या–14 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या–2, सन् 1899) की अनुसूची	
14	बाण्ड– जैसा कि धारा 2 (तीन) द्वारा परिभाषित किया गया है, किन्तु जो डिबेंचर सख्या 27 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूचीबद्व नहीं है और जिसके लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, 1870, (अधिनियम संख्या 7 सन् 1870) द्वारा अन्यथा उपलब्ध नहीं किया है–	
	जहां कि प्रतिभूत रकम या मूल्य 100 रूपये से अधिक नहीं है:	चार रूपये
	जहां कि वह 100 रूपये से अधिक किन्तु 1,000 रूपये से अधिक नहीं है:	चालीस रूपये
	और 1,000 रूपये से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 रूपये या उसके भाग के लिए	चालीस रूपये
	देखें एडमिनिस्ट्रेशन बांड (संख्या 2) *बाटमरी बांड (संख्या 15)* *कस्टम्स बांड (संख्या 27)* *इन्डेमिनिटी बांड (संख्या 33)* *रैस्पान्डेन्शिया बांड (संख्या 54)* *सिक्योरिटी बांड जो बन्धक पत्र नहीं है (संख्या 55)*	
	छूट जब किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रतिभूति के प्रयोजनार्थ, बन्धपत्र निष्पादित किया जाय कि किसी चैरिटेबल डिस्पेंसरी या चिकित्सालय या सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु हेतु निजी अभिदान से प्राप्त स्थानीय आय, प्रति माह एक विनिर्दिष्ट धनराशि से कम न होगी।	

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
15	**पोत–बन्ध पत्र** – अर्थात कोई लिखत जिसके द्वारा समुद्रगामी पोत का मास्टर पोत की प्रतिभूति पर धन उधार लेता है जिससे वह पोत का परीक्षण करने में तथा उसकी समुद्र–यात्रा को अग्रसर करने में समर्थ हो सके।	वही शुल्क जो उतनी राशि के बन्धपत्र (संख्या 14) पर लगता है।
16	**रद्द कर देने का लिखत** – जिसके अन्तर्गत ऐसी कोई लिखत है, (जिसके द्वारा पूर्व में निष्पादित की गई कोई लिखत रद्द कर दी गयी है) यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है। *अवमोचन (संख्या 53) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण [संख्या 56(ख)], पट्टे का अभ्यर्पण (संख्या 59), न्यास का प्रतिसंहरण [संख्या 62(ख)] भी देखिये।*	एक सौ रूपये
17	**नामांकन प्रमाण पत्र**– अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 25 सन् 1961) की धारा 22 के अन्तर्गत–उत्तर प्रदेश राज्य बार काउन्सिल द्वारा जारी किया गया नामांकन प्रमाण पत्र।	पांच सौ रूपये
18	**प्रैक्टिस प्रमाण–पत्र**– नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 53 सन् 1952) की धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नोटरी की तरह प्रैक्टिस करने का प्रमाण–पत्र या उक्त धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत ऐसे प्रमाण–पत्र के नवीकरण का पृष्ठांकन।	दो सौ रूपये
19	**विक्रय प्रमाण पत्र** – (ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में जो अलग लाट में नीलाम पर चढ़ाई गई है और बेची गई है) जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई सम्पत्ति के केता को किसी न्यायालय या किसी अधिकारी, प्राधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्तर्गत दिया गया है।	वही शुल्क जो केवल क्रय धन की राशि के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण [संख्या 24 खण्ड (क)] पर लगता है,

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
20	**प्रमाण–पत्र या अन्य लेखपत्र** – जो उसके धारक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय के किसी शेयर, स्किप या स्टाक सम्बन्धी अधिकार या हक को या किसी ऐसी कम्पनी या निकाय या उसके शेयर, स्किप या स्टाक का स्वामी होने सम्बन्धी अधिकार या हक को साक्ष्यित करता है। *(शेयरों के आवंटन का पत्र (संख्या 37) भी देखें।*	एक रूपया
21	**चार्टर पार्टी** – अर्थात कोई विलेख (टग–स्टीमर के किराये के करार के सिवाय) जिससे कोई जलयान या उसका कोई प्रमुख विनिर्दिष्ट भाग चार्टर के सुनिश्चित प्रयोजन के लिए भाड़े पर दिया जाये, चाहे उसमें शास्ति का उपबन्ध हो या नहीं।	दस रूपये
22	(1) **समाशोधन सूची** – जो किसी स्टाक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत की गयी किसी सरकारी प्रतिभूति के क्रय या विक्रय के संव्यवहार से सम्बन्धित हो।	यथास्थिति अनुच्छेद 44(छ) या अनुच्छेद 5 के खण्ड (ख) के अधीन देय शुल्कों के योग की धनराशि के सम्बन्ध में ऐसी सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए यथास्थिति प्रतिभूतियों के मेकिंग अप मूल्य पर या करार मूल्य पर आगणित मूल्य.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	(2) **समाशोधन सूची** – जो किसी स्टाक एक्सचेंज, चाहे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 42, सन 1956) के अधीन मान्यता प्राप्त हो या न हो, के समाशोधन गृह को प्रस्तुत की गयी किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय के शेयर, स्किप, स्टाक, विलेख, डिबेन्चर, डिबेन्चर स्टाक के क्रय या विक्रय के संव्यवहार से सम्बन्धित हो।	यथास्थिति अनुच्छेद 44 (च) या अनुच्छेद 5 (ग) के अधीन देय शुल्कों के योग की धनराशि के सम्बन्ध में ऐसी सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए यथास्थिति प्रतिभूतियों के मेकिंग अपमूल्य या करार मूल्य पर आगणित मूल्य,
	(3) समाशोधन सूची जो काटन संघ को प्रस्तुत की गयी काटन के क्रय या विक्रय के संव्यवहार से सम्बन्धित हो।	यथास्थिति अनुच्छेद 5(घ) (एक) या अनुच्छेद 44 (क) के अधीन देय शुल्कों के योग की धनराशि जो ऐसी सूची के प्रत्येक प्रविष्टि के मूल्य के सम्बन्ध में हो।
23	**प्रशमन विलेख**– अर्थात किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के लाभ के लिए अपनी सम्पत्ति, हस्तान्तरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन धन या लाभांश का संदाय लेनदारों को प्रतिभूत किया जाता है या	पचास रूपये

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
		जिसके द्वारा निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञप्ति पत्रों के अधीन ऋणी के कारोबार को उसके लेनदारों के लाभ के लिए, चालू रखने के लिए उपबन्ध किया जाता है।	
24		**हस्तान्तरण पत्र** – धारा 2(अपपप) द्वारा यथापरिभाषित, जो ऐसा अन्तरण नहीं है जिसके लेखे पर संख्या 60 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गयी है–	
	(क)	यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित है, जहां ऐसे हस्तान्तरण के प्रतिफल की उसमें उल्लिखित रकम या मूल्य या उस सम्पत्ति का जो ऐसे हस्तान्तरण की विषय वस्तु है, के बाजार मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो,–	
		500 रूपये से अधिक न हो,	चालीस रूपये
		जहां वह 500 रूपये से अधिक है किन्तु 1,000 रूपये से अधिक न हो,	अस्सी रूपये
		और 1000 रूपये से अधिक प्रत्येक 1,000 रूपये या उसके प्रत्येक भाग के लिए :	अस्सी रूपये
		परन्तु यह कि यदि सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1959 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1959) के अधीन गठित किसी स्थानीय निकाय द्वारा या उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम, 1976 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 6, सन् 1976) के अधीन गठित किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम	

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	संख्या 1 सन् 1966) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् और कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा पूर्व–अवधारित मूल्य के आधार पर किसी अचल सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है, तो ऐसे निकायों द्वारा अवधारित मूल्य विषयगत सम्पत्ति का बाजार मूल्य होगा। **स्पष्टीकरण** – इस परन्तुक के प्रयोजन के लिए "**पूर्व अवधारित मूल्य**" में उपरिलिखित प्राधिकरणों द्वारा आवंटी पर अन्तरित सम्पत्ति के सम्बन्ध में लगाया गया ब्याज और/या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित है।	
(ख)	यदि स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित है– सहकारी समितियों से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंजीकृत या पंजीकृत समझी गयी किसी सहकारी आवास समिति द्वारा अपने सदस्यों के पक्ष में, या	प्रतिफल या ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, के आधे पर हस्तान्तरण (संख्या–24 खण्ड (क)) पर देय शुल्क के समान।
(ग)	यदि किसी सहकारी आवास समिति के किसी विद्यमान सदस्य की स्थावर सम्पत्ति के शेयर का अन्तरण किसी अन्तर्गामी व्यक्ति के पक्ष में उक्त सहकारी आवास समिति द्वारा नवीन शेयर जारी किये जाने या जब ऐसा अन्तरण किसी विद्यमान सदस्य के शेयर सर्टीफिकेट में किसी अन्तर्गामी सदस्य के पक्ष में पृष्ठांकन द्वारा किये जाने से सम्बन्धित है : परन्तु यह कि जब उपर्युक्त खण्ड	ऐसी सम्पत्ति के प्रतिफल या बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर हस्तान्तरण (संख्या–24 खण्ड(क)) पर देय शुल्क के समान,

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	(ग) में यथाउपबन्धित शेयरों के ऐसे अन्तरण पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया हो और जब ऐसे शेयरों के अन्तरण के अनुसरण में हस्तान्तरण पत्र निष्पादित किया जाय तो ऐसे हस्तान्तरण पर शुल्क एक सौ रूपये होगा।	
	छूट	
	सहकारी समितियों के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंजीकृत या पंजीकृत समझी गयी किसी सहकारी समिति जो सहकारी आवास समिति नहीं, हो के पक्ष में निष्पादित हस्तान्तरण की लिखत पर।	
(घ)	यदि जंगम सम्पत्ति से सम्बन्धित है :	
	जहां ऐसे हस्तांतरण के प्रतिफल का उसमें यथा निर्धारित धनराशि या मूल्य एक हजार रूपये से अधिक न हो,	बीस रूपये
	और एक हजार रूपये से अधिक प्रत्येक एक हजार रूपये या उसके भाग के लिए	बीस रूपये
(ङ.)	(एक) यदि उच्च न्यायालय के आदेश के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1956) की धारा 394 के अधीन या बैंकिंग रैग्यूलेशन अधिनियम, 1949 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1949) की धारा 44–क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अधीन कम्पनियों के विलयन और पुनर्गठन के सम्बन्ध में, या	निम्न का दस प्रतिशत– बदले में या अन्यथा रूप से निर्गमित या आवंटित या अन्तरित शेयरों के बाजार मूल्य तथा ऐसे विलयन के लिए भुगतान किये गये प्रतिफल की धनराशि का योग, या
	(दो) जिसके द्वारा कोई निगमित कम्पनी या निगमित निकाय अपनी सम्पत्ति का अन्तरण, किसी अन्य निगमित कम्पनी या निगमित निकाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में, नियन्त्रक हित के रूप में इक्विटी शेयरों के अन्तरण द्वारा करता है,	नियन्त्रक हित

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
		के रूप में अन्तरित किये गये इक्विटी शेयरों का बाजार मूल्य, परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन प्रभार्य शुल्क की धनराशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी– (एक) अन्तरण करने वाली कम्पनी के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत के समतुल्य धनराशि , (दो) बदले में या अन्यथा रूप से निर्गमित या आवंटित शेयरों के बाजार मूल्य और ऐसे विलयन के लिए भुगतान की गयी प्रतिफल की धनराशि के

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	योग के 0.70 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि, जो (एक) या (दो) में अधिक हो : परन्तु यह और कि पुनर्गठन या विलयन भंग की दशा में प्रभार्य शुल्क निम्नवत से अधिक नहीं होगा– (एक) निर्विलीन कम्पनी द्वारा परिणामी कम्पनी को उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित किसी स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत के समतुल्य धनराशि, या (दो) परिणामी कम्पनी को निर्गमित या आवंटित शेयरों के बाजार मूल्य के योग के 0.70 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि और

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	ऐसे विलयन भंग के लिए भुगतान की गयी प्रतिफल की धनराशि, जो भी अधिक हो,

छूट

भारत के निवासी द्वारा, या भारत में प्रथमतः प्रकाशित संगीत सम्बन्धी कार्यों में प्रतिलिप्यान्तरण का समनुदेशन ।

स्पष्टीकरण–1

इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के करार के मामले में, जहां निष्पादन के पूर्व या निष्पादन के समय कब्जा दे दिया जाये या हस्तान्तरण–पत्र का निष्पादन किये बिना कब्जा दे दिये जाने का करार किया गया हो, वहां करार को हस्तान्तरण–पत्र समझा जायेगा और उस पर तदनुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा :

परन्तु धारा 52 के उपबन्ध ऐसे करार पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होंगे :

परन्तु यह और कि जब ऐसे कब्जा सहित करार जिस पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा चुका है तथा ऐसे करार के अनुसरण में बाद में हस्तान्तरण पत्र उस करार के निष्पादन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे हस्तान्तरण पत्र पर स्टाम्प शुल्क एक सौ रूपये देय होगा, या

और यदि ऐसे कब्जा सहित करार के अनुसरण में उसके निष्पादन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् हस्तान्तरण–पत्र निष्पादित किया जाता है, या तो इस

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	अनुच्छेद के अन्तर्गत अदा किये गये स्टाम्प शुल्क को तथा खण्ड (ङ) के अन्तर्गत देय स्टाम्प शुल्क की धनराशि का समायोजन उक्त हस्तान्तरण पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क की धनराशि में किया जायेगा। **स्पष्टीकरण –2** (एक) खण्ड (ङ) के प्रयोजन के लिए शेयर के बाजार मूल्य का तात्पर्य,– (क) ट्रान्सफरी कम्पनी के सम्बन्ध में, जिसके शेयर बाजार में लिस्टेड हैं तथा जिनका मूल्य स्टाक एक्सचेन्ज पर ट्रेडिंग के लिए घोषित किया जाता है, आमेलन की योजना में निश्चित दिनांक को शेयरों के बाजार मूल्य से है, और यदि कोई ऐसा दिनांक निश्चित नहीं है, तो उच्च न्यायालय के आदेश का दिनांक, (ख) ट्रान्सफरी कम्पनी के सम्बन्ध में, जिसके शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं हैं / या लिस्टेड हैं परन्तु जिनका मूल्य स्टाक एक्सचेन्ज पर ट्रेडिंग के लिए घोषित नहीं किया जाता है, ट्रान्सफरर कम्पनी के शेयरों के बाजार मूल्य के सन्दर्भ में जारी किये गये या आवंटित शेयरों के बाजार मूल्य या कलेक्टर द्वारा ट्रान्सफरी कम्पनी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् निश्चित बाजार मूल्य से है, (दो) अनुच्छेद (ङ.) के प्रयोजन के लिए एक्सचेन्ज हेतु जारी किये गये या आवंटित किये गये या अन्यथा प्राप्त शेयर का अर्थ वही होगा जो एक्सचेन्ज रेशियो के आधार पर विनिश्चित दिनांक को ट्रान्सफरर कम्पनी के खाते में हों।	
25	**प्रति या उद्धरण**– जिसकी बावत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है, और जो न्यायालय फीस से	

		लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
		सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है–	
	(एक)	यदि उसका मूल पाठ शुल्क से प्रभार्य नहीं है या यदि वह शुल्क जो उस पर प्रभार्य है, दस रूपये से अधिक नहीं है।	दस रूपये
	(दो)	किसी अन्य मामले में जो धारा 7 के उपबन्धों के भीतर न आता हो।	दस रूपये
		छूटें	
	(क)	किसी ऐसे कागज पत्र की प्रतिलिपि जिसके सम्बन्ध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षित है कि वह किसी लोक कार्यालय में या किसी लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिए उसे बनाये या दे।	
	(ख)	जन्म, बपतिस्म, नामकरण, समर्पण, विवाह, विवाह–विच्छेद, मृत्यु या दफन से सम्बन्धित किसी रजिस्टर की या उसमें किसी उद्धरण की प्रतिलिपि।	
26		**प्रतिलेख या द्वितीय प्रति**– किसी विलेख का, जिस पर शुल्क प्रभार्य हो और जिसके लिए उचित शुल्क अदा किया गया हो।	
	(क)	जब मूल विलेख पर जो शुल्क प्रभार्य है वह पचास रूपये से अधिक न हो,	वही शुल्क, जो मूल पर प्रभार्य है
	(ख)	अन्य किसी दशा में जो धारा 7 के प्राविधानों के अन्तर्गत न आता हो।	पचास रूपये
		छूट	
		किसी कृषक को दी गयी लीज का प्रतिलेख जब लीज शुल्क से मुक्त हो।	
27.		**सीमा शुल्क बन्धपत्र**	एक सौ पचास रूपये अधिकतम के अधीन बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
28	**माल की बाबत परिदान आदेश**–अर्थात कोई ऐसी लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति को या उसमें समनुदेशितियों या लिखत के धारक को किसी डाक या पत्तन पर या ऐसे किसी भाण्डागार में, जहां माल भाटक या भाड़े पर या घाट पर संग्रहीत या निक्षिप्त किया जाता है, किसी माल के परिदान के लिए हकदार बनाता है, और ऐसी लिखत उसमें की सम्पत्ति के विकय या अन्तरण पर ऐसे माल के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित की गई हो, जबकि ऐसे माल का मूल्य एक हजार रूपये से अधिक हो। *हक विलेख का निक्षेप, पण्यम, आडमान या गिरवी से सम्बन्धित करार – देखें हक विलेखों का निक्षेप, पण्यम, आडमान या गिरवी से सम्बन्धित करार (संख्या 6) भागीदारी का विघटन देखें भागीदारी (संख्या 47) देखें।*	दस रूपये
29	तलाक – अर्थात ऐसी लिखत जिससे कोई व्यक्ति अपने विवाह का विच्छेद करता है, *देखिये मेहर की लिखत –व्यवस्थापन संख्या –56 प्रतिपर्ण–देखिये संख्या –26*	एक सौ रूपये
30	**सम्पत्ति का विनियम**– सम्पत्ति के विनियम की लिखत जिसमें सम्पत्ति की घोषणा या मौखिक विनियम का अंकन या किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की कोई डिग्री या अन्तिम आदेश भी है,	उच्चतम मूल्य की सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तान्तरण [संख्या–24 खण्ड (क)] के समान शुल्क

उद्धरण – देखिये प्रतिलिपि (संख्या–25)

		लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
31		**अतिरिक्त भार** – अर्थात ऐसी कोई लिखत जो बंधक सम्पत्ति पर अतिरिक्त भार अधिरोपित करे,	
	(क)	जब मूल बन्धक अनुच्छेद संख्या 41 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये प्रकार में किसी प्रकार का हो। (अर्थात कब्जे सहित)	वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूति किये गये और भार की राशि के समतुल्य प्रतिफल के हस्तान्तरण [संख्या 24 खण्ड(क)] पर होता है,
	(ख)	जब ऐसा बन्धक उस प्रकार का हो जिसका अनुच्छेद 41 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किया गया है (अर्थात कब्जा रहित)	
	(एक)	यदि अतिरिक्त भार की लिखत के निष्पादन के समय उस लिखत द्वारा सम्पत्ति का कब्जा दिया जाये, या दिये जाने का करार हो–	प्रभार की कुल राशि (जिसमें मूल बन्धक और पहले अधिरोपित अतिरिक्त प्रभार भी शामिल है) के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तान्तरण। [संख्या 24 खण्ड(क)] के समान शुल्क, उस बन्धक और अतिरिक्त प्रभार पर पहले अदा किये गये शुल्क को कम कर दिया जायेगा।

		लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	(दो)	यदि कब्जा इस प्रकार न दिया गया हो	उस लिखत द्वारा प्रतिभूत किये गये अतिरिक्त प्रभार की राशि के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क।
32		**दान**–की लिखत जो व्यवस्थापन संख्या (56) या वसीयत या अन्तरण (संख्या 60) न हो।	सम्पत्ति के मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तान्तरण (संख्या 24) खण्ड (क) के समान शुल्क
		किराये का इकरार या नौकरी का इकरार (संख्या 5)	
33		**क्षतिपूर्ति बांड**	उसी राशि के लिए जमानती बन्धपत्र, जो बन्धक–पत्र न हो (संख्या 55) के समान शुल्क
		इन्सपेक्टरशिप डीड–देखें प्रशमन विलेख (संख्या 23)	
		बीमा– देखें बीमा की पालिसी (संख्या 47) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची	
34		**लिखत** शुल्क से प्रभार्य किसी लिखत में जिसके सम्बन्ध में उचित शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, पूर्णतया लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने के लिए,	एक सौ रूपये
35		**पट्टा**– जिसमें शिकमी पट्टा या उप लीज और किराये पर उठाने या शिकमी किराये पर देने या लीज के नवीकरण का करार शामिल है–	
	(क)	जब ऐसे पट्टे में किराया नियत हो–और कोई प्रीमियन नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है–	

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	(एक) जब पट्टा तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित हो,	ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय सम्पूर्ण राशि का दो प्रतिशत।
	(दो) जब पट्टा तीन वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित हो,	आरक्षित औसत वार्षिक किराये की राशि या मूल्य के तीन गुने के बराबर प्रतिफल का दो प्रतिशत।
	(तीन) जब पट्टा पॉच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अधिक अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित हो,	आरक्षित औसत वार्षिक किराये की राशि या मूल्य के पांच गुने के बराबर प्रतिफल का दो प्रतिशत।
	(चार) जब पट्टा दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से अधिक अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित हो,	आरक्षित औसत वार्षिक किराये की राशि या मूल्य के दस गुने के बराबर प्रतिफल का दो प्रतिशत।
	(पांच) जब पट्टा बीस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से अधिक अनधिक अवधि के लिए या किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हो,	आरक्षित औसत वार्षिक किराये की राशि या मूल्य के बीस गुने के बराबर प्रतिफल का दो प्रतिशत।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	(छः) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए या शाश्वता के लिए तात्पर्यित है।	वही शुल्क जो सम्पत्ति के, जो पट्टे की विषय वस्तु हो बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 24 खण्ड (क)] पर देय हो।
(ख)	जहां कि पट्टा किसी जुर्माना या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिये गये धन के लिए मंजूर किया गया है और जहां तक कि कोई भाटक आरक्षित नहीं है।	
	(एक) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित है या किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित नहीं है।	वही शुल्क जो ऐसे जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टे में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 24 खण्ड (क)] पर देय हो।
	(दो) जहां कि लीज तीस वर्ष से अधिक अवधि या शाश्वता के लिए तात्पर्यित है,	वही शुल्क जो सम्पत्ति के, जो पट्टे की विषय वस्तु हो बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 24 खण्ड (क)] पर देय हो।

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(ग)	जहां कि लीज आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी नजराने या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिये गये धन के लिए मंजूर किया गया है–	
	(एक) जहां कि लीज तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित है, या किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित नहीं है,	वही शुल्क जो ऐसे जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टे में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 24 खण्ड (क)] पर देय हो और जो उस शुल्क के अतिरिक्त होगा जो उस दशा में, जिसमें कि कोई जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम धन नहीं दिया गया है, या परिदत्त नहीं किया गया है, ऐसे लीज पर देय होता, परन्तु किसी भी दशा में जब लीज करने का करार लीज के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में लीज तत्पश्चात्

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
		निष्पादित किया गया है, तब ऐसे लीज पर स्टाम्प शुल्क पचास रूपये से अधिक नहीं होगा।
	(दो) जहां कि लीज तीस वर्ष से अधिक अवधि या शाश्वता के लिए तात्पर्यित है,	वही शुल्क जो सम्पत्ति के, जो पट्टे की विषय वस्तु हो बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 24 खण्ड (क)] पर देय हो।
(घ)	जहां भाड़ा विनिर्दिष्ट नहीं है और पट्टा लाभ के वितरण या आवर्त के प्रतिशत या अन्यथा के आधार पर, तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए मंजूर किया गया है, वहां भाड़ा ऐसे प्रतिशत या समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अधीन कलेक्टर द्वारा नियत भाड़ा, जो भी अधिक हो, के आधार पर आगणित भाडे के समान समझा जायेगा।	जैसा खण्ड (क) में इस प्रकार आगणित किराये की धनराशि पर है,
(ड.)	जहां पट्टा प्रीमियम और/या लाभ के वितरण या आवर्त के प्रतिशत या अन्यथा आधार पर तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रीमियम और/या भाड़े के अतिरिक्त मंजूर किया गया है : परन्तु किसी भी पट्टे पर देय न्यूनतम शुल्क एक सौ रुपये होगा : पर यह और कि सरकार द्वारा या किसी स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश नगर निगम	यथास्थिति खण्ड (घ) और खण्ड (क) (ख) या (ग) के अधीन आगणित शुल्क की धनराशि पर,

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1959 के अधीन गठित) द्वारा या उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम, 1976 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 6, सन् 1976) के अधीन गठित किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनिअम संख्या संख्या 1, सन् 1966) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् और कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा कोई स्थावर सम्पत्ति पट्टे पर दी जाती है तो स्टाम्प शुल्क निम्नवत् देय होगा–	
	(एक) जहां पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए तात्पर्यित है–	औसत वार्षिक आरक्षित किराये की राशि या मूल्य के दस गुना के समतुल्य हस्तान्तरण [संख्या 24 खण्ड (क)] के लिए प्रतिफल की धनराशि के समान शुल्क

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	(दो) जहां पट्टे का जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये धन के लिए मंजूर किया गया हो और कोई किराया आरक्षित न हो	वही शुल्क जो ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम धन के मूल्य के जो पट्टे में दिया है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण [संख्या 24 खण्ड (क)] पर देय हो।
(तीन)	जहां पट्टे को जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये धन के लिए आरक्षित किराये के अतिरिक्त मंजूर किया गया है और तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए तात्पर्यित है :	वही शुल्क जो ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम धनराशि या मूल्य के जो पट्टे में दिया है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण [संख्या 24 खण्ड (क)] पर खण्ड (एक) के संबंध में उल्लिखित धनराशि के अतिरिक्त हो।
	परन्तु यह भी कि यदि किसी न्यायालय की डिक्री या अंतिम आदेश पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया हो और इसके पश्चात् ऐसी डिक्री या आदेश के अनुसरण में पट्टे की लिखत निष्पादित की	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
गयी हो तो ऐसी डिक्री या आदेश पर पहले ही भुगतान किये गये और/या वसूले गये स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगा। **छूट** खेतिहर की दशा में खेती के प्रयोजनों के लिए पट्टा (जिसके अन्तर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का पट्टा है), जो कि नजराना या प्रीमियम दिये बिना या परिदत्त किये बिना निष्पादित किया गया है और जबकि कोई निश्चित अवधि अभिव्यक्ति की गई है और ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं है, या जबकि आरक्षित किया गया औसत वार्षिक भाटक एक सौ रुपया से अधिक नहीं है। इस छूट में खेती के प्रयोजनों के लिए पट्टा में बाग भूमि या तालाब के साथ कृषि के लिए भूमि का पट्टा भी शामिल किया जायेगा। **स्पष्टीकरण** (1)जब लीज–ग्रहीता ऐसे आवर्तक प्रभार, जैसे सरकारी लगान, भू–स्वामी के भाग का शेष, या मकान मालिक के भाग के म्युनिसिपल रेट्स या टैक्स, जो विधि अनुसार लीजदाता से वसूल होते हैं, अदा करना स्वीकार करे तो वे राशियां जिनको अदा करने का इकरार लीज ग्रहीता द्वारा किया गया हो, किराये का भाग समझी जायेगी। (2) कोई अवधि निश्चित किये बिना माह दर माह या वर्ष दर वर्ष की लीज, या किसी निश्चित अवधि के लिए, लीज ग्रहीता को तत्पश्चात् अनिश्चित काल तक बने रहने की शर्त के साथ दी गयी लीज, इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ऐसी लीज मानी जावेगी जो किसी निश्चित अवधि के लिए अभिप्रेत न हो।	

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	(3) अग्रिम अदा किया गया किराया इस अनुच्छेद के तात्पर्य से अग्रिम धन माना जावेगा, जब तक कि लीज में यह स्पष्ट प्राविधान न हो कि अग्रिम अदा किया गया धन लीज की अन्तिम किश्त या अन्तिम किश्तों में मुजरा किया जावेगा। (4) वह सम्पूर्ण राशि जिसके लिए चुंगी लीज पर दी गयी हो, चाहे वह एक मुश्त अदा की जावे या किश्तों में, इस अनुच्छेद के प्रयोजन से नजराना मानी जावेगी। (5) नजराना या अग्रिम धन या अग्रिम दी जाने वाली या जमा प्रतिभूति, चाहे किसी नाम से पुकारी जाए, के रूप में किसी प्रतिफल को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, आगे लायी गयी प्रीमियम समझी जाएगी। (6) किराए की पूर्व निर्धारित दर के साथ लीज की अवधि के विस्तार के प्रावधान और लीज बढ़ाने के लिए लीजदाता के दायित्व को वर्तमान लीज की अवधि का एक भाग समझा जाएगा।	
36	**इजाजत और अनुज्ञप्ति** – यदि अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित हों, जैसा कि सुखाचार अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1882) की धारा 52 में यथा परिभाषित है।	पटटा (संख्या 35) के समान शुल्क
37	**शेयरों के आवंटन का पत्र**– किसी कम्पनी या प्रस्तावित कम्पनी के शेयरों का, या किसी कम्पनी या प्रस्तावित कम्पनी द्वारा लिए जाने वाला ऋण के सम्बन्ध में। *प्रमाण पत्र या अन्य लेख–पत्र (संख्या 20) भी देखें।*	एक रुपया
38	**लेटर ऑफ लाइसेंस**– अर्थात ऋणी और उसके साहूकारों के बीच ऐसा इकरार कि साहूकार किसी निश्चित समय तक अपने दावों को निलम्बित रखेंगे और ऋणी को अपने विवेकानुसार अपना व्यापार चलाने देंगे।	तीस रुपये

		लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
39.		**आयुध या गोला बारूद से सम्बन्धित लाइसेंस**–अर्थात आयुध अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 54, सन् 1959) के उपबंधों के अधीन आयुध या गोला बारूद से सम्बन्धित लाइसेंस या लाइसेंस का नवीनीकरण को साक्ष्यित करने वाला दस्तावेज–	
	(क)	निम्नलिखित आयुधों से सम्बन्धित लाइसेंस	
		(1)रिवाल्वर या पिस्टल	दो हजार रुपये
		(2)राइफल	एक हजार पाँच सौ रुपये
		(3)डी0बी0बी0एल0 (आयुध)	एक हजार रुपये
		(4)एस0बी0बी0एल0 (आयुध)	एक हजार रुपये
		(5)एम0एल0 (आयुध)	दो सौ रुपये
	(ख)	आयुध नियम, 1962 की तृतीय अनुसूची में दिये गये निम्नलिखित प्रपत्रों पर आयुध गोला बारूद से सम्बन्धित लाइसेंस	
		(1)प्रारूप 11	दस हजार रुपये
		(2)प्रारूप 12	दस हजार रुपये
		(3)प्रारूप 13	पाँच हजार रुपये
		(4)प्रारूप 14	तीन हजार रुपये
	(ग)	निम्नलिखित आयुधों से सम्बन्धित लाइसेंस का नवीकरण–	
		(1)रिवाल्वर या पिस्टल	एक सौ रुपये
		(2)राइफल	एक सौ रुपये
		(3)डी0बी0वी0एल0 (आयुध)	एक सौ रुपये
		(4)एस0बी0वी0एल0 (आयुध)	एक सौ रुपये
		(5)एम0एल0 (आयुध)	एक सौ रुपये
	(घ)	आयुध नियम, 1962 की तृतीय अनुसूची में	

		लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
		दिए गए निम्नलिखित प्रपत्रों पर आयुध या गोला बारूद से सम्बन्धित लाइसेंस का नवीकरण–	
		(1)प्रारूप 11	तीन हजार रुपये
		(2)प्रारूप 12	तीन हजार रुपये
		(3)प्रारूप 13	दो हजार रुपये
		(4)प्रारूप 14	एक हजार रुपये
40		कम्पनी का मैमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन–	
	(क)	यदि कम्पनीज अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1956) की धारा 26 के अधीन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ हो।	पांच सौ रुपये
	(ख)	यदि उसके साथ न हो।	एक हजार रुपये
		छूट	
		ऐसी किसी संस्था का मेमोरेण्डम जो लाभ के लिए न बनायी गयी हो और कम्पनीज अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1956) की धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो।	
41		बन्धक पत्र– जो हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम, आडमान या गिरवी से सम्बन्धित करार (संख्या 6), बाटमरी बांड (संख्या 15) फसल का बन्धक (संख्या 42), रेस्पोन्डेशिया बांड (संख्या 56) या जमानती बांड, जो बन्धक–पत्र न हो (संख्या 55), न हो।	
	(क)	जब उस पत्र में विहित सम्पत्ति पर, या उसके किसी भाग पर, बन्धककर्ता ने कब्जा दिया हो या देने पर इकरार किया हो,	उस विलेख द्वारा सुरक्षित राशि के बराबर प्रतिफल के लिए प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके भाग के लिए बीस रुपये

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(ख)	जब उपरोक्तानुसार कब्जा न दिया गया हो या देने का इकरार न किया हो।	उस विलेख द्वारा सुरक्षित राशि पर, अधिकतम पांच लाख रूपये के अधीन रहते हुए, प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके भाग के लिए पांच रुपये
	स्पष्टीकरण जैसे बन्धककर्ता के बारे में, जो बन्धकदार को बन्धकित सम्पत्ति या उसके भाग का भाटक या पट्टा राशि का संग्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जायेगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ में कब्जा देता है।	
(ग)	जबकि कोई सांपार्श्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या उपरोक्त वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप में जहां कि मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक् रूप से स्टाम्पित है –	
	ऐसी प्रत्येक प्रतिभूत राशि के लिए जो 1,000 रुपये से अधिक नहीं है,	दस रुपये
	और 1,000 रूपये से अधिक ऐसे प्रत्येक 1,000 रुपये या उसके भाग के लिए जो प्रतिभूत हो।	दस रुपये
	छूटें (1) वे लिखते जो लैण्ड इम्प्रूवमेन्ट लोन्स ऐक्ट, 1883 (अधिनियम संख्या 19, सन् 1883) या एग्रिकल्चरिस्ट लोन्स एक्ट, 1884 (अधिनियम	

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	संख्या 12, सन् 1884) के अधीन उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या उसके प्रतिभुओं द्वारा ऐसे उधारों के चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित की गई है। (2) आडमान पत्र जो विनिमय पत्र में संलग्न है।	
42.	**किसी फसल का बन्धक**–जिसमें प्रत्येक ऐसा लिखत सम्मिलित है जो ऐसे ऋण की अदागयी को सुरक्षित करने के ऐसे करार को साक्ष्यित कर रहा हो जो किसी फसल को बन्धक रखते हुए किया गया हो चाहे बन्धक करते समय वह फसल विद्यमान हो या न हो–	
(क)	जब ऋण लिखत की तारीख से तीन से अनधिक मास के लिए प्रतिसंदेय हो, प्रत्येक प्रतिभूत धनराशि के लिए जो 6,000 रुपये से अधिक न हो.	
	प्रत्येक राशि के लिए 6,000 रुपये से अधिक प्रतिभूत प्रत्येक 6,000 रुपये की धनराशि या उसके भाग के लिए।	दस रुपये
(ख)	जब ऋण लिखत की तारीख से तीन माह से अधिक किन्तु 18 मास से अनधिक के लिए माह में संदेय हो और प्रत्येक 100 रुपये या उसके भाग के लिए जो रुपये 3,000 की अधिकता में सुरक्षित किया गया हो।	दस रुपये
43.	**नोटरीय कृत्य**– अर्थात् किसी नोटरी पब्लिक द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में या विधिक रूप से नोटरी पब्लिक का कार्य करते हुए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाया, या हस्ताक्षरित किया गया कोई लिखत, पृष्ठांकन नोट, प्रमाणीकरण, प्रमाण-पत्र या प्रविष्टि (संख्या 49) जो प्रोटेस्ट न हो।	दस रुपये

बिल या नोट का प्रोटेस्ट (संख्या–49) भी देखें

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
44.	नोट या ज्ञापन– जो किसी दलाल का एजेन्ट द्वारा अपने मालिक को यह सूचित करने के लिए भेजा जाये कि मालिक की ओर से क्रय या विक्रय कर दिया गया है–	
	(क) काटन के सम्बन्ध में।	काटन के मूल्य पर प्रत्येक 10,000 या उसके भाग के लिये एक रुपया
	(ख) बुलियन, स्पेसीज के सम्बन्ध में।	यथास्थिति सिल्वर, गोल्ड या सावरिन्स के मूल्य पर प्रत्येक 10,000 रुपये या उसके आंशिक भाग के लिए एक रूपया।
	(ग) तिलहनों के सम्बन्ध में।	तिलहनों के मूल्य पर प्रत्येक 10,000 रुपये या उसके आंशिक भाग के लिए एक रुपया।
	(घ) किसी प्रकार के धागे, गैर खनिजगत तेलों या अन्य किन्हीं प्रकार की प्रजातियों के सम्बन्ध में।	यथास्थिति किसी प्रकार के धागे, गैर-खनिज तेलों या तत्सम्बन्धी किसी प्रकार की प्रजातियों के मूल्य पर प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके आंशिक भाग के लिए एक रूपया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	(ड.) मूल्य में बीस रूपये से अधिक के किन्हीं अन्य माल के सम्बन्ध में।	माल के मूल्य पर प्रत्येक 10,000 रूपया या उसके आंशिक भाग के लिए एक रूपया।
	(च) किसी शेयर, स्क्रिप्ट, स्टाक, बांड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक या समान प्रकृति की अन्य विपणन योग्य प्रतिभूति, जो मूल्य में सरकारी प्रतिभूति न होते हुए बीस रू0 से अधिक हो, के सम्बन्ध में।	यथास्थिति प्रतिभूति के क्रय या विक्रय के समय प्रतिभूति के मूल्य पर प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके आंशिक भाग के लिए एक रूपया।
	(छ) किसी सरकारी प्रतिभूति के सम्बन्ध में।	प्रतिभूति के मूल्य पर प्रत्येक 1,00,000 रू0 या उसके आंशिक भाग के लिए पचास पैसे।
	स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, इसमें ऊपर निर्दिष्ट स्टाक एक्सचेंज का तात्पर्य प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 42, सन् 1956) की धारा 2 के खण्ड (ञ) में यथा परिभाषित किसी स्टाक एक्सचेंज से है।	
45	**जहाज के मास्टर द्वारा प्रोटेस्ट का नोट–** *जहाज के मास्टर का प्रोटेस्ट (संख्या 50) भी देखें।* *ऋण के भुगतान हेतु आदेश – देखें बिल ऑफ एक्सचेंज (संख्या–13) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची*	दस रूपये

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
46	विभाजन– विभाजन का विलेख धारा 2 (सोलह) में यथापरिभाषित	सम्पत्ति के पृथकृत भाग या भागों के मूल्य के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क : परन्तु देय शुल्क दस रूपये के अगले गुणांक तक पूर्णीकृत किया जायेगा।
	विशेष ध्यान– सम्पत्ति के विभाजन होने के बाद बचा सबसे बड़ा भाग, (या यदि बराबर मूल्य के दो या अधिक भाग हों, तो उन बराबर भागों में से एक) वह भाग माना जायेगा जिससे अन्य भाग पृथक किये गये है। परन्तु सदा ही– (क) जब कोई ऐसा विलेख, जिसमें सम्पत्ति को अलग–अलग भागों में विभाजित करने का इकरार निष्पादित किया गया हो और उस इकरार के अनुसरण में विभाजन सम्पन्न किया जाये तो उस विभाजन को कार्यान्वित करने वाले विलेख पर, या, घोषणा या अन्य किसी रूप में, ऐसे विभाजन की शर्तों को लेखबद्ध करने वाले विलेख पर प्रभार्य शुल्क उतना कम कर दिया जायेगा जितना प्रथम विलेख पर अदा किया गया हो, परन्तु वह दस रूपये से कम न होगा। (ख) जब भूमि बन्दोबस्ती लगान पर हो तो इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए उसका मूल्य– (एक) वार्षिक मालगुजारी का बीस गुना, और	

		लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
		(दो) जब भूमि पूर्णतया या अंशतः मालगुजारी की अदायगी से मुक्त हो तो, विभाजन की तारीख से पूर्व, पिछले वर्ष के दौरान भूमि से प्राप्त शुद्ध लाभ का दस गुना माना जायेगा।	
		(ग) जब किसी राजस्व अधिकरण या किसी दीवानी न्यायालय द्वारा पारित विभाजन किये जाने का अन्तिम आदेश, या विभाजन निदेशित करने वाला पंच फैसला, विभाजन के विलेख के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित हो, और उस आदेश या फैसले के अनुसार विभाजन का विलेख बाद में निष्पादित किया जायें तो ऐसे विलेख के लिए दस रूपये से अधिक न लगेगा।	
47.	(क)	**साझेदारी का लिखत–**	
		(क) जब साझेदारी की पूँजी 10,000 रूपये से अनधिक हो।	एक सौ रूपये
		(ख) अन्य किसी दशा में।	वही शुल्क जो 10,000 रूपये पर बन्धपत्र (संख्या 14) के लिए
	(ख)	**साझेदारी का भंग**	एक सौ रूपये।
		आड़ या गिरवी– देखें हक विलेखों का निक्षेप, आडमान या गिरवी से सम्बन्धित करार (संख्या 6) बीमा पालिसी, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची देखें।	
48.		**मुख्तारनामा** (जैसा धारा 2 (बाईस) में परिभाषित है और जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची में प्रॉक्सी (संख्या 52) न हो.)	
	(क)	जब पितामह, पिता, मातामही, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पौत्र, पुत्री, वास्तविक भाई, वास्तविक बहन को बिना प्रतिफल के विक्रय या किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्यथा अंतरण हेतु अधिकृत करें	एक सौ रूपये

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(ख)	जब खण्ड (क) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों से बिना प्रतिफल प्राप्त किये अचल सम्पत्ति का विक्रय या अन्यथा अन्तरण करने का अधिकार दिया जाय,	
	(एक) दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए	पांच हजार रूपये
	(दो) जब अवधि दो वर्ष से अधिक हो या अवधि का लिखत में अंकित न हो या अनिश्चित अवधि के लिए हो	ऐसी अचल सम्पत्ति जो लिखत की विषय वस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण [संख्या 24 खण्ड (क)] के समान
(ग)	जब प्रतिफल प्राप्त करके, उत्तर प्रदेश में स्थित अचल सम्पत्ति के विकय या अन्यथा अन्तरण के लिए हो	ऐसी सम्पत्ति जो लिखत की विषय वस्तु हो, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, जो अधिक हो, पर हस्तान्तरण [संख्या 24 खण्ड (क)] के समान
(घ)	जब खण्ड (क) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों को, जो छः माह या अधिक अवधि से भारत से भिन्न देश में निवास कर रहे हैं, को अचल सम्पत्ति के विकय या अन्यथा अन्तरित करने हेतु	
	(एक) बिना प्रतिफल	एक सौ रूपये
	(दो) प्रतिफल सहित	ऐसी सम्पत्ति के प्रतिफल या बाजार मूल्य, जो अधिक हो, पर हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क)) के समान

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(ड.)	जब मुख्तार को अचल सम्पति का विक्रय करने के लिए अखण्डनीय अधिकार दिया जाये,	ऐसी अचल सम्पत्ति जो लिखत की विषय वस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क)) के समान।
(च)	एक या अधिक व्यक्तियों को एक सौदे में जो अचल सम्पत्ति के विकय या अन्यथा अन्तरण से भिन्न हो, में कार्य करने के लिए	पचास रूपये
(छ)	खण्ड (क) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित अचल सम्पत्ति के विकय या अन्यथा अन्तरण हेतु	
	(एक) बिना प्रतिफल	पांच सौ रूपये
	(दो) प्रतिफल सहित	अधिकतम एक हजार रूपये के अधीन रहते हुए लिखत में अंकित प्रतिफल की धनराशि का एक प्रतिशत,
(ज)	जब मुख्तार आम ऐसे प्रयोजन के लिये बनाया जाय, जो अचल सम्पत्ति के विकय या अन्यथा अन्तरण या खण्ड (क) से (छ) में उल्लिखित प्रयोजन से आच्छादित न हो, या एक सौदे में एक या अधिक लिखतों का पंजीकरण कराने के लिए हो अथवा एक या अधिक लिखतों का निष्पादन स्वीकार करने के लिए हो	एक सौ रूपये।

विशेष ध्यान–शब्द 'रजिस्ट्रीकरण' में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) के

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	अधीन रजिस्ट्रीकरण से प्रासंगिक प्रत्येक क्रिया शामिल हैं। **स्पष्टीकरण** इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए एक फर्म के एक से अधिक व्यक्तियों को एक व्यक्ति माना जायेगा। *प्रामिसरी नोट– देखें भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची।*	
49.	**बिल या नोट का प्रोटेस्ट**– अर्थात् नोटरी पब्लिक या उस पद पर विधिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा बनायी गयी कोई लिखित घोषणा जिसमें किसी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोट के नकारने को तसदीक किया गया हो।	दस रूपये
50.	**जहाज के मास्टर द्वारा प्रोटेस्ट**, अर्थात् हानियों के समायोजन या औसत के आगणन के उद्देश्य से तैयार किये गये जहाज की यात्रा के विवरणों की घोषणा और जहाज के न लादने या न उतारने के लिए चार्टर करने वालों के विरुद्ध की गयी प्रत्येक लिखित घोषणा यदि, वह घोषणा नोटरी पब्लिक, या विधिक रूप से उस पद का कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा तस्दीक या प्रमाणित की गयी हो। *प्राक्सी – देखें भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की अनुसूची* *प्राप्तियाँ– देखें भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची*	दस रूपये
51.	**बन्धक की गयी सम्पत्ति का प्रति हस्तान्तरण**	
	(क) यदि वह प्रतिफल जिसके लिए सम्पत्ति बन्धक की गयी थी, 1,000 रू0 से अधिक न हो।	प्रति–हस्तान्तरण में व्यक्त प्रतिफल की राशि के लिए हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क)) के समान शुल्क।

		लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	(ख)	अन्य किसी दशा में।	1,000 रूपये पर हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क)) के समान शुल्क।
52		**कारोबार का अभिलेख (इलैक्ट्रानिक या अन्यथा)** जो धारा 15 में निर्दिष्ट संगम या स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से निजी व्यापारी सदस्य द्वारा प्रभावित हो।	
	(क)	यदि सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय–विक्रय से सम्बन्धित हो	प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक करोड़ या उसके भाग हेतु पचास रूपये।
	(ख)	यदि ऊपर उप खण्ड (क) के अधीन पड़ने वालों से भिन्न प्रतिभूतियों के क्रय–विक्रय के सम्बन्ध में,	
		(एक) परिदाय की दशा में,	प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक दस हजार या उसके भाग के लिये एक रूपया।
		(दो) परिदाय न होने की दशा में	प्रत्येक दस हजार या उसके भाग हेतु बीस पैसे।
		(तीन) यदि भविष्यकालिक और/या व्यवसाय से सम्बन्धित हो	प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक लाख रूपये या उसके भाग हेतु एक रूपया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	परन्तु यह कि अनुच्छेद 52 के अधीन संदत्त शुल्क, अनुच्छेद 5 (ख) के अधीन संदत्त शुल्क के साथ समायोजित की जाएगी, यथास्थिति अनुबन्ध या अनुबन्ध ज्ञापन, अनुच्छेद 22, समाशोधन सूची और अनुच्छेद–44 या ज्ञापन। **स्पष्टीकरण** खंड (ख) के प्रयोजनार्थ, प्रतिभूतियों के वही अर्थ होंगे जो सिक्योरिटीज कान्ट्रेक्ट (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1956) में दिये गये हैं, पद '**व्यवसायी सदस्य**' का वही अर्थ होगा जो सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (स्टाक ब्रोकर एंड ब्रोकर) रेगुलेशन्स के विनियम 2 (जी–ए) या परिभाषित किया गया है। **छूट** किसी ब्रोकर या एजेन्ट द्वारा अपने मालिक को उसकी ओर से किये गए किसी सरकारी प्रतिभूति या अंश, स्क्रिप, स्टाक, बांड, डिबेन्चर, डिबेन्चर स्टाक या समान प्रकृति की अन्य बाजार योग्य प्रतिभूति जो किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय की हो, के क्रय–विक्रय को सूचित करते हुए भेजा गया नोट या ज्ञापन, कोई प्रविष्टि के समाशोधन सूची में की जाती हो जो अनुच्छेद 22 में वर्णित हो।	
53	अवमोचन – अर्थात् कोई लिखत जो ऐसा अवमोचन न हो जैसा कि धारा 29 की उपधारा (2) से प्रावधानित हो, (1) जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के प्रति कोई दावा छोड़ देता है–	

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	यदि दावे की राशि या मूल्य दस हजार रूपये से अधिक न हो,	अवमोचन में व्यक्त उस राशि या मूल्य के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क
	(2) अन्य किसी दशा में	दस हजार रूपये पर बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क
54.	**रेस्पोन्डेशिया बांड**– अर्थात् किसी जहाज पर लदे माल या लादे जाने वाले माल पर ऋण प्रतिभूत करने वाला और ऋण की वापसी को माल के गन्तव्य बंदरगाह पर पहुंचकर समाश्रित करने वाला लिखत,	सुरक्षित ऋण की राशि के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क
	निरसन– किसी न्यास या व्यवस्थापन का निरसन (देंखे–व्यवस्थापन क्रमांक 59) न्यास (क्रमांक 62)	
55.	**प्रतिभूति बाण्ड जो बन्धक विलेख न हो** –किसी कार्य के यथोचित निष्पादन या उस नाते प्राप्त धन या अन्य सम्पत्ति के उत्तरदायित्व के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित बन्धक विलेख या किसी इकरार के यथोचित निष्पादन या किसी दायित्व के यथोचित निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रतिभू द्वारा निष्पादित बन्धक विलेख	
	(क) जब प्रतिभूत धन 100 रूपये से अधिक न हो।	दस रूपये
	(ख) अन्य किसी दशा में।	एक सौ रूपये
	छूट	
	बांड या अन्य लिखत जिसका निष्पादन–	
	(क) किसी व्यक्ति द्वारा यह गारन्टी करने के प्रयोजन से किया गया हो कि किसी धर्मार्थ औषधि केन्द्र या चिकित्सालय या अन्य सार्वजनिक हित के अन्य कार्य के लिए निजी	

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	चन्दे से होने वाली आय प्रतिमास एक निश्चित राशि से कम न होगी।	
(ख)	भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1883) या कृषक उधार अधिनियम, 1884 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1884) के अधीन अग्रिम लेने वाले व्यक्तियों या उनके जमानतियों द्वारा उस अग्रिम की वापसी की प्रतिभूति के लिए निष्पादित किया गया हो।	
(ग)	सरकारी अफसरों या उनके जमानतियों द्वारा किसी कार्य का यथोचित निष्पादन या उसके नाते प्राप्त धन या अन्य सम्पत्ति का यथोचित उत्तरदायित्व सुरक्षित करने के लिए निष्पादित किया गया हो।	
56. **व्यवस्थापन–**		
क	लिखत (जिसमें मेहर का लेख पत्र भी शामिल है)।	व्यवस्थापित सम्पत्ति की राशि या बाजार मूल्य के बराबर धनराशि के लिए बाण्ड (संख्या 14) के समान शुल्क : परन्तु यदि व्यवस्थापन का इकरार उतने स्टाम्प से स्टाम्पित हो जो व्यवस्थापन के लिखत के लिए चाहिये था और करार के अनुसरण में

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
		बाद में व्यवस्थापन का लिखत निष्पादित किया जाये तो ऐसे लिखत पर शुल्क (दस रूपये) से अधिक न होगा।
	छूट मुसलमानों के बीच विवाह के अवसर पर निष्पादित मेहर का लेख–पत्र। *न्यास (संख्या 64) भी देखें।*	
	ख व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण	वही शुल्क जो सम्बन्धित सम्पत्ति की राशि या मूल्य के बराबर धनराशि के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क किन्तु पचास रूपये से अधिक नही।
57.	**शेयर वारंट**– जो धारक को, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 (अधिनियम संख्या 7 सन् 1913) के अधीन जारी किया गया।	वारण्ट में निर्दिष्ट शेयरों में अंकित राशि के बराबर प्रत्यक्ष राशि के लिए सौंप देने से अन्तरणीय डिबेंचर (संख्या 27 (ख)) के समान शुल्क।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	छूट	
	किसी कम्पनी द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 (अधिनियम संख्या 7 सन् 1913) की धारा 43 के अनुसार जारी किये गये शेयर वारण्ट– जो उसी दशा में लागू होगा जब स्टाम्प राजस्व के कलेक्टर को, उस शुल्क के समझौते के रूप में–	
	(क) कम्पनी को अभिदत्त पूंजी का डेढ़ प्रतिशत, या	
	(ख) यदि किसी कम्पनी ने वह शुल्क या समझौते की राशि पूर्णरूपेण अदा कर दी हो, और वह बाद में अपनी अभिदत्त पूंजी में वृद्धि करे, तो अतिरिक्त जारी की गयी पूंजी का डेढ़ प्रतिशत, अदा कर दिया जाये।	
	स्क्रिप– देखें प्रमाण–पत्र (संख्या 20)	
58.	**जहाजरानी आदेश–** किसी जलयान पर माल ढोने के लिए, या से सम्बन्धित।	दस रूपये
59.	**लीज का अभित्याग–**	वही शुल्क जो, 1000 रूपये के बन्धपत्र (संख्या–14) पर लगता है या वह शुल्क जो ऐसे पट्टे पर प्रभार्य है, इनमें जो भी कम हो: परन्तु देय शुल्क को दस रूपये के अगले गुणांक पर पूर्णांकित किया जायेगा।
	छूट	
	लीज का अभित्याग, जब वह लीज शुल्क से मुक्त हो।	
60.	**अन्तरण–** (चाहे प्रतिफल से या बिना प्रतिफल के)	
	(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची देखें	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(ख)	डिबेंचरों का–जो विक्रय ऋणपत्र हो, चाहे डिबेंचर पर शुल्क देय हो या नहीं– धारा 8 में उल्लेखित डिबेंचरों को छोड़कर	
जब शेयर का मूल्य या डिबेंचर की अंकित राशि 500 रूपये से अधिक न हो।		दस रूपये
जब 500 रूपये से अधिक, किन्तु 1,000 रूपये से अधिक न हो।		बीस रूपये
और 1,000 रूपये से अधिक प्रत्येक पांच सौ रूपये या उसके भाग के लिए।		दस रूपये
(ग)	बाण्ड, बन्धक पत्र या बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत किसी हित का–	
(एक)	यदि ऐसे बाण्ड, बन्धक-पत्र या बीमा पालिसी पर शुल्क एक सौ रूपये से अधिक न हो तो।	वही शुल्क जो उस बाण्ड, बन्धक पत्र या बीमा पालिसी पर प्रभार्य था। परन्तु संदेय शुल्क के दस रूपये के अगले गुणांक पर पूर्णांकित किया जायेगा,
(दो)	अन्य किसी दशा में।	एक सौ रूपये परन्तु यह और कि संदेय शुल्क के अगले गुणांक पर पूर्णांकित किया जाएगा, परन्तु यदि किसी एक लिखत द्वारा कोई बन्ध-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
		पत्रों, बन्धक-पत्रों या बीमा नीतियों द्वारा प्रतिभूत हित का अन्तरण किया जाता है तो ऐसे लिखत के सम्बन्ध में संदेय शुल्क उन शुल्कों का योग होगा, जो संदेय होता, यदि अन्तरण के पृथक लिखतों को ऐसे प्रत्येक बाण्ड, बन्धक विलेख या बीमा नीति के सम्बन्ध में निष्पादित किया जाता : परन्तु यह और है कि देय शुल्क को दस रूपये के अगले गुणांक पर पूर्णांकित किया जायेगा।
(घ)	महाप्रशासक अधिनियम, 1913 (अधिनियम संख्या 45, सन् 1913) की धारा 25 के अधीन किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में।	एक सौ रूपये
(ड.)	किसी न्यास सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो बिना किसी प्रतिफल के, एक न्यासी से दूसरे न्यासी को या न्यासी से लाभाग्राही को–	सत्तर रूपये

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	छूट	
	पृष्ठांकन द्वारा अन्तरण–	
	(क) बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक या प्रोमेसरी नोट के सम्बन्ध में,	
	(ख) बिल ऑफ लेडिंग, माल छुड़ाई का आदेश, माल का वारंट या माल पर हक के किसी अन्य व्यावसायिक दस्तावेज के सम्बन्ध में।	
	(ग) बीमा पालिसी के सम्बन्ध में,	
	(घ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में।	
	(धारा 8 भी देखें)	
61.	**पट्टा का अन्तरण**– अभ्यर्पण के रूप में, न कि शिकमी लीज के रूप में।	
	(क) जहाँ पट्टा अन्तरण का तात्पर्य तीस वर्ष की अवधि से अनधिक के लिए है।	अन्तरण के प्रतिफल की राशि के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तान्तरण (क्रमांक 24 खण्ड (क)) के समान शुल्क।
	(ख) जहाँ पट्टा अन्तरण का तात्पर्य तीस वर्ष से अधिक अवधि से या निरन्तरता से हो या उसका तात्पर्य किसी निश्चित अवधि से न हो,	सम्पत्ति के अन्तरण के प्रतिफल या उसके बाजार मूल्य की धनराशि, जो भी अधिक हो, के बराबर प्रतिफल पर, हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड(क)) के समान शुल्क

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	छूट	
	उस पट्टा का अन्तरण जो शुल्क से मुक्त हो,	
	स्पष्टीकरण	
	नवीनीकरण अवधि यदि पट्टा में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित हो, को वर्तमान पट्टा अवधि के भाग के रूप में माना जायेगा।	
62.	**न्यास–**	
क	किसी सम्पत्ति की या सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा जो लिखित रूप में की गयी हो और जो वसीयत न हो।	
	(क) जब मूल्य या राशि 10,000 रूपये से अधिक न हो।	बाण्ड (संख्या 14) के समान शुल्क
	(ख) जहाँ प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार रूपये या उसके आंशिक भाग के लिए ऐसी धनराशि दस हजार रूपये से अधिक हो।	दस हजार रूपये पर – वह शुल्क जो खण्ड (क) के अधीन संदेय है, और बाकी पर, प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार या उसके भाग के लिए दस रूपये
ख	किसी सम्पत्ति का, या सम्पत्ति से सम्बन्धित निरसन जो वसीयत से भिन्न किसी लिखत द्वारा किया जाये,	सम्बन्धित सम्पत्ति की राशि, या मूल्य के बराबर धनराशि के लिए बाण्ड (संख्या 14) के समान शुल्क परन्तु 2,000 रू0 के बाण्ड (संख्या 14) पर देय शुल्क से अधिक नहीं।

	लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
	*व्यवस्थापन (संख्या 58) भी देखें। **मूल्यांकन**-- दशा आंकलन (संख्या 8) तथा*	
	***वकील**-- स्वरूप प्रविष्ट (संख्या 17) देखें।*	
63.	**माल का वारंट**– अर्थात् कोई लिखत जिससे उसमें नामित किसी व्यक्ति का, या उसके अभ्यर्पिती या धारक का, किसी काल में जो किसी गोदी, घाट या गोदाम में रखा हो, हक प्रमाणित होता हो, यदि ऐसा विलेख उस व्यक्ति द्वारा या उसकी तरफ से, जिसके तहत वह माल हो, हस्ताक्षरित या प्रमाणित किया गया हो।	दस रूपये
64.	**कार्य संविदा**– जो किसी संविदा के सम्यक् निष्पादन या दायित्व के सम्यक् निर्वहन को सुनिश्चित करने के निमित्त किसी प्रतिभूति की अनुबद्धता रखने वाले किसी करार के निष्पादन के लिए किया गया है।	न्यूनतम एक सौ रूपये और अधिकतम दस लाख रूपये के अध्यधीन ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत धनराशि या उसके मूल्य के सम्बन्ध में प्रत्येक एक हजार रूपये या उसके आंशिक भाग के लिए पांच रूपये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-81 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 को पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008

आबकारी, लोक निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008 पर विचार किया जाये।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपने कछार का उपयोग, थोक जल हकदारी और विद्युत और व्यवस्था उपयोग के लिए कर लगाने की बात कही है लेकिन उसमें दो-तीन चीजें हैं कि नलकूपों पर भी कर लगाने की बात कही है। बाढ़ संरक्षण व जल निकासी द्वारा लाभान्वित जमीन पर ऐसे पट्टाधारक अथवा मालिकों पर भी उपकर लगाने की बात कही है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि इतना लम्बा कर क्यों लगाना चाहते हैं। एक चीज और कहना चाहता हूं कि जैसे आपका सिंचाई विभाग है वहां अगर एक किसान कोई गलती करता है तो वहां पर इन्होंने दण्ड का प्राविधान रखा है और दण्ड भी इतना ज्यादा है इसके अन्दर कि एक साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना। इतना तगड़ा दण्ड है, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसे देख लें। जितनी बड़ी चोरियां हो उसके हिसाब से प्राविधान किया जाय। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी आयोग होता है उसमें प्रशासनिक अधिकारी पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। इसके अन्दर आप पढ़े-पांच लोगों की कमेटी बनायी है। उसमें जो अध्यक्ष हैं, उनके लिए तो आपने बी0ए0 या बी0एस0सी0 पास रखा है, लेकिन जो चार अन्य लोग होंगे वह बहुत बड़े विद्वान होने चाहिए। उनके पास बड़ी-बड़ी डिग्रियां होनी चाहिए। हम यह चाहते है कि जो आयोग बन रहा है उसमें एक ऐसा आदमी रखा जाय जो जल प्रबन्धन का विद्वान हो, यही मुझे कहना है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह एक ऐसा प्रस्ताव माननीय मंत्री जी लाये हैं इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। वस्तुतः जो भू-गर्भ जल का दोहन है और सम्पूर्ण जल के जो प्रबन्धन की व्यवस्था है, उसके मामले में एक गम्भीर लापरवाही घर की टोटी से लेकर नहर के पानी तक, छोटे ट्यूबवेल से लेकर तालाब तक जितना दोहन करते हैं उसके लिए नियामक संस्था नहीं थी। कोई पैमाना नहीं था कि कितना जल का दोहन होगा। कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त नहीं था कि कैसे इसको रिचार्ज करेंगे, कैसे इसको नियमित किया जाय। इसके बारे में चर्चा वस्तुतः बहुत दिनों से चल

रही थी। यहां पर भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री शैफुद्दीन सोज़ साहब आये थे। हमारी एक बैठक भी हुई थी, उसमें विचार चल रहा था, उन लोगों को अवगत कराया गया था। जब डिसकस किया गया तो उन्हें खुशी हुई कि इसमें गम्भीरता से विचार हो रहा है। मैं केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इसे प्रारम्भिक स्तर पर लेकर आये हैं, इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन अपने मन और दृष्टि खुली होनी चाहिए। आज आप इसे पारित करा लें लेकिन इसमें चर्चा होनी चाहिए। केवल औपचारिक तरीके से इसे पास करा लेने के गर्ज से नहीं, बल्कि आपने सम्पूर्ण सदन में, अगर इस फोरम पर नहीं, लेकिन, जो भी इसमें जागरूक लोग हों उन लोगों के बीच विचार विमर्श करके उसको सुदृढ़ीकरण तरीके से ले आना चाहिए था। यह कोई अन्तिम स्थिति नहीं है। आज आप इसको ले आ रहे हैं, तो आप यह नियामक आयोग बनाइये और नियामक आयोग बनाने के साथ-साथ दूसरी गाइड लाइन्स को इतनी शक्ति और मजबूती के साथ कीजिये कि जो हमारा अमूल्य धन है जल, जो नष्ट हो रहा है और दूसरी स्थिति यह हो रही है प्रदेश के अन्दर कार्यवाही नहीं हो सकी कि जिन गांवों में यह पैप्सी और कोका कोला के बाटलिंग प्लान्ट लगे उन लोगों ने इतना दोहन उसका किया कि आस-पास के पांच-छः गांवों की जमीन बिल्कुल बंजर हो गयी और वह दोहन करके अपनी फैक्टरी बंद करके दूसरी जगहों पर चले गये हैं। केरल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। हमारे यहां पर तमाम जगहों पर चल रहे हैं। मैं पुनः माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसको बहुत ही गम्भीरता से लेते हुए जो नियामक आयोग का गठन करने का काम इस विधेयक के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे पानी की एक बूंद भी नष्ट न हो, उसको उतना ही मूल्यवान समझकरके हम इस धरोहर को रख सकें और भू-गर्भ जल का ठीक से इस्तेमाल कर सकें, दोबारा रिचार्ज कर सकें इसके लिए इसमें उपबन्ध और सारी स्थितियां नहीं दी हैं, तो इस पर आप सम्यक् विचार करते हुए और बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने का और कानून बनाने का काम करें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

चौधरी साहब आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। राजेन्द्र सिंह जी ने इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के योग्यता के बारे में सवाल उठाया है। मुझे जहां तक याद है मा0 संसदीय कार्य मंत्री सुबह थे और जो प्रस्तावक है राधामोहन दास अग्रवाल जी वह मान्यवर, इसी जगह पर इसी बात के लिए धन्यवाद देकर गये हैं कि आप योग्य व्यक्तियों को अध्यक्ष और सदस्य बनाने का इसमें प्रस्ताव लाये हैं। अध्यक्ष की योग्यता क्या है आपने पढ़ ही लिया है, सदन का समय अगर बरबाद न हो तो मैं पढ़ कर सुना दूं। अध्यक्ष की जो योग्यता है मान्यवर, अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास न्यूनतम 25 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि हो और उसने राज्य सरकार के मुख्य सचिव या भारत सरकार के सचिव का पद या उसके समकक्ष कोई पद अवश्य धारण किया हो और जल

संसाधन से सम्बन्धित विभाग का अनुभव रखता हो। इससे बड़ी योग्यता और क्या हो सकती है ? इस बात के लिए तो आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देने के बजाय आप कह रहे हैं कि योग्य नहीं हैं। इसमें चार सदस्य हैं, अब आप अलग-अलग सदस्यों की योग्यता देख लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

ठीक है, अब इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, हम इससे संतुष्ट हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

अगर आप लोग संतुष्ट हैं, तो मैं माननीय सदस्य डा0 राजेन्द्र सिंह से कहूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

इसमें कुछ कमियां हैं उन्हें आप दूर कर दीजिए।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

देखिये ऐसा है, यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है और यह जो हो रहा है, यह भारत सरकार में जो जल संसाधन से सम्बन्धित जो पहले, अभी सोज़ साहब का जो आपने जिक्र किया, उनसे बात होने के बाद उसी तर्ज पर हो रहा है और कोई यह नई बात नहीं है। जल संस्थान पानी देता है तो उसका शुल्क लेता है, उसका कर लेता है। जल निगम हो, सिंचाई के लिए जहां कहीं भी हो तो यह आवश्यक है, यदि यह नहीं किया जायेगा, इस पर प्रतिबद्ध नहीं किया जायेगा, वर्षा का तमाम जल होता है, वह सब कहीं न कहीं बहकर निकल जाता है। भूगर्भ जल का हम दोहन करने में लगे हैं, दोनों का लिंक है नही दोनों को संरक्षित हम कर नहीं पा रहे हैं। ये देखिये कोई हमारा पहला स्टेट नहीं है महाराष्ट्र और अन्य स्टेटों में है और सही ढंग से चल रहा है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि सदन के जो भी माननीय सदस्य हैं सब लोग इसका स्वागत करें और सर्वसम्मति से इसको पास होने दें और आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

डा0 राजेन्द्र सिंह जी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, इसमें किसानों के ऊपर भी एक लाख रुपया और एक साल का दण्ड लगेगा।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

यह सही है।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, यह उचित नहीं है, यह तो किसानों के साथ अन्याय है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे है इसलिए अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-36 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग विधेयक, 2008

राज्य के भीतर जल संसाधन को विनियमित करने, विवेकपूर्ण, साम्यापूर्ण और पोषणीय प्रबंधन, पर्यावरण एवं आर्थिक दृष्टि से पोषणीय राज्य के विकास हेतु जल संसाधन के आवंटन और अनुकूलतम उपयोग को सुगम बनाने एवं सुनिश्चित करने, कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजन के लिये राज्य जल नीति के अनुसार उपयुक्त नियामक उपकरणों के माध्यम से जल उपयोग हेतु प्रभार अवधारित करने एवं लाभान्वित भू-स्वामियों से बाढ़ रक्षा एवं जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर उपकर की दर निर्धारित करने के लिये उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग की स्थापना और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार,

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग विधेयक, 2008 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा एतदर्थ नियत करें।

(4) इस अधिनियम के उपबंध, उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873 और उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, लागू होंगे।

परिभाषाएं

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) ''कार्यक्षेत्र'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र से है जिसमें जल का प्रबंधन और उसका संभरण सार्वजनिक या निजी अभिकरण द्वारा प्रयोग करने वाले विभिन्न खण्डों को किया जाता हो या ऐसे क्षेत्र से है जो बाढ़ संरक्षण और जल–निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित होता हो;

(ख) ''कछार'' का तात्पर्य किसी नदी के इर्द–गिर्द के ऐसे भू–क्षेत्र से है जिससे धारायें उसमें प्रवाहित होती हैं;

(ग) ''थोक जल हकदारी'' का तात्पर्य किसी परियोजना, नदी प्रणाली या भण्डारण सुविधा द्वारा उत्पादित जल संसाधन की, हकदारी प्रदान करने वाले आदेश में यथाउपबंधित किसी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिये, हिस्सेदारी हेतु आयोग द्वारा किये गये मात्रात्मक प्राधिकार से है;

(घ) ''उपयोग की श्रेणी'' का तात्पर्य विभिन्न प्रयोजनों यथा पेय और घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक, सिंचाई, विद्युत, कृषि और पर्यावरण संबंधी प्रयोजन आदि और उसके अंतर्गत यथाविहित अन्य प्रयोजन भी हैं, के लिये जल उपयोग के वर्णीकरण से है;

(ङ) ''उपकर'' का तात्पर्य बाढ़ संरक्षण और जल–निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर ऐसी भूमि के स्वामी/पट्टाधारियों से प्रभारित की जाने वाली धनराशि से है;

(च) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है;

(छ) ''आयोग'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग से है;

(ज) ''हकदारी'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये जल के उपयोग हेतु आयोग द्वारा किये गये प्राधिकार से है;

(झ) ''भू–जल'' का तात्पर्य ऐसे जल से है, जो किसी विशिष्ट स्थान पर, ऐसे भू–वैज्ञानिक संरचना को छोड़कर जिसमें जल स्थिर या गतिमान हो, जिसके अंतर्गत भू–जल के जलाशय भी हैं, भू–तल के नीचे किसी जलकुंड में विद्यमान रहता हो;

(ञ) ''भू–गर्भ जल हकदारी'' का तात्पर्य प्राधिकारी द्वारा विहित मानकों के अनुसार सम्यक् एवं विधिक रूप से अनुज्ञा प्राप्त, पंजीकृत और निर्मित किसी नलकूप, बोरिंग कूप या अन्य कूप से या भू–गर्भ जल निकालने के किसी अन्य साधन द्वारा, मैदानों और कुओं से निकाले जाने वाले जल की आयतनिक मात्रा के लिए व्यक्तिगत या थोक जल हकदारी से है;

(ट) ''व्यक्तिगत जल हकदारी'' का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट थोक जल हकदारी से भिन्न जल के प्रयोग के लिये आयोग द्वारा किये गये किसी प्राधिकार से है;

(ठ) ''एकीकृत राज्य जल योजना'' का तात्पर्य सतही और भू-जल दोहन के प्रयोग के लिये आयोग द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित जल योजना से है;

(ड) ''लाइसेंस'' का तात्पर्य आयोग द्वारा यथाविहित रूप से प्रदान किये गये लाइसेंस से है;

(ढ) ''लाइसेंसधारी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/संगठन से है जो जल संभरण प्रणाली का अनुरक्षण करता हो, जल का संभरण करता हो और जल टैरिफ एकत्रित करता हो या जो नलकूप/डीजल पंपिंग सेट का स्वामी हो या किसी प्रयोजन के लिये, जिसके अंतर्गत भू-गर्भ जल के दोहन द्वारा घरेलू उपयोग भी है, भू-गर्भ जल का उपयोग करता हो।

(ण) ''सदस्य'' का तात्पर्य आयोग के किसी सदस्य से है;

(त) ''अधिसूचित क्षेत्र'' का तात्पर्य अत्यधिक दोहित या संकटपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत आने वाली इकाई/न्याय पंचायत से है;

(थ) ''विहित प्राधिकारी'' का तात्पर्य जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली के भीतर विभिन्न स्तरों पर किसी ऐसे प्राधिकारी से है जिसे आयोग द्वारा किसी प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध जल का कोटा या उसकी मात्रा का उपयोग आयोग द्वारा सम्यक् रूप से निर्गत हकदारी के आवंटित प्रतिशत के रूप में वार्षिक या मौसम के आधार पर करने हेतु अवधारित या घोषित करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो;

(द) ''परियोजना स्तरीय इकाई'' का तात्पर्य किसी जल संसाधन परियोजना के अंतर्गत किसी सामान्य संभरण स्रोत से समस्त जल उपभोक्ता इकाइयों के किसी समूह से है;

(ध) ''कोटा'' का तात्पर्य किसी हकदारी धारक को उपलब्ध कराये गये जल की ऐसी आयतनिक मात्रा से है जिसे वार्षिक या मौसम के आधार पर आवंटन प्रतिशत द्वारा हकदारी में गुणा करके प्राप्त किया जाता है;

(न) ''विनियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों से है;

(प) ''चयन समिति'' का तात्पर्य अध्याय-दो की धारा 6 के अधीन गठित चयन समिति से है;

(फ) ''सीवर व्यवस्था'' का तात्पर्य किसी समुदाय के गृहों, संस्थाओं, उद्योग तथा सार्वजनिक स्थानों से उच्छिष्ट जल एकत्र करने और ऐसे उच्छिष्ट जल, व्यर्थ द्रव्य पदार्थ, अवमल, गैस और अन्य अन्तोत्पत्ति को पम्प करके निकालने, शोधन करने और निस्तारण करने से है;

(ब) ''राज्य जल नीति'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित राज्य जल नीति-1999 से है;

(भ) ''स्वारा'' और ''स्वारडैक'' का तात्पर्य कमशः राज्य जल संसाधन अभिकरण और राज्य जल संसाधन आँकड़ा और विश्लेषण केन्द्र से है जो आयोग के प्राविधिक सचिवालय के रूप में कार्य करेगा;

(म) ''टैरिफ'' का तात्पर्य जल संभरण उपलब्ध कराने हेतु लागू विनिर्दिष्ट प्रभार या प्रभारों के वर्ग से है;

(य) ''उपयोगकर्ता'' का तात्पर्य किसी जल प्रयोक्ता इकाई यथा अभिकरण, कंपनी, व्यक्ति, निदेशक आदि से है जो जल के प्रबन्धन, शोधन और कृषि, बागवानी, घरेलू, उद्योगों, नगरपालिका/ ग्रामीण जल संभरण को वितरण करने के लिए या आयोग द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य प्रयोजन के लिये उत्तरदायी हो;

(कक) ''भू-गर्भ जल प्रयोक्ता'' का तात्पर्य व्यक्तिगत या सामूहिक आधार पर घरेलू उपयोग सहित किसी प्रयोजन के लिये भू-गर्भ जल का स्वामित्व रखने या उपयोग करने वाली किसी कंपनी या अधिष्ठान, चाहे वह सरकारी हो या निजी, सहित किसी संस्था के व्यक्ति या व्यक्तियों से है;

(कख) ''जल'' का तात्पर्य नदियों में या किसी नदी के किसी भाग में, धारा, झील, जलभृत या प्राकृतिक जल-निकास की नहर में जल के प्राकृतिक संचयन से, मल और औद्योगिक उच्छिष्ट आदि के शोधन के पश्चात् पुनः चक्रित जल अर्थात् जल संभरण और सीवर-व्यवस्था, सिंचाई और नहरों, जल-निकास और तटबंधों, जल संग्रहण और जल विद्युत से प्राप्त होने वाले जल या जलीय चक्र के अंतर्गत संगृहीत या प्रवाहित सभी प्रकार के (ठोस, द्रव या वाष्प) ऐसे जल से है जो जीवन के पोषणीय गुणवत्ता या पोषणीय प्राकृतिक पर्यावरण के लिये आवश्यक है।

(कग) ''जल प्रयोक्ता इकाई'' का तात्पर्य जल प्रयोक्ता संघ, उपयोगकर्ता, औद्योगिक जल प्रयोक्ता संघ या किसी अन्य समूह या व्यक्ति सहित किसी ऐसी जल प्रयोक्ता इकाई से है जो जल हकदारी को प्राप्त करने एवं उसका उपयोग करने के लिये आयोग द्वारा प्राधिकृत की गयी हो;

(कघ) ''जल उपलब्धता'' का तात्पर्य किसी अवधि, या मौसम या वर्ष, के लिये प्रयोग हेतु सतही या भू-जल जो पुनःभरण योग्य है की उपलब्धता से है;

(कङ) "जल गुणवत्ता" का तात्पर्य ऐसे सुलभ जल से है जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उपभोग व उस प्रयोजन, जिसके लिये उसका संभरण किया जाता है, के लिये सुरक्षित है।

अध्याय–दो

आयोग की स्थापना

आयोग की स्थापना

3–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के एक माह के भीतर अधिसूचना द्वारा एक आयोग की स्थापना करेगी जिसे उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग के रूप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का निष्पादन करेगा।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा।

(3) आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

(4) आयोग में एक अध्यक्ष और चार से अनधिक संख्या के सदस्य, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, होंगे;

(5) अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति धारा 6 में निर्दिष्ट चयन समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता

4–(1) केवल ऐसे ही व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा जो नीचे उल्लिखित अर्हताएं रखता हो:–

(क) <u>अध्यक्षः–</u>

अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास न्यूनतम 25 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान की स्नातक की उपाधि हो और उसने राज्य सरकार के मुख्य सचिव या भारत सरकार के सचिव का पद या उसके समकक्ष कोई पद अवश्य धारण किया हो और जल संसाधन से संबंधित विभागों का अनुभव रखता हो।

(ख) <u>सदस्यगणः–</u>

(एक) एक सदस्य जल संसाधन के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की सिविल/यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो और सिंचाई/ जल संसाधन के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्ष की सेवा का अनुभव रखता हो और मुख्य अभियंता या उसके समकक्ष किसी पद पर कार्य किया हो।

(दो) एक सदस्य जल संसाधन अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जो अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो या वित्त एकाउण्टेंसी में एम. बी.ए. हो। उसको किसी प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थान में आचार्य के रूप में या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4-क के अधीन विनिर्दिष्ट किसी वित्तीय संस्था में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अर्थान्तर्गत किसी अनुसूचित बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य करने के साथ कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिये या उसकी वित्त, विनियम, टैरिफ संरचना आदि से संबंधित सारभूत व्यावसायिक पृष्ठभूमि अवश्य होनी चाहिये।

(तीन) एक सदस्य पेयजल और उच्छिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल/यांत्रिक/सार्वजनिक स्वास्थ्य/पर्यावरणीय अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो। उसको नगरीय/ग्रामीण जल संभरण/ जल निकास/सीवर व्यवस्था और उच्छिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 25 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिये और उसने जल संभरण के लिए भू-जल विकास और वृहद जल शोधन संयंत्र में विशिष्ट अनुभव रखने के साथ मुख्य अभियंता के रूप में या उसके समकक्ष पद पर सेवा की हो।

(चार) एक सदस्य कृषि/भू-प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो। उसको कृषि/उद्योग/अध्यापन/अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 25 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिये।

(2) आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा/करेगी।

(3) अध्यक्ष आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

(4) जहाँ अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी, मृत्यु, त्याग-पत्र के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो या जहाँ अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया हो, वहाँ अध्यक्ष द्वारा उसकी ओर से नाम-निर्दिष्ट कोई सदस्य, और ऐसे नाम-निर्देशन के अभाव में या जहाँ कोई अध्यक्ष न हो, वहाँ विद्यमान सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

अध्यक्ष या सदस्य होने के लिये अनर्हता।

(5) कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह हो जायेगा,

यदि वह,-

(क) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत कर दिया गया हो; या

(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो गया हो; या

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलिप्त किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो और कारावास की सजा से दण्डित किया गया हो; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो कि उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(च) संसद या किसी राज्य विधान मण्डल या किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य हो या उसके निर्वाचन के लिये प्रत्याशी हो; या

(छ) किसी राजनैतिक दल का सकिय सदस्य हो या उसमें कोई पद धारण किया हो।

चयन समिति का गठन और कृत्य

6.(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन करेगी। समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार -पदेन अध्यक्ष,

(ख) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग या उसका नाम-निर्देशिती, जो केन्द्रीय जल आयोग का सदस्य होगा -पदेन सदस्य

(ग) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर पदेश सरकार -पदेन सदस्य

(घ) निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ -पदेन सदस्य

(ङ) प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार -पदेन सदस्य सचिव

(2) राज्य सरकार मृत्यु, त्याग-पत्र या हटाये जाने के कारण कोई रिक्ति होने के दिनांक से एक माह के भीतर और अध्यक्ष या सदस्य की अधिवर्षता या उसके कार्यकाल की समाप्ति से छः माह पूर्व रिक्ति को भरने के लिये चयन समिति को निर्देश देगी।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करते समय चयन समिति को यथास्थिति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में चयनित किये जाने हेतु प्रस्तावित व्यक्ति के कार्य-निष्पादन, अभिलेख, योग्यता, सत्यनिष्ठा, चरित्र, अर्हताओं और अनुभव पर समुचित रूप से ध्यान देना होगा।

(4) चयन समिति निर्देश दिये जाने के दिनांक से दो माह के भीतर सदस्यों के चयन को अंतिम रूप देगी।

(5) चयन समिति उसे निर्देशित की गयी प्रत्येक रिक्ति के लिये दो नामों के पैनल की संस्तुति करेगी।

(6) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन के लिये विचार किया जाय, चयन समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचित करेगाः-

(क) निम्नलिखित में से किसी व्यवसाय को कर रहे किसी कार्यालय, नियोजन या परामर्शदात्री अनुबंध या व्यवस्था का जो उस व्यक्ति या उसके नातेदार के नाम से हो या उनमें से किसी के स्वामित्व में या अन्यथा नियंत्रण में किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या निगमित निकाय के नाम/माध्यम से करता होः

(एक) भू-जल अपयोजन, जल वितरण, भू-जल का निकाला जाना या जल संभरण;

(दो) जल उद्योग से संबंधित मशीनरी, संयत्र, उपस्कर, उपकरण या साज सज्जों का विनिर्माण, विक्रय, पट्टा, भाड़ा या उनकी आपूर्ति या उनका संव्यवहार;

(तीन) उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट किसी कारबार के लिये कोई व्यावसायिक सेवायें उपलब्ध कराने वाली कोई इकाई।

(ख) ऐसे अन्य विवरण और सूचना जैसाकि चयन समिति द्वारा विहित किया जाय।

(7) उप धारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त विवरण को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्ति के चयन और उसकी संस्तुति के समय चयन समिति के विचारार्थ रखा जायेगा।

(8) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पदभार ग्रहण करने के पूर्व अपनी नियुक्ति की शर्त के रूप में उपधारा (6) में उल्लिखित कारबार में रूचि से स्वयं को निर्निहित रखेगा।

(9) यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने वाला कोई व्यक्ति राज्य या केन्द्र सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद धारण करता है या वह किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी प्राधिकरणों, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या अन्यथा द्वारा लाभपूर्वक सेवा में नियोजित किया गया या लगाया गया हो तो वह आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उस सेवा से अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत कर देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेगा।

(10) जब तक कोई व्यक्ति अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद धारण करता है और किसी भी कारण, जो भी हो, से अध्यक्ष या सदस्य से उसके प्रविरत हो जाने के पश्चात दो वर्ष की अवधि तक वह उपधारा (6) में उल्लिखित किसी कारबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई पद, नियोजन या परामर्शदात्री व्यवस्था या कोई वित्तीय हित प्राप्त, धारण या अनुरक्षित नहीं करेगा और यदि वह अनैच्छिक रूप में या उत्तराधिकार या वसीयती व्ययन स्वरूप ऐसा कोई हित प्राप्त करता है तो वह ऐसा हित प्राप्त किये जाने के तीन माह की अवधि के भीतर उस हित से स्वयं को निर्निहित कर लेगा।

(11) किसी व्यक्ति को संस्तुत करने के पूर्व चयन समिति स्वयं का समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति के पास उपधारा (6) में यथानिर्दिष्ट ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो।

(12) चयन समिति के समस्त विनिश्चय बहुमत द्वारा होंगे।

(13) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसीकि विहित की जाय।

(14) अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति, चयन समिति में केवल किसी प्रकार की रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

7-(1) अध्यक्ष या कोई सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु अध्यक्ष या किसी सदस्य को अनधिक दो लगातार अवधि तक के लिये पुनर्नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष या कोई सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धरण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को एक माह की लिखित नोटिस देकर किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकता है या उसे धारा-8 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकता है।

(3) अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष और प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष के समक्ष ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाय, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) अध्यक्ष या सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन एवं सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसीकि विहित की जाय।

(5) अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों में, नियुक्ति के पश्चात, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे।

(6) इस रूप में पद धारण से प्रविरत होने वाला अध्यक्ष या कोई सदस्य;-

(क) राज्य सरकार के अधीन अन्यतर नियोजन के लिये राज्यपाल की अनुज्ञा के सिवाय उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये पात्र नहीं होगा जिस दिनांक को वह ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है।

(ख) उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये किसी वाणिज्यिक नियोजन को स्वीकार नहीं करेगा जिस दिनांक को वह ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है; और

(ग) आयोग के समक्ष किसी भी रूप में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनार्थ-

(एक) "राज्य सरकार के अधीन नियोजन" में किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित किसी निगम या समिति के अधीन नियोजन सम्मिलित है।

(दो) "वाणिज्यिक नियोजन" का तात्पर्य जल संसाधन से संबंधित उद्योग में वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारबार में संलग्न किसी व्यक्ति के अधीन या उसके अभिकरण में किसी हैसियत से नियोजन से है और उसमें किसी कम्पनी का निदेशक या किसी फर्म का साझीदार भी सम्मिलित है और इसमें, या तो स्वतंत्र रूप में या किसी फर्म के साझीदार के रूप में या किसी सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में संव्यवहार स्थापित किया जाना भी सम्मिलित है।

अध्यक्ष या किसी सदस्य का हटाया जाना

8.(1) इस प्रयोजनार्थ उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से राज्य सरकार द्वारा सचिव स्तर के अधिकारियों को दिये गये निर्देश पर सरकार के सचिव के समकक्ष अधिकारियों से नियुक्त तीन जाँच अधिकारियों के पैनल द्वारा की गयी जाँच के आधार पर और विपक्ष के नेता के परामर्श से सूचित किये जाने के पश्चात, कि अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाना चाहिये, प्रमाणित कदाचार के आधार पर ही राज्य सरकार द्वारा उसके पद से हटाया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि उसने धारा 3 में उल्लिखित किसी अनर्हता को प्राप्त किया हो।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी अध्यक्ष या किसी सदस्य को धारा 5 के खण्ड (ख), खण्ड (घ) या खण्ड (ड.) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से तभी हटाया जायेगा, जब कि इस निमित्त मुख्य न्यायाधीश या ऐसे न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट प्रकिया के आधार पर जाँच अधिकारी द्वारा की गयी जाँच के आधार पर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिये गये निर्देश के आधार पर जाँच अधिकारी द्वारा सूचित न कर दिया गया हो कि उक्त सदस्य को ऐसे आधारों पर हटा दिया जाना चाहिये।

(4) राज्य सरकार यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के अनुसार समुचित आदेश पारित करेगी और राज्य सरकार के अन्तिम विनिश्चय की सूचना, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के 30 दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष या संबंधित सदस्य को दी जायेगी।

आयोग में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने और उनकी सेवा शर्तों की राज्य सरकार की शक्ति

9.(1) आयोग, अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन ऐसे कर्तव्यों, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, को करने एवं उनका निष्पादन करने के लिये एक सचिव को नियुक्त कर सकता है।

(2) आयोग राज्य जल संसाधन अभिकरण/ राज्य जल संसाधन डाटा एवं विश्लेषण केन्द्र से आवश्यक आदान प्राप्त करेगा जो आयोग हेतु तकनीकी सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे। आयोग ऐसी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा जैसीकि वह अपने कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे।

(3) आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्ते ऐसी होंगी जैसीकि विनियमों द्वारा विहित की जायं।

(4) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की निबंधन एवं सेवा शर्ते, प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व उनके लिये लागू निबंधन एवं सेवा शर्तो से कम लाभकारी नहीं होंगी और वे उनके लिये अलाभकारी नहीं होंगी।

(5) राज्य सरकार आयोग द्वारा इस संबंध में किये गये प्रस्ताव के आधार पर आयोग में प्रतिनियुक्ति पर किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति करेगी।

(6) आयोग में किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष की होगी सिवाय इसके कि जब किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे आधारों यथा पदोन्नति, प्रत्यावर्तन, पदच्युति या अधिवर्षता पर या प्रतिनियुक्ति के किसी अन्य कारण से संप्रत्यावर्तित किया जाना अपेक्षित हो तो वह राज्य सरकार के अधीन सेवा से संप्रवर्तित रहेगाः

परन्तु ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के वेतन, अवकाश, भत्तों, सेवानिवृत्ति पेंशन, भविष्य निर्वाह निधि और अन्य सेवा शर्तो से संबंधित समस्त मामलों का विनियमन, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा नियमावली या ऐसी अन्य नियमावली, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनायी जाय, द्वारा किया जायेगा।

(7) आयोग, अपने कृत्यों के निर्वहन के निमित्त आयोग की सहायता करने के लिये अपेक्षित परामर्शदाताओं को ऐसे निबंधन और शर्तों पर जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय, नियुक्त कर सकता है।

आयोग की कार्यवाहियाँ

10.(1) आयोग राज्य के भीतर ऐसे समय और स्थान पर, जैसाकि अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा और अपनी बैठकों में (अपनी बैठकों की गणपूर्ति सहित) कारबार को संव्यवहृत करने में प्रकिया के ऐसे नियमों का संप्रेक्षण करेगा जैसाकि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय।

(2)अध्यक्ष या यदि वह आयोग की बैठक में सम्मिलित होने में असमर्थ हो तो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई सदस्य और ऐसे नाम-निर्देशन के अभाव में या जहाँ कोई अध्यक्ष न हो वहाँ उपस्थित सदस्यों द्वारा स्वयं के मध्य से चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3)ऐसे समस्त मामलों, जो आयोग के समक्ष आते हैं, पर विनिश्चय, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों के समान होने की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास द्वितीय या निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा।

(4) आयोग के समस्त विनिश्चय, निदेश और आदेश तर्कसंगत आधार पर लिखित में होंगे और किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षणार्थ उपलब्ध होंगे और उनकी प्रतियाँ भी ऐसी रीति से उपलब्ध करायी जाएंगी जैसीकि आयोग अवधारित करे।

(5) आयोग अपनी स्वयं की प्रकिया को विनियमित करेगा।

(6) आयोग के समस्त आदेशों और विनिश्चयों को सचिव या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।

रिक्तियाँ आदि कार्य या कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं करेगी

11. आयोग के किसी कार्य या कार्यवाही पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी या उसको अविधिमान्य नहीं किया जायेगा कि कोई रिक्ति विद्यमान थी या आयोग के गठन में कोई त्रुटि थी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अध्याय–तीन

आयोग की शक्तियाँ, कृत्य और कर्त्तव्य

आयोग की शक्तियाँ एवं कृत्य

12. आयोग निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्:–

(क) समय–समय पर यथा संशोधित राज्य जल नीति द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अंतर्गत जल संसाधनों के सम्पोषणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये राज्य जल संसाधन अभिकरण द्वारा विकसित किये गये एकीकृत राज्य जल योजना/कछार योजनाओं को अनुमोदित करना;

(ख) उपयोगकर्ता और परियोजना स्तर पर और विभिन्न श्रेणी के जल उपयोग के लिए और विभिन्न जल प्रयोक्ता इकाई के मध्य ऐसे निबंधन और शर्तों, जो ऐसे वितरण हेतु विहित की जायें, पर राज्य जल नीति द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अंतर्गत हकदारी के आवंटन एवं संवितरण को अवधारित करना;

(ग) राज्य के भू–पृष्ठ और भू–गर्भ जल के अपयोजन, भण्डारण और उपयोग के हकदारी में उपान्तरण के लिये मानदण्ड निर्धारित करना;

(घ) संबंधित इकाई द्वारा नदी कछार/उप–कछार स्तर पर प्रस्तावित नई जल संसाधन परियोजनाओं का पुनर्विलोकन करना और उन्हें यह सुनिश्चित करते हुये स्वीकृति प्रदान करना कि प्रस्ताव, विशेष रूप से प्रत्येक इकाई के जल आवंटन के संबंधन में, एकीकृत राज्य जल योजना के अनुरूप है अर्थात आर्थिक रूप से, जल भू–गर्भ विज्ञान की दृष्टि से और पर्यावरणीय रूप से जीवनक्षय है।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि मात्रा और उपयोग के प्रकार दोनों में वास्तविक जल उपयोग, आयोग द्वारा जारी की गयी हकदारियों के अनुपालन में है, जल उपयोग की हकदारियों की प्रवर्तन, अनुश्रवण और माप प्रणाली स्थापित करना;

(च) पर्यावरण के संरक्षण का अनुश्रवण करना और स्थापित मानदण्डों तथा मानकों के अनुसार सतही और भू–जल संसाधनों की गुणवत्ता की संरक्षा और सुरक्षा के लिये रूपरेखा के विकास को सुगम बनाना;

(छ) यदि कोई जल प्रयोक्ता इकाई, किसी सतही जल या भू-जल स्रोत को प्रदूषित करती है या प्रदूषण का कारण बनती है और इस प्रकार से जल गुणवत्ता के स्थापित मानदण्डों तथा मानकों के संधारण का अतिलंघन होता है तो हकदारी वापस लेना या कोई कार्रवाई करना जैसाकि आवश्यक समझा जाय।

(ज) ऐसे किसी सरकारी या निजी संगठन या अभिकरण, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर शास्ति अधिरोपित करना, जो आयोग के विनिर्दिष्ट अनुमोदन या उसकी स्वीकृति के बिना किसी भू-पृष्ठ या भू-गर्भ जल संसाधन की प्रास्थिति को बदलता है, परिवर्तित करता है या बदलाव अथवा परिवर्तन का कारण बनता है;

(झ) जैसा और जब आवश्यक समझा जाय हकदारी की समय समय पर समीक्षा करना;

(ञ) आयोग या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा थोक जल हकदारी को पंजीकृत करना और उसका अनुश्रवण करना;

(ट) जल के अपव्यय को न्यूनीकृत करने के लिये जल और अपशिष्ट जल क्षेत्र के कियाकलापों में स्पर्द्धा, कार्यक्षमता और मितव्ययिता को बढ़ावा देना।

(ठ) उत्तम जल प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा देना;

(ड) भू-गर्भ जल पुनर्भरण में वृद्धि करने के लिये वर्षा जल संचयन को प्रवर्तित करना;

(ढ) प्रशासन, प्रचालन, अनुरक्षण, ह्रास और राज सहायता सहित समस्त लागतों पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात जल के उपयोग के लिये जल टैरिफ प्रणाली और प्रभारों को नियत करना और उन्हें विनियमित करना;

(ण) समय समय पर टैरिफ/ जल प्रभारों की समीक्षा करना और उनका पुनरीक्षण करना;

(त) नयी परियोजनाओं के अधीन कार्यान्वित किये गये बाढ़ संरक्षण और जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भू-स्वामी से प्रभारित किये जाने वाले उपकर की दर को अवधारित करना और उसे नियत करना;

(थ) आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी उपयुक्त अभिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी विनिश्चयों या आदेशों को प्रवर्तित करना या इस प्रयोजन के लिये किसी विद्यमान अभिकरण को सशक्त करना;

(द) राज्य सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किसी मामले में राज्य सरकार की सहायता करना और उसे परामर्श देना;

आयोग की सामान्य नीतियाँ

13.(1) आयोग, राज्य जल नीति की रूपरेखा के अंतर्गत कार्य करेगा;

(2)आयोग राज्य में कार्यदायी अभिकरणों के माध्यम से राज्य जल नीति के अनुसार सम्पूर्ण राज्य में ठोस जल संरक्षण एवं प्रबंधन रीतियों को बढ़ावा देगा और उनका अनुश्रवण करेगा;

(3)आयोग, सुसंगत राज्य अभिकरणों के पूर्ण समन्वय से राज्य के भीतर जल गुणवत्ता में वृद्धि और उसके संरक्षण के निमित्त सहायता एवं अनुदान प्रदान करेगा।

आयोग की शक्तियाँ

14.(1) आयोग के पास इस अधिनियम के अधीन न्याय निर्णयन संबंधी कृत्यों के निष्पादन के दौरान, निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ होंगी, अर्थातः-

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उपस्थिति के लिये दबाव डालना तथा उसकी शपथपूर्वक परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति का अधियाचन करना; या

(ड.) साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना; और

(च) ऐसे अन्य मामले, जो विहित किये जायें।

(2) कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह या अभिकरण या उपयोगकर्ताः-

(क) जल अंतरण, वितरण एवं जल के उपभोग से संबंधित किसी मामले के संबंध में आयोग के किसी अधिकारी के समक्ष ऐसी पुस्तिकाएं, लेखा या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जो आयोग द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हों; और

(ख) इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को अपने स्वामित्व, शक्ति या नियंत्रण में ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जो आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो।

(3) जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाहियों के दौरान आयोग के पास यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि किसी इकाई अथवा व्यक्ति की या उससे संबंधित कोई पुस्तिकायें या दस्तावेज, जिनके लिये ऐसी जाँच की जा रही हो या कार्यवाही संबंधित हो, या जिसे ऐसी इकाई के स्वामी से ऐसी जाँच या कार्यवाही में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाय, किसी लिखित आदेश द्वारा नष्ट किये जा रहे हैं या नष्ट किये जा सकते हैं वहाँ आयोग अपने किसी अधिकारी को प्रवेश, तलाशी और जब्ती की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये, जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 240 और 240क के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, प्राधिकृत कर सकता है।

(4) आयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह से परामर्श ले सकता है जो आयोग के विनिश्चयों द्वारा प्रभावित हों या प्रभावित होना सम्भाव्य हों।

(5) प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा कोई नोटिस जारी की गयी हो, ऐसी नोटिस में यथविनिर्दिष्ट सूचना, विवरण, बही, लेखा और अन्य दस्तावेज उपलब्ध करायेगा।

निर्देश जारी करने की शक्ति

15. राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम से असंगत न हों।

16. आयोग समय-समय पर,-

जल सम्भरण और समग्र निष्पादन का मानक

(क) जल सम्भरण सेवा और उपभोक्ताओं द्वारा जल के कुशल प्रयोग के संवर्धन के संबंध में समग्र निष्पादन के ऐसे मानकों का अवधारण कर सकता है जो उसकी राय में मितव्ययितापूर्ण हो और ऐसे लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त किया जा सके और भिन्न-भिन्न लाइसेंसधारियों द्वारा भिन्न-भिन्न मानक अवधारित किये जा सकते हैं; और

(ख) इस प्रकार अवधारित मानकों को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से प्रकाशित कर सकता है जैसा आयोग उचित समझे।

निष्पादन के स्तर के संबंध में सूचना

17.(1) प्रत्येक वर्ष आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक लाइसेंसधारी आयोग के समक्ष धारा 16 के अधीन अवधारित प्रत्येक मानक के संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा किये गये निष्पादन के स्तर को प्रस्तुत करेगा।

(2)आयोग उपधारा (1) के अधीन स्वयं द्वारा प्राप्त ऐसी सूचना को जिसे वह आवश्यक समझे सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित कर सकता है।

सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध

18.(1) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी व्यक्ति या कारबार के संबंध में कोई सूचना, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग को उपलब्ध करायी गयी है या उसे प्राप्त हुई है, वर्गीकृत के रूप में समझी जायेगी और उसे आयोग द्वारा संबंधित व्यक्ति या कारबार के प्रभारी व्यक्ति की सहमति के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसी सूचना को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य के महालेखाकार को या ऐसे व्यक्ति को जिसे कानूनी कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध उसकी आवश्यकता हो, प्रकट किया जा सकता है।

(2) उपधारा(1) के अन्तर्विष्ट प्रतिबंध टैरिफ से संबंधित सूचना पर लागू नहीं होगा।

(3) आयोग के पास उपलब्ध सूचना गोपनीय रखी जायेगी और उसे किसी व्यक्ति या अभिकरण को केवल आयोग की अनुमति से ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

अध्याय–चार

माध्यस्थम, अपराध और शास्तियाँ

माध्यस्थम्

19. धारा 35 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में लाइसेंसधारी या उपयोगकर्ताओं के मध्य किसी विवाद या मतभेद के होने पर इसे माध्यस्थम के लिये आयोग को निर्दिष्ट किया जा सकता है। आयोग

विवाद को न्याय निर्णीत करने और निपटाने के लिये माध्यस्थम के रूप में स्वयं या किसी मध्यस्थ को नामित कर सकता है। मध्यस्थ द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में दी गयी प्रकिया का पालन किया जायेगा।

अपराध और शास्तियाँ

20. (1) कोई भी व्यक्ति, जो, –

(क) इस अधिनियम, या इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के उपबंधों के उल्लंघन में जल के वितरण या आपूर्ति के कारबार में संलिप्त होता है, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी निदेश, आदेश या अपेक्षा का पालन करने या उसे कार्यान्वित करने से समुचित कारण के बिना अस्वीकार करता है या असफल रहता है,

इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक के कारावास या रूपये एक लाख तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा और प्रथम अपराध के पश्चात जिस अवधि में अपराध चलता रहे, प्रत्येक दिन के लिये रूपये बीस हजार तक की शास्ति से और भी दण्डित किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी व्यक्ति को छह मास तक के कारावास या रूपये एक लाख तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा और प्रथम अपराध के पश्चात, जिस अवधि में अपराध चलता रहे, प्रत्येक दिन के लिये रूपये पाँच हजार तक की शास्ति से और भी दण्डित किया जा सकेगा।

उपयोगकर्ता द्वारा अपराध

21.(1) इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति यदि उपयोगकर्ता है तो उपयोगकर्ता के साथ-साथ अपराध होने के समय उसके कारबार के संव्यवहार के लिये उपयोगकर्ता के प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को भी अपराध का दोषी माना जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही के लिये दायी होगा और तद्नुसार दण्डनीय होगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर देता है कि ऐसा अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिये पर्याप्त तत्परता दिखायी थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध उपयोगकर्ता द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उपयोगकर्ता के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या अपराध उनकी उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जायगा और कार्यवाही के दायी होंगे तथा तदनुसार दण्डनीय होंगे।

अपराध का प्रशमन

22.(1) आयोग, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी व्यक्ति से जिसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया या किसी अपराध के लिये युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध हैं, रुपये एक लाख से अनधिक की धनराशि की राशि प्रशमन फीस के रूप में स्वीकार कर सकता है और अपराध का शमन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के प्रशमित हो जाने पर ऐसे अपराध के संबंध में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी या जारी रखी जायेगी और यदि उसके विरुद्ध उस अपराध के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित की जा चुकी है तो ऐसा प्रशमन उसके दोषमुक्त होने के समान प्रभावी होगा।

अपराध का संज्ञान

23.(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा सिवाय तब जब आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से शिकायत प्राप्त हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण अधिकारिता वाले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की श्रेणी से निम्न किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

शास्तियाँ और कार्यवाहियाँ अन्य कार्रवाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी

24. किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियाँ और कार्रवाइयाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों और कार्रवाइयों के अतिरिक्त होंगी और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगी।

अध्याय–पाँच

लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट

राज्य सरकार द्वारा आयोग को अनुदान

25.(1) राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये उचित समझे:

प्रतिबंध यह है कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्तों के संबंध में व्यय राज्य की समेकित निधि से भारित किया जायगा।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निष्पादन के लिये ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जाएगा और आयोग के व्यय के लिये फीस भी प्रभारित कर सकता है।

लेखा और लेखा परीक्षा

26.(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा महालेखाकार के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, तैयार करायेगा।

(2) आयोग के लेखे की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, ऐसे अन्तराल पर जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, की जाएगी और ऐसी लेखा परीक्षा से संबंधित उपगत व्यय का भुगतान आयोग द्वारा महालेखाकार को किया जाएगा।

(3) आयोग के लेखे के वार्षिक विवरण की प्रतियाँ लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को अग्रसारित की जाएंगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आयोग के लेखे के वार्षिक विवरण की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित एक प्रति राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

27(1) आयोग विगत वित्तीय वर्ष में अपने कार्यकलापों का पूरा विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये तैयार करेगा और इसकी प्रतियाँ राज्य सरकार को अग्रसारित की जाएंगी।

(2) राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–छह

प्रकीर्ण

भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूल करने योग्य धनराशि

28. इस अध्याय के अधीन देय धनराशि के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन देय किसी धनराशि को, आयोग के सचिव के प्रमाण-पत्र पर, भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूल किया जा सकेगा।

अर्थदण्ड या प्रभारों का लागू होना

29. इस अधिनियम के अधीन किसी अर्थदण्ड या प्रभारों को अधिरोपित करते समय आयोग निदेश दे सकता है कि उसकी पूर्ण धनराशि या उसका कोई भाग कार्यवाही की लागत के भुगतान में या प्रति प्रवृत्त होगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

30. किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों या आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अधिकारिता पर रोक

31. इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश या कार्यवाही अपील योग्य नहीं होगी और किसी भी सिविल न्यायालय की किसी ऐसे मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी जिसे आयोग या कोई अन्य प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विनिश्चय करने के लिये सशक्त है।

आयोग के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी

32. आयोग के समक्ष सभी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, 219 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयोग को दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय छब्बीस के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारिवर्ग लोक सेवक होगा

33. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति

34.(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में सभी विषयों या निम्नलिखित में से किसी एक के संबंध में व्यवस्था हो सकती है अर्थातः–

(क) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रकिया;

(ख) रीति और तरीका जिसमें आयोग के लेखे अनुरक्षित किए जाएंगे; और

(ग) कोई अन्य विषय जिसे विहित किए जाने की अपेक्षा हो या विहित किया जा सकता हो।

विनियम बनाने की शक्ति

35.(1) आयोग इस अधिनियम के अधीन दक्ष निष्पादन और उसके कृत्यों के लिए विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल न हों।

(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था हो सकती है, अर्थातः–

(क) अपने कृत्यों के निष्पादन में आयोग के कार्यकलापों का प्रशासन;

(ख) लाइसेंसधारियों और जल के क्रय, वितरण या सम्भरण में अन्तर्ग्रस्त अन्य व्यक्तियों को सौंपे जाने वाले कृत्यों का निर्धारण, वह ढंग जिसमें ऐसे कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा और जल सम्भरण प्रणाली के संचालन और अनुरक्षण के संबंध में अपनाई और लागू की जाने वाली प्रकिया;

(ग) लाइसेंस स्वीकृत करने की प्रकिया और शर्तें, लाइसेंस के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले विवरण और दस्तावेज, मानक और सामान्य शर्तें जिनके अधीन लाइसेंस स्वीकृत किया जाएगा, लाइसेंस की अपेक्षा से छूट की स्वीकृति, लाइसेंसों का विखण्डन और संशोधन और उनका प्रभाव और उससे संबंधित सभी विषय;

(घ) लाइसेंसधारियों के कर्तव्य, शक्तियाँ, अधिकार और दायित्व;

(ड.) उन व्यक्तियों द्वारा जो जल वितरण और जल संभरण या उसके प्रयोग में अर्न्तग्रस्त हों, प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और सूचना, विवरण, दस्तावेज, लेखे और बहियाँ, प्रस्तुत करने की रीति और तरीका;

(च) राजस्व और टैरिफों के निर्धारण की निबंधन और शर्तें और प्रकिया;

(छ) राज्य में जल वितरण या सम्भरण में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के कार्य निष्पादन के मानकों का निर्धारण;

(ज) लाइसेंसधारी और जल उपभोक्ता द्वारा देय फीस और प्रभार;

(झ) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड और शास्ति की धनराशि जिसमें अर्थदण्ड और शास्तियों के अधिरोपण की रीति और तरीका और उसके संग्रह का ढंग सम्मिलित है;

(ञ) किसी अन्य विषय की, जिसकी विनियमों द्वारा अपेक्षा हो या हो सकती हो, व्यवस्था की जा सकती है।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

36.(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात से या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिती के कारण से, कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, जैसा उस स्थिति में आवश्यक हो, आदेश द्वारा निदेश दे सकती

है कि यह अधिनियम ऐसे आदेश के दिनांक के पश्चात बारह मास की अनधिक अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो सकते हैं, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-36 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

कहां गये डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी, उनका तो प्रस्तुत हो गया।

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में निरन्तर घटते भू-गर्भ जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुये पेयजल एवं सिंचाई के लिये भू-गर्भ जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनाई जाय" सम्बन्धी डा0 अनिल चौधरी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा की स्थगन

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसको स्थगित कर दें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, चाहें तो मद संख्या-24 और 25 को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

क्या इन दोनों मदों पर चर्चा जारी रख दी जाय ?

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है, मान्यवर, चर्चा जारी रख दें।

श्री अध्यक्ष-

डा0 अनिल चौधरी जी, मद संख्या-24 पर जो आपका प्रस्ताव है, आप उसे औपचारिक रूप से प्रस्तुत कर दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब इसकी आवश्यकता कहां रह गयी, उसी पर तो अभी यह विधेयक पास हुआ है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, प्रस्ताव तो प्रस्तुत करा ही दें, आगे उस पर चर्चा जारी रहेगी।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में निरन्तर घटते भू-गर्भ जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुये पेयजल एवं सिंचाई के लिये भू-गर्भ जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनाई जाये।"

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह चर्चा जारी रहे।

श्री अध्यक्ष-

यह जारी रहेगी।

बुन्देलखण्ड के पिछड़े को दूर करने विषयक श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसके बाद मद संख्या-25 पर उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' की सूचना पर चर्चा की बात है।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पिछली बार सूखा पड़ा था इस बार भारी बारिश हो रही है हम चाहते हैं कि जो वहां पर राजस्व वसूली हो रही है वह रोक दी जाये। चतुर्वेदी जी इस पर तीन दिन से मेहनत कर रहे हैं बोलने के लिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह चर्चा जारी रहे।

श्री अध्यक्ष-

टीक है।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, यह असरकारी दिवस के अवसर बहुत कम मिलता है। यह फिर लम्बा चलता रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रदीप जैन जी जितना जारी रहेगा उतना उसका वजन बढ़ेगा।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, वसूली स्थगित करा दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, चर्चा तो जारी रहे परन्तु वसूली न जारी रहे।

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

मान्यवर, वसूली रोक दी जायेगी। मान्यवर, जो कर्जे हैं उन पर पूर्व में जिस तरह से जो वसूली रोकी गयी थी और जिसकी अवधि समाप्त होने की बात है, उनको पूर्ववत् तरीके से मार्च तक के लिये रोक दिया जाता है।

श्री शैलेन्द्र यादव "ललई" के जान-माल को खतरा होने तथा उनको विशेष सुरक्षा दिये जाने की मांग

श्री शैलेन्द्र यादव "ललई"-

मान्यवर, पिछली बार भी मैंने इस विषय को सदन में उठाया था। कई बार शासन, प्रशासन के अधिकारियों को अवगत भी कराया है, आपको भी अवगत कराया है सदन को भी अवगत कराया है कि मान्यवर, मुझे अपराधिक लोगों से जान-माल का लगातार खतरा बना हुआ है। मान्यवर, जो लोग मुझे राजनीतिक तरीके से परास्त नहीं कर सके हैं वह मेरी हत्या कराके मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। मैंने कई बार बड़ी शालीनता के साथ इस बात को यहां पर रखने की कोशिश की है। व्यक्तिगत रूप से आपकी यह सब जानकारी में होगा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की भी व्यक्तिगत जानकारी में होगा। मान्यवर, मैं बराबर इस बात को कहता रहा हूं कि मुझे खतरा है। मान्यवर, इन्हीं बातों के चलते मेरे परिवार के भतीजे की हत्या कर दी गयी। उसकी हत्या उन अपराधी लोगों के शिष्यों द्वारा की गयी है। पुलिस ने जिस तरीके से उस मामले को लिया उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। उसकी हत्या करने के बाद, उन हत्यारों ने रात में अपने यहां बहुजन समाज पार्टी का झण्डा लगाया। मान्यवर, उसमें नामजद एफ0आई0आर0 होने के पश्चात् भी पुलिस उनके घर नहीं गयी। मान्यवर, वहां के इंस्पेक्टर ने किसी माध्यम से उनको दामाद की तरह बुलाया और जेल भेजने का काम किया। वहां पर कानून अपना काम करेगा। उसमें मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी सुरक्षा कीजिये। मैंने उनसे कहा भी कि आप मदद कीजिये। उन्होंने कहा कि हम मदद नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर निरन्तर खतरा बना हुआ है। मान्यवर, अगर मेरी बात उचित हो और मेरी बात सही प्रतीत हो जाये तो कम से कम मेरी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाये ताकि मैं आपके बीच में बना रहूं। इस पर अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से निर्देश सरकार को दिये जाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

एक सम्मानित सदस्य ने अपनी सुरक्षा के मामले में कहा है उसको दिखवा लीजिए।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, दिखवा लेंगे।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 21 अगस्त, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 76 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन 76 सूचनाओं को सब की पूरी की पूरी मैंने स्वीकार कर लिया था और सबको ध्यानाकर्षण के लिये दे दिया है। अगर सबको पढ़ूंगा तो समय लगेगा।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, पढ़ी हुई मान ली जायं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(सूचनाओं का विवरण पढ़ा हुआ माना गया)

[1-श्री भगवत शरण गंगवार की पावर कारपोरेशन लि0 के उच्चाधिकारियों द्वारा विद्युत व्यवस्था में की जा रही लापरवाही के सम्बन्ध में।

2-श्री सनातन पाण्डेय की अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिताओं में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को केन्द्र सरकार की भांति विशेष वेतन वृद्धि अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

3-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ में सीमा सुरक्षा बल के लिए की गयी किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

4-श्री उस्मानुल हक की मुरादाबाद की नगर पंचायत भोजपुर व पीपलसाना में स्थित नहर पर बन्धा बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5-श्री यशपाल सिंह चौहान की जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम असरफपुर में दबंगों द्वारा चकरोड की जमीन पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

6-श्री अशोक सिंह चौहान की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत व्योम खण्ड के आवंटियों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

7-श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर में विद्युत आपूर्ति शिड्यूल के अनुसार न किये जाने के सम्बन्ध में।

8-श्री संजीव दरियाबादी की लखनऊ के लालबाग स्थित राज अपार्टमेंट में पार्किंग के लिए आरक्षित स्थल पर अवैध रूप से व्यावसायिक कार्यालय चलाये जाने के सम्बन्ध में।

9-श्री अशोक कंसल की -तदैव-

10-श्री निर्मल कुमार वर्मा की जनपद सीतापुर की तहसील बिसवां में जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

11-श्री प्रदीप माथुर की भातखण्डे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय, लखनऊ में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

12-श्री जोखूलाल यादव की जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर अन्तर्गत जर्जर सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये कराये जाने के सम्बन्ध में।

13-श्री शम्भू चौधरी की जनपद कुशीनगर के ब्लाक खड्डा में राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

14-श्री सुखलाल की जनपद पीलीभीत में विद्युत विभाग द्वारा फर्जी विद्युत बिल दिखाकर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में।

15-श्री राजेन्द्र सिंह की लखनऊ शहर में बुलाकी अड्डे से टिकैतराय राजकीय कालोनी तक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

16-श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा के मोतीगंज में गड्ढायुक्त सड़कों एवं जर्जर नालियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

17-श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी की जनपद वाराणसी में नक्खी घाट वरुणा नदी पर बने पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

18-चौ0 धू राम लोधी	की	बुन्देलखण्ड में लघु एवं सीमान्त कृषकों की श्रेणी का निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध में।
19-श्री बैजनाथ दुबे	की	जनपद गोण्डा की जेल में बन्दी श्री अजीम की पिटाई से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में।
20-श्री मिथिलेश कुमार	की	जनपद शाहजहांपुर स्थित साउथ सिटी की विद्युत आपूर्ति सिटी फीडर से कराये जाने के सम्बन्ध में।
21-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी	की	जनपद लखनऊ के मुहल्ला उदयगंज, कैन्ट रोड में मेनहोल चोक होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
22-श्रीमती कृष्णाराज	की	जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम सभा शाहपुर जागीर में वर्ष 2005-2006-2007 की छात्रवृत्ति छात्रों को न दिये जाने के सम्बन्ध में।
23-श्री उदयभान करवरिया	की	जनपद चित्रकूट की तहसील मऊ में अवैध रूप से बालू के खनन के कारण करोड़ों रुपये की राजस्व की हो रही क्षति के सम्बन्ध में।
24-श्री रामकिशुन	की	जनपद चन्दौली में स्वीकृत आई0टी0आई0 कालेज का भवन निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में।
25-श्री माता प्रसाद पाण्डेय	की	जनपद सिद्धार्थनगर में बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं वाहन चोरी के सम्बन्ध में।
26-श्री अनुग्रह नारायण सिंह	की	जिला नगरीय विकास अभिकरण, इलाहाबाद द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में सुधार न कराये जाने के सम्बन्ध में।
27-श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	की	जनपद वाराणसी में अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब बेटियों की शादी में मिलने वाले अनुदान को न दिये जाने के सम्बन्ध में।
28-श्री यशपाल सिंह चौहान	की	जनपद सुल्तानपुर में दुग्ध संघ, सुल्तानपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
29-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल	की	राष्ट्रीय राजमार्ग-28 सहित गोरखपुर महानगर में प्रवेश करने वाले अधिकांश क्षतिग्रस्त राजमार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
30-श्री सर्वेश कुमार सिंह	की	बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा शासकीय धन का समय से उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में।

31-श्री आरिफ अनवर हाशमी	की	ग्राम गाजीपुर थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर को थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा में किये जाने के सम्बन्ध में।
32-श्री सुरेश्वर सिंह	की	डा0 अम्बेडकर दुग्ध स्वरोजगार योजना को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
33-श्री राजेश कुमार गौतम	की	जनपद लखीमपुर खीरी अन्तर्गत कृषि एवं बीज सम्वर्धन क्षेत्र, जमुनाबाग फार्म पर कार्यरत श्रमिकों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में।
34-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी	की	महिला कल्याण विभाग में फर्जी शैक्षिक प्रमाण-पत्र के आधार पर हुई चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति के सम्बन्ध में।
35-श्री लालजी यादव	की	लखनऊ विकास प्राधिकरण में मूल आवंटी श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल को आवंटित भू-खण्ड प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अन्य को रजिस्ट्री किये जाने के कारण दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में।
36-श्री मदन भैया	की	सिंचाई विभाग की भांति लोक निर्माण विभाग में कार्यरत जनरेटर आपरेटर पदधारकों का वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।
37-श्री मदन चौहान	की	जनपद गाजियाबाद के सिंभौली चीनी मिल तथा गोपाल डेयरी द्वारा प्रदूषित रासायनिक पानी छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
38-डा0 आर0ए0 उस्मानी	की	प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले वृद्धाओं के सम्बन्ध में जारी शासनादेश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
39-श्री दीप नारायण सिंह	की	जनपद महसी स्थित आदर्श इण्टर कालेज, मोंठ में अध्यापकों की नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में।
40-श्री दुर्गा प्रसाद यादव	की	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत में प्रवेश हेतु कालेज के कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी कर कु0 सालू पाण्डेय से धन लेने के सम्बन्ध में।
41-डा0 राजेन्द्र सिंह	की	जनपद आगरा के क्षेत्र फतेहाबाद में जर्जर बीज गोदामों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।
42-चौ0 सत्यपाल सिंह	की	इन्दिरानगर लखनऊ के मकान नं0 1407/11 के निकट अवैध कब्जा किये जाने के कारण सीवर की समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

43-डा0 कौशल किशोर	की	जनपद खीरी स्थित युवराज दत्त महाविद्यालय में प्रवेश में की गई धांधली के सम्बन्ध में।
44-डा0 अजय तोमर	की	जनपद बागपत स्थित यमन नहर में सिल्ट की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में।
45-श्री विजय बहादुर यादव	की	जनपद फैजाबाद के ग्राम धौरहरा में पट्टे की भूमि पर लगे फलदार पेड़ों को बिना अनुमति के काटने के सम्बन्ध में।
46-श्री महेन्द्र कुमार सिंह	की	जनपद कानपुर देहात के थाना सिकन्दरा में दर्ज अपहरण एवं हत्या के अपराध में नामजद अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में।
47-श्री अनिल कुमार सिंह	की	शक्ति भवन, लखनऊ में ट्रेड यूनियन द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के बाद भी कार्रवाई न किये जाने के सम्बन्ध में।
48-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	की	बांदा-बहराइच मार्ग पर मानक के विपरीत कार्य कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में।
49-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव	की	लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में विद्युत लाइन एवं ट्रांसफार्मर न होने के सम्बन्ध में।
50-श्री कमलेश चन्द्र दिवाकर	की	जनपद कानपुर नगर से कानपुर देहात को जाने वाली बिल्हौर से रसूलाबाद मार्ग के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
51-श्री इमरान मसूद	की	जनपद सहारनपुर के मुजफ्फराबाद में बरसाती नदियों में जलभराव के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
52-श्री जमीरउल्ला खां	की	जनपद सहारनपुर की श्रीमती अंजू द्वारा थाना बेहट में पुलिस की मिलीभगत से फर्जी मुकदमें दर्ज कराने एवं पैसा वसूलने के सम्बन्ध में।
53-श्री अनूप सण्डा	की	जनपद सुल्तानपुर में पुलिस तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
54-श्री पूरन प्रकाश	की	जनपद मथुरा अन्तर्गत गोवर्धन क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

55-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	की	जनपद मेरठ के निगर निगम क्षेत्र मो0 लक्ष्मणपुरी निवासी विक्की पुत्र श्री ओम प्रकाश की भूख से हुई मौत की उच्चस्तरीय जांच कराने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में।
56-श्री आलोक कुमार सिंह	की	लखनऊ के शिवानी बिहार कल्याणपुर में अवैध रूप से चलाई जा रही डेरियों के सम्बन्ध में।
57-श्री महेश चन्द्र गुप्ता	की	जनपद बदायूं के कच्छला में थाना स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
58-श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री राम सेवक	की	जनपद सुल्तानपुर के ग्राम मझगांवां में विकलांग व्यक्ति को आवंटित इन्दिरा आवास की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।
59-श्री राजाराम त्यागी	की	जनपद रायबरेली के सेवानिवृत्त विद्युत विभाग के कर्मचारी श्री बुधराम की पत्नी को पारिवारिक पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में।
60-श्री कृष्ण गोपाल पटेल	की	जनपद खीरी के ग्राम पंचायत नरहर में स्वीकृत सड़क का निर्माण मानक के अनुरूप न कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में।
61-श्री लल्लू सिंह	की	जनपद फैजाबाद के अयोध्या नगर के जल निकासी हेतु बनाये जा रहे सप्त सागर नाले के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
62-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह	की	जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का कार्य प्रारम्भ कराये जाने एवं क्षतिग्रस्त पुलियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
63-डा0 पी0 के0 राय	की	जनपद कुशीनगर के ग्राम पिपराघाट में जलमग्न गांव में नाव एवं सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
64-श्री राम बिशुन आजाद	की	जिला पंचायत, गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
65-श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह	की	जनपद फतेहपुर में नौबस्ता रोड पर जर्जर नस्कारा के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

66-चौ0 रवीन्द्र प्रताप सिंह की डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग के अन्तर्गत गठित सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

67-डा0 अनिल चौधरी की तहसील सादाबाद को पूर्ववत् आगरा मण्डल का भाग बनाये जाने के सम्बन्ध में।

68-श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद मुजफ्फरनगर के सचिव, जिला सहकारी बैंक द्वारा किसानों को फसली ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

69-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' की वीरांगना लक्ष्मीबाई के वंशजों को सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में।

70-श्री हरपाल सिंह की जनपद ज्योतिबाफूलेनगर की तहसील हसनपुर के उप जिलाधिकारी द्वारा भूमि आवंटन में की गयी धांधली के सम्बन्ध में।

71-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को अभी तक लागू न किये जाने के सम्बन्ध में।

72-श्री धर्मेन्द कुमार कश्यप की जनपद बरेली की तहसील आंवला के ग्राम जाफराबाद में स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय को नियम विरुद्ध अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

73-श्री पंकज मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बघरा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या के सम्बन्ध में।

74-श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मिल्क-विलासपुर मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

75-श्री अनिल कुमार सिंह यादव की उत्तर प्रदेश सचिवालय में शिक्षा अनुभाग-6 द्वारा महाविद्यालयों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने में बरती जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में।

76-श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा की उत्तर प्रदेश सचिवालय के चिकित्सा अनुभाग-7 में कार्यरत समीक्षाधिकारी द्वारा अभद्र व्यवहार एवं पत्रावलियों में गड़बड़ी किये जाने के सम्बन्ध में।]

जनपद चन्दौली के चन्द्रावती नाले पर टूटे हुए भटपुरवा रेगुलेटर की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

अब मैं वक्तव्यों की मदों को लेता हूं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जनपद चन्दौली के.....

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[चन्द्रावती नाले पर भटपुरवा रेगुलेटर निर्मित है जिसके अपस्ट्रीम में दोनों तरफ एफलक्स बन्ध निर्मित है। इसके कमाण्ड क्षेत्र में पड़ने वाले भटपुरवा, टमटी, त्रिभुनाथपुर, गोम्मा, जगदीशपुर, कुरई एवं गोरारी इत्यादि ग्रामों को वर्षाकाल में खरीफ की फसल हेतु सींच की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, किन्तु मरम्मत एवं रख-रखाव मद में धनावंटन अत्यन्त अल्प होने के फलस्वरूप इसका रख-रखाव उचित ढंग से न हो पाने के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसकी पुनर्स्थापना हेतु प्राक्कलन तैयार कर जनपद स्तर पर धन प्राप्त करने का प्रयास किया गया था, किन्तु धन उपलब्ध न हो पाने के कारण इसकी पुनर्स्थापना कार्य नहीं कराया जा सका। वर्तमान में मूल्य वृद्धि एवं दर अनुसूची संशोधित होने के कारण इस रेगुलेटर के पुनर्स्थापना हेतु प्राक्कलन तैयार करके स्वीकृत कराकर वर्षा उपरान्त पुनर्निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य पर लगभग रु0 20.00 लाख का व्यय अनुमानित है। इसके पुनर्निर्माण के उपरान्त उपरोक्त ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सिंचाई कर की वसूली उन्हीं कृषकों से की जाती है, जो नहरों के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं।]

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत मिट्टी का तेल लोगों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो पाने विषयक श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री प्रमोद तिवारी.....

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य रूप से जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज के अन्तर्गत मिट्टी का तेल लोगों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाने तथा मजबूर होकर लोगों को मिट्टी का तेल कालाबाजारियों के माध्यम से बढ़ी हुई कीमत पर बाजार से खरीदना पड़ रहा है, के सम्बन्ध में वक्तव्य दिये जाने की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ एवं आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही की सूचना मांगी गई है। सूचना प्राप्त होने पर प्रकरण की पूर्ण स्थिति से अवगत कराा जाना संभव होगा।]

उ0प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां न लागू करने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री प्रदीप माथुर.....

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 20-8-2008 को दी गई सूचना जिसमें उल्लेख किया गया है कि उ0प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को), में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कार्यवाही लम्बित है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उ0प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को), लखनऊ की स्थापना वर्ष 1977 में बिना लाभ-हानि के सिद्धान्त पर नियोजन विभाग के अधीन की गई थी। वर्ष 1998 से यह निगम सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रशासकीय नियत्रंण में कार्यरत है। यह निगम वर्ष 2000-01 तक घाटे में रहा है तथा इसमें संचित हानि विद्यमान रही है। यह निगम वर्ष 2001-02 से लाभ में है, इसमें संचित हानि वर्ष 2003-04 में समाप्त हुई है।

यूपीडेस्को के अनुरोध पर वर्ष 2006 में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों लागू करने का प्रस्ताव सार्वजनिक उद्यम विभाग की सहमति के लिए भेजा गया था, परन्तु यूपीडेस्को की आर्थिक स्थिति खराब होने तथा अपने श्रोतों से पुनरीक्षित वेतनमान का भार वहन करने में सक्षम न होने के कारण सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सहमति नहीं प्रदान की गई थी।

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा प्रदेश के निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करने के लिए शा0 सं0-607/44-1-2007-16उवेरि/97 दिनांक 22-6-2007 द्वारा यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि निगमों में पंचम वेतन आयोग की संस्तुनियों के अनुसार तभी पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने पर विचार किया जायेगा, जबकि प्रश्नगत निगम/उपक्रम में संचित घाटा न हो, वह लाभ अर्जित कर रहा हो एवं सरकार को लाभांश भी अदा कर रहा हो।

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित उक्त शर्तों के अधीन यूपीडेस्को वर्तमान में लाभ में है इसमें संचित घाटा वर्ष 2003-04 में समाप्त हो गया है, परन्तु यूपीडेस्को द्वारा सरकार को लाभांश भुगतान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में यूपीडेस्को द्वारा पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करने के लिए पुनः माह जून, 2008 में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है जो शासन के परीक्षणाधीन है।]

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में न्यूरो सर्जन एवं न्यूरोलाजिस्ट न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन "आदित्य" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में प्रवक्ता, न्यूरोलॉजी के पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी डा0 विकास बंसल की तैनाती शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29-08-2006 द्वारा की गई थी, जिसके अनुपालन में डा0 बंसल द्वारा दिनांक 11-04-2007 को कार्य भार ग्रहण कर लिया गया था। कार्य भार ग्रहण करने के उपरान्त डा0 बंसल अवकाश का प्रार्थना-पत्र देकर चले गये थे। अवकाश से वावस आने पर डा0 विकास बंसल, प्रवक्ता, न्यूरोलॉजी को कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 09-07-2008 द्वारा इस शर्त के अधीन प्रदान की गई है कि डा0 बंसल नियमित रूप से मेडिकल कालेज, झांसी में उपस्थित रहकर अपने कार्यों एवं दायित्वों का भली-भांति निर्वाहन करेंगे। भविष्य में यदि उनके द्वारा चिकित्सकीय एवं शैक्षिक कार्य न करके अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, तो नियमानुसार उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

मेडिकल कालेज, झांसी में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ता, न्यूरोसर्जरी डा0 अजय बजाज की तैनाती शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14-08-2008 द्वारा किया गया है, जिसमें उन्हें 01 माह के भीतर कार्य भार ग्रहण करने का समय प्रदान किया गया है :

इस प्रकार मेडिकल कालेज, झांसी में न्यूरोलॉजिस्ट एवं न्यूरो सर्जन की तैनाती की जा चुकी है। इन चिकित्सा शिक्षकों की तैनाती से बुन्देलखण्ड के मरीजों को मेडिकल कालेज, झांसी से ग्वालियर तथा कानपुर संदर्भित नहीं किया जायेगा, अपितु उनका सम्पूर्ण उपचार मेडिकल कालेज, झांसी में ही किया जायेगा।]

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

मान्यवर, इसे पिछली बार भी मैंने नियम-51 में रखा था। झांसी में जो मेडिकल कालेज है उसमें न्यूरो सर्जन नहीं है। वहां से जब पेशेन्ट ग्वालियर या कानुपर जाता है तो दम तोड़ देता है। अभी जो आपने जवाब दिया है हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन इनकी नियुक्ति हो जाय। पिछली बार जिनकी नियुक्ति हुई थी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उनका कहना यह है कि वेतन इतना कम है कि हमने केवल ज्वाइनिंग कर ली अब हम नहीं आयेंगे। वहां रोज 10-15 पेशेन्ट न्यूरोलोजी और न्यूरो सर्जरी से मरते हैं और हम लोग रोज परेशान होते हैं। उ0प्र0 और म0प्र0 के सारे पेशेन्ट आते हैं और आपके जितने बुन्देलखण्ड के विधायक हैं सबको मालूम है कि एक ही मेडिकल कालेज है तो उसमें चाहते हैं मंत्री जी से कि इसकी सुनिश्चितता करा दें क्योंकि इसके बाद सत्र पता नहीं कब चले कब नहीं चले लेकिन लोग रोज मरते रहेंगे। आपने इसमें लिखा है कि एक महीने में वह नियुक्ति कर लेंगे तो माननीय मंत्री जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वह न्यूरो सर्जन की नियुक्ति अवश्य करा दें।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें तो स्पष्ट आपको सूचना दी गयी है कि न्यूरो सर्जरी विभाग में डा0 अजय बजाज की तैनाती कर दी गयी है और इसी तरह से डा0 विकास बंसल की न्यूरोलोजी में तैनाती की जा चुकी है।

श्री प्रदीप जैन ''आदित्य''-

मान्यवर, पिछली बार हम आगरा तक गये थे डा0 बंसल के पास डेढ़ साल बाद भी वह नहीं आये थे तो इसको दिखवा लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमारे माननीय जैन साहब जैसे विद्वान सदस्य को आगरा तक जाना पड़ा फिर भी इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा है।

श्री लालजी वर्मा-

इसमें न्यूरोलोजी का भी है।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज में अधूरी पड़ी ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य.....

वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[विधान सभा द्वारा दिनांक 20-8-08 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में उल्लिखित है कि विधान सभा क्षेत्र, रामपुर खास, जनपद-प्रतापगढ़ में ग्रामीण पेयजल योजना संग्रामगढ़, अर्रो, अगई, अठेहा, उमरार, कुम्भी आइमा, जेवई सहित अन्य ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में से कुछ अधूरी है तथा कुछ में मानक और क्षमता के अनुसार पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है। आवश्यकतानुसार जलापूर्ति नहीं होने के कारण स्वच्छ एवं शुद्ध जल सुलभ नहीं हो रहा है, जिससे लोगों में उदर जनित एवं आंख की बीमारी फैल रही है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र रामपुरखास, जनपद-प्रतापगढ़ के अन्तर्गत लालगंज, रामपुर संग्रामगढ़ तथा सांगीपुर क्षेत्र पंचायतों के भूगर्भ जल में रासायनिक अशुद्धियां पायें जाने के कारण नलकूपों के माध्यम से पेयजल हेतु ग्रामीण पेयजल योजनाएं निर्मित/विरचनाधीन हैं। सूचना में उल्लिखित पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है :--

- **संग्रामगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना**-इस योजना का निर्माण वर्ष 1988 से 67 बस्तियों हेतु किया गया था। वर्तमान में एक नलकूप के अकार्यकारी हो जाने के कारण केवल 40 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है। पेयजल की सुविधा हेतु इन बस्तियों में 60 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प भी अधिष्ठापित हैं।
- **अर्रो ग्राम समूह पेयजल योजना**-इस योजना का निर्माण वर्ष 1999 में 27 बस्तियों हेतु किया गया था। वर्तमान में केवल 15 बस्तियों में जलापूर्ति हो रही है। पेयजल की सुविधा हेतु इन बस्तियों में 66 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प भी अधिष्ठापित हैं।
- **अगई ग्राम समूह पेयजल योजना**-इस योजना का निर्माण 45 बस्तियों हेतु किया गया था वर्तमान में 40 बस्तियों में जलापूर्ति हो रही है।
- **अटेहा ग्राम समूह पेयजल योजना**-यह योजना 22 बस्तियों हेतु पूर्वांचल विकास निधि में प्रस्तावित थी। इस योजना की लागत रु0 70.80 लाख के सापेक्ष रु0 18.00 लाख की प्रथम किश्त प्राप्त हुई थी, जिससे 01 नलकूप का छिद्रण, पम्प गृह का निर्माण तथा पम्पिंग प्लान को अधिष्ठापित कराया गया है। योजना के शेष कार्य हेतु धनावंटन का प्रस्ताव आगामी राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- **उमरार, कुम्भी आइमा एकल ग्राम की योजना तथा जेवई** दो ग्रामों की योजना के विरचन का कार्य सितम्बर, 2008 तक पूर्ण कर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

उपरोक्त ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित समस्त बस्तियों में मानक तथा क्षमता के अनुसार जलापूर्ति हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम को निर्देशित किया जा रहा है।]

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत खड्डा एवं कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0पी0एन0 सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जनपद कुशीनगर के.....

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[अन्तर्गत खड्डा एवं कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत श्री आर0 पी0 एन0 सिंह0, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना पर शासन को केवल वक्तव्य दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, कुशीनगर के द्वारा खड्डा एवं कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को उनकी संस्तुति/आख्या हेतु प्रस्तुत किया गया। उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 19-6-2008, जिसमें मण्डलायुक्त, आजमगढ़, मण्डलायुक्त, सहारनपुर, अपर आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ मण्डल, लखनऊ, जिलाधिकारी, आजमगढ़, सहारनपुर, हरदोई तथा अपर जिलाधिकारी, कुशीनगर के अतिरिक्त शासन के वित्त विभाग के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे, में सम्यक् विचारोपरान्त लेखपाल क्षेत्रों की संख्या तथा प्रस्तावित तहसीलों के भौगोलिक एवं कृषि क्षेत्रफल के मानक से विचलन के कारण प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण नहीं पाया है।

3-नयी तहसील के सृजन हेतु शासन द्वारा जो मानक निर्धारित किये गये हैं, उसके अनुसार राजस्व क्षेत्रफल 90 हजार हेक्टेयर, कृषि योग्य क्षेत्रफल 70 हजार हेक्टेयर तथा लेखपाल क्षेत्र 100-120 होना चाहिए। जबकि प्रस्तावित खड्डा तहसील में लेखपाल क्षेत्रों की संख्या-48 तथा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल 23185 हेक्टेयर बताया गया है। इसी प्रकार प्रस्तावित तहसील कप्तानगंज में लेखपाल क्षेत्रों की संख्या-57 तथा कृषि योग्य क्षेत्रफल 38411 हेक्टेयर बताया गया है।

4-उच्च स्तरीय समिति की उपरोक्त संस्तुतियों के दृष्टिगत प्रकरण को निक्षेपित कर दिया गया है।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्र में विद्युत लाइन के सुदृढ़ीकरण एवं विद्युत आपूर्ति में सुधार के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा के.....

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[डा0 अम्बेडकर ग्राम भिटौरा के मजरों सुब्बापुरवा, बस्ती पुरवा एवं उपाध्याय पुरवा के लाइन सुदृढ़ीकरण एवं विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु कुल रु0 5.61 लाख का प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2006-07 में बनाया गया था परन्तु किसी योजना में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूरा नहीं हो सकां वर्तमान वित्तीय वर्ष में जर्जर तारों एवं खम्भों को बदलने की कार्य योजना के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य को कराने का प्राविधान किया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप मसकनवा टाउन के जर्जर तारों एवं खम्भों को बदलने की कार्यवाही की जा रही है। अवशेष कार्य/क्षमता वृद्धि के कार्य को प्रणाली सुधार के अन्तर्गत सम्पादित करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्मिलित किया गया है।]

जनपद सहारनपुर के क्षेत्र मुजफ्फराबाद स्थित ग्राम हिन्दुवाला, डाडल एवं नौगांवा में बरसाती नदी से जन-धन की क्षति होने तथा उनको राहत पहुंचाये जाने की मांग के सम्बन्ध में श्री इमरान मसूद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य, विधान सभा.....

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[श्री इमरान मसूद द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना पर वक्तव्य निम्नवत् है :-

विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फराबाद जनपद सहारनपुर में बड़कला नदी में पहाड़ी क्षेत्र के कैचमेंट से पानी का प्रवाह होता है। यह नदी मैदानी क्षेत्र में आने पर तीन भागों में विभाजित होकर बहती है। वर्तमान में हुई बरसात में दिनांक 16-08-08 को बड़कला नदी का प्रवाह तीन धाराओं में से एक ही धारा में अधिकांश प्रवाह होने के कारण नदी के किनारे बसे हुए हिन्दुवाला, डाडल गांव प्रभावित हुए हैं। इस नदी पर हिन्दुवाला गांव में विभागीय तटबन्ध एवं हिन्दुवाला ब

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डाडल गांव में बाढ़ सुरक्षा निर्मित है। तटबन्ध सुरक्षित है, बाढ़ सुरक्षा कार्यों को आंशिक क्षति हुई है। अन्य क्षेत्र जहां बरसाती नदी में जल भराव के कारण जनहानि एवं विद्यालय के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी गई है, उक्त पर राहत कार्य हेतु राजस्व विभाग से अनुरोध किया गया है।]

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत कस्बा उस्का बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा .....

ऊर्जा मंत्री (रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद सिद्धार्थ नगर के अन्तर्गत उस्का बाजार एक महत्वपूर्ण कस्बा है, जहां पर कई राजकीय विभागों की शाखायें एवं शिक्षण संस्थायें आदि भी स्थित है। इसके साथ ही साथ यह विकास खण्ड मुख्यालय तो है ही, यहां पर पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय आदि स्थित हैं यह कस्बा बौद्धिस्ट मार्ग पर स्थित है। यहां पर बड़े-बड़े व्यापारी हैं जो सर्वाधिक मात्रा में सरकार को आयकर एवं व्यापार कर अदा करते हैं। उस्का बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने का प्रस्ताव काफी समय से लम्बित है। इस संदर्भ में सभी औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी हैं किन्तु अभी तक उस्का बाजार को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी नहीं की गयी है जबकि मा0 जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के यहां से इस आशय का प्रस्ताव सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कराने के उपरान्त दो बार प्रेषित किया जा चुका है। इससे जहां लाखों ग्रामीणों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है वहीं क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश एवं कुण्ठा व्याप्त है।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्र दिनांक 10-8-2007 एवं 30-11-2007 द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर की उस्का बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया। उल्लेखनीय है कि उस्का बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में संक्रमणशील क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निदेशक, पंचायती राज की सहमति/अनापत्ति प्राप्त नहीं है। अतः उस्का बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निदेशक, पंचायतीराज से सहमति/अनापत्ति प्राप्त कर शासन को

उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 24-6-2008 द्वारा जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को निर्देश दिये गये हैं।

प्रकरण में निदेशक पंचायती राज विभाग की सहमति/अनापत्ति प्राप्त होने पर उस्का बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

राज्य कर्मचारियों की भांति उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के स्टाफ की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद चतुर्वेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य .....

ऊर्जा मंत्री (रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[विधान सभा, श्री विनोद चतुर्वेदी ने नियम-51 के अन्तर्गत सूचना देते हुए अवगत कराया है कि बीच प्रमाणीकरण संस्था में समस्त व्यवस्थायें उत्तर प्रदेश शासन के अनुरूप ही गठन के समय से लागू हैं तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार वेतन, भत्तों एवं सेवा सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन किया जाता है। बीज प्रमाणीकरण संस्था सोसायटी ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी एवं स्ववित्त पोषित संस्था हैं तथा उत्तर प्रदेश शासन से कोई अनुदान/बजट संस्था को प्राप्त नहीं होता है। उत्तरांचल राज्य के गठन के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के कर्मचारियों/परिसम्पत्तियों का विभाजन एम0ओ0यू0 के आधार पर किया गया तथा वर्तमान में उत्तरांचल राज्य में कार्यरत बीज प्रमाणीकरण संस्था के कार्मिकों को भी 60 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता का लाभ प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की प्रबन्धकारिणी परिषद् की 72वीं बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 में कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष बढ़ाये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में संस्था निदेशक द्वारा समुचित प्रस्ताव भेजते हुए अवगत कराया गया है कि शासन पर कोई व्यय भार नहीं पड़ेगा एवं शासन द्वारा चाही गयी समस्त सूचनायें भेजते हुए निरन्तर अनुरोध किया जाता रहा है कि संस्था के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी जाये। इस सम्बन्ध में कर्मचारी संगठन के द्वारा भी लगातार अनुरोध-पत्र दिये जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मंडी

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिषद् एवं उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था दोनों ही विभाग सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की परिधि में नहीं आते हैं तथा लाभ की स्थिति में हैं। मण्डी परिषद् के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 से बढ़ा कर 60 वर्ष किए जाने का शासनादेश संख्या 932(1)60 1 2005 दिनांक 16 मई, 2005 द्वारा पूर्व में ही जारी किया जा चुका है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार से वक्तव्य की मांग की गई है।

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में स्टाफ की आयु 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष किए जाने हेतु संस्था के बाइलाज की धारा-28 में संशोधन की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया गया एवं यह अवगत कराया गया कि उपरोक्त धारा-288 में संस्था के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित है। यह भी अवगत कराया गया कि राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 में पंजीकृत एक स्वायत्तशासी व स्व-वित्त पोषित संस्था है तथा संस्था में राज्य सरकार के नियम आदि लागू हैं और यह संस्था सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की परिधि में नहीं आता है। चूंकि राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु की अधिसूचना दिनांक 27 जून, 2002 द्वारा 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष कर दी गई है इसलिए यही व्यवस्था संस्था के कर्मचारियों पर भी लागू किया जाना नियमानुकूल होगा। अधिवर्षता आयु बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या-1630(एस/बी)/2006 फतेहजंग सिन्धु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दाखिल की गई।

3-निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रस्ताव एवं मा0 उच्च न्यायालय में दायर उक्त याचिका को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष किये जाने के बिन्दु पर दिनांक 12 फरवरी, 2007 को तत्कालीन मा0 कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें तत्कालीन प्रमुख सचिव, कृषि विभाग के अतिरिक्त कृषि निदेशक, निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्ड कारपोरेशन लि0 तथा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम भी उपस्थित थे। अधिवर्षता आयु बढ़ाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों के सेवकों की अधिवर्षता आयु के सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 25 जुलाई, 2002, जिसमें सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों की अधिवर्षता आयु न बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है, के आलोक में उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की प्रबन्धकारिणी परिषद् के प्रस्ताव दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 के अनुसार संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष किए जाने का औचित्य नहीं पाया गया और तद्नुसार शासन के पत्र संख्या 224/12-2-2007-डब्ल्यू0एफ081/2006 दिनांक 14 फरवरी, 2007 द्वारा निदेशक, उत्तर

प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को अवगत करा दिया गया। यह भी अवगत कराना है कि याची द्वारा उक्त याचिका का वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को निरस्त कर दिया।

4-इस सम्बन्ध में पुनः सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष किए जाने का औचित्य नहीं पाया गया। तद्नुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2008 द्वारा निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को अवगत कराया जा चुका है।]

जनपद उन्नाव के थाना अचलगंज के प्रभारी श्री परशुराम त्रिपाठी द्वारा जनता से धन की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री सुन्दर लाल लोधी...

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19-08-08 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में कहा गया था कि जनपद उन्नाव के थाना अचलगंज के प्रभारी श्री परशुराम त्रिपाठी जनता से धन वसूली का कार्य करते हैं, जिसकी शिकायतों के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई है। ग्राम-बेथर, थाना-अचलगंज निवासी-उमाशंकर वर्मा से धन की मांग पूरा न होने पर पिटाई किये जाने व फर्जी अपराध में बंद करने का उल्लेख किया गया था। इस सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष विधान सभा द्वारा दिनांक 21-08-08 को केवल वक्तव्य दिए जाने के आदेश दिए गये हैं। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, उन्नाव से प्राप्त आख्या के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :-

श्री नजीरूलहक उर्फ चुन्ने निवासी-ग्राम-हड़हा, थाना-अचलगंज द्वारा थानाध्यक्ष अचलगंज श्री परशुराम त्रिपाठी के विरुद्ध दिये गये प्रार्थना पत्रों की जांच क्षेत्राधिकारी बीघापुर से कराए जाने पर पाया गया कि आवेदक एवं विपक्षी मेराज के बीच जमीन का विवाद था जिसके बारे में एस0डी0एम0 सदर के आदेश का अनुपालन कराने हेतु थानाध्यक्ष अचलगंज द्वारा दोनों पक्षों को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बुलाया गया था। जांच के दौरान आवेदक द्वारा स्वयं शपथपत्र दिया गया कि उसे थानाध्यक्ष से कोई शिकायत नहीं है, उसने किसी के बहकावे में आकर प्रार्थना-पत्र दिया था।

ग्राम बेथर निवासी श्री उमा शंकर वर्मा को किसी अपराध में बन्द किया जाना नहीं पाया गया बल्कि शिव शंकर वर्मा के विरुद्ध श्री संजय शुक्ला निवासी ग्राम बेथर द्वारा मु0अ0सं0-619/08 धारा 384/504/506 भा0दं0वि0 व 22/23 मनी लेन्डिग ऐक्ट 1976 का अभियोग दर्ज कराया गया था। इसमें विवेचना से आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र दिनांक 06-06-08 को न्यायालय प्रेषित किया गया है। इसी प्रकार शिव शंकर के भाई बल्देव निवासी बेथर के विरुद्ध उसी गांव के श्री राम पुत्र सिद्धेश्वर द्वारा मु0अ0सं0-618/08 धारा 384/504/506 भा0दं0वि0 व 22/23 मनी लेन्डिग ऐक्ट 1976 का अभियोग दर्ज कराया गया था। इसमें विवेचना से आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र दिनांक 06-06-08 को न्यायालय प्रेषित किया गया है। प्रकरण में क्षेत्राधिकारी नगर जनपद उन्नाव द्वारा सम्पादित की गयी, जांच में थानाध्यक्ष अचलगंज के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये हैं।]

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का बस स्टैण्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जनपद रामपुर की.....

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[तहसील बिलासपुर में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का बस स्टैण्ड बनवाये जाने हेतु शासन द्वारा सक्रिय कार्यवाही की जा रही है।

2-इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से यह अनुरोध किया गया था कि वे जनपद-रामपुर की तहसील बिलासपुर में स्थित पुराने सरकारी अस्पताल की भूमि/भवन को बस स्टेशन बनाये जाने हेतु परिवहन निगम को स्थानान्तरित कर दें।

3-चिकित्सा विभाग से इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि तहसील-बिलासपुर स्थित पुराने चिकित्सालय परिसर में कोल्ड चेन स्थापित है। अस्पताल का नया भवन शहर से दूर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होने के कारण महिलाओं की कठिनाइयों को देखते हुए 24 घण्टे महिलाओं को प्रसव सेवा इसी अस्पताल में दी जा रही है। साथ ही एक होम्योपैथिक चिकित्सालय, सी0डी0पी0ओ0 का कार्यालय व उनका पोषाहार का भण्डार भी पुराने अस्पताल में ही स्थापित है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी भी पुराने अस्पताल के आवासों में निवास कर रहे हैं। अतः उक्त वर्णित स्थिति में जनपद-रामपुर की तहसील-बिलासपुर में स्थित पुराने सरकारी अस्पताल की भूमि एवं भवन को बस स्टेशन बनाये जाने हेतु परिवहन निगम को स्थानान्तरित करने में उन्होंने असमर्थता व्यक्त की है।

4-तत्क्रम में जिलाधिकारी, रामपुर को पुनः यह निर्देशित किया गया है कि वे बिलासपुर स्थित पुराने अस्पताल की भूमि/भवन बस अड्डे हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं, इस पर अपना मन्तव्य तथा यदि यह उपयुक्त नहीं है तो बस अड्डे के निर्माण हेतु अन्यत्र भूमि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें।

5-जनपद-रामपुर की तहसील-बिलासपुर में जैसे ही उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो जायेगी, वहां पर बस स्टैण्ड का निर्माण करवाया जायेगा।]

निर्वाचक नामावलियों के अन्तर्गत फोटो युक्त पहचान पत्र बनाये जाने की समय सीमा को 20 सितम्बर, 2008 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्वाचन मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने.....

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसकी समय सीमा 19 अगस्त, 2008 रखी गयी थी, जिसे अब बढ़ाकर 22 अगस्त, 2008 कर दिया गया है। किन्तु विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगे हुये कर्मचारी समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उन कर्मचारियों को अन्यत्र भी ड्यूटी करनी पड़ती है। विशेषकर निर्धन लोग, जिनके अभी तक फोटो युक्त पहचान-पत्र तक नहीं बने हैं, उन लोगों के फोटो युक्त

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पहचान-पत्र बनाये जाने के लिए एक विशेष अभियान की आवश्यकता है। गांवों में रहने वाले निर्धन मतदाताओं को उक्त अभियान की जानकारी तक नहीं हो पाती है और वे बिना फोटो युक्त पहचान-पत्र के अपने मताधिकार से वंचित हो रहें हैं। उक्त पृष्ठभूमि में मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना के माध्यम से यह मांग की गई है कि फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथि आगामी 20 सितम्बर, 2008 तक बढ़ा दी जाए। उक्त सूचना पर दिनांक 21-8-2008 के लिए 'केवल वक्तव्य' निर्धारित हुआ है जो निम्नवत् प्रस्तुत है :-

मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 19-8-2008 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में निवेदन है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चल रहा है, जिसके अन्तर्गत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की समय सीमा 19 अगस्त, 2008 रखी गयी थी, जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बढ़ाकर 22 अगस्त, 2008 कर दिया गया है। मा0 सदस्य द्वारा उक्त तिथि को 20 सितम्बर, 2008 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि संविधान की धारा-324 के अधीन निर्वाचनों तथा निर्वाचक नामावली की तैयारियों के कार्य का नियंत्रण, निर्देशन तथा अधीक्षण का समस्त अधिकार भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। निर्वाचक नामावलियां बनाने का कार्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग इसमें स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेते हैं। निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण अथवा उसके लिए समय सीमा बढ़ाने का कार्य राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में नहीं है।]

प्रदेश में जननी मातृ योजनान्तर्गत उच्चीकृत एवं प्राथमिक चिकित्सालयों पर आयुर्वेद स्नातक महिला चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अजय तोमर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा.....

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[भारत सरकार की योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सुरक्षित जननी मातृ योजना प्रदेश के उच्चीकृत एवं प्राथमिक चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

प्रदेश में उच्चीकृत एवं प्राथमिक चिकित्सालयों में तैनात आयुर्वेदिक स्नातक महिला चिकित्सकों के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि--

(1) सभी आयुर्वेदिक स्नातकों को आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रसव कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर इन्टर्नशिप के दौरान एलोपैथिक जिला चिकित्सालयों में 6 मास का प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है।

(2) आयुर्वेदाचार्य (बी0ए0एम0एस0) पाठ्यक्रम में आधुनिक औषधियों का भी ज्ञान कराये जाने का प्राविधान है। इन्हें अन्तिम व्यवसायिक प्रशिक्षण काल में प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विषय के अध्यापन में प्रसव विषयक सम्पूर्ण शैक्षिक एवं प्रायोगिक ज्ञान कराया जाता है। आत्ययिक अवस्था में आधुनिक औषधियों के प्रयोग का ज्ञान कराया जाता है।

(3) आयुर्वेदाचार्य (बी0ए0एम0एस0) पाठ्यक्रम में आधुनिक ज्ञान की पुस्तकें भी संदर्भित हैं।

2-वर्तमान में प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के समान ही एलोपैथिक औषधियों के उपयोग हेतु अधिकृत माना गया है।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में 30 बेड के महिला चिकित्सालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य.....

वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[विधान सभा, श्री राम विशुन आजाद द्वारा तहसील कार्यालय मनकापुर के अपने नवीन भवन में स्थानान्तरित हो जाने के उपरान्त तहसील कार्यालय के रिक्त भवन में 30 बेड के महिला चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग की गयी है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि जनपद गोण्डा के ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मनकापुर को उच्चीकृत कर मसकनवा रोड पर 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गयी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महिलाओं को सम्मिलित करते हुए स्थानीय जनता को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला विशेषज्ञ की तैनाती की जाती है और ऐसे क्षेत्रों, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कर दिये जाते हैं, वहां महिला चिकित्सालय की स्थापना की आवश्यकता नहीं रह जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनकापुर को उच्चीकृत कर उस क्षेत्र के अन्य चिकित्सालयों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में समायोजित कर दिया गया है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला विशेषज्ञ उनेथेसिस्ट/पैथालाजिस्ट तथा सर्जन तैनात कर दिये गये हैं। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को "फर्स्ट रेफरल यूनिट" घोषित किया गया है। उक्त चिकित्सालय में स्टाफ नर्स तैनात है तथा सेजेरियन आपरेशन चालू किया जा रहा है। वर्णित स्थिति में जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्र की स्थानीय जनता को महिला विशेषज्ञों की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। अतः तहसील मनकापुर के रिक्त कार्यालय भवन में महिला चिकित्सालय की स्थापना का औचित्य नहीं है।]

कानपुर शहर के मूलगंज चौराहे से बांसमण्डी तक दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव दरियाबादी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जनपद कानपुर के.....

वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[मूलगंज चौराहा टैम्पों स्टैण्ड से लेकर लाटूश रोड होते हुए बांस मण्डी तक दुकानदारों द्वारा सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर अतिक्रमण किये जाने से आम नागरिकों के आवागमन में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा मा0 सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

उपर्युक्त सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर से आख्या प्राप्त की गयी। जिसमें यह अवगत कराया गया है पुलिस अधीक्षक, यातायात कानपुर नगर के पत्र सं0-36(15)08/एस0पी0टी0, दि0 07-07-2008 द्वारा मूलगंज टैम्पों स्टैण्ड से लाटूश रोड होते हुए बांसमण्डी चौराहा के मध्य सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाये जाने का आग्रह किया गया था। उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु नगर निगम कार्यालय के पत्र सं0-1355/3/प, दिनांक 25-7-08 द्वारा दिनांक 31-7-08 को पुलिस बल/पी0ए0सी0 की मांग पुलिस अधीक्षक (पूर्व) से की गयी थी, किन्तु उक्त तिथि को पुलिस बल उपलब्ध नहीं हुआ। पुनः उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु नगर निगम कार्यालय के पत्र संख्या-डी/379/प0अ0, दिनांक 18-08-08 द्वारा दिनांक 25-08-08 हेतु पुनः पुलिस बल/पी0ए0सी0 की मांग की गई है। उक्त तिथि को पुलिस बल उपलब्ध होने पर वर्णित स्थल का अतिक्रमण हटवा दिया जायेगा।

इसके पूर्व वर्णित स्थल का अतिक्रमण दिनांक 14-8-08 को हटवाया गया था तथा 81,000/- रुपये जुर्माना वसूला गया था।]

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राष्ट्र-गान

श्री अध्यक्ष-

राष्ट्र-गान।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 5 बजकर 26 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 21 अगस्त, 2008

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29-30 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2008 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित मा0 सदस्य विधान सभा श्री मदन भैया द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-3 के उत्तर का संलग्नक

उ0 प्र0 हरियाणा सीमा विवाद सुलझाने हेतु दोनों प्रदेशों के बीच विभिन्न स्तर के अधिकारियों के मध्य हुई बैठकों का जनपदवार विवरण निम्नवत् है :--

जनपद बागपत

क्रमांक	दिनांक	स्थान	अधिकारियों का स्तर
1	27-04-06	बागपत (उ0प्र0)	ए0डी0एम0 बागपत-राजस्व अधिकारी, सोनीपत
2	01-05-06	राई (हरियाणा)	जिलाधिकारी, बागपत-उपायुक्त, सोनीपत
3	29-05-06	राई (हरियाणा)	,, ,, ,, ,,
4	11-10-06	बड़ौत (उ0प्र0)	एस0डी0एम0, बागपत-एस0डी0एम0, सोनीपत
5	15-11-06	गौरीपुर पुल	एस0डी0एम0, बागपत-नायब तहसीलदार, सोनीपत
6	28-11-06	राई (हरियाणा)	जिलाधिकारी, बागपत-उपायुक्त, सोनीपत
7	25-05-07	बागपत (उ0प्र0)	एस0डी0एम0, बागपत/एस0डी0एम0, सोनीपत
8	24-03-08	बायोली (हरियाणा)	एस0डी0एम0, बड़ौत एवं एस0डी0एम0, रूमालखा

जनपद-गौतमबुद्धनगर

सीमा विवाद के निस्तारण हेतु दोनों प्रान्तों के मुख्य सचिव, मण्डल तथा जिलाधिकारी स्तर पर कई चरणों में विभिन्न स्थलों पर 13 बैठकें हो चुकी थीं। अद्यतन बैठक दिनांक 24-3-08 को हरियाणा भवन, नई दिल्ली में हुई, जिसमें वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, राजस्व, हरियाणा तथा प्रमुख सचिव, राजस्व, उ0 प्र0, जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर आदि ने भाग लिया।

जनपद-सहारनपुर

1	20-06-83	बड़खल लेक (फरीदाबाद)	आयुक्त, मेरठ, आयुक्त, अम्बाला
2	12-05-84	हरिद्वार	,, ,, ,,
3	09-02-86	अम्बाला छावनी	,, ,, ,,
4	14-02-87	इन्द्री जनपद करनाल	तहसीलदार, नकुड़-तहसीलदार, करनाल
5	15-02-87	कुण्डा घाट	,, ,, ,, ,,
6	18-02-87	,,	भू-लेख निरीक्षक, नकुड़-कानूनगो, करनाल
7	22-02-87	करनाल	परगनाधिकारी, नकुड़-उप मजिस्ट्रेट, करनाल
8	26-05-89	लखनऊ	मा0 मुख्य मंत्री, उ0 प्र0-मा0 मुख्य मंत्री, हरियाणा

9	17-10-92	करनाल	जिलाधिकारी, नकुड़-उप जिलाधिकारी, करनाल
10	14-04-2000	गुड़गांव	आयुक्त, मेरठ-वित्त आयुक्त, हरियाणा
11	05-12-2000	गुड़गांव	जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर-उपायुक्त, करनाल उप जिलाधिकारी, नकुड़
12	08-08-02	कर्णलेक गेस्ट हाउस	अपर जि0 अ0 सहारनपुर-उपायुक्त, करनाल
13	25-10-04	,, ,,	जि0 अ0 सहारनपुर-उपायुक्त, करनाल
14	07-11-05	गंगोह	उप जि0अ0 नकुड़-उप जि0अ0 इन्द्री, करनाल
15	12-04-06	ग्राम बेगी	,, ,, ,,
16	17-04-06	गौतमबुद्धनगर	आयुक्त, मेरठ-आयुक्त, रोहतक
17	24-04-06	कर्ण झील गेस्ट हाउस,	कोर ग्रुप की बैठक, करनाल।
18	09-05-06	मिनी सचिवालय, करनाल	जि0अ0 सहारनपुर-उपायुक्त, करनाल
19	12-05-06	,,	उप जि0अ0 नकुड़-जिला राजस्व अधि0 करनाल
20	13-05-06	सरसावा	जि0अ0 नकुड़-उप जि0अ0 करनाल
21	09-11-06	ग्राम-बेगी	उप जि0अ0 नकुड़-उप जि0अ0 करनाल
22	02-12-06	सरसावा	जि0अ0 नकुड़-उप जि0अ0 करनाल
23	15-12-06	ग्राम चौगांवा	तहसीलदार, नकुड़-तहसीलदार, करनाल
24	28-12-06	करनाल	उप जि0अ0 नकुड़-उप जि0अ0 करनाल
25	02-07-07	कर्णलेक गेस्ट हाउस	,, ,, ,,

इसके अतिरिक्त राजस्व अधिकारियों के बीच नियमित बैठकें की जा रही हैं।

जनपद-मुजफ्फरनगर

दोनों प्रदेशों के विभिन्न स्तरीय अधिकारियों के मध्य दिनांक 19-11-05, दि0 13-01-06, दि0 17-04-06, 24-04-06 तथा 07-07-06 को बैठकें सम्पन्न हुयीं। दिनांक 15-05-08 को कैराना में बैठक आहूत की गयी थी, किन्तु हरियाणा प्रान्त से कोई कार्मिक उपस्थित नहीं हुआ।

जनपद-अलीगढ़

1	02-04-06	होडल (हरियाणा)	--
2	15-04-06	मेरठ	आयुक्त, मेरठ
3	03-07-07	होडल	--
4	21-11-07	खैर	--

नत्थी "ख"

(देखिये अता0 प्रश्न संख्या-20 का उत्तर पीछे पृष्ट 44-45 पर।)

चार्ट अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के सम्बन्ध में

सूचना 30-6-08 तक आधार मानकर ही संकलित की गयी है

क्र0सं0	जनपद का नाम	इकाई की संख्या	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र (रु0 लाख में)		मध्यम उद्योग क्षेत्र (रु0 लाख में)		वृहद लघु उद्योग क्षेत्र (रु0 लाख में)	
			वास्तविक निवेश	रोजगार	वास्तविक निवेश	रोजगार	वास्तविक निवेश	रोजगार
01	आगरा	924	19133.18	8545				
02	मथुरा	294	1945.0	2063				
03	मैनपुरी		198.59	1097				
04	फिरोजाबाद	88	1171.00	794				
05	झांसी	524	1211.51	1667				
06	ललितपुर	90	220.25	302				
07	जालौन	478	530.15	1926				
08	मुरादाबाद	950	3008.00	5610	910.00	193		
09	रामपुर	579	918.66	1768	-	-	150.00	300
10	बिजनौर	536	521.5	1751	500.00	33		
11	जे0पी0 नगर	223	211.32	1059				
12	बरेली	1025	1883.14	6120	757.00	1409	471.00	355
13	पीलीभीत	532	321.77	1968				
14	बदायूं	614	174.32	1529				
15	शाहजहांपुर	881	869.96	3093				
16	लखनऊ	1148	3600.00	4625				
17	उन्नाव	454	41.39.00	3072	950.00	44		
18	रायबरेली	511	9.01.00	2049				
19	सीतापुर	470	553.00	1687				
20	हरदोई	487	1055.00	2538				
21	लखीमपुर खीरी	563	1529.00	1891				
22	सहारनपुर	753	2427.00	3864				
23	मुजफ्फरनगर	1211	16674	6105	1430.00	124		
24	कानपुर नगर	1047	13673.97	7481	1676.00	92		
25	कानपुर देहात	374	1556.86	1302	1068.00	59		
26	इटावा	374	1603.20	1466				

27	औरैया	70	159.27	198				
28	फरुखाबाद	449	985.73	1866				
29	कन्नौज	224	1441.68	964				
30	बाराबंकी	416	4794.57	4252	1080.00	140		
31	सुल्तानपुर	500	3022.95	1470			1013.50	198
32	फैजाबाद	107	994.00	549				
33	अम्बेडकरनगर	360	3052.45	1251	2017.50	53		
34	गोण्डा	444	702.13	1864				
35	बहराइच	304	890.44	1581				
36	श्रावस्ती	96	238.86	322				
37	बलरामपुर	90	259.95	337			1500.00	587
38	बांदा	101	141.70	336				
39	महोबा	90	162.27	235	224.00	32		
40	चित्रकूट	95	136.54	287				
41	हमीरपुर	266	272.70	828				
42	बस्ती							
43	कबीर नगर	578	492.00	1983			1628.00	150
44	सिद्धार्थनगर	जनपद बस्ती, कबीरनगर एवं सिद्धार्थनगर की सूचना एक साथ संकलित कर अंकित है।						
45	आजमगढ़	284	500.30	970				
46	बलिया	536	523.89	1786				
47	मऊ	397	709.10	1435				
48	देवरिया	296	394.55	1279				
49	कुशीनगर	134	141.24	516			20000.00	650
50	महराजगंज	289	376.34	1038				
51	गोरखपुर	655	2773.86	2767				
52	इलाहाबाद	381	1767.70	1992	2512.80	158		
53	फतेहपुर	645	1108.12	2365				
54	प्रतापगढ़	213	964.37	835				
55	कौशाम्बी	78	314.10	237				
56	भदोही	2402	3372.00	10449				
57	सोनभद्र	440	597.55	1420				
58	मीरजापुर	385	630.79	1028	263.4	112		
59	अलीगढ़	88	6458.60	1177	710.00	32	2500.00	131
60	कांशीराम नगर	10	6.35	33				
61	एटा	392	929.51	1350				

62	हाथरस	329	1250.67	1652				
63	मेरठ	110	295.45	960				
64	बागपत	362	722.03	2712				
65	गाजियाबाद	1565	22111.69	9685	4386.00	453	1186.50	1580
66	बुलन्दशहर	981	6616.00	5171				
67	जी0बी0नगर	18	74419.75	19270	2726.96	927	4172.00	6314
68	वाराणसी	677	1103.43	2705				
69	गाजीपुर	486	1798.99	1898			1335.00	79
70	जौनपुर	467	520.12	1769				
71	चन्दौली	283	1419.75	1158				
	योग	32223	229693.89	171353	21211.66	3861	33956.00	10344

उत्पाद/उद्योग

फूड, बेवरेज, टोबैको, काटन, सिल्क, फाइवर, होजरी, रेडीमेड, पेपर, लेदर, रबर, मेटल, मशीनरी, पार्ट्स, कांच, आटा, स्टोन, जरी, स्टील, रेसीन, आयल, चावल, कम्प्यूटर, शीड्स, रेपेयर, टेलरिंग, ट्रैक्टर वर्क्स शाप एवं कृषि आधारित उद्योग इत्यादि।

नोट :-जनपद गार्जीपुर, देवरिया, रामपुर की सूचना मार्च, 2008 तक एवं जनपद प्रतापगढ़, मथुरा, हाथरस (महामायानगर) एवं मुजफ्फरनगर की सूचना को जुलाई, 2008 तक संकलित कर तैयार किया गया है।

उत्तर प्रदेश राजपत्र

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-160 का उत्तर पीछे पृष्ठ 109-110 पर।)

जनपद-प्रतापगढ़ के अन्तर्गत तहसील-पट्टी में आरक्षित खेल के मैदान से सम्बन्धित ग्रामों की सूची।

क्र0सं0	ग्राम का नाम	खेल का मैदान	गाटा संख्या	रकबा हे0 में
1	महरौली	खेल का मैदान	189	0.063
2	चन्द्रभानपुर	,,	155	0.181
3	सलब सुकाली	,,	342	0.090
4	सराय शंकर	,,	10	0.02
5	औरंगाबाद	,,	829	0.114
		,,	1062	0.071
		,,	2 किता	0.185
6	लौली पोख्ताखाम	,,	92	0.89
7	धन्नीपुर	,,	37	0.131
8	पूरे मनिकंठ	,,	1144	0.062
9	नरहरपुर	,,	1483	0.360
10	निमहा	,,	95	0.070
11	धरौली मधुपुर	,,	1247	0.069
12	बरौली	,,	120	0.047
13	करिस्ता	,,	158	0.038
14	घनापुर	,,	149	0.516
15	बासूपुर	,,	249	0.057
16	लाखीपुर	,,	96	0.050
17	पालूपुर	,,	71	0.047
18	शंकरपुर	,,	160	0.063
19	सुन्दरपुर	,,	202	0.063
		,,	2 किता	0.080
20	परसरामपुर	,,	189	0.025
21	सरौली	,,	126	0.677
		,,	774/1271	0.031
		,,	2 किता	0.708

22	उसका	खेल का मैदान	5	0.370
23	ईशीपुर	,,	243	0.063
24	भौंसिया	,,	60	0.149
25	पूरे मुराई	,,	30	0.564
26	सूर्य जगन्नाथ	,,	1648	0.097
		,,	2322	0.101
		,,	3448	0.063
		,,	3 किता	0.261
27	मन्दाह	,,	514	0.132
28	चौरकटा	खेल का मैदान	514	0.132
29	कन्धई मधुपुर	,,	3426	0.064
30	गंगेहटी	,,	361	0.007
31	अतरसण्ड	,,	169	0.042
32	शेषपुर	,,	782	0.310
33	बरहूपुर	,,	393	0.076
34	सरसीखास	,,	583	0.076
		,,	1152	0.033
		,,	2 किता	0.109
35	उतरास	,,	110	0.061
36	चक मुबारकपुर	,,	204 ख मि0	0.095
37	पडरीजबर	,,	111	0.133
38	गुतौली	,,	223	0.076
39	फतेहपुर	,,	226	0.051
40	मजिस्ता भवानीगढ़	,,	505	0.063
41	दोहरी	,,	147	0.167
42	नागापुर	,,	379	0.089
43	आसलपुर	,,	72	0.051
44	पूरे बनीसम	,,	422	0.160
45	ओझला	,,	534	0.044
		,,	1676 मि	0.225

		खेल का मैदान	1395	0.143
		,,	3 किता	0.412
46	ताला	,,	154	0.310
47	मौकानी	,,	143	0.100
48	दूलापुर	,,	209	0.145
49	गहरीचक	,,	19	0.028
50	जगदीशगढ़	,,	192	0.187
51	कोरी	,,	2	0.031
52	लखनीपुर	,,	202	0.126
53	जलपा नामागीरि	,,	480	0.443
54	रायचन्द्र पट्टी	,,	586	0.108
55	मझौली	,,	288इ0	0.299
56	औसइन	,,	-	-
57	हर्रई पट्टी	,,	579	0.440
58	लाखीपुर कप्सा	,,	17	0.264
		,,	25	0.455
		,,	2 किता	0.719
59	भुसहर	,,		0.126
60	बिबियापुर आराइन	,,	294	0.008
61	रसूलपुर हैदरपुर	खेल का मैदान	183	0.069
62	विभारपुर	,,	144	0.031
63	तुरकौली	,,	1047	0.028
64	महिला सराय	,,	284	0.134
65	सोनपुरा	,,	1047	0.226
66	विनैका	,,	264	0.134
67	रत्तीपुर	,,	1033	0.072
68	काटीपुर	,,	1570	0.107
69	रोही पट्टी	,,	400	0.120
70	पूरा	,,	301	0.038
71	नगर	,,	-	0.228

72	हरी का पूरा	खेल का मैदान	262	0.063
73	जय सिंहगढ़	,,	487	0.114
74	आशापुर अठगवां	,,	226	0.028
75	रमगढ़ा	,,	572	0.041
76	उदईशाहपुर	,,	1461 ख	0.080
77	मझगवां	,,	191	0.243
78	रेडीमारापुर	,,	786 मि0	0.217
		,,	787	0.025
		,,	2 किता	0.242
79	भोपालपुर	,,	75	0.253
80	खर	,,	64	0.064
81	दुकरा	,,	74	0.039
82	अकारीपुर	,,	364	0.142
83	केतकरपुर	,,	259 क	0.044
		,,	184/534ख	0.031
		,,	2 किता	0.075
84	कर्वीरपुर	,,	48	0.012
85	गोविन्दपुर	,,	96	0.175
86	घरहिया	,,	233	0.164
87	रामपुर बबरिहा	,,	350	0.080
88	सेमराडीह	,,	173	0.177
89	भीखमपुर	,,	230	0.073
90	भैरोपुर	,,	270	0.152
91	हरी का पूरा	,,	328	0.068

उत्तर प्रदेश राजपत्र असा